STEPS TAKEN REGARDING EXPORT PROMOTION IN INDIA AND THEIR CRITICAL EVALUATION

भारत में निर्यात सम्वर्द्धन के सम्बन्ध में उठाये गये कदम एवं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन

डी०फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्ता
श्याम धर मौर्य

शोध-निर्देशक
डा० ए०ए० सिद्दीकी
रीडर

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

1997

प्राक्कथन

1972 के बाद से भारत की विदेशी विनिमय की समस्या लगातार बढती जा रही है जिसका मुख्य कारण है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे तेल का बढता हुआ मूल्य। तेल आयात को तो हम कम कर नही सकते। आयातित तेल का मूल्य लगातार बढते रहने के कारण हमारे सामने विदेशी विनिमय की समस्या लगातार बढती जा रही है। अपने विकास को गति प्रदान करने के लिए हमे तेल के अलावा भी विभिन्न वस्तुओ का आयात करना पडता है। उदारीकरण के कारण हमारे आयातो की मात्रा और भी बढती जा रही है। इस समस्या से निपटने का एक ही रास्ता समझ मे आता है और वह है अपने निर्यात मे लगातार अधिकाधिक वृद्धि करने का प्रयत्न। निर्यात वृद्धि केवल सम्बन्धित राष्ट्र के नियत्रण मे ही नही होता, बल्कि इस पर राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय दोनो ही प्रकार के घटको का प्रभाव पडता है। उदाहरण के लिए एक ओर हम अपने निर्यात को बढाने का प्रयत्न करे और दूसरी ओर दूसरे देश अपने आयात को कम करने का प्रयत्न करे तो ऐसे मे हमे अपने उद्देश्य मे सफलता नही मिलेगी। हर देश यथासम्भव अपने निर्यात को बढाने के लिए अपने निर्यातको को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है और निर्यातक उसका लाभ भी उठाते है, परन्तु सदैव ऐसा नही होता। विभिन्न कारणो से सुविधाओ का पूरा-पूरा लाभ निर्यातको को नही मिल पाता। इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन मे इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि हमारे देश मे जो सुविधाएँ निर्यातको को प्रदान की जाती है, वो वास्तव मे प्रभावशाली है या नही और है, तो किस सीमा तक।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मे भारत के निर्यात के विकास के विभिन्न पहलुओ की विवेचना करने का प्रयास किया गया है। हमने भारत सरकार के द्वारा लिये गये विभिन्न प्रोत्साहन उपायो के वास्तविक प्रभावो का पता लगाने की कोशिश की है। यह हमेशा शिकायत है कि भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमो को निर्यातकर्ताओ के अच्छे आशाओ के अनुरूप उचित ढग से क्रियान्वित नही किया जाता है। वे अधिकाशतः अपर्याप्त भी है। हमने इसका पता लगाने की कोशिश की है कि वे वास्तव मे हमारे देश के बढते हुए निर्यात मे किस हद तक प्रभावी है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मे प्राथमिक एव द्वितीयक दोनो प्रकार के आकडो को प्रमुख आधार बनाकर

अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य मे नवीन तथ्यो को खोजने के लिए ज्यादातर सूचनाये विभिन्न समाचार पत्रो और प्रकाशनो के जरिये एकत्र किये गये है तथा साथ मे दूरदर्शन मे प्रसारित कार्यक्रमो का भी सहारा लिया गया है। भारत के निर्यात सम्वर्द्धन के विषय मे अनुसधान के परिणामस्वरूप कुछ वर्षो पूर्व जो अर्वाचीन मान्यताएँ और सिद्धान्त प्रतिपादित हुए, उनके परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूरा करने का प्रयास किया गया है। निर्यात के विकास मे उत्तरदायी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सास्कृतिक तत्वो के विश्लेषण तथा विवेचना की चेष्टा की गई है। हमने भारत मे विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओ के प्रभावो का सक्षिप्त आलोचनात्मक मूल्याकन करने का प्रयास किया है तथा साथ मे उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव का भी सक्षिप्त अध्ययन करने की कोशिश की है।

मेरे शोध निर्देशक डा० ए०ए० सिद्दीकी को इस शोध-प्रबन्ध को पूर्ण कराने का पूरा श्रेय है। उनके विद्वतापूर्ण निर्देशन मे यह कार्य सभव हुआ जो मेरे लिए गर्व की बात है। उनके लम्बे समय से लगातार गम्भीररूप से अस्वस्थ रहने के बावजूद उनके विशिष्ट सहयोग, नैतिक प्रेरणा एव पथ-प्रदर्शन से मेरा यह कार्य अबाध गति से पूर्ण हुआ। इसके लिए मै उनका कृतज्ञ हूँ।

मै अपने विभाग के समस्त गुरूजनो विशेषकर प्रो० जगदीश प्रकाश, विभागाध्यक्ष एव भूतपूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रो० जे० के० जैन एव डा० आलोक कुमार श्रीवास्तव के अतिरिक्त वाणिज्य विभाग के कर्मचारियो, जनरल लाइब्रेरी के कर्मचारियो विशेषकर श्री राम नरेश कुशवाहा, तथा श्री उमा शकर पाल को धन्यवाद देता हूँ।

मै इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली मे कार्यरत श्री महावीर, सहायक प्रबन्धक (हिन्दी सेक्सन) तथा श्री सुखबीर सिह एव सुश्री माला भट्टाचार्य, कनिष्ठ व्यापार सूचना आधेकारी, (व्यापार सूचना केन्द्र) और डा० राम यश मौर्य (अवकाश प्राप्त) प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एव वित्तीय प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मै अपने पिता श्री फूल चन्द्र मौर्य (डिप्टी पोस्टमास्टर, कचेहरी प्रधान डाकघर, इलाहाबाद) एव माता श्रीमती जयराजी देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होने मुझे शोध कार्य करने की प्रेरणा दी।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने मे मेरे परिवार के सभी सदस्यो ने सक्रिय सहयोग दिया-विशेषकर अग्रज श्री रवीन्द्र नाथ मौर्य, अनुज सजय मौर्य, राजीव मौर्य, और आनन्द मोहन मौर्य के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होने हर पल मेरा उत्साहवर्धन करते हुए मेरे मनोबल को ऊँचा बनाये रखा जिसके परिणाम स्वरूप यह शोध-प्रबन्ध पूर्ण हो सका। मै उदय राज मौर्य का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने इस शोध-प्रबन्ध को पूरा कराने मे सराहनीय योगदान प्रदान किया है। मै अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यो के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।

श्याम धर मौर्य

तिथि **15 अगस्त 1997**

(श्याम धर मौर्य)
वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

तालिका-सूची

विषय-सूची

अध्याय-I

प्रस्तावना

प्रस्तावना

एक अल्प-विकसित राष्ट्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत ही अधिक होता है। उनके सम्मुख विद्यमान निर्धनता के दुश्चक्र को तोडने हेतु पूँजी निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति के एक महत्वपूर्ण श्रोत के रूप मे उसके निर्यात उल्लेखनीय भूमिका अदा कर सकते है।

देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास को ध्यान मे रखते हुए निर्यातो मे वृद्धि करना भारत के विदेशी व्यापार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किन्तु 1951 से ही हमारे देश के आयातो मे भारी वृद्धि हुई है तथा तुलनात्मक रूप से निर्यातो मे कम वृद्धि हुई है। 1950 मे भारत का निर्यात कुल विश्व निर्यात का 2 1 प्रतिशत था जो 1985 मे घटकर 0 4 प्रतिशत रहा गया। 1992 मे विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा 0 52 प्रतिशत रहा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चिन्ता का विषय है। इस स्थिति को समाप्त कर विश्व निर्यात मे भारत का प्रतिशत बढाना आवश्यक है। विशेष रूप से निर्मित एव अर्द्धनिर्मित माल का निर्यात बढाना बहुत आवश्यक है ताकि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

भारत में निर्यात-सम्वर्द्धन की आवश्यकता

जब तक भारत अपने निर्यात व्यापार मे वृद्धि नही करता तब तक वह अपने अनिवार्य आयातो का भुगतान नही कर सकता तथा भुगतान का सन्तुलन भी बनाये नही रख सकता। भारत मे निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है-

(I) व्यापार का प्रतिकूल सन्तुलन

भारत के प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के कारण निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता पडी। व्यापार का प्रतिकूल सन्तुलन द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रारम्भ हुआ तथा हमारे देश का भुगतान सन्तुलन निरन्तर हमारे विपक्ष मे रहा और भुगतान के सन्तुलन मे उतार-चढाव आता रहा। इस स्थिति मे सुधार केवल निर्यात सम्वर्द्धन से ही सम्भव है।

(II) बढ़ते हुए आयात

जैसे-जैसे विकास की गति तेज होती जाती है, वैसे-वैसे आयातो की आवश्यकता बढती जाती

है। विकासात्मक आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बडी मात्रा मे आयात करना ही पडता है। बढते हुए आयातो का भुगतान करने के लिये निर्यात को बढाना आवश्यक है।

(III) विदेशी मुद्रा की कमी

आयातो का भुगतान विदेशी मुद्रा मे या मूल्यवान धातुओ मे किया जाता है। मूल्यवान धातुओ, सोना और चॉदी का भारत मे अभाव है तथा विदेशी मुद्रा के भण्डारो मे कमी होती रही है। इन सचितियो की पूर्ति के लिए निर्यात सम्वर्द्धन आवश्यक है।

(IV) आत्मनिर्भर और आत्मजनक अर्थव्यवस्था

भारत की पचवर्षीय योजनाओ की सफल कार्यान्विति विदेशी सहायता पर निर्भर है। विदेशी सहायता पर बहुत निर्भरता अवाछित है। विदेशी सहायता के साथ विदेशी झण्डा भी आता है। इसलिये अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और आत्मजनक बनाने के लिए निर्यात सम्वर्द्धन जरूरी है।

(V) विकास-योजनाओं का सफल निष्पादन

हमारी पचवर्षीय योजनाओ मे सम्मिलित की गई अधिकाश महत्वपूर्ण योजनाओ का सफल निष्पादन पर्याप्त विदेशी मुद्रा के भण्डारो की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इन योजनाओ के लिये आवश्यक कच्चे माल, सघटको, तकनीकी ज्ञान, मशीनो आदि की पूर्ति के लिये बडी मात्रा मे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जिनकी प्रप्ति निर्यात-सम्वर्द्धन से ही सम्भव है।

(VI) नये उत्पादों का विपणन

हमारी पॉच पंचवर्षीय योजनाओ की सफल क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कई नये उद्योगो की स्थापना हुई। ये उद्योग न केवल देश की घरेलू आवश्यकताओ को पूरा करते है, बल्कि निर्यात के लिये पर्याप्त आधिक्य का उत्पादन करते है। इन वस्तुओ के लिए निर्यात बाजार ढूँढने के लिये निर्यात सम्वर्द्धन आवश्यक है।

निर्यात व्यापार का अध्ययन

विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से होता है जो एक देश की सीमाए पार कर जाता है।

विदेशी व्यापार मे आयात एव निर्यात दोनो सम्मिलित किया जाता है। आयात से तात्पर्य विदेशो से माल मगाना है तथा निर्यात से तात्पर्य विदेशो को सामान बेचना है। आज के युग मे यातायात एव सचार के साधनो की उपलब्धता, मितव्ययिता एव सुरक्षा के कारण एक देश अपने उत्पादो को विश्व के कोने-कोने मे बेचता है।

स्वतन्त्रता के बाद से भारत का निर्यात व्यापार विभिन्न मोडो से होकर गुजरा है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व भारत ने निर्यात-नियन्त्रण की नीति अपनाई थी लेकिन स्वतन्त्रता के बाद यह आवश्यक हो गया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया जाय। 1947 के बाद निर्यात व्यापार का मुख्य उद्देश्य प्रसारवादी दशाओ को रोकना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना बन गया।

निर्यातो की मात्रा मे वृद्धि के कई कारण है। प्रथम, पश्चिमी देशो मे अब मदी का प्रभाव नही है, इसलिये वहॉ भारतीय माल की माग बढने लगी है। सरकार निर्यातो को बढाने के लिये विभिन्न प्रेरणाये प्रदान करती है। सरकार द्वारा निर्यात उद्योगो को आयात की अनेक सुविधाये प्रदान की जाती है। चाय, आदि विभिन्न वस्तुओ पर निर्यात करो की मात्रा कम कर दी गयी है। पहले जो तेल, तिलहन तथा खली के निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगे हुए थे उन्हे अब समाप्त कर दिया गया है। जो चीजे निर्यात की वस्तुओ को बनाने के काम आती है उन पर से करो को या तो हटा दिया गया है अथवा कम कर दिया गया है। 1962-63 मे देश मे जूट का उत्पादन अधिक हुआ तथा विदेशी मडियो मे उसकी माग अधिक रही। जिसके परिणामस्वरूप जूट से बनी हुई वस्तुओ का निर्यात अधिक किया गया। उस वर्ष हथकर्घे के कपडे का निर्यात बढा और चाय का घटा।

"1947 के बाद भारत के निर्यात व्यापार मे अनेक परिवर्तन हुये है। देश की अर्थव्यवस्था को उचित आधार प्रदान करने के लिए देश के निर्यातो को बढाने की दिशा मे विभिन्न प्रयास किये गये। भारत के निर्यात व्यापार मे किये गये इन परिवर्तनो के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न कठिनाइयो तथा समस्याओ ने भारतीय व्यापार को अवरूद्ध कर दिया। यातायात की कठिनाइयॉ, कच्चे माल तथा रसायनो का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाधाये और सरकारी नियत्रण का बाहुल्य आदि के कारण निर्यात व्यापार की मात्रा घट गई।

स्वतन्त्रता के बाद व्यापार की मात्रा मे वृद्धि करना परमावश्यक बन गया। क्योकि ऐसा करके ही आयातो की बढती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सकता था।"[1]

1963 मे निर्यात को बढावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। विभिन्न वस्तुओ के निर्यात पर से पाबन्दियो को हटाया गया। कपास, खली तथा हथकर्घो का कपडा आदि विषयो पर निर्यात के नियताश को बढाया गया। निर्यात सम्बन्धी प्रचार और प्रसार के लिये विभिन्न उपाय किये गये वस्तुओ की किस्म पर नियन्त्रण रखा जाने लगा। जहाज मे माल लादने से पूर्व वस्तुओ का निरीक्षण करने के लिये कानून बनाया गया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई, जिनका कार्य सरकारी व्यापार की देख-रेख करना था। विभिन्न वस्तुओ के लिये 'निर्यात प्रोत्साहन परिषद' बनाई गई और रेलवे द्वारा यह घोषणा की गई कि इजीनियरिग उद्योग के 65 वस्तुओ के भाडे मे 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अवमूल्यन का प्रभाव भी निर्यात की मात्राओ पर पर्याप्त पडा। रूपये का अवमूल्यन करते समय सरकार ने आयात अधिकार और कर प्रत्यय प्रमाण पत्र योजना तथा सीधी राज्य सहायताओ का बन्द कर दिया जो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये प्रारम्भ की गई थी। रूपये का अवमूल्यन निर्यातो के लिए अधिक लाभकारी रहेगा क्योकि कोई भी निर्यात-कर्ता विदेशी मुद्रा की किसी भी राशि के बदले रूपयो की दृष्टि से 59 5 प्रतिशत अधिक रकम पा सकता था।

"आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे किसी भी विकासशील देश को किन्ही न किन्ही कारणो से विदेशी विनिमय की समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके निम्न सम्भावित कारण हो सकते है-

(i) विदेशी माग की प्रतिकूल दशाएँ

(ii) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे असन्तुलन और ढॉचे की कठोरताएँ

(iii) आर्थिक सहायता व नीतियो के सही कार्यान्वयन का अभाव

यदि विदेशी सहायता पर्याप्त रूप से उपलब्ध नही होती तो विदेशी विनिमय के सकट को दूर करने के लिए इन देशो के पास दो विकल्प रह जाते है।

1 डा० डी०एन०गुर्टू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1971-72, पृ०- 471

(अ) आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातो मे कमी,

(ब) निर्यातो को प्रोत्साहन देकर उनसे अर्जित आय मे वृद्धि।"[1]

अल्प-विकसित देशो को आर्थिक विकास के लिए निरन्तर अधिक आयातो की आवश्यकता होती है, अतः आयातो को कम नही किया जा सकता। इस स्थिति मे केवल एक ही उपाय रह जाता है कि निर्यात को बढाया जाय। निर्यात अपने आप मे लक्ष्य नही है वरन ऐसा माध्यम है जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है जिससे हम आयातो का भुगतान कर सकते है। निर्यातो से अर्जित आय का आर्थिक विकास की गति से निकटतम सम्बन्ध है।

भारत में निर्यात की आवश्यकता

भारत एक घनी आबादी वाला विकासशील देश है। इसलिये यहॉ पर निर्यात मे विकास की आवश्यकता विभिन्न दृष्टियो से है।

(I) औद्योगिक विकास के लिए आयात की आवश्यकताएँ

भारत एक विकासशील देश है, जिसे अपनी उत्पादन क्षमता बढाने, देश मे यातायात, सचार, पुल तथा बिजली का निर्माण करने तथा मूलभूत उद्योगो की स्थापना के लिए आयात की आवश्यकता है। देश मे बहुत से उद्योग धधे खुल चुके है, उनके लिए कच्चे माल, पेट्रोलियम, खनिज तथा पार्ट्स और कम्पोनेन्ट्स की आवश्यकता है। विदेशी तकनीक की आवश्यकता है। इनकी पूर्ति तभी हो सकती है जब देश मे विदेशी मुद्रा हो और पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात मे वृद्धि करना आवश्यक है।

(II) विदेशी ऋणों के भुगतान का भार

भारत ने पचवर्षीय योजनाओ के प्रारम्भिक काल मे और बाद मे देश मे रेल, सडक, पुल, बहुउद्देश्यीय परियोजनाऍ लोहे तथा स्पात के कारखाने तथा सचार व्यवस्था के सुधार तथा सैनिक उपकरणो की आवश्यकता के लिए विदेशी सरकारो तथा अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ से दीर्घकालीन ऋण लिए है। वर्तमान मे भारत पर लगभग 150,000 करोड रूपये का विदेशी ऋण है। इनके भुगतान

1 डा० जी०सी० सिघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगरा, 1993, पृ०- 478

तथा इनके ब्याज के भुगतान के लिए भी भारी विदेशी विनिमय की आवश्यकता है और दीर्घकाल मे बिना निर्यात वृद्धि के काम नही चल सकता।

(III) उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की आवश्यकताएं

आज देश खाद्यानो की दृष्टि से आत्म निर्भर है फिर भी आपातकाल सूखा आदि के समय अथवा कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ का आयात करना पडता है, उसके लिए भी निर्यात करना आवश्यक हो जाता है।

(IV) औद्योगिक विकास एवं तकनीक में सुधार

देश मे पचवर्षीय योजना काल मे बहुत से छोटे-बडे उद्योग स्थापित हुए है। यदि उन्हे पूर्ण क्षमता पर चलाना है तो अतिरिक्त उत्पादन के लिए विदेशी बाजारो मे उन्हे बेचना आवश्यक है। फिर उससे विशिष्टीकरण, बृहत पैमाने पर उत्पादन से लागत की कमी तथा उत्पादन तकनीक मे सुधार जैसे लाभ का अवसर भी प्राप्त होता है। देश मे रोजगार बढता है और सम्पन्नता आती है, इससे भी निर्यात के वृद्धि की आवश्यकता है।

(V) भुगतान सन्तुलन बनाए रखना

विदेशो से व्यापार मे भारत को भुगतान सन्तुलन बनाए रखना होता है। यदि भुगतान सन्तुलन निरन्तर विपक्ष मे रहता है तो इससे देश की विदेशो मे साख गिरती है और स्वर्ण कोषो का बहिर्गमन होने की सम्भावना बढती है। भारत दीर्घकाल में अपने विकास अथवा अन्य आवश्यकताओ के लिए विदेशी ऋण या सहायता पर निर्भर नही कर सकता। निर्यात वृद्धि ही दीर्घकालीन समाधान है। अतः निर्यात को हर तरह बढाने की आवश्यकता है।

(VI) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

कभी-कभी कुछ देशो को निर्यात, उन देशो की चिकास अथवा अन्य आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए करना आवश्यक हो जाता है। मित्र देशो से आर्थिक, सामाजिक एव सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए आयात-निर्यात दोनो ही आवश्यक होते है।

निर्यात-व्यापार का संगठन

भारत के निर्यात व्यापार के सगठन का तीन दृष्टियो से विश्लेषण किया जा सकता है- उत्पादन की प्रकृति, बिक्री के तरीके और निर्यात कर्ताओ की प्रकृति

उत्पादन की प्रकृति

भारत द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओ का निर्यात किया जाता है, उनमे चाय, जूट का माल, रूई की निर्मित वस्तुएँ, तेल, खनिज पदार्थ, दाल, खेलकूद का सामान और तम्बाकू आदि प्रमुख है। इनमे से प्रथम तीन वस्तुएँ देश के कुल निर्यात का आधा भाग है। यही कारण है कि इनके उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। यद्यपि चाय, जूट और रूई की निर्मित वस्तुओ के उत्पादन मे बडी इकाईयाँ कार्य करती है, लेकिन फिर भी इनके व्यापार के लिए कोई एक तरीका नही अपनाया जाता। चाय के उत्पादन पर केन्द्रीयकृत नियन्त्रण होने के कारण उसका व्यापार भी केन्द्रीयकृत बन गया है। दूसरी ओर जूट और रूई के निर्मित माल को विभिन्न छोटे और मध्यम श्रेणी के निर्यात-कर्ताओ द्वारा मिलो से खरीदा जाता है। अतः इनके व्यापार मे केन्द्रीयकरण नही होता वरन् यह बिखरा हुआ होता है। चाय के निर्यात व्यापार मे दलालो का मुख्य स्थान है। दलालो द्वारा क्रेता बिक्रेता को नजदीक लाया जाता है और साथ ही उद्यम की वित्तीय व्यवस्था भी की जाती है। इन तीनो प्रमुख वस्तुओ का उत्पादन पर्याप्त सुसगठित है और इनका व्यापार मुख्यतः परम्परागत मागो मे होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति मे इनके व्यापार मे अनेक निहित स्वार्थ पैदा हो जाते है जो प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करते है।

अन्य वस्तुओ के निर्यात व्यापार का सगठन भिन्न होता है। इनमे से बहुत सी चीजे तो ऐसी होती है जिनका उत्पादन अत्यन्त अल्प मात्रा मे किया जाता है। यातायात की सुविधाएँ पर्याप्त न होने के कारण इस प्रकार की वस्तुएँ उत्पादन केन्द्रो से बन्दरगाहो तक भी मुश्किल से पहुँच पाती है। इन वस्तुओ का उत्पादन जिस प्रकार होता है उसके कारण स्थानीय व्यापारियो का महत्त्व बढ जाता है। इन स्थानीय व्यापारियो की अधिक सख्या एव अकार्यकुशलता वस्तु के मूल्य को पर्याप्त बढा देती है। इन वस्तुओ के आवागमन मे प्रत्येक स्तर पर धन की आवश्यकता होती है। सम्बन्धित व्यापारियो के छोटे होने के कारण बैक को माध्यम नही बनाया जाता।

बिक्री के तरीके

निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की बिक्री के लिए जो विस्तृत प्रक्रियाए अपनाई जाती है, वे वस्तु के अनुसार बदलती रहती है। व्यापार की पहल विदेशी खरीददारो द्वारा की जाती हैं। ये विदेशी खरीददार भारत मे स्थित उनके एजेन्टो से अथवा विदेशो मे स्थित निर्यात-कर्ता के एजेन्टो से पूछ-ताछ करते रहते है। आयात-कर्ताओ को माल की उपलब्धता की सूचना प्रायः दलालो के माध्यम से प्राप्त होती है। ये दलाल सामान्य रूप से आधा से लेकर एक प्रतिशत तक दलाली प्राप्त करते है। कस्टमो से माल को निकालना और उन्हे जहाज पर लदवाना आदि कार्य पर्याप्त विशेषज्ञतापूर्ण होता है। इनमे समय-समय पर नये तरीको का आविस्कार होता रहता है। बडे-बडे निर्यात-कर्ता बन्दरगाहो पर स्वय के चुँगी कर कार्यालय रखते है, जिनमे पर्याप्त विशेषज्ञ कर्मचारी होते है। छोटे तथा मध्यम वर्ग के निर्यात-कर्ता मुख्य रूप से बन्दरगाह पर स्थित दलालो की सेवा का लाभ उठाते है। जब निर्यात-कर्ता को उसका भुगतान प्राप्त हो जाता है अथवा उसका उपयुक्त दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो माल पर से उसका नियन्त्रण हट जाता है।

निर्यात-कर्ता की प्रकृति

भारत के निर्यात व्यापार का अधिकाश कार्य अप्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न किया जाता है। चाय और इन्जीनियरिग के सामान जैसी वस्तुओ को छोडकर दूसरी वस्तुओ का निर्यात-व्यापार मुख्यतः व्यावसायिक जहाजी विशेषज्ञो के हाथ मे रहता है। ये लोग या तो कमीशन एजेन्टो के रूप मे कार्य करते है अथवा स्वतन्त्र रूप से व्यापार को सचालित करते है।

भारतीय विदेशी व्यापार मे स्वतन्त्रता के बाद से जो नये मोड आये उनके परिणाम स्वरूप निर्यात व्यापार के गृहो मे पर्याप्त विश्वास प्रकट किया जाता है तथा व्यापार गृहो एव उत्पादको के बीच पर्याप्त समन्वय की बात कही जाती है। विदेशी आयात-कर्ता प्रायः प्रत्यक्ष रूप से खरीददारी कराते है ताकि मध्यस्थो को दूर रखकर लागत को घटाया जा सके। भारत मे व्यापार गृहो का सगठन ही निर्यात की प्रक्रियाओ की कार्यकुशलता का एक मुख्य आधार है। भारत मे इस प्रकार के आयात तथा निर्यात-गृहो की सख्या 20 से 25 हजार तक है। यहॉ निर्यात-कर्ताओ को पजीकृत करने की कोई व्यवस्था नही है और यही कारण है कि निर्यात-व्यापार से सम्बन्धित आवश्यक

आकडे नही मिल पाते। इसके अतिरिक्त किसी फर्म का आन्तरिक-सगठन, उसके व्यापार का आकार तथा तरीके, वित्त के श्रोत आदि विषयो को पर्याप्त गोपनीय माना जाता है और इनके सम्बन्ध मे सही-सही जानकारी प्राप्त करना कठिन बन जाता है।

भारतीय निर्यात के प्रमुख लक्षण

द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भारत मे उद्योग-धन्धे बहुत पिछडी हुई दशा मे थे। कुछ परम्परागत उद्योगो को छोडकर देश मे यातायात, सचार, बिजली, मूल उद्योगो तथा पूँजीगत उद्योगो का हमेशा अभाव रहा है लेकिन भारत उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अतः भारत से कृषि पदार्थ, कच्चे माल और खनिज जैसे आवश्यक ससाधनो का निर्यात होता था। द्वितीय विश्वयुद्ध काल के दौरान युद्ध की कठिनाइयो एव ब्रिटेन के युद्ध मे फस जाने से देश मे कुछ उपभोक्ता वस्तुओ के निर्माण के कारखाने खुले और भारत ने अफ्रीका तथा मध्य और पूर्व के देशो को कुछ निर्यात भी किया। स्वतन्त्रता प्रप्ति के बाद देश मे पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत नियोजित विकास प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक तीन योजनाओ मे देश मे उद्योग धन्धे स्थापित होते रहे। बिजली परियोजनाओ का निर्माण हुआ, सचार एव यातायात व्यवस्था मे सुधार हुआ, लेकिन उत्पादन के अभाव मे निर्यात मे कोई विशेष वृद्धि नही हो सकी। तृतीय पचवर्षीय योजना के बाद निर्यात मे तेजी से वृद्धि प्रारम्भ हुई। तृतीय पचवर्षीय योजना तक निर्यात मे धीमी प्रगति के कारणो मे कुछ कारण निम्न है-

(i) भारत के निर्यात मदो मे चाय, जूट तथा सूती वस्त्र जैसे परम्परागत सामान थे, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे माग अलोचपूर्ण थी।

(ii) निर्यात योग्य वस्तुओ के उत्पादन का अभाव

(iii) निर्यात की वस्तुओ का अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो में अधिक मूल्य और खराब किस्म

सरकार के प्रयासो, रूपये के अवमूल्यन तथा देश मे औद्योगिक विकास के कारण निर्यातो मे सन् 1966 के बाद वृद्धि हुई। तब से भारत के निर्यातो मे निरन्तर तेजी से वृद्धि हो रही है।

निर्यात का महत्व

निर्यात का महत्व आजकल के युग मे सभी राष्ट्रो के लिए होता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, विकासशील या अविकसित। प्रत्येक देश कुछ विशेष भौतिक एव मानवीय ससाधनो से सम्पन्न होता है

और वह कुछ ही वस्तुएँ अच्छी और सस्ती उत्पादित कर सकता है। उन वस्तुओ को वह प्रचुर मात्रा मे उत्पादन करके विदेशो को बेच देता है और बदले मे अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ आयात कर लेता है। इससे दोनो देशो को लाभ होता है और वे एक दूसरे पर आश्रित हो जाते है। इससे विश्व बन्धुत्व की भावना एव सहयोग को बल मिलता है।

(I) बडी मात्रा मे उत्पादन के लाभ

एक देश अपना सारा ध्यान उन्ही वस्तुओ के उत्पादन पर केन्द्रित कर सकता है जो वहॉ प्रकृति की देन के कारण सुगमता से पैदा की जा सकती है। इससे उत्पादन विधि मे सुधार, विशिष्टीकरण एव श्रम विभाजन तथा अनावश्यक व्ययो का अन्त होता है। बृहत उत्पादन की अन्य मितव्ययिताएँ भी आती है। अतः अतिरिक्त माल का निर्यात बडी मात्रा मे उत्पादन के लाभ को सम्भव बनाता है।

(II) अतिरिक्त उत्पत्ति का अच्छे मूल्यों पर विक्रय

निर्यात के द्वारा एक देश प्रचुर मात्रा मे किसी वस्तु का उत्पादन करके उसे विदेशी बाजार मे बेच सकता है। इससे एक ओर उत्पादन लागत गिरती है और दूसरी ओर उसका अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाता है।

(III) नये-नये उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन

निर्यात से प्रोत्साहन पाकर देश मे नये-नये उद्योग धन्धो का विकास होता है। जिससे देश मे रोजगार एव आय अर्जन के अवसर बढते है और सम्पन्नता आती है।

(IV) आयात के लिए आवश्यक

किसी देश के लिए आवश्यक सभी वस्तुओ एव संसाधनो का उत्पादन सम्भव नही है अथवा कठिन अवश्य है। अतः उन चीजो का विदेशो से आयात आवश्यक होता है। यदि एक देश निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन नही करता, तो वह अपनी आवश्यक वस्तुओ का आयात भी नही कर सकेगा।

(V) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग

आयात एव निर्यात के कारण प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनो का अधिकतम उपयोग एव विकास करने मे समर्थ होता है। एक देश उन्ही वस्तुओ के उत्पादन एव निर्माण पर सबसे अधिक

ध्यान देता है, जिनसे उसे न्यूनतम लागत एव अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ऐसी वस्तुओ का निर्यात करके वह अपनी अन्य वस्तुओ का आयात कर सकता है।

(VI) सभ्यता का प्रतीक

विदेशो से आयात एव निर्यात के कारण दो देशो के निवासी एक दूसरे के सम्पर्क मे आते है। इससे पारस्परिक ज्ञान, कला, सभ्यता और सस्कृति का दो देशो मे आदान-प्रदान बढता है। दो देशो के बीच मित्रता, सहयोग एव सद्भावना का विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से पिछडे देशो को आगे बढने का अवसर मिलता है और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता एव भाईचारे का विकास होता है।

(VII) उपभोक्ताओ को लाभ

विश्व के उपभोक्ताओ को अच्छे और सस्ते उत्पादो को उपभोग करने का अवसर मिलता है। विश्व एकाधिकार की भावना समाप्त होती है। विश्व के मूल्यो मे एकरूपता और स्थायित्व आता है और विश्व के उपभोक्ताओ का रहन-सहन का स्तर ऊचॉ उठता है।

(VIII) अन्य लाभ

"(1) यातायात, सचार एव उत्पादन तकनीको मे सुधार

(2) कुशलता मे वृद्धि

(3) विदेशी मुद्रा का अर्जन

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एव शाति

(5) मूल्यो मे स्थायित्व

(6) सकटकालीन सहायता

(7) विदेशी भ्रमण का अवसर आदि।"[1]

भारत मे स्वतन्त्रता के बाद आत्मनिर्भरता की जो सकल्पना स्वीकार की गयी, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता देश के वाह्य सन्तुलन को बनाये रखना है, जिसकी प्राप्ति हेतु आयात पर निर्यात मूल्यो की अधिकता अति आवश्यक बन जाता है। निर्यात के इसी महत्व के कारण निर्यात की

1 जे०के० जैन- क्रियात्मक प्रबन्ध, प्रतीक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1988 पृ० -338

सरचना, दिशा, निर्यात सम्वर्द्धन के उपाय, व्यापार शर्त, और इस सन्दर्भ मे सरकार की भूमिका से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण समस्याये उभर कर सामने आती है। जिसके समाधान के लिए आवश्यक सिद्धान्तो, नियमो और उपायो का अन्वेषण और व्यावहारिक उपयोग की जरूरत होती है।

निर्यात सम्वर्द्धन मे विदेशी विनिमय की भूमिका को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार और घरेलू बाजार मे आर्थिक गतिशीलता को सन्तुलित ढग से उपयोग मे लाना होता है। चूँकि व्यापार का आर्थिक कारको पर प्रभाव पडना स्वाभाविक है, अतः व्यापार के सरचना निर्धारण मे व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धान्त और साधन समानीकरण सिद्धान्त का उपयोग किया जा सकता है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इस तथ्य को निर्दिष्ट करता है कि भारत को उन वस्तुओ का निर्यात करना चाहिए जिसमे तुलनात्मक लाभ अधिकतम हो। यदि किसी वस्तु का निर्यात हानिप्रद है परन्तु आवश्यक है तो इस सन्दर्भ मे उचित है कि हानि को न्यूनतम करने के उपाय किये जाने चाहिये।

साधन समानीकरण प्रमेय मे प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हेक्सचर ओहलिन ने यह बताया कि एक देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसको उत्पादित करने के साधन तुलनात्मक रूप मे प्रचुर हो और इसके विपरीत आयात होना चाहिये। ऐसा करने से ही तत् सम्बन्धित देश का लाभ अधिकतम हो सकता है।

उपर्युक्त दोनो सिद्धान्तो के निष्कर्ष के आधार पर भारत के सन्दर्भ मे उचित यही लगता है कि कृषि तथा उससे सम्बन्धित उत्पादो के निर्यात मे विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिये। परन्तु यही पर एक बहुत ही प्रबल और यथार्थ समस्या उभरती है, जिसका अनुभवगम्य विश्लेषण प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री राउल प्रेविश, गुन्नारमिरडल, जगदीश भगवती ने किया, वह है प्रतिकूल दीर्घकालीन व्यापार की शर्त। इन अर्थशास्त्रियो ने अनुभव किया कि भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निरर्थक है। क्योकि उनकी व्यापार की शर्त दीर्घकाल तक प्रतिकूल रहता है क्योकि वे कृषि से सम्बन्धित वस्तुओ का निर्यात करते है, जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है और जो विकासात्मक आयात मूल्यो की भरपायी के लिए पर्याप्त नही होता। फलतः दीर्घकाल तक भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल बना रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के लिए भारत को कुछ विशेष उपायो की

जरूरत होगी, क्योकि वर्तमान विश्व मे नयी आर्थिक व्यवस्था मे अपने को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जोडते हुए उन उपायो को तलाशना होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे हमारे निर्यातो का अश बढे, विदेशी पूँजी का आयात अपेक्षाकृत सुलभ और सस्ती रहे, विदेशी विनिमय की स्थिति सुधरे, विनिमय दर मे ज्यादा उच्चावचन न हो, घरेलू आर्थिक विकास को अन्तर्राष्ट्रीय जगत का भरपूर समर्थन मिले।

इस सन्दर्भ मे एक ध्रुवी विश्व की राजनीतिक व्यवस्था मे भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु गुटनिरपेक्षता की नीति से व्यापक लाभ होने की सम्भावना बनती है। उदारीकरण भी देश की सम्प्रभुता को बनाये रखते हुए निर्यात सम्वर्द्धन सहायक होनी चाहिये। जिन वस्तुओ की निर्यात की सम्भावना हाल के वर्षो मे बढी है उसका विदोहन होना चाहिये। इसके लिए व्यापारिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। निर्यात सम्वर्द्धन क्षेत्र का विस्तार हो, आयात प्रतिस्थापन की गति को और तीव्र करना होगा।

विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे सरकार ने निर्यात सम्वर्द्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमो को चलाया है, जिसकी आवश्यकतानुसार पुनरसरचना और मूल्याकन करते हुए कुछ नये कार्यक्रमो को स्वीकार करना होगा।

विकास और विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन, सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुआयामी प्रयोजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रधान विशेषता आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। यहॉ औद्योगिक विकास यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद काफी हुआ है। परन्तु वृद्धि की दर और इसका प्रभाव अप्रयाप्त है। औद्योगिक विकास कुछ ही क्षेत्रो मे केन्द्रित है। कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योग आज भी पिछडी हुई अवस्था मे है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। क्षेत्रिय असन्तुलन बना हुआ है। इसका कारण प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर है और भूमि सुधार का अल्प क्रियावयन मुख्य है। यदि विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगाह डाले तो इसकी भूमिका उत्साहवर्धक साबित होती है।

व्यापार के माध्यम से पूँजी निर्माण और तकनीकी पिछडापन ही आधार भूत आर्थिक समस्या से निपटने मे काफी हद तक सहायता मिलती है। उल्लेखनीय है कि पूँजी निर्माण के दो मुख्य श्रोत होते है। पहला आन्तरिक श्रोत तथा दूसरा वाहय श्रोत। घरेलू सीमा के अन्दर प्राप्त बचत और इसका निवेश के लिए गतिशीलन आन्तरिक श्रोत है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सस्थाओ, निजी उद्यमियो और व्यावसायियो, विदेशी सरकारो, अप्रवासी नागरिको, बहुराष्ट्रीय निगमो से हमारे देश के भीतर किये गये पूँजी गति निवेश वाह्य श्रोत का पूँजी निर्माण है। यह निवेश या तो मौद्रिक होता है या भौतिक परिसम्पत्ति या तकनिकी कौशल के रूप मे। स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश के माध्यम से किसी देश के लिए पूँजी निर्माण का एक अहम श्रोत है। जिस पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है। यही बात हिन्दुस्तान के सन्दर्भ मे भी लागू होता है।

आर्थिक सिद्धान्त मे व्यापार गुणक की अवधारणा सिद्ध करती है कि निर्यात और रोजगार तथा आय सवृद्धि मे धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। यद्यपि यह जरूरी है कि आयात पर यथोचित नियन्त्रण भी बना रहे।

व्यापार से विविध प्रकार की सास्कृतियो के आपसी समामेलन और सम्पर्क से मानवता भी विकसित होती है। आर्थिक भूमण्डलीकरण, सास्कृतिक आदान-प्रदान से वैश्विक एकता मजबूत होती है।

विभिन्न देशो की आन्तरिक निर्भरता बढती है। फलतः मानवता के खिलाफ प्रत्येक कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जाता है। व्यापार और आर्थिक हित ही वह तत्व है जो शक्ति सन्तुलन स्थापित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ही वर्ष पहले विश्व की एक महाशक्ति सोवियत सघ की वर्तमान परिस्थिति, मे विकसित रूस (सोवियत संघ का 80%) की तवहिनी व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर ही की जा रही है।

भारत योजनागत विकास की जो ढॉचा तैयार किया वह सोवियत सघ और फ्रास से आयातित है। हरित क्रान्ति मे मैक्सिको, अमेरिका और इजराइल की मुख्य भूमिका रही है। आधार भूत आर्थिक सरचनाओ के निर्माण मे विश्व बैक, जी -7, आई०डी०ए० ने सहयोग किया। आज भी विश्व बैक के सहयोग से बहुत से शैक्षणिक, स्वास्थ, चिकित्सा, जनसख्या नियन्त्रण, सफाई, सामुदायिक

विकास आदि के कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

यद्यपि एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप मे भारत का भरपूर आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ परन्तु भारत के औद्योगिक क्रान्ति मे इग्लैण्ड की भूमिका से मुकरा नही जा सकता। इस प्रकार हम देखते है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात मोटे रूप मे सीमा पार आर्थिक गतिशीलन का भारत जैसे अविकसित देशो के लिए भूमिका सराहनीय है। फिर भी आयातो की भरपाई के लिए निर्यात सम्वर्द्धन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न नियमो के अनुशीलन के पश्चात भारत के सन्दर्भ मे उसकी विशिष्टताओ को दृष्टगत करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उसे अपने कृषि क्षेत्र के विकास सम्भाव्यता की ओर तीव्र गति से बढने के पश्चात ही व्यापार की सरचना या निर्यात की सरचना सीमा और दिशा मे यथोचित और द्रुतगति से विस्तार किया जा सकेगा। परन्तु इसका तात्पर्य यह नही कि मात्र कृषिगत निवेश और विकास से ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेगे। यह सही है कि निर्यात की सम्भावना कृषि क्षेत्र मे ज्यादा है। परन्तु इस सन्दर्भ मे व्यापार की शर्त प्रायः प्रतिकूल ही रहती है जिसके कारण बहुत ज्यादा निर्यात के बावजूद भी निर्यात मूल्य कम ही रहता है। जबकि औद्योगिक उत्पादो के सन्दर्भ मे इसके विपरीत स्थिति होती है। इसलिये जरूरत एक सन्तुलित व्यापार और विकास नीति की होती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था मे व्यापार बढाने की सम्भावनाये बहुत ज्यादा हो गयी है। जरूरत है तो दृढ़सकल्प शक्ति, त्वरित कार्यवाही, प्रशासनिक गतिशीलता, प्रोत्साहन मूलक नीति और सही विषय और दिशा को तलाशने की। जबकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे है। क्षेत्रियता का स्थान, सकुचित हो रहा है। नये-नये आर्थिक सगठन बन रहे है। सबका मकसद अपने-अपने व्यापारिक नीति का प्रयोग अधिकतम लाभ उठाने का है तो इस परिस्थित मे भारत भी अपने पडोसी देशो तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रो के साथ मिलकर व्यापारिक गतिशीलता बढाते हुए बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक साधन और तकनीक प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह सही है कि अन्ततः इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमो के लिये आन्तरिक ससाधनो पर ही निर्भर रहना पडता है, फिर भी ससाधनो की कमी की वजह से अन्य देशो से मदद लेना ही पड़ जाता है। इस दृष्टि से

नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था मे जिसमे विभिन्न देशो द्वारा आयात शुल्क मे कटौती की जा रही है। घरेलू उत्पादनो पर सरक्षण कम हो रही है। सहाइकियो मे कटौती की जा रही है। भारत कुछ वस्तुओ का निर्यात बखूबी कर सकता है। ये है हस्तनिर्मित वस्तुये, रेडीमेड कपडे, हीरे-जवाहारात, इन्जीनियरिग वस्तुये, चाय, जूट एव सम्बन्ध उत्पाद, चावल, मछली आदि।

भारत उस स्थान पर भी खडा है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे अपनी कुछ वस्तुओ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। न केवल तकनीकी श्रेष्ठता बल्कि मूल्य की निम्नता के लिये अभी हाल ही मे ओमान, मलेशिया जैसे अल्प विकसित राष्ट्र मे भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की सस्था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत सयन्त्रो के निर्माण के आर्डर प्राप्त हुए है। भारतीय रेल प्राधिकरण को भी कई देशो मे रेल पथ तथा डिब्बो के निर्माण के आर्डर प्राप्त हुए है। भारतीय वस्तुशिल्प की श्रेष्ठता उस समय भी प्रमाणित हुई जब कम्बोडिया मे अकोरवाड के मन्दिर जिर्णोद्धार हेतु आमन्त्रित किया गया। इन तथ्यो से यही तात्पर्य निकलता है कि यदि हमारे सम्बन्ध अन्य राष्ट्रो से मधुर रहे तो हम हर एक क्षेत्र मे निर्यात बढा सकते है।

सम्भवतः अपनी इसी क्षमता को पहचानते हुए नयी व्यापारिक नीति मे आवश्यक बदलाव किया गया। नयी निर्गम नीति बनायी गयी। इसके परिणाम भी सार्थक नजर आ रहे है। 1991 के अन्त तक जो विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार 3,300 करोड रूपये था। जून 1997 के अन्त तक लगभग 87,500 करोड रूपये तक पहुँच गया। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा का व्यापार और विकास मे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योकि इसी से आवश्यक साज-समान किसी देश को मिल पाता है और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास का आधार भी विदेशी रिजर्व ही है। इसके अभाव मे घरेलू मुद्रा और अर्थव्यवस्था मे अन्य देशो का विश्वास नही जमता और विदेशी विनिमय दर मे उच्चावचन होने लगता है। जैसा कि 1990 के अन्त तक भारत मे एक विकट स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विदेशो मे सोना गिरवी रखी गयी तथा आगे चलकर रूपये का लगभग 22% अवमूल्यन कर दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यो से निर्यात की भूमिका का पता चलता है। निर्यात ही वह तत्व है जब किसी देश के घरेलू और विदेशी बाजार मे सन्तुलन बनाये रख सकता है। आर्थिक विकास का अनुपूरक

निर्धारक तत्व है। सम्भवतः इसीलिये एक अर्थशास्त्री ने कहा कि ''अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इन्जन है।'' अर्थात निर्यात जितनी मजबूत और सक्षम होगी देश की अर्थव्यवस्था रूपी गाडी विकास के मार्ग पर उतनी ही द्रुत गति से चलेगी। इस प्रकार व्यापार से बेरोजगारी, गरीबी, जैसे समस्याओ से छुटकारा पाने मे मदद मिल जाता है।

अध्याय -II

भारत का विदेशी व्यापार एवं उसकी समस्यायें

भारत का विदेशी व्यापार एवं उसकी समस्यायें

भारत में विदेशी व्यापार : एक ऐतिहासिक विवेचन

भारत मे अत्यत प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार का प्रचलन रहा है। इतिहास के अभिलेख यह प्रमाणित करते है कि ईसा से 1100 वर्ष पूर्व भी भारतीय व्यापारी दूर-दूर तक वस्तुओ का आदान-प्रदान करते थे। अनेक स्थानो पर खुदाई करके पुरातत्व-वेत्ताओ ने यह प्रमाणित किया है कि प्राचीन भारत का मिश्र, अरब, जर्मनी, चीन, जापान और जावा आदि के साथ व्यापार था। यही उस काल की सम्पन्नता का मुख्य आधार था। ''पीटर महान् के अनुसार भारत का व्यापार दुनिया का व्यापार है और जो इसका पूर्ण नियन्त्रण कर ले वही यूरोप का तानाशाह है। ''हाकिन्स के मतानुसार ''भारत अपने व्यापार के कारण ही समृद्धिशाली है, क्योकि सभी राष्ट्र यहॉ सिक्के लाते है तथा उनके बदले मे भारतीय वस्तुए ले जाते है। ये सिक्के भारत मे ही गाड दिये जाते है फिर बाहर नही निकल पाते।''[1]

प्राचीन काल मे भारत की बनी हुई वस्तुएँ जैसे-सूती कपड़े, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला, आदि की माग मिस्र, यूनान, रोम तथा ईरान आदि स्थानो मे बहुत अधिक थी।

इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया मे अपने उपनिवेश बनाये थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनो जल और थल दोनो ही मार्गों से होता था। भारत मे प्राचीन काल मे आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान सोना-चॉदी मे करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश मे करोडो रूपये का सोना आता था।

विदेशी व्यापार का परिमाण और विस्तार मुगल शासन काल मे और अधिक बढा। भारत मे अग्रेजी शासन स्थापित होने पर हमारे विदेशी व्यापार मे वृद्धि तो हुई, लेकिन उसका सारा ढॉचा

1 डा० डी०एन० गुर्टू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर-2, 1971-72, पृ०-439

ही बदल गया। अग्रेजो की सरकार ने ऐसी नीति अपनायी कि देश के उद्योग धन्धे धीरे-धीरे नष्ट होने लगे और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया। भारत, इग्लैण्ड के निर्मित माल का आयात करने लगा तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया।

प्राचीन काल में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ-

(अ) उस समय सामान्यतः निर्मित वस्तुओ का आयात और कच्चे माल का निर्यात किया जाता था।

(ब) हमारे निर्यात, हमेशा ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन हमेशा ही हमारे पक्ष मे रहता था।

(स) विदेशी व्यापार स्वेज नहर के निर्माण और परिवहन साधनो मे उन्नति के कारण तेजी से बढ रहा था।

प्राचीन काल में भारतीय व्यापार

मिस्र के पिरामिडो मे प्राप्त लाशो पर ढाका की मलमल का होना भारतीय व्यापार की लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। यूनान मे इसे गजेटिका के नाम से पुकार जाता था। "मदन मोहन मालवीय के कथनानुसार- "रोम जैसे नगरो मे भारतीय वस्तुओ की बहुत माग थी। "भारत के पास एक विशाल जहाजी बेडा था, जिसके माध्यम से वह विदेशी व्यापार करता था। भारत मे दूसरे देशो से कई वस्तुओ का आयात भी किया जाता था। जैसे चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम और लका से मोती आदि।"[1]

हड़प्पा संस्कृति के दौरान व्यापार

सिन्धु सभ्यता के लोगो के जीवन मे व्यापार का बडा महत्व था। हड़प्पाई लोग सिन्धु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातुशल्क (हड्डी) आदि का व्यापार करते थे। लेकिन वे जो वस्तुएँ बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरो मे उपलब्ध नही था। अपने तैयार माल और सम्भवतः अनाज भी नावो और बैलगाडियो पर लाद कर पडोस के इलाको मे ले जाते थे और उन

1 राम शरण शर्मा- प्राचीन भारत, कक्षा-II, एन०सी०ई०आर०टी०, पृ० -64

वस्तुओ के बदले धातुएँ ले आते थे।

2350 ई० पू० के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखो मे मेलुहा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की चर्चा है। मेलुहा सिन्धु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। हडप्पाई लोगो का वाणिज्यिक सम्बन्ध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान और ईरान से भी था। उन्होने उत्तरी अफगानिस्तान मे एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया था, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। उनके नगरो का व्यापार दजलाफरात प्रदेश के नगरो के साथ चलता था

बुद्ध काल में व्यापार

बुद्ध काल के सभी प्रमुख नगर नदी के किनारे और व्यापार मार्गो के पास बसे थे और एक दूसरे से जुडे थे। श्रावस्ती नगरी कौशाम्बी और वाराणसी दोनो से जुडी थी। वाराणसी बुद्ध के युग मे एक महान व्यापारिक केन्द्र था। सौदागर पटना मे गगापार करके राजगीर जाते थे। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढावा मिला। वैदिक काल मे लेन-देन का काम वस्तु-विनिमय प्रणाली से चलता था और कभी-कभी पशु का लेन-देन भी मुद्रा की तरह किया जाता था।

मध्य एशिया से सम्पर्क और व्यापार

देश के अन्दर विदेशियो के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घने सम्पर्क स्थापित हुए। परिणामस्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्लाई पहाडो से भारी मात्रा मे सोना प्राप्त हुआ। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए सोना मिलता था।

चोल राज्य व्यापार और वाणिज्य का बहुत बडा केन्द्र था। चोलो के वैभव का एक मुख्य श्रोत सूती कपडे का व्यापार था। अपने प्राकृतिक ससाधनो और विदेशी व्यापार से काफी लाभ उठाते रहे। वे मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे। जिनकी पश्चिमी दुनिया मे बहुत माग थी। उन्हे अपने हाथियो से दॉत मिलते थे जो पश्चिम मे काफी मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र से मोती प्राप्त होता था और खानो से रत्न और इन दोनो चीजो का निर्यात पश्चिम मे भारी मात्रा मे किया जाता था। इनके अलावा, वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। उनका कपडा सॉप के केचुल

जैसा पतला होता था। उरैऊर का कपास व्यापार नामी था। प्राचीन काल मे तमिल लोग एक ओर मिस्र और अरब के युनानी या हेलेनिस्टिक राज्य के साथ और दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और वहॉ से चीन के साथ व्यापार करते थे। जब ईसा की पहली सदी के आस-पास मिस्र रोम का एक प्रान्त हो गया और मानसून का पता लग गया, तब इस व्यापार को अपार बल मिला। इस तरह ईसा की आरम्भिक ढाई सदियो तक रोम के साथ दक्षिण के राज्यो का लाभप्रद व्यापार चलता रहा।

मौर्य काल में विदेशी व्यापार

इस काल मे भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच बडे पैमाने पर व्यापार होता था। यह व्यापार अधिकतर थल मार्ग से होता था। भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा मे चला, लेकिन इस व्यापार मे साधारण लोगो के रोजमर्रे के काम की चीजे शामिल नही थी। बाजार मे विलासिता की वस्तुऍ खूब बिकती थी। रोम वाले मुख्यतः मसालो का आयात करते थे। जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। लोहे की वस्तुऍ खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य मे भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुऍ थी। मोती, हॉथी दात, रत्न और पशु विलास की वस्तुऍ मानी जाती थी, किन्तु पौधे और उसके समान लोगो की धार्मिक, अतिम सस्कार विषयक, पाक सम्बन्धी और औषधीय आवश्यकताओ की पूर्ति करते थे।

भारत से सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओ के अलावा कुछ वस्तुऍ चीन और मध्य एशिया से भारत आती थी और तब यहॉ से रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागो मे भेजी जाती थी। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था। लेकिन बाद मे, जब ईरान और उसके पडोस के क्षेत्रो मे पार्थियनो का शासन हो गया तब इसमे कठिनाई पैदा हुई। अतः रेशम रास्ता बदलकर इस उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बन्दरगाहो पर आने लगा। कभी-कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वी समुद्र तट होते हुए भी भारत आता था, तब वह यहॉ से पश्चिम को जाता था। इस प्रकार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच रेशम का पारगमन व्यापार काफी चला।

उज्जयिनी से अगेट (गोमेद) और कार्नेलियन (इन्द्रगोप) पत्थरो का निर्यात होता था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत मे ही विकसित हुई थी। भारतीय इस्पात का अन्य देशो मे निर्यात ईसा-पूर्व चौथी सदी से होने लगा। विश्व का कोई अन्य देश इस्पात की वैसी तलवारे नही बना सकता था जैसी भारतीय शिल्पी बनाते थे। पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक इन तलवारो की भारी माग थी।

मध्यकाल में भारतीय विदेशी व्यापार

मुगल काल मे विदेशी आक्रमणो तथा देश की आन्तरिक लडाइयो के कारण उत्पन्न स्थितियो ने यहॉ के व्यापार को कम कर दिया। इस काल का व्यापार मुख्य रूप से उन थल मार्गो से हुआ जिन्हे सिकन्दर के समय इस उद्देश्य के लिये ढूढा जा चुका था। "1271 से 1294 ई० तक भारत का भ्रमण करने वाले मार्कोपोलो ने लिखा है- 'भारत अभी भी एशिया के मुख्य बाजारो मे से एक था। '

श्री बी० नारायण ने लिखा है कि- 'भारत के व्यापार मे विलासिता की वस्तुओ की भरमार थी, उस समय भारत का व्यापार और भुगतान सन्तुलन इसके पक्ष मे था। इसके पास स्वर्ण राशि इतनी थी कि इसे सोने की चिडिया के नाम से सम्बोधित किया जाता था।"[1] सम्राट अकबर के काल मे पुर्तगाली, अग्रेज और डच आदि विदेशी जातियो को भारत मे व्यापारिक सुविधाये दी जाने लगी। ऐसा होने से भारत का विदेशी व्यापार यद्यपि विकसित हुआ किन्तु उसकी भारतीयता जाने लगी और यह धीरे-धीरे यूरोपीय जातियो के हाथो मे पहुॅच गया। करेरी के अनुसार- "सारे ससार का सोना और चॉदी घूम फिर कर अन्त मे भारत ही पहुॅचता था।" देश मे राष्ट्रीय जागृति का अभाव होने के कारण भारतीय व्यापार ब्रिटिश कम्पनी के हाथो मे चला गया।

सोने और चॉदी के लिए भारत की जो ख्याति थी, वह भारत के अनुकूल विदेशी व्यापार के कारण थी। अथाह सोना और चॉदी विदेशी व्यापार के जरिए देश मे आता था। भारतीय वस्त्रो,

1 डा० डी०एन० गुर्टू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर-2, 1971-72, पृ०- 440

लोबान तथा मसालो की अमीर अरबी शासको द्वारा माग के कारण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढा। बाद मे चलकर यह क्षेत्र मसालो के दीप के नाम से पुकारा जाने लगा। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशो के मध्य छठी शताब्दी से ही जोरदार व्यापार चल रहा था।

रोमन साम्राज्य के पतन के साथ हिन्द महासागर मे चीन, व्यापार का एक मुख्य आकर्षण केन्द्र बन गया। चीन के लोग बहुत बडी सख्या मे मसालो का व्यापार करते थे, जिसका आयात दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत से किया जाता था। वे सर्वोत्तम हॉथी दॉत भी अफ्रीका से और शीशे का सामान पश्चिम एशिया से आयात करते थे। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया दोनो ही चीन, पश्चिम एशियाई देश और अफ्रीका के मध्य होने वाले व्यापार के केन्द्र स्थल बन गये थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौदागर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बदरगाहो को चुनते थे।

जापान को कपास से परिचित कराने का श्रेय दो भारतीयो को है जो समुद्री लहरो के साथ बहते हुए जापान पहुँच गये थे। धीरे-धीरे भारतीय व्यापार अरबो और चीनियो के मुकाबले मे कम होता गया क्योकि इनके जहाज भारतीय जहाजो की तुलना मे विशाल द्रुतगामी थे।

दिल्ली सल्तनत के दौरान विदेशी व्यापार

भारतीय वस्त्रो की लाल सागर और फारस की खाड़ी के देशो मे बडी खपत थी। इस काल मे चीन मे भी अच्छे किस्म के भारतीय वस्त्रो का प्रचलन हुआ, जहॉ उसको रेशमी वस्त्र से भी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। भारत उत्तम श्रेणी के वस्त्रो, शीशे के सामान और घोडे भी पश्चिम एशिया से आयात करता था। चीन से यह कच्चे रेशम और चीनी मिट्टी के बरतन मगॉता था। भारत का थल और जलमार्ग से होने वाला विदेशी व्यापार, वस्तुतः एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग था।

रोमन काल से ही पाश्चात्य देशो मे पूर्वी व्यापारिक वस्तुओ की बडी खपत थी। इनमे चीन के रेशम व भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया के मसाले व जडी बूटियो की माग प्रमुख थी। यूरोप मे आर्थिक पुनरूत्थान के बाद इस माग मे और भी वृद्धि हुई। इनमे काली मिर्च व मसालो की माग मुख्य रूप से थी। ये मसाले व विशेष रूप से काली मिर्च, लीवान्त, मिसु तथा काले सागर के बन्दरगाहो तक मुख्यतः थल मार्ग द्वारा लायी जाती थी व इसका कुछ हिस्सा भारत और दक्षिण-पूर्वी बन्दरगाहो से जल मार्ग द्वारा भी भेजा जाता था।

भारत मे सत्रहवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध के शासको ने ईरानियो, तुर्को तथा उजबेको जैसी पडोसी शाक्तियो के साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे बनाने मे सक्रिय योगदान दिया। इससे भारत के विदेशी व्यापार की सभावनाएँ बढी, उन्होने विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियो को जो छूट दी उससे भी भारत का विदेश व्यापार काफी बढा।

मुगल काल में विदेशी व्यापार

भारत मे ऐसे बहुत से बन्दरगाह और कस्बे थे जहॉ से ससार के विभिन्न देशो से व्यापार होता था। मुगल काल मे भारत पडोस के कुछ देशो को विशेष रूप से चावल और चीनी जैसे खाद्य पदार्थ निर्यात करता था। सूती कपडे बनाने के उद्योग मे विस्तार के लिए आवश्यक कच्चा माल भी ग्रामीण क्षेत्र से उपलब्ध हो जाता था। गुजरात विदेशी माल के लिए प्रवेश द्वार था। भारत दक्षिणी-पूर्वी एव पश्चिमी एशिया के कई देशो को चीनी, चावल आदि जैसे खाद्य पदार्थ ही नही भेजता था, बल्कि इस क्षेत्र के व्यापार मे भारत के सूती कपडे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।

''भारत खाने और औषधियो के कुछ मसाले जगी घोडे और विलासिता की वस्तुऐं भी आयात करता था। सोने और चॉदी के आयात से व्यापार मे भारतीय व्यापार के पक्ष मे सतुलन पैदा हुआ। भारत के विदेशी व्यापार के विकास के फलस्वरूप सत्रहवी शताब्दी मे भारत मे सोने और चॉदी का आयात इतना बढ गया था कि ''विश्व के प्रत्येक भाग मे चक्कर काटने के बाद सोना और चॉदी अन्त मे भारत मे जो सोने और चॉदी की दलदल है, दफन हो जाता है।''[1]

भारतीय व्यापारी कपडे के व्यापार के मामले मे देशी और विदेशी दोनो बाजारो के बारे मे ज्यादा जानकारी रखते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय दस से पॉच प्रतिशत तक के मुनाफे पर व्यापार के लिए तैयार थे। मुगलो ने शुद्ध चॉदी के रूपयो का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत मे ही नही वरन विदेशो मे भी मान्यता थी और इससे भारत के व्यापार को और भी बढावा मिला।

ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारतीय विदेशी व्यापार

भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना 1601 मे की गई। प्रारम्भिक दौर मे अग्रेजो के अलावा, फ्रासीसी, डच और पुर्तगाली लोग भी भारत के विदेशी व्यापार मे भाग लेते थे लेकिन

1 मध्य कालीन भारत, कक्षा- II, एन०सी०ई०आर०टी०, (800 ई० से 1200 ई० तक)

धीरे-धीरे ईस्ट इडिया कम्पनी ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। शुरूआत मे कम्पनी ने भारतीय उद्योग धन्धो को प्रोत्साहन दिया और यहॉ की मलमल तथा अन्य कपडो का बडे पैमाने पर निर्यात किया। जब इग्लैण्ड मे व्यापारियो द्वारा भारतीय माल की अत्यधिक लोकप्रियता का विरोध किया गया तो नीति मे परिवर्तन कर दिया गया। इग्लैण्ड मे औद्योगिक क्रान्ति के कारण कच्चे माल की आवश्यकता और निर्मित माल के लिये बाजारो की आवश्यकता महसूस किया जाने लगा। फलस्वरूप भारतीय उद्योग धन्धो को नष्ट किया जाने लगा। सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिनके अनुसार भारतीय माल का उपयोग करने वालो को दण्ड देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार अब भारत ग्रेट-ब्रिटेन को केवल कच्चा माल निर्यात करने वाला देश रह गया। भारतीय व्यापार के मध्यस्थ प्रायः अग्रेजी फर्म थी जिन्होने पर्याप्त धन कमाया।

स्वेज नहर के बनने से भारतीय व्यापार का एक नया युग प्रारम्भ हो गया। 1869 मे भारत के विदेशी व्यापार की राशि केवल 90 करोड रूपये थी, वह 1913-14 मे 376 करोड रूपये तक पहुँच गई। यातायात के साधनो के विकास ने धीरे-धीरे परिस्थितियॉ बदल दी। भारत पहले जिन वस्तुओ का निर्यात करता था, अब उन्ही का आयात करने लगा। अग्रेजी साम्राज्य की शोषणकारी नीतियो ने भारत मे स्वतन्त्र व्यापार को नही पनपने दिया और उसके स्थान पर ब्रिटिश माल को प्राथमिकता प्रदान की गई तथा दूसरी जगह से आये हुये माल पर अनेक प्रतिबन्ध लगाया गया।

1818 मे कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1874 तक प्रायः सभी वस्तुओ पर से निर्यात कर हटा लिया गया। 1893 मे एकाधिकार को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई और भारत मे स्वतन्त्र व्यापार को थोडा प्रोत्साहन मिला। जापान और जर्मनी आदि देशो ने भारत के विदेशी व्याप्ार मे पर्याप्त रूचि ली। धीरे-धीरे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कराची व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन्दरगाह बन गये।

प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय व्यापार

प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय व्यापार को काफी हानि उठानी पडी थी और अब तक हासिल की हुई उसकी प्रगति समाप्त हो गई। जिस समय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ था, उस समय देश मे शान्ति थी, रूपये का मूल्य स्थिर था और सरकार यातायात, सचार एव सिचाई आदि कामो मे सक्रिय

रूचि ले रही थी। जब युद्ध प्रारम्भ हुआ तब भारत मे आयातो की मात्रा कम हो गई, इसके अलावा अनेक ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया जिससे भारत का निर्यात बुरी तरह घट गया। भारत मे मशीनो का आयात बन्द हो गया और इसलिये अब तैयार माल विदेशो को नही भेजा जा सका। युद्ध के परिणामस्वरूप प्रत्येक देश आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करने लगा जिससे भारतीय व्यापार को धक्का लगा। भारत के सभी ग्राहक गरीब बन गये, युद्ध का व्यय उठाने के लिये उन्हे अपने आयातो मे कमी करनी पडी। उस समय भारत मे विनिमय की स्थिति बिगड गई। मजदूरो की हडताल और दूसरी कठिनाइयो ने भारतीय उद्योगो के विकास पर रोक लगा दिया। उस समय बिगडती हुई खराब स्थिति को देखकर भारतीय जनता ने विदेशी माल का बहिस्कार करना प्रारम्भ कर दिया। उसके बाद भारत इग्लैण्ड की अपेक्षा अन्य देशो से भी आयात करने लगा। उस दौरान भारत मे सूती उद्योग का विकास हुआ और इसलिये कपडे का आयात कम हो गया।

आर्थिक मन्दी और भारत का विदेशी व्यापार

भारत के विदेशी व्यापार पर सन् 1929-30 की भयानक आर्थिक मन्दी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पडा। 1929 से 1935 तक का काल आर्थिक मन्दी का काल कहा जाता है। इस काल मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे वस्तुओ का मूल्य गिरने लगा। भारत के आयात और निर्यात की मात्रा मे पर्याप्त कमी आ गई। इस काल मे ओटावा समझौता हुआ। इसके अनुसार भारतीय व्यापार मे शाही प्राथमिकता लागू कर दी गई। राष्ट्रवाद की लहर दौड जाने के कारण अनेक देशो ने स्वतन्त्र व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिये। 1932-33 मे भारत के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य आधे से भी कम रह गया। आयातो मे कमी इसलिये हुई क्योकि भारतीयो की क्रयशक्ति कम हो गई थी, राजनैतिक परिस्थितियो मे तनाव आ गया था और देश मे कपडा तथा चीनी उद्योग का विस्तार हो गया। धीरे-धीरे आर्थिक मन्दी का प्रभाव कम होने लगा। 1932 मे यह बहुत कम रह गया और अब विश्व की आर्थिक दशाओ मे सुधार आ गया। भारत का विदेशी व्यापार भी अब सुधरने लगा। जापान के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन गया और भारत औद्योगीकरण की दिशाओ मे प्रगति करने लगा।

द्वितीय महायुद्ध और भारत का विदेशी व्यापार

सितम्बर, 1939 से दूसरा महायुद्ध छिड गया। इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार

की परिस्थितयो मे वस्तुओ की कीमते अधिक हो गई। भारत के कच्चे माल और निर्मित माल की माग विदेशो मे बढ गई। युद्ध के वर्षो मे भारतीय निर्यात 1938-39 की अपेक्षा 46 प्रतिशत बढ गया और आयातो मे भी 32 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। जब 1941-42 मे वर्मा पर शत्रु का अधिकार हो गया तो सरकार ने भारतीय आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया ऐसी स्थिति मे भारतीय व्यापार फिर से कम हो गया।

युद्ध के दौरान फ्रास और इटली जैसे बाजार भारत के हाथ से निकल गया और सुदूर-पूर्व के बाजार भी भारत के लिये बन्द हो गया। मध्य पूर्व के बाजारो द्वारा इस क्षतिपूर्ति का प्रयास किया गया। 1940 तक यह स्थिति हो गई कि बिना अनुमति के कोई भी व्यापारी व्यापार नही कर सकता था। मार्च 1940 मे निर्यात पर भी नियन्त्रण लगा दिया गया। आयात और निर्यात पर लगाये गये इन नियन्त्रणो से ब्रिटिश सरकार पर्याप्त लाभान्वित हुई।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत का विदेशी व्यापार

द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के बाद देश के सामने यह समस्या आयी कि उत्पादन बढाकर मुद्रा स्फीति को कम किया जाय और निर्यात बढाकर आवश्यक वस्तुओ के आयात के लिये विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सके। इस काल मे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक काल को पर्याप्त महत्व दिया गया। बिगडी हुई स्थिति को सुधारने के लिये अनेक समझौते और सस्थाये स्थापित की गयी। इस दृष्टि से आग्ल-अमेरिकी ऋण समझौता हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एव विकास बैक की भी स्थापना की गई।

स्वतंत्र भारत में विदेशी व्यापार

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने अनेक आर्थिक समस्याए आई। देश के विभाजन ने उसके व्यापार को अस्त-व्यस्त कर दिया। खाद्यान्न एव अनेक कच्चा माल देश मे आवश्यकता से कम हो गया और इसलिये विदेशो से आयात करना आवश्यक हो गया। व्यापार सन्तुलन भाारत के विपरीत बन गया। 19 दिसम्बर, 1949 मे विदेशी व्यापार की बढती हुई प्रतिकूलता से विवश होकर, भारत सरकार ने रूपये का डालर के रूप मे 30 5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के निर्यात मे वृद्धि हो गई और आयात मे कमी।

1951 मे भारत का व्यापार सन्तुलन बिगड गया और दूसरी पचवर्षीय योजना प्रारम्भ होते-होते इसके भुगतान सन्तुलन मे घाटे की स्थिति आ गयी। इसे ठीक करने के लिए ऐसी नीतियॉ अपनाई गयी ताकि निर्यात मे बाधा डालने वाले प्रतिबन्धो को हटाया जा सके। 1949 मे निर्यात को बढाने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन समिति की नियुक्ति की गयी।

समिति ने निम्न सुझाव दिये-

(I) निर्यात पर लगाये गये करो को हटा लिया जाए।

(II) सट्टे पर रोक लगा दी जाए।

(III) देश के उत्पादन को बढाया जाए।

(IV) व्यापारिक समझौते किये जाए।

आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति मे परामर्श देने के लिए एक आयात सलाहकार समिति और दूसरी निर्यात सलाहकार समिति नियुक्त की गयी। 1950 मे एक आयात-नियन्त्रण जॉच समिति बनायी गयी।

भारत के विदेश व्यापार का एक लम्बा इतिहास रहा है। यातायात और सचार के विकास के कारण उसके व्यापार की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत भी विश्व-व्यापार का एक स्वतन्त्र सदस्य बन गया। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के आयात और निर्यात की दृष्टि से जो नीतियॉ अपनाई जा रही थी, उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुॅचाना था। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एव जीवन स्तर की प्रगति बन गया।

देश के आर्थिक विकास और प्रगति मे निर्यात व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश के विकास कार्य मे निर्यात व्यापार एक गतिज कारण है और जल्द आर्थिक विकास के क्रियाकलापो को महसूस करने मे देश का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति का यह एक महत्वपूर्ण श्रोत है। देश की आर्थिक व्यवस्था मे निर्यात जो स्थान प्राप्त करता है वह इसके विकास योजना के स्रोत, आकार और प्रकृति द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके वाणिज्यिक विशिष्टता के लिये भारतीय व्यापार एक समय मशहूर था। लेकिन भारतीय निर्यात व्यापार उपनिवेश राज्य मे गम्भीर

रूप से पीछे हो गया। जब इसकी स्थिति निम्न वस्तुओ की पूर्ति के लिए और ब्रिटेन के उद्योगो को निर्यात के लिए, कच्चे माल की पूर्ति को विवश किया गया।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत का निर्यात

"भारत के वाणिज्यिक प्रधानता के दौरान भारतीय व्यापार निश्चित रूप से अनुकूल था। हमारे निर्यात ने आयात को बढावा दिया। भारत निर्यात मे वाणिज्यिक प्रधान था। यूरोपियन देश और अन्य, भारत के साथ ज्यादा व्यापार सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापार की यह महत्वपूर्ण स्थिति तब तक बनी रही जब तक अग्रेजो ने देश के ऊपर पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण नही स्थापित कर लिया। 1700 ई० मे जब भारत लगभग एक मिलियन सूती कपडे और 12,000 रेशमी कपडे ब्रिटेन को निर्यात करता था, इन उद्योगो को इनके रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र क्षेत्र को गम्भीर चोट पहुँचने से ये उद्योग तितर-बितर हो गये।[1]

"उपनिवेश क्षेत्र मे जहॉ ब्रिटेन ने दो पक्षीय व्यापार नीति अपनायी, वही देश मे निर्मित माल के निर्यात की अवनति हुई लेकिन उनके आयात मे उन्नति हुई। लगभग दो या तीन प्रतिशत भारतीय आर्थिक बढोत्तरी को 1757 से 1939 तक प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन मे भेज दिया जाता था। अगर उसी स्तर का विनियोग देश के अन्तर्गत हुआ होता तो 15वी सदी के दौरान आर्थिक विकास यू०एस०ए० और यू०के० से थोडा ही कम होता। भारत के निर्यात की रकम लगभग 300 करोड रूपये वार्षिक था। 1520 से 1926 मे, वह पॉचवी सबसे बडी व्यापारिक राष्ट्र के रूप मे जानी जाती थी और जूट और जूट माल, चाय, सूती धागे, तिलहन, मसाले, चमडे और तम्बाकू निर्यात मे विश्व मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था लेकिन 1930 मे निर्यात आय मे अचानक गिरावट आयी और इसलिये भारत का निर्यात लगभग 150 करोड रूपये तक नीचे आ गया।"[2]

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो कारणो से भारतीय निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ-पहला, ब्रिटेन को अत्यधिक मात्रा मे वस्तुओ की आवश्यकता थी जैसे चमडे, कपडे, भोजन और सीमेन्ट ताकि

1 क्रिष्ण बाल, कामर्सियल रिलेशन बिटविन इडिया एण्ड इग्लैण्ड (1601 से 1757) लन्दन, 1924, पृ०-208

2 भाट० वी०वी०, भारत मे आर्थिक परिवर्तन और नीति की छवि (1800 से 1960 बम्बई, 1963, पृ०-51

वह युद्ध आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके। इसलिये भारत ने लगभग 17,360 मिलियन रूपये का व्यापार किया। दूसरा, विदेश विनिमय कठिनाइयो को कम करने की दृष्टि से जो ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ विदेश विनिमय नियन्त्रण मे डाला गया था, इसके कारण आजादी के बाद उनको अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया।

जब भारत ने स्वतन्त्र देश के रूप मे निर्यात करना शुरू किया, उसने 1,736 करोड मूल्य का शुद्ध मुनाफा कमाया। कुछ ही वर्षो मे आजादी के बाद भारतीय सरकार ने इस शुद्ध मुनाफे का जल्द से जल्द उपयोग करने का कार्य किया। उस समय निर्यात पर कोई भी दबाव नही था। देश की आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के कार्य और औद्योगिकरण की तरफ कदम बढाने की आवश्यकता के लिये बहुत बडे पूँजीगत माल की आवश्यकता थी। इन पूँजीगत मालो को विकसित और औद्योगिकृत देशो से एक कमजोर औद्योगिक आधार के साथ आयात करना पडा। उपलब्ध विदेशी विनिमय स्रोत उस प्रकार के आयात माल के बडी माग के लिए पूर्ण नही थे। जब 1951 मे योजना बनाना शुरू किया गया, इस बात पर ध्यान दिया गया कि देश मे आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के प्रवाहन के लिये निर्यात के द्वारा विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाय।

योजना अवधि के दौरान भारत का निर्यात

पहले पचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वर्ष 716 करोड रूपये का वार्षिक निर्यात किया गया। इस योजना अवधि के दौरान निर्यात का विकास की सही दर और वार्षिक औसत उतना सही नही था। इस योजना के पहले दो वर्षो के दौरान विदेश व्यापार नीति कुछ पीछे हटी। जबकि बडे उद्योगो के विकास, निर्यात स्थानान्तरण और निर्यात रोकने वाले व्यवहार का इस काल के दौरान निर्यात व्यापार पर देश की नीति मे प्रगति हुई। "1953-54 के दौरान निर्यात का मूल्य अब तक, जबसे योजनाओ की घोषणा की गयी है, सबसे कम था। जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे योजना के दौरान आयात बहुत अधिक थे। निर्यात ने कोई महत्वपूर्ण बढोत्तरी नही हासिल की और उनको बढाने मे कोई योगदान भी नही था। सचमुच पहली योजना के अन्त मे उदार आयात नीति के अन्तर्गत आयात मे बढोत्तरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी योजना के मध्य मे विदेश विनिमय स्रोत बहुत कम हो गये। दूसरी योजना के दौरान 1956 से 1961 तक, निर्यात का वार्षिक औसत

606 करोड रूपये पर ही रूका रहा। इसलिये दूसरी योजना के दौरान बहुत मुश्किल से ही कोई विकास हुआ होगा।"[1]

"आजादी के पहले दशक और लगभग 60वी के शुरूआत तक, निर्यात सम्वर्द्धन के क्षेत्र मे कोई भी प्रभावी कदम नही उठाया गया था। विश्व व्यापार 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से 50वी और मध्य 60वी मे प्रत्येक वर्ष बढ रहा था। 1947 मे निर्यात मे विश्व व्यापार लगभग 50 बिलियन डालर कमाया था और इसमे भारत का भाग लगभग 12 मिलियन डालर था जो कि 2 4 प्रतिशत है।"[2]

तीसरी योजना के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किये गये और सरकार ने निर्यात के लिये कई कदम उठाये। इन उपायो के अन्तर्गत उदारीकृत निर्यात नीति, सस्थागत नीतियो की मजबूती, विभिन्न सम्वर्द्धन योजनाओ को चलाना और निर्यात सम्वर्द्धन सगठन की स्थापना करना और प्रोत्साहन देना, आते है। परिणाम स्वरूप वार्षिक औसत निर्यात मे 753 करोड रूपये का महत्वपूर्ण विकास हुआ। तीसरी योजना अवधि के दौरान स्वतन्त्र वाणिज्य मन्त्रालय पर नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मन्त्रालय की स्थापना, व्यापार नीति और सम्वर्द्धन कार्यो को देखने के लिये तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दिशा और गति प्रदान करने के लिये इसकी स्थापना की गयी। उस समय कई राष्ट्रीय वाणिज्यिक सस्थान खोले गये थे। यह 1966 के अन्त का समय था जब रूपये का अवमूल्यन हुआ था, जिससे सभी स्वभाव पूर्णतया बदल गये। अवमूल्यन के समय सभी निर्यात सम्वर्द्धन उपाय विभाजित हो गये थे। इसमे कोई सशय नही है कि भारतीय निर्यात सस्ता हो गया था, लेकिन अवमूल्यन प्रोत्साहन के पूर्णतया पूर्ति मे असफल था। तीसरी योजना अवधि के दौरान निर्यात 1961 से 62 मे 660 करोड रूपये से 1965-66 मे 810 करोड रूपये तक पहुँच गया। लेकिन निर्यात का प्रगति दर बहुत प्रोत्साहन दायक नही था। निर्यात मे धीमी गति के कारण निम्न है-

---

1 कालीपाडा, देव, "एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया" सुल्तान चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1978, पृ० 3-8

2 पटेल, आई०जी०, भारत का भुगतान सन्तुलन- विदेश व्यापार पुनर्दृष्टि की एक समालोचना, भारतीय विदेश व्यापार सस्थान, नई दिल्ली, वाल्यूम XVI, 1981, पृ० 212-214

(i) स्थिर कृषि उत्पाद

(ii) निर्यात बढोत्तरी मे कमी क्योकि निर्यात योग्य कच्चे माल का उपयोग घर मे बढ गया, घरेलू आय मे बढोत्तरी और जनसख्या मे वृद्धि।

(iii) विदेश आयात के लिये घरेलू मालो को कम आकर्षित बनाना।

(iv) चीन, पाकिस्तान और जापान से प्रतियोगिता का बढना।

(v) कुछ परम्परागत निर्यात वस्तुओ के लिये भारी माग।

(vi) कुछ प्रमुख निर्यात उत्पाद के लिये कृतिम वस्तुओ का विकास जैसे-जूट।

(vii) सूती वस्त उद्योग मे व्यापार बाजार मे कठिन प्रतियोगिता।

(viii) विकसित देशो के उनके आर्थिक स्थिर क्षेत्र को बचाने की कोशिश और विकासशील देशो के भाग पर शिशु उद्योग को बचाने की कोशिश। और

(ix) निर्यात दाम मे कमी।

जबकि प्रमुख भारतीय निर्यात के लिये विश्व माग स्थिर है, इन वस्तुओ के विदेश निर्यात मे भारत का भाग बहुत कम हो गया है। अवमूल्यन के बाद निर्यात नीचे गिरता गया और प्रगति दर ऋणात्मक था, तीसरी योजना के शुरूआत की तुलना मे, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे स्थिर निर्यात केवल विदेशी विनिमय का कुछ भाग ही उपयोग करते है। मशीन, उपकरण, दाल, पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओ के आयात पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते है। अवमूल्यन के तीन वर्ष के बाद के दौरान औसत वार्षिक आयात 1,951 करोड रूपये तक बढ गया जबकि वार्षिक औसत निर्यात 1,238 करोड तक ही बढ़ा और व्यापार कमी अब भी ज्यादा था। कृषि उत्पाद, घरेलू उद्योग मे रूकावट निर्यात शाखा का इकट्ठा करने मे यह एक प्रमुख भूमिका अदा करती है ताकि भारतीय निर्यात बढ सके।

चौथी पचवर्षीय योजना के दौरान 1970 मे एक नयी निर्यात नीति हल को निर्यात प्रभाव के निर्देशन के लिये ग्रहण किया। सरकार के विभिन्न सम्वर्द्धन उपायो के परिणाम स्वरूप निर्यात फिर से बढने लगा। इस समय तीसरी योजना के दौरान उठाये गये कदम भी फलदायक परिणाम पाने लगे। निर्यात और भी उदारीकृत हो गया और चौथी योजना के दौरान ग्रहण किये गये नियम से

लगभग कुछ भी आयात नही किया गया और निर्यात ज्यादा किया गया। आजादी के बाद भारतीय सरकार ने पहली बार निर्यात की आवश्यकता का अनुभव किया और एक धनात्मक नीति का सूत्रीकरण किया। जिसका नाम 'निर्यात नीति हल 1970' रखा गया और ससद मे पेश किया गया। अपने देश के निर्यात के इतिहास मे यह हल एक सीमा चिन्ह की तरह है। ये नीतियॉ सावधानीपूर्वक लागू की गयी। यह हल निम्न बाते बताता है।

"भारत के विदेश व्यापार नीति ने अपने उद्देश्यो की व्याख्या मे सशोधन किया है- चौथे पचवषीय योजना की प्राथमिकता और व्यूह रचना। घरेलू स्रोत को गतिमान करने के वित्तीय योजना के लिये निर्यात करने के विस्तार की दृष्टि से सरकार ने योजना बनायी। अपने ऊपर आधारित रहने और बाहरी सहायताओ को कम करने के लिए निर्यात आय को उच्च दर पर बढाने की आवश्यकता है। विस्तार के मिश्रित दर के सामना करने के लिये चौथी योजना मे 7 प्रतिशत वार्षिक बढोत्तरी हुई।"[1]

चौथी योजना के दौरान औसत वार्षिक निर्यात मे 1,810 करोड रूपये की रकम मिली। वर्तमान दाम के सम्बन्ध मे वार्षिक औसत प्रगति दर 12 6 प्रतिशत इस योजना के दौरान थी जबकि कुछ वर्षो मे यह और ऊँची होती है। निर्यात की सीमा 1,413 करोड रूपये पहले वर्ष मे तथा 2,523 करोड रूपये योजना के अन्तिम वर्ष के बीच रही। इस अवधि के दौरान विभिन्न सम्वर्द्धन योजनाओ के चलाने का यह परिणाम है। इसलिये चौथी योजना, निर्यात प्रदर्शन और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्वर्णकाल थी।

इस सनदर्भ मे विश्व बाजार मे भारतीय माल के प्रतियोगी क्षमता बढाने की आवश्यकता पर दबाव नही डाला जा सकता। सरकार के द्वारा दीर्घकालीन नीति, जो निर्यात बाजार मे दाम प्रदान करने मे निर्यात व्यापार को सहायता प्रदान करती है, जो सफल दीर्घ कालीन निर्यात के लिये जरूरी है।

1973 मे तेल कमी से देश के निर्यात प्रभाव मे अवनति हुई। तेल कमी के अलावा पॉचवे

---

1 बाल गोपाल, टी०ए०एस- निर्यात प्रबन्ध, हिमालय पब्लिशिग हाऊस, बम्बई, 1981, पृ० -152

योजना के दौरान परिस्थित पहले, दूसरे, तीसरे योजना की तुलना मे अच्छी थी। निर्यात आय आयात आय के 8 6 प्रतिशत के बराबर थी। पॉचवे योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1974-75 मे 3,329 करोड रूपये और 1977-78 मे 5,408 करोड रूपये के बीच मे था। आजादी के बाद 1976-77 के दौरान दूसरी बार देश ने 68 करोड रूपये का व्यापार लाभ उठाया। पॉचवी योजना के दौरान विपरीत व्यापार सन्तुलन 612 करोड रूपये 1977-78 मे से लेकर 1974-75 मे 1,190 करोड रूपये और 1975-76 मे 1,229 करोड रूपये के बीच रही।

1978-80 के दौरान भारत का निर्यात प्रदर्शन 1978-79 मे 5,726 करोड रूपये तक ऑका गया जो पिछले वर्ष से 6 5 प्रतिशत अधिक था। 1979-80 मे निर्यात की रकम 6,418 करोड , 12 1 प्रतिशत बढोत्तरी प्रदर्शित करती है। पॉचवी योजना के पहले तीन साल के दौरान हुए प्रगति दर सीमा जो कि 19 31 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के बीच था, उनकी तुलना मे यह वार्षिक वृद्धि बहुत कम था। दो वर्षो के दौरान धीमी प्रगति और देश के प्रमुख निर्यात ब्याज के उत्पाद मे वास्तविक गिरावट आ गयी है। ये वस्तुऍ-जेम, आभूषण, लोहा और स्टील, तॉबा, धॉतु उत्पाद है। निर्यात मे गिरावट के लिए प्रमुख सहायक वैसे ही रहा जैसे समुद्र पार बाजार मे घरेलू पूर्ति विवशता के लिए निम्न कारणो से निर्यात की प्रगति दर कम रही-

(1) ज्यादा उपभोग वस्तु के निर्यात पर रूकावट लगाने की नीति।

(11) डालर के मूल्य मे गिरावट जो कि हमारे निर्यात तालिका का 2 या 3 प्रतिशत भाग है।

(111) निम्नस्तर के क्रिया कलापो के कारण विकसित देशो मे आयात पूर्ति मे कमी।

(1v) बचाव उपाय जो विकसित देशो द्वारा अपनाये गये है, जो वस्त्र, सिले सिलाये वस्त्र, जूते, लोहा और स्टील, खनिज और चमडे के भारत के निर्यात को प्रभावित किया।

(v) कुछ मुख्य निर्यात वस्त्र के दाम मे कमी आना।

(v1) स्टील और सीमेन्ट के लिए घरेलू माग बढाना।

(v11) घरेलू परेशानियॅा जैसे-शक्ति कमी, स्थानान्तरण कमी, कार्य करने वालो का हडताल।

छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यापार घाटा लगभग 5,000 करोड रूपये हो गया। छठी योजना के दौरान सबसे कम घाटा, इसके अन्तिम वर्षो (1984-85) मे 5,390 करोड रूपये

हुआ। औसत वार्षिक घाटा, छठे योजना के दौरान 5,716 करोड रूपये का घाटा हुआ जो कि पूरे व्यापार घाटे, पॉचवी योजना के दौरान का सबसे ज्यादा घाटा रहा। छठी योजना के दौरान निर्यात आय केवल आयात के 60 प्रतिशत ही हो सकी और छठी योजना के दौरान व्यापार घाटा बहुत ज्यादा रहा। इस योजना अवधि के दौरान सी०एन०पी० के द्वारा दिखाये गये घाटे के प्रतिशत से बाजार मे कमी आयी। यह कमी 1980-81 मे 5 1 प्रतिशत से 1983-84 मे 3 4 प्रतिशत हो गयी और 1984-85 के दौरान और भी कमी हो गयी। इस योजना अवधि के दौरान कच्चा तेल एक प्रमुख निर्यात वस्तु के रूप मे सामने आया। कच्चे तेल का निर्यात 1981-82 के अन्तिम चौथाई मे शुरू हुआ। कच्चे तेल का निर्यात 1981-82 मे 211 करोड रूपये से 1982-83 मे 1,157 करोड रूपये से 1983-84 मे 1,400 करोड रूपये और 1984-85 मे 1,817 करोड रूपये की बढत हासिल कर ली।

सातवी पचवर्षीय योजना के दौरान (1985-86 से 1989-90) काग्रेस (इ) सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाये जाने की तरह, जनता दल सरकार ने भी कदम बढाया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत वार्षिक निर्यात केवल 17,382 करोड रूपये तक पहुँच पाया। 7,730 करोड रूपये का औसत वार्षिक घाटा पैदा हो गया। सातवे योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1985-86 मे 10,895 करोड रूपये और 1989-90 मे 27,658 करोड रूपये के बीच था।

इतना भारी व्यापार घाटा उत्पन्न हो जाने के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर विश्व बैक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 करोड डालर का ऋण लेने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजना पडा था। भारत सरकार ने बढते हुए आयात को रोकने के लिये आयात लाइसेन्सो की उदार नीति पर अकुश लगाया।

1990-91 मे हमारा व्यापार घाटा 10,645 करोड रूपये का रहा लेकिन हमारी सरकार के निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास के कारण निर्यात बढकर 32,553 करोड रूपया का हो गया। इस दौरान निर्यात मे 15 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा 3,810 करोड रूपये का रहा। निर्यात मे 42 5 प्रतिशत की गिरावट आई। 1991-92 मे 44,041 करोड रूपये का निर्यात हुआ। सरकार ने नई व्यापार नीति मे निर्यात को बढाने के लिए बहुत से उपाय किये-

जैसे निर्यात-आयात स्क्रिप्स की इजाजत दिया, नकद क्षतिपूर्ति आलम्बन और रूपये का दो चरणो मे अवमूल्यन किया, फिर भी ये सभी उपाय निर्यात को प्रोत्साहित करने मे विफल रहे। 1992-93 के दौरान व्यापार घाटा 9,687 करोड रूपये का हुआ। निर्यात जो 1991-92 मे 44,041 करोड रूपये का था बढकर 1992-93 मे 53,688 करोड रूपये का हो गया। 1993-94 मे व्यापार घाटा 3,350 करोड रूपये का था तथा इस दौरान देश का निर्यात 69,751 करोड रूपये का रहा। 1994-95 की अवधि मे निर्यात व्यापार 82,674 करोड रूपये का हुआ जबकि वर्ष 1993-94 मे निर्यात व्यापार 69,751 करोड रूपये का था। 1994-95 के दौरान व्यापार घाटा 7,297 करोड रूपये का रहा। अप्रैल-दिसम्बर 1996-97 की अवधि मे निर्यात व्यापार अनुमानतः 85,623 करोड रूपये का हुआ जबकि वर्ष 1995-96 मे निर्यात व्यापार अनुमानित 1,06,350 करोड रूपये का था। 1996-97 के दौरान व्यापार घटा अनुमानतः 11,488 करोड रूपये का रहा।

प्रोत्साहक लक्षण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बढने से निर्यात व्यापार विस्तार कर रहा है। विश्व निर्यात मे भारत का भाग 1970 मे 0 6 प्रतिशत, 1975 मे 0 5 प्रतिशत और 1980 मे 0 4 प्रतिशत रहा। 1979-81 के बीच मे विश्व व्यापार मे भारत का हिस्सा सबसे कम 0 42 प्रतिशत था। 1990 मे विश्व निर्यात मे हमारा हिस्सा 0 5 प्रतिशत था जो 1992 मे भी विश्व निर्यात मे हमारा हिस्सा 0 5 प्रतिशत तक ही रहा और 1994 मे विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा बढकर 0 8 प्रतिशत हो गया। 1990 के मूल्य की तुलना मे जो 18,143 मिलियन डालर था, वह बढकर 1994 मे 31,797 मिलियन डालर हो गया।

निर्यात उत्पाद का व्यापार विश्व बाजार मे अपना महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। 1985 मे चाय (26 2%), मसाला (19 3%), चमडा (7 9%), लोहा और इस्पात (0 1%), महत्वपूर्ण पत्थर (9 6%), चमडा निर्मित वस्तुये (16.4%), और बुने सूती कपडे (4 8%) लेकिन 1992 मे चाय (10 5%), मसाला (64 1%), चमडा (3 4%), लोहा और इस्पात (0 4%), महत्वपूर्ण पत्थर (10 1%), और चमडा निर्मित वस्तुये (6 7%)। हमारे कुछ महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद भी है जो तालिका- 3 मे दिये है।

तालिका- 2.1ः योजना काल मे भारत का निर्यात व्यापार (करोड रूपये मे)

वर्ष/ योजना 1	निर्यात 2	निर्यात का वार्षिक औसत 3	व्यापार शेष 4
प्रथम योजना (1951-52 से 1955-56)			
1951-52	716		'-174
1952-53	578		-124
1953-54	531		-79
1954-55	593		-107
1955-56	609		-165
कुल (1951-52 से 1955-56)	3,027	605	
द्वितीय योजना (1956-57 से 1960-61)			
1956-57	605		-236
1957-58	561		-474
1958-59	581		-325
1959-60	640		-321
1960-61	642		-480
कुल (1956-57 से 1960-61)	3,029	606	
तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66)			
1961-62	660		-430
1962-63	685		-446
1963-64	793		-430
1964-65	816		-533
1965-66	810		-599
कुल (1961-62 से 1965-66)	3,764	753	
वार्षिक योजनाये (1966-67 से 1968-69)			
1966-67	1,157		-921
1967-68	1,199		-809
1968-69	1,358		-551
कुल (1966-67 से 1968-69)	3,714	1,238	
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)			
1969-70	1,413		-169
1970-71	1,535		-99
1971-72	1,608		-217
1972-73	1,971		+104

1	2	3	4
1973-74	2,523		-432
कुल (1969-70 से 1973-74)	9,050	1,810	
पाचवी योजना (1974-75 से 1977-78)			
1974-75	3,329		-1,190
1975-76	4,036		-1,229
1976-77	5,142		+68
1977-78	5,408		-612
कुल (1974-75 से 1977-78)	17,915	4,479	
1978-79	5,726		-1,085
1979-80	6,418		-2,725
छठी योजना (1980-81 से 1984-85)			
1980-81	6,711		-5,838
1981-82	7,806		-5,802
1982-83	8,803		-5,490
1983-84	9,771		-6,060
1984-85	11,744		-5,390
कुल (1980-81 से 1984-85)	44,835	8,967	
सातवी योजना (1985-86 से 1989-90)			
1985-86	10,895		-8,763
1986-87	12,452		-7,644
1987-88	15,674		-6,570
1988-89	20,232		-8,003
1989-90	27,658		-7,670
कुल (1985-86 से 1989-90)	86,911	17,382	
1990-91	32,553		-10,645
1991-92	44,041		-3,810
1992-93	53,688		-9,687
1993-94	69,751		-3,350
1994-95	82,674		-7,297
1995-96 (अ)	10,6350		-16,325
1996-97 (अ) (अप्रैल-दिसम्बर)	85,623		-11,488

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

तालिका- 2.2ः विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा (मिलियन अमरीकी डालर मे)

वर्ष	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1970	3,13,804	2,026	0 6
1975	8,76,094	4,355	0 5
1980	19,97,686	8,378	0 4
1985	19,30,849	8,750	0 5
1990	33,06,374	18,143	0 5
1992	35,72,320	18,537	0 5
1993	35,43,323	22,238	0 6
1994	39,74,388	31,797	0 8

स्रोत ः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

तालिका- 2.3ः प्रमुख वस्तुओ का विश्व निर्यात मे भारत का हिस्सा (मिलियन अमरीकी डालर मे)

वस्तुये	1970			1975			1980		
	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
चाय और मेट	587	196	33 4	933	292	31 3	1,631	452	27 7
मासले	255	52	20 5	548	73	13 3	1,072	156	14 5
चावल	925	6	0 6	1,984	12	0 6	4,355	160	3 7
काफी और काफी के अनुकल्प	3,205	31	1 6	4,580	73	1 6	12,979	271	2 1
अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	1,058	42	4 0	2,357	119	5 0	3,423	151	4 4
विनिर्मित तम्बाकू	655	1	0 2	1,470	5	0 4	-	-	-
चमडा	701	94	13 4	1,540	189	12 3	3,415	342	10 0
चमडे की विनिर्मित वस्तुए	132	1	0 6	355	4	1 0	975	62	6 3
बुने सूती कपडे	1,436	98	6 8	3,149	161	5 1	6,632	351	5 3
मोती, बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य रत्न	2,431	53	2 2	5,707	128	2 2	18,563	579	3 1
लोहा और इस्पात	14,540	132	0 9	40,789	116	0 3	68,231	87	0 1
धातुओ से विनिर्मित वस्तुए	4,328	27	0 6	12,053	74	0 6	36,840	221	0 6

वस्तुयें	1985			1990			1992		
	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
चाय और मेट	1,973	517	26 2	2,653	585	22 0	2,129	224	10 5
मासले	1,188	229	19 3	1,376	109	7 9	172	110	64 1
चावल	2,916	162	5 6	3,903	254	6 5	3,929	133	3 4
काफी और	11,676	226	1 9	8,558	148	1 7	7,865	98	1 2
काफी के अनुकल्प अविनिर्मित	3,798	113	3 0	5,207	107	2 0	6,060	77	1 3
तम्बाकू और चूरा विनिर्मित तम्बाकू	4,024	27	0 7	12,598	39	0 3	15,041	3	0 0
चमडा	4,185	331	7 9	9,393	447	4 8	9,859	332	3 4
चमडे की विनिर्मित वस्तुए	1,233	202	16 4	2,845	385	13 5	3,686	248	6 7
बुने सूती कपडे	6,804	327	4 8	15,621	571	3 7	16,517	461	2 8
मोती, बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य रत्न	12,073	1,165	9 6	30,202	2,710	9 0	27,869	2,825	10 1
लोहा और इस्पात	61,891	46	0 1	1,09,486	284	0 3	1,02,98	4 390	0 4
धातुओ से विनिर्मित	32,884	125	0 4	66,199	341	0 5	74,462	425	0 6

1994

वस्तुये	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
चाय और मेट	2,263	307	13 6
मासले	1,630	149	9 1
चावल	5,780	384	6 6
काफी और काफी के अनुकल्प	13,854	335	2 4
अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	4,830	59	1 2
विनिर्मित तम्बाकू	16,644	22	0 1
चमडा	12,800	322	2 5
चमडे की विनिर्मित वस्तुएं	4,741	302	6 4
बुने सूती कपडे	18,424	913	5 0
मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	37,113	4,060	10 9
लोहा और इस्पात	1,13,624	775	0 7
धातुओ से विनिर्मित वस्तुए	79,673	497	0 6

स्रोतः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

निर्यात की संरचना

देश के निर्यात सरचना मे एक विशिष्ट परिवर्तन प्रमाणित किया गया है। निर्यात सरचना के उपनिवेशी प्रतिभा के विपरीत निर्यात व्यापार के सरचना मे भी विशिष्ट परिवर्तन ज्ञात हुआ है। कई नये वस्तु मुख्यतः अर्धनिर्मित और निर्मित निर्यात सूची मे जोडे गये है। इसने कुछ परम्परागत वस्तुओ के निर्यात पर भारी मुनाफे को कम कर दिया है जैसे- चाय, रूई, जूट, मसाले, चमडे इत्यादि जो कुल आय के 50% से भी ज्यादा प्रदान करते है।

1965-66 मे भी भारत के 810 करोड रूपये के कुल निर्यात मे जूट, चाय, सूती वस्त्र, अभ्रक और मैगनीज के निर्यातो का भाग लगभग आधा था। पिछले लगभग दस वर्षो मे निर्यात व्यापार की रचना बदली है। आज भी जूट, चाय और सूती वस्त्र भारत के निर्यात व्यापार की मुख्य वस्तुएँ है। लेकिन अब भारत चीनी, तबाकू, काजू, खली, चमडे के तैयार माल, इजीनियरिग उपकरणो, रसायनिक वस्तुओ और मछली तथा उससे तैयार की जाने वाली विविध वस्तुओ का निर्यात बडी मात्रा मे कर रहा है। भारत अब लगभग 3000 बडी छोटी वस्तुओ का निर्यात करता है जबकि आज से पच्चीस वर्ष पहले निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की सख्या 50 के लगभग थी।

देश से जल, थल और वायुमार्ग द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओ का निर्यात किया जाता है वे निम्न है- पटसन की वस्तुएँ (सूत आदि के अतिरिक्त), चाय, सूती वस्त्र (सूत आदि के अतिरिक्त अन्य वस्त्र), सूती वस्त्र (सूती वस्त्र और पटसन को छोडकर), वस्त्र की बनी चीजे (सूती तथा पटसन के वस्त्र, ऊनी कालीन, चटाई, गलीचे आदि को छोडकर), सूत और धागा, अलोह धातुओ के अयस्क और सॉद्र अयस्क, चमडा, कपास (रद्दी कपास आदि छोडकर), ताजे फल तथा गिरियॉ (तेल वाली गिरियो को छोडकर), कच्ची वनस्पति जन्य सामग्री (अखाद्य), चीनी (सीरा सहित), लौह अयस्क और सॉन्द्र अयस्क, कच्चा तम्बाकू, वनस्पति, तेल (निर्गधीय), कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पैट्रोल, उर्वरक तथा रत्नो को छोडकर), ऊनी कालीन, गलीचे और चटाई आदि, लोहा तथा इस्पात, कहवा, चमड़ा तथा खाले (कच्ची), पैट्रोलियम पदार्थ, कोयला, कोक तथा कोयला-चूरे की ईटे आदि

भारत के निर्यात मे परम्परागत निर्यातो का योगदान कम होता जा रहा है और कुछ गैर-परम्परागत

वस्तुओ जैसे इन्जीनियरी का सामान, रसायन, खनिज, ईधन, लोहा एव इस्पात, हस्त-शिल्प के सामान आदि का निर्यात बढता जा रहा है। भारत अपने योजनाबद्ध आर्थिक विकास के फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओ से निर्यात की स्थिति मे आ गया है। कृषि सम्बन्धी मशीनरी और औजार, हाथ-पम्प, स्टील फर्नीचर, बिजली का साज-समान, चमडे की बढिया वस्तुएँ, प्लास्टिक का सामान, साइकिले, अनेक ऊँची और पेचीदा श्रेणी की वस्तुओ जैसे मशीन टूल्स एव वस्त्र मशीनरी, सिलाई की मशीने, रेलवे बैगनो, बिजली की मोटर, डीजल इन्जन आदि का निर्यात बढता जा रहा है। इन वस्तुओ का निर्यात दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशो तथा यूरोप के विकसित देशो-दोनो को किया जा रहा है। भारत आधुनिक टैक्नोलाजी के क्षेत्र मे काफी आगे बढ गया है, अतः उसकी प्रतियोगिता-शक्ति काफी उन्नत हुई है। देश के निर्यातो का स्वरूप एक औद्योगिक देश के निर्यातो के अनुकूल बनता जा रहा है। भारत न केवल वस्तुओ का बल्कि अपने प्राविधिक ज्ञान और डिजाइन तथा परामर्शदात्री सेवाओ का निर्यात भी करने लगा है। भारतीय उद्यमकर्ताओ ने सऊदी अरब, घाना, ईरान, श्रीलका, नेपाल, नाइजीरिया, मलेशिया आदि देशो मे ही नही कनाडा और ब्रिटेन तक मे सयुक्त उपक्रम चालू किये है।

तालिका 4 के अनुसार कृषि उत्पाद एव अन्य सम्बन्धित उत्पादो के निर्यात का महत्व घटा है तथा निर्मित वस्तुओ के निर्यात का महत्व बढा है। 1991-92 मे कृषि उत्पादो का कुल निर्यात मे अश लगभग 17 9 प्रतिशत था जो कि बढकर 1995-96 मे 19 2 प्रतिशत हो गया, जबकि निर्मित वस्तुओ का निर्यात 1991-92 मे 74 6 प्रतिशत से बढकर 1995-96 मे 75 4 प्रतिशत हो गया।

तालिका 4 के आधार पर पता चलता है कि चाय 1991-92 मे इसका कुल निर्यात मे 2 8 प्रतिशत अश था जो कि घटते-घटते वर्ष 1995-96 मे 1 1 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार 1991-92 मे चमडा एव चमडे की वस्तुओ का कुल निर्यात मे 4 5 प्रतिशत अश था जो कि बढकर 1992-93 मे 4 7 प्रतिशत हो गया और 1995-96 मे घटकर 3 6 प्रतिशत पर आ गया। रत्न एव आभूषण का 1991-92 मे कुल निर्यात मे 15 3 प्रतिशत अश था जो कि बढकर 1995-96 मे 16 6 प्रतिशत हो गया। आने वाले वर्षों मे निर्मित और अर्ध-निर्मित वस्तुओ कच्ची लोह धातु और अन्य खनिज पदार्थो के निर्यात मे पर्याप्त वृद्धि होने की सभावना है।

तालिका- 2.4ः भारतीय निर्यात मे विभिन्न वस्तुओ का अनुपात (प्रतिशत मे)

वस्तु समूह	1991-92	1992-93	1995-96
(I) कृषि उत्पाद	**17.9**	**16.4**	**19.2**
(1) चाय	2 8	1 8	1 1
(2) निर्मित तम्बाकू	0 1	0 2	0 4
(3) खाद्य तेल	2 1	2 9	2 2
(4) ससाधित फल एव रस	0 2	0 2	0 7
(5) कच्चा सूत	0 7	0 4	0 2
(II) कच्ची धातु और खनिज	**5.2**	**4.0**	**3.7**
(6) कोयला	0 0	0 1	0 9
(III) निर्मित वस्तुए	**74.6**	**76.3**	**75.4**
(7) चमडा एव चमडे की वस्तुए	4 5	4 7	3 6
(8) चमडे के जूते	2 6	2 1	1 8
(9) रत्न एव आभूषण	15 3	16 5	16 6
(10) धातु द्वारा निर्मित वस्तुए	2 7	3 2	2 6
(11) परिवहन से सम्बन्धित उपकरण	2 8	2 8	2 6
(12) लोहे एव स्टील के धढ	0 3	0 8	-
(13) कच्चा और अर्धनिर्मित लोहा एव स्टील	0 5	0 8	1 6
(14) सिले हुए वस्त्र	12 3	12 9	11 6
(15) हस्त शिल्प	4 7	4 6	3 5
(IV) कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद	**2.3**	**2.6**	**1.4**
(V) अन्य अवर्गीकृत वस्तुएँ	**0.0**	**0.7**	**0.4**
कुल योग	100	100	100

स्रोत ः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

तालिका- 2.5ः भारतीय निर्यात वस्तुओ की संरचना (करोड रूपये मे)

वस्तुएँ	1980-81	1990-91	1993-94	1995-96
परम्परागत निर्यात				
जूट की वस्तुएँ	330	298	389	621
चाय और मेट	426	1,070	1,059	1,171
सूती वस्त्र	408	2,100	4,821	8,669
काजू की गिरी	140	447	1,048	1,237
खली	125	609	2,324	2,349
मसाले	11	239	569	794
तम्बाकू	141	263	461	447
गैर-परम्परागत निर्यात				
चीनी	40	38	178	506
इजीनियरिग वस्तुएँ एव लोहा व इस्पात	827	3,872	9,484	14,578
चमडा तथा चमडे से निर्मित वस्तुएँ	390	2,600	4,077	5,790
रत्न और आभूषण	618	5,247	12,533	17,644
रासायनिक	225	2,111	5,688	9,849
हस्तशिल्प	952	6,167	14,955	20,501
कपास	165	846	654	204
चावल	224	462	1,287	4,568
काफी	214	252	546	1,503

स्रोत ः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

परम्परागत निर्यात

भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख परम्परागत वस्तुएँ निम्नलिखित है-

जूट की वस्तुएँ

जूट हमारे देश का परम्परागत निर्यात है। जूट के निर्यात मे हमारा सबसे बडा प्रतिस्पर्धा बाग्लादेश से है। 1980-81 मे 330 करोड रूपये का जूट का निर्यात किया गया जो घटकर 1990-91 मे 298 करोड रूपये का हो गया। 1993-94 मे जूट की वस्तुओ का निर्यात फिर बढकर 389 करोड रूपये तथा 1995-96 मे पुनः बढकर 621 करोड रूपये हो गया। भारत विदेशो को जूट से बने टाट, बोरे, सुतली-रस्से, गलीचे, जूट का कपडा आदि निर्यात करता है। भारत से जूट की वस्तुएँ अमेरिका, रूस, कनाडा, अर्जेटाइना, इग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, मिस्त्र, न्यूजीलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रास, जापान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशो को भेजा जाता है। जूट की वस्तुओ का डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओ मे सबसे प्रमुख स्थान है। भारत सरकार जूट की वस्तुओ के निर्यात मे वृद्धि करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है।

चाय

चाय निर्यात का सबसे प्रमुख वस्तु है। चाय से निर्यात आय 1980-81 मे 426 करोड रूपये से बढकर 1990-91 मे 1,070 करोड रूपये हो गया। जो कि निर्यात मे गिरावट मुख्यतया रूस द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओ के कारण, भारतीय चाय की कुल खरीद मे कमी करने और ईरान और मिस्त्र को उनकी विदेशी मुद्रा समस्याओ के कारण 1993-94 मे घटकर चाय का निर्यात 1,059 करोड रूपये का हो गया तथा 1995-96 मे बढकर चाय का निर्यात 1,171 करोड रूपया हो गया। भारत एक गर्म देश है जिससे यहॉ के लोगो मे चाय पीने की आदत कम है। जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा मे चाय बची रहती है, जिसे विदेशो को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। कुल चाय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। भारत की चाय इग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, ईराक, रूस, पश्चिमी जर्मनी, सूडान, आस्ट्रेलिया आदि देशो को भेजी जाती है। भारत सम्पूर्ण विश्व के कुल चाय के निर्यात का 48 प्रतिशत भाग निर्यात करता है। भारत से काली चाय निर्यात की जाती है। भारत सरकार चाय के उत्पादन एव व्यापार मे

वृद्धि करने के लिए हर सभव प्रयास कर रही है।

सूती वस्त्र

भारत के प्रमुख निर्यातो मे सूती वस्त्र का प्रमुख स्थान है। भारतीय सूती वस्त्र विदेशो मे काफी लोकप्रिय है। इसके निर्यात मे भारत का स्थान जापान के बाद आता है। 1980-81 मे सूती वस्त्र का निर्यात 408 करोड रूपये का हुआ जो बढकर 1990-91 मे 2,100 करोड रूपये का हो गया। 1995-96 के दौरान सूती वस्त्र का निर्यात बढकर 8,669 करोड रूपये का हो गया। हमारे देश के सूती वस्त्र के प्रमुख ग्राहक इग्लैण्ड, श्रीलका, आस्ट्रेलिया, मलाया, कनाडा, फ्रास, अफगानिस्तान, वर्मा आदि देश है। सूती वस्त्र का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओ मे प्रमुख है। भारत मे लम्बे व अच्छे किस्म के धागे की कमी है। भारत सरकार उत्तम किस्म के कपास को देश के अन्दर ही पैदा करने की व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयत्नशील है।

काजू की गिरी

हाल के वर्षो मे काजू का हमारे निर्यात मे महत्व बढा है। 1980-81 मे काजू की गिरी का निर्यात 140 करोड रूपये था जो 1990-91 मे बढकर 447 करोड रूपये तथा 1995-96 मे 1,237 करोड रूपये का हो गया। भारतीय काजू की गिरियो के निर्यात मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारतीय काजू सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया आदि देशो को निर्यात किया जाता है।

खली

आज देश की निर्यातक वस्तुओ मे खली का प्रमुख स्थान है। 1980-81 मे खली का निर्यात 125 करोड रूपये था जो बढकर 1990-91 मे 609 करोड रूपये हो गया तथा 1995-96 मे 2,349 करोड रूपये हो गया। इसके प्रमुख ग्राहक देश इग्लैण्ड, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा जापान आदि है।

मसाले

भारत मे बहुत समय से ही मसालो का निर्यात विदेशो को किया जाता रहा है। मसालो के

निर्यात मे काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लौग और बडी इलायची आदि का प्रमुख स्थान है। 1980-81 मे मसालो का निर्यात 11 करोड रूपये का हुआ जो 1990-91 मे 239 करोड रूपये तथा 1995-96 मे बढकर 794 करोड रूपये का हो गया। भारत से मसाला अमेरिका, स्वीडेन, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, अरब आदि देशो को भेजा जाता है।

तम्बाकू

भारत के तम्बाकू का उत्पादन क्षेत्र मे सम्पूर्ण विश्व मे दूसरा स्थान है। सम्पूर्ण उत्पादन का 50 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात विदेशो को किया जाता है। 1980-81 मे 141 करोड रूपये तम्बाकू का निर्यात किया गया जो 1990-91 मे बढकर 263 करोड रूपये तथा 1995-96 मे 447 करोड रूपये का तम्बाकू निर्यात हुआ। भारत से तम्बाकू ब्रिटेन, रूस, जापान, स्वीडन, मलाया, अदन आदि देशो को निर्यात किया जाता है। भारत तम्बाकू का एक प्रधान निर्यातक देश है। इससे भी काफी मात्रा मे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

गैर-परम्परागत निर्यात

भारत के निर्यात की प्रमुख गैर- परम्परागत वस्तुएँ इस प्रकार है-

चीनी

भारत से चीनी का पर्याप्त मात्रा मे विदेशो को निर्यात किया जाता है। भारत मे गन्ने की पैदावार अधिक होने के कारण चीनी का अधिकाधिक मात्रा मे उत्पादन किया जाता है। 1980-81 मे 40 करोड रूपये का चीनी का निर्यात हुआ था जो घटकर 1990-91 मे 38 करोड रूपये हो गया। तथा 1995-96 मे निर्यात बढकर 506 करोड रूपये हो गया। इग्लैण्ड, नेपाल, जापान, कनाडा, मलाया, हागकाग आदि देश भारतीय चीनी के प्रमुख ग्राहक है। भारत मे चीनी का निर्यात काफी प्रगति मे है। भारत सरकार गन्ने की किस्म सुधारने व गन्ने के मिलो की उत्पादकता बढाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील है।

इंजीनियरिंग वस्तुएं

आज भारत मे अनेक प्रकार के औद्योगिक सयत्र और मशीने, भारी परिवहन उपकरण, पखे,

मीटर, साइकिले बनाई जाती है और उन्हे विदेशो को निर्यात किया जाता है। भारत के निर्यात व्यापार मे इजीनियरिग सामान महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है। इसका निर्यात 1980-81 मे मात्र 827 करोड रूपये का था, जो बढकर 1990-91 मे 3,872 करोड रूपये तथा 1995-96 मे 14,578 करोड रूपये का हो गया। भारत से इजिनियरी का सामान अफ्रीकी देशो, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशो को किया जाता है। हमारे राष्ट्र का भविष्य इस क्षेत्र मे काफी आशावान है। भारत मे कच्चा माल पर्याप्त मात्रा मे मिल जाता है और अच्छे इजीनियर व मैकेनिक भी अधिक सख्या मे उपलब्ध है। भारत सरकार इजीनियरिग की वस्तुओ के अधिकाधिक मात्रा मे उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है।

चमडा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएँ

भारत से गाय, भैस व बकरी के चमडे का निर्यात होता है। 1980-81 के दौरान भारत को इस मद से लगभग 390 करोड रूपये प्राप्त हुए। 1990-91 के दौरान 2,600 करोड रूपये का निर्यात किया गया तथा 1995-96 मे बढकर चमडे का निर्यात 5,790 करोड रूपये का हो गया। इग्लैड, रूस, पश्चिमी जर्मनी, फ्रास, पाकिस्तान, सयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशो को इसका निर्यात किया जाता है। चमडे तथा चमडे से बनी वस्तुओ के निर्यात का भविष्य भी उज्जवल है। भारत सरकार इस दिशा मे काफी सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है।

रत्न और आभूषण

भारत से रत्न और आभूषण विदेशो को भेजा जाता है। इनका निर्यात अमरीका, रूस आदि देशो मे किया जाता है। 1980-81 मे 618 करोड रूपये का रत्न और आभूषण का निर्यात किया गया जो बढकर 1990-91 मे 5,247 करोड रूपये तथा 1995-96 मे 17,644 करोड रूपये का हो गया।

रासायनिक

भारतीय निर्यात मे रसायन तथा रासायनिक पदार्थ महत्वपूर्ण स्थान लेते जा रहे है। 1980-81 मे रासायनिक का निर्यात 225 करोड रूपये का हुआ जो 1990-91 मे बढकर 2,111 करोड रूपये तथा 1995-96 मे 9,849 करोड रूपये का हो गया। भारत से रासायनिक का निर्यात

मुख्यतः सोवियत रूस, अरब देश, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका आदि मे होता है।

हस्तशिल्प

समय के साथ-साथ भारतीय हस्तशिल्पो का निर्यात मे महत्व बढता जा रहा है। यह 1980-81 मे 952 करोड रूपये के निम्न स्तर पर था। 1990-91 मे यह बढकर 6,167 करोड रूपये हो गया तथा 1995-96 मे हस्तशिल्प का निर्यात 20,501 करोड रूपये तक पहुँच गया। वर्तमान समय मे हस्तशिल्प के निर्यात मे भारत का प्रथम स्थान है।

चावल

चावल का निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 1980-81 मे 224 करोड रूपये का चावल निर्यात किया गया, जो बढकर 1990-91 मे 462 करोड रूपये तथा 1995-96 मे बढकर 4,568 करोड रूपये हो गया। भारत से मध्य पूर्व के देशो, अमेरिका, इग्लैण्ड, फ्रास तथा अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देशो को चावल का निर्यात किया जाता है।

निर्यात की दिशा

भारत के निर्यात की दिशा मे विशिष्ट बदलाव और विभिन्नताये आयी है। निर्यात की सरचना निर्यात की दिशा मे बदलाव को बहुत कम प्रभावित करती है। परम्परागत वस्तुओ के निर्यात विकसित देशो को, गैर परम्परागत उत्पाद का निर्यात विकासशील देशो को किया जाता है। भारत का निर्यात मुख्य रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं ओशनिया, पेट्रोलियम निर्यातक देश, पूर्वीय यूरोप, विकासशील देश एव कुछ अन्य देशो को होता है।

भारत का उत्तरी अमेरिका के साथ जिसमे कनाडा और सयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध है। भारत 1980-81 मे उत्तरी अमेरिका को अपने कुल निर्यात का 12 प्रतिशत भेजता था जिसमे से 0 9 प्रतिशत कनाडा को और 11 1 प्रतिशत सयुक्त राज्य अमेरिका को। हाल ही के वर्षो मे इस स्थिति मे थोडा सुधार हुआ है और 1993-94 मे सयुक्त राज्य अमेरिका को हमारा निर्यात कुल निर्यात का 18 प्रतिशत हो गया। उसी प्रकार कनाडा को 1993-94 मे हमारे कुल निर्यात का 1 प्रतिशत भाग निर्यात किया गया।

तालिका- 2.6ः भारत के निर्यात व्यापार की दिशा (करोड रूपये तथा प्रतिशत मे)

क्षेत्र/ देश	1980-81	1990-91	1993-94	1995-96
I- आर्थिक सहयोग एव विकास का सगठन	**3,126 (46.6)**	**17,428 (53.5)**	**39,620 (56.8)**	**59,223 (55.7)**
(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय	**1,447 (21.6)**	**8,951 (27.5)**	**18,149 (26.0)**	**28,157 (26.5)**
(1) बेल्जियम	145 (2 2)	1,259 (3 9)	2,632 (3 8)	3,748 (3 5)
(2) फ्रास	147 (2 2)	766 (2 4)	1,582 (2 3)	2,499 (2 3)
(3) जर्मनी	385 (5 7)	2,549 (7 8)	4,833 (6 9)	6,614 (6 2)
(4) नीदर लैण्ड	152 (2 3)	644 (2 0)	1,602 (2 3)	2,572 (2 4)
(5) यूनाइटेड किगडम	395 (5 9)	2,128 (6 5)	4,306 (6 2)	6,726 (6 3)
(ख) उत्तरी अमेरिका	**806 (12.0)**	**5,077 (15.6)**	**13,276 (19.0)**	**19,487 (18.3)**
(1) कनाडा	62 (0 9)	281 (0 9)	710 (1 0)	1,022 (1 0)
(2) सयुक्तराज्य अमेरिका	743 (11 1)	4,797 (14 7)	12,566 (18 0)	18,466 (17 4)
(ग) एशिया एव ओशनिया	**708 (10.6)**	**3,401 (10.4)**	**6,331 (9.1)**	**8,870 (8.3)**
(1) आस्ट्रेलिया	92 (1 4)	321 (1 0)	792 (1 1)	1,257 (1 2)
(2) जापान	598 (8 9)	3,039 (9 3)	5,432 (7 8)	7,411 (7 0)
II- पैट्रोलियम निर्यातक देश	**745 (11.1)**	**1,831 (5.6)**	**7,441 (10.7)**	**10,300 (9.7)**
(1) ईरान	123 (1 8)	141 (0 4)	498 (0 7)	514 (0 5)
(2) ईराक	52 (0 8)	44 (0 1)	12 (0 0)	2 (0 0)
(3) कुवैत	97 (1 4)	74 (0 2)	331 (0 5)	453 (0 4)
(4) साऊदी अरब	165 (2 5)	419 (1 3)	1,600 (2 3)	1,613 (1 5)
III- पूर्वीय यूरोप	**1,486 (22.1)**	**5,819 (17.9)**	**2,620 (3.8)**	**4,092 (3.8)**
(1) रूमानिया	58 (0 9)	96 (0 3)	80 (0 1)	100 (0 1)
(2) रूस	1,226 (18 3)	5,255 (16 1)	2,004 (2 9)	3,495 (3 3)
(3) जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य	49 (0 7)	- (-)	- (-)	- (-)
IV- विकासशील देश	**1,286 (19.2)**	**5,465 (16.8)**	**16,799 (24.1)**	**27,324 (25.7)**
(1) अफ्रीका	350 (5 2)	668 (2 1)	1,823 (2 6)	3,584 (3 4)
(2) एशिया	900 (13 4)	4,665 (14 3)	14,319 (20 5)	22,613 (21 3)
(3) लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	36 (0 5)	132 (0 4)	657 (0 9)	1,127 (1 1)
V- अन्य	**68 (1.0)**	**2,010 (6.2)**	**3,271 (4.7)**	**5,414 (5.1)**
कुल योग	6,711 (100 0)	32,553 (100 0)	69,751 (100 0)	1,06,353 (100)

स्रोत ः भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

हमारे निर्यात व्यापार मे एशिया एव ओशनिया मे आस्ट्रेलिया और जापान महत्वपूर्ण देश है। 1980-81 मे हमारे कुल निर्यात का 8 9 प्रतिशत जापान को निर्यात किया गया जो कि कम होकर 1993-94 मे 7 8 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार 1980-81 मे हमारे निर्यात मे आस्ट्रेलिया का भाग 1 4 प्रतिशत था जो कि कम होकर 1995-96 मे 1 2 प्रतिशत रह गया। पैट्रोलियम निर्यातक देशो के सगठन के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बढे है। इनमे मुख्य देश है- ईरान, ईराक, कुवैत और साउदी अरब। 1980-81 मे इन देशो को हम अपने निर्यात का 11 1 प्रतिशत भाग भेजते थे जो कम होकर 1995-96 मे अपने निर्यात का 9 7 प्रतिशत ही भेजा जा सका।

पूर्वीय यूरोप के देशो अर्थात रूमानिया, रूस, जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ हमारा व्यापार सम्बन्ध बन रहा है। भारत 1980-81 मे इस क्षेत्र को अपने कुल निर्यात का 22 1 प्रतिशत निर्यात किया जो कि कम होकर 1995-96 मे 3 8 प्रतिशत रह गया। सोवियत सघ के विघटन के परिणाम स्वरूप इन देशो के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धो मे परिवर्तन आ रहा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशो मे जर्मनी का भारत के निर्यात व्यापार मे महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशो मे से भारत का सबसे अधिक व्यापार इग्लैण्ड के पश्चात जर्मनी के साथ होता है। 1980-81 मे भारत से जर्मनी को 5 7 प्रतिशत भाग निर्यात होता था जो बढकर 1995-96 मे 6 2 प्रतिशत हो गया।

विकासशील देशो अर्थात अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के साथ हमारा व्यापार विकसित हो रहा है। भारत 1980-81 मे विकासशील देशो को अपने कुल निर्यात का 19 2 प्रतिशत भाग निर्यात किया जो बढकर 1995-96 मे इन देशो के साथ कुल निर्यात का 25 7 प्रतिशत भाग हो गया।

भारत 1980-81 मे अन्य देशो को अपने कुल निर्यात का 1 प्रतिशत निर्यात किया जो बढकर 1995-96 मे 5 1 प्रतिशत हो गया। भारत के व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के प्रायः सभी देशो के साथ है। उपरोक्त देशो के अतिरिक्त भारत का निर्यात व्यापार मुख्यतः अरब गणराज्य, कागो, यूगाण्डा, ईराक, जोर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, अफगानिस्तान, हागकाग, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, सिगापुर, मलेशिया, ब्राजील तथा अर्जेण्टाइना आदि देशो के साथ है।

धीरे-धीरे हमारा व्यापार पूर्वीय यूरोप के देशो, योरोपीय आर्थिक समुदाय और अन्य एशियाई देशो के साथ बढता जा रहा है। हमारे विदेशी व्यापार मे नौ देश महत्वपूर्ण स्थान रखते है। वे है, यू०एस०ए, यू०के०, जर्मनी, यू०एस०एस०आर, जापान, यू०ए०ई०, साऊदी अरब, आस्ट्रेलिया और कनाडा। 1951-52 से 1991-92 के दौरान इन नौ देशो के साथ हमारा निर्यात 51 से 59 प्रतिशत की अभिसीमा मे रहा है।

विश्व निर्यात मे भारत का भाग बढने के बजाय प्रत्येक वर्ष धीरे-धीरे 1 55 से 49 प्रतिशत कम हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय निर्यातको मे भारत का स्थान भी प्रत्येक साल नीचे जा रहा है। 1960 मे भारत पाचवॉ निर्यातक देश था, लेकिन 1968 मे 22 वे स्थान पर और 1972 मे 24 वे स्थान पर पहुॅच गया। ऊपर देखते हुए यह निश्चित रूप से देखकर कहा जा सकता है कि भारत के अपने निर्यात मे बाधा पहुॅच रही है और भारत के निर्यात विकास के मौके ज्यादा है। कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियॉ भारतीय निर्यात पर प्रभाव डाल सकती है। ये परिस्थितियॉ निम्न है-

अनुकूल कारण

(I) भारत के निर्यात वस्तु के लिए खाडी क्षेत्र अतिरिक्त बाजार की तरह।

(II) चाइना और पाकिस्तान जैसे नये ग्राहक का सकट।

(III) मध्यपूर्व और दक्षिण पूर्व देशो में सम्बन्धित सेवाये और योजनाओ के निर्यात के लिए सही परिस्थित।

(IV) विकसित देशो के आयात के लिए एक समान अभिप्राय है। इन देशो मे आय, माग का लचीलापन निर्यात के लिए ज्यादा अच्छे है।

(V) ऐसे क्षेत्र जो विकसित देशो द्वारा खाली कर दिये गये है जैसे मजदूर, गहन वृद्धि, उद्योग, कम अच्छे उत्पाद निर्मित कर रहे है, क्योकि ये माल विकसित देशो द्वारा ज्यादा अच्छे उत्पाद अधिक मात्रा मे उत्पादित हो रहे है।

(VI) प्रतिष्ठा के सामान्य क्रियाओ की उपस्थिति

(VII) बहुभुजी व्यापार व्यवहार। ये तटकर विहीन कर मे कमी, तटकर की कमी मे सहायता

करते है, भले ही ये जी०एस०पी० को खत्म कर दे। कृषि उत्पाद के लिए अच्छे बाजार और विकसित देशो द्वारा प्रदान किये गये निर्यात अनुदान का उपयोग करना।

(VIII) 1972 के समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशो मे प्रतिष्ठा का विनिमय करना। इन देशो के अन्तर्गत, ब्राजील, कोरिया, स्पेन, मिश्र, युनान, बग्लादेश और अन्य देश है।

(IX) बैककोक समझौते के अन्तर्गत तटकर सदस्य देशो मे निर्मित 134 वस्तुओ के लिए व्यापार मे कमी कर दी गयी थी।

(X) आयात सम्वर्द्धन केन्द्र द्वारा कई देशो मे विकासशील देशो से आयात मे बढावा मिलता है जैसे- हालैण्ड, यू०के, जर्मनी, स्वीडन।

प्रतिकूल कारण

A- विकसित देशो मे व्यापार वातावरण अभी अनिश्चित है।

B- नये औद्योगिकृत देशो से ज्यादा प्रतियोगिता के कारण ऊपर उठने की दृष्टि से बचाव करना।

C- विनिमय बाजार मे घोर वृद्धि। 1977 से प्रमुख मुद्राये विनिमय दर मे फायदा दिखाती है।

D- अन्य विकासशील देशो से ज्यादा प्रतियोगिता होना।

E- वे भारत द्वारा उत्पादित माल को निर्यात के लिये पकडती है।

उसी तरह घरेलू पूर्ति पर समस्या नही है जबकि भारत ने विस्तृत उत्पादन किया है और भारतीय निर्यातको के बीच जागृतता बढ रही है। निम्न तत्व उनके निश्चित भविष्य को बता रहे है।

A- जनसख्या उपभोग के वस्तु के निर्यातक को पजीकृत किया गया है।

B- भारतीय उद्योग और कृषि क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए शक्ति की स्वाभाविक कमी।

C- वर्तमान समय के दौरान मजदूर सम्बन्ध भ्रष्ट हो गये है।

D- भारतीय निर्यात की प्रतियोगिता को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है।

E- व्यापार इकाई का आकार और औद्योगिक लाइसेन्सिग नीति भी भारतीय निर्यात को बाधा

खडी करती है।

भविष्य

किसी वस्तु का निर्यात तभी होगा जब घरेलू आवश्यकताओ की गृह प्रबन्ध की पूर्ति हो सकेगी। इसके सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि निर्यात के लिए उत्पादन को बढाने के प्रभाव और घरेलू बाजार मे लोक सघ उपभोग के वस्तु और अन्य जरूरी वस्तु पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। नौवी योजना मे निर्यात को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गयी है। उत्पादन परियोजना और सम्बन्धित कार्य के विस्तृत क्षेत्र मे निर्यात व्यूह रचना करना क्योकि बाजार अब बन्द हो रहे है। बाजार के सभी तत्वो के उत्पादन के स्तर से विस्तृत क्षेत्र आयात का व्यूह रचना शुरू करना चाहिये, जैसे मूल्य सहायता, विपणन सहायता, निर्यात सम्वर्द्धन और प्रचार आदि। निर्यात ससद समिति की स्थापना प्रधानमन्त्री की प्रमुखता के अन्तर्गत 1981 मे हुई थी, जिसको फिर से जून 1986 मे निर्यातक समुदाय के अन्तर्गत विश्वास उत्पन्न करने के लिये किया गया है ताकि निर्यात ऊँची प्राथमिकता के साथ स्वीकार किया जाय। ससद समिति निर्यात को नयी दिशा प्रदान करता है और भारतीय निर्यात वस्तुओ को पूँजीगत करने मे सहायता करता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न उपाय शुरू किये गये है ताकि हमारे गृह प्रबन्ध के विभिन्न तत्वो को बढाया जा सके।

1- शत प्रतिशत निर्यात इकाई को मुक्त व्यापार क्षेत्र सुविधा प्रदान करना।

2- लाइसेन्स क्षमता के उद्देश्य के लिये निर्यात उपाद को बढाना।

3- निर्यात उद्योग को एम०आर०टी०पी० नियन्त्रण से मुक्त करना।

4- निर्यात उत्पादन के लिए तकनीक आयात को पक्ष मे करना जो राजस्व भुगतान मे सहायता प्रदान करते है।

5- निर्यात उत्पादन के लिए क्षमता मे स्व वृद्धि।

6- प्रतिबन्ध मे चुनिन्दा छूट।

7- निर्यात उद्योग के सम्बन्ध मे विदेशी निजी विनियोग का 40 प्रतिशत छूट देना।

8- निर्यात के लिए विदेशी कम्पनियो से विपणन सहायता की आज्ञा देना।

9- सरकार ने एक आयात और निर्यात बैक की स्थापना निर्यात व्यवसाय की वित्तीय

आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये किया।

ऊपर दिये गये कदम सही दिशा मे है और निश्चित रूप से निर्यात मे सहायता प्रदान करेगे लेकिन इन उपायो की सफलता उनके जल्द और सही वितरण पर निर्भर करता है। हमारे देश के निर्यात व्यापार लगातार बढ रहे है, यह सरचना और सही दिशा सुनिश्चित करता है। यह सचमुच एक बहुत सन्तोषजनक प्राप्ति है और हमारी क्षमता के बारे मे बताती है और भारत के भविष्य की निर्यात व्यापार के लिये प्रतिज्ञा करती है।

भारत का विदेशी व्यापार-समस्या

स्वतन्त्रता के बाद प्रारम्भिक समस्याएँ

स्वतन्त्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार को अनेक महत्वपूर्ण समस्याओ का सामना करना पडा। देश के विभाजन और अनाज की कमी ने इन समस्याओ को कई गुना बढा दिया तथा इन समस्याओ ने देश के व्यापार को अनेक नये मोड प्रदान किये। खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये देश को विभिन्न राज्यो के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य होना पडा। देश के विभाजन ने जूट पैदा करने वाले अनेक इलाको को पाकिस्तान मे रखा जबकि इनसे सम्बन्धित मिल भारत मे रहे।

1947 के बाद भारत के विदेशी व्यापार को निम्न परिस्थितियो का सामना करना पडा।

1- मुद्रा प्रसारः स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत मे वस्तुओ की कीमते लगातार बढ़ती जा रही थी। जिसके फलस्वरूप देश मे आर्थिक मन्दी की स्थिति पैदा हो गयी। नवम्बर 1947 के बाद कीमतो का सूचीपत्र आश्चर्यजनक रूप से बढ गया। उपभोक्ता वस्तुओ की माग की पूर्ति कठिन हो गयी। माग बढने के साथ-साथ उत्पादन की मात्रा बढनी चाहिए थी किन्तु उसके विपरीत वह गिर गयी। देश के उत्पादन की मात्रा थोडी बढने पर भी फलदायक नही था, क्योकि इसके लिए पर्याप्त ऊँची कीमत का भुगतान करना पडा। "उत्पादन लागत अधिक होने के कई कारण थे-

(i) कच्चे माल की कमी थी तथा उसकी कीमते पर्याप्त ऊँची थी।

(ii) मजदूरो के असन्तोष ने उनकी उत्पादन क्षमता को घटा दिया।

(iii) सरकारी नीति अनिश्चित होने के कारण उद्योगपतियो मे पर्याप्त निराशा थी।

(iv) साम्प्रदायिक दगो ने देश-व्यापी अस्थिरता को जन्म दिया, जिसके कारण समस्या अत्यन्त जटिल बन गयी।

(v) यातायात के साधनो की कठिनाइयो एव प्रतिबन्धित आयात नीतियो ने अभाव की स्थिति को पर्याप्त बढा दिया। "[1]

मूल्य वृद्धि के कारण न केवल आयात वरन निर्यात भी प्रभावित हुए। इसके कारण सट्टेबाजो का बाजार खूब गरम हुआ। युद्ध के बाद भारत आवश्यक कच्चे माल के पूर्तिकर्ता के रूप मे लाभप्रद स्थिति मे था।

2- **प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनः** स्वतन्त्रता के बाद भारतीय आयात और निर्यातो मे लोचशीलता रही। देश के विभाजन के बाद से ही व्यापार का शेष भारत के प्रतिकूल बनने लगा। इसके कारण देश के सामने विदेशी विनिमय के अभाव की स्थित पैदा हुई। स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्न, पूँजीगत माल एव अन्य आवश्यक माल का भारी आयात करना पडा था। विकास कार्यो को बढाने के लिए कच्चे माल तथा मशीनो का आयात करना पडा किन्तु प्रयास करने पर भी निर्यात आवश्यक मात्रा मे नही बढ सका।

3- **निर्यातो मे निर्मित माल की अधिकताः** स्वतन्त्रता के बाद से भारत के निर्यात व्यापार मे तैयार तथा निर्मित माल अधिक आने लगा है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत मे अनेक वस्तुओ का निर्माण प्रारम्भ हो गया। दूसरी ओर देश के विभाजन के कारण कच्चा माल कम हो जाने के कारण उसकी मात्रा निर्यात मे घट गयी। यद्यपि पहले की अपेक्षा भारत मे निर्मित माल की अधिकता है किन्तु आज भी चाय और सूती कपडा एव जूट का माल अधिक प्रमुख स्थान रखता है। इन वस्तुओ से प्राप्त होने वाली आय अत्यन्त अस्थिर होती है। ससार मे माग की परिस्थिति बदलने के लिए इनके निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ेगा। .जिस वर्ष इन तीन वस्तुओ का निर्यात घट जाता है उसी वर्ष हमारे विदेशी व्यापार को धक्का लगता है।

4- **खाद्यान्न का आयातः** भारत मे स्वतन्त्रता से पूर्व ही अनाज की पर्याप्त कमी आ गयी थी।

1 डा० डी०एन० गुर्टू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर- 2, 1971-72, पृ० -447

देश के विभिन्न भागो मे अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई। युद्ध के बाद यह स्थिति और अधिक खराब हो गयी। भारत ने स्वतन्त्रता के बाद एक बडी मात्रा मे अनाज का आयात किया। विभाजन के बाद जब देश के औद्योगिक कच्चे माल का भण्डार पाकिस्तान मे चला गया तो देश की आवश्यकताओ को आयात से पूरा किया गया। निर्यातो की तरह देश का आयात भी कुछ वस्तुओ तक केन्द्रित रहा जैसे-पेट्रोल, कपास, खाद्यान्न, मशीनरी का सामान आदि।

स्वतन्त्रता के बाद आयात के क्षेत्र मे उदार नीतियॉ अपनाई गई। 1945 मे जब नियत्रण हटा दिया गया तो मुद्राप्रसार की प्रवृतियॉ पर्याप्त सक्रिय बन गयी। अतः यह सोचा गया कि देश की व्यापार नीति को मुद्रा सकुचन कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाए। देशो मे मुद्रा-प्रसार की स्थिति और उदार आयात-नीति ने मिलकर भारत के बाजार को अन्य बाजारो की अपेक्षा विदेशी विक्रेताओ के लिए अधिक आकर्षित बना दिया। इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुओ के आयात की मात्रा बढ गई।

5- **व्यापार की नई दिशाएँ** भारत का विदेश व्यापार बहुत समय से ग्रेट-ब्रिटेन के साथ अधिक रहा है। पिछले कुछ वर्षो से वह अमेरिका, रूस, यूरोपीय आर्थिक समाज के देशो, पूर्वी यूरेपीय देशो, राष्ट्र मण्डल के सदस्यो तथा जापान के साथ भी पर्याप्त बढ गया है।

6- **व्यापार के मार्गः** विभाजन के बाद भी अधिकाश भारतीय व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाह भारत के विदेशी व्यापार के मुख्य केन्द्र है। इन पर अत्यधिक भीड रहने के कारण विशाखापट्नम्, कोचीन और कागला बन्दरगाहो का विकास किया गया है।

स्वतन्त्रता के बाद भी भारत के व्यापार का अधिकतर लाभ विदेशियो को ही मिलता है। आयात-निर्यात करने वाली फर्म, जहाजी कम्पनियॉ, बीमा कम्पनियॉ और विनिमय बैक प्रारम्भ से ही विदेशियो के प्रबन्ध मे रहे है, किन्तु अब धीरे-धीरे इनका भारतीयकरण किया जा रहा है। यद्यपि विश्व का व्यापार पहले की अपेक्षा पर्याप्त बढ गया है फिर भी उसमे भारत का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

7- **द्विपक्षीय व्यापार समझौते:** स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई देशो के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये। इन समझौतो का उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार को विनियमित करना नही है। कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रो से मूलभूत वस्तुओ का आयात किया जा सकेगा। देश के समस्त व्यापार घाटो को कम किया जा सकेगा, यह आशा भी आकाश-कुसुम बनी रही और समस्त समझौतो मे भारत का व्यापार सन्तुलन विपरीत रहा। व्यापार के नये मोड भारत के विपरीत जाने लगे। विभिन्न कारणो से भारत की निर्यात क्षमता घट गयी। भारत सरकार ने कभी यह देखने की चेष्टा नही की कि आयात और निर्यात के क्षेत्र मे अपेक्षित लक्ष्यो को प्राप्त किया गया है या नही। आयातो के साथ-साथ निर्यातो को बढावा नही दिया गया।

विभिन्न द्विपक्षीय समझौतो के परिणाम स्वरूप भारत को कुछ गैर मूल वस्तुओ को लेने के लिए मजबूर होना पडा। आज भारत मे कच्चे माल का आयात स्वतन्त्रता से पूर्व की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है। आज जो निर्यात किया जाता है, उसमे कच्चे माल की मात्रा कम है। औद्योगीकरण के कारण पर्याप्त कच्चा माल देश के लिये आवश्यक बन गया है। बढती हुई जनसख्या और शहरी जनसख्या के कारण भविष्य मे इसके बढने की सम्भावनाये है। सुधरी हुई औद्योगिक स्थिति के कारण अब निर्मित माल का निर्यात अपेक्षाकृत अधिक होने लगा है किन्तु खाद्यान्न का आयात जो स्वतन्त्रता की पूर्व बेला से ही प्रारम्भ हुआ, अभी तक देश के विदेश व्यापार के लिए समस्या बना हुआ है।

भारत में निर्यात की प्रमुख समस्याएँ

भारत मे निर्यात बढाने की निम्नलिखित प्रमुख समस्याये है-

"1- देश मे उत्पादन एव निर्यात योग्य वस्तुओ का अभाव

2- यातायात की असुविधाएँ

3- निर्यात के लिए उपयुक्त सस्थाओ का अभाव

4- देश मे जनसख्या वृद्धि के कारण अधिक उपभोग

5- अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे भारतीय उत्पादो का अधिक मूल्य

6- विदेशी सरकारो द्वारा लगाए गए आयात, आयात करो, अन्य विदेशी विनिमय पर

प्रतिबन्ध

7- विदेशी प्रतियोगिता

8- वस्तुओ की खराब किस्म एव किस्म मे विविधता

9- स्थानापन्न वस्तुओ का प्रभाव, जैसे जूट के पैकिग के स्थान पर विदेशो मे अन्य स्थानापन्न पैकिग उत्पादो का विकास" [1]

निर्यात व्यापार की कुछ अन्य समस्यायें

निर्यात व्यापार की कुछ मुख्य समस्याऍ निम्न है-

1- **विदेशो मे बिक्री करने वाली भारतीय सस्थाऍ:** भारतीय विदेशी व्यापार की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह है कि विदेशो मे बिक्री के लिए जो सस्थागत रूपरचना की इस समय स्थिति है, वह अनुपयुक्त है। अधिक वस्तुओ की माग होने के कारण यह दोष और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। विदेशो मे हमारे व्यापार सगठनो की अपर्याप्तता का एक कारण तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और दूसरा कारण भारत के विदेशी आर्थिक सम्बन्धो की परिवर्तित प्रकृति है। अतीत काल मे भारतीयो मे उत्पादको एव निर्यातकर्ताओ को अपने बाजार की रचना के लिए विदेशो मे प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नही थी। इसके अतिरिक्त भारत मे विदेशी आयात-कर्ताओ के अभिकरण या प्रतिनिधि थे जो उनकी ओर से खरीददारी कर सके।

इस प्रकार व्यापार की पहल विदेशी खरीददारो द्वारा की जाती थी और भारत मे वस्तुओ का उत्पादन ऐसे बाजारो के लिए किया जाता था जो पहले से ही स्थित थे। अब हमारे विदेशी व्यापार मे मौलिक परिवर्तन आ गये है। जिन अनेक वस्तुओ मे पहले भारत को एकाधिकार प्राप्त था उनमे पर्याप्त प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गयी है। हमारे निर्यात-व्यापार मे अनेक ऐसी चीजे आ गयी है जिनका व्यापार पहले नही किया जाता था। इसके लिए विदेशो मे उपयुक्त सगठन बनाना अब जरूरी हो गया है।

2- **अनुचित व्यवहार:** भारतीय निर्यात-कर्ताओ के अनुचित व्यवहार के विरूद्ध अनेक शिकायते

1 जे०के० जैन एव प्रदीप जैन- क्रियात्मक प्रबन्ध, प्रतीक प्रकाशन, 12, ए० बन्दरोड, इलाहाबाद, 1988, पृ०- 354

की जाती है। जैसे-माल भेजने मे देरी, मागे गये माल के गुण और भेजे गये माल के गुण मे अन्तर, खराब पैकिग तथा खराब मार्किंग आदि। नियमित रूप से भारतीय निर्यात- कर्त्ताओ के विरूद्ध यह शिकायत की जाती है कि वे माल भेजने की तारीख का पालन कदाचित ही कर पाते है। कुछ विदेशी आयात- कर्ताओ को यह सन्देह भी रहता है कि भारतीय निर्यात-कर्त्ता वस्तुओ के दाम बढने पर माल को दूसरी जगह भेज देते है और अधिक लाभ कमाते है। यद्यपि ये शिकायते सभी मामलो मे लागू नही की जाती किन्तु वे विदेशो मे भारतीय व्यापार के सम्मान को गिराती है। भारत के निर्यात-कर्त्ताओ द्वारा बहुत कम नमूने प्रदान किये जाते है और जो प्रदान किए जाते है वे अत्यन्त छोटे तथा अव्यवस्थित रूप से बधे होते है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रतिद्वन्दी नमूने भेजने और उनको आकर्षक रूप से पैक करने मे अत्यन्त उदार है।

3- **माल का गुणः** निर्यात किये गये माल के गुणो के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार की शिकायते की जाती है। ये शिकायते रूई के निर्मित माल, चमडे एव खनिज पदार्थों के बारे मे बहुत होती है। स्वस्थ व्यापारिक सम्बन्धो की रचना के लिए यह जरूरी है कि जिन नमूनो के आधार पर व्यापक समझौता किया जाय उन्ही के अनुसार माल भेजा जाय। जब एक ही चीज को विभिन्न कार्यो के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति मे उसके गुणो का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

4- **पैकिगः** भारतीय निर्यात व्यापार की एक अन्य समस्या पैकिग से सम्बन्धिसत है जिस पर प्रायः ध्यान नही दिया जाता। भारत के निर्यात-कर्ता इसे फालतू का अतिरिक्त खर्चा मानते है। भारतीय माल विदेशी बाजारो मे जब पहुँचता है तो बडे अव्यवस्थित रूप मे पैक किया हुआ होता है। विदेशो मे लोग आकर्षक पैकिग पर बहुत अधिक ध्यान देते है। भारत मे अभी तक पैकिग उद्योग शिशु अवस्था मे है। निर्यात वृद्धि समिति ने 1957 मे इस बात पर जोर दिया था कि पैकिग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

5- **विक्रय के समझौतेः** भारतीय निर्यात व्यापार के अधिकाश समझौते जिन शर्तों पर किये जाते है वे विदेशी आयात-कर्ताओ द्वारा निर्धारित की जाती है। कभी-कभी तो समझौते की शर्तों मे विदेशी आयात-कर्ता को अनुचित रूप से लाभ प्रदान किया जाता है।

व्यापार को स्वस्थ तरीके से सचालित करने के लिए यह जरूरी है कि समझौते के प्रमाणीकृत मापदण्डो को स्थापित किया जाय।

6- **निर्यात-कर्त्ताओ का पंजीकरणः** भारतीय निर्यात-कर्त्ताओ को सगठित करने के लिए उनको पजीकृत करने की योजना पर्याप्त महत्व रखती है। इस समय निर्यात-कर्त्ताओ को पजीकृत करने की कोई व्यवस्था नही है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसे निर्यात-कर्त्ता है जो अनेक अनुचित तरीके अपनाकर निर्यात करते है।

7- **निर्यात व्यापार का सकीर्ण क्षेत्रः** विभिन्न राजनैतिक और आर्थिक कारणो से भारतीय निर्यात व्यापार पौण्ड के क्षेत्रो और विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन के साथ है। कुछ बाजारो पर अनुचित रूप से हमारी आश्रितता हमारे विदेशी व्यापार की एक कमजोरी है।

प्राथमिक निर्यातों से सम्बन्धित समस्याएं

बहुत लम्बे समय तक भारत की निर्यात आय का एक महत्वपूर्ण अश प्राथमिक वस्तुओ के निर्यात से प्राप्त होता था। लेकिन कई आन्तरिक व वाह्य कारको से इनसे होने वाली निर्यात आय मे वृद्धि करना मुश्किल हो गया। प्रमुख वाह्य कारक निम्नलिखित है

"1- प्राथमिक वस्तुओ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो मे लगातार उतार-चढाव होना।

2- सश्लिष्ट प्रतिस्थापको का बढता हुआ प्रयोग।

3- टैक्नोलाजी मे परिवर्तनो के परिणामस्वरूप उत्पादन मे इस्तेमाल होने वाले माल के कम प्रयोग की आवश्यकता।

4- विकसित देशो मे उपभोग पैटर्न मे परिवर्तन (जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक वस्तुओ के उपभोग करने की प्रवृत्ति कम हुई है।)" [1]

5- औद्योगिक देशो द्वारा कुछ प्राथमिक वस्तुओ के आयात पर उच्च शुल्क लगाने की नीति तथा अन्य नियन्त्रण लगाने की नीति। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली बहुत सी प्राथमिक वस्तुओ की अन्तर्राष्ट्रीय मांग गतिहीन व स्थिर रही है और इसमे भी उसे अन्य

1 एस०के० मिश्र एवं वी०के० पुरी- भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिग हाउस, गिरगॉव, मुबई-400004, (1994), पृ० -708

अल्प-विकसित देशो से बढते हुए पैमाने पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड रहा है। इसलिए इन वस्तुओ के निर्यात मे अपना हिस्सा बनाए रखना भारत के लिए लगातार और मुश्किल होता जा रहा है।

जिन वस्तुओ मे भारत को लगभग एकाधिकारी स्थिति प्राप्त थी या भारत का हिस्सा बहुत कम था, उन वस्तुओ मे निर्यात आय कम होने मे घरेलू नीतियॉ भी काफी हद तक जिम्मेदार थी। इस सन्दर्भ मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है निर्यात योग्य वस्तुओ का बढता हुआ घरेलू इस्तेमाल (उपभोग के लिए अथवा घरेलू उद्योगो मे आगत के रूप मे)

देश मे कीमत स्तर मे तेज वृद्धि होने के कारण घरेलू बिक्री पर लाभ की दरे बहुत तेजी से बढी है और इससे प्राथमिक वस्तुओ के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। घरेलू बाजार मे पाई जाने वाली इन दो प्रवृत्तियो (बढती हुई घरेलू माग और स्फीति) के अलावा, सरकार द्वारा समय-समय पर जो निर्यात नियन्त्रण लगाए गए तथा प्राथमिक वस्तुओ के निर्यात पर जो शुल्क लगाए गए, उनसे भी प्राथमिक उत्पादो के निर्यात मे भारत का हिस्सा कम हुआ है।

अध्याय - III

भारत में निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं का संक्षिप्त अध्ययन

भारत में निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं का संक्षिप्त अध्ययन

बहुत पहले से ही हमारी सरकार देश के निर्यात व्यापार को दिशा और दृढता प्रदान करने मे व्यस्त है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा देश के आयात और निर्यात पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, जिनको बाद मे आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण कानून 1947 के नाम से जाना जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी भुगतान स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गयी। पहली बार भारत सरकार ने जुलाई 1949 मे निर्यात सम्वर्द्धन समित का निर्माण किया, जो निर्यात सम्वर्द्धन के कुछ आधारभूत आवश्यकताओ को प्रकाश मे लाया। लोगो द्वारा इसकी आलोचना की गई क्योकि यह किसी के लिए भी अच्छा नही था।

इस समिति ने केवल कुछ अनुमोदन प्रस्तुत किये जिसमे निर्यात योग्य उत्पादो पर कुछ प्रतिबन्ध से सम्बन्धित सुधारो को सुझाया गया था। इस समिति के सुझावो को स्वीकार करते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत अधिक वस्तुओ के लिए आज्ञा प्रदान की और आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण कानून 1947 को पॉच और वर्षों के लिए बढा दिया गया। इसी तरह एक अन्य समिति का निर्माण सरकार द्वारा 1949 मे किया गया जिसने व्यापार निगमो की स्थापना का अनुमोदन किया। समिति के अनुमोदन को मानते हुए कई वस्तुओ पर से निर्यात चुँगी हटा दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मन्त्री के द्वारा 1 फरवरी 1957 मे निर्यात सम्वर्द्धन पर एक अन्य समिति का निर्माण किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 1957 को प्रस्तुत किया। समित ने पहली बार निर्यात सम्वर्द्धन के प्रश्न पर विचार किया और चाय पर निर्यात चुँगी खत्म करने के लिए अनुमोदन किया, उत्पादकों के आन्तरिक उपभोग को कम किया और द्विउद्देश्यीय, बहुउद्देश्यीय व्यापार समझौते प्रस्तुत किया और निर्यात आय को आयकर से मुक्त किया। समिति ने निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना और विपणन विकास कोष के निर्माण का सुझाव दिया। समिति द्वारा दिये गये ज्यादातर अनुमोदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये और विस्तृत रूप

से निर्यात सम्वर्द्धन के लिए योजनाओ को शुरू कर दिया गया। निर्यात सम्वर्द्धन के बारे मे कई समितियो की स्थापना के अलावा सरकार द्वारा पिछले 50 वर्षो के दौरान कई निर्यात सम्वर्द्धन समितियो की भी स्थापना की गई। ये समितियॉ विशिष्ट वस्तुओ के लिए निर्यात सम्वर्द्धन पर ध्यान देती है ।यह समिति केन्द्र सरकार की भूमिका को सक्रिय करने,विस्तृत करने और निर्यात को सही रास्ता दिखाने से सम्बन्धित है, ताकि निर्यात को बढाया जा सके।

किसी भी देश के निर्यात का विकास, आर्थिक के विकास के लिए, पूँजीगत माल, तकनीक और उपभोक्ता माल को बडी मात्रा मे आयात करना आवश्यक है ताकि उनके विकास कार्यक्रम लागू किये जा सके। इस प्रकार के आर्थिक आयात मे निर्यातको द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये, चूँकि विस्तृत आयात के वित्त के लिए बडे निर्यातको की आवश्यकता है। निर्यात क्षेत्र के लगातार विकास के लिए आयात आवश्यकता की सुविधा और पूर्ण विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव सहायताये देनी चाहिये। यह बढ रहे सेवा मूल्यो को प्राप्त करने मे सहायता करता है। सरकार निर्यात-आयात और विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण के लिए विस्तृत शक्ति रखती है। ''निर्यात सम्वर्द्धन उपाय लगभग सभी विकासशील या विकसित देशो द्वारा अपनाये जाते है, लेकिन उनके तरीके अलग-अलग होते है। कोई भी ऐसा एक उपाय नही है जो कि सभी उद्देश्यो के लिए लिया जा सके ।

हमारी सरकार ने निर्यात सम्वर्द्धन के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये है। इसके अन्तर्गत निर्यात क्षेत्र के सहायता के लिए कई सस्थाओ की स्थापना, निर्यात बाजार का प्रोत्साहन, परिवहन सुविधाएँ, बाजार अनुसन्धान प्रशिक्षण, सस्थागत प्रतिबन्धो को युक्तिसगत बनाना, सयुक्त राष्ट्र सघ के अभिकरणो और मित्र देशो से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना, विदेशो मे सयुक्त उद्योगो की स्थापना करना और निर्यात सम्वर्द्धन को सहायता देना आदि ।

निर्यात सहायता के लिए कुछ सस्थाओ की स्थापना की गयी है। मुख्य सस्थाओ का सक्षिप्त अध्ययन आगे किया जा रहा है -

1- वाणिज्य मन्त्रालय

वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत सबसे ऊपर वाणिज्य विभाग है। विदेश व्यापार नीति के प्रोत्साहन और देश के विदेशी व्यापार के नियमन को सही दिशा देने का उत्तरदायित्व प्राथमिक सरकारी सगठन को है। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीतियो के सम्मान मे पुनर्सगठन के विभिन्न कार्य, विदेश व्यापार, राज्य व्यापार निर्यात सम्वर्द्धन, निर्यात उद्योग, निर्यात योजनाये, सूचना सेवाये और सस्थागत सहायता जो वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत है, निम्नलिखित है -

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति विभाग

व्यापार नीति विभाग के प्रमुख कार्य है -

(i) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति का सूत्रीकरण ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना जो कि वाणिज्यिक नीति से जुडा हुआ है जैसे-अकटाड, गैट, स्कैप, ई० ई० सी० और ई० सी० ए० ।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतो को कार्यान्वित करना ।

(iv) विभिन्न पहलुओ पर विचार करना, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बन्धित है तथा जिसके अन्तर्गत तटकर तथा तटकर विहीन रूकावटे आती है ।

(ब) विदेश व्यापार विभाग

विदेश व्यापार विभाग निम्न से सम्बन्धित कार्यो को देखता है -

(i) सभी वाह्य व्यापारिक पहलुओ जिसके अन्तर्गत व्यापारिक सौदा और समझौता, व्यापारिक शिष्टमण्डल, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल, व्यापारिक सहकारिता, व्यापारिक सम्वर्द्धन और देश के बाहर भारतीय औद्योगिक समुदाय के ब्याज का सरक्षण ।

(ii) आयात-निर्यात व्यापार नीति और भारत के व्यापारिक ब्याज का नियन्त्रण ।

(स) राज्य व्यापारिक विभाग

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य व्यापारिक विभाग का कार्य है -

(i) राज्य व्यापार से सम्बन्ध बनाना और सगठन जो कि निम्न उद्देश्यो के लिये स्थापित

किये गये है, उनकी उन्नति ज्ञात करना ।

(ii) खनिज एव धातु व्यापार निगम और इसकी शाखाओ के कार्यो को नियमित और नियन्त्रित करना ।

(द) निर्यात उद्योग और उत्पाद विभाग

यह विभाग निम्न के लिये उत्तरदायी है -

(i) वस्तुये, उत्पाद, परियोजनाये, सलाहकारी सेवाये, उत्पादन और अर्ध-उत्पादन करने वाला, कृषि उत्पाद विधि 1973 के प्रतिष्ठा मे निर्यात उत्पादन का विकास और बढावा।

(ii) समुद्री उत्पादे ।

(iii) निर्मित उत्पाद जैसा कि अभियान्त्रिक सामाने, रसायने, प्लास्टिक समान, चमडे का सामान इत्यादि ।

(iv) ईधन, खनिज और खनिज उत्पादे ।

(v) पूर्व के देशो के उत्पाद का विशिष्ट निर्यात लेकिन जूट उत्पाद और हथकरघा को वर्जित करके ।

(य) संगठन और संस्थायें

इसके अन्तर्गत निम्न आते है -

(i) आयात-निर्यात के मुख्य नियत्रक का कार्यालय ।

(ii) निर्यात निरीक्षण समिति ।

(iii) निर्यात साख गारन्टी निगम ।

(iv) भारत का व्यापार मेला प्राधिकरण ।

(v) स्वतन्त्र व्यापार मण्डल ।

(र) निगमें और परिषदें

इसके अन्तर्गत निम्न आते है -

(i) भारत का चाय व्यापार निगम

(ii) चाय परिषद

(iii) काफी परिषद

(iv) रबड परिषद

(v) तम्बाकू परिषद

(vi) निर्यात विकास प्राधिकरण का समुद्री उत्पाद

(vii) कृषि और क्रमिक खाद्य उत्पाद

(ल) सेवा सहायता संस्थायें

इसके अन्तर्गत निम्न आते है -

(i) भारतीय विदेश व्यापार सस्थान

(ii) भारतीय पैकेजिग सस्थान

(iii) व्यापार विकास प्राधिकरण

(iv) निर्यात-आयात बैक

(v) निर्यात सम्वर्द्धन समिति

(व) अन्य क्रियाशील क्षेत्र

विशिष्ट क्रियाओ के अलावा जो अन्य क्षेत्र इसके अन्तर्गत आते है, वे है -

(i) निर्यात प्रयास और सही दिशा के लिये योजना और कार्यक्रम

(ii) घरेलू उपभोग के लिये प्रगति और वितरण तथा चाय और काफी का निर्यात

(iii) घरेलू उपभोग के अलावा फसल रोपड के विकास का उत्पादन और वितरण जैसे कि चाय, काफी, रबर और इलायची ।

(iv) तटकर आयोग से सम्बन्धित बचा हुआ कार्य जो कि अन्तर्राष्ट्रीय चुगी तटकर सार्वजनिक कार्यालय के अन्तर्गत आता है ।

(v) वाणिज्य मन्त्रालय सलाहकारी परिषद, सेवा सगठन, निर्यात सम्वर्द्धन अभिकर्ता का कार्यालय, राज्य व्यापार निगम, वस्तु परिषद और निर्यात के द्वारा सहायता किया जाता है ।

निर्यात सम्वर्द्धन उपाय के भाग के रूप मे विभिन्न समितियो एव परिषदो का सगठन किया

गया है। उनमे से मुख्य का वर्णन नीचे दिया जा रहा है -

2- सलाहकारी परिषद

इस परिषद के अन्तर्गत दो समितियाँ आती है, जो निम्न है -

(अ) व्यापार पर केन्द्रीय सलाहकारी समिति

व्यापार पर केन्द्रीय सलाहकारी समिति दो सलाहकारी अशो-व्यापार पर आयात-निर्यात के सलाहकारी समिति और व्यापार का परिषद (15 फरवरी 1978 से प्रभावित है) के मिलाने से बना है। वाणिज्य मन्त्री सलाहकारी समिति का सभापति होता है। समिति निम्न विषयो से सम्बन्धित सलाह सरकार को देता है ।

(i) निर्यात और आयात नीति तथा कार्यक्रम

(ii) व्यापारिक सेवाओ का सगठन और विकास

(iii) निर्यात और आयात नियन्त्रण का क्रियान्वयन और

(iv) निर्यात उत्पादन का सगठन और प्रसार

सलाहकारी समिति सरकार को सिफारिश करता है। नीतियो मे आवश्यक पुनः स्थिति निर्धारण को प्रभावित करता है, तथा कार्यक्रम, प्रोत्साहन, आयात-निर्यात प्रक्रिया और सेवाये, निर्यात के विभिन्न क्षेत्र मे भी सहायता करता है।

(ब) क्षेत्रिय निर्यात और आयात सलाहकारी समिति

चार क्षेत्रिय समितियाँ है। प्रत्येक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रो के लिए जुलाई 1968 मे बनाया गया जो निम्न विषयो से सम्बन्धित है -

(i) आयात और निर्यात के विधि के प्रचलन के क्रिया मे सामना किये गये परेशानियो पर विचार करना और नगद सहायता के चुकाने के लिये उपाय ।

(ii) आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण सगठन का सार्वजनिक सम्बन्ध और कार्य के नियमो के उन्नति के बारे मे सुझाव देना तथा व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित अन्य सरकारी विभाग ।

(iii) आयात-निर्यात कर के बाधाओ को हटाना, जहाजी परिवहन, साख बीमा और निर्यात

निरीक्षण के परेशानियो के बारे मे विचार करना और इनकी उन्नति के लिये उपाय बताना ।

3- नीति सलाहकारी समिति

प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुमोदन के कार्यान्वयन के लिये जून 1971 मे नीति सलाहकारी समिति बनायी गयी। यह जल्द ही दीर्घ कालीन नीति के प्रमुख विशेषाक पर विचार करने लगा। इस समिति मे निम्न सदस्य होते है -

(i) वाणिज्य विभाग मे सचिव और अतिरिक्त सचिव

(ii) आयात और निर्यात का मुख्य नियन्त्रक

(iii) वाणिज्य मन्त्रालय मे एक उप सचिव

(iv) वाणिज्य मन्त्रालय का वित्तीय सलाहकार

(v) वाणिज्य मन्त्रालय मे निदेशक

(vi) व्यापार विकास प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक

(vii) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रमुख

(viii) भारतीय विदेश व्यापार सस्थान का महानिदेशक

4- सेवा सहायता संगठन

उद्योग और व्यापार के आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये कई सस्थाओ और सगठन का निर्माण किया गया है। निर्यात प्रवन्ध सेविवर्गीय के विकास मे ये सस्थाये सक्रिय है, जैसे - बाजार अनुसधान, निर्यात साख बीमा, निर्यात प्रचार, व्यापार मेला और प्रदर्शनी का सगठन, पैकिग का विकास इत्यादि। कुछ मुख्य सस्थाये निम्न है -

(अ) आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन

यह सगठन जो आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय के नाम से जाना जाता है, सरकार के आयात और निर्यात नीति के निर्वाह के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसकी शाखाये लगभग सभी राज्यो मे है, भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन प्रयत्न को आवश्यक सहायता प्रदान

करती है। निर्यात सम्वर्द्धन कार्यालय जो बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास, नागपुर और पूणे मे स्थिति है, क्षेत्रीय सयुक्त मुख्य नियन्त्रक और उपमुख्य नियन्त्रक के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करता है ।

(ब) वाणिज्यिक सूचना एवं सॉख्यिकीय के सामान्य निर्देशालय

वाणिज्यिक सूचना एव सॉख्यिकीय के सामान्य निर्देशालय का मुख्य उत्तरदायित्व, अन्तर्देशीय और सहायक व्यापारिक ऑकडा इकट्ठा करना और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचनाऍ प्रदान करना है। यह कलकत्ता मे स्थापित है। निर्देशालय भारतीय निर्यातक और विदेशी क्रेताओ के बीच के व्यापारिक विवाद के व्यवस्था मे भी सहायता करता है ।इस विभाग का कार्य विस्तार पूर्वक निम्न तरीको से विभाजित किया जाता है ।

(i) सरकार और व्यापार द्वारा आवश्यक वाणिज्यिक सूचनाओं को इकट्ठा करना और प्रदान करना,

(ii) भारत और विदेशी व्यापारिक सस्था के लिए हिसाब रखना,

(iii) साप्ताहिक "इडियन ट्रेड जरनल" का प्रकाशन करना,

(iv) "डाइरेक्टरी आफ एक्स्पोर्टस आफ इण्डियन प्रोडक्ट एण्ड मैन्युफैक्चरर" का प्रकाशन करना,

(v) भारतीय और विदेशी व्यावसायिक सस्था के बीच वाणिज्यिक विवाद मे मित्रवत व्यवस्था लाने के दृष्टि से मध्यस्थता करना,

(vi) विदेशो मे भारतीय सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिनिधि से प्राप्त सूचना का प्रकाशन करना,

(vii) व्यापारिक भूमिका और

(viii) कलकत्ता मे वाणिज्यिक पुस्तकालय की रक्षा करना जो कि जनता के उपयोग के लिये है ।

(स) पंचायत से झगड़े का निर्णय की भारतीय समिति

पचायत से झगडे का निर्णय की भारतीय समिति 1965 मे बनी। विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे भारत के प्रभाव को दृष्टि मे रखकर व्यापारिक विवाद की मित्रवत व्यवस्था को बढावा देने के लिए

इस समिति का निर्माण हुआ। समिति के उद्देश्य निम्न है -

(i) विदेशी व्यापार के सम्बन्ध मे वाणिज्यिक पचायत से झगडे के निर्णय के विचारो का विस्तार और ख्याति प्रदान करना ।

(ii) पचायत से झगडे का निर्णय जैसे काम करने के व्यक्तियो के जूरी की रक्षा करना।

(iii) इसके निर्वाचक सदस्य के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे विवाद के पचायत से झगडे का निर्णय की व्यवस्था करना ।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पचायत से झगडे का निर्णय के मामले के सम्बन्ध मे पचायती समुदाय और अन्तर्राष्ट्रीय सगठन से सहायता मागना।

(v) यह समिति, व्यापारियो, निर्यात सम्वर्द्धन समिति के प्रतिनिधियो, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत, वाणिज्य और व्यापार सगठन का कार्यालय, के तहत विवाद और पचायत से झगडे का निर्णय की समस्या के बारे मे विचार करने के लिए लगातार बैठक करता है।

5- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार सस्थान की स्थापना 1964 मे सामाजिक पजीकरण कानून के अन्तर्गत स्वायत्त सगठन के रूप मे किया गया। यह सस्थान, प्रधान प्रशिक्षण अनुसधान सस्थान एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे निम्न चार प्रमुख कार्यो मे व्यस्त है ।

(i) आधुनिक निर्यात विपणन तकनीक मे सेवीवर्गीय प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) निर्यात व्यापार की समस्याओ के लिए अनुसधान करना ।

(iii) निर्यात बाजार अनुसधान, वस्तु क्षेत्र और समुद्रपार बाजार सर्वेक्षण का मार्गदर्शन करना।

(iv) सूचना के अनुसधान और बाजार अध्ययन का विस्तार करना

अन्तिम दो दशको के दौरान यह सस्थान सभी विकासशील देशो मे अपने प्रकार का केवल एक सस्थान है। इसने अपनी पहचान तीसरे विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय सगठन मे बना लिया है और इसकी सेवाओ का अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठन जैसे अकटाड, गैट, युनिडो, स्कैप और आई० टी० सी० लाभ उठा रहे है। यह संस्थान त्रैमासिक समाचार पत्र 'फारेन ट्रेड रिव्यूव' के द्वारा सूचनाओ का प्रचार कर रहा है और अन्य अनुसधान एव इसके अन्तर्गत अध्ययन की सूचना का भी प्रचार कर रहा है। इसका

मासिक पत्र "फारेन ट्रेड बुलेटिन" नये विकास के सूचनाओ का विस्तार कर रहा है।

अप्रैल-दिसम्बर 1992 के मध्य 50 छात्रो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया तथा 30 छात्रो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे मास्टर कार्यक्रम पूर्ण किया। इसके अलावा 129 लोगो ने निर्यात विपणन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम मे भाग लिया। इसके अलावा 24 सम्पादकीय विकास कार्यक्रम, सरकारी कार्यकर्ता के लिए विशेष कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के लिए कार्यक्रम अप्रैल से दिसम्बर 1992 तक चलाये गये। बाबा साहब की याद मे कमजोर वर्ग के लिए बी० आर० अम्बेडकर सेन्टेनरी की स्थापना की गयी। अप्रैल- नवम्बर 1992 मे सस्थान ने 11 शोध कार्य पूर्ण किया।

"प्रशिक्षण के क्षेत्र मे यह सस्थान तीन बुनियादी कार्यक्रम चला रहा है ।

(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर कार्यक्रम

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

(iii) निर्यात विपणन मे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

अप्रैल-दिसम्बर 1994 की अवधि के दौरान 52 भागीदारो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्राप्त किया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 43 भागीदारो को डिप्लोमा दिया गया। इसके अतिरिक्त 30 भागीदारो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे कार्यकारी कार्यक्रम (ई० एम० आई० टी०) मे भाग लिया और 169 प्रत्याशियो ने निर्यात विपणन (साध्य) पाठ्यक्रमो मे भाग लिया। वर्ष 1993-94 के दौरान सस्थान ने कई अनुसधान कार्य पूरे किये, जिनमे शामिल है- पश्चिम यूरोप एव जापान मे प्रिय खाद्यो पर बाजार सर्वेक्षण, थाईलैण्ड, मलेशिया, सिगापुर और इण्डोनेशिया मे तकनीकी के अन्तरण पर भारतीय सयुक्त उद्यमो का अनुभव और निर्यात के लिए चुनिदा उत्पादो के प्रोफाइल ।"[1]

6- भारतीय निर्यात संगठन का संघ

देश मे विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन अभिकर्ता कार्यालय का शीर्ष समुदाय भारतीय निर्यात सगठन का संघ है, जिसे 1965 में बनाया गया तथा इसका पजीकृत कार्यालय दिल्ली मे है। विभिन्न

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृ० -42

सगठनो और सस्थाओ के द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन क्रियाकलापो के क्रमिक और परिशिष्ट कार्य किया जाता है जैसे-निर्यात सम्वर्द्धन समिति, वस्तु परिषद और अन्य विशिष्ट अभिकर्ता कार्यालय। यह प्राथमिक सेवा सगठन की तरह कार्य करता है और निर्यात घर को आशिक सहायता प्रदान करता है। देश मे निर्यात सम्वर्द्धन सघ केन्द्रीय अभिकर्ता कार्यालय का कार्य करता है। इसकी सदस्यता के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृति और निजी क्षेत्रीय बैक, निर्यात सम्वर्द्धन समिति के अलावा वस्तु परिषद और वाणिज्य एव उद्योग का कार्यालय आते है ।यह विदेशी बाजार मे निर्यात से सम्बन्धित सूचनाओ के खालीपन को व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल के द्वारा जोडता है। इस सघ के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है -

(i) निर्यात व्यापार के विकास को बढावा देना ।

(ii) निर्यात सम्वर्द्धन क्रियाकलापो का क्रमिक विकास करना ।

(iii) अध्ययन दल तथा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को बाहर भेजना और बाहर से प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित करना।

(iv) प्रचार करना और सगठित व्यापार मेले और प्रदर्शनियो मे भाग लेना।

(v) केन्द्रीय और राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रीय समुदायो को निर्यात व्यापार से सम्बन्धित सभी मामलो मे सलाह देना ।

(vi) निर्यातक और निर्यात सगठन के लाभ के लिये सामान्य सेवाये प्रदान करना और निर्यात सम्वर्द्धन के क्षेत्र मे साधारणतया कार्य करना ।

(vii) विदेशी व्यापार के विषय मे उत्पन्न विवाद के लिये सुविधाये प्रदान करना ।

(viii) व्यापार का कार्यालय खोलना, आकर्षण व्यावसायिक केन्द्र के प्रतिनिधि को नियुक्ति करना, भारत या विदेश मे अभिकर्ता से पत्राचार करना ।

(ix) नियमित पत्र प्रकाशन, सूचनाये और भाषण का प्रबन्ध करना, सवाद और वार्तालाप करना ।

(x) चदा देना, सदस्य होना, और किसी अन्य सगठन से सम्बन्ध बनाना ।

पूरे निर्यात समुदाय की आवश्यकताओ की योजना बनाना और सभी समुदाय के लिये बहुत

अच्छा बाजार प्रदान करना। सभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और बाजार सूचनाये इकट्ठा करना और इसके सदस्यो मे वितरित करने मे भी सहायता प्रदान करता है। बाहर विशिष्ट देशो मे व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को भेजना और विदेशी प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित करना। यह विकास और निर्यात घरो की आवश्यकता और सूचना सस्थाओ को प्रमुख सान्तवना प्रदान करता है, जो निर्यात व्यापार बढाने मे मुख्य भूमिका अदा करते है ।

7- भारतीय पैकेजिंग संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार सस्थान के सिफारिस पर 1966 मे भारतीय पैकेजिग सस्थान की स्थापना, पैकेजिग के स्तर के विकास के द्वारा निर्यात करने के लिये किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के पैकेजिग मे उपयोग किये गये सामग्री और उपाय ऐसे होने चाहिये कि निर्यात सामान का सुरक्षित स्थानान्तरण हो सके। पैकेजिग के स्तर मे कमियो के अस्तित्व और सुरक्षित स्थानान्तरण के लिये पैकेजिग के स्तर पर विचार करना। इस सस्थान के प्रमुख उद्देश्य निम्न है—

(i) पैकेजिग उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पर अनुसधान आरम्भ करना ।

(ii) पैकेजिग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सगठित करना ।

(iii) पैकेजिग के क्षेत्र मे निर्यात व्यापार विकास के साथ कदम रखना ।

(iv) अच्छे पैकेजिग की आवश्यकता के लिए उत्साहित करना ।

(v) निर्यात पैकेजिग के लिए सेवाओ को सगठित करना ।

"भारतीय पैकेजिग सस्थान ने भारत मे पैकेजिग मशीन उद्योग की सरचना का अध्ययन किया है। 1992-93 के दौरान पैकेजिग मे तीन महीने का प्रमाणपत्र कोर्स मे 17 विदेशी तथा 10 भारतीय द्वारा भाग लिया गया। वर्ष के दौरान 4 योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत मे विभिन्न स्थानो पर प्रस्तुत किये गये, जिसमे 110 लोगो ने हिस्सा लिया। सस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओ मे अप्रैल-नवम्बर 1992 के मध्य 4000 नमूनो का परीक्षण किया गया। देश मे पैकेजिग के अच्छे सम्वर्द्धन के लिए एक ईनाम चालू किया गया। 'पैकमशीन' नाम का यह ईनाम कला, पैकिग उद्योग के लिए मशीन उत्पादन मे दक्षता के लिए दिया जाता है ।"[1]

1 वार्षिक रिपोर्ट 1992-93, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृ० -40

भारतीय पैकेजिग सस्थान ने पैकेजिग के मानक मे, खासतौर से निर्यात के लिए उचित सुधार करने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष 1994-95 के दौरान इसने 20 विकास परियोजनाएँ पूरी की जिसमे प्रसस्कृत खाद्य उपाय, फूलो की छटाई, मास एव कुक्कुट उत्पाद, अफीम, प्लास्टिक प्रसस्करण मशीनरी और लघु उद्योग शामिल है ।

8- भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन संगठन

भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन (आई टी पी ओ) की स्थापना पूर्ववर्ती ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया और व्यापार विकास प्राधिकरण का विलय करने के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 1 जनवरी 1992 को की गई। यह भारत मे और विदेशो मे मेलो तथा प्रदर्शनियो, क्रेता-विक्रेता बैठको, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलो के आदान-प्रदान उत्पाद विकास कार्यक्रमो आदि का आयोजन करके व्यापार सम्वर्द्धन मे प्रमुख भूमिका निभाता है।

आई टी पी ओ का उद्देश्य लाभ कमाना नही है बल्कि भारतीय निर्यातको को विदेश के बाजारो मे प्रवेश करवाना इसका एकमात्र लक्ष्य है। आई टी पी ओ घरेलू मेलो का आयोजन अपने विशाल परिसर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में समय-समय पर तो करता ही है, इसके अतिरिक्त सभी विकसित एव विकासशील देशो मे भी यह समय -समय पर व्यापार मेलो, क्रेता-विक्रेता बैठको, सम्पर्क सम्वर्द्धन कार्यक्रमो एव सेमिनारो के सक्षम माध्यम से विदेशो को यह बताता है कि भारतीय सामान विदेश के आधुनिक सामानो के साथ प्रतिस्पर्धा मे तभी सक्षम हो सकता है, जब निर्यातक अपने उत्पादो की गुणवत्ता मे सुधार करे एव मूल्यो को प्रतिस्पर्धी बनाये। इसके अतिरिक्त आई टी पी ओ व्यापार के सम्वर्द्धन के लिये अनेक निजी सगठनो को प्रगति मैदान एक प्रदर्शनी केन्द्र के रूप मे किराये पर देता है, जिससे एक छत के नीचे सभी स्तरीय वस्तुवे एकत्रित होकर अपनी उपयोगिता प्रदर्शित करते है। आई टी पी ओ के पॉच विदेश स्थिति कार्यालय हैं एव अनेक क्षेत्रीय कार्यालय भारत के प्रमुख शहरों मे है। चूँकि निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह के सगठनो को सरकार और अधिक स्व-अर्जित बनाये एव

इनके कार्यो का और अधिक विस्तार करे ।

इडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन एक सेवा सगठन है और इसकी व्यापार उद्योग और सरकार के साथ घनिष्ठ और आवधिक पारस्परिक बातचीत होती रहती है। यह अपेक्षतया कम अभिज्ञात बाजारो मे प्रवेश करके, नई मदो के निर्यात को बढाने के लिए, मेलो मे भाग लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराके तथा सेवाए प्रदान करके और उन्नत व्यापार सेवाए एकत्र करके और उनके प्रसार के जरिए उद्योग को अपना योगदान देता है ।

1991-92 के दौरान पूर्व टी० एफ० ए० आई ने 38 बाहरी व्यापार मेलो और प्रदर्शनी मे भाग लिया। इनमे से 21सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेला, 15 विशिष्ट वस्तु मेला, 2 भारतीय प्रदर्शनी था। इन 38 कार्यक्रमो मे 5 अमेरिकी क्षेत्र मे है, 10 पश्चिमी यूरोप मे, 6 पूर्वी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया मे, 11 वाना क्षेत्र मे। इन मेलो पर भारतीय कम्पनी द्वारा सूचित किये गये तुरन्त व्यापार की मात्रा 435 46 करोड रुपया था और सौदे के अन्तर्गत 949 49 करोड रुपया था ।

1992-93 के लिए आई टी पी ओ के बजटीय कार्य मे 35 कार्यक्रम था। सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए 1992-93 मे मूल्य सुधार तथा स्व-वित्त आधार पर 8 और मेलो को सगठित करने का फैसला किया गया। अक्टूबर 1992 तक 27 मेले लगाये गये। इन मेलो पर किये गये व्यापार की मात्रा 279 93 करोड रुपये तथा सौदा 611 53 करोड रुपया रहा ।

भारतीय व्यापार सम्वर्द्धन सगठन (आई०टी०पी०ओ०) ने वर्ष 1994-95 के दौरान विदेशो मे 33 मेलो तथा प्रदर्शनियो का आयोजन किया। इन कुल 33 मेलो मे से 15 सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले, 13 विशेष वस्तु मेले और 4 अन्य भारतीय प्रदर्शनिया थी। इस वर्ष के दौरान आई० टी० पी० ओ० ने जौहन्सवर्ग (दक्षिण अफ्रीका) मे पहली बार सम्पूर्ण भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जिसमे 160 निगमित देशो ने भाग लिया। आई० टी० पी० ओ० ने तेल अविव (इजराइल) मे इटरनेशनल मार्डन लिविग प्रदर्शनी मे भागीदारी का आयोजन भी किया। क्रेता-विक्रेता बैठको, सम्पर्क सम्वर्द्धन कार्यक्रमो और विदेशी क्रेता शिष्टमण्डलो के दौरो का भी आयोजन किया गया। फरवरी 1995 मे यागोन, म्यामार मे एक अनन्य भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। "दिसम्बर, 1994 तक 26 मेलो मे भागीदारी की गई। भारतीय कम्पनियो द्वारा दी गई जानकारी

के अनुसार इन मेलो मे दिसम्बर, 1994 तक उन्होने 796 करोड रुपये का व्यापार अर्जित किया। इनमे 106 3 करोड रुपये के अनुमानित व्यय पर 214 करोड रुपये के दो पुष्टि आदेश भी शामिल है ।"[1]

9- निर्यात निरीक्षण समिति

भारतीय निर्माण और उत्पाद गुण के लगातार विकास के अनुरूप बाहरी आयातको को विश्वास प्रदान करना एव भारतीय निर्यातको के लिए भारत सरकार ने निर्यात (गुण नियन्त्रण और निरीक्षण) कानून 1963 लागू किया। इस कानून के अन्तर्गत भारत का निर्यात निरीक्षण समिति की स्थापना की गयी। समिति आवश्यक गुण नियन्त्रण को प्रकाशित करने के लिये कार्य करती है। विश्व बाजार के बदलती आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए नियमित आधार पर निर्यात किये जाते है। समिति निर्माण कर्ता को उनके उत्पाद के गुण स्तर बनाये रखने के लिये सभी वस्तुओ के गुण नियन्त्रण क्रिया के विस्तार का निश्चय किया है ।

दो विशेषज्ञ समिति का निर्माण हुआ है, एक प्रशासनिक से सम्बन्धित तथा दूसरी तकनीक मामलो से सम्बन्धित है। ये समितियॉ आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक और इडियन स्टैडर्ड इन्स्टीट्यूट के महानिदेशक के समिति को उनके सभापति की तरह सहायता करती है। यह समिति आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अन्तर्गत एक सगठन का निर्माण किया, जो देश मे गुण नियन्त्रण और जॉच- पडताल के जरूरी विस्तार के अन्तर्गत किसी वस्तु को लाने के लिये प्रमाणित करता है। समिति विभिन्न क्षेत्रो मे, अभियात्रिक, चमडा, जूट उत्पाद, मछली तथा मत्स्य उत्पाद, काजू और रसायन के लिये विशेषज्ञ समिति का निर्माण किया तथा सही प्रशासन, जरूरी गुण नियत्रण और जॉच पडताल योजनाओ को सलाह देने के लिये, निर्यात जॉच-पडताल अभिकर्ता कार्यालय का भी निर्माण किया।

नये निर्यातको को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, जॉच-पडताल समिति या अन्य अभिकर्ता कार्यालय सेविवर्गीय को बहुमूल्य क्रिया-कलाप प्रदान करते है। मद्रास के निर्यात जॉच-पडताल

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95 वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृ -41

अभिकर्ता कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र मे सुविधाये प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास के गुण नियन्त्रण और जॉच-पडताल निदेशक को निर्यात जॉच-पडताल अभिकर्ता कार्यालय के द्वारा निर्यात मे शामिल किये गये विभिन्न वस्तुओ पर अचानक जॉच के लिए मजबूत आधार प्रदान की गयी है।

39 निजी जॉच-पडताल कार्यालय के अन्तर्गत 10 सरकार द्वारा प्रमाणित अभिकर्ता कार्यालय के द्वारा इन के कार्यो को जोडा जाता है। वर्तमान मे, तीन प्रकार के जॉच पडताल नियम है जैसे - बाहर भेजे गये माल के जॉच-पडताल की प्रक्रिया, गुण नियन्त्रण विधि और स्व प्रमाणित योजनाये। गलत निर्यातको को कडी से कडी सजा देने के लिये कानून मे पुनः सशोधन किया गया है ।

10- **निर्यात साख और जमानत निगम**

जुलाई 1957 से 'निर्यात जोखिम और बीमा निगम' नाम के अन्तर्गत निर्यात साख और जमानत निगम शुरू किया गया। जनवरी 1964 मे निर्यात साख के क्षेत्र मे इसके क्रिया कलापो के विस्तार के उद्देश्य से निर्यात जोखिम और बीमा निगम को निर्यात साख और जमानत निगम मे बदल दिया गया। निगम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तर पर निर्यात व्यापार मे जोखिम उठाना है। निगम जहाज पर माल लादने से पूर्व और माल लादने के बाद उधार के लिये बैक जमानत सुविधा के द्वारा आवश्यक वित्तीय मदद प्राप्त करने मे निर्यातको को सहायता प्रदान करती है। इसके आरम्भ होने से निगम कई उधार प्रदान करने की योजनाये बनायी है। ये योजनाये निम्न है - पैकेजिग उधार, जमानत, जहाज पर माल लादने के बाद निर्यात उधार, निर्यात वित्तीय जमानत (जहाज पर माल लादने से पहले) और निर्यात क्रिया कलाप जमानत। यह निर्यातको को भुगतान न करने के विभिन्न योजनाओ द्वारा राजनीतिक और वाणिज्यिक जोखिम से बचाता है। निर्यात साख और जमानत निगम अपने सेवा क्षेत्र का और विस्तार किया है। निगम की नयी योजनाये निम्न है -

(1) भारतीय बैंक के द्वारा बाहरी योजनाओ के सम्पादन मे भारतीय ठेकेदारो को विदेशी मुद्रा उधार प्राप्त करने के लिए निर्यात वित्त (समुद्र पार उधार देने का कार्य) जमानत की योजना।

(ii) सेवा (विस्त्रित जोखिम) नीति ।

(iii) सेवा (राजनीतिक जोखिम) नीति और

(iv) विनिमय अस्थिरता नीति ।

निर्यात साख और जमानत निगम बिना किसी शका के अपनी विभिन्न योजनाओ के द्वारा निर्यातको और वाणिज्यिक बैको को फलदायक सेवाये प्रदान करती है। भारत के निर्यात मे इसकी भूमिका सचमुच महत्वपूर्ण है ।

11- **निर्यात- आयात बैंक**

भारत का आयात और निर्यात बैक 1 जनवरी 1982 को निर्यातको की समस्याओ के समाधान सुनिश्चित करने के लिये, पूँजीगत माल और निर्यात योजना को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिये, सयुक्त कार्य और निर्यात की तकनीक सेवाये, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक बैकिग, खरीदार साख का विस्तार और उच्च घरेलू एव समुद्र पार बाजारो के साख, निर्यात के क्षेत्र मे विकास और वित्तीय क्रियाकलापो के लिये ससाधनो को गति प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यह भारतीय सरकार द्वारा पूर्णतया स्वीकृति है। आयात और निर्यात बैक निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता के प्रबन्ध के लिये तथा वित्तीय मजबूती की आवश्यकता की पहचान के लिए है। विभिन्न क्षेत्रो मे निर्यात की उन्नति के लिए, सरल शर्तो पर उधार प्रदान करना चाहिए। आयात और निर्यात बैक, भारतीय उद्योग विकास के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त शाखा के क्रिया कलापो के द्वारा उधार देने का उत्तरदायित्व लेती है।

वर्तमान मे भारतीय निर्यात- आयात बैक कुछ उधार देने का कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अन्तर्गत उधार देने की व्यवस्था की गयी है। ये कार्यक्रम है -

(i) भारतीय निर्यातक

(ii) समुद्र पार निर्यातक

(iii) भारतीय बैक जैसी मध्यस्थता

(iv) उधार देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैक और विदेश सरकार और वित्तीय सस्थान

(v) कमी की पूर्ति करने वाले का साख

(vi) खरीददार साख

(vii) जहाज पर माल लादने से पूर्व वित्त

(viii) पुनः छूट व्यवस्था और

(ix) जमानत अनुग्रह

12- निर्यात सम्वर्द्धन समिति और वस्तु परिषद

देश मे कई निर्यात सम्वर्द्धन समिति और वस्तु सगठन की स्थापना हुई है। विशिष्ट वस्तु समुदाय के निर्यात के सम्वर्द्धन मे सहायता की दृष्टि से इस समिति का निर्माण हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रमुख है - निर्यात सम्वर्द्धन समिति और वस्तु परिषद

(अ) निर्यात सम्वर्द्धन समिति

विभिन्न उत्पादो को लेते हुए, 19 निर्यात सम्वर्द्धन समितियॉ है। 12 निर्यात सम्वर्द्धन समितियॉ वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत है और 7अग बुनाई मन्त्रालय के अन्तर्गत है। यह समिति अभियान्त्रिक माल, चमडा, निर्माणकर्ता, चमडे की वार्निश लगाना, खेलकूद समान, शुद्ध सिल्क, हथकरघा आधारित रसायन, काजू, समुद्रपार निर्माण योजना, रूई, वस्त्र, रेयान वस्त्र, ऊन और ऊनी गलीचे के निर्यात सम्वर्द्धन प्रभावो को देखता है। ये समितियॉ लाभ न बनाने वाली कम्पनियॉ है। ये निर्यात सम्वर्द्धन समितियॉ सरकार और निर्यातको के बीच एक आपसी जोड प्रदान करती है और निर्यात समुदाय के द्वारा सामना किये गये विभिन्न परेशानियो की सूचना सरकारी अधिकारियो को देने का कार्य करती है। सभी निर्यातक जो विशेष वस्तु उत्पाद के अन्तर्गत आते है, इस समिति के सदस्य बन सकते है। सदस्यो से समिति का चदा, फीस, सेवाये और विशेष निम्न चन्दा, फीस छोटे उद्योगो से लिया जाता है। समिति के सदस्य मताधिकार के द्वारा एक कार्य समिति का चुनाव करते है, और कार्य समिति सभापति और अन्य अधिकारियो का चयन करती है। उत्पाद के निर्यात से सम्बन्धित सभी नीति और समस्याये कार्य समिति के द्वारा हल की जाती है। तथा जरूरी कदम उठाये जाते है। सरकारी नीति के अनुसार समिति के अन्तर्गत केवल पजीकृत निर्यातक ही निर्यात के लिए सहायता की माग कर सकते है। समिति के मुख्य कार्य निम्न है -

(1) निर्यात की सुविधा के लिए निर्यात बाजार खोजना तथा वस्तु की पहचान करना ।

(ii) सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये निर्यात सहायता योजनाएँ को कार्यान्वित करने तथा व्याख्या करने मे निर्यातको की सहायता करना ।

(iii) पहचाने गये वस्तु पर बाजार निरीक्षण करना तथा बाजार गुप्तचर प्रदान करना ।

(iv) समुद्र पार क्षेत्रीय कार्यालयो के द्वारा प्रतिदिन बाजार स्थित की सूचना प्रदान करना तथा समिति के सदस्यो को सलाह देना ।

(v) भावी खरीददारो से सम्बन्ध स्थापित करना ताकि भारतीय उत्पाद मे उनकी उत्सुकता बढायी जा सके ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर सलाह देना ।

(vii) चुने हुए उत्पाद समूह को सगठित तथा प्रदर्शित करना ।

(viii) निर्यात उत्पाद के लिए और आयात किये गये कच्चे माल की पूर्ति के लिए स्वदेशी व्यवस्था करना ।

(ix) स्थानान्तरण समस्या को हल करने मे सदस्यो की सहायता करना ।

(x) निर्यात वित्त, बैकिग, बीमा और सयुक्त जोखिम पर सदस्यो को सलाह देना।

(xi) निर्यात सहायता प्राधिकरण के जल्द प्रदर्शन की व्यवस्था करना ।

(xii) चुने हुए उत्पादो के लिए भारत तथा विदेश मे ज्यादा प्रचार करना ।

(xiii) बाहर के बाजारो के व्यापार प्रतिनिधिमडल, एव अध्ययन दल को बुलाना ।

(xiv) विशेषीकृत व्यापार मेले तथा बाहर के प्रदर्शनियो मे भाग लेना ।

(xv) निर्यात माल के जहाज मे लादने से पूर्व निरीक्षण और गुण नियन्त्रण पर निर्यात निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।

समिति ने कुछ विदेशो मे कई समुद्र पार कार्यालय खोले है। समिति के कार्यक्रम देश की ठीक औद्योगिक छाया की योजना बनाना तथा अभियान्त्रिक माल के निर्यात प्रकाशन के लिए व्यवस्था करना है ।

(ब) वस्तु परिषद

भारतीय सरकार ने 9 वस्तु परिषद की स्थापना की है, जो वाणिज्य मत्रालय के प्रशासनिक

नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करते है। ये भारत के व्यापारिक उत्पाद की देख रेख करते है, जिनमे प्रमुख रूप से चाय, काफी, रबड, नारियल का जटा, तम्बाकू आते है। ये परिषद इन उद्योगो के रोपाई, उत्पाद बढाने, शोध और विकास तथा बाजारी जरूरतो के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह परिषद, उगाने वालो को अच्छे पारिश्रमिक देना, सहकारी जोखिम को बढावा देने मे तथा निर्यात बाजार वातावरण बनाने मे मुख्य कार्य तथा भूमिका अदा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यो के उत्पाद गुण का विकास, उनके लाभ और अच्छी कीमत मे सहायता प्रदान करना है। ये परिषद निम्नवत है -

(I) **काफी परिषदः** इस परिषद का निर्माण 1942 के काफी कानून के अन्तर्गत इसके निर्यात उद्योगो तथा सम्वर्द्धन के विकास के लिए किया गया। ज्यादा उत्पाद, बाजार और निर्यात सम्वर्द्धन और निकाय के द्वारा काफी उद्योग के विकास का कार्य परिषद को सौपा गया है। यह काफी के बारे मे सूचना इकट्ठा करती है ताकि निर्यात किया जा सके। यह केन्द्रीय अनुसधान सस्थान के द्वारा नमूनो को उपस्थित करता है, ताकि निर्यात मे सुविधा हो सके और बिना विभिन्न केन्द्रो पर पहुँचे ही नमूने प्राप्त हो सके। विदेशी व्यापार दैनिक समाचार पत्रो मे विशिष्ट प्रचार देता है। उत्पाद के निर्यात के सम्वर्द्धन के लिए यह व्यापार मेलो और प्रदर्शनियो मे भी भाग लेता है ।

(II) **चाय परिषदः** चाय उद्योग के विकास तथा इसके निर्यात सम्वर्द्धन के मुख्य उद्देश्यो के साथ 1955 के चाय कानून के अन्तर्गत भारतीय सरकार के द्वारा इस परिषद का निर्माण हुआ। चाय परिषद विभिन्न देशो के चाय समिति से लगातार सम्पर्क बनाये है जैसे कि यू० एस० ए०, कनाडा, जर्मन सघीय गणतन्त्र और आयरलैण्ड। विदेशी चाय आयातक कम्पनी, चाय पैकर्स और इसके विक्रेता की एक सूची परिषद बनाता है और चाय व्यापार के लाभ के लिए विदेशी बाजार से सम्बन्धित समाचार की भी सूची बनाता है ।

(III) **रबड परिषदः** रबड परिषद की स्थापना भारतीय सरकार के द्वारा 1954 मे रबड उद्योग के विकास के लिए किया गया। रबड उद्योग के सभी पहलुओ पर परिषद सरकार को सलाह देती है जैसे कि रबड नियन्त्रण पर विचार, बाजार प्राप्ति। परिषद का प्रमुख कार्य भारत मे रबड उद्योग का विकास करना है। रबड उगाने वालो के बीच के सगठन मे परिषद महत्वपूर्ण साबित हुई है।

इसमे एक रबड अनुसधान सस्थान भी है, जिसमें सभी औजारो से सुसज्जित प्रयोगशाला है ।

(iv) **इलायची परिषदः** भारत सरकार के द्वारा 1965 के इलायची कानून के अन्तर्गत इसकी स्थापना, केरल के एरनाकुलम मे उद्योगो के चौमुखी विकास के लिए किया गया। परिषद को सौपे गये विशिष्ट कार्यों के अन्तर्गत इलायची उगाने वालो के बीच सहकारिता, इलायची उगाने वालो के प्रतिफल की वापसी सुनिश्चित करना और उद्योग मे व्यस्त श्रमिक के लिए श्रम व्यवस्था का विकास करना, इलायची के रोपाई के विकास के लिए वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना, इलायची उगाने वाले क्षेत्र का विस्तार करना, इलायची के बिक्री और निर्यात पर नियन्त्रण करना, दाम का स्तर प्रभावित करना, इलायची परीक्षण मे प्रशिक्षण और उत्पाद के स्तर को बनाये रखना, भारत और विदेश मे इलायची के बाजार का विकास और तकनीकी, आर्थिक अनुसन्धान, वैज्ञानिकी मदद या बढावा प्रदान करना। मसाले के निर्यात, इलायची परिषद और मसाला निर्यात सम्वर्द्धन समिति, ये सभी 1986 मे मसाला परिषद के नाम से जाने जाने वाले नये सगठन मे मिल गये है।

(v) **तम्बाकू परिषद.** तम्बाकू परिषद की स्थापना 1976 मे भारतीय सरकार के द्वारा आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर मे किया गया। परिषद का कार्य अमेरिकी तम्बाकू के विकास और उत्पादन पर नियन्त्रण, भारत और विदेश दोनो मे अमेरिकी तम्बाकू बाजार पर निगाह रखना, तथा यह सुनिश्चित करना कि उगाने वाले सही दाम पा रहे है व दाम ज्यादा नही बढाया जा रहा है, विभिन्न रोपइयो को अच्छे दर्जे प्रदान करना, उपस्थित बाजार का विकास और नये बाजार खोजना, सहायता करना और आर्थिक अनुसधान एव तकनीक को बढावा देना ताकि उद्योग के निर्यात विकास मे चौमुखी प्रगति हो सके ।

(vi) **नारियल की जटा परिषदः** नारियल की जटा परिषद की स्थापना 1953 मे नारियल की जटा उद्योग कानून के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग के प्रगति के लिए किया गया। इसमे एक नारियल की जटा अनुसन्धान सस्थान त्रिवेन्द्रम मे है और वही पर राष्ट्रीय नारियल जटा प्रशिक्षण केन्द्र भी है। यह परिषद अनुसन्धान, निरीक्षण, नये नारियल के जटा की स्थापना का विकास और बुनाई के विशेषज्ञो को व्यस्त रखना और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

(vii) **केन्द्रीय रेशम परिषद.** इसकी स्थापना केन्द्रीय रेशम परिषद कानून के अन्तर्गत 1949 मे किया गया। यह परिषद कृषि उद्योग, वार्षिक योजना को प्रभावी बनाना और निर्यात उद्देश्य और उत्पाद की प्राप्ति, अनुसधान के सगठन, प्रशिक्षण, बीज उत्पाद और कच्चे रेशमी धागे के आयात और निर्यात के विकास का कार्य करती है। इसका मुख्यालय बम्बई मे है ।

(viii) **भारतीय शिल्प परिषदः** परिषद का मुख्यालय दिल्ली मे है। इसके विभिन्न क्रिया कलाप है जैसे चार कला केन्द्रो को चलाना जो बम्बई, कलकत्ता, बगलौर और नई दिल्ली मे है। यह राज्य सरकार को योजना बनाने और विकास योजना के सम्पादन मे सहायता प्रदान करती है। परिषद नये कलाओ का विकास करती है जिसमे व्यापार मेले और प्रदर्शनियो मे भाग लेना, चलचित्र का उत्पादन, सिली हुई छोटी पुस्तक और अन्य सम्वर्द्धन उपाय है ।

(ix) **भारतीय हथकरघा परिषदः** इस परिषद के अन्तर्गत दो हथकरघा तकनीक सस्थान है, पहला सेलम मे और दूसरा वाराणसी मे है। इसके अन्तर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम को सफलता से पूर्ण करने पर छात्रो को परिषद द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। परिषद के अन्तर्गत सात बुनाई केन्द्र जो बम्बई, इन्दौर, वाराणसी, कलकत्ता, मग्लूर, बग्लौर और मद्रास मे है। ये केन्द्र घरेलू और निर्यात बाजार के लिए कला के विकास की दृष्टि से कई अनुसन्धान कर रही है। ये छपायी, रगाई और बुनाई के क्षेत्र मे हथकरघा उद्योग को तकनीक सहायता प्रदान करती है और वित्तीय सहायताये भी प्रदान करती है तथा विदेश मे गोदामो के सगठन के द्वारा उद्योगो को सहायता देती है और जहाज पर माल लादने से पहले गुण नियन्त्रण निरीक्षण प्रदान करती है ।

13- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1970 मे समुद्री उत्पाद निर्यात सम्वर्द्धन समिति की स्थापना की, जिसने सितम्बर 1972 मे समुद्री उत्पाद के निर्यात विकास मे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करना शुरू किया। यह प्राधिकरण न्यायायिक नियम, सुरक्षा और नियन्त्रण के द्वारा उद्योग के स्वस्थ विकास मे सहायता सुनिश्चित करती है। प्रधिकरण के विशिष्ट कार्य निम्न है -

(i) मछली पकडने वाले का पजीकरण, क्रमिक यन्त्र स्वस्थ विकास के सम्वर्द्धन की दृष्टि से

निर्यात और समुद्री उत्पाद उद्योग से सम्बन्धित चीजो का भण्डारण करना ।

(ii) समुद्र के किनारे तथा गहरे समुद्र मे मछली पकडने का विकास, समुद्र के किनारे और गहरे समुद्र मत्स्य उद्योग का सरक्षण और प्रबन्ध करना ।

(iii) समुद्री उत्पाद के निर्यात का नियन्त्रण करना ।

(iv) उद्योग के लिये छोटी मात्रा मे आवश्यक कुछ जरूरी वस्तुओ का आयात और व्यापार पूछ-ताछ, निर्यात सम्वर्द्धन, बाजार गुप्तचर के सम्बन्ध मे अन्य तरह की सेवाये और सहायताये प्रदान करना ।

(v) वित्तीय और अन्य सहायताये प्रदान करना, सहायता कोष और अनुदान के विस्तार के लिये अभिकर्ता का कार्यालय की तरह कार्य करना, जैसा सरकार द्वारा सौपा गया है ।

(vi) मछली पकडने, और बाजार के विशिष्ट सन्दर्भ मे निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रो मे प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(vii) बाजार सम्वर्द्धन क्रियाकलाप, विभिन्न देशो के माग मे उत्पाद के प्रकार पर सूचना, विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता के लिये सहायता प्रदान करते हुए समुद्र पार समुद्री उत्पाद के बाजार का विकास करना।

(viii) ऐसे और उपाय जो निर्यात उद्योग मे प्रमुख है ।

वस्तु सगठन के अलावा भारतीय सरकार द्वारा निर्मित जूट (पेटुआ) समिति के कार्यालय के द्वारा जूट एव नारियल की जटा के निर्यात सम्वर्द्धन मे सरकार को सभी सम्भावित सहायता प्रदान किया जाता है। बुनाई आयुक्त जूट और नारियल की जटा के अलावा सभी बुनाई उद्योगो के विकास और नियन्त्रण से जुडा हुआ है। यह बुनाई मशीनरी उद्योग के विकास के लिए भी उत्तरदायी है ।

14- कृषि और उन्नति भोज्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

उन्नति भोज्य निर्यात सम्वर्द्धन समिति के स्थान पर 13 फरवरी 1986 को कृषि और उन्नति भोज्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निर्माण हुआ। इसके अन्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार, उद्योग और व्यापार अनुसन्धान सस्थान के मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रतिनिधि आते है।

प्राधिकरण का कार्य बागवानी उत्पाद, पशु उत्पाद, उन्नति भोज्य वस्तु, मिठाई उत्पाद और अन्य कृषि आधारित वस्तुओ के निर्यात का विकास करना है। गुण और पैकिग मे विकास के द्वारा कृषि उत्पाद के मूल्य को गतिमान करने मे सहायता करती है।

15- निर्यात के राज्य उपकरण

वर्तमान मे निर्यात का एक प्रमुख यन्त्र सार्वजनिक क्षेत्र मे सहकारिता है ।राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, और इनकी छोटी इकाइयॉ विशिष्ट क्षेत्रो मे नये बाजार और नये उत्पाद के विकास मे प्रभावी है। अतः ये देश के विनिमय आय को गति प्रदान करती है। राज्य व्यापार निगम और इसकी शाखाओ का मुख्य कार्य निम्न है ।

अ - भारत का राज्य व्यापार निगम

विदेशी व्यापार मे व्यापार के विस्तार की आवश्यकता आर्थिक योजना के साथ पहले ही पहचाना गया था। राज्य व्यापार सगठन की स्थापना अन्य देशो से व्यापार की बढती हुई सम्भावना से हुआ। इसलिए भारत सरकार द्वारा 1956 मे राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई। राज्य व्यापार निगम की भूमिका के अन्तर्गत, आर्थिक योजना से व्यापार का विकास, आयात और वस्तु वितरण और कच्चा माल, मूल्य सहायता आते है। निगम की भूमिका और क्रियाकलाप निम्न है -

(i) देश के केन्द्रीय योजना द्वारा व्यापार बढावा मे सामना किये गये परेशानियो को कम करना ।

(ii) लघु स्तर क्षेत्र के निर्यात बढाने और सगठित उत्पाद के लिए वित्त प्रदान करना ।

(iii) आयात मे मात्रात्मक नियन्त्रण बनाये रखने मे सहायता करना और वस्तुओ के दाम मे समानता बनाये रखना ।

(iv) कच्चे माल का उत्पादन करना और निर्यात के लिए नये क्षेत्र खोलना ।

(v) निर्यात बाजार मे अस्वस्थ प्रतियोगिता और मूल्यो मे कटौती की जॉच करना ।

(vi) अधिक वस्तु के उत्पाद, स्थानान्तरण और सुविधा के विकास का सगठन करना ।

(vii) क्षेत्रीय माग की पूर्ति के लिए जरूरी वस्तुओ का उचित दाम पर लगातार और पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करना ।

(viii) बढे हुए क्रय-विक्रय शक्ति के द्वारा अधिक दाम पर आयात और निर्यात पर प्रभाव डालना ।

(ix) व्यापार समझौते की व्यवस्था करना ।

(x) कृषि और वस्त्र उद्योग के उत्पादन को मूल्य और अन्य कारणो के द्वारा प्रभावित करना।

(xi) विदेशी अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत माल के आयात की व्यवस्था करना ।

(xii) सरकारी नीति के उपकरण के लिए साधन की तरह कार्य करना ।

आने वाली सदी के दावे की पूर्ति के लिए सरकार ने इसके क्रियाकलापो को और स्पष्ट किया है, सस्था के व्यावसायिक प्रबन्धक के द्वारा किये गये विशिष्ट अध्ययन का परिणाम ही इन क्रियाकलापो को स्पष्ट करता है। निगम के दोहराये गये क्रियाकलाप निम्न है -

(i) राज्य व्यापार निगम वास्तविक व्यापार के वास्तविक दाम लेती है। इसके अन्तर्गत खरीदना, बेचना, भण्डारण करना, इत्यादि आते हैं। वर्तमान मे निगम द्वारा प्रवेश किये गये रूढि ठेको मे ज्यादा जोखिम उठाना पडता है।

(ii) यह निर्यात के लिए नये उत्पाद और बाजार का विकास, सुविधाओ के विस्तार मे सहायता प्रदान करती है ।

(iii) यह अपने क्रियाओ को इस तरह सगठित करेगी कि वे राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक उद्‌देश्यो की प्राप्ति मे सहायता करे। जैसे मूल्य साम्य, रोजगार मे बढोत्तरी आदि।

(iv) इसको कार्य के आधार पर देश मे वस्तु व्यापार मे नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे मजबूत स्थिति मिलनी चाहिये ।

राज्य व्यापार निगम लघु और मध्य श्रेणी क्षेत्र के निर्यात को गतिमान करती है। अपने नये व्यूह रचना के एक भाग की तरह निगम ने विभिन्न निर्मित क्षेत्रो मे शत प्रतिशत खरीदारी व्यवस्था मे सयुक्त जोखिम से प्रवेश किया है। पश्चिमी यूरोप के देशो के साथ व्यापार के बढाने मे केन्द्रीय आर्थिक योजना से विकास कर रहे व्यापार के मुख्य कार्य की प्राप्ति होती है। राज्य व्यापार निगम के पूर्ण बिक्री ने 1956 के 9 करोड रूपये को 1974-75 मे 749 करोड रूपये, 1980-81 मे

लगभग 1,670 करोड रूपये और 1984-85 मे लगभग 2,800 करोड रुपये कर दिया ।

निगम घरेलू व्यापार भी करती है। किन्तु इसके विदेशी व्यापार की तुलना मे घरेलू व्यापार का घनत्व बहुत कम है। हमारे निर्यात मे पूर्वी यूरोपियन देश के हिस्से मे बढोत्तरी का अनुभव किया गया है। भारतीय निर्यात मे उनके हिस्से पहली योजना मे एक प्रतिशत से भी कम से तीसरी योजना के दौरान 15 प्रतिशत और छठी योजना के दौरान सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। 1984-85 के दौरान केन्द्रीय योजनागत देश के निर्यात मे बढोत्तरी महसूस की गयी लेकिन सम्बन्धित हिस्सा मे 17 प्रतिशत की गिरावट आ गयी ।

"राज्य व्यापार निगम लघु एव मध्य श्रेणी लोक उद्यम, के बीच निर्यात उत्पादन बढाने के लिये एक विशिष्ट भूमिका अदा करती है। वस्तुओ के आयात के निर्माण के द्वारा सरकार सही लाभ का प्रबन्ध करती है। इन नीतियो के द्वारा मिले लाभ की सहायता से सरकार एक नयी नीति कार्यक्रम चला रही है, जैसे- निर्यात सम्वर्द्धन। वस्तुओ के निर्यात मे जो बेचने मे कठिनाई महसूस होती है उससे वित्तीय घाटा सहना पडता है। सरकार के द्वारा बिक्री मे राज्य व्यापार निगम का मार्गदर्शन किया जाता है। बेचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओ का आयात जैसे कि सुपाडी, काली मिर्च, नारियल इत्यादि राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है। जब इन वस्तुओ का आयात निगम द्वारा किया जाता है तब इन वस्तुओ पर उपस्थित बडे लाभ का एक भाग निगम के पास होती है ।"[1]

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे बदलाव स्वीकार करने के लिये, राज्य व्यापार निगम जागृति हो गया है। निर्यात स्तर बनाये रखने के लिये मजबूत और अच्छे चीजो का निर्यात करना होगा। इसके द्वारा कई प्रगति कार्य किये गये है, आने वाले वर्ष के लिए दीर्घकालीन व्यूह रचना की जा रही है। आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ भारतीय उत्पाद के गुण के विकास लाने मे निगम उच्च महत्व प्रदान करता है। निगम बाजार अनुसन्धान, सूचना और बिक्री सम्वर्द्धन के उच्च महत्व से भी सम्बन्धित है। निम्न दाम पर घरेलू बाजार मे आयातित वस्तु के उपभोग की उपस्थिति मे राज्य व्यापार निगम का योगदान कम महत्व नही रखता ।

1 सार्वजनिक कार्य करने पर समिति। 40वॉ घोषणा (चौथा लोकसभा)

(ब) राज्य व्यापार निगम की शाखायें

(a) **भारत की परियोजना और सामग्री निगमः** राज्य व्यापार निगम के पूर्णतया स्वीकृति शाखा की तरह अप्रैल1971 मे इसको सयुक्त किया गया। इसका उद्देश्य अभियान्त्रिक सामग्री और विशिष्ट रेलवे सामग्री योजना के निर्यात की पूर्ति करना है। इस निगम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य निम्न है -

(ı) स्थापित बाजार मे अभियान्त्रिक और रेलवे सामग्री के निर्यात को बढावा देना।

(ıı) नये बाजार मे प्रवेश करना ।

(ııı) गैर परम्परागत और नये उत्पाद के निर्यात को बढावा देना और

(ıv) रेलवे प्रक्रिया, सार्वजनिक उपयोग और औद्योगिक यन्त्र के क्षेत्र मे परियोजना के निर्यात को बढावा देना ।

बाजार गुप्तचर के आधार पर अगले पॉच से दस वर्षो मे सीमेन्ट, चीनी और रसायन, अभियान्त्रिक और औद्योगिक वस्तुओ पर केन्द्रित रहने का निर्णय लिया है ।

(b) **शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम.** शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम की स्थापना 1962 मे राज्य व्यापार निगम के पूर्णतयः स्वीकृति शाखा के रूप मे किया गया, लेकिन यह वस्त्र मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आता है ।इसके दो प्रमुख कार्य है - निर्यात सम्वर्द्धन और व्यापार विकास। निगम का एक मुख्य कार्य बाहर भारतीय दस्तकारी का अच्छा प्रभाव बनाना है। शिल्प और हथकरघा के अन्तर्गत ऊन, ऊनी गलीचे और सिला-सिलाया वस्त्र के सम्बन्ध मे निगम इन उत्पादो के निर्यात के विकास बढाने मे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह विदेश मे उपभोक्ता के माग का भी अध्ययन करती है और भारत के दस्तकारी पर विशिष्ट महत्व के साथ नये उत्पादो के प्रवेश का भी अध्ययन करती है। यह सलाह के माध्यम से व्यापार की सहायता करती है और ऋण के रूप मे वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा बाहरी मेले व प्रदर्शिनियो मे भाग लेना ।

(c) **भारत का काजू निगमः** इस निगम का निर्माण 1970 मे राज्य सरकार निगम की पूर्णतयः स्वीकृति शाखा के रूप मे कच्चे काजू के अभिकर्ता कार्यालय के निर्माण के लिये किया गया। इस

निगम के मुख्य उद्देश्य निम्न है -

(1) कच्चे काजू के आयात के नये श्रोत की स्थापना ।

(11) काजू के बीज तत्व के निर्यात के लिये नये बाजार खोजना ।

(111) निर्यात उद्योग के लिये सही दाम पर आयातित कच्चे काजू की विघ्न रहित पूर्ति सुनिश्चित करना ।

निगम कच्चे काजू के लिये उदार आयात नीति से काजू के बीज के निर्यात को ज्यादा ध्यान दे रहा है ।

(d) **केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगमः** केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम जो एच० एच० ई० सी० की पूर्णतयः स्वीकृत शाखा है, 1976 मे प्रकाश मे आयी। निगम का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योग और शिल्प के उत्पाद का भारत और समुद्र पार देशो मे बिक्री करना और घरेलू उद्योग के विकास मे भी सहायता करना है ।

(e) **खनिज और धातु व्यापार निगम** खनिज और धातु व्यापार निगम की स्थापना 1963 मे भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना खनिज और धातु के निर्यात मे मुख्य भूमिका अदा करने के लिये किया गया है। ये देश मे निर्यात के विशिष्ट वस्तुओ के लिये अभिकर्ता कार्यालय का निर्माण कर रही है। निगम के मुख्य उद्देश्य और कार्य निम्न है -

(1) उत्पाद बढाने और खनिज कच्ची एव शुद्ध धातु के निर्यात के लिये नये बाजार खोजना और उनका विकास करना ।

(11) खनिज, कच्चे एव शुद्ध धातु, लोहे और उनके मिस्र धातु, अर्ध-निर्माण कर्ता के बाहर से आयात और भारत मे निर्यात को सगठित करना ।

(111) गोदाम का सम्पादन करना, खनिज, कच्चे एव शुद्ध धातु, लोहा और स्टील तथा उनके मिश्र धातु को भारत से बाहर भेजना ।

(1V) विशिष्ट व्यवस्था को प्रभावकारी करना जैसे - आयात और निर्यात से सम्बन्धित हेर फेर रोकना या कच्चे खनिज और शुद्ध धातु, लोहे और स्टील, उनके मिश्रधातु का वितरण और आन्तरिक व्यापार।

(v) किसी खान, खनन अधिकार और धातु को पट्टे पर लेना या तो प्राप्त करना ।

हाल ही के वर्षों मे निगम की भूमिका एक अभिकर्ता कार्यालय के निर्माण से रग-बिरगा हो गया है। हाल ही के वर्षो मे इसने कटे और पालिस किये हुए हीरो के निर्यात और आयात मे विकास किया है। 1984-85 मे निगम ने 2,750 करोड रूपये की पूर्ण बिक्री की जो पिछले साल से दुगुना है। 1985-86 के पूर्ण बिक्री मे निगम ने 20 प्रतिशत बढोत्तरी की आशा की थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये निगम ने एक रग-बिरगा कार्यक्रम चलाया। यह निर्यात के लिये पूर्ति आधार के विकास की तरफ कदम बढा रही है। यह विदेश के सयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओ मे भी भाग ले रही है ।

(f) **चाय व्यापार निगम:** चाय व्यापार निगम की स्थापना 1970 मे भारतीय सरकार के द्वारा राज्य व्यापार निगम की शाखा के रूप मे किया गया। इसके प्रमुख कार्य भारतीय चाय के लिये साम्य बाजार खोजना, घरेलू उपभोग चाय रियासत का प्रबन्ध, चाय का भण्डारण और अन्य व्यवस्थाओ की स्थापना जो चाय उद्योग के लिये लाभकारी है। चाय के खरीददारी मे भी यह सहायता करती है ।

16- विदेश में भारत का वाणिज्यिक प्रतिनिधि

सस्थागत व्यवस्था जो देश के अन्तर्गत विकास और मजबूती मे लगा हुआ है, वह विदेश में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान मे सस्थागत ढॉचे का यह भाग 65 व्यापार दूतकर्म और वाणिज्यिक विभाग समुद्र पार बाजार मे चला रहा है। प्रतिनिधि विदेशी देशो के साथ आर्थिक और व्यापारिक नीति के सूत्रीकरण से सरकार को सहायता प्रदान करती है। वे सरकार के ऑख और कान की तरह काम करते है। सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक शते और देश के विकास मे इनका अधिकार पत्र महत्वपूर्ण है। वे भारतीय व्यापार प्रतिनिधि को सुविधाये प्रदान करती है और निर्यातको को विदेशी देशो मे जाने मे सहायता करती है और अन्य देशो से आयातित माल के नमूने प्राप्त करने मे सहायता करती है जो भारत से निर्यात और निर्मित किया जाता है। ये व्यापारिक मेले और प्रदर्शिनियो के सगठन मे भी सहायता करती है ।

राज्य सरकार की भूमिका

निर्यात की पूर्ति प्रदान करने की दृष्टि से देश के निर्यात सम्वर्द्धन मे राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपने औद्योगिक निर्देशालयो द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन का निर्माण करती है। उनके विभिन्न राज्यो से उत्पादित वस्तुओ के निर्यात को सक्रिय करने के लिये कुछ सरकारो ने निर्यात सम्वर्द्धन परिषद और निर्यात समिति का निर्माण किया है। राज्य द्वारा लघु और मध्य स्तर के उद्योगो के निर्यात के सचालन के विकास और बढावे के कार्यक्रम के अलावा, अलग राज्य निर्यात समिति का निर्माण राज्य क्षेत्रीय अभिकर्ता कार्यालय की तरह किया गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे वाणिज्यिक क्रिया कलाप करती है। मुख्यमन्त्री या सम्बन्धित राज्यो के उद्योग मन्त्री के सभापतित्व के अन्तर्गत कुछ राज्यो मे निर्यात सम्वर्द्धन सलाहकारी समिति की स्थापना हुई है ।

विश्व व्यापार संगठन

व्यापार और तटकर की विश्वस्तर पर एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने के लिए सन् 1947 मे गैट व्यापार, तटकर और मुक्त व्यापार की सधि पर स्वीकृति हुई थी। गैट की परिधि बढती अर्थव्यवस्था के साथ विस्तृत होती गयी। सन् 1995 मे गैट के स्थान पर विश्व व्यापार सगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) की स्थापना हुई। दुनिया के स्तर पर विभिन्न देशो के बीच व्यापार मे अप्रत्याशित वृद्धि, उत्पादित वस्तुओ की बहुलता और जटिलता, अत्यन्त विकसित और जटिल प्रविधि, सचार क्राति के कारण सिमटते समय और दूरी के सन्दर्भ मे व्यापार तटकर, करो मे छूट और मुक्त तथा नियत्रित व्यापार के लिए दुनिया के स्तर पर सर्वमान्य नियमो का होना एक सभ्य ससार के लिए अनिवार्य है। इस कारण विश्व व्यापार जैसे सगठनो की उपादेयता से इकार नही किया जा सकता है।

"गैट के दिनो से ही अमरीका, कनाडा तथा यूरोपीय सघ के देश मुख्य रूप से पॉच बातो- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक को विकासशील देशो मे भी लागू करने, विदेशी पूँजी निवेश और व्यापार की शर्तो के पारस्परिक रिश्तो, विश्व स्तर पर खुली प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशो मे अपनी उत्पादित वस्तुओ और बाजार के सरक्षण के लिए उठाये गये कदमो की समाप्ति, बीमा के क्षेत्र मे विकासशील

देशो मे विकसित देशो की बीमा कम्पनियो के बिना रोक-टोक प्रवेश तथा सरकारी नीतियो की पारदर्शिता पर जोर देते रहे है। सिगापुर के विश्व व्यापार सगठन सम्मेलन मे भी ये विकसित देश इनको स्वीकृत कराना चाहते थे ।"[1]

विकासोन्मुख देशो के पास कच्चा माल और सस्ता श्रम है। इसी कारण पहले कोरिया, ताइवान, मैक्सिको, ब्राजील, हागकाग और सिगापुर मे विदेशी पूँजी निवेश विशाल पैमाने पर हुआ। उसके बाद इसकी शुरूआत चीन, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, मलयेशिया और इण्डोनेशिया मे हुई। अब इसकी शुरूआत भारत, पाकिस्तान, बाग्लादेश और अफ्रीका के कुछ देशो मे हुई है। इन देशो को अधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजी और टेक्नोलाजी की आवश्यकता है ।

भारतीय विदेश व्यापार सस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो० वी० रामचन्द्रैया के अनुसार "नये बाजार ढूढने मे यह सगठन ही हमारी मदद करेगा। 1995-96 मे 4,475 अरब डालर के कुल विश्व व्यापार मे भारत की भागीदारी केवल 0 65 प्रतिशत है ।पहले हमारी भागीदारी एक प्रतिशत तक हुआ करती थी लेकिन अब यह काफी घट गयी है। "[2]

विश्व व्यापार सगठन से तालमेल बैठाकर ही भारत अपने निर्यात को बढा सकता है। विकासशील देश होने के नाते अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन वहाँ से भागकर हम जायेगे कहाँ ? नयी तकनीक प्राप्त करने तथा अपने उत्पादन को विश्व बाजार मे खपाने के लिए जरूरी है कि भारत विश्व व्यापार सगठन के साथ जुडा रहे और यथासभव तालमेल बिठाने का प्रयास करे। सन् 2000 तक हमारा जो 100 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमे नौवी पचवर्षीय योजना मे 7 प्रतिशत की वृद्धि का दर प्राप्त करना होगा। हमे ऐसे निर्यात को बढावा देना होगा, जिसकी जरूरत उपभोक्ता समाज को है तथा उसी ढग से हमे नये बाजार भी ढूढने होगे। इसमे विश्व व्यापार सगठन ही हमारी मदद कर सकता है।

---

1 राष्ट्रीय सहारा,(हस्तक्षेप) लखनऊ,28 दिसम्बर 1996, पृ -3
2 राष्ट्रीय सहारा, (हस्तक्षेप)लखनऊ, 28 दिसम्बर 1996,पृ०-2

अध्याय - IV

निर्यात बढ़ाने के लिए व्यूह रचना के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय सहकारिता

निर्यात बढ़ाने के लिए व्यूह रचना के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय सहकारिता

क्षेत्रीय आर्थिक सहकारिता

क्षेत्रीय आर्थिक सहकारिता एक बहुआयामी सकल्पना होती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के समझौतो और सगठनो को शामिल किया जाता है। यह व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनो होता है। यह द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनो प्रकार का होता है। इसको अत्यन्त महत्वाकाक्षी सहयोग के लिए तथा अत्यन्त महत्वहीन सहयोग के लिये दोनो प्रकार से प्रयोग मे लाया जाता है ।

सोवियत सघ के विघटन के पश्चात और समाजवादी बाजार व्यवस्था के अत के बाद विश्व आर्थिक परिदृश्य मे बहुत बडा क्रातिकारी बदलाव आया है। प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को अपने नये सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। साथ-ही-साथ वे अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोडने का भी प्रयास कर रहे है। इसी के तहत पिछले कुछ वर्षो मे अनेक साझा बाजार अतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आये है। आज वर्तमान समय मे पूरे विश्व मे अब सैनिक शक्ति का स्थान आर्थिक सम्पन्नता लेती जा रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व की अगुवाई वही देश कर रहा है या भविष्य मे करेगा, जिसकी आर्थिक सम्पन्नता सुदृढ होगी। "वर्तमान परिस्थिति मे किसी भी देश मे आर्थिक मजबूती का विषय काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक आर्थिक बम हो गया है। इसीलिए यदि आज कोई देश आर्थिक रूप से विपन्न हेा गया है, तो उसको बरबाद करने के लिए किसी बम या हथियार की जरूरत नही रह गयी है, वह तो स्वय अपने से बरबाद है ।" [1]

आजकल विश्व मे काफी बैरियर टूट रहे है और विभिन्न देश अपने पूर्वाग्रह तोडकर आपस मे परस्पर आर्थिक सहयोग बढाने के लिये आगे की ओर बढ रहे है। आर्थिक लाभ की भावना और

1 क्रॉनिकल, मार्च 1996, क्रानिकल बुक्स (208) शिवलोक हाउस -1, करमपुरा कामर्शियल काम्प्लेक्स, नयी दिल्ली -15 पृ०- 10

गरीबी उन्मूलन सहित, लोगो के जीवन स्तर मे सुधार करने के दायित्व ने व्यापारिक गुटो और साझा बाजारो के गठन के लिए मजबूर कर दिया है। इन व्यापारिक गुटो ने कुछ हद तक क्षेत्रवाद को बढावा दिया है, लेकिन ऐसे गुट और समूह आज वर्तमान समय की जरूरत बन गये है। इस अवधारणा के तहत आयात को विभिन्न बदिशो एव शुल्को से मुक्त रखना तथा निर्यात को बढाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का आधार बिन्दु है, जिससे एक देश के सस्ते उत्पाद का लाभ दूसरे देश को मिलता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र मे विकसित देशो मे अपनी पहुँच बढाने के लिए भारत को अब गम्भीर समस्याओ का सामना करना पड रहा है। भारतीय उत्पादो को धीरे-धीरे विकसित देशो की ओर से गैर शुल्क व्यापार अवरोधो का सामना करना पड रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक कारण, सुरक्षा मानक, पर्यावरण मानक और पैकेजिग स्तर जैसे मुद्दे उठाये जा रहे है ।

आज वर्तमान माहौल मे हमे इन चुनौतियो का सामना करना ही पडेगा तथा भारत को सन् 2000 तक 100 अरब डालर निर्यात लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य को सामने रखकर ही अपनी व्यापार रणनीति तैयार करनी चाहिए। विशाल कुशल मानव शक्ति भारत की प्रमुख आर्थिक ताकत है। भारत के कुशल कर्मियो को विकसित देशो मे आने जाने से प्रतिबन्धित नही करना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियो का क्रियान्वयन करते समय हमे इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है ।

"विश्व व्यापार मे अधिकतम हिस्सा समेटने तथा एशिया पेसिफिक को-आपरेशन (एपेक) तथा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) जैसे अति शक्तिशाली व्यापार सगठनो के उभरने के साथ ही साथ यूरोपियन कम्युनिटी (ई० सी) तथा एशियाई गतिविधियो को ध्यान मे रखते हुए भारत को विश्व बाजारो मे अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये अपनी व्यापार रणनीतियों का गभीरता के साथ पुनरावलोकन करना चाहिये ।" [1]

सार्क क्षेत्र के देशो ने सार्क प्रिफरेन्शियल ट्रेडिग अरेजमेट (साप्टा की स्थापना) करके सदस्य

---

1 दैनिक जागरण, वाराणसी -30 अप्रैल,1996 पृ०-8

देशो के मध्य ही निर्यात को प्रेत्साहित करने के लिये कदम उठाये है। अन्य क्षेत्रीय व्यापार प्रकोष्ट भी तेजी से उभर रहे है। सार्क देशो को आपसी देशो के बीच आर्थिक सहयोग बढाकर अपनी जरूरते पूरी करनी चाहिये। भारत ने एशियन से बातचीत के द्वारा साझेदार का स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है, फिर भी हमारा लक्ष्य साप्ता है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर बढाने तथा जीवन स्तर ऊचा उठाने के लिये भारत को अगले दो दशको तक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7 से 8 प्रतिशत बनाये रखनी होगी। निम्न सभी प्रकार के सहयोग क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत आते है।

(i) मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसे-लैटिन अमेरिकी एकता सगठन

(ii) आर्थिक सघ जैसे-भविष्य का यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(iii) द्विपक्षीय व्यापार समझौता जैसे-अमेरिका कनाडा का स्वैप समझौता

(iv) तकनीक एव अन्य गैर व्यापारिक क्षेत्रीय सहयोग जैसे-सार्क, ओ० ई० सी० डी०

(v) बहुपक्षीय व्यापार समझौते जैसे-गैट

(vi) सीमा सघ जैसे-यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(vii) मौद्रिक समझौते जैसे-यूरोपीय भुगतान सघ

अन्य प्रकार के कई सहयोग, जो दो राष्ट्रो अथवा दो से अधिक राष्ट्रो के बीच आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत शामिल किया जाता है, जैसे सयुक्त निवेश कार्यक्रम आदि ।

क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप व्यापारिक समझौता होता है। इसका मुख्य कार्य व्यापार की मात्रा मे वृद्धि करना तथा मुक्त व्यापार विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिये सर्वश्रेष्ठ सहयोग प्रदान करना होता है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन लागतो के आधार पर होना चाहिये, राजनीतिक आधार पर नही ।

प्रत्येक राज्यो के बीच सौहार्द्र एव आपसी भाईचारा तथा विश्वास का अत्यन्त अभाव है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक क्षेत्रो मे आत्मनिर्भर होना चाहता है। कुछ क्षेत्रो मे तो वह आत्मनिर्भर नही हो सकता क्योकि प्रकृति ने उसे वह वस्तु प्रदान ही नही किया है, जैसे बहुत से देशो मे कोयला,

पेट्रोल आदि वस्तुये उपलब्ध नही है। इसलिये उस देश को विवश होकर इनका आयात करना पडता है। अन्य दूसरे क्षेत्रो मे आत्मनिर्भर होने के लिये उसे उपाय करने पडते है। कई देश ऐसे क्षेत्रो मे उद्योग लगाते है जिन्हे सदैव विदेशो से आयात करना पडता है। इनकी लागत अधिक होती है, विदेशी निर्भरता बढती है, जबकि इसी लागत को घटाने के लिये इन कारखानो को लगाया जाता है। आत्मनिर्भरता की यह कोशिश विदेशी व्यापार मे सबसे बडी बाधा होती है। इसीलिये कई राजनीतिक व सामाजिक कारण भी व्यापार को बढने से रोकते है। कई बार कोई देश किसी अन्य देश से दुश्मनी के कारण आयात नही करना चाहता, जिससे स्वतन्त्र व्यापार नहीं हो पाता है।परिणामस्वरूप साधनो का उचित बटवॉरा विश्व स्तर पर नही हो पाता है ।

कुछ वस्तुए प्राकृतिक देन होती है, जिनका उत्पादन दूसरी जगह सम्भव नही होता। पेट्रोल तथा इससे सम्बन्धित अन्य पदार्थ कुछ देशो मे मिलती है, कुछ देशो मे नही मिलती, जबकि कृषि योग्य भूमि प्रत्येक देशो मे हर स्थान पर उपलब्ध होती है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कृषि वस्तुये किसी खास स्थान पर ही उत्पादित की जा सकती है, जैसे - चाय, काजू, काफी, गर्म मसाले आदि। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति ने कुछ खास स्थानो को अधिकतम भण्डारो से पूरित किया है। अगर उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होता है तो निश्चित रूप से उत्पादन लागत कम होती है तथा उत्पादन अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप उपभोग एव सामाजिक कल्याण मे वृद्धि होती है। उदाहरणस्वरूप - लोहे और स्टील के उत्पादन के दो प्रमुख अवयव होते है - लौह खनिज और कोयला। दोनो काफी भारी होते है तथा इनकी परिवहन लागत बहुत अधिक होती है। इसलिये स्टील के कारखाने को उसी स्थान पर लगाना चाहिये, जहॉ इनमे से कम से कम एक साधन नजदीक ही उपलब्ध होता हो ।

भारत मे लौह खनिज बिहार मे मयूरगज जिले मे बहुत अधिक मात्रा मे प्राप्त होता है। कोयला बिहार, बगाल तथा उडीसा के सीमावर्ती क्षेत्रो पर अधिक मात्रा मे पाया जाता है, जैसे रानीगज, झरिया आदि। अगर स्टील मिलें इनके बीच मे लगायी जाती है और अन्य बाते समान रहती है जैसे - मशीन की गुणवत्ता, कारीगरो की कुशलता, कार्य स्थल की विशेषता आदि, तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादन लागत काफी कम आती है। इसी प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन का आधार

उसकी उत्पादन लागत होनी चाहिये ।

पूरे विश्व स्तर पर साधनो के उचित आवटन का आधार स्वतन्त्र व्यापार ही हो सकता है क्योकि प्रत्येक वस्तु यदि स्वतन्त्र रूप से देशो के बीच खरीदी व बेची जायेगी तो उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होना चाहिये जहॉ पर वह न्यूनतम लागतो पर उत्पादित हो। इस प्रकार विश्व मे उत्पादन मे वृद्धि होती है, उपभोग एव सामजिक कल्याण मे भी वृद्धि होती है। सम्पूर्ण विश्व छोटी भौगोलिक राजनीतिक सीमाओ मे बटा हुआ है, जिन्हे हम राज्य कहते है। प्रत्येक राज्य एक सप्रभु सस्था है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्वामी होता है ।

क्षेत्रीय आर्थिक सगठन के दो प्रमुख रूप होते है - मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सीमा सघ। दोनो मे कुछ देश मिलकर आपस मे मुक्त व्यापार करते है। इस सगठन मे शामिल देश सदस्य देश तथा अन्य देश गैर सदस्य देश होते है। सदस्य देश आपस मे व्यापार प्रतिबन्ध नही लगाते लेकिन गैर सदस्य देशो पर प्रतिबन्ध (सीमा सघ मे एक सा तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र मे अलग) लगाते है। जहॉ पर सदस्य देशो के बीच आपस मे व्यापार बढता है, वही पर गैर सदस्य देशो से कम होता है। सदस्य देशो से प्राथमिकता के आधार पर व्यापार किया जाता है। व्यापार सृजन प्रभाव धनात्मक तथा अपवर्जन प्रभाव ऋणात्मक होता है, यदि सृजन प्रभाव अपवर्जन प्रभाव से ज्यादा होता है तो उक्त सगठन लाभदायक होता है अन्यथा ये सगठन हानिकारक भी हो सकता है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र ऐसे देशो मे लाभदायक होता है जो एक दूसरे के पूरक होते हो अथवा विकास के असमान स्तर पर होता हो या औद्योगिक रूप से विकसित हो, ताकि प्रतियोगिता के कारण औद्योगिक और तकनीकी विकास बढ सके। आर्थिक शक्ति समान होने पर लाभो का वितरण उचित होता है। इसलिये यूरोपीय समुदाय सफल है लेकिन अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी और भारतीय उपमहाद्वीपीय सगठन सफल नही हो पा रहे है ।

व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभ है - बाजार का विस्तार। इस समय पूरा विश्व लगभग 200 छोटे-बडे देशो मे बटा हुआ है। कुछ देश अत्यन्त ही छोटे है, जहॉ पर आत्मनिर्भरता का प्रश्न ही नही है। माग की कमी के कारण उस देश मे बड़े प्रकार के उद्योग पनप ही नही पा रहे है। जापान जैसा विकसित राष्ट्र व्यापार के न होने पर आज विकसित नही हो पाता। जापान मे जितने

बडे उद्योग लगे है, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र मे, वे वहॉ पर पनप ही नही सकते थे, अगर जापान उन वस्तुओ का निर्यात न कर रहा होता क्योकि वहॉ पर मूलनिवासियो की सख्या अत्यन्त कम है, जिसके कारण बाजार सकुचित है और बाजार के अभाव मे किसी वस्तु के बनाये जाने का प्रश्न ही नही उठता है। जापान ने लोहे और स्टील के उद्योगो को विकसित किया है जबकि उसके यहॉ न तो लौह खनिज है, न ही कोयला। वह दोनो का ही भारत और इग्लैण्ड से आयात करता है। इसी प्रकार भारत मे पर्याप्त मात्रा मे तेल भण्डार न होने पर भी तेल शोधक कारखाने स्थापित है।

व्यापार के माध्यम से बाजार का विस्तार होता है। बडे पैमाने के उद्योग लगाये जाते है। श्रम विभाजन की सम्भावना बढती है। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागतो मे और कमी आती है। व्यापार कम लागतो का परिणाम ही नही, कारण भी है। इसके माध्यम से खोजे बढती है, नयी-नयी खोजो का प्रसार होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन उपभोग और सामाजिक कल्याण बढाने का सबसे अच्छा साधन होता है। इसके अभाव मे जीवन स्तर मे तथा उपभोग स्तर मे गिरावट आती है। व्यापार के विकास के लिये यह आवश्यक होता है कि इसको प्रतिबन्ध रहित होना चाहिए। जितना व्यापार प्रतिबन्धित होता है, उतनी ही व्यापार मे कमी आती है और मानव समुदाय के लिये उतना ही जीवन अधिक कठिन हो जाता है ।

आसियान के गैर विकसित राष्ट्रो के संगठन की सफलता और जापान आदि जैसे देशो की इसमे शामिल होने की इच्छा और हाल ही मे गठित किया गया उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र, इस बात का प्रतीक है कि भविष्य मे किसी देश को बिना किसी क्षेत्रीय गुट मे शामिल हुये व्यापार करना निश्चित रूप से अलाभकारी हो सकता है। सगठन की शक्ति, सौदेबाजी की क्षमता तथा व्यापार प्रसार शक्ति के कारण भविष्य मे क्षेत्रीय सगठन ही विश्व व्यापार मे अपनी भागादारी कायम रख सकते है। अन्य देश इनमे शामिल हो सकते है या विश्व व्यापार मे अपनी भागीदारी मे काफी कमी के शिकार हो सकते है। विश्व व्यापार मे भारत का गिरता हिस्सा इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मुक्त व्यापार विश्व स्तर पर कल्पनातीत है। मुक्त व्यापार के अभाव मे सम्पूर्ण मानव समुदाय को भारी लागत चुकानी पडती है। विश्व इतने धडो, प्रजातियो, राजनैतिक व्यवस्थाओ मे बट चुका

है कि मुक्त व्यापार की सम्भावना नही के बराबर है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर अगर मुक्त व्यापार दो देशो के बीच (द्विपक्षीय) अथवा कुछ देशो के बीच (क्षेत्रीय व्यापार सगठन) होता है तो व्यापार जनित लाभो का कुछ सीमा तक फायदा उठाया जा सकता है। विश्व स्तर पर व्यापार को मुक्त नही किया जा सकता तो एक सीमित क्षेत्र मे मुक्त व्यापार के लाभो को प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय मे शामिल देशो (छोटे-बडे) की सफलता निश्चित रूप से इस बात की द्योतक है। विश्व व्यापार मे इनकी बढती साझेदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन देशो का आपसी व्यापार बढा है ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्र मे मुक्त बाजार व्यवस्था या साझा बाजार स्थापित करने मे भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यूरोपीय सघ के इतिहास मे यूरोपीय भुगतान सघ एक मील का पत्थर है। यूरोप के कई देशो मे अधिक ससाधन नही होने के बावजूद इस तत्र के जरिये अपनी अर्थव्यवस्थाओ मे परिर्वतन ला सके है। एशियाई क्षेत्र मे भी कुछ देश ज्यादा विकसित और कुछ कम विकसित है। क्षेत्रो के बीच आपसी व्यापार के विस्तार के लिए वित्त एव निवेश का लगातार प्रवाह होने की आवश्यकता पडती है ।

"एशिया-प्रशात क्षेत्र के विभिन्न देशो की अर्थव्यवस्थाओ मे समानता नही है। सफल देशो ने वृहत आर्थिक नीतियो तथा कार्यक्षमता और उत्पादकता मे वृद्धि करके निर्यात मे वृद्धि की है। इससे बचत और निवेश की दरो मे बढोत्तरी हुई, सरकार एव व्यापार मे भागीदारी बढी तथा विकास प्रक्रिया तेज हुई है। भारत कई स्तरो पर व्यापार एव निवेश के प्रवाह को बढाने की कोशिश कर रहा है। यह द्विपक्षीय क्षेत्रो के बीच है। व्यापार ही अपने आप मे इस प्रक्रिया का उद्देश्य नही है। विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा मानव ससाधन विकास इसका उद्देश्य है और इनकी उपेक्षा नही की जानी चाहिये। व्यापार बढने से गरीबी और रोजगार जैसे विकास के सामाजिक पक्षो से निपटने के लिए विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। क्योकि ऐसा अपने आप नही हो पाता है ।" [1]

विश्व मे विभिन्न देशो के व्यापारिक व आर्थिक गुट काफी पहले से ही रहे है, लेकिन आजकल

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 31 मई, 1996, पृ०-7

कई क्षेत्रीय व्यापारिक गुट तेजी से उभरकर अस्तित्व मे आये है और अन्य गुटो के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। विभिन्न देशो के बीच ही नही, व्यापारिक गुटो मे भी प्रतिस्पर्द्धा की भावना तेजी से उभर रही है। इसी आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा की कोख से यूरोपीय सघ, नाफ्टा, कोमेसा, ओपेक, आसियान, सार्क, साप्टा आदि व्यापारिक एव आर्थिक गुट उभरकर सामने आये है ।

1- यूरोपीय आर्थिक समुदाय

सम्पूर्ण विश्व मे यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दोनो विश्वयुद्ध यूरोप की धरती पर लडे गये। इन दोनो विश्व युद्धो मे अधिकतम क्षति यूरोप को उठानी पडी लेकिन फिर भी आज यूरोप आर्थिक, राजनीतिक शक्ति के शिखर पर विद्यमान है। यूरोप मे राजनीतिक और आर्थिक एकता के अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए है। यूरोप का इतिहास भारी उथल-पुथल का इतिहास रहा है। फिर भी यूरोप का इतिहास जहॉ एक तरफ एकीकरण और शक्ति के प्रयासो से भरपूर है, वही पर दूसरी तरफ विघटन और शीत युद्ध भी यूरोपीय समुदाय के इतिहास का मुख्य आधार रहा है। 1928 मे ब्रा और फ्रासीसी राजनीतिक अर्थशास्त्री ज्या मोने ने सबसे पहले एकीकृत यूरोप का विचार सबके समक्ष रखा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 1946 मे विन्स्टन चर्चिल ने यूरोपीय एकता का आन्दोलन शुरू किया। 1947 मे पूर्वी यूरोप के एकीकरण की शुरूआत तब हुई, जब सोवियत सघ, हगरी, वल्गारिया, रूमानिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, फ्रास और इटली के साम्यवादी प्रतिनिधि वारसा मे इकट्ठे हुए और एक कामिन्फार्म खोलने का निश्चय किया ।

1948 मे पश्चिमी यूरोप के आर्थिक एकीकरण की दिशा मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब उस समय यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन की स्थापना की गयी। 1948 मे ही बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्जमबर्ग मे एक आर्थिक सगठन बनाया गया जिसको बेनेलक्स के नाम से जाना जाता है। यह पहला आर्थिक एव व्यापारिक समझौता रहा, जिसके अन्तर्गत एक दूसरे देश की वस्तुओ को मुक्त व्यापार के तहत आयात-निर्यात करने का फैसला किया गया तथा अन्य दूसरे देशो के लिए समान तटकर कार्यक्रम शुरू किया गया। 1949 मे पूर्वी यूरोपीय देशो के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की गयी। 1949 मे ही यूरोपीय परिषद

की स्थापना भी की गयी। 1950 मे ही यूरोपियन अदायगी सघ की स्थापना भी हुयी।

1958 मे क्षेत्रीय सहयोग के कई छोटे-मोटे प्रयास करने के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म हुआ। स्थापना के समय इसमे छः सदस्य थे - नीदरलैण्ड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रास, पश्चिमी जर्मनी तथा इटली, आर्थिक एव राजनीतिक कूटनीति के लिए इस सगठन का निर्माण किया गया। इस सस्था के माध्यम से 1962 मे एक साझा बाजार की स्थापना हुई। 1968 मे मुक्त व्यापार तथा समान व्यापारिक नीति को अपनाया गया। उस समय एक समान कृषि नीति की भी घोषणा की गयी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय सगठन के चार प्रमुख घटक होते है -

(अ) विकास आयोग

(ब) महासभा

(स) न्याय सभा

(द) विकास परिषद

वर्तमान समय मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय की विश्व व्यापार मे 21 8% भागीदारी है, जो सयुक्त राज्य अमेरिका (12 9%) तथा जापान (7 2%) के मुकाबले मे बहुत ज्यादा है। यूरोपीय समुदाय के देशो की प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग का स्तर काफी ऊँचा है। इस समय अधिकृत स्वर्ण भण्डार का 24% यूरोपीय समुदाय के पास है। इन सभी का सकल घरेलू उत्पाद 5,110 मिलियन डालर है जो अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद से बहुत थोडा ही कम है तथा शीघ्र ही इसकी अमेरिका से आगे निकल जाने की सभावना नजन आ रही है। ये सभी देश पूँजी प्रधान देश है तथा उद्योग और तकनीक दोनो क्षेत्रो मे काफी ज्यादा विकसित अवस्था मे है। तकनीकी विकास (खासकर मशीने तथा उपभोग) की दर भी यहॉ बहुत अधिक है। अर्धविकसित देशो का खासकर एशियाई और अफ्रीकी देशो के साथ बहुत ही निकट का सम्बन्ध है, क्योकि अधिकाश एशियाई व अफ्रीकी देश इनके उपनिवेश के रूप मे रह चुके है। आने वाले समय मे यह सगठन निश्चित रूप से एक बहुत बडी आर्थिक शक्ति के रूप मे उभर सकती है ।

1958 से 1965 तक विभिन्न कार्यक्रमो के पश्चात इस समुदाय का विश्व व्यापार और विश्व

अर्थव्यवस्था मे महत्व बढ रहा है। 1973 मे ब्रिटेन इस समुदाय का सदस्य बना तथा साथ मे आयरलैण्ड, डेनमार्क को भी इसकी सदस्यता प्रदान की गयी। 1981 मे यूनान ने इसकी सदस्यता ग्रहण किया। 1986 मे स्पेन तथा पुर्तगाल यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लिया। 1990 मे पूर्वी जर्मनी के पश्चिमी जर्मनी मे विलय हो जाने के बाद मे अपने आप पूर्वी जर्मनी इस समुदाय का सदस्य बन गया। आज वर्तमान समय मे यूरोपीयन समुदाय मे 12 राष्ट्र है। सोवियत सघ तथा पूर्वी यूरोप के विघनट के बाद यूरोपीय समुदाय ने पोलैण्ड, हगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा कुछ रूसी गणराज्यो को मुक्त व्यापार क्षेत्र मे शामिल होने का आमन्त्रण दिया है। लेकिन इन राष्ट्रो को यूरोपीय ससद मे शामिल होने की बात नही कही है ।

पिछले कुछ वर्षो मे यूरोप मे बडी मात्रा मे राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन हुआ है। जैसे-रूसी साम्राज्य का विघटन, जर्मनी का एकीकरण, युगोस्लाविया मे गृहयुद्ध, रूसी गणराज्यो मे शीतयुद्ध आदि। परिवर्तन का प्रभाव यूरोपीय सगठन पर अवश्य पडा है। 1991 मे मास्ट्रिश सम्मेलन मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के भविष्य को लेकर विचार किया गया तथा बारहो देश ने मिलकर मास्ट्रिश सधि पर हस्ताक्षर किये। इसको मास्ट्रिश सन्धि के नाम जाना जाता है। मास्ट्रिश सन्धि का मुख्य मुद्दा यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय आर्थिक सघ मे परिवर्तन करना रहा है।

वर्तमान समय मे यूरोपीय समुदाय एक सीमा सघ है, जबकि भविष्य मे इसके आर्थिक सघ बनाये जाने पर जोर दिया जा रहा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा सघ तथा आर्थिक सघ मे निम्न मुख्य अन्तर होता है -

मुक्त व्यापार क्षेत्रः आपस मे सदस्य देश मुक्त व्यापार, अन्य देशो से अपनी अलग-अलग व्यापार नीति के आधार पर व्यापार करते है।

सीमा सघः सदस्य देशो मे मुक्त व्यापार, गैर सदस्यो से समान व्यापारिक नीति पर सभी देश बराबर प्रशुल्क दरो अथवा छूटो का प्रयोग अन्य सभी देशो के लिए किया जाता है।

आर्थिक संघः सदस्य देशो की सभी आर्थिक नीतियॉ (औद्योगिक, मौद्रिक, व्यापारिक, तथा राजकोषीय) एक ही प्रकार की होती है और एक साथ बनायी जाती है। यह वही पर सम्भव होता

है, जहॉ पर राजनीतिक सप्रभुता किसी एक हाथ मे केन्द्रित होता हो, राजनीतिक व्यवस्था भले ही अलग-अलग इकाईयो पर होती हो जैसे रूसी गणराज्य मे रहा। आर्थिक सघ की परिकल्पना तभी सफल हो सकती है, जब किसी राष्ट्र के राजनयिक अपने नीतिनिर्धारक अधिकारो को किसी अन्य सस्था अथवा राष्ट्र के हाथ मे सौपने को तैयार हो जाते है। व्यवहार मे ऐसा होना प्रायः दुष्कर होता है लेकिन यूरोपीय समुदाय इसे साकार करने के लिये प्रयत्नशील है ।

एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जनवरी 1994 को मौद्रिक सस्थान की स्थापना की गयी, जो इन देशो की आर्थिक नीतियो मे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिये सुझाव देता है। ताकि धीरे-धीरे इन देशो की नीतियॉ एक प्रकार की हो जाये और पूर्ण सघ की स्थापना करते समय किसी देश को गम्भीर समस्याओ का सामना न करना पडे। शुरूआती दौर मे ऐसे सदस्यो को ही आर्थिक सघ का सदस्य बनाया जाना चाहिये जिस देश मे (अ) मुद्रा स्फीति की दर कम हो (ब) बजट तथा व्यापार घाटा दोनो कम हो। धीरे-धीरे अन्य देशो मे आर्थिक नीतियो मे परिवर्तन कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है ।

1997 तक यह मौद्रिक सस्थान एक पूर्णकालिक, सवैधानिक बैक बन जायेगा तथा बाद मे अपनी स्वतन्त्र मुद्रा को प्रचलित करेगा, जिसको प्रारम्भ मे यूरोपीय मुद्रा के नाम से जाना जायेगा। प्रत्येक देश मे यही मुद्रा चलेगी। सम्पूर्ण मौद्रिक नीति, साख नीति तथा वित्तीय नीति का नियन्त्रण व नियमन इसी बैक के हाथो मे रहेगा। यूरोपीय समुदाय के दस देश इस मुद्दे पर अपनी सहमति दे चुके है। डेनमार्क अपना राष्ट्रीय जनमत कराने के पश्चात इसमे शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। केवल ब्रिटेन इसमे शामिल हेाने मे सकोच कर रहा है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के सम्बन्धो के बीच यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत ने शुरू मे इस समुदाय की शक्ति के महत्व को नही समझा जिसकी वजह से भारत को उसके निकट जितना होना चाहिये था, उतना निकट नही आ पाया। 1958-59 मे इस समुदाय के बनने पर भारत ने इसे कोई महत्व नही दिया तथा भारत इस समुदाय को नाटो सन्धि का राजनीतिक व सामाजिक सगठन मानता रहा। जिस समय 1961 मे ब्रिटेन इस समुदाय की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के लिये प्रार्थना किया, उस समय भी भारत ने इसको इतना महत्व नही दिया। भारत

अपने पूँजीगत आयातो के लिए अन्य बाजार खोजता रहा। सौभाग्य से 1973 मे ब्रिटेन इस समुदाय का सदस्य बन गया, उस समय भारत भी इस समुदाय के निकट आया और भारत तथा यूरोपीय समुदाय मे व्यापार सम्बन्धी एक दीर्घकालीन समझौता हुआ जिसको भारतीय यूरोपीय आर्थिक समुदाय का व्यापारिक सहयोग समझौता कहा जाता है। यह समझौता दो मुख्य उद्‌देश्यो के लिए किया गया।

(अ) व्यापार विस्तार

(ब) उत्पादन वैविध्यीकरण

इस समझौते के अन्तर्गत भारत से यूरोपीय समुदाय के व्यापार को एक नयी दिशा प्रदान करने के लिए विचार किया गया। यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो से किया गया पहला व्यापार समझौता था। इसी के आधार पर अन्य देश जैसे-पकिस्तान, लका आदि से यूरोपीय समुदाय ने समझौते किये। इस समझौते से भारत को बहुत ज्यादा आशाये थी लेकिन कुछ कारणो से प्रारम्भ के वर्षो मे भारत को इस समझौते से जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना मिला नही। 1974 मे भारत सरकार ने आपात की घोषणा कर दिया, जिसमे मानव अधिकारो का हनन हुआ और विश्व मे भारत की प्रतिष्ठा गिर गयी। पेट्रोल का दाम बढ जाने से भारत के पेट्रोल का आयात बढ गया तथा यूरोपीय समुदाय से पूँजी व उद्योग का आयात न बढ सका। ऐसे तमाम और कई कारण थे जिसकी वजह से भारत को तात्कालिक लाभ नही मिल पाया ।

आर्थिक नीतियो के अतिरिक्त यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब अन्य क्षेत्रो मे भी एकीकरण पर जोर दे रहा है ।मास्ट्रिश सन्धि मे जो अन्य एकीकरण के उपाय सुझाये गये है, वे निम्नलिखित है ।

(अ) **यूरोपीय ससद.** समस्त देशो को मिलाकर 518 सदस्यो वाली एक ससद होनी चाहिये। इस ससद को राष्ट्र के प्रतिनिधियो के सहयोग से यूरोपीय सघ के नीति निर्धारण का कार्य करना चाहिये। अभी तक ब्रिटेन व डेनमार्क इस सुझाव का विरोध कर रहे है ।

(ब) **सामाजिक नीतियॉः** यूरोपीय सघ हर देश के नागरिको को एक तरह की सुविधाये उपलब्ध कराने, अमीर-गरीब की दूरी को कम करने, एक प्रकार की यूरोपीय नागरिकता, न्यूनतम आय

सम्बन्धी कानूनो को बनाने आदि की व्यवस्था करने के लिए एक सघ की स्थापना करना चाहता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यूरोप एक देश हो सकता है और सभी राष्ट्र इसके प्रान्त। यह सघीय ढॉचा एक तरह से अमेरिकी सघीय ढाचे के रूप मे हो सकता है ।

(स) **राजनीतिक सघः** यूरोपीय सघ आर्थिक ही नही, राजनीतिक क्षेत्र मे भी सभी देशो को मिलाकर कार्य करने की ओर अग्रसर करने के लिए एक राजनीतिक सघ क्री स्थापना करना चाहता है, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक सुरक्षा आदि सभी पर एक ही कानून बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(द) **प्रतिरक्षा एव विदेशी नीतिः** इन सभी राष्ट्रो के विदेशो से व्यापारिक ही नही, गैर व्यापारिक (राजनीतिक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी) सम्बन्ध भी एक ही तरह से होना चाहिये, जिसमे सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हो, (अभी आधे राष्ट्र इस बात से सहमत नही है) तथा इन सभी देशो की सुरक्षा के लिए पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिये। नाटो सन्धि पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ के साथ-साथ चलनी चाहिये या नाटो को ही पूर्ण सुरक्षा का दायित्व सौपे दिया जाय। ब्रिटेन, इटली, हालैण्ड और पुर्तगाल नाटो को चलाने के पक्ष मे है तथा बाकी सभी देश पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा सघ को पुनर्जीवित करना चाहते है। अगर ये सुझाव लागू हो जाती है तो यूरोप मे आन्तरिक सीमाये समाप्त हो जायेगी ।

यूरोपीय समुदाय मे कुछ नीतिगत परिवर्तन किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत को अधिक सुविधाये प्राप्त नही हो पायी। यूरोपीय समुदाय ने 1975 मे अफ्रीकी देशो को सर्वप्रिय राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को मिलने वाली प्राथमिकताये लगभग समाप्त हो गयी है। 1975 मे लोम अधिवेशन होने पर इसके अन्तर्गत जो निर्णय लिये गये थे, उन सभी का अर्धविकसित देशो पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। साठ के दशक मे भारत को यूरोपीय समुदाय की शक्ति न पहचान पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पडा, वही पर दूसरी तरफ सत्तर के दशक मे परिस्थितिजन्य कारणो से भारत को अपेक्षित लाभ नही मिल सका। भारत साम्यवादी-समाजवादी घटको के ज्यादा करीब रहा और भारत की नीतियॉ काफी प्रतिबन्धित नीतियॉ रही, इसलिए भारत को यूरोपीय समुदाय से अधिक लाभ की आशा करना व्यर्थ है ।

1980 के आरम्भिक काल के दौरान मे भारत ने उदारवादी नीतियो को अपनाया तथा 1980 से 1989 तक भारत सरकार ने काफी मात्रा मे नीतिगत परिवर्तन किया। 1989-90 के दौरान बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल रही। 1991 मे पुनः भारत सरकार ने उन उठाये गये कदमो को ज्यादा मजबूती के साथ प्रारम्भ किया। इस समय भारत काफी हद तक बाजारी शक्तियो पर आधारित आर्थिक नीतियो मे विश्वास करता है। नकारात्मक सूची मृतप्राय अवस्था मे पहुँच चुका है और रूपया पूर्ण परिवर्तनीय हो गया है। तटकर की दरो मे गिरावट आयी है। विदेशी पूँजी तथा निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा निर्यात छूटो मे गिरावट आयी है और चैनलबद्ध आयात-निर्यात घट गया है। निजीकरण व उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र मे स्पष्ट रूप स दिखायी पड रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमे काफी बडी सख्या मे भारत मे आ रही है। जिसके परिणामस्परूप भारत तथा यूरोपीय समुदाय के सम्बन्धो मे कोई अडचन प्रतीत नही होती है।

1981 मे भारत व यूरोपीय समुदाय के बीच मे एक नया व्यापार समझौता हुआ, जिसको व्यापारिक एव आर्थिक सहयोग समझौता कहा जाता है। 1982 मे यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत के अन्दर एक वाणिज्यिक कार्यालय खोला है। भारत के अत्यधिक अनुरोध करने पर 1987 मे यूरोपीय समुदाय भारत के साथ औद्योगिक सहकारिता के विकास करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा। जिसके अन्तर्गत दोनो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रो मे आपस मे मिल-जुलकर कार्य करने के लिए एक सस्थागत कार्य क्षेत्र का निर्माण किया। छः निम्नलिखित क्षेत्रो मे इस प्रकार का सहयोग क्षेत्र स्थापित हो चुका है ।

(i) तकनीकी सूचना केन्द्र

(ii) टेलीकम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रानिक्स सूचना केन्द्र

(iii) ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र नागपुर (दिल्ली मे भी एक शाखा है)

(iv) वाणिज्यिक सूचना केन्द्र

(v) गुणवत्ता नियमन व नियन्त्रण केन्द्र

(vi) वाणिज्यिक प्रबन्ध शैक्षिक केन्द्र

उपर्युक्त सभी सस्थाओ को भारत मे औद्योगिक विकास की गति व गुणवत्ता नियन्त्रण के विशिष्ट

दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर स्थापित किया गया है। इसके बावजूद भारत से यूरोपीय समुदाय का व्यापार अपेक्षित मात्रा व लक्ष्य तक नही पहुँच पाया है। 1992-93 मे भारत से यूरोपीय समुदाय को कुल निर्यात 32,351 करोड रूपये का हुआ था जो सकल निर्यात का 60 3% है और कुल आयात 35,147 करोड रूपये का हुआ जो सकल आयातो का 55 3% है। इस क्षेत्र मे भारत के निर्यात वृद्धि की अनन्त सम्भावनाये मौजूद है ।

2- **सार्क**

दक्षिण पूर्व एशियाई देशो का सगठन आसियान जब अस्सी के दशक के दौरान सफलता की ओर अग्रसर होने लगा, तब एशिया के देशो मे भी इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि अगर एशिया के सभी देश सगठित होकर विश्व के आर्थिक समुदाय मे उभर जाये तो उनका महत्व और लाभ दोनो बढ सकता है। इस क्षेत्र के मुख्य देश भारत, पाकिस्तान और बाग्लादेश 50 वर्ष पूर्व एक ही देश के अभिन्न अग रहे है। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से ही नही, सामाजिक, सास्कृतिक और आर्थिक रूप से भी आपस मे बहुत करीब है। नेपाल, भूटान, श्रीलका आदि इन देशो की भौगोलिक व सास्कृतिक सीमाये एक ही है और प्राचीन विशाल भारत से इनका सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ट रहा है। एक देश से दूसरे देशो के बीच नागरिको का आवागमन उसी प्रकार रहता है जैसे-एक राष्ट्र के प्रान्तो मे होता है। नेपाल को छोडकर सभी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके है। (नेपाल सदैव सप्रभु स्वतत्र देश रहा है ।)

ब्रिटेन की इन सभी क्षेत्रो के लिए एक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक नीतियॉ रही है। अर्द्धविकसित देश होने के बावजूद भारत औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से काफी विकसित है। ये सभी क्षेत्र एक प्रकार से सगठित क्षेत्र है और आर्थिक दृष्टि से पूरक भी है, फिर भी यहॉ क्षेत्रीय सहकारिता के लिए अनन्त सभावनाये मौजूद है। इन सभी राष्ट्रो मे आर्थिक व तकनीकी भिन्नता भी काफी मात्रा मे है ।

विश्व की आबादी का चौथायी (23 2%) भाग इस क्षेत्र मे निवास करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र एक बहुत बडा बाजार है। खनिज व कृषि क्षेत्र की दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जूट और चाय के क्षेत्र मे विश्व निर्यात मे इस क्षेत्र का हिस्सा 97% और 91% है। क्षेत्रफल की

दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के 3 3% भू-भाग पर स्थित है ।जनसख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से यहॉ पर विश्व के औसत की दुगुनी जनसख्या निवास करती है। इन देशो मे प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी नीचे है तथा यहॉ पर जनसख्या वृद्धि दर अफ्रीकी देशो के मुकाबले कम है ।

आर्थिक विकास की अनन्त सभावनाये इस क्षेत्र मे मौजूद है। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए बाग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने अगस्त 1991 मे एक क्षेत्रीय गुट के गठन का प्रस्ताव किया। अन्य देशो से सहमति प्राप्त हो जाने के बाद अगस्त 1983 मे जियाउर रहमान ने एक राजनीतिक सगठन के रूप मे 'सार्क' के गठन की शुरूआत की जिसमे इन देशो के ढॉचागत आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक विकास के बारे मे विचार किया गया। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर० वेकटरामन ने एक पत्र के माध्यम से इस सगठन के गठन का स्वागत किया। बहुत सारे व्यवधानो को समाप्त करने के पश्चात 1983 मे निम्न क्षेत्रा मे सहयोग के लिए सात देश (भारत, पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल, भूटान और मालदीव) सहमत हुये, जिसके परिणामस्वरूप सार्क का गठन हुआ। ये सभी देश कुछ क्षेत्रो मे आपसी सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुए।

(i) प्रशिक्षण कार्यक्रमो तथा सेमिनारो का आयोजन

(ii) शोध तथा वैज्ञानिक अनुसधान मे सहयोग

(iii) तकनीकी अध्ययन हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशालाओ का निर्माण

(iv) विशेषज्ञो का आवागमन

(v) सास्कृतिक उत्सवो मे एक दूसरे देश के नागरिको को आवागमन की छूट

(vi) अन्य वे क्षेत्र जिनमे सहयोग की पारस्परिक सहमति प्राप्त हो ।

इसके बाद इन सभी देशो ने आपसी सहयोग को बढाने और पारस्परिक सम्बन्धो को और अधिक मजबूत करने का इरादा बनाया। बाग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति ने ढाका मे 7-8 दिसम्बर 1985 को सातो देशो के राष्ट्राध्यक्षो का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सभा मे 'सार्क' का गठन किया गया है। जिसका अपना घोषणा-पत्र है, सगठन है, उद्‌देश्य है, अनुच्छेद है ।

<u>संगठन</u>

इस सगठन का क्रियाकलाप देखने के लिए कई अलग-अलग प्रकार की सस्थाये तथा व्यक्ति

जिम्मेदार होते है। सभी राष्ट्राध्यक्षो को मिलाकर एक शीर्ष सभा होती है। शीर्षसभा इन सभी सस्थाओ तथा व्यक्तियो के क्रियाकलाप की उत्तरदायी होती है। बारी-बारी से प्रत्येक देश में इस सभा की बैठक बुलायी जाती है। जिस देश मे यह सभा बुलायी जाती है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष ही सार्क का अध्यक्ष होता है। शीर्ष सभा मे राष्ट्राध्यक्ष को स्वय उपस्थित होना पडता है। वह अपने किसी प्रतिनिधि को नही भेज सकता। शीर्ष सभा ही सामान्य व नीतिगत निर्णयो के लेने के लिए अधिकारिणी होती है। सार्क समझौते के अनुसार इस बैठक को प्रति वर्ष बुलायी जानी चाहिये। 5 वॉ सम्मेलन दो वर्षो के बाद बुलाया गया था। चार्टर के अनुसार किसी भी शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति मे यह सभा स्थगित कर दी जाती है लेकिन एक बार केवल बाग्लादेश, मारीशस, लका तथा पाकिस्तान के शासनाध्यक्षो की उपस्थित मे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योकि भूटान नरेश किसी कारण से इस सम्मेलन मे उपस्थित नही हो सके तथा भारत ने सोचा कि अब यह शिखर सम्मेलन स्वतः स्थगित हो जायेगा (चार्टर के अनुसार), इसलिए भारत भी सम्मेलन मे नही गया। तत्कालीन अध्यक्ष गयूम ने इस सम्मेलन को स्थागित न करके सार्क की प्रतिष्ठा को कायम रखी है ।

उद्देश्य

1985 मे गठित किया गया सार्क के अनुच्छेद प्रथम मे इसके निम्न लिखित उद्देश्य है -

(i) दक्षिण एशिया के निवासियो के जीवन स्तर मे सुधार करना ।

(ii) दक्षिण एशिया के देशो मे सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना ।

(iii) इस क्षेत्र मे आर्थिक, सामाजिक प्रगति की दर तीव्र करना व सास्कृतिक विरासत कायम रखना ।

(iv) आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र मे सक्रिय सहयोग को बढावा देना ।

(v) इस क्षेत्र के निवासियो मे सद्भाव, आपसी विश्वास व एक दूसरे की सहायता का भाव विकसित करना ।

(vi) अन्य विकासशील देशो से सद्भावपूर्ण मैत्री सम्बन्ध विकसित करना ।

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ पर और संगठनो मे एक दूसरे का सहयोग करना ।

(viii) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सगठनो, जो इसी प्रकार के उद्देश्यो के लिये विकसित किये गये है, का सहयोग करना ।

सिद्धान्त

चार्टर के अनुच्छेद दो के अनुसार सार्क के सिद्धान्त -

(i) सार्क के देशो मे सहयोग का आधार-सप्रभुता की रक्षा करना, समता, भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रता और एक दूसरे देश के मामले मे हस्तक्षेप न करना ।

(ii) वर्तमान समझौता किसी देश के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के साथ असगत होने पर त्याज्य होना ।

(iii) वर्तमान समझौता किसी और बहुपक्षीय समझौते का स्थानापन्न नही है। यदि कोई समझौता पहले हो चुका है तो यह समझौता उसके अतिरिक्त तथा पूरक होगा ।

सचिवालय

सार्क का मुख्य सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमाडू मे स्थिति है। विभिन्न देशो के अन्दर अलग-अलग सचिवालय कार्य करते है। लेकिन इनके समन्वय का कार्य केन्द्रीय सचिवालय का होता है। सार्क द्वारा विभिन्न क्षेत्रो मे विभिन्न इकाईया स्थापित की गयी है, जिनका व्यय, तकनीकी रख-रखाव व प्रबन्ध मिल-जुल कर किया जाता है। सचिवालय मे सभी प्रकार के सार्क कार्यक्रमो का लेखा-जोखा रखा जाता है। शुरूआत मे सार्क ने केवल नै क्षेत्रो मे ही सहयोग के लिए अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया।

अभी तक (सार्क) दक्षेस के सात सम्मेलन हो चुके है। 12-13 दिसम्बर 1992 को सातवॉ सम्मेलन रहा, लेकिन भारत के शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति के क्रारण उसको स्थगित कर दिया गया। 10-11 अप्रैल 1993 को पुनः इसका आयोजन ढाका मे किया गया, जिसकी अध्यक्षता बांग्लादेश की राष्ट्रपति बेगम खालिदा जिया ने की। इस सम्मेलन और इसके पूर्व के सम्मेलनो मे निम्न विषयो पर आम सहमति बनी और निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये ।

ऊर्जा के साधनों का विकास

ऊर्जा के साधनो का विकास दक्षेस देशो की सहकारिता का एक महत्वपूर्ण अग होता है। इन

सभी क्षेत्रो मे विद्युत ऊर्जा की बहुत सम्भावनाये है फिर भी पेट्रोल इन सभी देशो के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। इन सभी देशो मे ऊर्जा का सकट उनके विकास के लिए सबसे बडी समस्या है। दक्षेस देशो ने इसके सम्बन्ध मे कई कार्य समितियॉ गठित की है। 1985 मे सबसे पहले पाकिस्तान मे ऊर्जा के पुनर्नवीकरण वाले स्रोतो के सन्दर्भ मे विशेषज्ञो की एक कार्य समिति का आयोजन किया। इसके लिए दो केन्द्र (पहला-नई दिल्ली 1986 तथा दूसरा - इस्लामाबाद 1986 मे) खोला गया। सौर ऊर्जा और वायोगैस के विकास के लिए पुनः एक विशेषज्ञ दल 1985 मे दिल्ली मे गठित किया गया ।

दिल्ली मे इसके लिए एक केन्द्र की स्थापना किया गया है। 1985 मे ऊर्जा सरक्षण पर विशेषज्ञो के एक दल की बैठक पुणे मे बुलायी गयी तथा प्रत्येक देश मे ऊर्जा सरक्षण के लिए कुछ केन्द्रो की स्थापना की गयी। प्रति वर्ष एक बैठक बुलाये जाने पर विचार किया गया लेकिन इस विषय पर कोई सर्वमान्य निश्चित निर्णय नही लिया जा सका है ।

प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण

दक्षेस देशो के अन्दर जनसख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण तथा आवास सम्बन्धी काफी सम्भावनाये उत्पन्न हो गयी है। इसी को ध्यान मे रखते हुए वर्ष 1991 को 'दक्षेस आवास वर्ष' तथा 1992 को 'पर्यावरण वर्ष' मनाने की घोषणा की गयी। पर्यावरण के सन्दर्भ मे तथा प्राकृतिक ससाधनो के सन्दर्भ मे प्रत्येक देश का स्वय का उत्तरदायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वन सपदा का उचित सरक्षण नही हो पाने की दशा मे बाढ, सूखा, भूमि क्षरण तथा कटाव की समस्या पूरे क्षेत्र की होती है। पूरे क्षेत्र के देशो को मिलजुल कर पर्यावरण सरक्षण तथा प्राकृतिक ससाधनो के समुचित उपयोग के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। दक्षेस देशो ने इसके लिए एक पर्यावरण सरक्षण केन्द्र की स्थापना नेपाल मे किया है, जो पूरे क्षेत्र मे पर्यावरण सरक्षण की समस्याओ का अध्ययन करता है तथा उचित सुझाव प्रदान करता है। इसी के अन्तर्गत पर्यावरण पर समुचित जानकारी देने के लिए अलग-अलग स्थान पर सभायें, सेमिनार तथा प्रदर्शनियो का आयोजन किया जाता है ।

कृषि विकास

विश्व की लगभग चौथाई जनसख्या कृषि क्षेत्र मे निवास करती है। कृषि विकास तथा क्षेत्रीय

स्तर पर कृषि वस्तुओ मे आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इन सभी देशो मे अधिकाशतः जनसख्या कृषि पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आधारित है। कृषि तकनीक प्रसार सेवाये तथा तकनीकी सेवाओ के जो कार्यक्रम चल रहे है, उनमे काफी विस्तार हो सकता है। भूटान मे आलू केन्द्र, बाग्लादेश मे चावल केन्द्र आदि के साथ-साथ हैदराबाद मे ग्रामीण विकास केन्द्र, करनाल मे बजर भूमि सुधार केन्द्र, नेपाल मे कृषि मौसम सूचना केन्द्र, मैसूर मे खाद्यान्न तकनीक पर विशेषज्ञो का कार्य समूह (1985) आदि काफी कार्य इस क्षेत्र मे कर रहे है।

भारत व पाकिस्तान मे कृषि विकास काफी अधिक हुआ है। भारत कृषि पदार्थो का निर्यातक देश है। बाग्लादेश तथा नेपाल मे कृषि विकास का स्तर बहुत नीचे है और दोनो खाद्यान्नो का आयात करते है। इस क्षेत्र से इनकी आवश्यकताओ को पूरा हो जाना चाहिये ।

शिक्षा और मानव संसाधन विकास

शिक्षा और मानव ससाधन विकास दक्षेस देशो की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश की शैक्षिक व्यवस्था लगभग एक प्रकार की है तथा वे अपनी समस्याओ से ग्रस्त है, वहॉ पर उच्च तकनीक और वैज्ञानिक शिक्षा का काफी अभाव है। भारत औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने मे काफी समर्थ है। भारत ने कई क्षेत्रो मे जैसे- जर्मप्लाज्म के रखरखाव, जेनोर्टक कन्जरवेशन के क्षेत्र मे प्रशिक्षण सुविधा तथा अन्य औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रो और प्रशिक्षण केन्द्रो के चलाने का सुझाव दिया, जिसका अन्य सदस्य देशो ने स्वागत किया है। इन सभी देशो ने जीन बैको के सगठन की योजना पर सहमति व्यक्त की है। माले शिखर सम्मेलन मे आठ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रो मे प्रशिक्षण योजनाओ को स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

मादक प्रदार्थों की तस्करी

नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी इस क्षेत्र की गम्भीर समस्या है। इन देशो मे विभाजन रेखा कृत्रिम है और एक देश से दूसरे देश मे जाना काफी आसान है। सामान्य तौर पर तस्कर एक देश से दूसरे देश मे भाग जाते है। इस गम्भीर समस्या को रोकने के लिए प्रत्यर्पण सधि की व्यवस्था की गयी है। यदि कथित अपराधी किसी दूसरे देश मे चला गया है तो वह देश जहॉ उसने अपराध किया है, उक्त अपराधी की पहचान के लिए सारी जानकारियॉ उपलब्ध कराता है।

यदि राजनीतिक कारणो से उक्त अपराधी का प्रत्यर्पण सम्भव नही है तो वह स्वतः उचित कानूनी कार्यवाही कर सकता है। शुरूआत मे इस समझौते के तहत मादक द्रव्यो के तस्करो को ही इस कानून के अन्तर्गत रखने का विचार किया गया लेकिन बाद मे शस्त्र विक्रेताओ, आतकवादियो और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियो को भी इस कानून के अन्तर्गत दडित करने का प्रावधान किया गया है ।

अन्य कई क्षेत्रो मे भी दक्षेस समझौतो को लागू किया गया है। जैसे- सभी देशो के सासद और उच्चतम नयायालयो के न्यायाधीश किसी भी देश मे वीसा और पासपोर्ट के बिना यात्रा कर सकते है। यही सुविधा राष्ट्रीय शैक्षिक सस्थाओ के प्रधानो और उनके आश्रितो को भी प्रदान की गयी है। पर्यटन को विकसित करने के लिए एकीकृत पर्यटन योजनाये बनायी गयी है। लघु, कुटीर और क्षेत्रीय उद्योगो के विकास करने के लिए विशिष्ट सुविधाओ के अलावा एक क्षेत्रीय कोष की स्थापना पर सहमति हो गयी है। लेकिन यह कोष कार्य रूप मे अभी परिणत नही हो पाया है। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई कोष पर भी, अभी तक सहमति होने के बावजूद कोई रूप रेखा नही बन पाई है ।

निम्न स्तरीय जीवन

दक्षेस देशो के सामने निम्न स्तर का जीवन एक गम्भीर समस्या है। शहरो और महानगरो मे रहने वाले बडी सख्या मे बेरोजगारो तथा झुग्गी झोपड़ियो मे रहने वाले लोगो का जीवन स्तर काफी निम्न स्तर का है। शहरी आबादी मे से एक तिहाई से अधिक लोगो के पास रहने के लिए उपयुक्त मकान अथवा आवास नही है। शहरियो मे से लगभग 40 प्रतिशत का पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नही है। शहरो मे सफाई की पर्याप्त व्यवस्था भी नही है। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ का भी अभाव है।

"आज विश्व की लगभग आधी आबादी शहरो मे बसी है। दुनिया के बडे-बडे शहरो मे प्रति सप्ताह एक करोड व्यक्ति की दर से शहरी जनसख्या बढ रही है। शहरी विकास के लिए उचित सामाजिक व तकनीकी जानकारी और नीति का अभाव है। इन क्षेत्रो के महानगरो की जनसख्या अत्यन्त तीव्रगति से बढ रही है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि महानगरो की जनसख्या एक करोड पार कर चुकी है। ढाका और कराची की जनसख्या भी 90 लाख के आस-पास है। शहरो की

ओर बढते प्रवास की इस प्रवृत्ति से आवास, स्वास्थ्य, महामारियो की समस्या निरन्तर बढती जा रही है। इस क्षेत्र मे दक्षेस देश मिलकर कुछ ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम विकसित कर सकते है और गॉव मे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों की योजनाये चलायी जा सकती है, जिनसे इस अनुचित प्रवास को रोका जा सकता है ।"[1]

10-11 अप्रैल 1993 को ढाका मे दक्षेस सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमे सबसे प्रमुख मुद्दा साप्टा रहा अर्थात दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इस शिखर सम्मेलन मे 'साप्टा' को आम सहमति के आधार पर गठित किया गया। 2 नवम्बर 1992 को दक्षेस देशो की आर्थिक सहयोग समिति की बैठक मे साप्टा के गठन के लिए उससे सम्बन्धित सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण बातो पर विचार किया गया। भारत इस क्षेत्र मे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा सीमा सघ बनाने को इच्छुक था, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर सहमत नही हुआ। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि भारत विकसित, औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्र के कारण अन्य सभी देशो पर हावी हो सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान ने यह सुझाव दिया कि पहले आपस मे प्राथमिकता के आधार पर व्यापार बढाने की आवश्यकता है। इस समय दक्षेस देशो का सम्पूर्ण विश्व के व्यापार मे 2 2% व्यापार का अशदान है। इन देशो मे आन्तरिक व्यापार की मात्रा और भी कम है। अन्य दक्षेस देशो का भारत का निर्यात इसके कुल निर्यातो का मात्र 3% है। सबसे पहले इन सभी देशो मे आपस मे व्यापार की मात्रा को बढाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए शुल्को और तटकरो मे विशेष रियायतो की व्यवस्था होनी चाहिए। शुल्को की रियायत प्रदान करने कि लिये वस्तुओ की एक सूची तैयार की जानी चाहिये।

(अ) वे वस्तुये, जिनमे तटकरो और प्रशुल्को मे रियायते प्रदान की जाय ।

(ब) वे वस्तुये, जिनमे तटकर और प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय ।

(स) वे वस्तुये, जिनमे निर्यातो के लिए एक निश्चित रूपरेखा तैयार की जाय।

पाकिस्तान के विरोध के कारण साप्टा की सहमति के पश्चात भी इसका क्रियान्वयन टाल दिया गया। वास्तव मे इस क्षेत्रीय घटक मे कोई भी महत्वाकाक्षी समझौता होना सम्भव नही हो पा

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 31 मई 1996, पृ०-7

रहा है, कुछ तो आर्थिक कारणो से तथा कुछ अधिकाश देश प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की समस्या से ग्रस्त है और मुख्य रूप से राजनीतिक कारणो से ये देश सप्रभुता और आर्थिक नीतियो के निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत भावुक है। छोटी-छोटी बातो पर इन देशो मे राजनीतिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रो मे औद्योगिक सहकारिता के और व्यापार सहकारिता की कम महत्वाकाक्षी योजनाये ही सफल हो सकती है। जैसे- सयुक्त उपक्रम, सूचनाओ का आदान-प्रदान, क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी स्थान्तरण, सयुक्त शोध और विकास कार्यक्रम, सयुक्त विनियोजन केन्द्र और भुगतान समझौते। इस क्षेत्र मे काफी कार्य हुआ है और भविष्य मे हो भी सकता है।

ढाका शिखर सम्मेलन मे साप्टा के लागू करने के लिये एक निश्चित समयबद्ध रूपरेखा तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर 1995 तक सभी देशो को प्राथमिकता के आधार पर रियायती व्यापार के लिए वस्तुओ की पहचान पूर्ण कर लेना है। प्रत्येक सदस्य देश अपने उद्देश्यो के निर्यात के लिए अपनी क्षमता और रियायतो के अलावा अन्य सदस्य देशो की व्यापार परिस्थितियो को भी ध्यान मे रख सकते है। किसी सदस्य देश पर आयात के लिए दबाव नही डाला जाना चाहिये। प्रशुल्को को यथा सम्भव समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये तथा गैर-प्रशुल्क प्रबन्धो को भी समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये जहॉ पर प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्ध पूरी तरह समाप्त नही किये जा सकते है। वहॉ पर यथा सम्भव प्रशुल्को मे छूट दी जानी चाहिये।

मालदीव, भूटान, नेपाल और बाग्लादेश को आवश्यकतानुसार व्यापार मे प्राथमिकताये प्रदान की जानी चाहिये। ये प्राथमिकताये कुछ वर्षों के लिए ही होनी चाहिये, जब तक ये राष्ट्र अन्य दक्षेस राष्ट्रो के समकक्ष नही हो जाते है। इन रियायतो और तकनीकी मदद की पहचान करने के लिए 1994 का वर्ष तय किया गया। दक्षेस देशो ने साप्टा को लागू करने के लिए 1995 का वर्ष तय किया। साप्टा समझौता इन देशो की अपनी-अपनी महत्वाकाक्षाओ के कारण वर्ष 1995 तक लागू हो जाये तो भी इसे सफल माना जाना चाहिए ।

दक्षेस देश अभी तक एक आर्थिक गुट के रूप मे विकसित नही हो पाये है। ये सभी देश एक प्रकार की समस्याओ से ग्रस्त है। उनके सामाजिक और आर्थिक पहलू एक ही प्रकार के है।

सास्कृतिक एकता इस क्षेत्र को एक सूत्र मे बाधने के लिए काफी है और भौगोलिक रूप से लका और मालदीव को छोडकर इनमे प्राकृतिक विभाजन की रेखा नही है। लेकिन आपसी मतभेदो और पूर्वाग्रहो के कारण इनमे महत्वपूर्ण सहयोग की सभावना नही दिखलाई पडती है। उदाहरणस्वरूप कोई भी देश किसी दूसरे देश के अन्दरूनी मामले मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही कर सकता है। इसके बावजूद ढाका दक्षेस सम्मेलन मे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ और बाग्लादेश की प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया ने अयोध्या काड के मसले को उठाया जो भारत का आन्तरिक मामला है। दक्षेस देशो के चार्टर मे द्विपक्षीय मामलो को उठाने की इजाजत नही है। वही पाकिस्तान हमेशा से दक्षेस मे, कश्मीर मे आत्मनिर्णय और जनमत सग्रह करवाने जैसी बाते हमेशा करता है। इस राजनीतिक विरोधाभास की दशा मे आर्थिक सहयोग और सहकारिता का हो पाना असम्भव तो नही लेकिन कठिन अवश्य है। इस क्षेत्र मे सहकारिता की सम्भावनाये अनन्त होने के बावजूद सफलता की सभावना क्षीण है ।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सघ (दक्षेस) देशो के बीच आपसी व्यापार को अधिक खुला और सरल बनाने के लिहाज से मई 1997 के माले मे हुई बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारतीय विदेश व्यापार के लिए 12 से 14 मई 97 के तीन दिन ऐतिहासिक महत्व का बन सकता है जब दक्षेस देशो के बीच माल का मुक्त आवागमन शुरू होगा। दक्षेस देशो बाग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलका के साथ भारत के व्यापार मे बढोत्तरी एक अहम पहलू है क्योकि इन देशो के साथ व्यापार करने मे भारतीय निर्यातको को परिवहन लागत कम होगी जबकि यूरोपीय देशो के साथ व्यवसाय भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। वर्तमान मे भारत का करीब 30 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय सघ के 15 देशो के साथ होता है। जबकि दक्षेस देशो के साथ व्यापार मात्र तीन प्रतिशत ही है।

मई 1997 के माले शिखर सम्मेलन मे लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है -

(1) दक्षिण एशिया को 2001 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया ।

तालिका 4.1: भारत का सार्क देशो से व्यापार

भारत का सार्क देशो से व्यापार का अवलोकन निम्न आकडो से किया जा सकता है -

निर्यात (करोड रूपये में)

देश	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1-बाग्लादेश	547 44	798 62	1,029 03	1,349 31	2,024 13
2- श्रीलका	234 90	429.44	718 30	903 23	1,151 08
3- पाकिस्तान	73 60	98 82	147.08	200.96	179 71
4- मालदीव	10 59	12.09	22.24	24 88	48 28
5- नेपाल	86 62	190 15	209 86	307 84	377.03
6- भूटान	3 91	2 95	6 28	31 10	34 83

आयात (करोड रूपये में)

देश	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1-बाग्लादेश	31 29	14 06	22.32	56 07	119 82
2-श्रीलका	36 76	28.22	39 86	62.82	88 12
3-पाकिस्तान	84 49	141 28	375.51	136 68	165 61
4-मालदीव	0 33	0 06	0 28	1 02	0.73
5-नेपाल	27 07	47 07	56.18	90 68	114.89
6-भूटान	1 45	1 22	3 50	9 30	57 40

स्रोत :- मिनिस्ट्री आफ कामर्स, नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 24-6-96

(ii) समाज मे महिलाओ और महिलाओ से सम्बन्धित समस्याओ के समाधान पर अधिक जोर दिया गया। 2000-2010 के दशक को बच्चो के अधिकारो के दक्षेस दशक के रूप मे मनाया जाएगा। दक्षेस महिलाओ और बच्चो के व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा। दक्षेस के कार्यकलापो मे दूरवर्ती शिक्षा शामिल किया जायेगा। खुले विश्वविद्यालयो और दूरवर्ती शिक्षण सस्थानो को खुले विश्वविद्यालयो के सकाय के निर्माण की सम्भावनाओ के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जायेगा ।

(iii) पर्यावरण के क्षेत्र से जुडी वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पर जैव विविधता सरक्षण और वनस्पति एव जीव जन्तुओ के अवैध व्यापार को रोकने सम्बन्धी नियम तैयार करना। पर्यावरण की महत्ता को ध्यान मे रखते हुए दक्षेस के पर्यावरण मन्त्री साल मे एक बार बैठक किया करेगे ।

(iv) दक्षेस के व्यावसायिक सगठनो और स्वैच्छिक समूहो के मध्य सहयोग सवर्धित करने के उद्देश्य से दक्षेस मान्यता प्राप्त निकायो की एक नयी श्रेणी के सृजन के बारे मे सहमति हुई ।

(v) इस क्षेत्र मे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो की प्रगति की समीक्षा के लिए दक्षेस के वित्त और योजना मत्रियो की तीसरी बैठक का शीघ्र आयोजन। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने मे लक्ष्य समूहो की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(vi) 1997 दक्षेस सहभागी शासन वर्ष के रूप मे नामित किया गया है ।

(vii) दक्षेस के दूरगामी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करना ।

(viii) दक्षेस सचिवालय के माध्यम से उपक्षेत्रीय सहयोग बढाना।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सगठन (दक्षेस) के मई 97 शिखर सम्मेलन मे इस क्षेत्र के सात राष्ट्राध्यक्षो और प्रधानमत्रियो ने एक स्वर से यूरोपीय समुदाय की तरह आर्थिक सहयोग बढाने, सन् दो हजार तक मुक्त व्यापार की सुविधाओ का लक्ष्य पूरा करने तथा गरीबी, अशिक्षा एव पिछडापन दूर करने के लिए सयुक्त प्रयासो का सकल्प व्यक्त किया।

''मई 97 के माले बैठक मे भारत के प्रधानमन्त्री श्री इन्द्र कुमार गुजराज ने कहा कि विभिन्न क्षेत्र पूरे विश्व मे अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। दक्षिण एशिया को भी अपनी विशिष्ट एव गतिशील पहचान बनानी चाहिये। हमारे क्षेत्र की ऐसी परिणति स्वाभाविक है। शताब्दियो से हमारा इतिहास और सस्कृति एक रही है। कालान्तर मे हमने विशिष्ठ परिपूरक अर्थव्यवस्था कायम रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिलो मे जानते है कि दक्षिण एशिया अपने आप मे एक विशेष समुदाय है। यह एक बधन है जो हमे इस क्षेत्रो की भावी अपार सभावनाओ को प्राप्त करने के लिए साथ रखेगा ।

सन् बीस सौ बीस दक्षिण एशिया क्षेत्र समग्र विकास का निर्धारण करके और उसे साकार करने के लिए विभिन्न चरण और नीतियॉ बनाने का निर्देश देकर यह नौवा शिखर सम्मेलन सुनहरे भविष्य की ओर यात्रा मे मील का पत्थर बन सकता है। एशिया का भाग्य पहले ही उद्घोषित किया जा चुका है। अगली शताब्दी एशियाई शताब्दी होने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। विश्व उत्पाद मे एशिया का अश जो 1820 से 60 प्रतिशत से घटकर 1950 मे मात्र 20 प्रतिशत रह गया था। सन् बीस सौ बीस मे दोबारा बढकर 60 प्रतिशत हो जायेगा। विश्व के श्रेष्ठतम अर्थवेत्ताओ ने एशिया को भविष्य का महाद्वीप की सज्ञा दी है। दक्षिण एशिया का यह विहगम स्वरूप हम सिर्फ विश्वास, सतत सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही प्राप्त कर सकते है ।

प्रधानमत्री ने कहा कि विश्व मे प्रगति और विकास के लिए आज दक्षिण एशिया को अपना यथोचित स्थान बनाना जरूरी है। ऐसा इस क्षेत्र को लोगो, यहॉ के उद्योगो, कौशल और कृतित्व के अनुरूप होना चाहिए। इस दिशा मे हमे आपस मे व्यापारिक प्राथमिकता दने के कार्यक्रम को तेज करते हुए न केवल शताब्दी अत तक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा बल्कि दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन की भूमिका तैयार करनी होगी। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे मे प्रधानमत्री ने भारत की तरफ से वादा किया कि सीमा शुल्क घटाने के फलस्वरूप दक्षेस के सदस्य देशो के भारत को बढने वाले निर्यात को सीमित रखने के लिए किसी तरह के प्रतिबधात्मक कदम नही उठाऐ जायेगे और अपील की शुल्को मे रियायत बढाई जाए और इस सूची मे सभी वस्तुए लाने की कोशिश की जाय। उन्होने कहा कि भारत ने काफी हद

तक शुल्क तथा अन्य प्रकार के अवरोध हटा दिए है और भविष्य मे भी यह प्रक्रिया जारी रखेगा। हमारी कोशिश है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा मे बूद की तरह शुरू हुए हमारे प्रयास बाढ का रूप धारण कर ले। इसके लिए व्यापक रूप से आयात-निर्यात शुल्क घटाने शुरू करने चाहिए। प्रधानमत्री ने कहा कि दक्षेस देशो का आर्थिक सहयोग अब आयात-निर्यात तक सीमित नही रहकर पूँजी निवेश प्रोत्साहन, प्रतिबधात्मक नीतियो को समाप्त करने, दोहरी कर प्रणाली रद्द करने, उत्पादन मानको मे सुधार एव समानता और व्यापारिक विवाद सुलझाने के तत्र तक पहुँच गया है ।"[1]

"भारतीय वाणिज्य एव उद्योग मडल महासघ (फिक्की) के अध्यक्ष श्री ए०एस० कासलीवाल ने कहा कि दक्षेस देशो मे आपसी व्यापार बढाने के बारे मे भावनाए तो अच्छी है लेकिन कोई ठोस प्रगति नही हो पाई है। दक्षेस व्यापार मात्र तीन प्रतिशत तक ही सीमित है जो यह सिद्ध करता है कि पिछले 4-5 वर्षों मे हुई प्रगति की गति बहुत धीमी है। सदी के अत तक 9-10 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचने के लिए दक्षेस व्यापार की गति बढानी होगी ।

गैर-शुल्क कोटा प्रतिबधो के कारण दक्षेस व्यापार को गति नही मिल पा रही है। सबसे बडा देश होने के नाते भारत का उन सामानो पर से गैर-शुल्क प्रतिबध हटाने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिन्हे प्राथमिकता देने पर पहले ही आम सहमति हो चुकी है। साथ ही मूल्यवर्धन नियमो की समीक्षा की आवश्यकता है क्योकि वर्तमान नियमो से दक्षेस देशो से प्राप्त सामानो के पुनर्निर्यात को प्रोत्साहन नही मिलता। मूल्यवर्धन नियमो मे सशोधन किये जाने से मात्र दो वर्षो मे दक्षेस व्यापार छह प्रतिशत तक जा सकता है जिससे सदी के अत तक दस प्रतिशत का स्तर पाना सरल हो जाएगा ।"[2]

3- आसियान

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के बाद पूरे विश्व मे उथल-पुथल मच गयी। पूरा विश्व दो खेमो साम्यवाद तथा पूँजीवाद मे बँट गया। सयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सघ दोनो ही

1 हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 13 मई 1997 पृ-11
2 हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 14 मई 1997, पृ -9

दक्षिण -पूर्व एशिया के समूचे क्षेत्र को अपने प्रभाव मे शामिल कराने के लिये उत्सुक हो गये। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अखाडे मे दक्षिण-पूर्व एशिया का समूचा क्षेत्र दोनो महाशक्तियो का केन्द्र विन्दु बना रहा क्योकि यह क्षेत्र जहॉ एक तरफ प्राकृतिक सपदा से परिपूर्ण था, वही पर दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर तथा दक्षिण दो राज्यो मे वियतनाम का विभाजन होने से, लाओस, वर्मा, कबोडिया आदि देशो मे उग्रवादी एव लोकतान्त्रिक शक्तियो के बीच सघर्ष तथा महाशक्तियो द्वारा अपनी नीतियॉ जबरजस्ती थोपने से व्याकुल होकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के नये स्वतन्त्र राष्ट्रो ने आपस मे सगठित होने का निश्चय किया।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सफलता से प्रभावित होकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशो ने अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए तथा क्षेत्र मे स्थिरता लाने के उद्देश्य से एक समझौता किया। जिसकी परिणति आसियान सस्था के गठन के रूप मे हुयी। आसियान एक क्षेत्रीय सगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 मे थाइलैड राष्ट्र के बैकाक शहर मे यह समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते पर ब्रूनेई, मलेशिया, सिगापुर, इन्डोनेशिया, फिलीपीन्स और थाईलैण्ड देशो ने हस्ताक्षर किये। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सभी राष्ट्र आपस मे एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन आर्थिक शक्ति, जनसख्या, राजनीतिक व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से ये सभी राष्ट्र एक दूसरे से काफी अलग है। इन देशो के बीच मे जो आर्थिक समानता रही वह अल्प विकास, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग का स्तर, के रूप मे रही ।

इन सभी देशो के आर्थिक विकास की अदम्य महत्वाकाक्षा ने इनके भिन्न - भिन्न व्यवस्थाओ के होने के बावजूद आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की प्रेरणा प्रदान किया और अन्त मे 1967 मे इन सभी देशो ने एक अलग गुट बनाने की घोषणा करके सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरूआती दौर मे प्रत्येक राष्ट्र इस सगठन की सफलता को सदिग्ध रूप मे देख रहे थे लेकिन 29 वर्षों के बाद आज यह सगठन पूरी सफलता के साथ आगे की ओर बढ रहा है। इन सभी राष्ट्रो की अलग-अलग तथा एक साथ दोनो ही तरह से आर्थिक विकास दर अन्य सभी दक्षिण एशिया के देशो से काफी ज्यादा है। इस सगठन की सफलता को देखते हुए आज एशिया का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र जापान भी इसके साथ सहयोग कर रहा है और

इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है ।

संगठन

आसियान सगठन का सचालन कई उच्चस्तरीय बैठको, सभाओ और सचिवालयो के माध्यम से किया जाता है ।

शीर्ष सभा

अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये इस बैठक को बुलाया जाता है। सदस्य देशो के सभी राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक मे भाग लेते है। इसकी बैठक समयबद्ध तरीके से नही हो पाती है। फरवरी 1976 मे इन्डोनेशिया के बाली शहर मे इसकी प्रथम बैठक सम्पन्न हुयी। उसके तुरन्त बाद शीघ्र ही अगस्त 1977 मे मलेशिया की राजधानी क्वालामपुर मे दूसरी बैठक सम्पन्न हुयी। दस वर्ष के बाद दिसम्बर 1987 मे फिलीपीन्स की राजधानी मनीला मे तीसरी बैठक सम्पन्न हुयी। सामान्य तौर पर यह बैठक किन्ही विशेष अवसर पर ही बुलायी जाती है। सामान्य कामकाज करने के लिये मन्त्रिस्तरीय बैठक ही शक्ति सम्पन्न होता है ।

आयोजन समिति

इस बैठक को प्रायः दो महीने मे एक बार आयोजित किया जाता है। सामान्य तौर पर इसमे आयोजनकर्ता देश का विदेश मन्त्री तथा अन्य देशो के राजदूत शामिल होते है। कभी-कभी विदेश मन्त्री के स्थान पर वित्तमन्त्री शामिल हो जाते है । प्रत्येक देश मे साल मे एक बैठक आयोजित किया जाता है। सचिवालय से कोई मुद्दा उठाये जाने के बाद इस बैठक को उस पर विचार करने के लिये बुलायी जाती है ।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

आसियान के सदस्य देशो के विदेश मन्त्रियो की एक बैठक प्रतिवर्ष बुलायी जाती है। प्रत्येक देश इस सभा का आयोजन करता है। विदेश मन्त्रियो के अलावा वित्त मन्त्रियो की बैठक भी प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। विदेश मन्त्रियो की बैठक नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिये और सामान्य सद्भाव के कारण बुलायी जाती है। वित्तमन्त्री आपस मे मिलकर आसियान के दिशा-निर्देश को तय करते है। मन्त्रिस्तरीय बैठक उन निर्णयो पर विचार करती है जो अन्य सहायक

समितियॉ इनके सामने प्रस्तुत करती है। जरूरत पडने पर अन्य मन्त्रियो की बैठक भी आयोजित की जाती है। अगर कोई मुद्दा नही है तो इस बैठक को सद्भाव के लिए ही आयोजित किया जाता है ।

सचिवालय

1976 मे इडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मे आसियान का मुख्य स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया ।इस सचिवालय का प्रमुख कार्य समन्वय व सहयोग करना है। प्रत्येक राष्ट्र की राजधानी मे अलग-अलग सचिवालय है, जो समय-समय पर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिवालय को भेजते है। मुख्य सचिवालय सभी रिपोर्टो को क्रमबद्ध करके उचित कार्यवाही करने हेतु आयोजन समिति को भेजती है। इस सचिवालय मे एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता है। प्रमुख सचिव का चयन के लिये अग्रेजी वर्णाक्षरो के आधार पर देशो के नामो को रखा जाता है, फिर प्रत्येक देश क्रमशः अपने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करता है जो तीन वर्ष तक इस सचिवालय को देखता है।

सलाहकार समितियाँ

आर्थिक सहकारिता के दृष्टिकोण से आसियान ने पॉच सलाहकार समितियो का निर्माण किया है।

(i) खनिज, धातु एव ऊर्जा समिति

(ii) कृषि, खाद्यान्न एव वन्य सम्पत्ति समिति

(iii) परिवहन एव सचार समिति

(iv) मुद्रा एव बैकिग समिति

(v) व्यापार एव पर्यटन समिति

इसके अतिरिक्त तीन उपसमितियॉ है

(अ) विज्ञान एव तकनीक समिति

(ब) सस्कृति एव सूचना समिति

(स) सामाजिक विकास समिति

उपरोक्त सभी समितिया अपने क्षेत्रो मे सहयोग एव सहकारिता के विभिन्न उपायो पर विचार एव शोध कार्य करती है। सहायक सस्थाओ, सघठनो और कार्य समूहो द्वारा इन समितियो की मदद की जाती है। जब ये समितियॉ किसी निर्णय पर पहुॅच जाती है, उसके बाद सचिवालय मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बाद मे उन निर्णयो पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

आसियान समूह ने विदेशो से अपने सम्बन्धो मे सद्भाव एव व्यापार बढाने के लिये 10 विदेशी राजधानियो, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रास, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैण्ड, स्विटरलैण्ड, ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे अपना कार्यालय खोल रखा है। आसियान द्वारा इन कार्यालयो मे राजदूत नियुक्त किये जाते है जो हमेशा इन देशो और सगठनो से सम्पर्क बनाये रखते है, जिसे आसियान का प्रवक्ता कहते है ।

उद्देश्य एवं कार्य

1967 मे आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुयी। इस इस घोषणा -पत्र को ''बैंकाक समझौता'' के नाम से जाना जाता है। 1967 मे पॉच देशो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। जनवरी 1984 मे ब्रूनेई ने अपनी स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद इस सगठन की सदस्यता प्राप्त कर ली तथा वियतनाम भी 1995 मे आसियान का सदस्य बन गया। जिसके परिणामस्वरूप अब इसके सदस्य देशो की कुल सख्या 7 हो गई है। वर्ष 2000 तक दक्षिण पूर्व एशिया के तीन अन्य देशो कबोडिया, लाओस तथा म्यामार को भी सम्मिलित करने की योजना है।

बैंकाक समझौते के प्रमुख उद्देश्य

(अ) आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक क्षेत्रो मे सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रो मे आपसी सहयोग प्रदान करके विकास की ओर अग्रसर होना।

(ब) क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता को कायम रखने का हर सम्भव प्रयत्न करना। इसका आधार कानून का राज्य है। सभी देशो को सयुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र का समुचित आदर करते हुये न्यायपूर्ण सिद्धान्तो का पालन करना।

(स) इस क्षेत्र (दक्षिण पूर्व एशिया) मे आर्थिक विकास की गति को बढाना, सामाजिक प्रगति और सास्कृतिक विरासत को कायम रखना। इन सभी के लिये सदस्य राष्ट्रो को मिल-जुलकर समानता और सप्रभुता अक्षुण्ण रखते हुये कार्य करना।

(द) कृषि और उद्योग के क्षेत्र मे नयी तकनीको का आदान-प्रदान करना। व्यापार की मात्रा बढाने के लिये सक्रिय प्रयास किया जाना। परिवहन तथा सचार साधनो के विकास के साथ-साथ आपसी सम्बन्ध को बढाना। आर्थिक हस्तान्तरणो तथा सहयोग को बढावा देना जिसके फलस्वरूप लोगो के जीवन स्तर व उपभोग स्तर मे वृद्धि हो सके ।

(य) अन्य देशो तथा सगठनो के साथ जो विश्व मे शान्ति, न्याय व्यवस्था तथा आर्थिक विकास मे विश्वास रखते है, उनके सम्बन्धो मे लगातार वृद्धि किया जाना ।

उपरोक्त उद्‌देश्यो के अतिरिक्त राजनीतिक सगठन होने के कारण आसियान मे कुछ सैन्य समझौता किया गया। 1967 मे आर्थिक दृष्टिकोण से यह समझौता किया गया। 1976 मे आसियान की प्रथम शीर्ष बैठक सम्पन्न हुयी। इसके बाद आम सहमति के आधार पर तीन विशिष्ट क्षेत्रो मे हस्ताक्षर किये गये ।

(अ) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम

इन सभी का सदस्यता के लिये पालन करना अनिवार्य शर्त है, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति क्षेत्र की स्थापना, सामाजिक न्याय, और जीवन स्तर मे सुधार के आवश्यक उपाय प्रत्येक राष्ट्र को मानना अनिवार्य है। प्राकृतिक विपदाओ के समय आवश्यक सहयोग, आर्थिक विकास करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता सम्बन्धी निर्देश देना।

(ब) शान्ति और सहकारिता

इसके अनतर्गत एक ऐसा अनुच्छेद बनाया गया जिनमे एक दूसरे की स्वतन्त्रता व सप्रभुता कायम रखने, एक दूसरे के मामले मे हस्तक्षेप नही करना, सभी विवादो का शान्तिपूर्ण निपटारा करना और एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वायदा सभी पॉच राष्ट्रो ने किया ।

(स) व्यापारिक सहयोग

सभी सदस्य देश आपस मे एक दूसरे को विशिष्ट प्राथमिकताये प्रदान करते है जिसके अन्तर्गत

1976 मे 71 वस्तुओ का चुनाव किया गया जिनमे एक दूसरे को तटकर की विशेष छूट प्रदान की गयी। 1 जनवरी 1978 को वस्तुओ और तटकर की दरो के बारे मे वास्तविक निर्णय लिये गये, उसके फलस्वरूप इस प्रकार की वस्तुओ की सूची निरन्तर बढ रही है, जिसके अन्तर्गत आपस मे व्यापार बढाने के दृष्टिकोण से तटकरो तथा अन्य व्यापार प्रतिबन्धो पर विशेष छूट प्रदान करते है। 1992 मे लगभग 19,000 वस्तुए इस प्रकार की रही जिसमे सभी देश आपस मे 20 से 30% तक तटकर पर छूटे प्रदान कर रहे है। आसियान देशो के आन्तरिक व्यापार के केवल 5% क्षेत्र को ही तटकर छूटे हासिल है। इन देशो की निर्यात-आयात व्यापार की अधिकाशतः मुख्य वस्तुये 'अपवर्जन सूची' के अन्तर्गत आती है। दिसम्बर 1987 मे एक शीर्ष सम्मेलन मे यह पारित किया गया कि अपवर्जन सूची के अन्तर्गत कुल निर्यात वस्तुओ के 10% से अधिक 50% मूल्य से अधिक नही होना चाहिये। सूची मे कमी लाने के लिए इडोनेशिया और फिलीपीन्स को सात वर्ष तथा अन्य देशो को पॉच वर्ष का समय दिया गया है ।

मनीला मे अगस्त 1986 मे आसियान देशो के आर्थिक सलाहकारो व वित्त मन्त्रियो की बैठक हुई, जिसमे यह निर्णय लिया गया कि सन् 2000 तक आसियान के आन्तरिक व्यापार को पूर्ण तथा तटकर से मुक्त कर दिया जाना चाहिये अैार इस क्षेत्र को यूरोपीय साझा बाजार के आधार पर दक्षिण पूर्व एशियाई साझा बाजार बना दिया जाना चाहिये। लेकिन इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाइलैड तथा फिलीपीन्स ने इसका कडा विरोध किया जिसके दो प्रमुख कारण रहे। पहला - ये सभी देश एक ही प्रकार की वस्तुओ का निर्यात करते है, तथा दूसरा इनकी तटकर दरो मे काफी अन्तर है ।

थाईलैण्ड और फिलीपीन्स मे आयात पर लगने वाली तटकर की दरे काफी ऊॅची है और प्रत्येक वस्तु पर आयात कर लगाया जाता है। सिगापुर और ब्रुनेई मे तटकर नगण्य है जो मलेशिया और इन्डोनेशिया दोनो के बीच की स्थिति मे है। थाईलैण्ड और फिलीपीन्स के लिये शुरू के वर्षो मे ऐसी परिस्थिति मे तटकरो को समाप्त करना काफी घातक है जो इस प्रकार से इन देशो मे आन्तरिक व्यापार बढ सकता है लेकिन सिगापुर और ब्रुनेई दोनो के निर्यात काफी मात्रा मे बढ सकता है, वही इनके आयातो के परिमाण पर कोई फर्क नही पडता। जबकि फिलीपीन्स और

थाइलैण्ड के लिये इसका विपरीत प्रभाव पड सकता है, जिसमे उनके आयात बढ सकते है तथा निर्यात स्थिर रह सकते है। मलेशिया व इन्डोनेशिया को भी अधिक लाभ होने की आशा नही रही, इसी कारण से आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने की सम्भावना नही है ।

आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र नही है, न ही यह सीमा सघ है। आसियान देश आपस मे व्यापार भी बहुत कम करते है। इनका आन्तरिक व्यापार इनके विश्व व्यापार का 10% से भी कम है। वास्तव मे ये सारे देश एक ऐसी वस्तुओ का निर्माण करते है, न कि पूरक वस्तुओ का। ऐसी स्थिति मे जब एक राष्ट्र का उद्योग दूसरे राष्ट्र के उद्योग को प्रतियोगिता से बाहर कर देता है तभी व्यापार की सभावनाए उत्पन्न हो सकती है। ऐसा करने पर प्रतिद्वन्द्विता भडकती है और राष्ट्रो के सम्बन्ध बिगडते है, इसलिये इन देशो ने जानबूझ कर आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की कोशिश नही की बल्कि जब कभी ऐसा प्रयास किया गया तो इनका विरोध किया गया, आपस मे ये सभी देश उन्ही वस्तुओ के व्यापार को बढाने की कोशिश करते है जो दूसरे देश मे उत्पादित नही होती है। इनका मुख्य उद्देश्य सगठित होकर सौदेबाजी मे अपनी शक्ति बढाना है। भविष्य मे इसको आर्थिक गुट के रूप मे ही कार्य करते रहने की सम्भावना है ।

आसियान के अन्य अवयव

कृषि क्षेत्र

1981 मे शोध प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय आयोजन के मुख्य उद्देश्य को लेकर आसियान ने कृषि विकास एव आयोजन केन्द्र की स्थापना की है। अक्टूबर 1983 मे एक मत्स्य निगम की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है तथा आसियान वानिकी काग्रेस की स्थापना भी अक्टूबर 1983 मे ही की गयी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य वन सरक्षण तथा इमारती लकडी के निर्यात प्रोत्साहन करना है। 1988 मे आसियान ने वित्त के क्षेत्र मे भी एक इन्श्योरेन्स निगम की स्थापना की है। 1983 मे ऊर्जा सकट को ध्यान मे रखते हुए ऊर्जा सहकारिता के सन्दर्भ मे एक समिति गठित की जिसके अन्तर्गत कोयला विकास, पेट्रोल का बटवारा और 9 सहकारी पेट्रोल शोधन परियोजनाओ पर कार्य किया गया तथा आकस्मिक आवश्यकता पडने पर आपस मे पेट्रोल बॉटने पर आम सहमति हुयी। परिवहन और सचार समिति की सिफारिश करने पर पान बोर्नियो राजमार्ग का विकास किया

गया जो ब्रूनेई को इडोनेशिया तथा मलेशिया से जोडता है। इस समिति ने जहाजरानी के प्रसार और समन्वय के सम्बन्ध मे कई प्रकार के सुझाव प्रदान किये है। तकनीकी शोध, शिक्षा, सामाजिक विकास, पर्यटन व सास्कृतिक केन्द्रो के सम्बन्ध मे आसियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आसियान सस्था नियमित रूप से निम्न प्रकाशन करती है।

(1) विज्ञान और तकनीकी जरनल (वर्ष मे दो बार)

(11) आयोजन समिति की वार्षिक रिपोर्ट

(111) विभिन्न सूचनाऐ समय-समय पर

(1v) आसियान समाचार -पत्र (द्वैमासिक)

उद्योग समझौते

1976 मे आसियान की मन्त्रिस्तरीय बैठक मे आसियान के औद्योगीकरण के लिए सुझाव दिया गया कि प्रत्येक देश मे एक मध्यम आकार की औद्योगिक इकाई अलग-अलग लगायी जाय, जिसकी पूँजी को 60% लगाने वाले देश तथा 40% अन्य देश को लगाना है। इसके अन्तर्गत डीजल इजन की इकाई सिगापुर मे, यूरिया और अन्य रासायनिक खादो की इडोनेशिया तथा मलेशिया मे, सुपर फासफेट की फिलीपीन्स तथा सोडा ऐश की इकाई थाईलैण्ड मे लगायी जाय ।1985 मे मलेशिया, इडोनेशिया वाली ईकाईयो ने अपना काम करना शुरू किया, बाकी किन्ही कारणो से स्थगित हो गयी। 1983 मे आसियान का औद्योगिक सयुक्त उपक्रम कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया।

वर्तमान में आसियान

23-24 जुलाई 1993 को आसियान की 26 वी द्विदिवसीय मन्त्रिस्तरीय बैठक मे आसियान देशो की विदेश व्यापार बढ़ाये जाने के लिए काफी निर्णय लिया गया। आसियान देशो को यह पूर्ण विश्वास है कि अगर चीन से उचित व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का व्यापार 1 से 1 5% तक बढ जाने की सभावना है। भारत के साथ क्षेत्रवार विचार-विमर्श की जो एक नई प्रक्रिया शुरू की गयी है, वह न केवल आसियान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आसियान के अन्य देशो से किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए, इसके लिये भी प्रेरणादायक है।

आसियान देशो ने अन्य व्यापारिक सहयोगियो को भी बैठक मे आमन्त्रित किया जिनमे जापान, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए। इडोनेशिया के विदेश मत्री ने अपनी व्यापारिक नीति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि वह दुनिया के प्रत्येक देश से आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक सम्बन्धो को बढाना पसन्द करते है लेकिन उनका पूर्ण विश्वास है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बढाने की अत्यधिक आवश्यकता है और आसियान इस कार्यक्रम को आगे बढाने मे सबसे ज्यादा महत्व प्रदान कर सकता है ।

आसियान क्षेत्रीय फोरम

30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे स्थित आसियान की कुल जनसख्या लगभग 34 करोड है, जो भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियो से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रशात और हिद महासागर के सधि स्थल पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष महत्व का है।

"आसियान क्षेत्रीय फोरम औपचारिक रूप से 24 जुलाई, 1994 को बैकाक मे कायम किया गया जिसमे आसियान के 6 सदस्य देश ब्रुनेई, इडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिगापुर और थाईलैण्ड के साथ सलाहकार और परामर्श साझीदार के रूप मे अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, यूरोपीय समुदाय, जापान तथा दक्षिण कोरिया सम्मिलित हुए। 28 जुलाई 1995 को आसियान ने वियतनाम को भी अपनी सदस्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार आसियान के सदस्य देशो की कुल सख्या 7 हो गई है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के शेष तीन देशो - कम्बोडिया, लाओस और म्यामार को वर्ष 2000 तक इसमे शामिल करने की योजना है। प्रत्येक सदस्य देश की राजधानी मे एक राष्ट्रीय आसियान सचिवालय होता है, जिसका प्रमुख एक सचिव होता है तथा आसियान का केन्द्रीय सचिवालय इडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मे स्थित है ।" [1]

"भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियो से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का आर्थिक सगठन

1 क्रानिकल, मई, 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015 पृ० - 102

तेजी से आगे बढता जा रहा है। आसियान का सदस्य देश 'सिगापुर' तो विश्व के विकसित देशो मे सम्मिलित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप अन्य देशो का भी इस सगठन के प्रति आकर्षण बढता जा रहा है। भारत भी इसी श्रेणी मे आता है। वह आसियान की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। हाल ही मे आसियान द्वारा भारत को आसियान के सम्मेलनो एव बैठको मे पूर्ण-वार्ता सहभागी बनाये जाने की घोषणा से इस दिशा मे एक उपयुक्त कदम कहा जा सकता है। आसियान के साथ भारत का सहयोग सबध कायम हो जाने से दोनो पक्ष एक -दूसरे के विभिन्न क्षेत्रो, उद्योग, व्यापार के अनुभवो से लाभान्वित हो सकते है तथा साथ ही आर्थिक, शैक्षिक, सास्कृतिक क्षेत्र मे परस्पर सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। जहॉ एक तरफ भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया मे विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, वही पर दूसरी तरफ आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते पारस्परिक सहयोग मे वृद्धि भी हो सकती है ।"[1]

आसियान के देशो का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 15 दिसम्बर 1995 को थाईलैण्ड की राजधानी बैकाक मे सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन मे सभी सदस्य देशो ने 'मुक्त व्यापार क्षेत्र' की स्थापना मे तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए सन 2003 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आसियान देश चाहते है कि इसकी शुरूआत निर्धारित वर्ष से पहले ही हो जाय। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 1992 मे रखा गया। उस समय आसियान ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 15 वर्ष का समय रखा था, लेकिन भारत एव चीन जैसी तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था तथा दूसरे व्यापार गुटो की चुनौती का मुकाबला करने के लिए लक्ष्य मे कटौती कर दी गयी। 'बैकाक घोषणा' के अनुसार मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की दिशा मे पहला कदम के रूप मे 1 जनवरी 1996 तक गैर - व्यापारिक अवरोध हटा दिया जायेगा ।

आसियान और भारत

आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशो का सगठन है और भारत दक्षिण एशिया का सर्वाधिक

1 क्रानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०,208 शिवलोक हाउस -1नई दिल्ली - 110015 पृ० -11

महत्वपूर्ण देश है। आसियान देश शुरू से ही भारत के काफी घनिष्ट रहे है। भारत के लिए आसियान की सदस्यता और नेतृत्व करने के बारे मे लगातार अटकले लगायी जाती रही, लेकिन भारत आसियान को सहयोगी मित्र मानने के बावजूद भी सदस्य बनने का इच्छुक नही रहा, यद्यपि यह क्षेत्र भारत के भौगोलिक दृष्टि से काफी निकट है। सिगापुर के अतिरिक्त अन्य सभी देश पूँजी और तकनीक मे पिछडे है, इसलिये भारत के औद्योगिक सामानो का यह क्षेत्र अच्छा ग्राहक हो सकता था। भारत इन देशो को औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक इकाइयो की स्थापना तथा सयुक्त निवेश कार्यक्रमो मे बडी मदद कर सकता था लेकिन फिर भी भारत ने इस सगठन की सदस्यता ग्रहण करने की कोशिश नही की। यदि भारत सदस्यता के लिये प्रयास करता तो सदस्यता के साथ-साथ नेतृत्व तो भारत को अपने आप ही मिल जाता। फरवरी 1976 मे बाली सभा मे भारत ने आसियान के प्रस्तावो (शान्ति क्षेत्र, स्वतन्त्रता तथा हस्तक्षेपरहित सप्रभुता, समता) का न केवल स्वागत किया है, बल्कि उसे पूरा करने का वायदा भी किया है ।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत का आसियान देशो के साथ हमेशा निकट का सम्बन्ध रहा है लेकिन सहकारिता और व्यापार के दृष्टिकोण से भारत का सम्बन्ध आसियान देशो से कोई बहुत अधिक नही रहा है। वियतनाम युद्ध के दौरान भारत हमेशा से आसियान देशो के हितो का ख्याल करने की अपील करता रहा है। सितम्बर 1983 मे आसियान देशो की कम्पूचिया स्वतन्त्रता अपील पर भारत ने सयुक्त राष्ट्र सघ मे आसियान देशो का साथ दिया।

''वर्तमान समय मे भारत आसियान की सदस्यता ग्रहण करने के लिए काफी उत्सुक है, लेकिन निकट भविष्य मे भारत की इच्छा पूर्ति हो पायेगी, ऐसा नही लगता। लेकिन हाल ही मे आसियान के सदस्य देशो द्वारा लिये गये एक निर्णय को इस दिशा मे बढाया गया एक कदम माना जा सकता है कि भारत को आसियान के सम्मेलनो एव बैठको मे 'पूर्ण -वार्ता सहभागी' बनाया जायेगा। भारत के लिए आसियान की सदस्यता आर्थिक एव सामरिक दोनो दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री सीमा मलक्का जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है, जिसे पश्चिम और पूर्वी एशिया की आर्थिक शक्तियो (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि) के बीच व्यापार की जीवन रेखा कहा जा सकता है ।आसियान के सदस्य देशो ने आर्थिक क्षेत्र मे काफी प्रगति की है। इनमे से सिगापुर

तो अब विश्व के विकसित देशो मे शामिल हो गया है ।"[1]

भारत का आसियान के लगभग सभी देशो के साथ अच्छा व्यावहारिक और मैत्री सबध है तथा इनमे से कुछ देशो ने भारत मे अपने सयुक्त उद्यम भी स्थापित किये है। आर्थिक उदरीकरण के बाद से थाईलैण्ड, मलेशिया, और सिगापुर ने भारत के साथ अपने व्यापारिक सबधो मे वृद्धि भी की है ।

वर्तमान मे सदस्य देशो ने भारत को आसियान के साथ औपचारिक बात-चीत के भागीदार बनने पर बल दिया है। पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए समूह के सदस्य बनने मे सहायक सिद्ध हो सकता है ।व्यापार विस्तार की दृष्टिकोण से आसियान की सदस्यता प्राप्त करना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे एक दशक से दक्षिण पूर्व एशिया की वृद्धि दर दो अको मे रही है तथा अगले शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व व्यापार मे आधा भागीदारी इन देशो की हो जाने की सभावना है। "भारत आकार मे किसी भी एशियाई देश से बडा है लेकिन भारत मे प्रति व्यक्ति आय इन देशो की तुलना मे बहुत ही कम है। आसियान के सर्वाधिक धनी देश सिंगापुर मे प्रति व्यक्ति आय 19,850 अमेरिकी डालर है जो भारत के प्रति व्यक्ति आय 300 अमेरिकी डालर से, छयासठ गुना अधिक है। अगर फिलीपीस को अपवाद मे रखा जाता है तो भारत मे जी० डी०पी० की वृद्धि दर भी आसियान देशो की तुलना मे बहुत कम है। आसियान देशो की तुलना मे भारत कम औद्योगिकीकृत देश है ।"[2] आसियान देशो को वाह्रय क्षेत्र से अधिक आय होता है। वर्ष 1993 मे सिगापुर मे जी०डी०पी० का 169 प्रतिशत भाग निर्यात द्वारा पूरा किया गया, जबकि भारत का वर्ष 1993 मे मात्र 11 प्रतिशत ही रहा।

मशीनरी तथा यातायात उपकरणो का आयात आसियान के देशो मे कुल आयात का 32 प्रतिशत भाग पूरा करता है तथा भारत मे यह मात्र 14 प्रतिशत है। हाल के वर्षों मे भारत मे इस क्षेत्र मे आयात मे कमी आयी है। आसियान के देश इडोनेशिया को छोडकर अन्य सदस्य देश

1 क्रानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिव लोक हाउस -1नई दिल्ली -110015 पृ० - 11

2 प्रतियोगिता सम्राट - नवबर 1995, दीवान पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, कमर्शियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110015 पृ० -29

मशीनरी तथा यातायात उपकरणे का निर्यात भी भारत से अधिक करते है। फिर भी भारत इस क्षेत्र मे आसियान के देशो के साथ सहयोग स्थापित कर सकता है। मशीनरी के क्षेत्र मे भारत ने हाल के वर्षो मे उल्लेखनीय प्रगति की है। आसियान देशो के विपरीत भारत ईंधन का बहुत बडा आयातक देश है, लेकिन फिर भी ऊर्जा का भारत मे प्रति व्यक्ति उपभोग आसियान के देशो की तुलना मे कम है। भारत को ऊर्जा प्रबन्धन के क्षेत्र मे आसियान के देशो से बहुत कुछ सीखना चाहिये। भारत की दृष्टि से यह सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है।

भारत उन गिने- चुने विकासशील देशो मे से एक है जिसका औद्योगिक ढाचा बहुत ही बडा है। औद्योगिक वस्तुओ के निर्यात से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वस्त्र, चमडे की वस्तुओ तथा आभूषण निर्यात के क्षेत्र मे भारत का अभी भी प्रभुत्व बरकरार है। उचित दबाव तथा नीतियो मे सुधार के द्वारा भारत आसियान के देशो के साथ व्यापार सबध और सहयोग स्थापित कर सकता है।

आसियान के देशो से सहयोग स्थापित करने के लिए भारत को निम्नलिखित दिशाओ मे प्रयास करना चाहिये -

(1) सबसे पहले मुद्रास्फीति पर भारत को नियत्रण रखना चाहिये। वर्ष 1980 से 1993 के बीच भारत मे मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 8 7 प्रतिशत के करीब रही है। आसियान देशो की मुद्रास्फीति 2 2 तथा 2 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना मे यह बहुत अधिक है। मूल्य मे स्थायित्व तथा कम मुद्रास्फीति निर्यातको को आगे पहुँचा देता है ।

(11) औद्योगिक मजदूरी की दर आसियान के देशो मे भारत की तुलना मे अधिक तेजी से बढ रही है। यह भारत को आसियान के देशो के साथ सयुक्त उद्यम लगाने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है।

(iii) अतः सरचना सुविधाओ के क्षेत्र मे भी भारत आसियान के देशो की तुलना मे बहुत पीछे है। बिजली, यातायात तथा दूरसचार के क्षेत्र मे भारत आसियान के देशो की तुलना में पीछे है। 1992 मे भारत मे दूरभाष की सुविधा प्रति हजार व्यक्ति 8 को उपलब्ध थी, जबकि ये सुविधा सिगापुर मे प्रति हजार व्यक्ति 415, मलेशिया मे प्रति हजार व्यक्ति

112 तथा थाइलैण्ड मे 31 था।

भारत मे सीमा शुल्क सबधी प्रतिबध भी आसियान देशो की तुलना मे अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत को व्यापार सबधी जटिलताओ को भी कम करना चाहिये। आसियान के साथ भारत का सहयोग सबध कायम होने से इन देशो के बीच आर्थिक, शैक्षिक, सास्कृतिक क्षेत्र मे परस्पर सहयोग का जहाँ मार्ग प्रशस्त हो सकता है, वही दोनो ही पक्ष एक-दूसरे के साथ उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र मे अपने अनुभवो के आदान-प्रदान से लाभान्वित भी हो सकता है। इतना ही नही, भारत को उसके अत्यत समीप दक्षिण -पूर्व एशिया मे एक उन्नत विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, जहाँ पर निश्चित ही भारतीय उत्पादो की पर्याप्त माग हो सकती है।

4- नाफ्टा

12 अगस्त 1992 को जब सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनो ने मिलकर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की, तो उस समय विश्व के आर्थिक समुदाय ने इसको एक नया गुट स्वीकार करते हुए इसके प्रभावो का विश्लेषण और लेखा-जोखा तैयार करना शुरू कर दिया तथा बाद मे इसी गुट का नाम नाफ्टा रखा गया ।

नाफ्टा (नार्थ अमेरिकन फ्रीट्रेड एग्रीमेन्ट) अथवा उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता सयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का सगठन है, जो 17 नवम्बर 1993 को अमेरिकी ससद द्वारा अनुमोदन के बाद 1 जनवरी, 1994 से पूर्ण अस्तित्व मे आ गया है। यूरोपीय समुदाय की तरह इस व्यापार समूह को भी अपने सदस्य देशो के बीच शुल्क निर्धारण करना तथा उनके अन्य व्यावसायिक हितों की देख- रेख करना पडता है। नाफ्टा के पूरे क्षेत्र की जनसख्या 37 करोड है तथा इसका सकल घरेलू उत्पाद 6 खरब 8 अरब डालर के बराबर है। इसकी जनसंख्या अटलाटिक क्षेत्र के यूरोपीय सघ के देशो की जनसख्या से 2 करोड अधिक है। इस प्रकार यह आबादी की दृष्टि से यूरोपीय समुदाय से भी बडा है तथा अब विश्व का सबसे बडा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया है ।

रूसी गणराज्य के विघटन हो जाने के पश्चात् कनाडा विश्व का भौगोलिक दृष्टि से सबसे

बडा राष्ट्र बन गया है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। दोनो राष्ट्र काफी विकसित अवस्था मे है और खाद्यान्नो का 60% इन्ही देशो से निर्यात होता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आय एव उपभोग की दृष्टि से ये राष्ट्र काफी विकसित है। मैक्सिको के जुड जाने से अमेरिकी कनाडा सन्धि पर कोई बहुत प्रभाव नही पडता है। मैक्सिको की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका और कनाडा की प्रति व्यक्ति आय से काफी कम है और मैक्सिको का विश्व व्यापार अमेरिका और कनाडा से व्यापार मे काफी कम है। मैक्सिको कनाडा से 2 2 बिलियन डालर की वस्तुओ का आयात तथा 0 5 बिलियन डालर की वस्तुओ का निर्यात करता है। इसके विपरीत कनाडा अमेरिका से 91 बिलियन अमेरिकी डालर की वस्तुओ का आयात और 85 बिलियन डालर की वस्तुओ का निर्यात करता है। अमेरिका के कुल आयात का 6 1% सामान मैक्सिको से आता है और अमेरिका के कुल निर्यात मे 7 2% सामानो का निर्यात मैक्सिको को होता है ।

वर्तमान परिस्थिति मे क्षेत्रीय गुट काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इस गुट मे शामिल सभी देशों मे आर्थिक असमानता बहुत अधिक है जिसकी वजह से मैक्सिको के मूल निवासियो को बहुत ज्यादा कठिनाई उठानी पड सकती है तथा आर्थिक गुलामी का सामना करना पड सकता है। सभी फर्मों और औद्योगिक इकाइयो का स्वामित्व तथा प्रबन्ध, अमेरिकी नागरिको के हाथ मे हो सकता है तथा मैक्सिको वासी केवल नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते है। इसकी वजह से मैक्सिकोवासियो मे राजनीतिक असन्तोष उत्पन्न हो सकता है और गुट मे आपसी मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। अगर अमेरिका और कनाडा मैक्सिको के आर्थिक औद्योगिक विकास मे सक्रिय सहायक की भूमिका अपनाये तो शीघ्र ही मैक्सिको भी औद्योगिक और तकनीकी विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।

पहली बार इस व्यापार समझौते मे वस्तुओ के साथ-साथ सेवाओ को भी मुक्त व्यापार में शामिल कर लिया गया है। मैक्सिको श्रम बाहुल देश है तथा कनाडा मे और अमेरिका मे श्रम साधनो की कमी है। इन तीनो देशो की साझा सकल राष्ट्रीय आय कुल विश्व के राष्ट्रीय आय का एक तिहाई है और यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सकल राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। क्षेत्रफल, खनिज और अन्य प्राकृतिक सुविधाओ की वजह से इस समूह का कोई मुकाबला नही किया जा सकता है। अमेरिका और कनाडा खाद्यान्न का निर्यात करते है और मैक्सिको खाद्यान्न का आयात

करता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से अमेरिका काफी विकसित है और मैक्सिको उद्योग और तकनीक का आयात करता है। इसकी वजह से मैक्सिको को लाभ हो सकता है तथा अमेरिका को भी अपने निर्यातो को बढाने मे काफी सफलता मिल सकती है।

सेवाओ के क्षेत्र मे मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योकि परिवहन सेवाओ, दूर सचार और बीमा सेवाओ के क्षेत्र मे अमेरिकी निगमे काफी कुशल है। कृषि के क्षेत्र मे कनाडा का निर्यात बढ सकता है, लेकिन मैक्सिको के निर्यात के बढने की सभावना कम है। मैक्सिको को इस समझौते का लाभ मुख्यतः दो क्षेत्रो मे प्राप्त हो सकता है ।

(1) मैक्सिको को अधिक पूँजी और उन्नत तकनीक प्राप्त हो सकती है जिसकी वजह से वह अपने यहाँ औद्योगिक इकाईयो की स्थापना कर सकता है और अमेरिका को भी अपना निर्यात बढा सकता है ।

(ii) राजनीतिक महत्व के तहत अब मैक्सिको एक नये आर्थिक गुट का सदस्य हो गया है। जो विश्व मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गुट है। शुरू मे मैक्सिको को प्रतिकूल भुगतान शेष की समस्या से निपटना पड सकता है। वहाँ के अधिकाश उद्योग और सेवा क्षेत्रो मे अमेरिकी प्रतिद्वन्दिता के कारण मूल निवासियो को नुकसान उठाना पड सकता है। बेरोजगारी और मन्दी भी आ सकती है लेकिन दीर्घकाल मे मैक्सिको का लाभ होना सुनिश्चित है ।

इन तीनो देशो का व्यापार विश्व के व्यापार का 18% है, जिसमे अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अमेरिका के कुल निर्यात मे से 20% निर्यात कनाडा को किया जाता है ।(लगभग 87 बिलियन डालर) और मैक्सिको को 9% निर्यात किया जाता है (लगभग 41 बिलियन डालर)। मैक्सिको से 77% निर्यात अमेरिका को किया जाता है (कुल निर्यात 44 बिलियन डालर, अमेरिका को 33 7 बिलियन डालर)। इसी प्रकार कनाडा का 78% निर्यात अमेरिका को होता है (कुल निर्यात 135 बिलियन डालर मे से 105 बिलियन डालर)। कनाडा और मैक्सिको का आन्तरिक व्यापार बहुत सकुचित है जिसके बढने की अधिक सम्भावना है। मैक्सिको मे श्रमिको का मूल्य अमेरिका की तुलना मे काफी कम है, इसी कारण से मैक्सिको मे

अधिकाश वस्तुओ की उत्पादन लागत बहुत कम आती है जिसकी वजह से मैक्सिको मे औद्योगीकरण और रोजगार बढ सकता है।

नाफ्टा तीन देशो का एक व्यापारिक गुट है और इससे सभी सदस्य देशो को लाभ हो सकता है लेकिन सबसे अधिक फायदे मे अमेरिका ही रहने वाला है। अमेरिका को मैक्सिको जैसे देश मे काफी रियायत मिलने से व्यापक सम्भावनाओ वाला नया बाजार प्राप्त हुआ है। जिससे अमेरिका के निर्यात मे वृद्धि हो सकती है, रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकते है तथा अर्थव्यवस्था मे नये रक्त -सचार के साथ ही कारपोरेट क्षेत्र सबसे अधिक लाभ की स्थिति मे हो सकते है ।मैक्सिको भी भारत की तरह एक विकासशील देश है जहॉ काफी सस्ता श्रम उपलब्ध है। जिसके फलस्वरूप मैक्सिको मे अमेरिकी पूँजी का प्रवाह बढ सकता है, जिससे वहॉ भी रोजगार के नये अवसरों का सृजन हो सकता है। कनाडा का आर्थिक भविष्य नाफ्टा के साथ जुडा हुआ है। वैसे भी अमेरिका के साथ कनाडा का एक समझौता पहले से ही है, जिसके फलस्वरूप दोनो ही देशो को व्यापार मे कोई विशेष परेशानी नही होगी ।

नाफ्टा के तहत हुए कुछ प्रमुख समझौते

(i) "अमेरिका से कृषि जिसो के आयात पर से मैक्सिको 10-15 वर्षो मे आयात शुल्क समाप्त कर देगा ।

(ii) तीनो देश एक -दूसरे के लिए लागू सभी व्यापार प्रतिबध 10 वर्षो मे पूरी तरह समाप्त कर देगे ।

(iii) सीमा शुल्क 15 वर्षों के लिए लागू होगा। मैक्सिको मे उत्पादित वस्तुओ पर अमेरिका मे सीमा शुल्क औसतन 4 प्रतिशत से कम होगा, जबकि इसके विपरीत अमेरिकी वस्तुओ पर मैक्सिको मे सीमा शुल्क औसतन 10 प्रतिशत होगा ।

(iv) वित्तीय सेवाओ मे मैक्सिको अपने वित्तीय बाजार अमेरिका और कनाडा के लिए खोल देगा तथा वहॉ की बीमा कम्पनियो एवं बैको का पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयॉ स्थापित करने की अनुमति प्रदान करेगा ।

(v) अमेरिका मैक्सिको को प्रतिवर्ष निर्यात होने वाले लगभग 25 करोड डालर (कुल निर्यात

का लगभग 20 प्रतिशत) के वस्त्र एव परिधानो पर सभी तरह के अकुश या नियत्रण तत्काल प्रभाव से हटा देगा ।" [1]

जहॉ नाफ्टा से तीनो ही सदस्य देशो को लाभ हो सकता है, वही पर दूसरी ओर लातिनी अमेरिका के अन्य देशो, दक्षिण-पूर्व एशिया ने नव विकसित देशो, यूरोपीय समुदाय और भारत जैसे विकासशील देशो को थोडी बहुत परेशानी हो सकती है। 24 जनवरी 1996 को भारतीय निर्यात सगठन सघ ने कहा है कि नाफ्टा के अस्तित्व मे आने से भारत के व्यापार हितो पर सीधे खतरा पैदा हो सकता है। भारतीय निर्यात सगठन सघ ने 1996-2001 के लिये 'भारत की निर्यात रणनीति' नामक प्रारूप मे कहा है कि नाफ्टा दो विकसित देशो और एक विकासशील देश का समूह है, जो वास्तव मे अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मैक्सिको के सस्ते श्रम का मिश्रण है। जिसका उद्देश्य अन्य विकासशील देशो से उत्तर अमेरिका मे आयात की माग को कम करना हो सकता है ।नाफ्टा विशेषकर कपडा क्षेत्र पर आधारित है। वही पर भारत एक ऐसा देश है जहॉ कपडा क्षेत्र के निर्यात मे तेजी से वृद्धि हो रही है और कुल निर्यात मे इसका हिस्सा लगभग एक -चौथाई है। इसीलिए नाफ्टा के प्रतिरूप कदम उठाने के लिए भारतीय निर्यात सगठन सघ ने ऐसी नीति बनाने का सुझाव दिया है, जिससे कनाडा और अमेरिका के साथ-साथ पुनर्खरीद और तीसरे देश को निर्यात करने की सुविधा दी जाये। इसके अतिरिक्त उत्तर अमेरिकी बाजार के लिए भारतीय निर्यातको को सरकार की ओर से विशेष सहायता भी दी जानी चाहिए ।

5- साप्टा

भारत सहित दक्षिण एशिया के सात देशो मे साप्टा अर्थात 'दक्षिण एशियाई वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता' को लागू कर दिया गया है। साप्टा का प्रस्ताव सबसे पहले श्रीलका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिह प्रेमदास ने 1991 मे हुए छठे दक्षेस शिखर सम्मेलन (कोलम्बो) के दौरान किया तथा उसके बाद अप्रैल 1993 मे ढाका मे सम्पन्न सातवे दक्षेस शिखर सम्मेलन के दौरान उस पर हस्ताक्षर किया गया। दक्षिण एशिया का पहला क्षेत्रीय व्यापारिक गुट 4 दिसम्बर 1995 से अस्तित्व मे आ

1 क्रानिकल, मार्च 1996, पृ०-12 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिव लोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015

गया है। इस सगठन से भारत, पाकिस्तान, बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल, भूटान और मालदीव को विशेष रियायते ही उपलब्ध नही हो सकता, बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रीय व्यापारिक गुटो के जवाब मे एक करारी पहल भी सिद्ध हो सकता है। साप्टा के अन्तर्गत जो उत्पाद आते है , उनके तटकर मे कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। दो देश आपस मे परस्पर विचार -विमर्श करके तटकर मे कटौती का प्रतिशत तय कर सकते है।

बाग्लादेश, नेपाल और भूटान को न्यूनतम विकसित देश घोषित करने के उपरान्त ये व्यवस्था की गयी है कि ये देश दक्षेस देशो से आयात पर अस्थायी रोक लगा सकते है। "साप्टा के अन्तर्गत आने वाले सदस्य देशो ने अभी तक केवल 226 वस्तुओ को ही शुल्क रियायत देने की सहमति प्रकट की है। इनमे से भारत सर्वाधिक 106 वस्तुओ पर शुल्क रियायत देकर इस व्यापारिक गुट मे अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। जबकि इस सन्दर्भ मे पाकिस्तान ने 35 वस्तुओ, श्रीलका ने 31, मालदीव ने 17, बाग्लादेश ने 12 तथा भूटान ने 7 वस्तुओ की सूची जारी की है। लगभग 1 2 अरब आबादी वाले इन देशो के बीच आपसी व्यापार कुल विश्व व्यापार का मात्र 3 प्रतिशत (9,300करोड डालर) है ।" [1] इन सभी देशो के बीच आने वाली विभिन्न बाधाओ की वजह से ऐसा है, लेकिन साप्टा के वजह से ये बाधाऐ अब टूटती नजर आ रही है। ये सभी देश औद्योगिक उत्पादो को विकसित देशो से आयात करते है, जो कि यही औद्योगिक उत्पाद क्षेत्र के अन्य पडोसी देशो से काफी सस्ते मे आयात किया जा सकता है ।

9 जनवरी, 1996 को नयी दिल्ली मे दक्षेस देशो के वाणिज्य एव व्यापार मन्त्रियो का प्रथम सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमे साप्टा को प्रभावशाली बनाने का सकल्प लिया गया ताकि सन् 2000 तक या अधिक-से -अधिक 2005 से पूर्व तक इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इस सम्मेलन मे साप्टा को पूरी तरह से लागू करने और व्यापार उदारीकरण पर अन्तरसरकारी दल की बैठक मार्च, 1996 मे श्रीलका मे बुलाने का निश्चय किया गया। तत्कालीन वित्त मन्त्री डा० मनमोहन सिह के अनुसार "दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते

---

1 क्रानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208, शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015पृ० -12

(साप्टा) से दक्षेस देशो के बीच क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार को बल मिलेगा। इससे व्यापार के साथ ही निवेश मे भी इजाफा होगा। ऐसी कई आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाएँ है, जिनका कार्यान्वयन क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर ही सभव है। दक्षेस देशो के बीच आर्थिक सहयोग से सभी सदस्यो को लाभ मिलने वाला है। इससे किसी देश को नुकसान नही होगा ।"[1]

साप्टा के देशो के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार मे जानकारी और सूचनाओ के आदान-प्रदान मे दूरी सबसे बडी बाधा रही है। विकसित देशो ने मानवाधिकार, श्रमिक मानक और पर्यावरण जैसे नये सरक्षणवादी तरीके अपनाने शुरू कर दिये है ।ऐसी दशा मे विकासशील देशो की मदद के लिए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे क्षेत्र की व्यापक प्रतिष्ठा भी बढ सकती है।

साप्टा के लागू होने के साथ ही दक्षिण एशिया मे क्षेत्रीय आर्थिक व व्यापार सहयोग के एक नये युग की शुरूआत हो रही है। भारत दक्षिण एशिया मे सबसे बडी अर्थव्यवस्था है और यदि इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बडा व्यापारिक देश पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ता सामान्य होने की दिशा मे कदम बढाया जाय तो वास्तव मे साप्टा का आर्थिक सहयोग आन्दोलन एक नये धरातल पर खडा हो सकता है। यदि इस क्षेत्र के सभी देश आपस मे सहयोग करे तो यह क्षेत्र की सबसे बडी ताकत हो सकती है, जिसके बल पर विकसित देश भी दक्षिण एशिया का लोहा मानने के लिये बाध्य हो सकते है ।

बदलते आर्थिक परिवेश मे व्यापार और उद्यम की नयी -नयी सभावनाये पैदा हो रही है तथा क्षेत्र के व्यावसायिक समुदाय का ध्यान तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहा है। साप्टा के गठन के बाद नयी सभावनाओ के प्रति व्यापारिक क्षेत्र का रूख काफी उत्साहवर्धक रहा है। तत्कालीन प्रधानमत्री पी०वी०नरसिह राव के अनुसार "दक्षेस के बीच व्यवसायियो की मुक्त आवाजाही, सचार और दूरसचार सपर्कों मे सुधार तथा आवागमन की सुविधा के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमडलो की यात्रा क्षेत्र के लिए जरूरी आवश्यकताए है।"[2]

1 अमृत प्रभात, इलाहाबाद 4 जनवरी 1996, पृष्ठ -1
2 अमृत प्रभात, इलाहाबाद, 9 जनवरी 1996, पृ० -12

आपसी व्यापार मे बाधाओ का एक बार पता चल जाने से उनका निवारण किया जा सकता है। इससे निवेश कारोबार, सयुक्त उद्यम और सेवाओ मे वृद्धि होने की सम्भावना रहती है ।दक्षेस क्षेत्र के सभी देशो मे आम धारणा यही है कि अपने पडोसी देशो से ही आयात किया जाय। इस बात को ध्यान मे रखते हुये सदस्य देशो को एक दूसरे के साथ व्यापार सवर्धन के लिए उचित नीतियॉ और उपाय करने चाहिये। दक्षेस देशो को समय पर साप्टा को क्रियान्वित करने के लिए विशिष्ट मुद्दो पर समझौता करना चाहिये तथा भविष्य के लिए एजेडा तैयार करना चाहिये।

क्षेत्रीय सहयोग से फायदा हो जाने के बावजूद ऊहापोह की स्थिति, गरीबी की स्थिति तथा क्षेत्रीय विषमता के कारण शुरू मे दक्षिण एशिया मे आर्थिक सहयोग गति नही पकड पाया। विश्व के कुल व्यापार मे दक्षेस देशो का व्यापार एक प्रतिशत भी नही है जबकि इन देशो के कुल विदेशी व्यापार मे से केवल तीन प्रतिशत व्यापार आपस मे होता है ।

सदस्य देशो को साप्टा से क्षेत्र मे मुक्त व्यापार समझौते साप्टा की तरफ बढना चाहिये। क्षेत्र मे मुक्त व्यापार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूलभूत सुविधाओ का विकास किया जाना चाहिये। नकारात्मक सूची मे दर्ज वस्तुओ को छोडकर बाकी सभी वस्तुओ का व्यापार वरीयता के आधार पर तय शुल्क अथवा गैर शुल्क दरो पर किया जाय। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साप्टा की प्राप्ति तक इन नकारात्मक सूचियो मे लगातार गिरावट आनी चाहिये ।

6- **समूह** -15

समूह -15 विश्व के 15 विकासशील देशो का एक सगठन है। समूह -15 का पूरा नाम ''सम्मिट लेवेल ग्रुप फार साउथ-साउथ कसल्टेशन एड को-आपरेशन'' (दक्षिण-दक्षिण सलाह और सहयोग के लिये शिखर समूह) है। सन् 1989 मे बेलग्रेड (युगोस्लाविया) मे जब गुटनिरपेक्ष आदोलन का नौवा शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ, उस दौरान इस सगठन की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशो के बीच आर्थिक सहयोग को बढावा देना है। इसके सस्थापक सदस्य देश है - भारत, अर्जेन्टीना, युगोस्लाविया, ब्राजील, मिस्र, सेनेगल, नाइजीरिया, अल्जीरिया, वेनेजूएला, इडोनेशिया, मलयेशिया, पेरू, जमैका, मैक्सिको और जिम्बाम्वे ।

"समूह -15 के देशो का सकल घरेलू उत्पादन 14 खरब डालर और व्यापार 404 अरब डालर का है। अतः विश्व के व्यापारिक परिदृष्य के सन्दर्भ मे इन देशो की सामूहिक सहयोग की नीति काफी लाभप्रद हो सकती है। व्यापार, पूँजी-निवेश, प्रौद्योगिकीय लेन-देन और पर्यटन के क्षेत्र मे ये देश आपसी सहयोग की पहल कर सकते है और उसके आधार पर व्यापार को आगे बढाया जा सकता है ।"[1]

समूह -15 का शिखर सम्मेलन बारी-बारी से सभी सदस्य देशो मे आयोजित किया जाता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1990 मे क्वालालम्पुर (मलयेशिया) मे, दूसरा सम्मेलन 1991 मे कराकस (वेनेजुएला) मे, तीसरा सम्मेलन 1992 मे डकार (सेनेगल) मे, चौथा सम्मेलन मार्च 1994 मे नयी दिल्ली (भारत) मे, तथा पाचवा शिखर सम्मेलन 6-8 नवम्बर, 1995 को अर्जेन्टीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स मे आयोजित किया गया।

वर्तमान समय मे समूह -15 के सदस्य देशो मे से अधिकाश देशो मे आर्थिक सुधार चल रहा है। इनमे प्रशिक्षित मानव ससाधन, आबादी, बाजार और प्राकृतिक ससाधन भी बहुत अधिक मात्रा मे है। इन देशो मे मजदूरी सस्ती है, इसीलिये विकसित देश उसी को मुद्दा बनाकर व्यापारिक बाधाये खडी करना चाहते है तथा पर्यावरण,बाल मजदूरी और मानवाधिकार के बहाने भी उनके व्यापार मे अडचने खडी करते रहते है।

गरीबी-अशिक्षा, भूखमरी, विदेशी कर्ज जैसी चुनौतियो का मुकाबला विकासशील देश सिर्फ आपस मे पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही कर सकते हैं। इसलिये विकासशील देशो के बीच क्षेत्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना नितान्त आवश्यक होता है। विकासशील देशो की सामूहिक ताकत से ही राष्ट्र विशेष भी मजबूत होता है। इसके लिये खुली क्षेत्रीयतावाद की नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता है तथा इसी के अन्तर्गत विकासशील देशो को क्षेत्रीय आधार पर पडोसी देशो के साथ व्यापारिक सहयोग बढाने के साथ-साथ विश्व स्तर पर विकासशील देशो के साथ भी आर्थिक सबधो को मजबूत करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ विकसित और

1 प्रतियोगिता सम्राट, जून 1994, दीवान पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, नजफगढ रोड, नई दिल्ली -110015 पृ० - 36

विकासशील देशो के बीच एक नयी लोकतान्त्रिक भागीदारी कायम करना और आपसी विकास करने के लिये एक नयी परम्परा की शुरूआत की आवश्यकता है। जिसकी वजह से केवल समूह -15 के देशो का ही नही बल्कि सभी विकासशील देशो का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है ।

इस सगठन के पाचवे शिखर सम्मेलन मे प्रतिनिधियो ने गरीबी, बेरोजगारी, तथा ग्रामीण क्षेत्रो की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त किया। लेकिन इस प्रकार की चिन्ताओ को केवल सम्मेलनो तक रख छोडने से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नही हो सकती और केवल अमीर देशो पर किसी प्रकार का तोहमत लगाकर ऐसी समस्याओ का समाधान नही ढूढा जा सकता है। इसके लिये जरूरी है कि सभी विकासशील और विकास की दौड मे जो देश पिछड गये है, उन देशो को आपस मे एकजुट होकर विकास के लिए स्वय प्रयास करना चाहिये तथा अमीर और विकसित देशो पर से अपनी निर्भरता को कम करने की भी जरूरत है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमत्री श्री पी०वी०नरसिह राव ने इसका समर्थन करते हुए पाचवे शिखर सम्मेलन मे कहा कि "उत्पादन तथा सेवाओ के क्षेत्र मे विकासशील देशो की प्रतियोगी क्षमता बढाई जानी चाहिए ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था से समानता के आधार पर जुड सके और विकास व व्यापार के नये केन्द्र बिन्दु बन सके।"[1]

7-**समूह** -7

समूह -7 विश्व के सात बडे विकसित एव औद्योगिक देशो का सगठन है तथा इस सगठन के सात प्रमुख सदस्य देश है - सयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और इटली। इसका क्षेत्रफल कुल 21,183 हजार वर्ग किलोमीटर है तथा इन देशो की कुल आबादी 5,479 लाख (1992) है। वर्ष 1991 मे ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 16,600 अमेरिकी डालर और जापान की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 33,710 अमेरिकी डालर रहा है। 1992 मे इन सभी देशो मे बेरोजगारो की सख्या 22 14 मिलियन रही।

समूह -7 का उद्देश्य आर्थिक सहित अन्य सभी क्षेत्रो मे सुरक्षा की दृष्टि से तादात्म्य स्थापित

---

1 क्रानिकल, मार्च 1996,क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस-1 नई दिल्ली -110015 पृ० -14

करना है। प्रति वर्ष जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसमे बेरोजगारो की बढती सख्या पर अकुश लगाना, रोजगार के नये अवसरो का सृजन करना, मदी से उबरना तथा अर्थतत्रो मे गतिशीलता लाने पर बल दिया जा रहा है। इन विकसित देशो मे औद्योगिक कल-कारखानो की बहुतायत होने से, उसके उत्पादो का निर्यात और उससे होने वाली आय ही समृद्धि का मुख्य स्रोत है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों मे इन देशो के अन्दर सरक्षण पनपने के कारण इनके व्यापार मे कमी आ गयी है ।

1994 मे समूह -7 का शिखर सम्मेलन नेपल्स (इलली) मे आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सबसे मुख्य बात रूस को समूह -7 का पूर्ण भागीदार बनाना रहा है। अभी तक रूस को राजनीतिक उपायो पर होने वाले विचार-विमर्श मे ही शामिल किया गया है और आर्थिक मामलो पर जो बातचीत होती है उससे अलग रखा गया है। "ये सात देश न केवल प्रमुख औद्योगिक देश है, बल्कि विश्व मे सबसे समृद्ध देश है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैक, एशियाई विकास बैक सहित सभी प्रमुख वित्तीय सस्थाओ एव सगठनो पर इन देशो का पूरा नियन्त्रण है। ये देश विश्व के कुल साधनो के 81 9 प्रतिशत की खपत करते है ।"[1]

1993 मे टोक्यो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमे रूस को इस शिखर सम्मेलन मे सबसे पहले शामिल होने के लिए जापान ने आमत्रित किया। रूस की अर्थव्यवस्था अभी समूह-7 के सदस्य देशो की तरह मुख्य बाजार वाला नही है तथा वह अभी अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खडा होने के लिए पश्चिमी सहायता पर ही निर्भर है। 1995 मे समूह -7 का 21 वॉ शिखर सम्मेलन कनाडा मे आयोजित हुआ ।

8- कोमेसा

कोमेसा पूर्वी एव दक्षिणी अफ्रीकी देशो का एक व्यापारिक सगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी साझा बाजार है। इसकी स्थापना युगाडा की राजधानी कम्पाला मे 5 नवम्बर 1993 को हस्ताक्षर करके की गयी। कोमेसा के कुल सदस्य देशो की सख्या 27 है, जिसमे युगाडा,

1 क्रानिकल, सितम्बर 1991, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015पृ० -13

दक्षिण अफ्रीका,मेडागास्कर, साईचीलीस, इरीट्रिया, जाम्बिया आदि देश शामिल है। इस सगठन का मुख्य उद्देश्य 320 मिलियन लोगो के लिए एक साझा बाजार की स्थापना करना है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 125 बिलियन डालर है।

शीतयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद अफ्रीकी देशो को अतर्राष्ट्रीय सहायता मिलना कम हो गया तथा जो बाहरी देश अफ्रीकी देशो को मदद करते थे, वे ही अफ्रीकी देशो पर इस बात के लिए दबाव डालने लगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को उनके अनुकूल ढाल ले। लेकिन अफ्रीकी देशो मे ऐसी क्षमता बहुत कम रही है, जो बाहरी दबाव के अनुरूप अपने आर्थिक सरचना का विकास कर सकते है। इस लिए ऐसी परिस्थिति मे उस क्षेत्र के अफ्रीकी देशो को कोमेसा जैसी बाजार व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लेना पडा ताकि उस क्षेत्र की पर्याप्त आर्थिक उन्नति हो सके।

9- ओपेक

ओपेक 13 पेट्रोलियम निर्यातक देशो का सगठन है, जिसका पूरा नाम ''पेट्रोलियम निर्यातक देशो का सगठन'' है। 1962 मे तेल उत्पादक देशो ने इराक की राजधानी बगदाद मे एक सम्मेलन मे ओपेक की स्थापना का निर्णय लिया। तीन अरब मुस्लिम देश-इराक, कुवैत एव सऊदी अरब, गैर-अरब मुस्लिम देश-ईरान, दक्षिण अमेरिकी गैर-अरब व गैर-मुस्लिम देश वेनेजुएला ओपेक के सस्थापक सदस्य देश है। विश्व तेल व्यापार का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग इन्ही पॉच देशो के हिस्सा आता है। इस सगठन मे बाद मे निम्न देश शामिल हुए-अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, लीबिया, इडोनेशिया, नाइजीरिया, कतर तथा सयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार ओपेक के सदस्य देशो की कुल सख्या 13 है। इस सगठन की सदस्यता ऐसे देश भी ग्रहण कर सकते है जो पर्याप्त मात्रा मे अशोधित तेल निर्यात करते हो और जिनका पूरा हित मूल रूप से सगठन के सदस्य देशो के हितो से मिलता-जुलता हो।

10- ओ० ई० सी० डी०

ओ०ई०सी०डी० विश्व के सभी विकसित देशो का सगठन है। इसका पूरा नाम आर्थिक विकास व सहयोग सगठन है। पहले इसके सदस्यो की संख्या 24 थी, लेकिन 1 जनवरी 1996 से विश्व

के विकसित देशो की सूची मे सिगापुर के शामिल हो जाने की वजह से अब इसकी सख्या 25 हो गयी है तथा इस सगठन का मुख्यालय पेरिस (फ्रास) मे स्थित है।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यूरोप के पुनर्निमाण के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग सगठन बनाया गया। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मत्री मार्शल द्वारा प्रस्तावित सहायता अभिवचन के प्रत्युत्तर मे ओ०ई०ई०सी० सगठन का गठन किया गया, इसे मार्शल सहायता के नाम से भी जाना जाता रहा। 1948 मे पेरिस मे आयोजित यूरोपीय देशो के एक सम्मेलन मे इस प्रस्ताव पर सहमति हुई तथा उसके बाद 1961 मे इसका नाम बदलकर ओ०ई०सी०डी० रख दिया गया, क्योकि तब तक इसमे गैर-यूरोपीय देश सयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी शामिल हो गये थे। इस पुनर्गठित सस्था का उद्‌देश्य सदस्य देशो को आर्थिक प्रगति मे अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना तथा लोगो के जीवन स्तर को उन्नत करना है।

11- हिंद महासागर तटीय देश

पिछले चार-साढे चार हजार वर्षो से हिद महासागर के तट पर बसे हुए देश और वहॉ के निवासी किसी न किसी रूप मे, खासकर व्यापार के बहाने एक-दूसरे से जुड रहे है। आज के इन तटीय देशो को आपस मे स्थायी आर्थिक सम्बन्ध कायम करने के प्रयत्न के पीछे एक लम्बा सिलिसिला रहा है। हिन्द महासागर का तट तीन महाद्वीपो एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के देशो को एक दूसरे से जोडता है। ये देश जाति, सस्कृति तथा धर्म की दृष्टि से काफी भिन्नता रखते है। इन सबसे बढकर इन देशें मे आर्थिक असमानता है। एक तरफ जहॉ आस्ट्रेलिया और सयुक्त अरब अमीरात जैसे देशो मे प्रति व्यक्ति आय का औसत 15,000 डालर है, वही पर दूसरी तरफ मोजाम्बिक, तजानिया, मेडागास्कर, बाग्लादेश जैसे गरीब अफ्रो-एशियाई देशो मे इसका औसत काफी कम केवल 250 डालर है। इनमे एक तरफ जहॉ पर 90 करोड की जनसख्या वाला देश भारत है, तो वही पर दूसरी तरफ ऐसे भी देश है, जिनकी जनसख्या केवल 80 हजार है।

आपस मे इतनी भिन्नताओ के होने के बावजूद विश्व के बदलते परिदृश्य को देखते हुए इन सब तटीय देशो का एक क्षेत्रीय आर्थिक गुट बनाने की बात पिछले कई वर्षों से उठ रही है, लेकिन इस दिशा मे कोई कुछ खास प्रगति नही हो सकी। लेकिन इधर एकबार फिर इसके गठन की

माग बडी तेजी से प्रबल हो उठी है। यदि भूमडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को ध्यान मे रखकर इन सभी देशो का एक 'मुक्त व्यापार सगठन' बन जाय तो यह बीसवी शताब्दी की एक बहुत बडी आर्थिक घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद बडी तेजी से क्षेत्रीय व्यापार गुटो का गठन किया गया है। नाफ्टा, यूरोपीय सघ, कोमेसा, ओपेक, आसियान आदि इसी आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कोख से बाहर निकले है। इन सबको देखते हुए हिन्द महासागर के तटीय देशो का भी एक व्यापार गुट गठित करना जरूरी हो गया है, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से हो सके। 'हिन्द महासागर के तट पर बसे एशिया और अफ्रीका के देशो की जनसख्या, विश्व की कुल जनसख्या की एक-तिहाई है। यह क्षेत्र खनिज ससाधनो के मामले मे भी काफी समृद्ध है।

वहॉ विश्व का दो-तिहाई तेल भडार कुल यूरेनियम भडार का 60 प्रतिशत, कुल सोने का 40 प्रतिशत तथा विश्व के कुल हीरे के भडार का 98 प्रतिशत उपलब्ध है।"[1] दक्षिण अफ्रीका के रगभेदी शासन से मुक्त हो जाने के बाद वहॉ के राष्ट्रपति डा० नेल्सन मडेला ने भी इस प्रकार का गुट बनाने की घोषणा किया है और स्वय भी काफी सक्रियता दिखायी है। भारत, द० अफ्रीका, मारिशस, केन्या, आस्ट्रेलिया, ओमान तथा सिगापुर, इस क्षेत्र के वे प्रमुख देश है, जो क्षेत्रीय व्यापार गुट के गठित करने के लिए प्रयास कर रहे है। इस दिशा मे हाल ही मे नई दिल्ली मे 14 दिसम्बर, 1995 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे भाग लेने वाले देशो ने यह तय किया कि क्षेत्रीय व्यापार को बढाने के मार्ग मे जो अवरोध है, उनकी पहचान करके उन्हे दूर करने का प्रयास किया जाय। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार सस्थाओ 'फिक्की', सी०आई० आई० और एसोचैम द्वारा सयुक्त रूप से आयोजित किया गया। उस सम्मेलन मे यह तय किया गया कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढाने के लिए दूरसचार, कस्टम और व्यापार दस्तावेजीकरण, गैर-चुगी बाधाये, समुद्री परिवहन और सम्बन्धित मामले, पर्यावरण और ऊर्जा के मामलो पर विशेष ध्यान दिया जाय।

---

1 क्रानिकल, मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली-10015,पृ०-15

जून 1995 मे आस्ट्रेलिया ने इस गुट के देशो की तीन दिवसीय बैठक पर्थ मे आयोजित किया, जिसमे 28 देशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया और उस बैठक मे दो 'प्रसार समूहो' की स्थापना की गई, जो सम्बन्धित देशो मे व्यापारिक और शैक्षणिक वातावरण का माहौल तैयार करेगा। इस बैठक के आयेजित होने के पहले प्रस्तावित गुट के सात प्रमुख देश मार्च 1995 मे पोर्ट लुइस मे मिले और पारस्परिक व्यापार सभावनाओ और अडचनो के बारे मे बातचीत की।

आर्थिक प्रगति मे सहयोग के अलावा तटीय देशो का गुट गठित हो जाने से इसके द्वारा सदस्य देशो के द्विपक्षीय विवादो, आतरिक अशाति तथा देश की सप्रभुता व अखडता को, पडोसी देशो के खतरे के मसले को भी हल किया जा सकता है। अतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय व्यापार गुटो की तगडी प्रतिस्पर्धा, तटीय देशो के गुट की सफलता को प्रभावित भी कर सकती है। क्योकि वे गुट यह नही चाहते कि एशिया-अफ्रीका का एक बडा बाजार उनके हाथो से निकल जाय। तटीय देशो के गुट की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह अतर्राष्ट्रीय व्यापार गुटो से कितनी दक्षता के साथ पेश आता है। हिन्द महासागर के तटीय देशो का व्यापार गुट का गठन इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योकि दक्षिण एशिया के देश काफी पहले से अपना व्यापार गुट (साफ्टा) बनाने मे जुटे हुए है। हिन्द महासागर के तटीय देशो का व्यापार गुट यदि शीघ्र ही अमल मे आ जाता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया के देशो के लिए सुखकर हो सकता है, बल्कि यह हिन्द महासागर के समस्त तटवर्ती देशो के हित मे हो सकता है, जिससे विश्व के इस बदलते दौर मे सभी देशो को अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत एव गतिशील करने का अवसर मिल सकता है।

हिन्द महासागर के तटीय देशो के गुट का प्रमुख लक्ष्य है - आपसी व्यापार को गति प्रदान करना, सयुक्त बाजार, उदारीकरण, सयुक्त खरीद आदि पर अमल करना, लेकिन यह सब क्षेत्रीय और पारस्परिक सहयोग की बदौलत ही सभव है। इसके अतिरिक्त इस गुट के लिए अन्य विषय गौण है। एक दूसरे को व्यापार सुविधाये उपलब्ध करा कर व्यापार सम्बन्धी तथ्यो और सूचनाओ का आदान-प्रदान, निवेश तथा तकनीक का आदान -प्रदान किया जा सकता है। भारत ने भी इस प्रस्ताव पर बल दिया है कि इस गुट के सात प्रमुख देश सयुक्त बाजार, सयुक्त खरीद और व्यापार के क्षेत्र मे सहयोग करके क्षेत्रीय सहयोग को बढावा दे सकते है।

भारत वर्तमान परिस्थितियो मे व्यापार और निवेश के मामले मे इस गुट के सात प्रमुख देशो के बीच सहयोग की सभावनाये तेजी से तलाश रहा है। भारत ने अपना ध्यान इस गुट के कुछ देशो, विशेषकर आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ 'सयुक्त व्यापार नीति' पर केन्द्रित कर रखा है। भारत और आस्ट्रेलिया प्राकृतिक ततुओ के विश्व के दस बडे निर्यातको मे से दो है। उसी प्रकार, आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व के दस प्रमुख लौह अयस्क के निर्यातको मे से तीन है। ये तीनो देश इस बात पर विचार कर रहे है कि एक जैसे उत्पादो के लिए सयुक्त बाजार की नीति पर अमल किया जाय तथा इसके साथ ही वे प्रादेशिक व्यापार सस्थाओ के माध्यम से बडी मात्रा मे वस्तुओ का आयात भी कर सके।

भारत के अनुरोध पर आस्ट्रेलिया उसे ससाधित खाद्य पदार्थ, औषधियो, विशेष प्रकार के चिकित्सीय उत्पादो, रासायनिक उत्पादन, बैकिग, बीमा, साफ्टवेयर का विकास, प्रबन्धन, दूरसचार, प्रदूषण नियत्रण और ऊर्जा बचत तकनीक, वैज्ञानिक उपकरण तथा खनिज ससाधन के क्षेत्र मे सहायता दे सकता है। भारत इस गुट मे शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका की खनन कपनियो से उन अत्याधुनिक तकनीको को हासिल कर सकता है, जिनके द्वारा कोयले, हीरे तथा अन्य खनिजो का वैज्ञानिक ढग से खनन किया जा सके। वहॉ पर कुछ कम्पनियॉ ऐसी भी है, जो अति आधुनिक तकनीक के जरिए कोयले को गैस मे बदलती है, भारत इससे भी लाभ उठ सकता है। भीतरी समुद्र मे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका हिन्द महासागर मे दोनो देशो की नौसेना के बीच भी व्यापक स्तर पर सहयोग कर सकते है। इसी तरह का सहयोग मारिशस, सिगापुर तथा अन्य तटीय देशो के साथ भी सभव हो सकता है।

तालिका- 4.2 : विश्व के प्रमुख व्यापारिक एव आर्थिक गुट

गुट का नाम 1	स्थापना वर्ष 2	सदस्य देश 3	उद्देश्य 4
1- एशिया प्रशात आर्थिक सहयोग	1989	अमेरिका, जापान, चीन,कनाडा, हागकाग, द०कोरिया, न्यूजीलैण्ड, ताइवान, आस्ट्रेलिया, सिगापुर, थाइलैण्ड, मलेशिया, इडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपीस	प्रशात बेसिन मे व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करना
2- पश्चिमी अफ्रीकी राज्यो का आर्थिक समुदाय	1975	पश्चिमी अफ्रीका के 16 देश	क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना
3- सीमाशुल्क सहयोग समिति	1950	भारत और अमेरिका सहित 108 सदस्य देश	सीमा शुल्क विषयो पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना
4- निर्यात नियत्रण समन्वय समिति	1949	अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रास और जर्मनी सहित 17 सदस्य देश तथा अन्य 8 समन्वयक देश	सदस्य देशो के बीच सामरिक वस्तुओ एव तकनीकी आकडो के निर्यात पर नियत्रण रखना
5- अरब सहयोग समिति	1989	मिस्र, इराक, जार्डन, यमन	अरब के सामान्य बाजार को हरसम्भव तरीके से उन्नत करना, आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढावा देना

1	2	3	4
6 दक्षिणी शकु सयुक्त मडी	1991	अर्जेंटीना,ब्राजील, पेरागुवे, यूरूग्वे	क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग
7. अरब आर्थिक एकता समिति	1957	मिस्र, इराक, जार्डन, कुवैत, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यू०ए०ई०, यमन, पी०एल० ओ०, सीरिया	अरब देशो के बीच आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देना (30मई, 1964 से प्रभावी)
8 केन्द्रीय अमेरिकी सामान्य बाजार	1960	कोस्टारिका, एल-सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होडरास, निकारागुआ।	केन्द्रीय अमेरिकी सामान बाजारो की स्थापना को बढावा (3जून1961 से प्रभावी)
9 बेनेलेक्स इकोनामिक यूनियन	1958	बेल्जियम, लम्जमबर्ग, नीदरलैण्ड	आर्थिक सहयोग एव एकीकरण को विकसित करना (1 नवम्बर, 1960 से प्रभावी)
10- केन्द्रीय अफ्रीकी सीमा शुल्क व आर्थिक संघ	1964	कैमरून, सेट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कागो आदि	केन्द्रीय अफ्रीकी सामान्य बाजारो को स्थापति करने पर बल (1 जनवरी,1966 से प्रभावी)
11 पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय	1972	बेनिन, बुर्कीना, आइवरी कोस्ट, माली, मैारिटानिया, नाइजर, सेनेगल तथा पर्यवेक्षक के रूप मे टोगो	क्षेत्रीय आर्थिक विकास सवर्द्धन
12 जग्गर समिति	1970	अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा सहित 25 सदस्य	निर्यात नियत्रण प्रावधानो आदि के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना

1	2	3	4
13 इफ्टा	1960	यूरोपीय निःशुल्क व्यापार सघ के सदस्य देश है- आस्ट्रिया, फिनलैण्ड, आइसलैण्ड, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, पुर्तगाल, डेनमार्क, ब्रिटेन	निःशुल्क व्यापार के प्रसार का विस्तार करना (3मई, 1960 से प्रभावी)
14- जी-3	1990	कोलम्बिया, मैक्सिको, बेनेजुएला	मशीनीकरण हेतु नीति समन्वय
15-जी-24	1972	भारत और पाकिस्तान सहित अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के 24देश	आई०एम०एफ० के तहत सदस्य देशो का हित सवर्द्धन करना
16-जी-77	1967	भारत व पी०एल०ओ० सहित 128 विकासशील देश	आर्थिक सहयोग बढाना
17-दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन	1980	अगोला, बोत्सवाना, लेसेथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, स्वाजिलैण्ड, तजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे	क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढावा देना
18-खाडी सहयोग समिति	1981	बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, स० अ० अमीरात (6 सदस्य)	आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एव सैन्य क्षेत्रो मे क्षेत्रीय सहयोग का सम्वर्द्धन करना
19-दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क सघ	1969	बोत्सवाना, किस्की, लेसेथो, नामीबिया, द० अफ्रीका, स्वाजिलैण्ड, ट्रासकेई, वेन्डा, बोयूथात्सवाना।	मुक्त व्यापार और सीमा शुल्क के मामले मे सहयोग

1	2	3	4
20-इस्लामी सम्मेलन सगठन	1969	विश्व के 47 मुस्लिम देश तथा फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन इसके सदस्य है।	इस्लामी सौहार्द तथा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढावा देना
21- लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रणाली	1975	दक्षिण अमेरिका के 26 देशो का सगठन	आर्थिक एव सामाजिक विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढावा देना
22- लैटिन अमेरिकी एकता सगठन	1980	अर्जेन्टीना, बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरागुवे, पेरू, युरुग्वे, वेनेजुएला	निःशुल्क क्षेत्रीय व्यापार को बढावा देना। यह सगठन 18 मार्च, 1981से प्रभावी हुआ।
23- षट्कोणीय समूह	1991	आस्ट्रिया, चेक, स्लोवाकिया, हगरी, इटली, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया (पूर्व)	एड्रीटिक एव बाल्टिक सागर के मध्य स्थित क्षेत्रीय समूहो हेतु आर्थिक-राजनीतिक समूह
24-निःशुल्क व्यापार सघ का अतर-परिसघ	1949	103 देशो (भारत नहीं) के 144 राष्ट्रीय सगठन इसके सदस्य है।	व्यापार सघ आदोलन का विकास करना
25-अमेरिका देशो का सगठन	1948	उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के 35 देश इसके सदस्य है तथा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 25 देश पर्यवेक्षक है।	शाति व सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढावा देना

1	2	3	4
26- पूर्वी कैरिबियाई राज्यो का सगठन	1981	एटीगुआ व बरबुडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मोटसेर्रात, सेटकीट्स व नेविस, सेट लूसिया, सेट विसेट तथा ग्रेनाडिन	आर्थिक, राजनीतिक व प्रतिरक्षा के क्षेत्र मे सहयोग

स्रोत :- क्रानिकल, अप्रैल 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा० लि० 208, शिवलोक हाउस-1, नई दिल्ली- 110015 पृष्ठ- 46

अध्याय -V

अन्य विकासशील देशों में निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन

अन्य विकासशील देशों में निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन

विकासशील देशो को विकसित देशो द्वारा लागू किये गये प्रतिबन्धो का सामना करना पडता है । औद्योगिकीकरण के साधन के रूप मे सरक्षणात्मक नीतिया अपनाने की अपेक्षा सम्वर्द्धन नीतिया अपनाने से व्यापार वृद्धि होने पर अधिकाश महत्वपूर्ण लाभ होते है। लेकिन विकासशील देशो की आन्तरिक नीतियॉ आदर्श हो तो भी निर्यात किचित मात्र ही बढ पाता है। विकासशील देशो से प्राथमिक उत्पादो के निर्यातो को बढाने का प्रयास विकसित देशो के बाजारो मे प्रतिबन्धो के कारण हतोत्साहित होता है एव इसके परिणामस्वरूप मूल्यो मे कमी होती है और सभवतः सम्बन्धित निर्यातो से अपेक्षाकृत कम आय होती है।

एक या दो प्राथमिक उत्पादो के निर्यात पर निर्भर रहने वाले छोटे देशो के सामने निर्यात बढाने की समस्या अधिक विकट होती है। किसी विकासशील देश द्वारा निर्यात वृद्धि किसी अन्य देश को हानि पहुॅचाकर होती है। विकासशील देशो के मामले मे विकसित देशो द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद निर्यात बढाने,विशेषकर निर्मित वस्तुओ की पर्याप्त गुजाइश रहती है।

कृषि उत्पादो तथा निर्मित वस्तुओ के विश्व निर्यात मे विकासशील देशो के वर्तमान हिस्से का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वे विश्व निर्यातो मे अधिक हिस्सा हथियाए बिना अपने निर्यातो मे काफी वृद्धि कर सकते है। कृषि उत्पादो के मामले मे यह अवसर प्रत्येक देश मे भिन्न-भिन्न है,परन्तु सभी विकासशील देशो के लिए गुजाइश काफी है। अतिरिक्त निर्यातो को किसी न किसी विकासशील देश के नियातो से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड रही है तथा अनेक मामलो मे मुख्य प्रतिस्पर्द्धी विकसित देशो के उत्पादक ही होते है। जूट की निर्मित वस्तुओ को छोडकर विश्व के निर्मित वस्तुओ के निर्यात मे विकासशील देशो का हिस्सा कम है या अल्पमात्र है और इसके बढने की काफी गुजाइश है।

निर्यातो को सम्वर्द्धन करने वाली नीतियॉ प्रभावकारी सिद्ध हुई है और उस स्थिति मे निर्यातो

मे हानि हुई है,जब नीति इनके विपरीत रही है। किसी निर्यातक देश के किन्ही विशेष वस्तुओ के विश्व निर्यात मे होने वाले परिवर्तन को प्रतिस्पर्द्धी घटको का सकेत समझा जाता है। इसको सम्बन्धित देश की अपनी नीतियो द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। निर्याते का वस्तु स्वरूप ताइवान तथा पाकिस्तान दोनो को अपने निर्यात बढाने मे काफी सफलता मिली। वे बहुत ही कम समय मे पहले से कही अधिक निर्यात करने लगे। उनकी निर्यात से प्राप्त होने वाली आय मे भी काफी वृद्धि हो गई है। 1966 मे रूपए के अवमूल्यन के बाद भारत द्वारा अपने निर्यात मे वृद्धि के लिए किए गए प्रयासो तथा अन्य उपायो से गैर-परम्परागत निर्यातो मे तीव्र वृद्धि हुई तथा उसके बाद कपडा तथा अन्य कृषि- आधारित वस्तुओ के निर्यात मे भी वृद्धि हुई।

युद्ध के बाद निर्मित वस्तुओ के व्यापार को मुक्त करने मे जितनी प्रगति हुई है,उसकी तुलना मे कृषि उत्पादो के मामले मे बहुत कम प्रगति हुई है। विकासशील देश कुछ कृषि उत्पादो,जैसे-गेहूँ के शुद्ध आयातक होते है। अब विकसित देशो मे गेहूँ उत्पादको को सरक्षण दिए जाने से विकासशील देशो को गेहूँ के आयात मे लाभ हो रहा है । चीनी जैसी अन्य वस्तुओ के मामले मे विकासशील देश विकसित देशो की अधिक उदात्त व्यापार नीतियो से लाभान्वित होते है और दूसरी ओर विकसित देश अपने देश के कृषको की आय को अन्य उपायो द्वारा बनाये रखते है जो विकासशील देशो के लिए कम अहितकर होता है। काफी तथा चाय जैसी वस्तुओ के मूल्यो को बनाए रखने के लिए वस्तु समझौतो को लागू करने मे विकसित देशो की सहायता आवश्यक है।

''विकसित देशो मे निर्मित वस्तुओ पर प्रशुल्को द्वारा जो सरक्षणा दिया जाता है,उसका स्तर औसतन उन वस्तुओ के मामले मे ऊँचा होता है जो विकासशील देशो के निर्यात मे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। विधायन के अश के साथ-साथ साकेतिक प्रशुल्को मे भी वृद्धि होती रहती है और अन्ततः निर्मित वस्तुओ सम्बन्धी साकेतिक सरक्षण की तुलना मे प्रभावी सरक्षण औसतन दुगुना होता है। गैर-प्रशुल्क अवरोध विशेषकर वस्त्रो,कपडा तथा विधाय कृषि उत्पादो के मामले मे,अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोटा-प्रतिबन्धो को इस प्रकार लागू किया गया है कि उनसे कुछ विकसित देशो के बाजारो को कुछ विकासशील देशो का कतिपय निर्मित वस्तुओ का निर्यात बन्द हो गया है।''[1]

---

1 एच० जी० पी० श्रीवास्तव - अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र , 1977, विकास पब्लिशिग हाउस प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृ०- 260

विकासशील देशो से निर्मित वस्तुओं के अतिरिक्त आयातो का विकसित देशो के घरेलू उद्योगो के मूल्यो तथा लाभो पर कहीं अधिक प्रभाव पडता है। उन आयातो की तुलना मे जो विकसित देशो के मध्य होते है। विकसित देशो के बीच व्यापार के विस्तार मे प्रायः उन्ही उद्योगो के उत्पादो का विनिमय होता है जिससे कि अतिरिक्त आयात मिलती-जुलती वस्तुओ के अतिरिक्त निर्यातो द्वारा प्रति सन्तुलित हो जाते है। कई वस्तुओ का,जैसे वस्त्र,मानकीकरण किया जाता है और वे मूल्यो के आधार पर प्रतियोगिता करते है,जबकि मशीनरी का मानकीकरण नही किया जाता और वह गुण के अधार पर प्रतियोगिता करते है। इसलिए यह आवशयक है कि उत्पादको के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाए ताकि वे और अधिक उदात्त नीति को मान ले।

निर्मित वस्तुओ के आयातो को मुक्त करने सम्बन्धी प्रतिरोधो को काबू कर लेने पर भी किन्ही विकसित देशो की सरकारे प्रतिबन्ध बनाए रखने की इच्छुक हो सकती है,क्योकि क्षतिपूर्ति होने पर भी उनको हटाना सर्वमान्य नही हो सकता है और इससे बजट लागत का प्रश्न पैदा हो जाता है। इससे सम्बन्धित देश के भुगतान सतुलन की स्थिति बिगड सकती है। लेकिन विकासशील देशो से निर्मित वस्तुओ के आयातो को मुक्त करने मे विकसित देशो का सामूहिक हित सन्निहित है। विकसित देशो को किसी प्रकार का व्यय वहन नही करना पडता क्योकि ससाधनो के अधिक दक्ष उपयोग से उनकी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। साथ ही उनके भुगतान सतुलन मे समग्र रूप से किसी प्रकार की हानि नही हो सकती क्योकि विकासशील देशो पर इस बात के लिए निर्भर रहा जा सकता है कि वे अपने आयातो मे अपने निर्यातो की वृद्धि के बराबर बढोत्तरी कर सकते है।

विकासशील देशो के सामने यह समस्या उभरकर आई है कि विकसित देश विकासशील देशो की अर्थव्यवस्था को कर्ज और अनुदान के विकट जाल से उबरने नही देते और न ही किसी ऐसे प्रयास को सफल होने देते है कि ये विकासशील देश एक झटके मे अपनी गरीबी,बेरोजगारी और भूखमरी की बुनियादी समस्याओ से उबर सके। कोपेनहेगन का सम्मेलन गरीब, पिछडे और विकासशील देशो की दयनीय सामाजिक स्थिति पर दुनिया के विकसित देशो का ध्यान खीचने के लिए बुलाया गया था। लेकिन विकसित देशो का जो रवैया रहा उससे साफ जाहिर होता है कि

वे न तो उतना सहायता देगे जिससे गरीब देश मुक्त हो सके और न ही इतना कम सहायता देगे कि गरीब देशो की अर्थव्यवस्था ही डूब जाए।

विकसित देश अपने हथियारो पर जितना खर्च करते है उसका एक तिहाई धन भी कई विकासशील देशो का भाग्य बदल सकता है। विकसित देश विकासशील देशो को हथियार बेचकर जो मुनाफा कमाते है उससे वे एश्वर्यपूर्ण जीवन बीताते है। जबकि एशिया,अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के अनेक विकासशील देश विकसित देशो के हथियार से अपना और अपने पडोसियो का खून बहाते है। काफी लम्बे समय से विकासशील देशो की विकसित देशो से माग रही है कि हमे सहायता नहीं बल्कि बराबरी का हक चाहिए। बार-बार अतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे वे यही फैसला करने जाते है। इन सम्मेलनो के गरीबी हटाओ और समस्या निपटाओं जैसे मार्का सदेशो से विकासशील देश उनकी ओर आकर्षित हो जाते है। जिसके कारण इन सम्मेलनो मे भारी सख्या मे विकासशील देशो की उपस्थिाति पाई जाती है।

विश्व बैक की रिपोर्ट के अनुसार ‘‘अनेक विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलने मे विफल रहे है। जिससे इस बात की आशका बढ गयी है कि तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था वाले देशो एव अविकसित देशो के बीच एक कभी न मिटने वाला अतर कायम हो जाएगा। पिछले पॉच वर्षो मे विश्व मे अर्थव्यवस्था मे खुलेपन एव शेष विश्व के साथ उसके एकीकरण मे काफी तेजी आयी है और कुछ प्रमुख विकासशील देश इसमे सबसे आगे रहे है। दक्षिणी ध्रुव मे ज्यादा विकसित एव कम विकसित देशो के बीच अन्तर को अगर खत्म नही किया जा सकता तो उसमे कमी तो अवश्य लायी जा सकती है। 1985 से 1994 के बीच सफल घरेलू उत्पाद की तुलना मे विश्व व्यापार गत दशक की अपेक्षा तीन गुना अधिक तेजी से बढा है। रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि मे विश्व स्तर पर सफल घरेलू उत्पाद के रूप मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मे दो गुनी वृद्धि हुई है। गत दशक मे विकासशील देशो मे व्यापार के अनुपात मे सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से बढा जबकि विकासशील देशो मे होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक तिहाई से अधिक बढा। अफ्रीका से पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत सघ एव विकासशील देश या तो विश्व व्यापार सगठन मे शामिल हो गये है या फिर इसमे शामिल होने के

लिए उन्होने आवेदन कर रखा है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय व्यापार समझौतो मे वृद्धि हो रही है। मैक्सिको के मुद्रा सकट के बाद पूँजी निवेश फिर बढने लगा है और सभी विकासशील देशो मे आर्थिक सुधार एव एकीकरण आर्थिक विकास का केन्द्रीय सोच बन गया है।''[1]

राष्ट्र सघ मे दुनिया के तमाम समस्याओ के खिलाफ जो दीप जल रहा है उसे विकसित देश ही जला रहे है। इन सम्मेलनो मे वे विकासशील देशो को यह ज्ञात करा देते है कि हम आपकी समस्याओ से सहानुभूति रखते है,उसके लिए हमने कुछ सहायता देना भी स्वीकार किया है। लेकिन अन्ततः विकासशील देशो को ही अपनी समस्याओ से निपटना पडेगा। दुनिया के दो तिहाई देशो के नेता विकसित देशो के प्रतिनिधियो के भाषणो को चुपचाप और धीरज से सुनते रहते है और मन मे सोचते रहते है कि इसका क्या जवाब हो सकता है। वे सोचते है क्यों न विकासशील देशो का मोर्चा खोला जाए, क्यो न अमीर देशो की तरह आर्थिक सघ बनाया जाए आदि। लेकिन दक्षिण एशियाई सहयोग सधि का उदाहरण विकासशील देशो को बेचैन कर देता है। एक दशक के अन्दर ही यह सगठन विफल हो जायेगा,ऐसा इसका निर्माण करते समय नही सोचा गया था। भारत और पाकिस्तान के आपसी राजनीतिक मतभेद इस सगठन को डुबो दिया। अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के अग्रणी राष्ट्रो के बीच बात-बात पर झगडा और युद्ध चलता रहता है।

विकसित देशो से सामरिक सहायता लेकर अपने हथियार की धार को सदा चमकाए रखने के अतिरिक्त इन विकासशील देशो के पास कोई दूसरा काम शेष नही रहता। इन्ही सब कारणो से विकसित देश कहते है कि पहले तो शीतयुद्ध के दौरान हमारे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते थे कि ये ही दुनिया भर के विकासशील देशो को लडवाते है और फिर अपने सैनिक कारखानो मे इनके लिए हथियार तैयार करते है। लेकिन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सैकड़ो देश आपस मे लड रहे है तथा विकसित देश इन्हे मजबूरी मे हथियार बेच रहे है।

विकसित देशो को इस प्रकार बोलने, विभिन्न विकासशील देशो को ओछा दिखाने का मौका स्वय विकासशील देश देता है। भारत, पाकिस्तान, इरान, इराक, निकारागुआ, क्यूबा, मिश्र, लीबिया, जाबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी-अपनी सीमाओं पर किसी भी पल एक बडे युद्ध

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 14मई 1996, पृ०-11

छिडने की सम्भावनाओ से ग्रस्त रहते है। अपने पडोसी देशो के साथ सशय, भय और आक्रामक मनः स्थितियो मे रहने वाले ये देश जब राष्ट्रसघ के किसी 'समस्या से समाधान कैसे पाये' जैसे सम्मेलनो मे भाग लेते है तो उनका विश्वास सहज ही विकसित देशो पर अटक जाता है। इसलिए विकसित-विकासशील साझा सम्मेलनो मे जब भी विकासशील देशो के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि पहुँचते है, तो वे वहॉ जल्द ही भीड का शक्ल धारण कर लेते है। जबकि थोडे से विकसित देश वहॉ पूरी एकता का प्रदर्शन करते है और सम्मेलन के अन्तिम निष्कर्षों को अपनी इच्छानुरूप ढालने मे सफल हो जाते है। सम्मेलन के प्रस्तावो मे तमाम शर्तो को जोडने व हटाने की उनकी माग विकासशील देशो को माननी पडती है। क्योकि इन विकासशील देशो मे न तो एकता है और न ही कोई कूटनीतिक क्षमता जिससे कि वे विकसित देशो की एकता मे सेध लगा सके। चाहे रियो डी जनेरो का पर्यावरण सम्मेलन हो या जिनेवा का मानवाधिकार सम्मेलन या कोपेन हेगन का सामाजिक सम्मेलन, सभी जगह विकासशील देश पटखनी खाते नजर आते है।

गैट के पश्चात विकासशील देश

विश्व की नई आर्थिक परिदृश्य मे तथा गैट समझौते के सन्दर्भ मे विकासशील देशो ने नये सिरे से सोचना प्रारम्भ कर दिया। आजकल विकासशील देश विकसित देशो के अनुदानो को किसी प्रकार की सहायता या कृपा नही मानते। उदाहरणस्वरूप यदि औद्योगिक देश अपनी अमीरी के लिए विनाश की हद तक पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते है, उसके बाद कोस्टारिका को उसके वन सम्पदा वाले घने जगलो को न काटने के लिए ढेर सारा कर्ज देते है। जो कि विकासशील देशो के लिए निश्चित रूप मे खुले रूप मे कर्ज होता है किन्तु छिपे रूप मे यह वह सेवा मूल्य है, जो विकसित देश अपने 'ग्लोबल इन्टरेस्ट' की रक्षा के लिए प्रदान करते है।

दुनिया के विकसित देश विकासशील देशो को उनके अर्थव्यवस्था मे सुधार के नाम पर 50 अरब डालर का अनुदान प्रतिवर्ष मुहैया कराते है। विकसित देशो के सरक्षणवादी नीतियो के कारण विकासशील देशो के निर्यात को 5० अरब की हानि प्रतिवर्ष उठानी पडती है। विकसित देश अपने अनुदानो का हिसाब सरक्षणवाद से पूरा कर लेते है। इसलिए विकासशील देशो मे यह माग पूरी तरह जायज लगती है कि विकसित देश अपने अनुदानो को बद करे और मुक्त व्यापार के लिए अपने

दरवाजे खोले। सयुक्त राष्ट आधार और विकास परिषद (अकटाड) का मानना है कि विकासशील देशो के सबध मे विकसित देशो की रुचि केवल अनुदानो मे है, न कि अपने व्यापार प्रतिबन्धो को हटाने मे।

दुनिया के विकसित देश सभी विकासशील देशो की अर्थव्यवस्था को सरक्षणवाद और अनुदान की दोहरी नीति द्वारा लम्बे समय से नियत्रित कर रहे है। गैट समझौता लागू हो जाने के बाद भी यह सिलसिला जारी है। सरक्षणवाद पूरी तरह से गैट के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अनुदानो ने मजबूत हो रही विकासशील देशो की अर्थव्यवस्था मे अपना अर्थ खो दिया है।

विकासशील देशो के कपडे के निर्यात पर से विकसित देशो द्वारा लगाये गये टेरिफ जैसे व्यापार प्रतिबन्ध हटा दिया जाय तो उनका मुनाफा 60 अरब डालर से भी अधिक हो सकता है तथा उसके बाद विकासशील देशो को किसी प्रकार का अनुदान देने की आवश्यकता नही रह जाती है। कपडे के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे विकसित देशो ने विकासशील देशो पर मल्टी फाइबर अरेजमेट का व्यापार प्रतिबन्ध लगा दिया है। विकसित देशो का यह व्यापार प्रतिबन्ध केवल विकासशील देशो पर ही लागू है, जबकि वे अपने अन्य मित्र विकसित देशो के साथ इस नीति को अमल मे नही लाते है। एम०एफ०ए० द्वारा विकसित देश गैट के सिद्धान्तो को साफ-साफ चूना लगा रहे है।

''एक तरफ विकसित देश विकासशील देशो से कपडे के आयात पर कोटा निर्धारण का नियम लागू करते है तथा दूसरी ओर वे विकासशील देशो को अपनी अर्थव्यवस्था मे मुक्त व्यापार के सिद्धान्त का उपदेश देते है। अकटाड के अनुसार विकसित देशो के सरक्षणवाद से विकासशील देशो का 67 प्रतिशत निर्यात प्रभावित हो जाता है। एक दशक पूर्व तक यह सरक्षणवाद और अधिक कहर बरसा रहा था। 1980 मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाव दिया कि यदि व्यापार प्रतिबन्धो को पूरी तरह उठा लिया जाता है तो विकासशील देशो के कपडे के निर्यात पर 93 प्रतिशत तक का उधार लिया जा सकता है। विकासशील देशो के कपडे के निर्यात पर एक तरफ एम०एफ०ए० जैसा व्यापार प्रतिबन्ध है तथा वही दूसरी तरफ इस पर टेरिफ की दरे औसत से कही अधिक है। अकटाड के अनुसार विकासशील देशो के कपडे के निर्यात पर टेरिफ की दर ब्रिटेन मे 18 प्रतिशत, कनाडा मे 20 प्रतिशत, आस्ट्रिया मे 23 प्रतिशत और अमेरिका मे 38 प्रतिशत तक ऊँची है।'' [1]

1 प्रतियोगिता सम्राट -जून 1995, दीवान पब्लिकेशस प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृ०-99

गैट समझौते के अन्तर्गत व्यापार से जुडे विकासशील देशो को कम से कम कुछ साल तक सरक्षणवादी नीति एम०एफ०ए० की चोट सहन करनी पडेगी। भारतीय औद्योगिक व्यापार परिसघ के अनुसार एम०एफ०ए० और इस तरह के अन्य सरक्षणवादी नीतिया तथा व्यापार अमीर प्रतिबन्ध विकसित देश धीरे-धीरे ही समाप्त कर सकते है। भारत सन् 2005 तक जब समूचा कपडा व्यापार, विश्व-व्यापार सगठन के अधीन आ जायेगा तब एम०एफ०ए० की सरक्षणवादी नीति अपना अर्थ खो देगी। भारत को आशा है कि अगली शताब्दी मे जब विश्व व्यापार पूरी तरह विश्व बाजार का हिस्सा हो जायेगा तब भारत विश्व व्यापार मे एक प्रतिशत का भागीदार हो जायेगा।

भारत को आशा है कि गैट समझौते के पहले दो साल मे भारत का निर्यात 15 अरब से २ अरब तक का हो सकता है तथा इस सदी के अत तक भारत का निर्यात 7 अरब तक पहुँच सकता है। इसी के साथ-साथ गैर टेरिफ के तमाम सरक्षणवाद का खतरा बढ रहा है। भारत जैसे विकासशील देशो के सामने इस तरह के खतरे की आशका बढती जा रही है। एक तरफ विकसित देश अपने कृषि उद्योग को भारी सरक्षण देते है। उनका यह सरक्षणवाद एक तरफ उनके उपभोक्ताओ के लिए अत्यत महगा है, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है।

अधिकाश विकसित देशो मे कृषि पर 180 अरब डालर से अधिक अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान से उनके किसानो को भारी लाभ होता है। इस अनुदान की कीमत उनके उपभोक्ता चुकाते है। औद्योगिक देशो मे खाद्य पदार्थों की भारी कीमत चुका कर ही उपभोक्ता समान खरीद पाते है। सयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक देशो मे खर्च प्रति परिवार 1400 डालर प्रतिवर्ष है, यूरोप के मुक्त व्यापार वाले देशो मे तथा जापान मे यह खर्च वर्ष भर मे लगभग 3000 डालर प्रति परिवार है। विकसित देशो की अर्थव्यवस्था मे उपर से देखने मे भारी अनुदानो और भारी उपभोक्ता कीमतो का विरोधाभास दिखाई देता है परन्तु ये एक दूसरे के पोषक होते है। इस सरक्षणवाद के परिणाम अमीर देशो के लिए बडे लाभकारी हुए, अनाज का भारी उत्पादन हुआ और उनके बडे-बडे पहाड खडे हो गये। यूरोपीयन समुदाय अपने अनाजो के रख रखाव पर ही 2 6 अरब डालर खर्च करते है।

जिस सरक्षणवाद की सहायता लेकर विकसित देशो की अर्थव्यवस्था अपने को मजबूत करती

है, उसी सरक्षणवाद से वह विकासशील देशो की अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। तब उस समय यह अनुदान या डपिग के शील मे होता है। इस समय भारत सहित एशिया तथा अफ्रीका के देशो की अर्थव्यवस्था पर विकसित देशो के सस्ते अनाजो की डपिग का दबाव है। अफ्रीका के कुछ देशो मे इस सस्ते अनाजो की डपिग ने तो तबाही मचा के रख दी है। अफ्रीका के कुछ देशो मे मक्का की दर 74 डालर प्रति क्विटल थी। लेकिन अमीरो के मक्के ने भाव गिरा कर 24 डालर प्रतिक्विटल कर दिये। कृषि की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के लिए इतना काफी है। विकासशील देशो के किसानो के सामने अपने उत्पादो के निर्यात के अवसर बहुत सीमित है।जो अवसर है उन पर अमीर देशो के सीमा शुल्क तथा गैर सीमा शुल्को जैसे व्यापार प्रतिबन्धो की कडी चुनौती है। यदि विकसित देश अपने सामने से सरक्षणवाद का ढाल हटा ले तो विकासशील देशो को कृषि निर्यात मे प्रतिवर्ष 22 अरब डालर का लाभ हो सकता है तथा साथ मे विकसित देश भी 25 अरब डालर के वार्षिक मुनाफे मे अपनी उगली डुबो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे सरक्षणवाद की दीवार हटते ही मुक्त बाजार का दो तरफा प्रवाह प्रारभ हो जाता है।

‘‘सरक्षणवाद की कोख से उपजे इस अनुदान पर विकसित देशो मे भारी विवाद चल रहा है। विवाद का करण यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्था मे प्रगति होने के कारण उन्हे अनुदान दिया जाए या नही। अमेरिका मे रिपब्लिकन सिनेटर हेम्स ने तो विकासशील देशो को अनुदान देने के सारे रास्ते बद करने की तैयारी कर ली है। सिनेटर हेम्स अमेरिकी गृह विभाग को नए सिरे से गठित करने वाली समिति के अध्यक्ष है। लेकिन इनकी सिफारिश का स्वय राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन और उपराष्ट्रपति अल मोरे विरोध कर रहे है। ज्यादातर अमेरिकी डेमोक्रेट सदस्यो का मानना है कि दुनिया मे अपनी नेतागीरी बनाये रखने के लिए अनुदानो को जारी रखना आवश्यक है। अमेरिका अपनी कुल बजट का 0 5 प्रतिशत अनुदान के रूप मे बॉट कर दुनिया का नेता बना हुआ है। परन्तु दुनिया में सबसे ज्यादा अनुदान बॉटने का गौरव जापान को प्राप्त है। जापान प्रतिवर्ष 11 अरब डालर से अधिक की धनराशि अनुदान स्वरूप विकासशील देशो को बॉटता है। भारत को भी सबसे ज्यादा अनुदान जापान से प्राप्त होता है। जापान अपने कुल अनुदान खाते से 18 प्रतिशत भारत को देता है। कोबे के विध्वसक भूकप के बाद जापान स्वय आर्थिक सकट मे फस गया है।

अनुदानो के साथ अनुदानो को खर्च करने की शर्ते इसके पीछे-पीछे आती है। इस समय भारत के प्रत्येक नागरिक पर 7 डालर अनुदानो का योग है। विकसित देशो के ज्यादातर नागरिक नही चाहते कि उनके देश का नाम दुनिया के दाताओ की सूची से बाहर आ जाए। विकसित देशो के मानस से साफ झलकता है कि अनुदान और सरक्षणवाद का दोहरा खेल विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ लबे समय तक जारी रह सकता है।"[1] विकसित तथा विकासशील देशो के बीच निर्मित वस्तुओ के व्यापार को मुक्त करने की दिशा मे प्रगति इन दो प्रकार के देशो मे सौदेबाजी से नही अपितु इस सर्वोत्तम तरीके से हो सकती है कि विकसित देश आवश्यकता को समझे और परस्पर किसी समझौते पर पहुँच सके। विकासशील देशो को यह आशका रहती है कि प्रतिबन्धो को घटाने के बजाय बढाया जाये।

"विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाये बिना क्षेत्र मे शाति और सुरक्षा की स्थापना नहीं हो सकती। विकसित देशो को विकासशील देशो के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अधिक देशो के बीच अधिक वस्तुओ एव सेवाओ का आदान प्रदान करके दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढाया जाना चाहिए और किसी क्षेत्र मे विशेषज्ञता प्राप्त देश के तजुर्बे का फायदा दूसरे देशो को भी मिलना चाहिए। ऐशो आराम और विलासिता के कार्यक्रमो की बजाय कुछ समय के लिए अधिक व्यावहारिक परियोजनाओ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विकासशील देशो के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण पर जोर दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को इस प्रक्रिया मे शामिल होने के लए अधिक कारगर ढग से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालत की सही जानकारी के अभाव और अन्य विकासशील देशो मे आर्थिक सभावनाओ के प्रति अनभिज्ञता के कारण भी आपसी सहयोग मे भारी बाधा आती है। अपनी कुछ दिक्कतो के बावजूद भारत अन्य विकासशील देशो के साथ सहयोग मे सक्रिय है। तकनीकी और आर्थिक कार्यक्रम के तहत भारत तकनीकी सस्थाओ मे प्रशिक्षण सुविधाए मुहैया कराता है, उच्च शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है, परियोजनाएँ स्थापित करने मे मदद देता है, परामर्श सेवाए प्रदान करता है और भारत मे अध्ययन यात्राए प्रायोजित करता है।"[2]

---

1 प्रतियोगिता सम्राट -जून 1995, दीवान पब्लिकेशस प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृष्ठ-101
2 अमृत प्रभात, इलाहाबाद, 10 नवम्बर 1995, पृ०- 12

तालिका 5.1 विश्व व्यापार :1987-1994

		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
निर्यात का मूल्य (अरब डालर मे)	विश्व	2,437	2,762	2,991	3,419	3,493	3,708	3,639	3,814
	विकसित देशो का हिस्सा	1,736	1,986	2,127	2,454	2,502	2,647	2,524	2,624
	विकासशील देशो का हिस्सा	569	644	735	841	886	970	1,026	1,137
निर्यात की मात्रा की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत मे)	विश्व	4 7	7 3	8	5 6	4 6	5 5	2 7	6
	विकसित देशो मे	4 4	8 5	7 3	5 1	3 7	4 2	1 3	5
	विकासशील देशो मे	6 6	4 4	11 8	8 7	8 7	8 5	8 3	7 4

स्रोत : आई०एम० एफ० द्वारा प्रकाशित इटरनेशनल फाइनेशियल स्टैटिसटिक्स और डी०ई०एस० आई० पी०ए० के अनुमान

विकसित देशो द्वारा सामान्यतया अपने कार्यकलापो का स्तर ऊचा रखे जाने पर तथा श्रम अतिरेक और श्रम फैलाव को नियत्रित करने के लिए उनके द्वारा विभिन्न उपाय किये जाते रहने पर, जिसमे कि उन्हे काफी अनुभव हो चुका है। विकासशील देशो से निर्मित वस्तुओ के अवाध रूप से आयात किये जाने से श्रम बाजार मे किसी प्रकार का गम्भीर विघटन उत्पन्न नही होना चाहिए।

विकासशील देश अपना निर्यात बढाने के लिए बहुत उपाय कर सकते है। लेकिन इसके लिए अन्य घटक भी महत्वपूर्ण है, जैसे विकसित देशो द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियॉ। दोनो देश समूहो के मध्य बढे हुए व्यापार के लिए उपलब्ध अवसरो का लाभ उठाने मे सम्बन्धित देशो को अपनी अर्थव्यवस्थाओ को अनुकूल बना लेना चाहिए।

अब हम कुछ प्रमुख विकासशील देशो की निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओ का सक्षिप्त अध्ययन करेगे। इस सम्बन्ध मे सीमित साहित्य उपलब्ध होने के कारण अधिक देशो के निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओ का अध्ययन सम्भव नही हो पा रहा है। फिर भी जो कुछ साहित्य उपलब्ध हो पाया है उसके आधार पर निम्न देशो की निर्यात सम्वर्द्धन नीति एव योजनाओ का अध्ययन किया जा रहा है।

1 इण्डोनेशिया

2 थाईलैण्ड

3 मलेशिया

4 मारीशस

इन प्रमुख देशो की निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओ का सक्षिप्त अध्ययन आगे किया जा रहा है।

1 इण्डोनेशिया

निर्यात प्रोत्साहन और सुविधा

दिसम्बर 1987 से सयुक्त उद्यम निर्यात व्यापार कम्पनी को उनके द्वारा निर्मित उत्पाद तथा अन्य कम्पनियो के उत्पाद के निर्यात की आज्ञा प्राप्त है। उत्पादन के निर्यात के लिए कई प्रोत्साहन है। कुछ प्रोत्साहन नीचे दिया जा रहा है-

(i) पूरे इण्डोनेशिया मे राष्ट्रीय और पी०एम०ए० कम्पनियो को छूट दर पर निर्यात साख दिया जाता है।

(ii) निर्माता उत्पाद के निर्यात के लिए कच्चे माल का आयात कर सकते है। यदि आयात मूल्य घरेलू माल के मुल्य की तुलना मे कम है।

(iii) निर्यात उत्पाद निर्माण के लिए वस्तुओ और मालो की खरीद पर निर्यातक द्वारा उत्पाद मूल्य जोडकर भुगतान की वापसी।

ज्यादा सुविधा उन इकाइयो को दिया जाता है जो अपने उत्पादन का 65% निर्यात करते है। जिनमे मुख्यतः निम्न है--

(i) शुरू मे विदेशी नियन्त्रण 95% तक हिस्सेदारी कर सकता है।

(ii) मशीन, मशीन यत्र और कच्चे माल पर आयात कर और मूल्य जोड कर से पूर्ण छूट।

(iii) निर्यात उत्पाद के लिए घरेलू वस्तुओ और मालो पर मूल्य जोड कर मे पूर्ण छूट।

(iv) ऋणात्मक सूची औजार पर पूर्ण छूट। ऋणात्मक सूची पूँजीगत मालो की वह सूची है जो आयात कर सुविधा नही पाते है।

(v) कोई कम्पनी जो अपने उत्पादन का 6 5% निर्यात करती है। वे जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो उन्हे बिना घरेलू उत्पाद की उपस्थिति देखे ही आयात कर सकते है।"[1]

आयात कर

मशीनो और कच्चे मालो के आयात पर सरकार छूट प्रदान करती है। विदेशी निवेशकर्ता को प्राप्त आयात कर सुविधा निम्न है-

(i) प्रमुख उत्पादन सम्बन्धित औजारो पर 100% आयात कर छूट।

(ii) मुख्य प्रक्रिया मे सहायक औजारो पर 50% छूट।

(iii) उत्पादन के प्रथम दो के लिए कच्चे माल पर 100% आयात कर छूट।

1 श्री एल० शाहू एव श्री आर०के० वाधवा--फारेन इनवेस्टमेन्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिग कन्ट्रीज, जून 1990, पृ०--77 इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, B-21 मेहरौली इन्स्टीट्यूसनल एरिया, नई दिल्ली-110016

(iv) प्रमुख औजार के 5% दाम तक प्रमुख औजार पर 100% आयात कर छूट।

(v) उपभोग सम्बन्धित प्रमुख औजारो और उत्पादन के लिए 100% आयात कर छूट।

इण्डोनेशिया देश अच्छे प्राकृतिक ससाधनो से पूर्ण है जैसे- तेल, प्राकृतिक गैस, टिन, कापर, कोयला, लकडी, मछली आदि। इण्डोनेशियाई अर्थव्यवस्था मे निम्न कृषक, निर्यात अभिमुख इकाई कृषि, खनिज और तेल तीन प्रमुख क्षेत्र है। जिनमे प्रमुख रूप से कृषि निर्यात मे काफी, चाय, मसाला, रबर और फल आदि आते है। निर्माण क्षेत्र वैसे छोटा है लेकिन सरकार की मजबूत सहायता से इसकी आकार और भूमिका बढ रही है।

इण्डोनेशियाई अर्थव्यवस्था ने 1970 के दौरान वृद्धि का सामना किया है। आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक पॉच वर्षीय योजना 1969 से शुरू की है। 1969-70 से प्रथम तथा द्वितीय पच वर्षीय योजना मे कृषि पर ज्यादा बल दिया गया है। इनमे से मुख्य है- खाद्य उत्पादन, बढी हुई नौकरी सुअवसर और सरचना तथा सीमेन्ट, उर्वरक, मशीनरी आदि पर कम बल दिया जा रहा है। तीसरी योजना मे तेल का मूल्य घटने के कारण आर्थिक क्रियाकलाप धीमा हो गया। अर्थव्यवस्था ने चौथी योजना मे मध्य वृद्धि प्राप्त की, जब सरकार ने चुनौती पूर्ण परिस्थित के अन्तर्गत विकास जारी रखने के लिए नीतियॉ लागू की।

1982-87 के दौरान तेल मूल्य में कमी के कारण निर्यात 5% बिलियन यू०एस० डालर द्वारा 22 बिलियन डालर से 17 बिलियन डालर तक कम हुआ। अब गैर तेल और गैस क्षेत्र के निर्यात के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इण्डोनेशिया से प्रमुख निर्यात वस्तु मे लकडी, काफी, रबर, टिन, कापर, काली मिर्च आदि आते है। इस अवधि के दौरान आयात जो 17 बिलियन यू०एस० डालर से 13 बिलियन यू०एस० डालर तक गिरा है। इसमे मशीन, यत्र रसायन, खनिज उत्पाद, विस्थापन औजार आदि प्रमुख है।

विदेशी निवेश से भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे प्रेरित होकर इण्डोनेशिया सरकार ने अपने देश मे विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेश नियम और नीति बनायी। जो निम्न है--

विदेशी निवेश नियम और नीति

इण्डोनेशिया की सरकार ने आर्थिक कमी को पूरा करने मे देश की सहायता के लिए तकनीकी

प्रवाह और विदेशी सीधा निवेश बढाने के लिए 1967 मे विदेशी पूँजी निवेश कानून बनाया। सरकार ने निवेश क्षेत्र को वरीयता दिया और ऐसी योजनाओ को लागू किया, जिससे राष्ट्र मे अत्यधिक रोजगार अवसर प्रदान किया जा सके। 80 के शुरू मे आर्थिक क्रियाकलापो के धीमेपन ने निर्माण क्षेत्र मे विदेशी निवेश का महत्व और आवश्यकता बढा दी है। तेल तथा गैस क्षेत्र मे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए तथा बढाने के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए है। इन कदमो मे निम्न है-- कस्टम नियन्त्रण मे परिवर्तन, नयी तथा सरलीकृति कर की पद्धति, विदेशी निवेश से सम्बन्धित नियन्त्रण का प्रवाह आदि।

उदारीकृत विदेशी निवेश नियम एव नीति तथा विदेशी निवेश को बढाने के लिए उठाये गए कदमो की दृष्टि से विदेशी निवेशको द्वारा इण्डोनेशिया मे निवेश के लिए लाभकारी स्थान है। 1967-88 के दौरान 21 बिलियन यू०एस० डालर की सयुक्त पूँजी के साथ तेल, बैकिग तथा बीमा को छोडकर 1000 निवेश योजना पजीकृत की गयी।

1986-88 के दौरान नये निवेश मे जापान तथा यू०एस०ए० से निवेश 40% है। पश्चिमी जावा ने सबसे आकर्षक स्थित दर्शाया है। इसके बाद जकार्ता, उत्तरी सुमात्रा तथा पूर्वी जावा आते है। अतःसब मिलाकर इण्डोनेशिया सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और लगातार वृद्धि के लिए चुनिन्दा क्षेत्र मे विदेशी निवेश का स्वागत करता है। इण्डोनेशिया मे सभी विदेशी निवेश, विदेशी निवेश कानून 1967 तथा इसके नियमो का पालन करते है।

विदेशी निवेश पर नियन्त्रण

इण्डोनेशिया मे विदेशी निवेश के नियन्त्रण के लिए महत्वपूर्ण नियम और नियन्त्रण, विदेशी निवेश कानून 1967 मे है। जो निम्न है-

(अ) विदेशी निवेश कम्पनी इण्डोनेशियन कानून के अन्तर्गत कानूनी रूप से सगठित इकाई होना चाहिए तथा यह इण्डोनेशिया की घरेलू कम्पनी होनी चाहिए।

(ब) विदेशी निवेश कम्पनी विदेशी कम्पनी और इण्डोनेशियाई निजी व्यक्ति या कम्पनी और राज्य कम्पनी के बीच सयुक्त उद्यम होना चाहिए। 100% विदेशी पूँजी हिस्सेदारी की आज्ञा नही है।

(स) विदेशी निवेश के लिए खुले क्षेत्र मे विदेशी निवेशक कम्पनियो के शेयर खरीद सकते है-

(i) 51% तक, यदि कम्पनी के वित्तीय विकास के लिए नये निवेश की आवश्यकता है।

(ii) 80% तक, यदि नये निवेश की आवश्यकता है तथा निर्यात को कम से कम 65% बढाना है।

(द) सयुक्त उद्यम अपने तथा क्षेत्रीय उत्पादो का निर्यात कर सकते है।

निवेश वित्त

इण्डोनेशिया मे सयुक्त उद्यम योजना के लिए निवेश वित्त शुरू मे विदेशी साझेदार की सहायता से बाहर से या विदेशी मुद्रा ऋण से आता है। आयातित औजारो का मूल्य सामान्यतः शुरूआत मे वित्त निवेश माना जाता है। सयुक्त इकाईयो के विदेशी साझेदार द्वारा लायी गयी कम से कम पूँजी 1 मिलियन यू०एस० डालर निश्चित की गयी है। कम से कम निवेश कुछ क्षेत्रो मे माना जाता है जैसे-सेवा क्षेत्र, डिजाईन तथा योजना क्षेत्र जो 1 मिलियन यू०एस डालर से ज्यादा निवेश की जिम्मेदारी नही लेते तथा इनको 65%उत्पाद निर्यात करना पडता है। निवेश के लिए बैको से रुपया लेने की आज्ञा विदेशी निवेशकर्ता को नही है। फिर भी ये क्षेत्रीय मुद्रा मे कार्य करने के लिए तथा पूँजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैक से रुपया ले सकते है।

वित्त प्रदान करने के लिए--

(अ) एक कम्पनी अपने मान्य पूँजी का कम से कम 20% दे सकते है। जिसमे से 100% का भुगतान करना पडता है।

(ब) लाभ के द्वारा पुनः निवेश वित्त अपने व्यापार बढाने के लिए या अन्य व्यापार इकाई मे निवेश के लिए कर सकते हैं ताकि नयी विदेशी इकाई बन सके। इसमे भी राष्ट्रीय हिस्सा 20% होगा तथा 15 वर्ष मे कम से कम 51% वृद्धि होनी चाहिए।

विदेशी विनिमय नियंत्रण

इण्डोनेशिया देश मुक्त विदेशी विनिमय पद्धति को समर्पित है। कुछ सरल विदेशी विनिमय नियन्त्रण है। सरकार को स्थानान्तरण के किसी भी अवरोध का सामना नही करना पडता है।

विदेशी निवेश योजना के लिए पूँजी प्रवाह को योजना पजीकरण का सामना करना पडता है। सभी विदेशी मुद्रा निवेश इण्डोनेशिया बैक मे रखना पडता है ताकि निवेशित पूँजी का रिकार्ड रहे। विदेशी मुद्रा खाते विदेशी विनिमय के लिए बैक लाइसेन्स पर खोले जा सकते है। 1976 से घरेलू उपयोग के लिए बैक मुद्रा मे चेक नहीं प्रदान करता। विदेशी मुद्रा मे समुद्र पार भुगतान बैक ड्राफ्ट द्वारा किये जा सकते है।

2--थाईलैण्ड

निर्यात प्रोत्साहन

''थाईलैण्ड मे निर्यात उन्मुख उद्योगो को निम्न प्रोत्साहन दिये जा रहे है--

(i) आयातित कच्चे माल पर आयात कर और व्यापार कर मे छूट।

(ii) पुनः निर्यात वस्तु पर आयात कर एव व्यापार कर मे छूट

(iii) बीमा और विस्थापन को छोडकर पिछले वर्ष के निर्यात से प्राप्त आय मे 5% वृद्धि के मात्रा के बराबर कर योग्य आय मे से भत्ता काट लिया जाता है।''[1]

इस देश मे प्राकृतिक ससाधन और मूल्य प्रभावित मजदूरी के साथ क्रमबध योजना और विकास कार्य शुरू किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप यह देश विकासशील देशो मे एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप मे स्थान रखता है। थाई कम्पनियॉ मुक्त व्यापार पूँजी पर आधारित है। 80दशक के दौरान 7% की वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था निम्न धनात्मक कारको से स्पष्ट होता है--

(i) यह चावल, शरीफा का विश्व का सबसे बडा निर्यातक है।

(ii) प्राकृतिक रबर, केकडे और टिन का तीसरा सबसे बडा निर्यातक है।

(iii) देश मे विश्व के 10 बडे वाणिज्यिक मत्स्य बेडे है।

(iv) कम दाम पर कार्य करने की थाईलैण्ड मे अधिकता है।

(v) एशिया तथा विश्व मे इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है।

---

1 एल० शाहू एव आर०के० वाधवा--फारेन इनवेस्टमेन्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिग कन्ट्रीज, -इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, 1990, पृ--91

(vi) यह देश राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का सुख भोग रही है और सरकार विदेशी निवेश की नीति की तरफ धनात्मक विचार अपना रही है।

कृषि ही थाईलैण्ड अर्थव्यवस्था की रीढ है। फिर भी निर्माण क्षेत्र जो 20% जी०डी०पी० के लिए जिम्मेदार है, यह देश की अर्थव्यवस्था के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है तथा निजी क्षेत्र मे औद्योगिक विस्तार को गति प्रदान कर रही है। 6 वी योजना मे औद्योगिक विकास की प्राथमिकता के साथ यह देश नया औद्योगिक देश बनने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप जी०डी०पी० मे 5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रियाकलाप कागज उत्पाद, रसायन, रबर, प्लास्टिक उत्पाद, खनिज उत्पाद और इलेक्ट्रिक उत्पाद की तरफ केन्द्रित है। विश्व बाजार की दिशा ने थाईलैण्ड के औद्योगिक ढाचे को निर्यात उन्मुख की तरफ परिवर्तित कर दिया है। निर्मित माल का निर्यात कुल निर्यात आय का 60% के बराबर है।

थाईलैण्ड सरकार ने अपने देश मे विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये एक नीति का निर्माण किया है, जो निम्न है--

निवेश सम्वर्द्धन नीति

थाईलैण्ड सरकार अपने देश मे विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपना दरवाजा हमेशा खुला रखता है। यह देश अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम मे विभिन्न रूपो मे विदेशी पूँजी निवेश की भागीदारी को बढावा देता है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य देश के चौमुखी आर्थिक विकास को प्राप्त करना और लोगो के जीवन स्तर को उठाना है। वर्तमान समय मे थाईलैण्ड की निवेश सम्वर्द्धन प्रक्रियाये निम्न उद्देश्य की दिशा की तरफ कार्यरत है-- निर्यात उन्मुख उद्योग, मजदूर प्रभावी उद्योग और वे उद्योग जो घरेलू प्राकृतिक ससाधनो का उपयोग करते है।

निवेश सम्वर्द्धन योजनाओं का अनुमोदन

सभी विदेशी निवेश, निवेश सम्वर्द्धन कानून 1977के नियन्त्रण मे किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न बाते आती है, जो निम्न है--

(i) उत्पाद, वस्तु या सेवा के लिए बाजार की माग का आकार बढे हुए उत्पादन क्षमता के लिए पूर्ण होना चाहिए।

(ii) नयी कम्पनी के लिए पजीकृति पूँजी ऋण का अनुपात 5 1 से ज्यादा नही होना चाहिए।

(iii) जहॉ नई उत्पादन प्रक्रिया और नयी मशीन लगाये गये है वहॉ इनकी कार्यक्षमता किसी सस्थान या बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो।

(iv) निम्न मे से किसी एक क्षेत्र मे निवेश योजना को सम्वर्द्धन की आवश्यकता नही पडती है-

(अ) जहॉ पहले ही कोई इकाई है, जो ऐसे उत्पाद, वस्तु या सेवाए बिना सम्वर्द्धन क्रियाकलाप के प्रदान कर रहा है।

(ब) बोर्ड ध्यान देता है कि ऐसे क्रियाकलाप भले ही सम्वर्द्धन के लिए छोटे हो, वह वापसी दर पर बिना सम्वर्द्धन आवश्यकता के कार्य कर सकते है।

(स) निर्यात के लिए उत्पाद के मामले को छोडकर पहले की उत्पादन क्षमता अगले दो वर्ष की घरेलू आवश्यकता के लिए पूर्ण हो।

(द) उत्पादन प्रमुखतः घरेलू वितरण के लिए है और उत्पाद के लिए आयात कर 40% से ज्यादा है।

(य) निवेश बोर्ड इन योजनाओ को सम्वर्द्धन कार्य के लिए अयोग्य समझता है।

निवेश प्रोत्साहन

देश मे विदेशी निवेश सम्वर्द्धन के लिए निवेश सम्वर्द्धन कानून के अन्तर्गत निवेश बोर्ड कर प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक सम्वर्द्धन क्षेत्र जैसे रूपो मे विदेशी निवेशको को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है।

कर प्रोत्साहन

सम्वर्द्धन स्तर के साथ उद्योगो तथा कम्पनियो द्वारा किये गये कर प्रोत्साहन मे निम्न आते है-

(i) आयातित मशीन पर आयात कर और व्यापार कर मे छूट।

(ii) आयातित कच्चे माल पर आयात कर और व्यापार कर मे कमी।

(iii) 3 से 8 वर्ष तक आयकर मे छूट तथा 5वर्ष तक लाभ मे से घाटे को पूर्ण करना।

निवेश वातावरण

खुला दरवाजा मुक्त इकाई निवेश नीति, अत्यधिक प्राकृतिक ससाधन और आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता के साथ थाईलैण्ड सरकार देश मे विदेशी निवेश के लिए आकर्षक और स्वच्छ वातावरण प्रदान करती है।

निवेश बोर्ड

निवेश बोर्ड एक सरकारी प्राधिकरण है, जो निवेश सम्वर्द्धन नीति लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके दो अलग विभाग है--पहला निर्णय लेने वाला अग और दूसरा प्रशासन तथा सेवा उन्मुख अग। सरकारी, निजी और विदेशी निवेश से सम्बन्धित योजनाओ का विकास अत्यधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तथा देश के लिए सही मात्रा मे विदेशी विनिमय अर्जित करने के लिए किया जा रहा है। निर्णायक अग जो प्रधानमत्री द्वारा नियन्त्रित और सात कैबिनेट मन्त्री तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और निवेशको को सम्वर्द्धन प्रदान करता है। जबकि सामान्य सचिव द्वारा नियन्त्रित प्रशासन अग थाईलैण्ड मे सभी घरेलू निवेश मे तथा निवेशक को सूचना तथा सलाह प्रदान करता है। निवेश सेवा केन्द्र, निवेश बोर्ड के अन्तर्गत सरकारी सहायता सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की गयी है। यह कार्यालय निवेशको को विभिन्न सरकारी लाईसेन्स प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करता है। सरकार विदेशी निवेशक को निम्न आज्ञा देती है--(i) निवेश अध्ययन के लिए विदेशी राष्ट्रो को बुलाना (ii) सम्वर्धित योजना के अन्तर्गत विदेशी तकनीशियन और विशेषज्ञ को कार्य के लिए लाना (iii) सम्वर्धित प्रक्रिया के लिए अपनी जमीन (iv) विदेशी मुद्रा अर्जन।

3- मलेशिया

निर्यात प्रोत्साहन

मलेशिया मे निर्यात बाजार के लिए उत्पादक को निम्न प्रोत्साहन दिये जाते है ।

(A) **निर्यात साख पुनः विनियोग योजनाः** उत्पाद के निर्यात सम्वर्द्धन के उद्देश्य से सरकार ने ई०सी० आर० योजना शुरू की, जो मलेशियाई केन्द्रीय बैक द्वारा वाणिज्यिक बैको मे लागू किया

गया । इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैक मलेशियाई निर्यातको को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रभाव के लिए कम ब्याज दर पर साख प्रदान करते है । योजना के अन्तर्गत निम्न आते है -

(i) वाणिज्यिक बैको द्वारा ऋण मलेशिया मे माल के निर्माण के लिए निर्यातक को दिया जाता है ।

(ii) पुनः विनियोग काल 3 महीने के लिए प्राप्त होता है।

(iii) निर्यातक के लिए इस योजना के अन्तर्गत ब्याज दर 4% वार्षिक है ।

(iv) पुनः विनियोग की उच्चतम मात्रा सभी मामले मे 5 मिलियन मलेशियाई डालर है ।

(B) **व्यवस्थित आय पर हीनता** यह घरेलू निर्माता निर्यातक कम्पनियो को मलेशिया मे उत्पाद निर्माण के लिए दिया जाता है ।

(i) निर्यात बिक्री के 50% के दर के बराबर ।

(ii) निर्यात उत्पाद के निर्माण मे प्रयुक्त स्वदेशी मलेशियाई माल के मूल्य के 5% के बराबर।

(C) **5% निर्यात अनुमोदनः** निर्यात बिक्री के एफ०ओ०बी० मूल्य के आधार पर 5% निर्यात अनुमोदन मलेशिया मे उत्पाद निर्माण के निर्यात के लिए व्यापारी कम्पनियो को प्रदान किया जाता है ।

(D) **निर्यात साख बीमा लाभ की दुगुना कमीः** 1986 से निर्यातको को निर्यात साख बीमा के नगद जमा से दुगुना निकालने की सुविधा दी गयी है । यह वित्त मन्त्रालय द्वारा स्वीकृति कम्पनियो के बीमा पर लागू है । यह सुविधा गैर परम्परागत बाजार को खोजने के लिए निर्यातको को दिया गया है ।

(E) **निर्यात सम्वर्द्धन के लिए दुगुना निकासीः** निर्मित उत्पाद के घरेलू कम्पनियो द्वारा समुद्र पार प्रचार के लिए व्यय, नमूने की पूर्ति, बाजार शोध, माल की पूर्ति के लिए निविदा की तैयारी, तकनीकी सूचना की पूर्ति, व्यापार मेले और प्रदर्शनियो मे प्रदर्शन और हिस्सेदारी, व्यापार के लिए समुद्रपार यात्रा, बाहर बिक्री कार्यालय का निर्माण और निर्यात के लिए कम्पनियॉ दुगुना निकासी के योग्य है ।

(F) **औद्योगिक निर्माण अनुमोदनः** निर्यात के लिए मालो का ज्यादा भण्डारन और वेयर हाउस बिल्डिग के सम्बन्ध मे कम्पनी 10% प्राथमिक आई०बी०ए० अनुमोदन और 20% वार्षिक आई०बी०ए० अनुमोदन के लिए योग्य है ।

(G) (i) **तटकर बचाव** व्यस्त उद्योगो को सरकार तटकर बचाव प्रदान करती है । यह वे उद्योग होते है जो घरेलू बाजार की आवश्यकताओ के अधिकतर हिस्से की पूर्ति कर सकते है । उद्योगो को प्राप्त तटकर बचाव पर अत्यधिक स्तर सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सशोधन किया जाता है ।

(ii) **आयात अवरोध नीति.** तटकर बचाव के अलावा सरकार आयात अवरोध द्वारा क्षणिक बचाव करती है। तटकर बचाव तथा आयात अवरोध के लिए सभी प्रार्थी को विचार करने कि लिए एम० आई० डी०ए० को फार्म देना पडता है ।

(H) **कस्टम कर छूट.** कच्चे माल आदि पर कस्टम शुल्क छूट इस बात पर आधारित होता है कि निर्मित उत्पाद घरेलू बाजारो मे बेचे जाते है या निर्यात किये जाते है ।

(I) **निर्यात के लिए निर्मित मालः** निर्यात के लिए निर्मित पूर्ण उत्पाद आयात कर और कच्चे माल पर कर से पूर्णतयः मुक्त रहते है ।

(J) **घरेलू बाजार के लिए माल का निर्माण.** निर्माता कम्पनी कस्टम शुल्क मे छूट पा सकते है यदि -

(i) निर्माण लाइसेन्स इक्विटी शर्त से सहमत है या इक्विटी शर्त को पूर्ण करने के लिए विचार किया है ।

(ii) कच्चे माल क्षेत्रीय रूप से निर्मित न किये जाते हो ।

कस्टम शुल्क से पूर्ण छूट निम्न परिस्थितियो मे दिया जाता है -

(अ) यदि निर्माता कम्पनी इक्विटी हिस्सेदारी प्रबध और रोजगार सरचना के सम्बन्ध मे नयी आर्थिक नीति से सहमत है ।

(ब) यदि अन्तिम उत्पाद उन कर योग्य कच्चे माल से बना है, जिस पर कोई भी आयात

कर नही लागू होता है ।

अन्य सभी परिस्थितियो मे पूर्ण छूट मिलती है जिसमे निर्माता को आयात कर का 2% या 3% देना पडता है ।

(K) **आयात-निर्यात कर छूट.** आयात-निर्यात कर 1977 के अन्तर्गत प्रदर्शित मालो के निर्यात के सम्बन्ध मे आयात-निर्यात कर वापसी की माग की जा सकती है । यदि कच्चे माल जिन पर आयात-निर्यात कर भुगतान किया गया है और उनको विशिष्ट वस्तुओ के निर्माण मे उपयोग किया गया हो ।

(L) **कस्टम शुल्क वापसी.** निर्यात किये जाने वाले मालो के निर्माण मे उपयुक्त सभी कर एक महीने के अन्तर्गत कुल शुल्क वापसी के योग्य है । कर वापसी शर्त और मलेशिया के कस्टम कानून 1967 के भाग 99 के अन्तर्गत चालू प्रक्रिया को पूर्ण करना पडता है ।

(M) **एफ०टी०जेड को निर्यातित माल:** कर वापसी के लिए योग्य मालो का प्रमुख कस्टम क्षेत्र से मुक्त व्यापार क्षेत्र के गति को निर्यात माना जाता है । ऐसे माल यदि कस्टम क्षेत्र मे निर्मित किये जाते है तो भी शुल्क वापसी के लिए योग्य है । दावे के भुगतान और ससाधन मे देरी को कम करने के लिए फैक्ट्री क्षमता के सभी दावे के भुगतान जॉच के बाद किया जाता है।

निवेश प्रोत्साहन

"निवेश कानून 1986 और आयकर कानून 1967 के सम्वर्द्धन मे ही निर्माण, कृषि और पर्यटन मे निवेश सम्वर्द्धन के लिए कई प्रोत्साहन दिये गये है । ऐसे प्रोत्साहनो मे कर छूट, साखसुविधा, और तटकर बचाव के रूप मे सामान्य और विशेष प्रोत्साहन आते है । मलेशिया मे सामान्यतयः कम्पनियो को 40% आयकर देना पडता है । इसके अलावा 5% विकास कर और अत्यधिक लाभ कर 3% देना पडता है । महत्वपूर्ण स्तर की कम्पनियो को ऐसे करो से छूट मिलती है । इसके अलावा सरकार विभिन्न निवेश सुविधाये प्रदान करती है । इसके अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र, लाईसेन्स निर्मित वेयरहाउस तथा ऊर्जा पूर्ति सचार और प्रशिक्षण सुविधा आती है । निर्माण क्षेत्र और निम्न स्तरीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है । पूँजी और तकनीकी आयात के रूप मे विदेशी

निवेश को महत्व दिया जाता है ।"[1]

4-मारीशस

आर्थिक नीति

"निर्यात ससाधन क्षेत्र कानून 1970 और विकास प्रोत्साहन कानून 1974 मे नीतियो का निर्धारण किया गया है।

(अ) पहले वाला कानून निर्यात को बढावा देने के लिए तकनीकी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है, जबकि दूसरा कानून आयात विस्थापन उद्योग सम्वर्द्धन के लिए चलाया गया।

(ब) इन कानूनो का उद्देश्य निश्चित आर्थिक विस्तार प्राप्त करना है।

1971 मे चालू मारीशस निर्यात ससाधन क्षेत्र योजना ने विकसित तथा विकासशील देशो से निवेश आकर्षित किया है और निर्यात उन्मुख इकाईयो की सख्या 1971 मे 10 था, वह बढकर 1987 मे 531 तक पहुँच गया। जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात मे 0 4 मिलियन यू०एस० डालर से 500 मिलियन डालर तक बढ गया है।"[2] आयात अवरोध पर सरकारी नीति और भारत से लगातार साख सुविधा और तकनीकी सहायता के साथ आयात स्थानान्तरित उद्योगो के सम्वर्द्धन से मारीशस मे निम्न स्तरीय उद्योगो की वृद्धि हुई है। एम०ई०पी० जेड और निम्न स्तरीय क्षेत्र मे स्थापित निर्माण उद्योगो मे सयुक्त उद्यम की सहायता से क्षेत्रीय इकाई सम्वर्द्धन द्वारा रोजगार के उत्पादन और मारीशस के मजदूरो के प्रयोग मे सरकार सफल रही है। स्व-रोजगार और निम्न आय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अन्य योजनाये मुख्यतः निम्न कृषि और क्षेत्रीय उद्योग के विकास के लिए चलायी है।

इस समय मारीशस निर्यात उन्मुख औद्योगीकरण के दूसरे दौर मे चल रहा है तथा चुनिन्दा क्षेत्र के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके तहत खाद्य ससाधन, जूते, चमडा आधारित माल,

1 एल० शाहू एव आर० के० वाधवा-फारेन इनवेस्टमेण्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिग कन्ट्रीज,-इडियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, 1990, पृ-25

2 एल० शाहू एव आर० के० वाधवा-फारेन इनवेस्टमेण्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिग कन्ट्रीज,-इडियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, 1990, पृ-167

सामान प्रकाश अभियान्त्रिक, कृषि औजार और इलेक्ट्रानिक जैसे क्षेत्र का विकास प्रोत्साहन के पैकेज द्वारा किया जा रहा है। औद्योगीकरण के द्वितीय चक्र मे मूल्य नियन्त्रण, विदेशी निवेश नियन्त्रण, मुफ्त आयात द्वारा आर्थिक विकास नीति को उदारीकृति किया गया है। निर्यात उन्मुख उद्योगो से नजदीकी सम्बन्ध के लिए निम्न स्तर उद्योग कानून लागू किया गया है। नयी निम्न स्तरीय विकास सगठन बनाम औद्योगिक काम्प्लेक्स की स्थापना वर्कशाप, समान सुविधा, सुधार आदि और तकनीकी स्थानान्तरण सम्वर्द्धन प्रदान करने के लिए किया गया है।

तकनीकी स्थानान्तरण की शर्त और नियम

निर्यात बाजार मे प्रतियोगिता और उत्पाद बढाने के लिए क्षेत्र की आधुनिकता पर ही सरकारी नीति और कार्यक्रमो का उद्देश्य है। यह आवश्यक नही है कि क्षेत्रीय तकनीकी सेवा और जानकारी सीमित हो तथा विदेशी तकनीकी को अवशोषित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे तकनीकी स्थानान्तरण तथा निम्न स्तर के विकास के लिए सहायता की शर्तें और नियम निम्न है

(i) मारीशस को नये तथा अच्छे तकनीकी की आवश्यकता है जो न केवल प्रतियोगी दाम पर हो बल्कि अच्छे गुण वाला हेा।

(ii) निम्न स्तरीय इकाई को सहायता पैकेज तथा सेवा की आवश्यकता है, ताकि गारटी के साथ न केवल मशीन बल्कि कच्चे तथा अपूर्ण माल पा सके।

(iii) औजार के ठेके मे मशीन चालक को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा मशीन के सामान तथा औजार की पूर्ति होनी चाहिए ताकि छोटे सुधार स्वय किये जा सके।

(iv) क्षेत्रीय नियमो के सम्बन्ध मे योजना तथा निवेश पूर्व अध्ययन शुरू करना चाहिए और ध्यानपूर्वक परीक्षण करना चाहिए।

(v) नयी तकनीकी के साथ योजना की स्थापना मे पार्टीयो के मध्य तकनीकी स्थानान्तरण सयुक्त रूप से होना चाहिए ताकि शुरू से ही सफलता मिले।

निवेश के लिए सुविधा और प्रोत्साहन

मारीशस निर्यात उन्मुख सयुक्त उद्यम इकाई के लिए सयुक्त रूप से प्रोत्साहन, लाभ और सुविधा प्रदान करता है। जो निम्न है–

(i) स्थिर राजनीतिक और सामाजिक वातावरण ।

(ii) यूरोपियन बाजार को कर मुक्त अवसर।

(iii) पूर्ण विकसित राजकर प्रोत्साहन।

(iv) उच्च शिक्षित उत्पादक और सस्ते मजदूर बल जो अग्रेजी, फ्रासीसी तथा अन्य भाषाये बोल सकते है।

(v) पूर्ण विकसित ढाचा जो पूरे ससार के सभी भाग से सम्बन्ध रखता है।

(vi) कम दाम पर फैक्ट्री के लिए मकान तथा अच्छी जमीन की उपलब्धता।

(vii) पूर्ण विकसित तथा विस्तृत औद्योगिक आधार।

(viii) उच्चतम गुण स्तर बनाये रखने की अत्यधिक जागरूकता।

(ix) कुछ समय के लिए विदेशी तकनीशियन के रहने और कार्य करने की आज्ञा है।

(x) राष्ट्रीयकरण के वि''रीत जिम्मेदारी।

(xi) पूर्णतयः प्रभावी तथा अच्छी प्रशासनिक सेवा।

(xii) मशीन, औजार, कच्चे माल, अपूर्ण माल पर आयात कर मे पूर्ण छूट।

राज्य कर सम्बन्धी प्रोत्साहन

(i) सचालन के जीवन काल मे 15% नामकित दर पर कर का भुगतान।

(ii) प्रथम 10 वर्ष के लिए लाभाश पर आयकर मे छूट।

(iii) निवेशित पूँजी और लाभाश को मुफ्त वापसी।

एफ०डी० ए और तकनीकी स्थानान्तरण के लिए अवसर देने वाले क्षेत्र

मारीशस बाजार छोटा है इसलिए निर्यात बाजार पर आधारित योजनाओ को वरीयता दी जाती है। इस सन्दर्भ मे वस्त्र, चमडा सामान, जूता-चप्पल, बहुमूल्य धातु और आभूषण आदि अधिक अवसर प्रदान करते है।

अध्याय- VI

विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न आयात-निर्यात नीतियों के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन

विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न आयात-निर्यात नीतियों के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन

देश की विकास प्रक्रिया मे विस्तृत निर्यात व्यापार एक शक्तिशाली माध्यम है, जो आर्थिक सरचना के आधार पर निर्यात व्यापार से कुछ हद तक घरेलू स्रोतो मे रोजगार सृजन करती है। निर्यात उद्योग मे विस्तृत तकनीक एव प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रभावो को अन्य अर्थतत्रो पर लागू नही किया जा सकता। घरेलू उत्पादन एव विकसित क्रिया-कलापो तथा बढ रहे प्रभावी मागो के लिए विस्तृत बाजार आवश्यक है। किसी देश की आर्थिक नीतियो मे निर्यात नीति एक प्रमुख अग है, जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते है तथा इसके प्रभावो का विभिन्न क्षेत्रो मे अलग-अलग तरीको से अनुभव किये जा सकते है।

विकासशील देशो मे निर्यात व्यापार की आवश्यकता विदेशी मुद्रा प्राप्त करने तथा औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है। औद्योगीकरण एव विकास के लिए अनिर्मित वस्तुओ का निर्यात आवश्यक है। निर्यात नीति का प्रमुख उद्देश्य निर्यात क्रियाकलापो के विकास एव आयात को सही दिशानिर्देश देने मे सहायता प्रदान करना है, जो निर्यात क्षेत्र और सामान्यतयः घरेलू अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए आवश्यक है। किसी देश के विस्तृत निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होने चाहिये-

(i) निर्यात व्यापार के आधारभूत स्तम्भो को शक्तिशाली बनाना एव निर्यात को प्रोत्साहन देना।

(ii) उत्पादन प्रक्रिया मे प्रयुक्त तकनीकी उपकरणो का आधुनिकीकरण करना।

(iii) उत्पादन प्रक्रिया मे सहायता के लिए सभी सम्भव सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) उत्पादन बढाने के लिए आयात नियमो को सरल बनाना।

(v) निर्यात के पूर्ण विकास मे सहायता प्रदान करना।

(vi) निर्यात क्रियाओ को सही दिशा प्रदान करना।

ऊपर दिये गये उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए सरकार को एक धनात्मक निर्यात नीति बनानी चाहिये। भारत मे योजना अवधि के दौरान निर्यात को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नही की गयी है। प्रथम

दो पचवर्षीय योजनाओ मे निर्यात की तुलना मे आयात अधिक किया गया। पूर्ववत उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए कोई भी नीति परिवर्तन या अन्य कार्यक्रम नही शुरू किया गया। सन् 1947 मे सभी नियमो को मिलाकर एक नया कानून बना जो 25 मार्च 1947 से प्रभाव मे आया। यह "आयात और निर्यात कानून 1947" के नाम से प्रचलित है। प्रारम्भ मे यह केवल तीन वर्ष के लिए था परन्तु बाद मे इस कानून को अगले कुछ समय के लिए बढा दिया गया।

दूसरी योजना अवधि के दौरान यह अनुभव किया गया कि जब तक औद्योगीकरण अपनी गति प्राप्त नही कर लेता है, तब तक निर्यात आय को बढाया नही जा सकता है। दूसरी योजना-वधि के दौरान औसत निर्यात आय पहली योजना अवधि की तुलना मे कम था। तीसरी योजना-वधि मे घरेलू उपभोग के अलावा निर्यात सम्वर्द्धन की स्पष्ट रूप से आवश्यकता अनुभव की गयी। निर्यात के लिए योजनाओ की क्षमता को बढाया गया। निर्यात मे सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मे सुधार के स्थान पर दीर्घकालीन नीतियॉ लागू की गयी। सन् 1970 मे, सरकार ने एक धनात्मक निर्यात नीति बनायी, जिसका नाम "निर्यात नीति हल 1970" है। कुछ वस्तुओ के घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध तथा दबाव डाला गया। यह निर्यात क्षेत्र को पूर्ण विकास प्रदान करने के लिए किया गया। निर्यात नीति हल 1970 के मुख्य उपलब्धियॉ निम्न है-

(i) निर्यात एव विकास सम्बन्धित उद्योगो के विस्तार पर ज्यादा दबाव डालती है, जो निर्यात आय बढाने का प्रमुख स्रोत है।

(ii) देश ने कई क्षेत्रो मे उच्च निर्यात दर प्राप्त की है और सही नीतियो और उपायो को लागू करने से इसके उद्देश्यो की प्राप्ति मे सहायता मिलेगी।

(iii) यह अनुभव किया गया है कि निर्यात सम्बन्धित उद्योगो को बढावा देने के लिए सही ढॉचा बनाना आवश्यक है।

(iv) यह निम्न पर दबाव डालती है-

(अ) परम्परागत उत्पादो के निर्यात मे यथास्थिति बनाये रखना।

(ब) दीर्घकालीन निर्यात के उत्पादो को पहचानना तथा उनके विकास के लिए विशिष्ट उपायो और कार्यक्रमो को लागू करना।

(v) यह उद्योगो को निम्न दृिष्ट से सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है-

(अ) उत्पाद को प्रतियोगी बनाने के लिए

(ब) मशीनो को आधुनिक करने के लिए

(स) गुण नियन्त्रण विकास के लिए

(द) विपणन व्यवस्था प्रदान करने के लिए

(य) सही समय पर पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए

(र) सही दामो पर पूर्ण जहाजी व्यवस्था प्रदान करने के लिए

नीति हल का मुख्य परिणाम निर्यात को एक उच्च राष्ट्रीय सगठन बनाने मे सहायता प्रदान किया। 1977 मे जब जनता सरकार सत्ता मे आयी तो इस नीति को पुनः लागू किया गया। "हमारे प्राथमिक उद्देश्य अपने करोडो देशवासियो के कष्ट को कम करना है और उनके जीवन स्तर को उच्च बनाना है। अतः सामूहिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओ के निर्यात के दौरान अपने नागरिको को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करते है।"[1] नई निर्यात नीति सशोधन हमारे निर्यात सम्वर्द्धन को सही दिशा दिखायेगी। भारतीय निर्यात को बढावा देने के लिए हमको इसके आधारभूत तत्वो पर विस्तार से विचार करना चाहिये।

निर्यात नीति को योजनाओ के विकास के साथ स्थिर रखना चाहिये। विकास की कमियो को निर्यात बढाकर सुधारा जा सकता है तथा रोजगार मे भी सहायता प्रदान कर सकता है। दीर्घ कालीन निर्यात नीतियो के सही दिशा निर्देश के आधार पर विनिमय नीतियॉ बनानी चाहिये। दीर्घ अवधि मे निर्यात तभी बढ सकता है जब अर्थव्यवस्था के विकास की दर बढेगी और निर्यात योग्य क्षेत्र प्राप्त करेगी। आन्तरिक आवश्यकताओ की पूर्ति के बाद दाम और गुणवत्ता को बढाने के लिए हमे सही दिशा मे कार्य करना आवश्यक है।

गैर परम्परागत उत्पादो के निर्यात के लिए बढ रहे उत्पादन का विशिष्ट महत्व होना चाहिये जैसे-समुद्री उत्पाद, विनिर्मित खाद्य और वनोत्पाद। निर्यात के कुछ भौतिक विस्तार से विस्तृत लाभ

1 फाइनेन्सियल एक्सप्रेस- 15 अगस्त 1977, नई दिल्ली

प्राप्त किया जा सकता है। परम्परागत वस्तुएँ निरन्तर भारतीय निर्यात मे अपना प्रभुत्व बनाये हुए है और इनके अल्प कमी से विदेशी विनिमय मे भारी घाटे का अनुभव किया जाता है। परम्परागत निर्यात जैसे- जूट उत्पाद, सूती वस्त्र माल, चाय और काफी। निर्यात का विस्तार उन्ही क्षेत्रो मे सीमित रहता है जहॉ पर उपभोग का आधार असीमित होता है। बाजार का विस्तारीकरण वस्तु के विस्तारीकरण की तरह बराबर मूल्यवान है। सेवाओ और तकनीक निर्यात की ओर बढने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। भारतीय तकनीक और निर्यात सेवाओ के प्रतिस्पर्धा मे विकास हुआ है। प्रतिदिन की अन्तर्राष्ट्रीय विपणन समाचार व्यवस्था और निर्यातको को सही सहायता प्रदान करने की आवश्यकता से नये कदम उठाना चाहिये। निर्यात सम्वर्द्धन समिति इस दिशा मे और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

सरकार ने अलेक्जेण्डर समिति का गठन किया। यदि इनकी सिफारिशो को क्रियान्वित किया जाय तो ये आयात-निर्यात से सम्बन्धित मुश्किलो को समाप्त कर देगे तथा ये आयात-निर्यात के मुख्य नियत्रक के सगठन का पुनर्निमाण करेगे। समिति सरकार को आयात तथा निर्यात के दीर्घकालीन व्यूह रचना के निर्माण के लिये सलाह देती है। ताकि वर्ष पर्यन्त के लिये आर्थिक परिवर्तन की रचना की जा सके। समिति विदेशी व्यापार नीति के प्रतिबधात्मक आचरण को समाप्त करने का सुझाव भी देती है तथा आयात-निर्यात नीति के निर्माण के लिए एक तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीति का निर्माण भी करती है। भारतीय निर्यातको के दीर्घकालीन निर्यात के लिये एक अन्य त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का गठन किया गया जिसे 'अविद हुसैन समिति' के नाम से जाना जाता है। सरकार ने तीन उच्च स्तरीय समिति को स्वीकार किया है। जो निम्नवत है- अलेक्जेण्डर समिति, टडन समिति और अविद हुसैन समिति तथा इसकी कुछ शाखाये जो सरकार के आर्थिक क्रिया-कलापो के ऊपर नियत्रण का कार्य करती है। ये समितियॉ निम्न सुझाव प्रस्तुत करती है।

1- अलेक्जेण्डर समिति (जनवरी 1978)

इस समिति का गठन डा० पी०सी० अलेक्जेण्डर की अध्यक्षता मे जनवरी 1978 मे किया गया। यह विभिन्न बिन्दुओ पर ध्यान आकर्षित करती है। यथा कच्चे माल का आयात, विविध प्रकार के पूँजीगत सामानो का आयात, तकनीकी और उपभोक्ता सेवाओ, तटकर नीति, निर्यात योजनाये,

नगद सहायता के लिए नीति, निर्यात नियत्रण तथा निम्न स्तरीय निर्यातको के लिए सरल नीति बनाना, आयात और निर्यात के लिए सस्थागत सेवाओ का कार्यान्वयन करना, जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात के मुख्य नियत्रक का कार्यालय का निर्माण सम्मिलित है। इस समिति की मुख्य व्यूह रचनाये अग्रलिखित है-

(ı) निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण करना और कच्चे माल तथा औद्योगिक उपयोग के लिये आयात लाइसेसिग प्रक्रिया को सरल बनाना।

(ıı) पूँजीगत माल और उत्पादन मे प्रतिस्पर्धा लाने की दृष्टि से जिज्ञासा पैदा करना, विस्तार और खुली लाइसेसिग व्यवस्था के द्वारा पूँजीगत मालो के आयात को सुनिश्चित करना।

(ııı) आयात-निर्यात से सम्बन्धित प्रक्रियाओ और रीतियो का सरलीकरण करना।

(ıv) निम्न स्तरीय उद्योग समूह की व्यवस्था का विस्तार करना यथा स्वीकृत निर्यात घरो को प्राप्य है।

(v) कर के सम्बन्ध मे लाइसेसिग व्यवस्था के स्थान पर तटकर नियम लागू करना तथा उत्पादन और मूल्य कमी के गुण मे विकास प्राप्त करने के लिये तकनीकी का हस्तातरण करना।

(vı) विनिर्मित, प्रतिबधित और पैकिग वस्तुओ के लिये पुनः पूर्ति लाइसेस प्रदान करना। तथा दोबारा पूर्ति लाइसेस स्थानान्तरण योग्य होना चाहिये।

(vıı) कुछ विशिष्ट क्षेत्र से सम्बधित वस्तुओ के विनिर्माण सीमित रखना यथा विस्तार का लाभ, उपभोक्ता को उत्तम सेवाये प्रदान करना, दोषपूर्ण व्यापार प्रक्रियाओ पर प्रतिबध लगाना तथा दीर्ध कालीन पूर्ति को सुनिश्चित करना। कुछ चुने हुये वस्तुओ का विस्तार तथा लाइसेसिग प्रक्रियाओ के लिये सार्वजनिक क्षेत्र एजेसियो को छूट प्रदान करना।

(vııı) औद्योगिक विकास के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए औद्योगिक मूल्यो तथा विभिन्न उत्पादो पर से तटकर दर को अनवरत कम करना।

(ıx) विकसित सस्थागत सरचना और सेवाये जिसके अन्तर्गत लाइसेसिग और सम्वर्द्धन प्रक्रियाओ के लिये आयात-निर्यात के मुख्य नियत्रक के लिये कार्यालय का निर्माण

करना, निर्यात सम्वर्द्धन समिति को मजबूती प्रदान करना तथा प्रतिनिधियो को विदेश भेजने के लिये अलग व्यवस्था करना।

2- **टंडन समिति** 1980

1980 मे प्रकाश टडन की अध्यक्षता मे निर्यात व्यूह रचना के आधार पर टडन समिति का गठन हुआ। समिति निर्यात व्यापार के लाभो को अनुभव किया तथा सुझाव दिया कि देश मे आयात के सम्बन्ध मे निर्यात को बढाना आवश्यक है। जब हम घरेलू आर्थिक स्थिति पर अपना ध्यान देते है तत्पश्चात निर्यात की प्रक्रिया ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए जब तक हम देश के पूर्ण आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कदम नही उठाते तब तक हमारे देश का निर्यात नही बढ सकता। 1980 के दशक मे निर्यात बढाने के लिए टडन समिति ने निम्न सुझाव दिये-

(i) निर्यात बढाने के लिए देश को, अनुदान जारी रखकर नही बल्कि निर्मित वस्तुओ के गुणात्मक स्तर मे सुधार करके निर्यात बढाना चाहिये।

(ii) घरेलू उपभोग मे वृद्धि के कारण हम अपना निर्यात नही बढा पाये है, इसलिए निर्यात के समझौतो और सौदो को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो घरेलू उपभोग पर अस्थायी रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(iii) मध्यम एव दीर्घकालीन निर्यात साख की पूर्ति के लिए वाणिज्यिक बैको को पुनर्वित्त की सुविधा दी जानी चाहिये।

(iv) उत्पादन को बढाने के लिए किसी इकाई को सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नही होना चाहिए।

(v) निर्यात योग्य अतिरेक की प्रप्ति के लिए अधिक उत्पादन का होना आवश्यक है और निर्यात बाजार की निरन्तरता बनी रहे, इसके लिए उत्पादन के एक निश्चित अश को निर्यात के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(vi) फरवरी 1973 से कुल 807 वस्तुओ को लघु पैमाने के क्षेत्र मे उत्पादन के लिए रिजर्व किया गया, लेकिन निर्यात करने वाली इकाइयो पर यह आरक्षण लागू नही होना चाहिए

एव शत-प्रतिशत निर्यात के आधार पर ही अतिरिक्त क्षमता का लाइसेन्स दिया जाना चाहिए।

(vii) ऐसी औद्योगिक इकाइयॉ जो लगातार तीन साल तक अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक निर्यात करती है, उन्हे बिना आयात कर का भुगतान किये पूँजीगत वस्तुओ के आयात की सुविधा दी जानी चाहिए।

(viii) वाणिज्य मन्त्रालय मे एक निर्यात प्रबन्ध विभाग स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके दश उपविभाग होने चाहिये तथा प्रत्येक उप विभाग को निर्यात उद्योगो के एक समूह के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

3- अविद हुसैन समिति 1984 (व्यापार नीति पर समिति)

अविद हुसैन की अध्यक्षता मे दिसम्बर 1984 मे इस समिति का गठन किया गया। समिति ने निर्यात नीति मे निम्नलिखित परिवर्तन करने के सुझाव दिये है-

(i) निर्यातो मे वृद्धि के लिए सहायता के क्षेत्र मे विस्तार किया जाना चाहिए तथा निर्यात बढाने के लिए सहायता की मात्रा मे भी वृद्धि की जानी चाहिए।

(ii) निर्यातको को बार-बार लाइसेस प्राप्त करने की दुविधा से मुक्त करने के लिए पास बुक प्रणाली आरम्भ करना चाहिए।

(iii) निर्यातक इकाइयो को विभिन्न करो से मुक्त किया जाना चाहिए या विशेष छूट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iv) भारतीय रूपये की विनिमय दर को उचित स्तर पर बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

(v) निर्यातो से होने वाले लाभ के 50 प्रतिशत भाग को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए।

(vi) निर्यातक के साहस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अविद हुसैन समिति के सभी सुझाव विचार योग्य है। कुछ सुझावो को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। यह आयात-निर्यात नीति भारतीय निर्यातको को दीर्घकालीन निर्यात व्यूह रचना मे सहायता एव नीति मे स्थिरता लाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया। विनिमय

के विपरीत प्रभाव और व्यापार व्यवस्थाओ, निर्यातक समुदाय को आयात-निर्यात पास बुक प्रदान किया गया। समिति ने आगे सुझाव दिया कि एक असीमित अवधि के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा इन आयात प्रतियोगी उद्योगो को नही प्रदान करना चाहिये, नही तो इसके परिणामस्वरूप दाम बहुत ऊँचे हो जाते है या फिर एक तरफा लाभ होता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

"प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय भारतीय निर्यात अपनी चरम सीमा पर था। कोरिया-युद्ध से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक दशाओ से भारतीय निर्यात मे तीव्र वृद्धि हुई। बढते हुये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो ने घरेलू मूल्यो को भी प्रभावित किया, इसलिए भारतीय सरकार ने कई वस्तुओ पर निर्यात-कर मे वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त हुई।

भारत की निर्यात नीति के दो निर्धारक तत्व थे-

I- दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र मे निर्यात बढाकर दुर्लभ मुद्रा की मात्रा बढाना।

II- यदि घरेलू माग मे कमी पडती है तो निर्यातो को कम करना।"[1]

पाकिस्तान के बन जाने से भारत की निर्यात करने की शक्ति मे न केवल कमी आयी बल्कि प्रतियोगिता भी बढ गई। ऐसी परिस्थिति मे भारतीय सरकार ने उदार निर्यात नीति का निर्धारण किया। यह भी प्रयास किया गया कि चावल, दाल इत्यादि का भी निर्यात किया जाए जो कि इससे पहले निषिद्ध था। इसी प्रकार चाय की अनुकूल उपज के फलस्वरूप सरकार ने चाय के निर्यात मे वृद्धि की। भारतीय निर्यात मे वृद्धि करने के लिए निर्यात सम्वर्द्धन की नीति का निर्धारण किया गया। अपरम्परागत वस्तुओ का पारम्परिक बाजार मे तथा परम्परागत वस्तुओ का अपारम्परिक बाजार मे निर्यात के सिद्धान्त पर भारतीय निर्यात सम्वर्द्धन की नीति अपनाई गई। इस दिशा में पहला प्रभावशाली कदम सूती वस्त्र-उद्योगो के लिए निर्यात सम्वर्द्धन समिति की स्थापना के द्वारा उठाया गया। समिति का मुख्य कार्य बाजार का निरीक्षण एव प्रतियोगिता का अध्ययन करना तथा सुझाव देना था।

---

1 डा० एस०एन० लाल- मौद्रिक अर्थशास्त्र, शिव प्रकाशन, इलाहाबाद, 1979, पृ० -394

द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

द्वितीय योजना मे एक बार पुनः निर्यात-वृद्धि पर बल दिया गया। विदेशी मुद्रा के अभाव में द्वितीय योजना मे यह और भी आवश्यक हो गया कि निर्यात मे वृद्धि के लिए प्रचार किया जाये। निर्यात आयात के बीच अन्तर कम करने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग 200 वस्तुओ के ऊपर से नियन्त्रण उठा लिया। इन वस्तुओ मे सूती वस्त्र, जूट के सामान इत्यादि सम्मिलित है। कई वस्तुओ जैसे-कच्चा कपास, चाय इत्यादि मे वृद्धि की गई। इसी प्रकार वित्तीय सुविधाये दी गयी जिससे भारतीय वस्तुये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतियोगिता के समक्ष टिक सके। सरकार ने निर्यात-सम्वर्द्धन के दृष्टिकोण से औद्योगिक इकाइयो के आयात-अभ्यश एव सुविधाये तथा उनकी निर्यात-प्राथमिकताओ के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया। वे इकाइयॉ जो कि निर्यात मे वृद्धि प्रदर्शित करती थी उनको आयात की सुविधा प्रदान करने का सरकार ने प्रलोभन दिया। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपने प्रतिनिधियो को बाजार सर्वेक्षण के लिए विदेशो मे भेजना चाहे तो उसे विदेशी मुद्रा की सुविधा दी जायेगी। 1957 मे निर्यात-जोखिम बीमा सहकारी समितियो की स्थापना कर सरकार ने निर्यात-सम्वर्द्धन के लिए एक और प्रभावशाली कदम उठाने का प्रयास किया। विदेशो मे नये बाजार की खोज के लिए सरकार ने बहुत से व्यापार दलो को विदेश भेजा। इसी प्रकार दूसरे देशो के 'व्यापार दलो' को आमन्त्रित भी किया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

तीसरी योजना मे निर्यात बढाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए निम्नलिखित उपायो पर जोर दिया गया।

(क) घरेलू उपभोग उचित सीमा तक कम करना होगा ताकि निर्यात के लिये वस्तुएँ जमा की जा सके।

(ख) निर्यात के सापेक्ष लाभकारिता बढाने के कदम उठाये जाने चाहिये अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्था मे घरेलू मडियो मे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।

(ग) लागत को दृष्टि मे रखते हुए, विशेष रूप से निर्यात उद्योगो को अधिक से अधिक

प्रतियोगी बनाना चाहिये। निर्यातो की विविधता पर भी बल दिया गया।

मुदालियर समिति

सन् 1961 मे श्री ए० रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता मे एक आयात-निर्यात नीति की स्थापना की गई। इस समिति ने देश के बढे हुए आयातो को सन्तुलित करने के लिए निर्यातो को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। समिति के अनुसार निर्यात सम्बन्धी योजनाएँ प्रतिवर्ष बनाई जानी चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किस उद्योग द्वारा निर्मित माल या कितनी वस्तुएँ निर्यात की जायेगी। समिति ने निर्यात कर्ताओ को प्रोत्साहन प्रदान करने के विभिन्न सुझाव दिये, जैसे- "विभिन्न उद्योगो को अधिक कच्चे माल का आयात करने की स्वीकृति दी जाये ताकि वे अपने उत्पादन को बढा सके। एक आवर्तक निधि स्थापित किया जाये ताकि कच्चे माल की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय प्राप्त की जा सके। यदि विदेशी फर्मे भारतीय निर्यात के लिए रूपये मे भुगतान करने के लिए प्रस्ताव करे तो उस पर विचार करना चाहिये। निर्यात-कर्ताओ को आयकरो मे छूट दी जानी चाहिये। निर्यात कर्ताओ को यह अधिकार नही होना चाहिए कि वे विदेशी मुद्रा को रख ले। समिति ने उपभोक्ता वस्तुओ के आयात का विरोध किया था। निर्यात के माल पर रेल के भाडे मे 25 प्रतिशत की सामान्य छूट दी जाये। जिन निर्यात उद्योगो मे सकट छाया हुआ है, उसे दूर करने के लिए पूरे-पूरे प्रयास किये जाये। केन्द्र सरकार को निर्यात लागत मे विक्रय कर की छूट स्वय करनी चाहिये। देश मे उपभोग के लिए बेचे गए उत्पादनो पर विशेष कर लगाने चाहिए और इस प्रकार प्राप्त आमदनी का प्रयोग निर्यात के प्रोत्साहन मे करना चाहिये। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मेलो मे भाग लेना चाहिये, उसे निर्यात जोखिम की गारन्टी देनी चाहिए, मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात के कार्यालय मे स्टाफ की वृद्धि करनी चाहिए, भारतीय व्यापारियो को प्रोत्साहन देना चाहिए आदि।"[1]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

चौथी योजना मे निर्यातो से 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा निम्न कार्यक्रम

---

1 डा० डी०एन० गुर्टू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1971-72, पृ० -484, 485

निर्धारित किये गये।

"(i)- निर्यात बढाने के लिए कृषि, खनिज और औद्योगिक क्षेत्रो मे उत्पादन लक्ष्य बढाने पर बल दिया गया।

(ii)- निर्यात के लिए अतिरेक का सृजन करने के लिए उपभोग पर नियन्त्रण रखने पर भी जोर दिया गया।

(iii)- निर्यात प्रोत्साहन के लिए आन्तरिक कीमतो मे स्थायित्व को आवश्यक समझा गया।

(iv)- निर्यात वस्तुओ की लागत घटाने तथा उनके गुणात्मक स्तर मे सुधार करने पर बल दिया गया ।

(v)- बन्दरगाहो के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।

(vi)- गैर-परम्परागत निर्यातो को बढाने के लिए पर्याप्त प्रचार एव विपणनोत्तर सेवा को आवश्यक समझा गया। साथ ही नये निर्यातो के बाजार की खोज पर भी जोर दिया गया।"[1]

इस योजना की अवधि मे निर्यातो मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके तीन कारण थे-

(i) विभिन्न निर्यात-प्रोत्साहन कारणो का अनुकूल प्रभाव।

(ii) उत्पादक एव पूँजीगत वस्तुओ की घरेलू माग मे कमी।

(iii) लोहा और इस्पात एव इन्जीनियरिग वस्तुओ के निर्यात मे भारी वृद्धि।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन -

पॉचवी योजना मे निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है। निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्यात के लिए प्रतियोगात्मक मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओ का उत्पादन बडी मात्रा मे किया जाय। सप्लाई मे रूकावट आ जाने से निर्यात सम्वर्द्धन के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते है। यदि उत्पादन मे ऐसी बाधा आ जाय जो टाली न जा सके तो घरेलू उपभोग के बजाय निर्यात को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निर्यात के लिए बाजार ढूढने मे अत्यधिक व्यय और प्रयास करना पडता है। एक बार निर्यात बाजार हाथ से निकल जाने पर उसे फिर आसानी से हासिल नही

1 डा० जी०सी० सिघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा, 1993, पृ० -474

किया जा सकता, यदि जरूरी हुआ तो घरेलू खपत के लिए कमी होने के बावजूद भी, निर्यात अवश्य जारी रहना चाहिए।

इजीनियरी व धातु का सामान, सयत्र और मशीन, परिवहन उपकरण तथा उपभोग वस्तुओ का विश्व बाजार तेजी से बढ रहा है। इजीनियरी उद्योग दो प्रकार के होते है- जैसे अधिक दक्ष व अपेक्षाकृत श्रम प्रधान। ये उद्योग निर्यात बढाने के लिए काफी क्षमता प्रदान करते है। हमारे पास कुशल और अर्द्ध-कुशल मानवशक्ति पर्याप्त मात्रा मे है। क्योकि हमारे देश के लोग नई तकनीक जल्दी सीख जाते है, इसलिए इन उद्योगो को फैलाया जा सकता है। हमारे पास पर्याप्त ससाधन है।

हमे कला-कौशल विरासत मे मिली है। अतः इसका पूर्ण उपयोग निर्यात के लिए किया जाना चाहिए। सम्पन्न देशो मे मोती, कीमती पत्थर, जवाहरात, आर्ट वर्क्स, कालीन और अन्य कलात्मक वस्तुओ की माग तेजी से बढ रही है। उन्नत देशो मे जीवन-स्तर बढने के साथ-साथ उनके आहार की किस्म मे भी सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप इन देशो मे मछली, मॉस, फल और वनस्पति की माग तेजी से बढ रही है। हमारे देश मे विविध जलवायु परिस्थितियॉ व प्राकृतिक ससाधन तथा लम्बी तटवर्ती सीमा होने के कारण हम यह माग पूरी कर सकने की स्थिति मे है। मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी तथा इससे सम्बद्ध प्रोसेसिग उद्योग को विकसित किया जाय और यातायात साधनो को तेज किया जाय।

निर्यात को सफल बनाने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि केवल निर्यात योग्य सामान का ही उत्पादन न किया जाय, बल्कि उस सामान की खपत घर मे करने की बजाय उसे विश्व बाजार तक भी पहुँचाया जाये। नगद सहायता, आयात आपूरण, औद्योगिक लाइसेसिग मे वरीयता उत्पादन तथा क्षमता बढाने के लिए लागत-सामान के आयात मे उदारता, देश मे तैयार साज सामान को रियायत तथा प्राथमिकता व टैक्स मे रियायत देना और निर्यात दायित्व जैसी अनिवार्यताओ मे रियायत इत्यादि शामिल है।

1977-78 की निर्यात निति

1977-78 की निर्यात नीति के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था की गयी कि छोटे पैमाने के

तथा ग्राम और कुटीर उद्योग मे निर्मित माल का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। "छोटे पैमाने के उद्योगो के बारे मे निर्यात सगठन को मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनी हुई वस्तुओ के मामले मे निर्यात की सीमा घटाकर 25 लाख रूपये तथा अन्य वस्तुओ के मामले मे दो करोड रूपये कर दिया गया। छोटे पैमाने के जो उद्योग उपर्युक्त घटी हुई सीमा तक भी यदि निर्यात नही कर पाते है तो उन्हे यह सुविधा प्रदान की गयी कि वे कई छोटे-छोटे उद्योग मिलकर अपना निर्यात सगठन बना सकते है। यदि ये मिले हुए छोटे उद्योग 24 लाख रूपये तक का निर्यात न कर पाये तो इन्हे निर्यात सघ का दर्जा प्रदान किया जायेगा। इनके साथ यह शर्त थी कि अगर इनका निर्यात दस लाख रूपये का है और ये प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये का निर्यात बढाकर अपना निर्यात व्यापार 25 लाख रूपये तक ले आये। निर्यात सगठनो से सम्बन्धित योजनाओ को सरल किया गया, ताकि निर्माताओ तथा विशेषकर छोटे निर्माताओ को विदेशो मे अपना माल बेचने मे कोई कठिनाई न हो।"[1] निर्यात बढाने के लिए तथा निर्यात सगठन की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनी हुई निर्यात वस्तुओ के मामले मे निर्यात की सीमा बढाकर एक करोड तथा अन्य वस्तुओ के मामले मे 5 करोड रूपये कर दिया गया। निर्यातको को अनेक वस्तुओ के आयात की छूट दी गयी ताकि वे अपनी जरूरत की चीजे सस्ते भाव पर आयात कर सके और देश के उत्पादन कार्यक्रमो तथा प्राप्त निर्यात आर्डरो के अनुसार माल भेजने के लिए सही समय पर आयात कर सके।

1978-79 की निर्यात नीति

1978-79 की निर्यात नीति मे पहली बार देश की आयात-निर्यात नीति को नियन्त्रण की बजाय विकास पर आधरित किया गया। निर्माताओ को अधिक आयात की छूट देकर निर्यात मे वृद्धि का आधार बनाया गया।

विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यो के निर्वाह के लिए आयात-निर्यात मुख्य नियन्त्रक का नाम बदलकर 'डाइरेक्टर जनरल आफ फारेन ट्रेड' कर दिया गया। लघु उद्योगो

---

1 डा० जी०सी० सिघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा, 1993, पृ० -475

को प्रतिष्ठित निर्यातको का दर्जा देने के लिए शर्तो को उदार बना दिया गया और जिन छोटे उद्योगो का निर्यात कम से कम 10 लाख था और जो प्रतिवर्ष 5 लाख का निर्यात बढाने की क्षमता रखते थे, उनको भी प्रतिष्ठित निर्यातक का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के रिजर्व बैक द्वारा निर्यातको को दी जाने वाली विदेशी विनिमय की सुविधा को बढाकर उसकी सीमा को 5 लाख रूपये कर दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

छठी योजना मे निर्यात नीति को अधिक युक्तिसगत एव विकास परक बनाया गया। जो निम्न है-

(i)- इजीनियरी, तैयार कपडे, दस्तकारी का सामान, हीरे जवाहरात आदि नये मदो के निर्यातो मे तीव्र गति से वृद्धि का निश्चय किया गया।

(ii)- निर्यातको को सम्बन्धित उद्योग सम्बन्धी माल का आयात करने की छूट दी गयी।

(iii)- निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

(iv)- निर्यात करने वाली इकाइयो को तकनीकी का आधुनिकीकरण करने की सुविधाऍ दी गयी।

(v)- निर्यात वित्त के लिए निर्यात-आयात बैक की स्थापना की गयी।

इन सब कदमो को अपनाने से पॉच वर्ष मे निर्यातो मे 76 प्रतिशत अर्थात लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

इस सातवी योजना के अन्तर्गत 12 अप्रैल 1985 को भारत के वाणिज्य मन्त्री द्वारा पहली बार तीन वर्ष के लिए (1985-88) निर्यात नीति बनायी गयी। इस नीति के निम्न लिखित उद्देश्य है-

(अ) निर्यातो से सम्बन्धित माल के उत्पादन के तकनीको को आधुनिकतम बनाना।

(ब) निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देकर निर्यातो मे अधिक से अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न

करना।

इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए ः

(i) निर्यातो की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

(ii) निर्यात एव आयातो का रिकार्ड रखने के लिए पासबुक की व्यवस्था की गयी।

(iii) एक करोड रूपये या उससे अधिक रकम के वार्षिक निर्यात करने वाली इकाइयो को तकनीक आयात करने की छूट दी गयी।

(iv) 5 से 10 करोड रूपये या अधिक का माल निर्यात करने वाली इकाइयो को अपना टेलीफोन एक्सचेज आयात करने दिया गया।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाओ के अतिरिक्त अधिक से अधिक माल निर्यात करने वाली इकाइयो को टेकनालॉजी, मशीने, पुर्जे, कच्चा माल तथा वित्त सम्बन्धी सभी सुविधाओ की उपलब्धि मे प्राथमिकता देने की घोषणा की गयी।

1988-91 निर्यात नीति

निर्यात नीति (अप्रैल 1988 से मार्च 1991) की घोषणा भारतीय सरकार द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन के प्राथमिक व्यूह रचना के एक भाग के रूप मे किया गया। नीति मे शर्ते निर्यात के लिए ज्यादा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। नई नीति के उद्देश्यो का विवरण देते हुए, वाणिज्य सघ और वित्तमन्त्री ने यह कहा कि आयात और निर्यात का नियन्त्रण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और निर्यात के लिए विकास को बढावा देना चाहिये।[1] ओ०जी०एल तालिका के विस्तार का निर्माण सरकार की तरफ से नही होना चाहिये ताकि गैर जरूरी आयात न किया जाय। मन्त्री के अनुसार केवल उन्ही वस्तुओ को आज्ञा प्रदान किया जायेगा जो कि घरेलू अत्पादन और देश के लिए जरूरी है। नई आयात और निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्ण निम्न है-

उद्देश्य

नई आयात-निर्यात नीति के उद्देश्य निम्न है-

1 इकोनोमिक्स टाइम्स, मार्च 31, 1988, नई दिल्ली,

(i) आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास और उद्योगो को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए पूँजीगत माल, कच्चे माल का सही निर्यात प्रदान करते हुए औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना ।

(ii) प्रभावी आयात सहायताये और स्वय पूर्ति प्रदान करना।

(iii) वस्तुओ के गुण और उनके प्रशासन मे सुधार के द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन प्रदान करना।

(iv) नीति और प्रक्रियाओ का सरलीकरण करना।

प्रमुख लक्षण

आयात-निर्यात नीति के प्रमुख लक्षण जिनका उद्देश्य निर्यातको और आयातको को पूँजीगत माल मे सहायता प्रदान करना है, इनका मुख्य लक्षण निम्न है-

नीति और खुले सामान्य लाइसेन्स का मूल्याकन तीन वर्ष की अवधि पर है लेकिन यह लाइसेन्सिग वार्षिक के आधार पर बना रह सकता है। पूँजीगत माल पहले की तरह खुले सामान्य लाइसेन्स या लाइसेन्स योग्य की तरह है, नही तो उन पर रोक लगा दिया जाता है। आयात के लिए पूँजीगत माल की तालिका मे औद्योगिक मशीनो के 99 वस्तुएँ रखी गयी है, पूँजीगत माल के 5 वस्तुएँ प्रतिबन्धित तालिका मे रख दी गयी। इस नीति के अन्तर्गत यदि नये आयातित मशीन का दाम 25 लाख से ज्यादा बढता है तो भारतीय व्यापार पत्रिका और भारतीय निर्यात समाचार मे विज्ञापन प्रकाशित करवाये जाते है। नीति यह व्यवस्था प्रदान करती है कि विज्ञापन का प्रकाशन अभियान्त्रिक उद्योग के पत्रिका मे भी किया जा सकता है। इसे विज्ञापन के छपने के समय को कम करने की दृष्टि से किया गया है।

दुबारा पूँजीगत माल के आयात के लिए सुविधा, जो कि सात वर्ष से ज्यादा पुराने नही है और 5 वर्ष से कम जीवन नही रखते, उनका आयात किया जा सकता है। फिर भी पुराने मशीनो के मूल्य के सम्बन्ध मे प्रस्तावित आयात 10 लाख रूपये से ज्यादा नही होना चाहिये। यही क्रिया नई मशीने प्राप्त करने के लिए भी लागू होती है, जिसमे मूल्य 25 लाख रूपये से ज्यादा नही बढता।

निर्यातको को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए यह जरूरी समझा गया है कि

पूँजीगत माल के आयात के लिए सुविधाये प्रदान करना चाहिये ताकि निर्यातक ऐसे पूँजीगत मालो की कमी न महसूस करे। यह नियम पारित किया गया है कि निर्माणकर्ता-निर्यातकर्ता को उनके उत्पादन के 25 प्रतिशत का निर्यात करने की आज्ञा प्राप्त है। पूँजीगत माल के आयात के सम्बन्ध मे विशिष्ट विचार प्रदान किये गये है। ऐसे आयात मूल्य के आधार पर आज्ञा दिये जायेगे ताकि पूँजीगत मालो को उपस्थित किया जा सके। पूँजीगत माल जो कि आयात के लिए पारित किया गया है, उसका प्रभाव सीधे निर्यात किये गये उत्पाद पर पडता है।

खुले सामान्य लाइसेन्सिग व्यवस्था के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रणाली के निर्यात के लिये सुविधा प्रदान की गयी है, यदि आयात एक ही बार किया गया है और कम्प्यूटर मे निम्न कम से कम ढॉचा है-

(अ) सी०पी०यू० कम से कम 32 बिट शब्द दूरी के साथ

(ब) 60 मेगावाइट का मुख्य यादाशत और

(स) हजार मेगावाइट का ग्रहणक्षमता। कम्प्यूटर प्रणाली के आयात की सुविधा साफ्टवेयर निर्यात योजना के अन्तर्गत निर्यात अनुग्रह के लिए प्रदान किया गया है।

औजारो के आयात के लिए नीति को सरलीकृत कर दिया गया है। औजार जो कि पजीकृत तालिका मे दिये गये है, उनको सामान्यतयः आयात करने की आज्ञा नही दी जाती है। पूँजीगत माल के भाग की तरह औजार के निर्यात को केवल पूरक लाइसेन्सिग प्रक्रिया के अन्तर्गत आज्ञा प्रदान किया जाता है।

खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत कच्चे माल और उपभोग योग्य माल जिन पर प्रतिबन्ध नही लगाया गया है, वो आयात के योग्य है। खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात के लिए वस्तुओ की सूची का विस्तार किया जा चुका है। कई वस्तुऍ जिसे खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत सही उपयोग करने वालो के लिए पूर्व नीति मे आयात की आज्ञा प्राप्त है, लेकिन निर्यात नीति की तालिका मे नही रखे गये है, उसको खुले सामान्य लाइसेन्स तालिका मे सच्चे उपयोग करने वाले के लिए जोड दिया गया है। 329 ऐसे वस्तुओ को लेते हुए आयात के लिए कुल वस्तुओं को संख्या 944 हो गयी है। ये वस्तुऍ निर्यात घर और व्यापार घर के द्वारा भी अन्य

लाइसेन्स से आयात किये जा सकते है।

पूरक लाइसेन्सिग क्रिया के अन्तर्गत सच्चे उपयोग करने वाले के द्वारा प्रतिबन्धित और सीमित वस्तुओ के आयात की सुविधा प्रदान थी। इनको सीमित आज्ञा प्राप्त तालिका के किसी भी वस्तु के आयात के लिए पूरक लाइसेन्स प्राप्त है, लेकिन लाइसेन्स की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 लाख होता है। निर्यात इकाई के पूरक लाइसेन्स के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान की जाती रही है। दुबारा प्रक्रिया व्यवस्था की सुविधा केवल एक बार मिल सकती है और सचमुच उपयोग करने वाले को इन वर्षो के दौरान पूरक लाइसेन्सिग प्रक्रिया को मानना पडता है। यह सुविधा केवल उन इकाइयो को प्राप्त है जो अपने उत्पादन का 25% निर्यात लाइसेन्सिग वर्षो मे कम से कम 10 लाख रूपये तक निर्यात करते है।

खुली सामान्य लाइसेन्सिग के अन्तर्गत अल्पव्यय निर्यात की सुविधा प्राप्त करते रहते है। लगाये गये मशीनो की कीमत के आधार पर प्रतिबन्धित अल्पव्यय के आधार के लिए इनको लाइसेन्स प्रदान किया जा सकता है। इस कीमत की सीमा मे एक वस्तु के आयात के लिए 1 5 लाख से 3 लाख रूपये तक आयात किया जा सकता है। वित्त प्रदान करने के लिए पूँजीगत माल के निर्माणकर्ता के द्वारा अल्पव्यय के आयात के लिए सुविधा लगातार मिलती रहती है। विदेशी मशीनो के भारतीय एजेण्ट या औजार निर्माणकर्ता अल्पव्यय के बिक्री भण्डारण और आयात के लिए लाइसेन्स पाने योग्य होते है।

अभियान्त्रिकी वस्तु के द्वारा अल्पव्यय के आयात के लिए एक नियम लागू किया गया है जो कि परियोजना चला रही है। ऐसे कम्पनियो को वर्तमान मे कच्चे माल के उपभोग और पूँजीगत माल के आयात की आज्ञा प्राप्त है। अल्पव्यय के आयात को आयातित औजार, कम्पनी या मशीना के दो प्रतिशत के आधार पर या लगाये गये मशीनो के कुल खरीद दाम के एक प्रतिशत के आधार पर आज्ञा प्राप्त है। यह आज्ञा उन कम्पनियो को प्राप्त है जो लाइसेन्सिग के दौरान परियोजना का निर्माण किया है। आयात माल के पूर्व उपभोग के 25 प्रतिशत तक की नये निर्मित वस्तुओ के सीधे आयात की सुविधा लगातार मिलती रहती है। खुली लाइसेन्सिग व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीगत माल, कच्चे माल इत्यादि के आयात की सुविधा को रेलवे, डाक विभाग और तार घर, सचार,

दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो तक विस्तृत कर दिया गया है। दूरदर्शन को कम्पनियो के आयातित माल की वीडियो फिल्म खुले सामान्य लाइसेन्स के आधार पर सचार और दूरदर्शन के मन्त्री द्वारा योग्य बनाया गया है

अप्रवासी भारतीय और मूल भारतीय को उद्योग लगाने के लिए या विस्तार और विकास मे भाग लेने के लिए, पूँजीगत माल, कच्चे माल और उपभोग योग्य वस्तुओ की आवश्यकता के निर्यात के लिए विशिष्ट सुविधा प्राप्त है। यह औद्योगिक सुविधा सरकार द्वारा मिलती है। अप्रवासी भारतीय जो कि खुले नियन्त्रण लाइसेन्स की तालिका मे आते है, वे पूँजीगत मालो का आयात कर सकते है। वे अन्य पूँजीगत माल जो कि 35 लाख रूपये दाम के आयात के लिए प्रतिबन्धित नही है, उनको खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात कर सकते है।

खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत प्रथम वर्ष मे किये गये कच्चे माल के आयात को उद्योग मन्त्री के अन्तर्गत विशिष्ट समिति द्वारा प्रमाणित करा सकते है। दूसरे या तीसरे वर्ष मे लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को प्रार्थनापत्र भेज सकते है, उनको ये प्रार्थनापत्र प्राधिकरण के द्वारा भेजने की आवश्यकता नही है। सभी परिस्थितियो मे अप्रवासी भारतीय के द्वारा निश्चित किये गये आयात मे उनका विदेशी विनिमय आय या विदेशी स्रोत को भारत मे रखने की आज्ञा नही प्रदान की जाती है।

दवाओ और रासायनो के आयात के बारे मे नियम को दुहराया जा चुका है। जीवन बचाने वाली दवाइयॉ और औजार, जीवन बचाने के 209 वस्तुऍ और जीवन बचाने की 108 दवाइयॉ खुले सामान्य लाइसेन्सिग के अन्तर्गत सभी व्यक्तियो द्वारा आयात करने की सुविधा प्राप्त है। हास्पिटल और मेडिकल सस्थाओ द्वारा आयात किये गये दवाइयो और रसायनो की कीमत की सीमा 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक है। चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा आयात किये गये रासायनो और दवाओ के मूल्य की सीमा 1,000 से 5,000 तक से 2,000 से 10,000 तक बढा दिया गया। हास्पिटल और रेडियोलोजिकल दवाखानाओ की पूर्व नीति मे 1,00,000 रूपये से 50,000 रूपये तक के एक्सरे मशीन को आयात कर सकते है। चिकित्सा औजार के सम्बन्ध मे हास्पिटल या चिकित्सा सस्थान के द्वारा तथा पजीकृत चिकित्सको के द्वारा कीमत की सीमा को दो लाख रूपये

से 5,000 तक को 4 लाख से 10,000 तक बढा दिया गया।

कार्यालय मशीनो के आयात की सुविधा उन निर्यातको को दी जाती है, जिनकी निर्यात क्षमता एक करोड रूपये या उससे ज्यादा है। यह आयात दो वर्ष मे एक बार किया जाता है। निर्यात घर या व्यापार घर, कार्यालय मशीनो के आयात के लिए प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स पाने योग्य होते है। दूरसचार विभाग के अनुमोदन पर पी०ए०बी० एक्स/ पी०बी० एक्स के आयात के लिए भी सुविधा प्रदान की जाती है। सही उपभोक्ता को वितरित करने के लिए कच्चे मालो के ज्यादा आयात के लिए व्यापार घर या निर्यात घर और सार्वजनिक क्षेत्र को लाइसेन्स मे आयात कर नियम प्रदान किया जाता है। निर्यात घर और व्यापार घर के लाइसेन्स की कीमत 50 लाख से। करोड और 1 करोड से 2 करोड तक बढा दिया गया है। विदेशी दूर सचार और कैमरामैन के द्वारा कैमरे के आयात की नीति विदेशी समाचार अभिकर्ता कार्यालय या विदेशी समाचार पत्र को प्राप्त है। सूरवे फलो के आयात की नीति के अन्तर्गत इस व्यापार मे पहले से ही व्यस्त व्यक्ति द्वारा योग्य निर्यातक को नीति के दूसरे वर्ष मे लाइसेन्स की कीमत के 50 प्रतिशत दाम की क्षमता, 1980-90 के दौरान और 1990-91 के दौरान लाइसेन्स के मूल्य के शत प्रतिशत क्षमता दिखानी पडती है।

आयातित माल उपभोग योग्य एव अल्प व्यय की उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए निम्न स्तरीय इकाई को इस नीति के अन्तर्गत विशिष्ट सुविधा प्रदान करने का प्राविधान है। यह नीति निम्न स्तरीय इकाइयो के सम्बन्ध मे पूँजीगत माल, कच्चे माल के लिए प्रार्थना पत्र उद्योग के राज्य निर्देशालय के द्वारा नामाकित कार्यालय को प्रदान किया जाता है। निर्माण कर रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाइयो के सम्बन्ध मे खुले सामान्य लाइसेन्सिग के अन्तर्गत आयात के तालिका का प्रमाण विकास आयोग (निम्न स्तरीय उद्योग, नई दिल्ली या निम्न उद्योग विकास सगठन) के द्वारा किया जा सकता है।

परिवर्तित आयात दुबारापूर्ति योजना

निर्यात नीति के अन्तर्गत कच्चे माल और निर्यात उत्पाद के निर्माण मे उपयोग करने के लिए आयात दुबारा पूर्ति लाइसेन्स निर्यातको को प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये आर०ई०पी० लाइसेन्स मुक्त रूप से स्थानान्तरण योग्य होते है। परिवर्तित आर०ई०पी०

योजना निर्यात सम्वर्द्धन के लिए मुख्य औजार के रूप मे देखा गया है।

आयात दुबारा पूर्ति के लिए निर्यात उत्पाद का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। यह महसूस किया गया है कि नीति की तालिका मे रखे गये कुछ उत्पादो को छोडकर सभी उत्पादो को दुबारा पूर्ति लाइसेन्स प्रदान किया गया है। यहॉ तक कि वे निर्यात उत्पाद जो आयात-निर्यात नीति की तालिका 17 के अन्तर्गत नही रखे गये है, उनको भी आयात दुबारा पूर्ति की आज्ञा प्रदान है। तालिका 17 के द्वारा निर्यात उत्पाद के लिए आयात दुबारा पूर्ति की दर 3 प्रतिशत तक बढा दी गयी है। आयात दुबारा पूर्ति की परिभाषा मे आयात-निर्यात नीति के सामान्य शर्त न० 8 को खत्म कर दिया गया है और कालम 4 के वस्तुओ को विशिष्ट बना दिया गया है। यह आर०ई०पी० लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र का वितरीकरण जल्द कर देता है।

यह जरूरी समझा गया है कि दुबारा पूर्ति योजना के आयात के लिए उनके उत्पादन को विस्तृत करने के योग्य बनाना चाहिये। सभी आर०ई०पी० लाइसेन्सो मे एक लचीलापन लाया गया है। यह तालिका 3 और नीति के 5A मे लिखे गये कच्चे मालो भागो के आयात के लिए किया गया है। लचीलापन की सीमा मूल्य के 10 प्रतिशत के आधार पर ज्ञात किया जाता है। 10 लाख रूपये तक के पूँजीगत माल के आयात को बिना समायोजन के ही आज्ञा मिल जाती है। यह लचीलापन मशीनो के एक वस्तु के आयात के लिये भी लागू हो सकता है, जिनकी कीमत एक करोड रूपये होती है।

यह निर्यात नीति निर्मित माल की पूर्ति के विशिष्ट समूह के सम्मान मे कुछ निर्यात लाइसेन्स प्रदान करती है। ऐसी पूर्ति सामान्यतयः अन्तर्राष्ट्रीय दाम पर किये जाते है।

नीति मे मुख्य परिवर्तन अप्रत्यक्ष निर्यातक को बढावा देने मे किया गया है। अप्रत्यक्ष निर्यातक वे है जो निर्णित निर्यातको को माल प्रदान करते है। वर्तमान मे ऐसे अप्रत्यक्ष निर्यातक कोई भी लाभ नही पाते है और इसके परिणामस्वरूप वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर वस्तुएँ नही देते है। निर्णित निर्यात लाभ सभी पूर्तिकर्ता को लाइसेन्स मुक्त कर नही मिलता है। यह भी महसूस किया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप मूल्य बढेगा और आपूर्ति कर्ता की क्षमता अच्छी होगी। सभी परिस्थितियो मे जब भी आयात दुबारा पूर्ति के वस्तुओ की दर मे परिवर्तन होता है, वे 130 दिन के अवधि के

अन्दर प्रभावी कर दिये जाते है। इन 130 दिनो मे किये गये सभी निर्यात के लिए निर्यातक को वस्तु की आवश्यकता होगी।

चुँगी छूट योजना

चुँगी छूट योजना कच्चे माल, उपभोग योग्य वस्तुएँ और अल्प व्यय, को प्रत्येक वर्ष निर्यात उत्पादन चुगी छूट के लिए ऊपर दिये गये वस्तुओ के आयात की सुविधा प्रदान करता है। यह नीति निर्यात सम्वर्द्धन का प्रमुख औजार की तरह विकसित हुई है। मध्य अग्रिम लाइसेन्सिग योजना के अन्तर्गत चुँगी छूट अग्रिम लाइसेन्स, मध्य उत्पाद के निर्यात की पूर्ति के लिए पजीकृत निर्माणकर्ताओ-निर्यातकर्ताओ को प्रदान किया जाता है। यह योजना निर्माण कर्ता-निर्यातकर्ता को पूर्ति प्राप्त करने के योग्य बना देता है। यह योजना जो कि केवल कुछ विशिष्ट उत्पादो तक ही सीमित था, उनको सभी वस्तुओ तक बढा दिया गया है। जहॉ भी दो अलग निर्माणकर्ता इकाई के द्वारा सयुक्त रूप से कार्य किया जा सकता है। यह दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि अप्रत्यक्ष निर्यातक को लाभ प्रदान करता है। निर्माणकर्ता और निर्यातकर्ता दोनो सयुक्त रूप से निर्यात को पूर्ति करने के लिए उत्तर दायी होते है। इस नियम के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय को बचाया जा सकता है और निर्यात क्षमता को अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है।

यह नीति चुँगी छूट योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये लाइसेन्स मे दुबारा पूर्ति लाभ की सुविधा प्रदान करता है, (विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स) विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने की आशा की गयी थी। यह चुँगी छूट लाइसेन्सिग योजना पर मूल्य के 10 प्रतिशत तक प्रदान किया जाता है। इसे नीति के तालिका 17 मे दिये गये दुबारा पूर्ति दरो को सीमित करने के लिए किया गया है।

तकनीक प्राधिकरण के अनुमोदन के आधार पर आने वाली और जाने वाली वस्तुओ की तालिका मे 54 वस्तुओ को जोडते हुए उसे बडी कर दी गयी है। यह अग्रिम लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र का जल्द वितरण करने की सुविधा देती है। लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए लाइसेन्सिग प्राधिकरण और क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेन्सिग समिति की शक्ति 50 लाख रूपये से एक करोड, फिर दो करोड रूपये तक कर दी गयी है।

आयात-निर्यात पास बुक योजना

आयात-निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत निर्माणकर्ता और निर्यातकर्ता को चुँगी मुक्त कच्चे माल के आयात के लिए सुविधा प्रदान की गयी है। नीति मे पास बुक की सीमा निर्माण कर्ता तक बढा दी गयी है जो कि घरेलू बाजारो मे स्थापित है। परिणामस्वरूप निर्माणकर्ता को जिनका 3 साल का वार्षिक औसत आय 15 करोड या उससे ज्यादा है, उनको औसत आय के 10 प्रतिशत तक की सीमा के लिए पास बुक की सुविधा प्रदान की गयी है।

विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स उसके समान होता है जो चुँगी मुक्त योजना के अन्तर्गत मुक्त आयात की सुविधा प्रदान करते है। पास बुक रखने वाले को पास बुक पर प्राप्त मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है। यह लाइसेन्स निर्यात शर्तो को पूरा करने के बाद भी प्रदान किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि निर्यात करने के लिए मजबूत बाजार सगठन का विकास जरूरी है, इसको दृष्टि मे रखकर निर्यात घर और व्यापार घर की योजनाये, सभी सगठनो के प्राप्त सुविधाओ के विकास प्रक्रिया के द्वारा पूर्णतयः सशोधित किया गया है। योजना के अन्तर्गत आयात घर और व्यापार घर ढॉचा प्राप्त करने के लिए योग्यता विदेशी विनिमय आय के शर्तों पर होगा। जबकि सभी उत्पादो का निर्यात, नीति मे बताये गये कुछ वस्तुओ को छोडकर उद्देश्य के लिए प्रतियोगी नही बन सकते। निम्न स्तर और घरेलू क्षेत्र मे निर्मित सभी वस्तुओ को दो गुना सुविधा उनके योग्यता के आधार पर दिया जाता है। योग्यता के लिए यदि एक बार निर्यात घर या व्यापार घर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो यह तीन वर्षो के लिए मान्य हो जाता है। निर्यात घर और व्यापार घर के लिए योग्यता सीमा उनके विदेशी विनिमय आय का दो करोड रूपये और 10 करोड रूपये सुनिश्चित किया गया है।

इन सगठनो को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे मुख्य भूमिका अदा करने के योग्य बनाने के लिए, इस नीति मे उनके विदेशी विनिमय आय के कुछ भाग मे अलग से लाइसेन्स प्रदान किया गया है। निर्यात घर और व्यापार घर के लिए अलग से लाइसेन्स विदेशी विनिमय आय के 10 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। यह अलग से लाइसेन्स 10 प्रतिशत पर प्राप्त करने योग्य बना देता है। अलग से लाइसेन्स के विपरीत आयात का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढा दिया गया है। ये लाइसेन्स,

लाइसेन्स मूल्य के 10 प्रतिशत से ज्यादा लचीलापन नही उठा सकते। नीति की छोटी पुस्तक के तालिका 3A और 3B और 5A के द्वारा कच्चे माल और उपभोग और वस्तुओ के आयात के लिये एक वस्तु को 10 लाख रूपये तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। व्यापार घर की स्थिति मे लचीलेपन की सीमा लाइसेन्स की कीमत के 15 प्रतिशत तक है। ये अलग से लाइसेन्स मुक्त रूप से स्थानान्तरण योग्य है। अलग से लाइसेन्स मे भी पूँजीगत माल को आज्ञा प्रदान किया गया है।

बहुमूल्य पदार्थ एवं आभूषण योजनायें

बहुमूल्य पदार्थ के निर्यात को ध्यान मे रखते हुए बहुमूल्य पदार्थ एव आभूषण के निर्यात के लिए योजना को लेते हुए एक अलग नियम बनाया गया है। यह भी महसूस किया गया है कि आभूषणो के निर्यात मे ज्यादा विभवान्तर है, जो कि पहले नही था। हीरे के लिए योजना, आभूषण और मजबूत आभूषण, इस क्षेत्र मे विकास प्राप्ति के द्वारा इनके व्यापार को शुरू किया गया है। पिछ्ले कुछ वर्षो के दौरान कटे हुए और पालिस किये हुए हीरो के निर्यात मे विकास हुआ है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि कई निम्न स्तरीय काटने और पालिस करने वाली इकाइयॉ है। हीरो के लिए हीरा बिक्री लाइसेन्स प्रदान किया गया है। लाइसेन्स स्वय स्थानान्तरण योग्य नही है, लेकिन आयात किया गया हीरा काटने और पालिस करने के लिए स्थानान्तरित किया जा सकता है। सोने और चॉदी के आभूषणो का निर्यात पॉच योजनाओ के द्वारा किया जाता है। निर्यात को प्रबल बनाने के उद्देश्य से योजना को सशोधित किया गया है और दो विशिष्ट लक्षण प्रदान किये गये है-

(i) पहला लक्षण दुबारा पूर्ति सुविधा प्रदान करना है जो कि पहले केवल धातु या सोने या चॉदी के ऊपर लागू था। आयात दुबारा पूर्ति लाभ को हीरे, बहुमूल्य एव निर्मित पत्थर और मोतियो इत्यादि के आयात के लिए आज्ञा प्रदान कर दी गयी। दुबारा पूर्ति की यह विधि इन वस्तुओ के बारे मे ज्यादा सही पडते है।

(ii) दूसरा विशिष्ट लक्षण, आभूषणो के टुकडो को बरबाद होने से बचाने के लिए नियम बनाया गया। अतः यह सुनिश्चित किया गया है कि यह बरबादी निम्न स्तर पर सोने

के मूल्य के 10 प्रतिशत तक प्रदान की जायेगी। इन दोनो योजनाओ का समुच्चय नीति तो लागू किया गया है और पूर्व नीति मे सुधार किया गया है।

चुँगी मुक्त आर०ई०पी० लाइसेन्स की बहुउद्देश्यीय योजना मे कमी करने की दृष्टि से पेशगी लाइसेन्स निर्यातक व्यापारियो को वितरित किया गया है। मुक्त लाइसेन्सिग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। इसी तरह पहले आने और पहले सेवा के आधार पर लाइसेन्स को खत्म कर दिया गया है।

तालिका मे प्रस्तुत किये गये वस्तुओ को स्रोताओ के लिए खोल दिया जायेगा। तालिका 4 के कुछ विशिष्ट वस्तुओ को लाइसेन्सिग प्राधिकरण को वितरित कर दिया गया है। भाग 4 के तालिका 2 के सम्बन्ध मे बैक गारण्टी तभी प्रदान किया जाता है, जब निर्यातक निर्यात पूर्ण कर लेता है और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये निर्यात लाइसेन्स जो कि पहले 45 दिन के लिए मान्य थे, अब 6 महीने के लिए मान्य हो गये है। उन निर्यातको के विषय मे जो अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त किये रहते है जिसके लिए तालिका मे दिये गये वस्तुओ का निर्यात शर्तो पर होता है, ऐसे निर्यात लाइसेन्सो की मान्यता निर्यात शर्त अवधि से जुडी हुई है।

मुक्त व्यापार नमूनो के निर्यात का क्षेत्र बढा दिया गया है। इसी तरह उच्च मूल्य सीमा का भी परिवर्तित कर दिया गया है। पहली बार आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक की अध्यक्षता के अन्तर्गत निर्यात लाइसेन्सिग समिति का निर्माण किया गया।

आयात-निर्यात नीति के मुख्य अंश

(i) 745 वस्तुएँ खुले लाइसेन्स पर रखे गये है, जिसके अन्तर्गत 209 जीवन बचाने वाले औजार, 108 दवाईयो की वस्तुएँ और 99 मशीनो की वस्तुएँ आती है।

(ii) आर०ई०पी० लाइसेन्स पर अलग कीमत के 10 प्रतिशत लचीलापन प्रदान किया गया है।

(iii) आयात दुबारा पूर्ति योजना का क्षेत्र बढा दिया गया है।

(iv) चुँगी मुक्त लाइसेन्स के विपरीत किये गये पूर्ति निर्णित निर्यात के नाम से जाने जाते है।

(v) 28 वस्तुओ का आयात बन्द कर दिया गया है।

(vi) निर्यात घर और व्यापार घर के निर्माण के लिए योग्यता सीमा विदेशी विनिमय के 2 करोड और 10 करोड निश्चित कर दिया गया है।

(vii) मध्य अग्रिम लाइसेन्स का विस्तार सभी वस्तुओ तक कर दिया गया है।

(viii) निर्यात घर और व्यापार घर योजनाये चालू कर दिये गये है।

(ix) निर्यात लाइसेन्स नीति पुनः चालू कर दिया गया है।

(x) अलग से लाइसेन्स को स्थानान्तरण योग्य बना दिया गया है।

(xi) अप्रवासी भारतीयो के लौटने के लिए विशिष्ट निर्यात सुविधा प्रदान की गई है।

(xii) निर्माणकर्ता और निर्यातकर्ता को पूँजीगत माल के आयात करने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

(xiii) सीमित आज्ञाओ के आयात का लचीलापन और वस्तुओ को शुरू करने की आज्ञा, निर्यात घर के 10 प्रतिशत तक और व्यापार घर के लिए 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

(xiv) हास्पिटल, चिकित्सा सस्थान और चिकित्सको के द्वारा दवाइयो और रासायनो के आयात की सीमा बढा दी गयी है।

(xv) सोने और चॉदी आभूषण योजनाओ को अच्छी तरह दोहराया गया है।

(xvi) घरेलू निर्माण कर्ता जिनका औसत आय 15 करोड है, उनको अब पास-बुक योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है।

(xvii) नियमो को सरलीकृत कर दिया गया है।

(xviii) लाइसेन्स और पास बुक के लिए विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स सुविधा को 10 प्रतिशत कीमत की दर से लाइसेन्स प्रदान किये गये है।

नियमों का सरलीकरण

मुख्यतः निर्यातको द्वारा यह कहा जाता है कि निर्यात के नियम बहुत गलत और कठिन है, अतः यह जरूरी है कि आयात और निर्यात के सम्बन्ध मे विभिन्न नियमो को सरलीकृत करना

चाहिये। नियमो को सरलीकृत करने के उद्देश्य से सरकार ने आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये है-

(i) पूँजीगत माल एव निर्माण कर्ता उद्योग को निर्यात सुविधा प्रदान की गयी है। कच्चे माल या भागो का 50 प्रतिशत इनके लिए तुरन्त प्राप्त हो जाता है, केवल छूट सेवाओ के लिए अल्प-व्यय आयात अभियान्त्रिक कम्पनियो को प्रदान किया जाता है।

(ii) अप्रवासी भारतीयो को कच्चे माल और भागो के आयात की सुविधा बिना प्रायोजित प्राधिकरण के प्रथम तीन वर्षो के लिए प्रदान किया जाता है।

(iii) तालिका 17 को सरलीकृत करने के लिए सामान्य शर्त न० 8 को खत्म कर दिया गया है। यह समय बर्बाद होने से बचायेगा और निर्यात की प्रक्रिया को साधारण बनायेगा।

(iv) निर्यात ठेके के पजीकरण की प्रक्रिया साधारण कर दी गयी है।

(v) विज्ञापन प्रक्रिया के लिए अभियान्त्रिकी उद्योग को दैनिक पत्र मे विज्ञापन की आज्ञा प्राप्त है। यह पूँजीगत माल के लाइसेन्सिग मे देरी को कम करेगा और सी०एफ०टी० दैनिक मे विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

(vi) आयात और निर्यात वस्तु की तालिका को चुँगी छूट योजना के अन्तर्गत 54 वस्तुओ के लिए विस्तृत कर दिया गया है।

(vii) लाइसेन्सिग प्राधिकरण और क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेन्सिग कमेटी के प्रतिनिधि को 50 लाख के आयात से 1 करोड और 1 करोड से 2 करोड तक आज्ञा प्रदान किया गया।

(viii) निर्यात घर और व्यापार घर की सभी योजनाओ को दोहराने की दृष्टि से सरलीकृत कर दिया गया। पूर्व योजना मे कई नियम और शर्तें थी जो कि निर्यातक को निर्यात घर या व्यापार घर बनने के लिए पूरा करना पडता था।

(ix) खुली सामान्य लाइसेन्सिग आज्ञा, एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष की मान्यता के लिए प्रदान किया गया।

(x) निर्यात लाइसेन्सिग को पूर्णतयः चालू और सशोधित कर दिया गया। कोटा लाइसेन्सिग खत्म कर दिया गया।

(xi) दावे और सशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया।

(xii) निर्यात किये गये खुले सामान्य लाइसेन्सिग वस्तुओ के बारे मे जानकारी सभी उपयोग करने वालो को भेज दी जाती है।

(xiii) सभी निर्यातको को निर्मित माल के आयात की आवश्यकता के लिए निर्मित अभिकर्ता कार्यालय को आयात के बारे मे सभी सूँचनाये भेज दी जाती है।

(xiv) अन्य वस्तुओ के आयात के लिए, पूरक लाइसेन्स के लिए 20 प्रतिशत तक का लचीलापन प्रदान किया है। अब उनके प्रार्थना पत्र पर उनको लाइसेन्सिग प्राधिकरण से बार-बार मिलने की आवश्यकता नही होती।

(xv) सी०ओ० लाइसेन्स मे 15 प्रतिशत तक की कमी अब लाइसेन्सिग प्राधिकरण द्वारा बिना समिति की आज्ञा के कर सकती है। रेलवे, डाक विभाग और दूरसचार, दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो को खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत इन आवश्यकताओ को आयात कर सकती है।

निर्यात व्यूह रचना

देश के निर्यात उद्‌देश्यो की पूर्ति के लिए सरकार ने निर्यात व्यूह रचना बनाई है। स'मित का कार्य विदेशी विनिमय बाजार का निर्माण करना, निर्यात शर्तो के लिए योजनाये बनाना, विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून का सरलीकरण और ज्यादा निर्यात उधार गारण्टी प्रदान करना। ये वे कदम है जो कि सरकार द्वारा निर्यात के लिए व्यूह रचना बनाई गई है। पेपर पर आधारित व्यूह रचना जो कि योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। इसको उच्च स्तर पर अन्तरमन्त्रीय बैठक के सामने विचार किया जाता है। ऑठवी योजना की समाप्ति तक निर्यात के स्तर को जी०एन०पी० के 10 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसका मतलब 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्यात की दर मे विकास प्राप्त करना है। निर्यात मे सफलता सुनिश्चित करने के लिए, यह जरूरी होगा कि नीति के विभिन्न भागो का सहयोग प्राप्त किया जाय और निर्यात शर्तों के लिए मशीनो का विकास किया जाय। निर्यात व्यूह रचना के मुख्य लक्षण निम्न है-

(i) निर्यात से विदेशी विनिमय आय का कुछ हिस्सा निर्यातक को देने का प्रस्ताव प्रस्तुत

किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि निर्यातक विदेशी मुद्रा कोष को अपने आयात आवश्यकता के लिए प्रयोग मे ला सकते है। ये प्रभाव पूर्वक विदेशी विनिमय मे सीमित बाजार द्वारा शुरू किया जा सकता है, जहॉ विनिमय दर नियन्त्रण दर से ज्यादा ऊँची है। यह व्यूह रचना बहुउद्देश्यीय विनिमय दर के लिए जरूरी होगा और दुबारा पूर्ति योजना के विभिन्नताओ मे ज्यादा लचीलापन ला सकते है।

(ii) एक नयी योजना जो कि अपने वाणिज्यिक बैक के द्वारा सभी निर्यात प्रवोधन प्राप्त करने मे निर्यातको को योग्य बनाता है, उनका भी निर्माण हुआ है। बैक नीतियो के अन्तर्गत सभी आवश्यक आयात के लिए निर्यातको को पूर्ण उधार प्रदान करती है। इनके अन्तर्गत सभी आयात-निर्यात कर, शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष कर आते है। निर्यातक को उधार की सही मात्रा प्रदान करने के लिए एक तालिका बनायी जाती है।

(iii) निर्यातको को वस्तुओ की बिक्री पर किये गये लाभ के द्वारा अनुदान मिलता है, जो उनके विदेशी मुद्रा कोष के उपयोग के द्वारा उनके आयात आवश्यकताओ के लिए स्थानान्तरण मूल्य बचायेगी।

(iv) निर्यातको को उनके स्रोतो के बारे मे जानकारी हासिल किये बिना ही घरेलू या विदेशी आयात मे प्रलोभन दिये जायेगे। इस योजना को अन्ततः निर्यात के कुछ चुने हुए वस्तुओ तक ही सीमित रखा जायेगा। जैसे कपडे, चमडे के सामान और कुछ अभियान्त्रिकी उत्पाद।

(v) विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून मे दिये गये सुझावो के अन्तर्गत, अन्य देशो को निर्यात के लिए, निर्मित माल की प्राप्ति के लिए भारत मे विदेशी व्यापार सगठन की क्रियाओ को आज्ञा प्रदान की गयी है। यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि जापानी व्यापार घर उन उत्पादो के लिए व्यस्त है, जो अन्य देशो मे स्रोत बन सकते है और तृतीय विश्व मे उनके बाजार के नाम पर बेचे जा सकते है एन०के०उच्च मूल्य के दबाव के अन्तर्गत वे उन उत्पादो को भी खोज रहे है जो कि जापान को आयात किये जा सकते है। ऐसी नीतियॉ भारत के लिए तीन मुख्य लाभ प्रदान कर सकती है-

(अ) गुण नियन्त्रण और निर्यात उत्पाद का प्रमाणीकरण

(ब) उपस्थित बाजारो पर कब्जा और

(स) बाजार विकास मे तकनीक सहायता

(vi) भारतीय निर्यात घर को विदेश मे व्यापार क्रियाओ मे प्रवेश करते हुए लाभ केन्द्र खोलने की सहायता प्रदान की जा रही है। विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून, निर्यात नमूने के परीक्षण के आधार पर नीति के अन्तर्गत उनके सुझावो को सरलीकरण करना चाहिये। ठेको मे हस्ताक्षर करने योग्य बनाने के लिए और शर्तो मे बदलाव के लिए ज्यादा लचीलापन जरूरी है।

(vii) निर्यात उधार बीमा निगम के क्रियाओ के तरीके मे बदलाव का भी सुझाव दिया गया है। वह परिस्थित बदलने के लिए जिसमे निगम को बाद मे भुगतान के लिए जुर्माना देना पडता है। यह महसूस किया गया था कि ई०सी०ओ०सी० को उधार दर क्षमता का विकास बैक के अलावा स्वय करना चाहिए। इसके द्वारा किये गये मूल धन का भुगतान को वर्तमान मे 2 5 करोड से कम से कम 50 करोड तक बढा देना चाहिये। इसके पूर्व दर को भी बढाया जाना चाहिये।

(viii) औजारो के क्रेता को विदेशी विनिमय का बॅटवारा बाजार के आधार पर या तालिका मे लिखे गये मालो के कीमत के आधार पर किया जाता है। इस क्रिया मे घरेलू स्रोतो का बॅटवारा और निर्यात सम्वर्द्धन मे विकास किया जाता है।

1992-97 निर्यात नीति

"31 मार्च, 1992 को वाणिज्य मन्त्री श्री पी० चिदबरम ने 1992-97 के लिए 5 वर्षीय अवधि के लिए आयात- निर्यात नीति की घोषणा की। इस नीति मे एक छोटी सी नकारात्मक सूची को छोडकर सभी मदो को खुले रूप मे आयात करने की स्वीकृति दी गई, इसके अन्तर्गत बहुत से कच्चे मालो जिनमे अलौह धातुऍ भी शामिल है, उनके आयात को सरकारी क्षेत्र के अधीन न करने की अपेक्षा निजी क्षेत्र को आयात करने की इजाजत दी गई और इसके अतिरिक्त पूॅजीगत वस्तुओं के आयात को और उदार बनाया गया, यदि इनके आयातक निर्यात दायित्व को पूरा करते है। इस

नीति का मुख्य बल उदारीकरण की क्रिया को अधिक बढावा देना था ताकि देश मे अपेक्षाकृत अधिक उदार विदेशी व्यापार प्रणाली की स्थापना की जा सके।"[1]

निर्यात नीति के मूल लक्षण

(i) नकारात्मक सूची को छोड जिसमे उपभोक्ता वस्तुएँ (28 मदे) और 70 अन्य मदे जिनके आयात को सीमित किया जायेगा, अन्य सभी मदो जिनमे पूँजी वस्तुएँ शामिल है, उनका आयात पूर्णतया खुला रहेगा। नकारात्मक सूची मे शामिल की गई उपभोक्ता वस्तुएँ है- उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स, उपभोक्ता टेलीसचार समान, घडियॉ, रूई और सश्लिष्ट मनुष्यकृत रैनेट और बिना निर्मित हाथी दात के आयात पर रोक लगा दी गई है।

(ii) सात मदो की छोटी-सी सूची को छोड जिसमे गोमास और चर्बी शामिल है, निर्यात की सभी मदे विदेशी व्यापार के लिए खोल दी गई है। इसके अतिरिक्त 62 मदो अर्थात कच्ची शिल्क, विशेष धातुओ, दालो, सैनिक स्टोर, दूध, नारियल और गरी का निर्यात लाइसेन्स के आधार पर किया जायेगा।

(iii) बहुत-सी वस्तुओ का आयात सरकारी-निर्देश क्षेत्र से हटा दिया गया है और इनके आयात की निजी क्षेत्र को इजाजत दे दी गई है। ये वस्तुए है- अखबारी कागज, अलौह धातुए, प्राकृतिक रबडे, मध्यवर्ती वस्तुएँ और कच्चे माल इस्पात की सभी मदे, फीचर और बीडियो फिल्मे। किन्तु नई नीति के अधीन पैट्रोलियम उत्पाद, विटामिन ए, खाद्य तेलो, उर्वरकों एव अनाज का आयात सरकारी क्षेत्र द्वारा ही किया जायेगा।

(iv) शुल्क छूट योजना का क्षेत्र-विस्तार करने का वचन दिया गया और इसमे मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेसो के अतिरिक्त मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेस चालू किये गए। इसके परिणामस्वरूप निर्यातक को समग्र सीमा के अन्तर्गत वस्तुओ के आयात या निर्यात करने मे अधिक स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी और मात्रा-सम्बन्धी

---

1 रूद्रदत्त एव के०पी०एम० सुन्दरम- भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द एण्ड कम्पनी लि० राम नगर, नई दिल्ली, -110055, 1994, पृ० -748

सीमाबन्धन केवल सवेदनशील वस्तुओ मे लागू होगे।

(v) निर्यात घरानो, व्यापार एव स्टार घरानो को अग्रिम लाइसेस योजना के अधीन स्वप्रमाणन की स्वीकृति होगी, जिसके आधार पर उन्हे निर्यात की विशिष्ट वस्तुओ के विरूद्ध शुल्क-मुक्त आयात की इजाजत होगी।

(vi) पूँजी वस्तुओ के देशीय निर्माताओ को जिसे आयात-सामान चाहिए, उसे लागत-बीमा-भाडा मूल्य पर 15% रियायती शुल्क पर आयात करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vii) 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत रियायती शुल्कदर पर पूँजी वस्तुओ के आयात के लिए दो खिडकियॉ अब उपलब्ध होगी- (क) 25 प्रतिशत शुल्क पर आयात के लिए पिछले 4 वर्षो के पूँजी वस्तुओ के लागत बीमा-भाडा मूल्य के विरूद्ध तीन गुना निर्यात करने का दायित्व होगा और (ख) 15 प्रतिशत शुल्क पर आयात के लिए पिछले 5 वर्षो के पूँजी-वस्तुओ के लागत बीमा-भाडा मूल्य के विरूद्ध 4 गुना निर्यात करने का दायित्व होगा।

(viii) सरकार ने अखबारी कागज के आयात पर सरकारी निर्देश समाप्त कर दिया है और भारत के सामाचार पत्रो के रजिस्ट्रार को आयात लाइसेस जारी करने का अधिकार दे दिया गया।

(ix) 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाइयो और ऐसी इकाइयो को जो मुक्त व्यापार और निर्यात-विधायन क्षेत्रो मे स्थित है और सुविधाएँ दी गई अर्थात वे न केवल अपनी मशीनरी लगा सकेगी बल्कि पट्टे पर मशीनरी भी स्थापित कर सकेगी। इन इकाइयो को कृषि, बागवानी, जलचर पालन, मुर्गी पालन और पशु पालन की नई क्रियाओ मे प्रवेश करने की इजाजत होगी।

महत्वपूर्ण संशोधन

इसमे पहली बार 31 मार्च, 1993 को सशोधन की घोषणा की गई। इसके अन्तर्गत आयात-निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाते हुए इसमे कृषि क्षेत्र मे निर्यातोन्मुखी इकाइयॉ लगाने पर और

छूट देने तथा सेवा क्षेत्रो के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

"निर्यात क्षेत्र का विस्तार करने के लिए निषेधात्मक सूची मे शामिल 344 वस्तुओ मे से 144 वस्तुओ को निर्यात योग्य वस्तुओ की सूची मे शामिल किया गया। कृषि एव सबधित क्षेत्रो की निर्यातोन्मुख इकाइयो को शुल्क रहित आयात का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इनके उत्पादो का 50% तक निर्यात करने पर वही सुविधाये तथा रियायते देने की घोषणा की गई, जो अन्य औद्योगिक इकाइयो को शत प्रतिशत अथवा 75% तक निर्यात करने पर मिलती है। सशोधन मे पूँजीगत माल की परिभाषा का भी विस्तार किया गया, जिसमे कृषि एव उससे सबन्धित कार्यो मे काम आने वाले सामान को भी सम्मिलित कर लिया गया। सेवा क्षेत्र के लिए पूँजीगत सामान निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत सेवाये उत्पन्न करने वाले लोग 15% की रियायती शुल्क दर पर उपकरणो का सामान आयात कर सकेगे। इस योजना को सेवा क्षेत्र के लिये पूँजीगत माल निर्यात सम्वर्द्धन योजना का नाम दिया गया है।"[1]

पूँजीगत माल निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत 15% की रियायती आयात शुल्क दर को सशोधित आयात-निर्यात नीति मे खुला रखा गया तथा 25% आयात शुल्क वाला दूसरा झरोखा समाप्त कर दिया गया। पूँजीगत माल निर्यात सम्वर्द्धन योजना (ई०पी०सी०जी०) के अधीन आयातकर्ता के लिए बैक गारण्टी प्राप्त करने की सुविधा को भी सुगम बनाया गया है।

जिन निर्यातको ने रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता (जो 1 मार्च 1993 से लागू की गई थी) लागू करने से पूर्व निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली थी किन्तु 1 मार्च 1993 से पूर्व उन्होने अपने शुल्क मुक्त आयात लाइसेन्स का उपयोग नही किया था, उन्हे इसकी हानि उठानी पडी। इस सशोधित नीति के तहत ऐसे निर्यातको को हानि न हो इसलिए यह निश्चित किया गया कि उन्हे अनेक अप्रयुक्त आयात लाइसेसो के 8% के बराबर राशि नगद रूप मे प्रदान की जायेगी। पुनः उन निर्यातको के लिए जिन्होने अपने निर्यात 1 मार्च, 1992 तक पूरे कर लिये थे तथा जिन्होने 27 फरवरी 1993 तक अपनी एक्जिम स्क्रिप्ट का विनिमय नही किया था, उन्हे उन

1 प्रतियोगिता सम्राट- जून 1995, दीवान पब्लिकेशस (प्रा०) लि०, कामर्शियल कम्पलेक्स, नई दिल्ली -110015, पृ० -64

एक्जिम स्क्रिप्ट उत्सर्जन करने का एक और अवसर दिया जायेगा तथा वे उन पर 20% का प्रीमियम प्राप्त कर सकते है।

आयात-निर्यात नीति (1992-97) का पुनः उदारीकरण : प्रमुख तथ्य

"निर्यात को बढावा देने के उद्‌देश्य से व्यापारिक नीति के अन्तर्गत आयात-निर्यात नीति (1992-97) को और अधिक उदार बनाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा मे अप्रैल 1994 मे घोषित आयात और निर्यात नीति मे विशेष आयात लाइसेसो के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इनके तहत उपभोक्ता सामान के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है और इन लाइसेसो के तहत आयातित उपभोक्ता सामान की सूची को भी व्यापक बनाया गया है। इस नीति के अन्तर्गत किये गए कुछ अन्य सशोधन है- सुपर स्टार ट्रेडिग हाउस श्रेणी का प्रारभ, आयात की जानेवाली पुरानी मशीनरी की आयु-सीमा की समाप्ति, एक्सपोर्ट प्रोसेसिग जोन्स मे व्यापार क्षेत्र का विस्तार आदि।"[1]

इसके सक्षिप्त तथ्य निम्नवत है -

(i) एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ई०पी०सी०जी०) का सरलीकरण तथा निर्यात बाध्यता के उद्‌देश्यो की पूर्ति के लिए तृतीय पक्ष को निर्यात की अनुमति।

(ii) विकलाग लोगो को कुछ विशिष्ट मदो मे मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति ।

(iii) इलेक्ट्रानिक उद्योगो के तैयार उत्पादो के लिए आयात की नकारात्मक सूची मे काट-छॉट।

(iv) 'सुपर स्टार ट्रेडिग हाउस' नामक एक नई श्रेणी की स्थापना व उसकी सदस्यता के लिए कुछ योग्यताओ का निर्धारण।

(v) डी०इ०इ०सी० पुस्तिका मे वर्णित अर्हताओ की समाप्ति।

(vi) इ०पी०सी०जी० लाइसेन्स देने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण ।

(vii) अग्रिम राशि आदेश की सुविधा का विस्तार जैसे- स्पेशल इम्परेस्ट लाइसेस, एडवान्स इण्टरमीडिएट लाइसेस आदि मे।

1 प्रतियोगिता सम्राट- मई 1995, दीवान पब्लिकेशस (प्रा०) लि० नई दिल्ली, पृ० -58

(viii) शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाहियो का सरलीकरण।

इसके अतिरिक्त आयात से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के साथ-साथ सीमा शुल्को मे भारी कटौती की गई है। पूँजीगत सामान के आयात पर लगने वाले शुल्को मे भी भारी कटौती की गई है। निर्यात को बढावा देने व विदेशी मुद्रा भण्डार मे वृद्धि के उद्‌देश्य से अब चालू खाते मे रूपये को पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया गया है।

आयात-निर्यात नीति में पुनः संशोधन

31 मार्च, 1995 को वाणिज्य मन्त्री पी०एम० चिदबरम् ने 1992-97 की आयात-निर्यात नीति मे पुनः महत्वपूर्ण सशोधनो की घोषणा की। सशोधित नीति का उद्‌देश्य भारतीय बाजार का विस्तार तथा निर्यात को बढावा देना है। सशोधित नीति की मुख्य बाते इस प्रकार है-

(i) इसमे 33 और उपभोक्ता सामग्रियो के आयात को उदार बना दिया गया है। इन सामानो मे डिब्बाबद दूध, मछली, कैमरा, निजी कम्पयूटर, नेल कटर आदि शामिल है। सामान्य खुले लाइसेस (ओ०जी०एल०) मे इन वस्तुओ के शामिल करने के बाद उनकी सख्या अब 42 से बढकर 75 हो गई है।

(ii) निर्यात करने वाली इकाइयो, निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक हार्ड वेयर टेक्नोलाजी पार्क्स और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स से संबन्धित योजना को तर्क सगत बनाया गया है। संशोधन मे कुछ खास श्रेणियो के निर्यातको व आयातको के लिये नया हरित चैनल सुविधा की शुरूआत की गई है।

(iii) संशोधित नीति मे घरेलू उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है, इ०पी०सी०जी० योजना का विस्तार किया गया है तथा एडवांस लाइसेंस स्कीम को विस्तृत तथा उदारीकृत किया गया। पुनः इ०पी०सी०जी० योजना के तहत सेवा क्षेत्र को वस्तुओ की आपूर्ति के बराबर रखा गया है।

(iv) बिजली, तेल और गैस क्षेत्र को निर्यात का दर्जा प्रदान किया गया है। उपहार आयात को उदार बनाने के लिए अब कस्टम विभाग की मजूरी होने की जरूरत नही है। आयातों की नकारात्मक सूची मे कुछ कटौतियॉं की गई है।

(v) श्रीलका की कुछ वस्तुओ (18 जिसो) के आयात पर शुल्क मे रियायत दी गई है तथा यह घोषणा की गई कि यह सुविधा बाग्लादेश को भी दी जायेगी।

आयात-निर्यात नीति (1992-97) मे किये गये मौजूदा परिवर्तन से यह निष्कर्ष निकालना आसान नही है कि इस योजना का अततः कितना लाभ निर्यातको को मिलेगा। इसका एक परिणाम यह अवश्य होगा कि इलेक्ट्रानिक वस्तुओ की कीमतो मे कमी आयेगी, लेकिन यह भी सभावना है कि देश के इलेक्ट्रानिक उद्योगो को विश्व बाजार मे भारी प्रतियोगिता का सामना करना पडेगा। अतः हमे गभीरता से विचार करना होगा कि निर्यात सम्वर्द्धन के बहाने कब तक आयात के लिये दरवाजे खोलते रहेगे। निर्यात-आयात नीति का एक पहलू यह भी है कि जहॉ हम आयात को कम करने के लिये कदम उठाते है, वही इस बात पर भी गौर करे कि निर्यात की दर बढाने के लिये हमने कौन-कौन से कदम उठाये है। हमे यह भी तय करना पडेगा कि भुगतान सतुलन को ठीक करने के लिये तत्काल क्या कदम उठाने है, क्योकि विदेशी कर्ज लेने की भी एक निश्चित सीमा होती है।

हमे यह भी ध्यान रखना है कि भारत को औद्योगिक देशो के दबाव का भी मुकाबला करना पडता है जो अपनी अर्थव्यवस्थाओ मे विद्यमान प्रतिसार को दूर करने के लिये भारत पर अपने निर्यात का बोझ लादना चाहते है। इस उद्देश्य से विश्व बैक एव अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के साथ सबन्धित शर्तों को भी ध्यान मे रखना होगा ताकि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाता हमें ऋण स्वीकार करने के लिये मजबूर करते समय इस बात के लिये बाध्य न कर सके कि हम अपने आयात को बढाये ताकि उनकी प्रतिसार सबन्धी समस्या खत्म हो जाये।

हम व्यापार मे उदारीकरण की नीति यह सोचकर उठाते हैं कि इससे व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है तथा भुगतान संतुलन मे प्रतिक्षमता की स्थिति लाई जा सकती है।

मुख्य संशोधन (1995)

1- घरेलू निर्माण को बढ़ावा

(i) यदि पूँजीगत वस्तुओ का भाड़ा सहित लागत मूल्य 20 करोड़ रूपये से अधिक होगा तो

इनको आयात शुल्क की सुविधा दी जाएगी।

(ii) बिजली, तेल और गैस क्षेत्र को निर्यात श्रेणी का दर्जा दिया जायेगा।

2- इ०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र की वस्तु आपूर्ति के समकक्ष दर्जा

(i) सेवा क्षेत्र तथा सेवा आपूर्ति को परिभाषित किया गया है।

(ii) सेवा आपूर्ति को वस्तु आपूर्ति के समकक्ष आका गया है। इ०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत अब सेवाओ के निर्यातक अपनी सेवाओ के बदले वस्तुओ का भी आयात कर सकेगे।

3- ई०पी०सी०जी० योजना का विस्तार

(i) ई०पी०सी०जी० लाइसेस धारक मध्यवर्ती उत्पादो की आपूर्ति द्वारा भी अपने निर्यात दायित्वो को पूरा कर सकते है, लेकिन इस निर्यात के लाभो का वे दावा नही कर सकते।

(ii) निर्यात सम्वर्द्धन पूॅजीगत वस्तु योजना का विस्तार किया गया है ताकि वस्तुओ तथा सेवाओ के निर्यातक इसका लाभ उठा सके।

(iii) पूॅजीगत वस्तुओ के शून्य-आयात सुविधा के अन्तर्गत निर्यात दायित्वो को पूरा करने के लिये दो आधार है- एफ०ओ०बी० आधार तथा एन०इ०एफ० (शुद्ध विदेशी विनिमय) आधार

4- ई०ओ० यूनिट्स/ई०पी० जोन्स/ई०एच०टी० पार्क्स/एस०टी० पार्क्स

सशोधित नीति मे निर्यातोन्मुखी इकाइयो, निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक, हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स से सम्बन्धित योजना को तर्कसंगत बनाया गया है।

5- अग्रिम लाइसेंस योजना का विस्तार तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया का उदारीकरण

मूल्य आधारित तथा मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेस योजना को निम्न ढग से सरल बनाया गया है-

(i) निर्यात उत्पादो के निर्माण मे निवेशो (इन-पुट्स) पर माडवेट साख सुविधा प्राप्त होगी।

(ii) अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत मध्यवर्ती उत्पाद के विचार, जिनका संचालन अभी

मात्रा-आधार पर होता है, उनका विस्तार मूल्य आधार तक किया जायेगा।

(iii) अनिवार्य कल-पुर्जो के आयात के लिये उनको सी०आई०एफ० मूल्य के 5% तक आयात की अनुमति दी गई है।

(iv) निर्यात दायित्वो तथा बैक दायित्वो की पूर्ति के पश्चात अग्रिम लाइसेस हस्तातरणीय होगा।

(v) सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क मे कटौती को ध्यान मे रखते हुए सवेदनशील मदो की सूची को रूपातरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निर्यातक असवेदनशील मदो के आयात के लिये सवेदनशील मदो की अनुप्रयुक्त सी०आइ०एफ० मूल्य का उपयोग कर सकेगे।

(vi) पास बुक की एक नई प्रणाली लागू की गई है जिससे कुछ विशिष्ट प्रकार के निर्यातको को लाइसेस हासिल करने की जटिल प्रक्रिया अपनाये बिना ही अग्रिम लाइसेस की सभी सुविधाये उपलब्ध होगी।

6- निर्यात प्राप्ति की वसूली संबन्धित शर्ते समाप्त

लाइसेसो के हस्तातरण तथा ऐसे लाइसेसो के तहत आयातित वस्तुओ के हस्तातरण जैसी सुविधाओ को प्राप्त करने के लिये निर्यात प्राप्ति की वसूली अब तक एक प्रमुख शर्त थी। अब ऐसे मामलो मे भारतीय रिजर्व बैक दिशा-निर्देश करेगी।

7- निजी माल बंधक मालगोदामों की अनुमति

देश मे निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र सहित कही भी निजी माल बंधक मालगोदामों की स्थापना की जा सकती है। इससे बिना शुल्क की अदायगी वाले वस्तुओ के आयात तथा भंडारण मे सुविधा होगी लेकिन इनका घरेलू उपयोग तभी सभव है जब निकासी के समय इसके सीमा-शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।

8- हरित चैनल सुविधा का प्रारम्भ

कुछ विशेष श्रेणी के निर्यातकों तथा आयातको के लिए एक हरित चैनल सुविधा की शुरूआत की गयी है। इस चैनल के द्वारा आयातक तथा निर्यातक केवल सीमा क्षेत्रो बल्कि बीमा तथा साख

सबन्धी सुविधाये भी उठा सकेगे।

9- कपोनेट, कलपुर्जो आदि का आयात स्वतत्र होगा।

10- उपहार मे दिये गये सामान के आयात पर अब कस्टम क्लीयरेस परमिट की आवश्यकता नही है।

11- पूँजीगत वस्तुओ की जॉच व मरम्मत आसान

पूॅजीगत वस्तुएॅ बिना लाइसेस के मरम्मत, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार आदि के लिये विदेशो मे भेजी जा सकती है।

12- अग्रिम सी०सी०पी० समाप्त

अग्रिम सी०सी०पी० योजना समाप्त कर दी गई है। अब वैसी नई या पुरानी पूॅजीगत वस्तुओ का भी आयात सभव है जो किराये, मरम्मत, व्यवहार या पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण के लिये हो सकती है। इन वस्तुओ की निश्चित गारटी के बाद निर्यात भी किया जा सकता है। इसी प्रकार पैटर्नस, ड्राईगस जीग्स, टूल्स, फिक्सचरस, माउल्ड्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर इस्ट्रूमेटस आदि का भी आयात हो सकेगा, यदि वे निर्यात से प्रत्यक्षतः सबधित हो। इस प्रकार की सभी आयातित वस्तुओ का कम से कम 10 प्रतिशत मूल्य योग के बाद पुनर्नियात भी सभव है।

13- हीरे व जवाहरात के लिए आयात-निर्यात योजना उदारीकृत

(i) यदि निर्यात दायित्वो को पूरा कर दिया जाए तो हीरे व जवाहरात के लिए लाइसेस स्वतंत्रतः हस्तातरणीय होगे।

(ii) पुनः पूर्ति के लिये अपरिष्कृत हीरो का पुनर्निर्यात सभव है।

(iii) पुनः पूर्ति के लिये स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत पुनः पूर्ति लाइसेस को हस्तातरणीय बना दिया गया है तथा इसकी मान्य अवधि आठ महीने से बढाकर 12 महीने कर दी गई है।

14- विशेष आयात लाइसेंस का विस्तार तथा इसके लाभों में वृद्धि

विशेष आयात लाइसेस एक अविवेकाधीन माध्यम है जो निर्यातकों के लिये उद्यीपक/ प्रेरक का

कार्य करता है। सिल्स योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणी के निर्याको को मिलेगा -

(i) एक्सपोर्ट हाउसेज, ट्रेडिग हाउसेज, स्टार ट्रेडिग हाउसेज, सुपर स्टार ट्रेडिग हाउसेज आदि।

(ii) दूर-सचार अभियत्रण और इलेक्ट्रानिक्स सामान व सेवाओ के निर्यातक।

(iii) वैसे निर्माणकर्ता अथवा ससाधनकर्ता जिन्होने (आई० एस० ओ० 9000 या बी० आई० एस० 14000) के तहत या किसी भी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सस्था से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

15- विशुद्ध निवेश-उत्पाद नियमो की सख्या 3,100 मदो के वर्तमान स्तर से 4,200 मदो तक पहुँच गई है।

16- ओ०जी०एल० विस्तार

स्वतत्र आयात योग्य वस्तुओ की सूची जिसे मुख्य रूप से ओ०जी०एल० के नाम से जाना जाता है, उनका विस्तार किया गया है। इसकी मदो की सख्या जो पहले 42 थी, बढाकर 75 कर दी गई है। इस तरह इसमे 33 और मदे शामिल की गई है। कच्चा माल, मध्यवर्ती तथा पूँजीगत वस्तुएँ पूर्व से ही स्वतत्र आयात योग्य है।

17- ओवरसीज सब्जिडीयरिज/ ज्वायंट वेन्चरस की निकासी के लिए मात्र एक ही झरोखा

विदेशो मे ज्वायंट वेन्चरस अथवा स्व-नियत्रित इकाई की स्थापना के लिये आवेदनो की निकासी सिर्फ भारतीय रिजर्व बैक द्वारा किया जायेगा।

18- आयात की नकारात्मक सूची की संख्या में कमी

आयात की नकारात्मक सूची की संख्या मे कटौती की गई है। अब इस सूची मे तीन निषेधात्मक मदे, 65 प्रतिबधात्मक मदे तथा सात सरकारी-निर्देश वाली मदे है। प्रतिबंधात्मक मदो मे भी बहुत सी मदे कुछ आवश्यक शर्तों के साथ बिना लाइसेस के भी आयात योग्य है। लेकिन इस सबध मे आयातक को सार्वजनिक अधिसूचना देनी होगी। बहुत सी मदो के लिये प्रतिबंध का आधार-सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि है। प्रतिबंध का आधार यह भी है कि कुछ वस्तुएँ लघु एवं कुटीर क्षेत्रो

के लिये आरक्षित होनी चाहिये।

19- पडोसी देशों के साथ व्यापार

इस सबन्ध मे विदेश व्यापार के महानिदेशक निर्देश जारी करेगे। श्रीलका से 18 मदो के आयात पर रियायती सीमा शुल्क की घोषणा की गई है। ऐसा श्रीलका के राष्ट्रपति के भारत आगमन तथा उनके अनुरोध करने पर किया गया है ताकि श्रीलका के व्यापार घाटे को दूर किया जा सके। इसी तरह की सुविधा बाग्लादेश को भी सद्भावना के तहत दी जायेगी। ऐसा अनुमान है कि इस तरह की सुविधाओ से साप्टा (दक्षिण एशियायी वरीयता क्षेत्रीय व्यापार) मे परिपक्वता आयेगी।

संशोधित आयात-निर्यात नीति की विशेषताएँ

(i) घरेलू उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए परिवर्तन।

(ii) अग्रिम लाइसेस योजना का विस्तार और उदारीकरण।

(iii) निर्यात प्रोत्साहन पूँजी सामान (इ०पी०सी०जी०) योजना का विस्तार।

(iv) निर्यातोन्मुख इकाइयो व निर्यात प्रसस्करण क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनालाजी पावर्स व साफ्टवेयर तकनालाजी पावर्स योजनाओ को तर्क सगत बनाना।

(v) निश्चित मात्रा मे निर्यात की शर्त समाप्त।

(vi) प्राइवेट बान्डेड वेयर हाउसो के लिए अनुमति।

(vii) कुछ खास श्रेणी के निर्यातको और आयातको के लिए हरित चैनल सुविधा शुरू।

(viii) एडवास कस्टम क्लीयरेस परमिट समाप्त।

(ix) तकनालाजी की मरम्मत, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार के लिए पूँजीगत सामान बिना लाइसेस के विदेश भेजने की अनुमति।

1997-2002 के लिए नई आयात-निर्यात नीति

1 अप्रैल 1997 को भारत सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति घोषित की है। इस नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक मजबूत करते हुए उदारीकरण, पारदर्शिता और सरलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। तेज आर्थिक विकास का कोई विकल्प नही है, क्योकि उसी से रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं और आमदनी का स्तर

बढता है।

नई एक्जिम नीति की प्रमुख विशेषताएं

इस नई नीति की प्रमुख विशेषताए निम्न है-

"(i) निर्यात और आयात से सम्बन्धित कागजी प्रक्रियाओ को पहले से काफी आसान और पारदर्शी बना दिया गया है।

(ii) अभी तक प्रतिबन्धित सूची मे शामिल 542 वस्तुओ के आयात को उदार बनाया गया है। इनमे लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुए है।

(iii) प्रक्रिया सरलीकरण हेतु नई आयात-निर्यात नीति के तहत निर्यात सम्वर्द्धन की अनेक योजनाओ को अब दो योजनाओ तक सीमित किया गया है। मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेस योजना को जारी रखते हुए विवादास्पद मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेस योजना को निरस्त कर दिया गया है। पास बुक योजना मे सशोधन करके, ड्यूटी इन्टाईटिलमेन्ट पास बुक योजना को लाया गया है। नए पास बुक के तहत निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातक शुल्क रहित आयात कर सकते है।

(iv) नवीनतम नीति मे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के निर्यात को बढावा दिया गया है तथा जवाहरात निर्यात बढाने के लिए, सोने के भण्डारण के लिए नामाकित एजेसियो की सख्या बढा दी गयी है।

(v) ई०पी०सी०जी० योजना के तहत पूँजीगत वस्तुओ पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(vi) निर्यात सम्वर्द्धन के लिए शून्य ड्यूटी योजना की सीमा 20 करोड़ रूपये से घटाकर 5 करोड़ रूपये कर दी गई है ताकि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो को राहत मिल सके।

(vii) निर्यात के लिए हर आवेदन के साथ भारी संख्या मे आवेदनो की संख्या घटाकर काफी कम कर दी गई है और इन आवेदन पत्रो मे एक ही सूचना को बार-बार देने की आवश्यकता खत्म कर दी गयी है।

(viii) नई आयात-निर्यात नीति मे लघु उद्योगो और विशेषकर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु

उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।

(ix) विशेष आयात लाइसेन्स लेने का दावा करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट हाउस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस की विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप मे परिभाषा बदल दी है। अग्रिम लाइसेन्स के तहत निर्यात करने की प्रतिबद्धता की अवधि एक साल से बढाकर डेढ साल कर दी गयी है। इससे निर्यातक को अपने निर्यात-आयात गतिविधियो पर ध्यान केन्द्रित करने का समय मिलेगा। पहले ये लोग बार-बार अवधि बढाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के चक्कर काटते थे।

(x) देश से साफ्टवेयर निर्यात को बढावा देने के लिए साफ्टवेयर इकाइयो को अब छूट दी गयी है कि वे आकडा सम्प्रेषण माध्यम का उपयोग कर सकते है या कूरियर सेवाओ के माध्यम से भी साफ्टवेयर निर्यात कर सकते है। साफ्टवेयर इकाइयो को यह छूट भी दी गयी है कि वाणिज्यिक प्रशिक्षण के लिए वे अपनी इकाइयो का उपयोग भी कर सकते है।

(xi) कृषि निर्यात को बढावा देने के लिए एक्सपोर्ट हाउस की पात्रता के आकलन के लिए कृषि उत्पादो को दोहरा लाभ मिलेगा। ये इकाइयॉ ई०पी०सी०जी० योजना के तहत पाच करोड रूपये या उससे अधिक मूल्य के उपकरणो का आयात कर सकती है। फल-सब्जी और फूलो के निर्यात के बदले एक प्रतिशत ज्यादा का विशेष आयात लाइसेस दिया जायेगा।

(xii) देश के उत्पादन की गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता और साख बढ़ाने के लिए आई एस आई मानदड पर पूरा उठाने वाले निर्यात को उनके निर्यात की कथित के दो प्रतिशत के स्थान पर पॉच प्रतिशत के बराबर का विशेष आयात लाइसेस दिया जायेगा। निर्बाध रूप से आयात की जा सकने वाली वस्तुओ की संख्या इसलिए बढायी गयी है ताकि उससे आर्थिक सुधारो के इस चरण मे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से लाभ उठा कर उत्पादन स्तर सुधारा जाये और बेहतर गुणवत्ता की वस्तुओ का निर्यात बढ़ सके।"[1]

---

1 दी इकोनोमिक्स टाइम्स, नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1997, पृ० -5

जैसे-जैसे हम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भूमडलीकरण की ओर बढ रहे है, हमे अपने उन क्षेत्रो पर ध्यान देना होगा जहॉ हमारी ताकत है और जिसके माध्यम से हम विश्व प्रतिस्पर्द्धा की चुनोती का सामना कर सकते है।

"नई आयात-निर्यात नीति के मसौदे के अनुसार आठवी पचवर्षीय योजना अवधि मे निर्यातो की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 14 प्रतिशत रही है जो कि योजना लक्ष्य के अनुरूप ही है। डालर मूल्य मे भारत के निर्यात 1992-93 मे 18 5 अरब डालर से बढकर 1996-97 मे लगभग 34 अरब डालर के रहे है। रूपये मूल्य मे यह 1992-93 मे 53,688 करोड़ रूपये से बढकर 1995-96 मे 1,06,353 करोड रूपये से अधिक के रहे है। 1996-97 मे 1,15000 करोड रूपये से अधिक के निर्यात का अनुमान है। सन् 2002 तक 100 अरब डॉलर का निर्यात नई आयात-निर्यात नीति मे प्रस्तावित है।"[1]

नई निर्यात नीति का केन्द्र निःसदेह निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य जी०डी०पी० के प्रतिशत के रूप मे निर्यात के हिस्से को बढाते हुए निर्यात दर की वृद्धि तथा विश्व बाजार मे अपने हिस्से का विस्तार करना है, जो वर्तमान समय मे मुश्किल से 0 63 प्रतिशत है।

निर्यात नीति का उद्देश्य सन् 2000 तक अपने निर्यात को दुगुना करने की दृष्टि से उदारीकरण तथा व्यापार सुधार को जारी रखते हुए 1992-97 के दौरान प्राप्त उपलब्धि की पुष्टि करना है। इन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए हमको देश मे उद्योग तथा कृषि उत्पादन को बढाना होगा तथा विश्व बाजार मे अपनी प्रतियोगिता को तकनीक तथा गुण सुधार द्वारा सभी स्तर पर परिवर्तित करना होगा। मजबूत घरेलू उत्पादन आधार बनाना नई नीति की दूसरी प्रमुख विशेषता है। अन्य उपायो के साथ यह नीति घरेलू उद्योगो मे उत्पादन बढाने मे तथा मूल्य जोड़ उत्पाद के निर्यात को बढाने मे काफी अधिक सहायता करेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि यह पहली तथा अत्यधिक निर्यात आधारित नीति है।

नई आयात-निर्यात नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारत के निर्यात को बढाना है। यह नई नीति

1 प्रतियोगिता दर्पण, जून 1997, 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा- 282002, पृ० -1830

मे शामिल विभिन्न उपायो द्वारा पूर्ण रूप से दर्शाया गया है, जो निर्यातको को सहायता देगी कि वे प्रक्रिया मुक्त प्रकृति मे प्राथमिक निर्यात क्रिया कलापो पर ध्यान दे। अतः योजनाएँ जो उच्च वृद्धि सुनिश्चित करती है, उनको जारी रखा गया है। अन्य को सशोधित किया गया है तथा आयात-निर्यात प्रक्रियाओ को सरलीकृत किया गया है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम उन क्षेत्रो मे ध्यान दे जिन क्षेत्रो मे लाभ है तथा जहॉ हम व्यापार की दृष्टि से विश्व खिलाडी बन सकते है। चुनिन्दा क्षेत्रो की नीति आवश्यकताओ की दृष्टि से वस्तु पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय निर्यात प्रयास मे राज्य सरकार की प्रमुख भुमिका है तथा ये प्रयास बिना राज्य सरकार की सहायता के सफल नही हो सकते है। निर्यात उत्पादन मे राज्य सरकार को शामिल किया जाय तथा उनको सुधार के लिए प्रलोभन प्रदान किया जाय।

यह निर्यात आधारित नीति है जो लम्बी दौड मे भारतीय उद्योगो को घरेलू उत्पादन आधार मजबूत करते हुए विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनाने मे सहायता करेगी तथा हमारी निर्यात क्षमता इस बात पर दबाव डालेगी कि व्यापार नीति को खुला तथा पारदर्शी बनाया जाय। बढते व्यापार उत्पादन को विस्तृत करेगा, अतः अधिक रोजगार उपलब्ध होगे तथा आय बढेगी। निर्यात को उस इजन की तरह देखना चाहिए जो कि देश के विकास को ईंधन प्रदान करेगा तथा देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख हिस्सेदार है। नई नीति यह दर्शाती है कि विकास वृद्धि का कोई स्थानान्तरण नही है, यदि भारत को जल्दी ही विश्व खिलाडी बनना है।

अध्याय-VII

निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव

निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव

निर्यात सम्वर्द्धन योजनायें

विश्व के लगभग सभी विकसित और विकासशील देश निर्यात सम्वर्द्धन के विभिन्न उपायो का उपयोग करते है। विकसित अर्थव्यवस्था मे लगातार आर्थिक विकास के उच्च दर को प्राप्त करने के लिये एव सकल राष्ट्रीय उत्पाद के महत्वपूर्ण अनुपात के लिए निर्यात खाते को विकसित किया जाता है। विकासशील देश भी अपने विकास कार्यों के एक मुख्य भाग के रूप मे आवश्यक विदेशी विनिमय को प्राप्त करने के लिए निर्यात का सम्वर्द्धन करते है। इसी तरह भारत भी इसमे अपवाद नही हो सकता। औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण भाग देश के अर्थव्यवस्था मे उपयोग होता है।

सरकार ने निर्यात सम्वर्द्धन की तरफ मुख्यतः कई नीति उपाय शुरू किये है। इन उपायो मे अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार समय-समय पर घरेलू परिवर्तन और विकास किया जाता है। इनमे से कुछ मुख्य निम्न है- नगद क्षतिपूर्ति सहायता, कर और कर छूट की कमी, निर्यात कार्यों का व्यवस्थीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय दामो पर उत्पाद और निर्यात कार्यों और प्रमाण आवश्यकताओ का सरलीकरण करना।

देश से निर्मित वस्तुओ और अच्छे वस्तुओ के निर्यात सम्वर्द्धन के नीति ढॉचे के मुख्य अग के लिए उत्पाद वर्गीकरण जरूरी है, न कि उनको कच्चे माल या अर्ध-निर्मित रूप मे निर्यात करना। इसके परिणामस्वरूप निर्यात का ज्यादा से ज्यादा अनुपात मूल्य वर्धन के रूप मे है। कुछ समय के लिए धागो के निर्यात के स्थान पर वस्त्रो और पतले से पतले धागो से बने हुए वस्त्रो के निर्यात को बढावा दिया गया है। अधिक से अधिक चाय के निर्यात के लिए, चाय को पैकटों मे, बैग मे पैकिग करके चाय के निर्यात को बढावा दिया जाता है। इसी तरह काफी को भी बाजार मे बेचा जाता है।

वर्तमान नीति ढॉचे का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि विभिन्न इकायो को परिवर्तित किया जा रहा है। इस दौरान निविदा और निर्माण मे भाग लने के लिए भारतीय निर्यातको को सभी उपलब्ध

सुविधाये प्रदान की जा रही है ताकि विदेशो मे योजनाओ को प्रारम्भ किया जा सके। भारतीय दल को सहायता करने की दृष्टि से औद्योगिक आधार पर सयुक्त मोर्चे का निर्माण किया गया है और सरकार द्वारा सहायता और प्रोत्साहन दोनो दिया गया है। ''भारतीय कम्पनियो की सहायता के लिए निर्यात इकाई और सूचना सेवाओ के लिए बाजारो को मूल धन मे परिणित किया गया है। निविदा प्रस्तुत करने के लिए 50 प्रतिशत छूट के रूप मे सम्वर्द्धन प्रलोभन दिया गया है, 5 वर्ष के लिए विदेशो मे सूचना कार्यालय के निर्माण के लिए छूट दिया गया है और सरकार के द्वारा सूचना निर्यात के लिए 10 प्रतिशत की सहायता इकाई का विस्तार किया गया है।

तेजी से विकास कर रहे विद्युत क्षेत्र की सम्भावना को एकत्रित करने के लिए निर्यात मे 10 हजार अरब की एक योजना 1989-90 तक शुरू किया गया। साफ्टवेयर निर्यात की प्रतियोगी मजबूती बढाने के लिए एक नीति प्रारम्भ की गयी है। विदेशी कम्पनियॉ जिनका लाभ 40 प्रतिशत के लगभग है, उनको विद्युत सामग्रियो के क्षेत्र मे निर्माण करने वाली इकाइयो को स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी है और अन्य औद्योगिक क्षेत्रो, जहॉ पर क्षेत्रीय विनिमय का विकास हो चुका है, वहॉ इकाइयो को खोलने की आज्ञा प्रदान की गयी है।"[1]

निर्यात उत्पाद को मजबूत करने के लिए और नयी से नयी कम्प्यूटर तकनीक देश मे उपलब्ध कराने के लिए विद्युत क्षेत्र मे तकनीक के आयात को उदारीकृत किया गया है। गुण मे विशेषता लाने के लिए और मूल्य घटाने के लिए एक घरेलू तकनीक की स्थापना की गयी है। नयी कम्प्यूटर नीति का एक महत्वपूर्ण कदम, एम० आर० टी० पी० एक्ट के धारा 21 और 22 के नियम मे महत्वपूर्ण छूट प्रदान करना है ताकि विनियोग के आकर्षण को बढाया जा सके। ओ० एल० जी० वस्तुओ की लिस्ट को बढाया गया है ताकि बाहरी कम्प्यूटरो की क्षमता बढायी जा सके।

ढॉचे और कला के आयात को उदारीकृत किया गया है ताकि तकनीक का गुण निखारा जा सके और विदेशी सहायता के लिए शर्तों और परिस्थितियो को उदारीकृत किया गया है ताकि

---

1 डा०एम०एल०वर्मा-फारेन ट्रेड मैनेजमेन्ट इन इडिया, विकास पब्लिशिग हाऊस प्रा० लि०, ५७६ मजिस्द रोड नई दिल्ली- 110014, 1996, पृ०- 65,66

राजकर के लिए शुल्क के थोक भुगतान क्षेत्र मे भाग लिया जा सके। कुछ विशिष्ट क्षेत्रो मे जहॉ सी०सी०एस और कर कमी योजनाओ को पूर्ण नही पाया गया है, उनको निर्यातको द्वारा अनुभव की गयी कमी को पूर्ति किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे परम्परागत वस्तुओ की प्रतियोगिता को बढाने के लिए उनकी इकाई मूल्यो को बचाने के लिए और निर्यात योग्यता को विकास करने के लिए भी प्रलोभन दिया गया है। उनके निर्यात उत्पादन और बिक्री के आधुनिकीकरण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। गुण नियन्त्रण और जहाज मे माल लादने से पूर्व जॉच के जरूरी नीति को विस्तृत किया गया है। इन्ही प्रलोभन नीतियो के कारण ढेर सारे भारतीय उत्पाद विश्व बाजार मे प्रतियागी बन गये है और स्वीकार करने योग्य हो गये है।

यह सत्य विभिन्न यान्त्रिक वस्तुओ, कपडो, रसायनो और हथकरघा के क्षेत्र मे कई वस्तुओ पर भी लागू होता है। इसके अलावा मध्य पूर्व और खाडी के देशो मे माल के प्रतियोगिता के सुअवसर मिल रहे है, क्योकि उनकी प्राथमिक आवश्यकताये तेल के दबाव के परिणामस्वरूप बदलती जा रही है। भारतीय निर्यातको के ऊर्जा को और ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढाने के लिए विभिन्न उपयो को चलाने के लिए इन निर्यात नीति ढॉचा की दिशा मे कई कदम उठाये गये है। अपने निर्यात को चालू रखने के लिए एक व्यापारिक प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।

भारत मे उपलब्ध विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओ मे से मुख्य है -

1 बाजार विकास सहायता

2 निर्यात ससाधन क्षेत्रो और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ

3 कर वापसी योजना

4 निर्यात साख

5 गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण

6 निर्यात सम्वर्द्धन पॅजीगत वस्तु योजना (ई०पी०सी०जी०)

7 नगद क्षतिपूर्ति सहायता

8 निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई०पी०आई०पी०)

9 अग्रिम लाइसेन्स और सीमा शुल्क छूट योजना

10 ब्लैकट विनिमय परमिट योजना

11 आयात पुनः पूर्ति योजना

12 निर्यात प्रशिक्षण

इन योजनाओ का वर्णन आगे सक्षेप मे किया जा रहा है--

1- बाजार विकास सहायता

विभिन्न सम्वर्द्धन उपायो मे सरकार ने बाजार के विकास और बाजार के खोज पर महत्वपूर्ण जोर दिया है, ताकि हमारे देश की निर्यात उत्पाद इकाईयॉ और सूचना सेवाऍ निर्यात की जा सके। विभिन्न सम्वर्द्धन क्रियाकलापो के लिए विभिन्न दरो पर बाजार विकास सहायता से वित्तीय सहायता शुरू की गयी है। यह व्यापार प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और प्रदर्शिनियो मे भाग लेने, बाजार निरीक्षण और परीक्षण दल के लिए और विदेशो मे सम्पादन के लिए निर्यात सम्वर्द्धन समिति के सम्बन्ध मे शुरू किया गया है।

एम०डी०ए० व्यवस्था अन्य निर्यात सम्वर्द्धन इकाईयो और सस्थाओ को विदेशो मे बाजार के निरीक्षण और सम्बन्धित क्रियाकलापो के लिए भी विस्त्रित किया गया है। विदेशी कार्यालयो को खोलने के लिए इस सहायता की कीमत और भी बढा दी जाती है। देश के निर्यात को चलाने, प्रतिनिधित्व करने और बिक्री दल मे बडे व्यापारियो और औद्योगिक इकाईयो की सहायता के लिए उच्च स्तरीय निर्यातको को ई०सी०पी० के द्वारा बाजार विकास सहायता की दर और भी बढ़ा दी जाती है। बाजार विकास सहायता का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यो के लिए किया जाता है-

(i) बाजार अनुसधान, वस्तु अनुसधान, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा अनुसधान

(ii) उत्पाद सम्वर्द्धन एवं वस्तु विकास

(iii) निर्यात प्रचार तथा जानकारी का प्रसार

(iv) व्यापार मेलो और प्रदर्शनियो मे भाग लेना

(v) व्यापार प्रतिनिधि मडल तथा अध्ययन दल

(vi) विदेशो मे कार्यालयो तथा शाखाओ की स्थापना

(vii) निर्यात विकास तथा विदेशी व्यापार सम्वर्द्धन के लिए, निर्यात सम्वर्द्धन के लिए, निर्यात सम्वर्द्धन परिषदो तथा अन्य स्वीकृत सगठनो को अनुदान

(viii) कोई भी अन्य योजना, जो भारतीय उत्पादो और वस्तुओ के लिए बाजार विकास को विदेशो मे बढावा देने के लिए बनाई जाती है।

बाजार विकास सहायता निम्नलिखित तीन उप-शीर्षको के अन्तर्गत दी जाती है-

(क) उत्पाद सम्वर्द्धन तथा वस्तु विकास

इसके अन्तर्गत इजीनियरी मदो, रसायन एव सह उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुओ, पटसन वस्तुओ, सूती वस्त्र, खेल का सामान, चमडा तथा चमडे से बनी वस्तुओ आदि जैसे चुनिन्दा निर्यात उत्पादो पर नकद मुआवजा सहायता का प्रावधान है। नकद मुआवजा सहायता योजना (सी०सी०एस०) जो निर्यात सम्वर्द्धन के एक महत्वपूण्र उपाय के रूप मे 1996 मे प्रारम्भ की गयी।

पिछले पॉच वर्षो के दौरान इस शीर्ष के तहत वास्तविक खर्च निम्न है- (करोड़ रू० मे)

1989-90	1,780.16
1990-91	2,473 65
1991-92	1,591 19
1992-93	662 42
1993-94	639.94
1994-95 (सितम्बर 94तक)	77.05

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मत्रालय, भारत सरकार

(ख) निर्यात सम्वर्द्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान

कुल 19 निर्यात सम्वर्द्धन परिषद हैं, जिनमे से 17 परिषदों को इस शीर्ष के तहत सहायता अनुदान दिया जाता है। इन सभी सगठनो के लिए बजट प्रावधान विपणन विकास सहायता समिति

द्वारा अनुमोदित किये जाते है।

पिछले पॉच वर्षो के दौरान इस शीर्ष के तहत किया गया वास्तविक खर्च निम्न है-

(करोड रू० मे)

1989-90	15 92
1990-91	17 84
1991-92	22 66
1992-93	15 07
1993-94	11 99
1994-95 (सितम्बर, 94 तक)	4 55

स्रोतः- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मत्रालय भारत सरकार

(ग) निर्यात ऋण विकास

निर्यात ऋण विकास योजना ऐसी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है, जो बैको द्वारा दी जाने वाली निर्यात धनराशि पर लगने वाले ब्याज के लिए दी जाती है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैक बम्बई द्वारा चलाई जाती है। यह योजना जो 1958 से लागू थी, 6 अगस्त, 1991 से समाप्त कर दी गई है।

पिछले पॉच वर्षो के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक खर्च निम्न है- (करोड रू० मे)

1989-90	218 25
1990-91	250 04
1991-92	139.93
1992-93	141 00
1993-94	12.79
1994-95 (सितम्बर, 94 तक)	0.01

स्रोतः- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मत्रालय, भारत सरकार

2- निर्यात संसाधन क्षेत्रों और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ

निर्यात को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से सरकार ने निर्यात ससाधन क्षेत्रो की स्थापना की है। निर्यात उत्पादन के लिए मुक्त व्यापार का वातावरण प्रदान किया गया है, ताकि भारतीय वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे प्रतिस्पर्धा करने मे सफल हो सके। भारत मे इस समय छः निर्यात ससाधन क्षेत्र है, जो कान्डला, साताक्रुज, फाल्टा, नोएडा, कोचीन तथा मद्रास मे काम कर रहे है। सातवॉ निर्यात ससाधन क्षेत्र विशाखापट्टनम मे स्थापित किया गया है। साताक्रुज निर्यात ससाधन क्षेत्र मे निर्यात के लिए मुख्य रूप मे इलैक्ट्रानिक वस्तुओ का उत्पादन होता है। अभी हाल ही मे रत्न, मोती व जवाहरात उद्योग के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्रो मे कई प्रकार की वस्तुओ का उत्पादन होता है। 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयो की योजना दिसम्बर 1980 मे शुरू की गई थी। इन निर्यात इकाइयो को सामान्य लाईसेसिग विधियो से तथा एकाधिकारी प्रतिबन्धक व्यवहार अधिनियम एव विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम की धाराओ से छूट दी गई है।

निर्यात ससाधन क्षेत्र (ई०पी०जेड०)

निर्यात प्रगति (करोड रू०)

वर्ष	निर्यात
1991-92	1,176 07
1992-93	1,376 31
1993-94	1,959 91
1994-95 (अप्रैल-नवम्बर 1994)	1,121 00

स्रोतः- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार

निर्यात उन्मुख इकाई (ई०ओ०यू०)

निर्यात प्रगति (करोड रू०)

वर्ष	निर्यात
1987-88	245
1988-89	460
1989-90	605
1990-91	678
1991-92	988 (अ)
1992-93	1,940
1993-94	2,900 (अ)
1994-95 (अप्रैल-सितम्बर 94)	1,642

स्रोतः- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मत्रालय, भारत सरकार

निर्यात घराने, व्यापार घराने तथा स्टार व्यापारी घराने

निर्यात घरानो, व्यापारी घरानो और स्टार व्यापार घरानो की योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित निर्यातको और बडे निर्यात सदनो को निर्यात सम्वर्द्धन के लिए आवश्यक विपणन अवस्थापना और सुविज्ञता तैयार करने के लिए मान्यता प्रदान करना है। जिन पजीकृत निर्यातको को वर्षों से निर्यात का अनुभव है, उन्हे निर्यात / व्यापार घरानो / शीर्ष व्यापार घरानो का दर्जा दिया जाता है, बशर्ते वे एक्जिम नीति मे निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा आय के रूप मे न्यूनतम वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन की शर्त को पूरा करते हो।

निर्यात घराना, व्यापार घराना और स्टार व्यापारी घराना पजीकृत निर्यातकों को ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ देता है जो उसे खुद ही सरकारी नीति के अधीन प्राप्त रहती है।

दिनाक 12 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार देश मे 4 सुपर स्टार घराने, 22 स्टार व्यापार घराने, 220 व्यापार घराने तथा 1,594 निर्यात घराने थे।

निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अधिक से अधिक निर्यातको को प्रोत्साहित करने के

उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न निर्यात गृहो के आधार मे परिवर्तन किया है।

(करोड रू०)

निर्यात गृह	20 करोड से 12 5 करोड
व्यापार गृह	100 करोड से 62 5 करोड
स्टार व्यापार गृह	500 करोड से 312 5 करोड
सुपर स्टार व्यापार गृह	1,500 करोड से 937 करोड

स्रोतः- नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 22-5-97

3- कर वापसी योजना

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे हमारे व्यापार को प्रतियोगी बनाने के लिए कर वापसी योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना दो तरीको के वापसी कर के द्वारा चलाया जाता है। सभी उद्योग तथा व्यापारिक प्रगति। जहॉ सभी उद्योग दर उत्पाद के समूह के लिए लागू होता है, वही व्यापारिक प्रगति दर एक निर्यात उत्पाद के लिए लागू होता है। इस योजना मे फरवरी, 1986 मे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। कई क्षेत्रो जैसे चमडा निर्मित सामान, जूते चप्पल, निर्मित कपडे, सूती कपडे, गलीचे, खेल सामान, दवाये और घरेलू वस्तुओ के लिए सभी औद्योगिक दर को प्रमाणित और विकसित किया गया है। कई उत्पादो के लिए जल्द परीक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस दर को घटाया भी गया है।

कर वापसी योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन मे इस्तेमाल होने वाले आयातित आगतो व मध्यवर्ती वस्तुओ पर निर्यातको द्वारा दिए गए शुल्क को उन्हे वापस कर दिया जाता है। इसी प्रकार घरेलू आगतो पर दिए गए उत्पादन शुल्क भी निर्यातको को लौटा दिये जाते हैं। आगता पर आयात शुल्क व उत्पादन शुल्क निर्यात उद्योगो की उत्पादन लागतो मे वृद्धि करते है, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए इन शुल्को के कारण उत्पादन लागत मे जो वृद्धि हाती है उसके बदले निर्यातको को उतना ही मुआवजा देना तर्कसगत है। कर वापसी योजना के अन्तर्गत 1988-89 मे 500 करोड़ रूपये तथा 1989-90 मे 600 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया।

1-6-1992 से शुरू की गयी नयी कर वापसी योजना मे वस्तुओ के 165 समूह के लिए दर को विकसित किया गया है। इनमे बढोत्तरी के लिए प्रमुख कारण निम्न है -

(अ) रूपये मे कुछ परिवर्तनीयता और पिछले एक वर्ष के दौरान मूल्य मे सामान्य बढोत्तरी के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना मे कई आयातित वस्तुओ के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मे बढोत्तरी।

(ब) कर की दर मे बढोत्तरी

वर्ष 92-93 मे 127 वस्तुओ के सम्बन्ध मे पहले की दर ही चल रही थी। इस समूह के अन्तर्गत प्रमुख उत्पाद निम्न है- दवाएँ और फार्माक्यूटिकल, सूती धागे, दाब लैम्प, अधिकतर मशीन औजार और विद्युत वस्तुएँ, खेल सामान, शक्ति चलित पम्प और विस्थापन उद्योग के अधिकतर वस्तुएँ।

सभी उद्योग दर के उत्पादो के सूची मे 6 नयी वस्तुएँ जोडी गयी। कुछ वस्तुएँ ऐसी है, जिन पर कर वापसी दर या तो घटा दिया गया है या तो खत्म कर दिया गया, इस समूह मे सूती ग्लोव, विभिन्न पी०वी०सी० कन्डेन्सर, चश्मे, रिफिल, ईथेमब्यूटल हाइड्रोक्लोराईड और ईथेमब्यूटल टेबलेट आते है। 6 नयी वस्तुओ मे तार प्रतिरोधक, रगीन पिक्चर ट्यूब, वेलवेट धागे, ऊनी कपड़े तथा गहरे हैण्डपम्प आते है।

विशिष्ट वस्तुओ के लिए अग्रिम लाइसेन्स सुविधा की माग कर रहे निर्यातको के लिए वापसी की घटी दर के विस्तार की सुविधा को चालू रखा गया है।

शुल्क वापसी योजना का सरलीकरण और विस्तारीकरण

"कस्टम घराने मे अप्रेजर मात्र 5 हजार रूपये की मात्रा तक वापसी के दावे कर सकता है। अधिकतर दावे को भुगतान के लिए वापसी विभाग मे सहायक कलेक्टर को दे दिया जाता है। निर्यात मूल्य के भारी बढोत्तरी और वर्ष के दौरान ज्यादा दावे को ध्यान मे रखते हुए अप्रेजर को 10,000 रूपये तक के दावे के सम्बन्ध मे सहायक कलेक्टर के द्वारा 5% तक जॉच के विषय मे 30,000 रूपये तक के वापसी दावे के भुगतान की शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अलावा 10,000 रूपये से 30,000 रूपये के बीच मे दावे के सम्बन्ध मे सहायक कलेक्टर के द्वारा 10%

जॉच पर भी भुगतान की शक्ति प्रदान की गयी है।

कर छूट इनटाईटिलमेट प्रगाणपत्र योजना गे, अग्रिग लाइसेन्स रखने वालो को डी०ई०ई०सी० किताब खत्म करने के लिए कस्टम प्राधिकरण से 'विरोध नही प्रमाण पत्र' प्राप्त करना पडता है। चूँकि कस्टम प्राधिकरण द्वारा इन प्रमाण पत्रो को प्रदान करने मे देरी होती थी। अतः प्रक्रियाओ को सशोधित किया गया और लाइसेन्स प्राधिकरण से डी०ई०ई०सी० किताब जल्द खत्म करने के लिए यही निश्चित किया गया कि 'विरोध नही प्रमाणपत्र' को अलग कर दिया जाय। लाईसेन्सिग प्राधिकरण अब डी०ई०ई०सी० किताब के डी० और एफ० मे प्रमाणित प्रवेश के आधार पर बाण्ड को खत्म कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो डी०ई०ई०सी किताब को माग प्रदान करने तथा भुगतान के लिए सम्बन्धित कस्टम प्राधिकरण को दे सकता है। इस नयी प्रक्रिया से डी०ई०ई०सी किताब खत्म करने के लिए समय कम करने मे सहायता प्रदान किया गया।

1 जनवरी 1993 से प्रभावी सरलीकृति बाण्ड दर फिक्सेसन योजना को सभी निर्यात उत्पाद तक विस्तृत कर दिया गया ताकि निर्यात बढ सके। यह योजना उन सभी निर्माणकर्ता निर्यातक तक विस्तृत किया गया है, जो कि उत्पाद का लगातार उत्पादन करते है, जिसके लिए ब्राण्ड दर को दिखया गया है। पहले यह योजना यात्रिकी, अभियात्रिकी और रसायन क्षेत्र तक ही सीमित था। अन्य क्षेत्रो मे विस्तार से यह आशा की जाती है कि ब्राण्ड दर को ज्ञात करने मे देरी को कम किया जा सकता है।"[1]

नयी शुल्क वापसी दर

''भारत सरकार ने कर वापसी योजना 412 वस्तु के लिए घटा दी तथा 160 वस्तु के लिए बढा दी और 49 वस्तुओ के लिए पुरानी दर ही लागू है। जबकि 5 नयी वस्तुओ को सूची मे रख दिया। कम से कम 14 वस्तुओ को कर वापसी से दूर रखा गया है। नयी दर 1 जून 1994 से प्रभावी है।"[2]

---

1 वार्षिक रिपोर्ट 1992-93, वाणिज्य मत्रालय, भारत सरकार, पृ-32,
2 फारेन ट्रेड बुलेटिन, अक्टूबर 1994, वाल्यूम XXV न० -4, भारतीय विदेश व्यापार सस्थान, नई दिल्ली, पृ-30,

शुल्क वापसी दर संशोधन

"वित्त मन्त्रालय मे माल गुजारी विभाग ने निर्यात पर नयी शुल्क वापसी दर लागू किया है। मालो के निर्यात के 30 दिन के अन्दर नयी वापसी सूची मे सभी निर्यात मामले निर्यातक को दर्शाना पडेगा, जैसा कि कस्टम और केन्द्रीय शुल्क नियमो के नियम 6/7 मे दिया गया है। यदि वे ऐसा नही करते है तो उनका वापसी प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जायेगा तथा वे सभी उद्योग दर भी नही प्राप्त कर पायेगे।

अन्य परिवर्तन निम्न है- कुछ वस्तुओ पर से केन्द्रीय आयात-निर्यात कर खत्म कर दिया गया है और मोडवेट का विस्तार पेट्रोलियम उत्पाद तथा निर्मित धागे के लिए किया गया है। निर्मित कपडो के सम्बन्ध मे वापसी दर 7 5% से 10% एफ० ओ० मूल्य कर दिया है और निर्यातक को पूर्ण वापसी दर प्राप्त होगी।"[1]

4- निर्यात साख

निर्यात सम्वर्द्धन नीति के कदम के रूप मे जहाज पर माल लादने से पूर्व तथा जहाज पर माल लादने के बाद साख को सभी उत्पाद के निर्यातको को ब्याज के छूट दर पर विस्त्रित किया गया है। ऐसी साख 9 5 प्रतिश के छूट दर पर 180 दिन के लिए रहता है। हाल ही के एक निर्णय के अनुसार कुछ वित्तीय सस्थान जैसे आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई० और आई० सी० आई०सी०आई० को रूपयो मे ऋण पर ब्याज मे छूट की एक योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात इकाइयो को उस साल जिसमे निर्यात बिक्री की दर कुल बिक्री के 25 प्रतिशत तक पहुॅचती है तब उनको ऋण पर 5 प्रतिशत की छूट मिलती है। इसी प्रकार सम्बन्धित ऋण पर 10 प्रतिशत के ब्याज दर मे भी छूट मिलती है। यह छूट 100 प्रतिशत निर्यात आधारित इकाइयो पर भी लागू होती है।

"वाणिज्य मत्रालय द्वारा उठाये गये कदमो के आधार पर 1-1-92 से आर० बी० आई० द्वारा डालर में जहाज पर माल लादने के बाद साख प्रदान करने के लिए नये कदम उठाये गये। शुरू

1 फारेन ट्रेड बुलेटिन, अगस्त 1994 मासिक, वाल्यूम XXV न०-2, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली पृ-11,

मे इस योजना के अन्तर्गत ब्याज दर 8 5% था जो कि 29-2-92 के 6 5% तक कम कर दिया गया। योजना के अन्तर्गत पुनः वित्त 133 33% के स्तर पर प्रदान किया गया। हाल ही मे डालर निर्धारित साख पर पुनः वित्त पर ब्याज दर 7 5% से 5 5% तक घटा दिया गया ताकि वाणिज्य बैक निर्यात साख विस्तार को आकर्षित कर सके। निम्न ब्याज पर विदेशी मुद्रा मे पैकिग साख की एक नयी योजना एक्जिम बैक द्वारा शुरू की गयी है।"[1]

वाणिज्य मत्रालय भारतीय रिजर्व बैक के बाहरी सहायता से निर्यात साख पर आकडो को प्रकाशित करता है। निर्यात साख की उपस्थिति को प्रभावित करने की दृष्टि से बैको को जून 1993 के अन्त तक निर्यातक को कम से कम 10% सही साख की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी। बैको को सलाह दी गयी कि अधिकतम आज्ञा प्राप्त बैक वित्त सीमा को निर्यात के लिए सीमित कदमो के लिए आज्ञा नही प्रदान करना चाहिए। इसकी जगह बैंक एम०पी०बी०एफ० की सीमा के आगे निर्यात आज्ञा या अन्य प्रमाण पत्रो के आधार पर भुगतान कर सकता है।

निर्यात साख के मूल्य को कम करने के लिए ब्याज दर 9-10-92 से 10% द्वारा घटा दिया गया। जहाज पर माल लादने से पूर्व साख के लिए सशोधित दर 180 दिन तक 14% वार्षिक और 181 दिन से 270 दिन तक 16% वार्षिक है। जहाज पर माल लादने के बाद साख के लिए सशोधित दर 90 दिन के लिए 14% वार्षिक तथा 6 महीने तक है।

5- गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण

विभिन्न गुणो और अच्छे निर्यात किये गये माल को पहचानने के लिये तथा विदेशी उपभोक्ताओ के शिकायतो को कम करने का प्रयत्न निर्यात सम्वर्द्धन का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण की पद्धति की मजबूती के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह निर्यात नियम 1963 के अन्तर्गत किया जा सकता है। वर्तमान मे गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत 986 वस्तुओ को रखा गया है। इसकी क्षमता कच्चे कृषि उत्पाद, खनिज और अर्ध-निर्मित वस्तुओ से लेकर अच्छे निर्मित वस्तुओ तक है।

---

1 वार्षिक रिपोर्ट 1992-93, वाणिज्य मत्रालय, भारत सरकार, पृ-34

वैसे कई क्षेत्रो मे हमारी योग्यताये विश्व के कई महत्वपूर्ण बाजारो मे महसूस की गयी है, लेकिन गुण स्तर की कमी के कारण हमे फिर भी शिकायते मिलती रहती है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर सरकार अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति का उपयोग करती है। नयी मशीनो और तकनीक सामनो को निर्यात निरीक्षण के लिए प्राप्त किया गया है, गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के पद्धति के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा निर्यात वस्तुओ को लाया गया है। निर्माण के स्तर पर गुण नियन्त्रण ओर निरीक्षण के लिए सही व्यवस्था को धीरे-धीरे विस्तृत और मजबूत किया जा रहा है। यान्त्रिकी मालो, रसायनो और अन्य उत्पादो, जूट और जूट निर्मित माल, जटा उत्पाद, जूते, चप्पल और जूते चप्पल के विभिन्न भाग और यात्रिक को गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व जरूरी जॉच के अन्तर्गत रखा गया है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

"निर्यात माल के लदान-पूर्व निरीक्षण के लिए भारत सरकार ने 5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण स्थापित किए है। इनमे से एक-एक बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास मे है और यह सभी निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रशासनिक नियन्त्रण मे है। इन अभिकरणो के मुख्यालय बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास मे है और इनके अलावा, इन अभिकरणो के 61 उपकार्यालय है जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रो तथा निर्यात बन्दरगाहो पर है।

वर्ष 1991-92 के दौरान, प्रेषणवार निरीक्षण तथा प्राकियागत निरीक्षण प्रणाली के अधीन 3,268 36 करोड रूपये मूल्य के निर्यात प्रेषण का प्रमाणन किया गया। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान प्रमाणित प्रेषणो का मूल्य 970 33 करोड रूपये रहा। 1993-94 के दौरान 1527 करोड रूपये मूल्य के निर्यात प्रेषण का प्रमाणन किया गया तथा 1-4-1994 से 31-12-1994 के दौरान प्रमाणित प्रेषणो का मूल्य 705 करोड़ रूपये रहा।"[1] भारत सरकार ने निर्यात निरीक्षण अभिकरणो को सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली के अधीन ऐसे निर्यात माल के लिए मूल स्थान प्रमाण पत्र भी देने का प्राधिकार दे दिया है जो जापान, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पूर्वी यूरोप के देशो को जा रहा हो। वर्ष 1991-92 मे निर्यात निरीक्षण अभिकरणो

1 वार्षिक रिपोर्ट, 1994-95 वाणिज्य मत्रालय, भारत सरकार, पृ-50

ने 2,58,174 जी०एस०पी०प्रमाण पत्र जारी किए। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान 1,69,593 जी०एस०पी० प्रमाणपत्र जारी किया गया। वर्ष 1993-94 मे 3,79,299 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र तथा 1-4-1994 से 31-12-1994 की अवधि मे निर्यात निरीक्षण अभिकरणो ने 2,68,681 जी०एस०पी०प्रमाण पत्र जारी किए।

पायलट टेस्ट हाउस

"इजीनियरी उत्पादो, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के इजीनियरी उत्पादो, के शीघ्रता से, सक्षम, सही और व्यापक परीक्षण की बढती हुई माग पूरी करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद ने बम्बई मे एक पायलट टेस्ट हाउस (पी०टी०एच) स्थापित किया है। निर्यात निरीक्षण अभिकरणो द्वारा लिए गए नमूनो के परीक्षण के अलावा, पायलट टेस्ट हाउस उद्योग क्षेत्र को अनेक प्रकार की तकनीकी सहायक-सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है जैसे उत्पादो के गुणवत्ता परिमापो का आकलन, प्रक्रियागत गुणवत्ता नियत्रण प्रणाली के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने मे सहायता, परीक्षण के लिए सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना, गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अनुसधान और विकास की परियोजनाए तथा उद्योग क्षेत्र के लिए बने बनाये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्ष 1991-92 के दौरान पायलट टेस्ट हाउस क्षेत्र मे 10,710 नमूनो का परीक्षण किया गया। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान 2,085 नमूनो का परीक्षण पायलट टेस्ट हाउस के द्वारा किया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान पायलट टेस्ट हाउस मे 5,448 नमूनो का परीक्षण किया गया। 1-4-1994 से 31-12-1994 के बीच ई० आई०ए० द्वारा भेजे गए 102 नमूनो का पायलट टेस्ट हाउस मे परीक्षण किया गया। पायलट टेस्ट हाउस निर्यात उत्पादो की गुणवत्ता मे सुधार के लिए उद्योग क्षेत्र को लगातार नियमित विस्तार सेवाए प्रदान कर रहा है।"[1]

6- निर्यात सम्वर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना (ई०पी०सी०जी०)

निर्यात सम्वर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना के अन्तर्गत पूँजीगत माल को सीमा शुल्क की रियायती दर पर आयात करने की अनुमति दी जाती है। जो निर्यातक सी० आई० एफ० मूल्य के 4 गुना

---

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-52,

निर्यात दायित्व को 5 वर्ष मे पूरा करने का वचन देते है, उन्हे सी०आई०एफ० मूल्य का केवल 15% सीमा शुल्क देना होता है। यह योजना नियमित और नए दोनो तरह के निर्यातको के लिए खुली है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाले वस्तु आयातित पूँजीगत माल की सहायता से निर्मित होना चाहिए। परीक्षण सामान, आर०औरडी० सामान, पैकिग मशीन आदि को इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है।

"सेवा सेक्टर के लिए एक नई निर्यात सम्वर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना (ई०पी०सी०जी०) की शुरूआत 31 मार्च 1993 को प्रकाशित आयात-निर्यात नीति के सशोधित सस्करण के तहत की गई। इस योजना मे व्यवसायियो की विशिष्ट श्रेणियो, होटलो और रेस्तराओ तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदायको द्वारा 15% के रियायती शुल्क पर पूँजीगत उपस्करो की आयात की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार के पूँजीगत उपस्करो के मूल्य की चार गुने बराबर मुक्त विदेशी मुद्रा की अर्जन 5 वर्षो की अवधि मे कर लिया जाए।"[1]

7- नगद क्षतिपूर्ति सहायता

निर्यात सम्वर्द्धन नीति ढॉचा मे नगद क्षतिपूर्ति सहायता विदेशी बाजारो मे भारत के वस्तुओ को प्रतियोगी बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह योजना 1966 मे शुरू की गयी तथा इसके अन्तर्गत शुरू मे कुछ सीमित क्षेत्र ही थे। जैसे- अभियान्त्रिक माल, रसायन, खेल के सामान तथा प्लास्टिक उत्पाद। वर्तमान आवश्यकता के अनुसार इसको बदला गया और अब इसके अन्तर्गत निर्यात तथा निर्यात समूह का एक विस्त्रित क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत 13 बड़े क्षेत्र आते है जैसे-अभियान्त्रिकी माल, रसायन तथा इसके उत्पाद, चमड़े से निर्मित सामान, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुऍ, निर्मित कपडे, ऊनी गलीचे, खेल के सामान, सिल्क तथा रेयान, जूट सामान और हथकरघा आदि क्षेत्र आते है। यह सुविधा दुबारापूर्ति लाइसेन्स के कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाम पर भारत मे किये गये आयात पर भी लागू होता है। इस योजना के अन्तर्गत ज्यादातर छूट नही है और न वापसी वाले कर के लिए निर्यातको को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है जैसे- बिक्री कर और

---

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-31

कच्चे मालो पर क्षेत्रीय कर। इन कारको के अलावा नगद क्षतिपूर्ति सहायता की दर ज्ञात करने के अन्य कारक निम्न है- जमाधन पर ब्याज की उच्च दर, विस्थापन का उच्च मूल्य, कृषि आधारित आवश्यकताओ का सम्वर्द्धन और विकास।

बदलते अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण और विश्व बाजार मे प्रतियोगिता की दर के अनुसार सी०सी०एस०का लगातार सशोधन किया जा रहा है। जुलाई 1986 मे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसने इसको आवश्यक स्थिरता प्रदान किया। नयी योजना तीन साल दिसम्बर 31, 1989 तक के लिए मान्य था। रूपये के विनियम दर मे परिवर्तन और दूबारापूर्ति लाइसेस योजना के विस्तार और सुधार को देखते हुए 3 जुलाई 1991 से नगद क्षतिपूर्ति सहायता योजना को समाप्त कर दिया गया है। 2 जुलाई 1991 तक सभी निर्यात अपने सी०सी०एस० दर के योग्य थे। विदेश व्यापार के समान्य निर्देशालय के कार्यालय द्वारा यह निर्देश दे दिया गया कि निर्यातक अपने सी०सी०एस० दावे को सम्बन्धित डाकघर मे 31 दिसम्बर 1992 से पहले जारी करा ले। सी०सी०एस० योजना की समाप्ति के परिणाम स्वरूप वाणिज्य मन्त्रालय मे कार्य कर रही दो अन्तरमन्त्रीय दल सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया।

8- निर्यात सम्वर्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई०पी०आई०पी०)

"केन्द्रीय रूप से प्रायोजित निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क स्कीम अगस्त, 1994 मे शुरू की गई। इसका उद्देश्य निर्यात-अभिमुख उत्पादन के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओ का सृजन करने मे राज्य सरकारो को शामिल करना है। इस स्कीम मे यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामले मे सामान्यता 10 करोड रू० तक सीमित इन सुविधाओ के सृजन पर किये गये पूँजीगत व्यय का 75% राज्य सरकारो को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उनमे स्थापित प्रत्येक इकाई के निर्यात कारोबार का 2% के समकक्ष अनुरक्षण अनुदान भी उस यूनिट के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र सरकार ने अब तक पजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यो मे निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्कों की

स्थापना के प्रस्तावो को मजूरी दी है।"[1] "देश का पहला निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क जयपुर के निकट सीतापुर मे केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मत्री बी०बी०रमैया द्वारा 22 मार्च 1997 को औपचारिक उद्घाटन किया गया। 365 एकड क्षेत्र मे फैले इस औद्योगिक पार्क का विकास राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से किया गया है। इसकी कुल लागत 47 15 करोड रूपये आई है जिसमे केन्द्रीय सहायता 10 करोड रूपये की है। निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने ऐसे लगभग 6 औद्योगिक पार्क विभिन्न राज्यो के लिए स्वीकृत किए हुए है।"[2]

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र

"राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन०सी०टी०आई०) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य निर्यात सम्वर्द्धन करने वाले निकायो, आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करके राष्ट्रीय तथा अतराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित डाटा आधार का सृजन करके व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित सूचना एकत्र करना, मिलवाना, इकट्ठा करना, प्रसस्करण करना, विश्लेषण करना तथा प्रसार करना है।"[3]

9- अग्रिम लाइसेन्स और सीमा शुल्क छूट योजना

इस योजना के द्वारा अग्रिम लाइसेन्स निर्यातको को यह सुविधा प्रदान करते है कि वे बिना सीमा शुल्क दिए ही कुछ विशिष्ट कच्चे माल का आयात कर सकते है। इस प्रकार की सुविधा केवल निश्चित आर्डर होने पर ही प्रदान की जाती है। मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेसिग स्कीम के अन्तर्गत, निर्यात उत्पादको को मध्यवर्ती वस्तुऍ उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है।

न्यूनतम मूल्यवर्धन 33% निर्धारित है। अनुरोध करने पर, गुणावगुणो के आधार पर न्यूनतम मूल्यवर्धन की अनुमति दी जा सकती है। कोई भी आवेदक मूल्य-आधारित या मात्रा- आधारित

1 वार्षिक रिपोर्ट, 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-36,
2 प्रतियोगिता दर्पण, मई 1997, उपकार प्रकाशन 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा -282002,पृ-1657,
3 वार्षिक रिपोर्ट, 1994-95 वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-38,

अग्रिम लाइसेस के लिए आवेदन कर सकता है।

(क) मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस

मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेस योजना पहली बार 1-1-1992 से शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत लाइसेसो मे विनिर्दिष्ट किसी भी निविष्टि का उन निविष्टियो के लिए बताई गई कुल सी० आई० एफ० मूल्य के भीतर आयात किया जा सकता है।

(ख) मात्रा- आधारित अग्रिम लाइसेस

मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेसिग योजना मे इस प्रकार के लाइसेसो मे केवल आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा, आयात के सी०आई०एफ०मूल्य और निर्यात की मात्रा तथा एफ ओ बी मूल्य का ही उल्लेख होता है।

स्वघोषित पास बुक योजना 1-4-1992 से स्वघोषित पास बुक योजना शुरू की गई जो निर्यात घरानो, व्यापार घरानो, शीर्ष व्यापार घरानो और शीर्षस्थ व्यापार घरानो को उन निर्यात उत्पादो के लिए उपलब्ध है, जिनके लिए मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेसिग योजना के अन्तर्गत मानक इनपुट-आउटपुट मानदड अथवा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेस योजना के अन्तर्गत मूल्यवर्धन मानदड विनिर्दिष्ट है। पास बुक योजना केवल वास्तविक निर्यातो के लिए लागू है और पास बुक मात्रा पर आधारित है।

अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेसः अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेस मध्यवर्ती सामान के उन विनिर्माताओ को इनपुट का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए जारी किया जाता है जो अपना माल ऐसे अतिम निर्यात को सप्लाई करते है, जो शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत पात्र माने गए निर्यातक है। या जो लाइसेस धारक है। मध्यवर्ती लाइसेस धारक को, शुक्ल छूट योजना के अन्तर्गत लाइसेस होल्डर को, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपूर्ति करनी होगी। अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेस केवल मात्रा पर आधारित है।

विशेष अग्रदाय लाइसेसः विशेष अग्रदाय लाइसेस उन श्रेणियो को शुल्क मुक्त आयात हेतु प्रदान किया जाता है, जो माने गए निर्यात नीति के अतर्गत आते है। ये लाइसेस मात्रा पर आधारित

लाइसेस है।

अग्रिम सीमा शुल्क निकासी परमिट. मात्रा-अधारित अग्रिम सीमा शुल्क परमिट ऐसी वस्तुओ के शुल्क मुक्त आयात के लिए दिया जाता है, जो विदेशी क्रेता द्वारा जाबिग, रिपेयरिग, सर्विसिग, रेस्टोरेशन, री-कडीशनिग, रिनोवेशन आदि के लिए मुफ्त सप्लाई की जाती है। वस्तुओ की मरम्मत करने के बाद उनका पुनः निर्यात किया जाना होता है।

अग्रिम रिलीज आर्डर. अग्रिम रिलीज आर्डर केवल मात्रा पर आधारित लाइसेस पर दिया जाता है और सवेदनशील मदो के लिए भी दिया जाता है।

10- ब्लैंकट विनिमय परमिट योजना

ब्लैकट विनिमय परमिट योजना की घोषणा जून 1987 मे की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के निर्यात सम्वर्द्धन प्रयासो को तेज गति प्रदान करना था। यह योजना निर्यातक को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधिक व्यापक तथा लोचशील थी। इसके अन्तर्गत निर्यातको को इस बात की छूट दी गई कि वे अपनी कमाई गई विदेशी मुद्रा मे से 5-10 प्रतिशत का प्रयोग निर्यात सम्वर्द्धन गतिविधियो के लिए स्वय कर सकते है।

11- आयात पुनः पूर्ति योजना

निर्यातको को निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का आयात करने की सुविधा देने के लिए, सरकार ने 1957 मे आयात हकदारी योजना की शुरूआत की। इस उद्देश्य के लिए निर्यातको को उनके द्वारा किये गए निर्यात के अनुपात मे आयात लाइसेस दिये गये। इन आयात लाइसेन्सो पर 70 से 80 प्रतिशत प्रीमियम था। इस प्रकार आयात हकदारी योजना निर्यात सहायता का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र बन गया। 1965-66 तक आयात हकदारी योजना भारत के लगभग 80 प्रतिशत निर्यातो को उपलब्ध था। 1966 मे रूपये का अवमूल्यन होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया परन्तु जल्द ही एक नई योजना के रूप मे इसे दोबारा लागू कर दिया गया। इस योजना का नाम आयात पुनः पूर्ति योजना था। ये लाइसेन्स निर्यातों के मूल्य से सम्बन्धित थे और निर्यातकों को यह सुविधा प्रदान करते थे कि वे उन आगतो का आयात कर सके जो देश मे उपलब्ध नही

है। पजीकृत निर्यातक नीति के अधीन निर्यातक उन वस्तुओ को प्राप्त कर सकते थे जिनके आयात पर नियन्त्रण लगे हुए थे।

12- **निर्यात प्रशिक्षण**

भारत के अन्तर्गत भारतीय विदेश व्यापार सस्थान और अन्य अगो के द्वारा अध्ययन और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बाहर भी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। कई विकसित देश जैसे जर्मनी, आस्ट्रेलिया और फ्रास विकासशील देशो के प्रतिनिधि को निर्यात के लिए निर्यात विकास अध्ययन उपलब्ध कराते है। अध्ययन प्रशिक्षु को इन देशो द्वारा अपनाये गए निर्यात सम्वर्द्धन उपाय तथा प्रशिक्षण और उनके निर्यात से सम्बन्धित अन्य नियन्त्रण के बारे मे जानकारी प्राप्त करने का सुअवसर मिलता है।

सरकार एक विशिष्ट योजना "बाजारीकृत यात्रा" मुख्यतः निम्न स्तर और लघु स्तर उद्योग के लिए जो कि अपने आप अपने उत्पाद के लिए बाजार प्राप्त करने के योग्य नही है, उनके विकास मे सहायता प्रदान करती है। यह योजना आई०आई०एफ०टी०, यू०एन०डी०पी०, यू०एस०आई०डी० आदि के सहायता मे कार्य किया है।

नब्बे के दशक में व्यापारिक नीति में परिवर्तन

(i) रूपये की पूँजी खाते तथा चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित की गई है। अब विनिमय दर बाजार मे विदेशी मुद्रा की माग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होगी। इसके लिए पहले उदारीकृत विनिमय दर प्रबध प्रणाली का एक वर्ष का दोहरी विनिमय प्रणाली का अनुभव सम्मिलित है।

(ii) **नकद क्षतिपूर्ति सहायता की समाप्तिः** व्यापार नीति मे व्यापक उदारतावाद तथा रूपये के अवमूल्यन को देखते हुए सरकार ने तर्क दिया कि अब नकद क्षतिपूर्ति सहायता की आवश्यकता नही रही। इसलिए 3 जुलाई 1991 से इसे समाप्त कर दिया गया।

(iii) **एक्जिम प्रतिभूति पत्रः** जुलाई 1991 को घोषित आयात-निर्यात नीति मे आयात लाइसेसिग नीति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन के अन्तर्गत आयातो के प्रशासित लाईसेसिग के

स्थान पर निर्यात आय से जुडी आयात हकदारी योजना शुरू की गई। पुनर्पूर्ति लाईसेस प्रणाली का विस्तार किया गया और उसे उदार बनाया गया। इसे एक नया नाम एक्जिम प्रतिभूति-पत्र दिया गया। इन प्रतिभूति पत्रो का खुला व्यापार करने की अनुमति दी गई और इन पर बाजार मे प्राप्त होने वाला अधिमूल्य निर्यातको को एक प्रकार का निर्यात प्रोत्साहन था तथा बाजार शक्तियो के अनुसार आयातो के आवटन का माध्यम था। जवाहरात व आभूषण, कुछ धातु आधारित हस्तशिल्प वस्तुओ तथा पुस्तको व पत्रिकाओ को छोडकर अन्य सभी निर्यात वस्तुओ पर निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर एक सी एक्जिम प्रतिभूति-पत्र दर निर्धारित की गई। उस समय प्रचलित 5 से 20 प्रतिशत दरो की तुलना मे यह दर काफी ऊँची थी। 1992-93 के बजट मे उदारीकृत विनिमय दर-प्रबन्ध प्रणाली लागू होने पर एक्जिम प्रतिभूति पत्र की योजना समाप्त कर दी गई।

(iv) **आयात कार्यप्रणाली का सरलीकरण:** भारतीय व्यापार नीति मे काफी लम्बे समय तक कई प्रशासनिक नियन्त्रणो तथा लाइसेस का जमघट रहा है। पचवर्षीय आयात-निर्यात नीति 1992-97 मे आयात कार्यप्रणाली को सरल बनाने का एक बडा प्रयत्न किया गया है। अब केवल दो प्रकार के आयात लाइसेस रखे गए है- ये है अग्रिम लाइसेस तथा विशेष आयात लाईसेस। अन्य सभी आयात लाइसेसो को (इसमे खुला सामान्य लाइसेन्स भी शामिल है) समाप्त कर दिया गया है। आयात सबधी नियमो को लगातार सरल बनया जा रहा है, प्रशासनिक नियत्रणो को कम तथा लाइसेस राज को समाप्त किया जा रहा है।

(v) **शुल्क छूट योजना का विस्तार**· शुल्क से छूट की योजना का विस्तार किया गया है। मात्रा-आधारित अग्रिम लाईसेसो के साथ अब मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेसो को भी शुरू किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि अब कुछ मूल्य- सीमाओ के अन्तर्गत तथा बिना मात्रात्मक प्रतिबन्धो के निर्यातको को वस्तुओ का आयात-निर्यात करने की छूट होगी। (कुछेक वस्तुओ को छोड़कर)

(vi) **आसान आयात व निर्यात.** जुलाई 1991 की व्यापार नीति मे अग्रिम लाइसेसो की प्रणाली को और मजबूत बनाया गया क्योकि इस प्रणाली के जरिए निर्यातको को अपने जरूरत के आगत बिना सीमा-शुल्क दिए मगाने की अनुमति थी। पूँजीगत वस्तुओ के आयातो की कार्यप्रणाली को भी सरल बनाया गया। नई इकाइयो और विस्तार-अधीन इकाइयो को पूँजीगत वस्तुओ के आयात के लिए लाइसेस प्रदान करने की व्यवस्था रखी गई, चाहे ये वस्तुए घरेलू बाजार मे उपलब्ध हो।

1992-97 की आयात-निर्यात नीति मे कुछ वस्तुओ को छोडकर सभी वस्तुओ के आयात की अनुमति दी गई है। जिन वस्तुओ का आयात नही किया जा सकता उन्हे एक नकारात्मक सूची मे रखा गया है। इस सूची मे उपभोक्ता वस्तुएँ (इसमे 28 विशिष्ट मदे शामिल नही है) तथा 70 अन्य मदे है। इनके आयात पर प्रतिबन्ध लागू रहेगे। तीन वस्तुओ के आयात पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी-ये तीन वस्तुएँ है-पशुओ की चर्बी, पशुओ का रेनेट तथा अनिर्मित हाथी दॉत। इसी प्रकार, एक नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अब अन्य सब मदो का मुख्य निर्यात किया जा सकेगा। 7 वस्तुओ के निर्यात पर पूर्ण पाबन्दी होगी। इनमे गोमास, पशुओ की चर्बी, मानव के अस्थि-पजर (ककाल), लकडी व लकडी के उत्पाद आदि शामिल है। इसके अलावा 62 वस्तुओ के निर्यात को प्रतिबधित सूची मे रखा गया है अर्थात इन वस्तुओ के निर्यात के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता होगी।

(vii) **निर्यात उन्मुख इकाइयो तथा निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र को और सुविधाए:** 1992-97 की नीति मे 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र की इकाइयों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से निर्यात करने वाली इकाइयो की तुलना में अधिक सुविधाएँ व रियायते दी गई है। अब इन योजनाओ का नई गतिविधियो तक विस्तार किया गया है, जिनमे बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन तथा पशु पालन और कई सम्बन्धित गतिविधियॉ व सेवाएँ शामिल है।

(viii) **निर्यात गृहों व व्यापार गृहों को और सुविधाएं:** 1991 की नीति मे निर्यात गृहो, व्यापार

गृहो तथा स्टार व्यापार गृहो को कई मदो के आयात की अनुमति दी गई। सरकार ने नियातो को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ व्यापार गृहो की स्थापना की अनुमति दी। इन व्यापार गृहो को घरेलू निर्यात गृहो व व्यापार गृहो को उपलब्ध सभी लाभो व रियायतो का आश्वासन दिया गया।

(ix) **केवल सरकारी एजेसियो के माध्यम से व्यापार करने की शर्त को हटाया जाना** भारत मे कई वस्तुओ का आयात व निर्यात केवल सरकारी एजेसियो के माध्यम से किया जा सकता था। 13 अगस्त, 1991 को घोषित अनुपूरक व्यापार नीति मे इस सूची का विवेचन किया गया और 16 निर्यात मदो तथा 20 आयात मदो को इस सूची से मुक्त कर दिया गया। 8 वस्तुओ को छोडकर अब सारी वस्तुओ का आयात तथा निर्यात अमार्गीकृत कर दिया गया है।

आयात-निर्यात नीति में 1993 व 1994 में किए गए परिवर्तन

1992-97 की आयात-निर्यात नीति मे मार्च 1993 व मार्च 1994 मे कुछ महत्वपूर्ण सशोधन किए गए है। इनका उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना तथा निर्यातको को और रियायते देना है ताकि निर्यात की वृद्धि दर को और बढाया जा सके। कुछ उठाये गए महत्वपूर्ण कदम निम्न लिखित है-

(i) सशोधित नीति मे कृषि व सबद्ध क्षेत्रो से निर्यातो को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए इन क्षेत्रो मे निर्यात-उन्मुख इकाइयो की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। कृषि, मछली-पालन, पशु-पालन, मुर्गी-पालन, रेशम-उत्पादन, फूल-फल उत्पादन जैसे क्षेत्रो मे काम कर रही इकाइयो को निर्यात-उन्मुख इकाइयो / निर्यात प्रोसैसिग क्षेत्र योजनाओ के अन्तर्गत बिना शुल्क दिए आयात करने की सुविधा प्रदान की गयी और इन योजनाओ मे लाभ उठाने के लिए उन पर शर्त केवल यह होगी कि वे कम-से-कम 50 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करे (इस प्रकार इन क्षेत्रो मे स्थापित निर्यात-उन्मुख इकाइयॉ / निर्यात प्रोसैसिग क्षेत्र की इकाइयॉ 50 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजारो मे बेच सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रो में स्थापित इस

प्रकार की इकाइयो को केवल 25 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजारो मे बेच सकने की अनुमति है। कृषि व सबद्ध क्षेत्रो मे स्थापित निर्यात-उन्मुख इकाइयॉ / निर्यात प्रोसैसिग क्षेत्र की इकाइयॉ अपनी जरूरत का पूँजीगत सामान रियायती शुल्क दरो पर खरीद सकेगी। इसके अलावा, कृषि व सबद्ध क्षेत्रो के लिए आवश्यक कुछ आयात वस्तुओ को नकारात्मक सूची से हटा दिया गया है अर्थात अब इनका आयात बिना बाधा के किया जा सकेगा।

(ii) पहले निर्यात गृहो, व्यापार गृहो तथा स्टार व्यापार गृहो की परिभाषा करते समय शुद्ध कमाई गई विदेशी मुद्रा को आधार माना जाता था। अब इसे बदलकर निर्यातो की मात्रा का मूल्य कर दिया गया है।

(iii) निर्यात गृहो, व्यापार गृहो, स्टार व्यापार गृहो तथा सुपर स्टार व्यापार गृहो को परिभाषित करते समय निर्यातको द्वारा सेवाओ के माध्यम से कमाई गई विदेशी मुद्रा का भी उनकी निर्यात आय मे शामिल करने की अनुमति दी गई है।

(iv) सेवाओ के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना 'सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात सम्वर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्तियो को 15 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर पूँजी उपकरणो के आयात की सुविधा दी गई है। परन्तु यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हे विदेशी मुद्रा कमानी होगी (चाहे सेवाए देश मे की जा रही हो या विदेशो मे)।

(v) निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्रो की गतिविधियो का विस्तार किया गया है और अब इन्हे व्यापार करने की तथा नई पैकिग के बाद् वस्तुओ को पुनः निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(vi) 30 मार्च 1994 को घोषित नीति मे सुपर स्टार व्यापार गृहो का एक नया वर्ग शुरू किया गया है। उन निर्यातको को इस वर्ग मे शामिल किया जायेगा जिन्होने पिछले तीन वर्षों मे लगातार 750 करोड़ रूपये (या उससे अधिक) प्रतिवर्ष का व्यापार किया होगा या फिर पिछले वर्ष 1,000 करोड रूपये या उससे अधिक का व्यापार किया होगा। इन

गृहो को अतिरिक्त आयात लाइसेन्स दिए जाएगे, महत्वपूर्ण व्यापार-प्रतिनिधि मडलो मे शामिल किया जायेगा तथा व्यापार नीति व निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाते समय विचार विमर्श के लिए आमत्रित किया जायेगा।

(vii) निर्यात गृहो को उपलब्ध विशेष आयात लाईसेसो मे 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और अब इनके अधीन निर्यात गृह, अपनी निर्यात-आय के अनुसार 3 से 5 प्रतिशत तक का आयात कर सकेगे। सुपर स्टार व्यापार गृहो के लिए विशेष आयात लाइसेसो की सीमा 10 प्रतिशत होगी। इन आयात लाइसेसो के माध्यम से अब निर्यात गृह व व्यापार गृह बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओ का आयात कर सकेगे जैसे-कार, रफ्रिजिरेटर, एयर कडीशनर, रगीन टी०वी०,कैमरे इत्यादि।

(viii) निर्यात सम्वर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना को आसान बनाया गया है तथा निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए अन्य उत्पादको से वस्तुएँ खरीद कर उन्हे निर्यात करने की अनुमति दी गई है।

(ix) वाणिज्य मन्त्रालय मे एक निर्यातक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है ताकि निर्यातको की समस्याओ का जल्द समाधान किया जा सके।

(x) वास्तविक प्रयोगकर्ताओ को इस्तेमाल हो चुकी पूँजीगत वस्तुओ के आयात की अनुमति दी गई है, बशर्ते इस प्रकार आयात की जानेवाली पूँजीगत वस्तुओ की शेष-आयु 5 वर्ष से कम न हो।

(xi) उपभोक्ता वस्तुओ को छोडकर अन्य वस्तुओ के खुले आयात की तथा एडवांस लाइसेसिग योजना के अधीन, निर्यात-उद्योगो के लिए शुल्क-मुक्त आयात नीति को चालू रखा गया है। वस्तुतः शुल्क से छूट की योजना का और 50 प्रतिशत तक विस्तार किया गया है- जहॉ 31 मार्च 1993 को 2,200 निर्यात मदों के लिए आगत-निर्गत प्रतिमान तय किए गए थे, अब 30 मार्च, 1994 को इनकी सख्या बढा कर 3,383 कर दी गई है।

1997 में नई आयात-निर्यात नीति (1997-2002) के अन्तर्गत उठाये गए कदम

इस नई आयात-निर्यात नीति के तहत आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक मजबूत करने के लिए उदारीकरण, पारदर्शिता और सरलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस नई नीति मे कुछ उठाये गए कदग निम्नलिखित है-

(i) निर्यात और आयात से सम्बन्धित कागजी प्रक्रियाओ को पहले से काफी आसान और पारदर्शी बना दिया गया है।

(ii) अभी तक प्रतिबन्धित सूची मे शामिल 542 वस्तुओ के आयात को उदार बना दिया गया है।

(iii) इस नई नीति मे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के निर्यात को बढावा दिया गया है तथा जवाहरात का निर्यात बढाने के लिए, सोने के भण्डारण के लिए नामाकित एजेसियो की सख्या बढा दी गयी है।

(iv) ई०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओ पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(v) निर्यात प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात सम्वर्द्धन की अनेक योजनाओ को अब दो योजनाओ तक सीमित कर दिया गया है। मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेस योजना को जारी रखते हुए विवादास्पद मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेस योजना को निरस्त कर दिया गया है। पास बुक योजना मे सशोधन करके ड्यूटी इन्टाईटिलमेन्ट पास बुक योजना को लाया गया है। नए पास बुक के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातक शुल्क रहित आयात कर सकते हैं।

(vi) निर्यात सम्वर्द्धन के लिए शून्य ड्यूटी योजना की सीमा 20 करोड रूपये से घटाकर 5 करोड रूपये कर दिया गया है ताकि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो को राहत मिल सके।

(vii) अग्रिम लाइसेस के अन्तर्गत निर्यात करने की प्रतिबद्धता की अवधि एक साल से बढ़ाकर डेढ साल कर दिया गया है।

(viii) निर्यात के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ भारी संख्या मे आवेदनो की संख्या काफी कम

कर दी गई है और इन आवेदन पत्रो मे एक ही सूचना को बार-बार देने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

(ix) नई नीति मे लघु उद्योगो और विशेषकर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।

(x) देश के उत्पादन की गुणवत्ता तथा उसकी विश्वसनीयता और साख बढाने के लिए आई०एस०आई मानक दड पर पूरा उठाने वाले निर्यात को उनके निर्यात की कथित के दो प्रतिशत के स्थान पर पॉच प्रतिशत के बराबर का विशेष आयात लाइसेस दिया गया है।

ऊपर लिखे गये कुछ विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओ का सक्षेप मे आलोचनात्मक मूल्याकन आगे किया जा रहा है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

भारतीय निर्यात क्षेत्र का निर्यात सम्वर्द्धन प्रलोभन पारदर्शी प्रकृति का है। सभी निर्यातक बढते प्रतियोगिता के फलस्वरूप पूर्ण प्रलोभन प्राप्त करने की कोशिश करते है और सम्वर्द्धन इकाइयो के लाभ से भारतीय निर्यातक दूर रहते है। सचमुच इनके परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा प्रलोभन की आवश्यकता का जन्म होता है। इसके विपरीत विकसित आयातक देशो की सरकारे इन प्रलोभनों को छूट की तरह मानते हुए उदासीनता विरोधी कर नियम को शुरू करते है। अतः प्रलोभन का प्रभाव और उद्देश्य यहॉ अपारदर्शी प्रकृति मे है। केवल सम्वर्द्धन प्रलोभन से नीति ढॉचे का निर्माण किया जा सकता है।

बाजार विकास सहायता योजना मे उत्पाद सम्वर्द्धन तथा वस्तु विकास के तहत 1989-90 मे सरकार ने 1,780 16 करोड रूपया खर्च किया जो अगले वर्ष 1990-91 मे बढ़कर 2,473 65 करोड रूपया हो गया। 1991-92 मे खर्च घटकर 1,591 19 करोड रूपया हो गया और अगले वर्ष 1992-93 मे पुनः घटकर 662 42 करोड रूपया हो गया। 1991-92 से खर्च घटने का क्रम जारी रहा, तथा 1993-94 मे घटकर 639.94 करोड रूपया हो गया और 1994-95 (सितम्बर 94 तक) मे 77 05 करोड रूपया रहा।

इसी प्रकार निर्यात सम्वर्द्धन और बाजार विकास सगठनो को सहायता अनुदान के रूप मे 1989-90 मे 15 92 करोड रूपया खर्च किया गया और 1990-91 मे खर्च बढाकर 17 84 करोड रूपया कर दिया गया। 1991-92 मे इसमे वृद्धि करके 22 66 करोड रूपये खर्च किया गया। 1989-90 से 1991-92 तक वास्तविक खर्च मे वृद्धि जारी रहा लेकिन 1992-93 से खर्च मे कमी आनी शुरू हो गयी जो 1992-93 मे 15 07 करोड रूपया हो गया और आगे चलकर 1993-94 मे पुनः घटकर खर्च 11 99 करोड रूपया हो गया तथा 1994-95 (सितम्बर 94 तक) मे 4 55 करोड रूपया रहा। सरकार द्वारा खर्च मे कमी करना उचित नही है। निर्यात साख (ब्याज सहायता) योजना 1968 के तहत व्यापारिक बैको द्वारा 90 से 180 दिन का जहाज लदायी के पूर्व और जहाज लदायी के बाद, 12% प्रतिवर्ष ब्याज पर दिया जाता है, जिसे रिजर्व बैक आफ इण्डिया द्वारा निर्यातको को लौटा दिया जाता है।

इस योजना के तहत व्यापारिक बैको को 3% प्रतिवर्ष की राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। 1974-75 से 1983-84 तक यह सुविधा निर्यात के कुल एफ०ओ०बी० मूल्य मात्र का 0 5 प्रतिशत था। 1986-87 के दौरान 3,146 करोड़ रूपये की निर्यात साख सहायता इस योजना के तहत प्रदान की गयी तथा 1987-88 के दौरान रकम 3,940 करोड़ रूपया था। स्पष्ट है कि लाल फीताशाही एव इसी तरह के कारणो से इस योजना का यथोचित लाभ निर्यातको को नही मिल पा रहा है। निर्यात ऋण विकास योजना मे सरकार बैको द्वारा दी जाने वाली निर्यात ऋण धनराशि पर लगने वाले ब्याज के लिए सहायता प्रदान करती है। 1989-90 मे सरकार ने 218.25 करोड़ रूपये खर्च किया जो अगले वर्ष बढकर 1990-91 मे 250.04 करोड़ रूपया हो गया। 1991-92 मे इसमे कमी आयी जो घटकर 139.93 करोड़ रूपया हो गया तथा इसमे अगले वर्ष नाम मात्र की वृद्धि हुई जो बढ़कर 141 00 करोड़ रूपया हो गया। 1993-94 मे एकदम से घटकर 12 79 करोड़ रूपया हो गया और 1994-95 (सितम्बर 94 तक) मे 0.01 करोड़ रूपया रहा 1992-93 से प्रतिवर्ष जो खर्च मे कमी आ रही है वो ठीक नही है, इससे हमारे देश का निर्यात घटता है, निर्यातक हतोत्साहित होते हैं जिससे निर्यात उचित मात्रा मे बढ़ नही पाता।

निर्यात को प्रात्साहित करने के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रो की स्थापना की गयी है। निर्यात

ससाधन क्षेत्रो के द्वारा निर्यात 1991-92 मे 1,176 07 करोड़ रूपया का किया गया और इस क्षेत्र के निर्यात प्रगति मे निरन्तर वृद्धि जारी रहा जो 1992-93 मे बढकर 1,376 31 करोड रूपया हो गया। 1993-94 मे बढकर निर्यात 1,959 91 करोड रूपया हो गया तथा 1994-95 (अप्रैल-नवम्बर 1994 तक) मे 1,121 00 करोड रूपया का निर्यात किया गया।

निर्यात ससाधन क्षेत्र से प्रतिवर्ष निर्यात का प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन जिस गति से इस क्षेत्र से निर्यात होना चाहिये उस रफ्तार से निर्यात नही हो पा रहा है। शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयो की योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयो का पूरा उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। इन शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयो से निर्यात 1987-88 मे 245 करोड रूपये का किया गया जो बढकर 1990-91 मे 678 करोड रूपया हो गया। प्रतिवर्ष निर्यात मे निरन्तर वृद्धि जारी रहा जो 1992-93 मे 1,940 करोड रूपया हो गया तथा 1993-94 मे 2,900 करोड रूपया रहा और 1994-95 (अप्रैल-सितम्बर 1994 तक) मे 1,642 करोड रूपया रहा। इन शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयो से प्रतिवर्ष निर्यात वृद्धि जारी रहा जो देश के निर्यात प्रगति मे अपना अच्छा योगदान दे रहे है। इनका पूरे का पूरा उत्पादन निर्यात के लिए होता है। इन इकाइयो की स्थापना देश मे किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इन इकाइयो को बिना आयात शुल्क दिए कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओ, पूँजीगत वस्तुओ तथा टैक्नोलाजी के आयात की सुविधा है, परन्तु जटिल नियमो व प्रशासनिक देरियो के कारण तथा अल्पविकसित आधारित संरचना के कारण निर्यात आय बढाने मे इन योजनओ को विशेष सफलता नही मिली। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अपने देश के व्यापार को प्रतियोगी बनाने के लिए कर वापसी योजना लागू की गयी। इन शुल्कों के कारण उत्पादन लागत मे जो वृद्धि होती है उसके बदले निर्यातको को उतना ही मुआवजा मिलता है। कर वापसी योजना के तहत 1988-89 मे 500 करोड़ रूपया मुआवजा दिया गया और अगले वर्ष उसमें वृद्धि हुई जो बढ़कर 1989-90 मे 600 करोड रूपया हो गया। इस योजना से निर्यातकों को मुआवजा मिलने से उनके अन्दर निर्यात को अधिक से अधिक बढाने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारा निर्यात बढ़ता है।

गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के अधीन 1991-92 मे 3,268.36

करोड रूपये मूल्य का निर्यात प्रेषण का प्रमाणन किया गया और अगले वर्ष प्रमाणन का प्रतिशत कम होकर 1992-93 (31-10-92 तक) मे प्रमाणित प्रेषणो का मूल्य 970 33 करोड रूपये रहा जो पिछले वर्ष की तुलना मे कम रहा। 1993-94 के दौरान इसमे और कमी आयी जो 1,527 करोड रूपये मूल्य के निर्यात प्रेषण का प्रमाणन ही किया गया तथा 1-4-1994 से 31-12-1994 के दौरान प्रमाणित प्रेषणो का मूल्य 705 करोड रूपये रहा। 1992-93 से वर्तमान समय तक निर्यात प्रेषण का प्रमाणन के मूल्य मे गिरावट जारी है जो अपने देश के निर्यात की गुणवत्ता की जॉच करने के लिये अच्छा नही है। इससे अन्य देशो मे हमारी निर्यात वस्तुओ को कडी प्रतियोगिता का सामना करना पडता तथा वह गुणवत्ता की जॉच किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता से बाहर हो सकता है। जिससे हमारे देश के निर्यात की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुॅचता है और हमारा निर्यात घट सकता है।

1991-92 मे निर्यात निरीक्षण अभिकरणो ने 2,58,174 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान 1,69,593 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया गया। जो कम रहा। 1993-94 मे बढकर 3,79,299 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया गया जो ज्यादा रहा पिछले वर्ष की तुलना मे। 1-4-94 से 31-12-94 की अवधि मे 2,68,681 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया गया। कई क्षेत्रो मे हमारी योग्ताये विश्व के कई महत्वपूर्ण बाजारो मे महसूस की गयी है, लेकिन गुण स्तर की कमी के कारण हमे फिर भी शिकायते मिलती रहती है।

नगद क्षतिपूर्ति सहायता के अन्तर्गत 1974-75 से लेकर 1983-84 तक निर्यात के कुल एफ०ओ०बी० का केवल 5% भाग था। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम लाभ का कारण लम्बी कार्यप्रणाली एव समय लेने वाली पद्धति है। अतः आवश्यक है कि पद्धति को और आसान बनाया जाय तथा भुगतान मे शीघ्रता की जाय।[1] ड्यूटी ड्रा बैक योजना के अन्तर्गत 1973-74 से 1981-82 तक कुल निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 2 4 प्रतिशत सहायता दी गयी, जो 1980 दशक के दौरान घटकर 1.4 प्रतिशत हो गया। इस योजना के तहत नवम्बर 1987 से अक्टूबर 1988 तक

1 डा०ए०ए० सिद्दीकी, द कामर्स जर्नल, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय १९९०-९१ वाल्यूम 35, पृ- 35,

21 बैको को 1725 करोड रूपये की राशि स्वीकृति की गयी।[1] रेप अनुज्ञापत्र योजना के तहत 1973-74 मे कुल निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के 6% के बराबर सहायता दी गयी, जबकि 1983-84 मे यह प्रतिशत 24 हो गया। निर्यात करो मे परिवर्तन 1987-88 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे काफी के मूल्य मे कमी आने के कारण काफी पर निर्यात शुल्क मे कमी की गयी। यह दर 330 रूपया प्रति कुन्टल के स्थान पर 1 मई 1987 से 170 रूपये प्रति कुन्टल कर दिया गया।[2] निर्यात साख एव गारन्टी निगम के द्वारा 1986-87 मे निर्गमित 6,757 पालिसियो की तुलना मे 1987-88 मे 6,228 पालिसियॉ निर्गमित की गयी। 86-87 मे सदस्यो की सख्या 7,069 थी जबकि 1987-88 मे सदस्यो की सख्या 6,598 थी। व्यापार समझौता और आर्थिक एव तकनीकी सहकारिता समझौता के तहत आर्थिक एव तकनीकी सहयोग बढाने के उद्देश्य से नवम्बर 1987 मे चेकेस्लोवाकिया के साथ 275 करोड रूपये के निर्यात का, पोलैण्ड के साथ 295 करोड रूपये के निर्यात का, रोमानिया के साथ 370 करोड रूपये के निर्यात का, जर्मनी के साथ 270 करोड रूपये निर्यात का, रूस के साथ 2,500 करोड रूपये निर्यात का समझौता हुआ।[3] सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयो को मैट कर से मुक्त कर दिया है, निश्चित ही इन इकाइयो को पहले की तुलना मे अधिक सुविधा मिलेगी। लक्ष्य निर्धारण के तहत भारत सरकार ने सन् 2000 तक 600 मिलियन डालर मूल्य के चाय के निर्यात का लक्ष्य रखा जो कि वर्तमान मे निर्यात होने वाली चाय के मूल्य का लगभग दो गुना है। लक्ष्य निर्धारण से निश्चित ही चाय निर्यात को बढाने मे सहायता मिलेगी।

निर्यात ने अन्ततः भारत के आर्थिक विकास मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। वर्तमान मे एक अच्छे औद्योगिक आधार ने उपभोक्ता सामानो और विस्त्रित मूलधन दर को प्राप्त करने के योग्य बनाया। यह योग्यता अच्छे निर्यात उपायो के द्वारा चालू किया गया, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र के विकास मे सहायता प्राप्त कर सके। इस निर्यात क्षेत्र को हम विकास के इन्जन

---

1 रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स १९८७-८८ वाल्यूम 1, इकोनोमिक रिव्यू, पृ-184
2 रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1987-88, वाल्यूम 1 इकोनोमिक रिव्यू, पृ-184
3 डा०ए०ए० सिद्दीकी, द कामर्स जर्नल, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1990-91,

का नाम दे सकते है और देश के विकास मे काफी सहायता प्रदान किया है। आगे औद्योगिक और आर्थिक विकास की दर को और बढाने के लिए इस क्षेत्र को पहचानने की आवश्यकता समझी गयी। निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था मे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची मे निर्यात मध्य 17वी मे भोजन और रक्षा के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है।

निर्यात क्षेत्र का पूर्ण समर्पित पहचान एक साधारण प्रक्रिया नही है। यह हाल ही के वर्षों के दौरान मुख्य नीति उपायो के सही दिशा के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसने देश के निर्यात उपायो को नयी दिशा की ओर चलना सिखाया है। इन नीतियो का सफल होना देश के निर्यात योग्यता मे पिछले कुछ वर्षों के दौरान विकास से ही पता चलता है। इस विकास को आकडे से नापने के लिए निम्नवत है- निर्यात ने 1951-52 मे 5,310 करोड रूपये से 1971-72 मे 16,080 करोड रूपये और 1975-76 मे 39,420 करोड रूपये तक के भारी दूरी को तय किया है। 1986-87 मे 1,25,500 करोड़ रूपये के निर्यात योग्यता का स्तर 1985-86 तक 14 प्रतिशत की बढत प्रदर्शित करता है। सशोधित निर्यात चित्र के अनुसार 1985-86 के लिए 1986-87 के दौरान वृद्धि दर को लगभग 20 प्रतिशत तक नापा गया है। 1990-91 के दौरान निर्यात वृद्धि दर 17 7 प्रतिशत रहा तथा 1992-93 मे 21 9 प्रतिशत से बढकर 1993-94 मे 29 9 प्रतिशत तक पहुँच गया।

1997-2002 के लिए नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात और आयात से सम्बन्धित कागजी प्रक्रियाओ को पहले से काफी आसान, सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे निर्यात करने वाले निर्यातको को जटिल कागजी प्रक्रियाओ से मुक्ति मिलेगी तथा निर्यात करने में आसानी होगी। निर्यात को बढावा देने के लिए प्रतिबन्धित सूची में शामिल 542 वस्तुओ के आयात को उदार बना दिया गया है, इससे निर्यात को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ई०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओ पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिये जाने से निर्यात के लिए अधिक से अधिक आयात किया जा सकता है, जिससे निर्यात को बढ़ाने मे सहायता मिलेगी। निर्यात बढाने के लिए शून्य ड्यूटी योजना की सीमा 20 करोड़ रूपये से

घटाकर 5 करोड रूपया कर दिया गया है, इससे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो को राहत मिल सकेगा। नई आयात-निर्यात नीति के तहत जहाँ पहले निर्यातको को लगभग 2 दर्जन फार्म भरने पडते थे, अब केवल एक दर्जन फार्म ही भरने होगे।[1] परन्तु दूसरी ओर 542 और उपभोक्ता वस्तुओ को ओ०जी०एल० मे रखा गया है जबकि अभी भी लगभग 3,000 उपभोक्ता वस्तुएँ प्रतिबन्धित सूची मे है। एक आक्षेप के अनुसार अधिक से अधिक वस्तुओ को ओ०जी०एल० मे लाया जाना विश्व बैक के दबाव पर हुआ है।

अग्रिम लाइसेन्स के अन्तर्गत निर्यात करने की प्रतिबद्धता की अवधि एक साल से बढाकर डेढ साल कर दिये जाने से निर्यातक को अपने निर्यात आयात गतिविधियो पर ध्यान केन्द्रित करने का समय मिलेगा। नई आयात-निर्यात नीति मे सन् 2002 तक 100 अरब डॉलर का निर्यात प्रस्तावित है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी सरकार को अपने उन क्षेत्रो पर ध्यान देना होगा जहाँ हमारी ताकत है और जिसके माध्यम से हम विश्व प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामाना कर सकते है। कृषि ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमे निर्यात की सभावना अधिक नजर आती है। अगर सरकार कृषि आधारित क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दे तो इस क्षेत्र से अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान वर्षों मे निर्यात के सम्बन्ध मे नीति ढॉचे के वैज्ञानिक और क्रमिक विकास के परिणामस्वरूप निर्यात क्रियाकलापो को पूर्ण निर्यात के उत्पादन आधार के लिए मजबूत किया गया है, आयात-निर्यात के क्रमिक कार्यों को सरलीकृत किया गया है, निर्यात वित्त को आसानी से प्रदान किया गया है, बाजार व्यूह रचना बनायी गयी है तथा विस्त्रित रूप से आधारित सस्थाओ को साझे के सम्बन्ध मे सहायता प्रदान की गयी है।

अब तक की नीति ढाचे के सम्बन्ध मे निर्यात उत्पादन के परिणाम स्वरूप विकास हुआ है। जहाँ भी जरूरी हो आयात को उदारीकृत किया गया है और कुछ आधारित कच्चे वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर आवश्यक मात्रा मे उपलब्ध कराया गया। विभिन्न स्थानो पर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना ने चुने हुए क्षेत्रो मे निर्यात धारा को खोजने मे सहायता प्रदान की है। यह सहायता इन क्षेत्रो में स्थापित औद्योगिक इकाइयो को प्रदान किये गये प्रलोभन के द्वारा ही सम्भव है। ढेर

1 अरविन्द भण्डारी द्वारा लेख, नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद

सारी वस्तुओ को विदेशी बाजार मे हमारे उत्पाद के अच्छे गुण की दृष्टि से गुण नियन्त्रण के छाते के अन्तर्गत लाया गया है। देश के निर्यात उपायो मे सस्थाओ की सहायता भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान वर्षो मे बनायी गयी नीति ढॉचा ने इन सस्था व्यवस्थाओ को मजबूत बनाया है और जहॉ भी आवश्यक हो वहॉ के सस्थागत मशीनो को फिर से शुरू किया गया है। प्रधानमत्री के सभापतित्व के अन्तर्गत कैबिनेट समिति का निर्माण किया गया, जिसमे निर्यात परेशानियो को हल करने के लिए विशेष प्रयास किया ताकि भारतीय व्यापार और उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र मे आत्मविश्वास जाग सके।

निर्यात प्रयासो मे विकसित और विकासशील व्यापारिक साझेदार के द्वारा नयी दिशा प्रदान की गयी है। विदेशी व्यापार नीति के हिस्से के रूप मे विभिन्न देशो से सयुक्त अर्थव्यवस्था समिति की स्थापना हुई और विकास कार्यक्रमो को तकनीक का आपस मे अदला-बदली और लाभ के लिए व्यापार क्षेत्र का पहचान विभिन्न देशो के साथ किया गया। बाजारो और निर्यात को बढाने के लिए निर्यात व्यूह रचना शुरु की गयी। यह व्यूह रचना बिना किसी तरीके से अन्य उत्पादो और क्षेत्रो को बिना पहचाने ही चालू किया गया। देश के लिए विदेशी विनिमय आय को बढाने के लिए नीतियो को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप मे प्रयोग किया गया। कई इकाईयो और संयुक्त इकाईयो की स्थापना की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय अखाडे मे सरकार ने व्यापार के अच्छे शर्तों के रूप मे कई कदम उठाये है। ये कदम तटकर निरीक्षण और विभिन्न अतटकर बाधाओ को निकालने, सयुक्त राष्ट्र के रक्षा के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो पर लागू किया है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि भारत सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा की समस्या से निपटने के लिए निर्यात सम्वर्द्धन को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है और उसमे जैसा कि ऑकड़े बताते है काफी हद तक सफलता भी मिली है, परन्तु कुछ योजनाऐं अपने उद्देश्यो मे पूर्ण रूप से सफल नही हो पाये है। अतः अभी भी इस दिशा मे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है तभी हमारे निर्यात वाछित स्तर पर आ सकते है।

उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव

जून, 1991 मे भारत मे आर्थिक स्थिति इस कदर मटमैला हो गया था कि उस समय निराशा

के अलावा और कुछ दिखायी नही पड़ रहा था तथा अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा-सी रही थी। राजकोषीय घाटा इतना बडा आकार ले चुका था कि उस समय सारा देश अपनी मजबूरियो और कमजोरियो से परेशान रहा। परिस्थितियॉ दिन-पर-दिन इतनी खराब होती चली जा रही थी कि कोई भी पूँजी-निवेशक इस देश मे कदम रखने मे झिझकता था। दूसरे देशो के द्वारा जो कर्ज मिलता था वह भी थोडा और अधिक ब्याज पर मिलता था। सामाजिक सेवाओ पर व्यय अपेक्षित स्तर से बहुत कम रहा। गरीबी निवारण कार्यक्रमो की बात हाशिए मे खिसकती चली जा रही थी। निर्यात कम होने से औद्योगिक उत्पादन मे गिरावट के साथ-साथ रोजगार का अवसर भी कम होता चला जा रहा था। मुद्रा की पूर्ति मे तीव्र वृद्धि हो जाने से मुद्रा-स्फीति 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर तक पहुँच गयी थी। भुगतान सतुलन का सकट भी गहराता चला जा रहा था, जिसकी वजह से देश की साख मिट्टी मे मिल गयी थी। सकल घरेलू उत्पादन मे वृद्धि की दर 1 2 प्रतिशत तक नीचे चली गई, जबकि केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो कि राजस्व और कुल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है, जो कि वर्ष 1990-91 मे सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत से भी अधिक हो गया था, 1970 के दशक मे यह घाटा 4 प्रतिशत और 1980 के दशक मे 6 प्रतिशत के बराबर रहा। इस घाटे को उधार लेकर पूरा करना पडा। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार का आतरिक कर्ज बढ कर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 55 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिस पर केवल ब्याज की राशि ही सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत के बराबर रही और यह केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत थी। चालू खाते का घाटा, इस कुल घाटे को और भी बढ़ा रहा था। चालू खाते का घाटा जो कई वर्षों तक सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के बराबर रहा, वह 1990-91 मे बढ़ कर ढाई प्रतिशत के बराबर हो गया।

इन बढ़ते हुए लगातार घाटो के कारण, सरकार को अनिवार्य रूप से विदेशों से ऋण लेना पड़ा और उसकी ऋण की मात्रा निरन्तर बढ़ती रही। वर्ष 1990-91 के अन्त मे भारत पर विदेशी ऋण की रकम, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 23 प्रतिशत के बराबर रही और उस पर कुल राजस्व प्राप्तियो का लगभग 21 प्रतिशत केवल ब्याज के रूप में ही अदा करना पड़ता था। अर्थव्यवस्था की इस लड़खड़ाती स्थिति मे खाड़ी सकट के कारण और भी भारी दबाव पड़ा और

भारत एक से दूसरे सकट मे फसने लगा। निर्यात मे गिरावट, आयात की अधिकता, उत्पादन मे कमी और बढते हुए कर्ज के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे भारत की साख तेजी से गिरने लगी और भारत को नया कर्ज मिलना कठिन हो गया। धनी देश, महगी ब्याज दर पर भी भारत को ऋण देने मे सकोच करने लगे।

परिणामस्वरूप भारत के पास विदेशी मुद्रा का भण्डार बहुत कम हो गया। जो अनिवासी भारतीयो ने भारत मे धन जमा कराया था, वे भी उस धन को तेजी से निकालने लगे। जिसके कारण भारत के पास विदेशी मुद्रा भण्डार मे केवल 2,500 करोड रूपये रह गया, जो केवल मात्र दो सप्ताह के आयात के खर्च के लिए ही काफी था। विदेशी मुद्रा के भण्डार मे इस गिरावट के कारण आयात पर भारी प्रतिबध लगाना पडा। इस स्थिति का भारी दबाव मूल्यो की स्थिति पर भी पडने लगा। 1990-91 मे मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ पर ही केन्द्रित रही और लगातार तीन अच्छे मानसूनो और शानदार फसलो के बावजूद उपभोक्ता वस्तुओ की कीमते बढती रही।

1991 के मध्य मे सबसे बडा खतरा यह रहा कि विदेशी मुद्रा के अभाव मे भारत विदेशी कर्ज की किश्त का भुगतान भी करने की स्थिति मे नही रह गया और यदि इस भुगतान मे एक बार भी चूक हो जाती तो भारत की साख मिट जाती और फिर भारत को कही से भी उधार नही मिल सकता था। इस स्थिति से उबरने के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से महगे ब्याज पर ऋण लेना पडा और अपना स्वर्ण विदेशी बैको मे गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा।

इस प्रकार जून, 1991 मे देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि यदि उस समय तत्काल कोई निर्णायक कदम न उठाया जाता तो उसके ऐसे भयकर परिणाम निकल सकते थे, जिन्हे सदियो तक महसूस किया जाता। भारतीय अर्थव्यवस्था मे वह भीषणतम सकट का काल रहा। तभी उस समय की नई सरकार ने नए आर्थिक सुधारो का कदम उठाया, जिसके अन्तर्गत उदारीकरण, भूमडलीकरण, निजीकरण और बाजार खोलने की जिस चौतरफा नीति को अपनाया गया, उसने लगभग सभी क्षेत्रो मे चमत्कार-सा कर दिखाया है।

"1970 से 1990 की अवधि मे ब्रिटेन, फ्रास, अमरीका, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड तथा

इटली जैसे विकसित देशो मे आर्थिक उदारीकरण एव निजीकरण का दौर काफी सफल रहा है तो केन्या, कोलम्बिया, कोस्टाराइका, घाना, चिली, जैमका, जाम्बिया, टोगो, टर्की, तजानिया, नाइजीरिया, फिलीपाइन्स, बोलिवियारव, ब्राजील, मालावी, मेडागास्कर, सेनेगल तथा मोरक्को जैसे विकासशील देशो मे उदारीकरण एव निजीकरण की प्रक्रिया उत्पादकता, रोजगार, पूँजीनिवेश, तथा औद्योगिक उत्पादन बढाने मे असफल रही है। सफलता तथा असफलता का यह भेद विकसित एव विकासशील की बजाय राजनीतिक स्थिरता एव पूर्ण वचनबद्धता की ओर विशेष सकेत करता है। चीन इस का स्पष्ट उदाहरण है, जहॉ राष्ट्रीय हितो के मद्देनजर आर्थिक सुधारो की प्रक्रिया विगत 15 वर्षों से जारी है तथा सुधारो के फलस्वरूप वह "आर्थिक महाशक्ति" का रूप ग्रहण कर चुका है। भारत मे 1991 मे विकास की नयी राह के रूप मे आर्थिक उदारीकरण एव निजीकरण का अनुसरण किया गया है। यदि यह व्यूह रचना पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा दृढ प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर तीव्र गति से जारी रखी जाती है तो सन् 2000 तक भारत न केवल चीन से आगे निकल सकता है वरन् विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति का स्थान ग्रहण कर सकता है।"[1]

भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बग्लादेश मे जहॉ पर लबे समय से ढुलमुल एव दूषित राजनैतिक व्यवस्था के कारण आर्थिक उदारीकरण से सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त नही हो पाया है, वही पर दूसरी ओर कोरिया, जापान, सिगापुर तथा ताइवान जैसे देशो ने अपने बेहतर राजनीतिक व्यवस्था से आर्थिक उदारीकरण एव निजीकरण के द्वारा बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करते हुए मूलभूत समस्याओ का उपयुक्त समाधान किया है तथा विकास की प्रक्रिया मे मीलो आगे पहुँच गये है। उदाहरणस्वरूप-चीन। राष्ट्रीय हितो को ध्यान मे रखकर आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण को अपनाकर चीन पिछले 15 वर्षों मे न केवल व्यापक स्तर पर विदेशी निवेश आकर्षित किया है, बल्कि सुधार प्रक्रिया के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। 1980 के दशक मे यूरोपीय राष्ट्रो में व्यापक मदी होने के बावजूद आर्थिक उदारीकरण एव निजीकरण के सफल दौर से यह स्पष्ट होता है कि सभी सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

---

1 योजना, 31 मार्च 1995, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०- 3

1990 के बाद विश्व के रगमच पर जिस प्रकार का क्रातिकारी परिवर्तन हुआ है, उसमे आर्थिक उदारवाद तथा मुक्त व्यवस्था ही सर्वोत्तम नजर आता है। साम्यवाद का पतन, अमरीकी एकाधिकार तथा विश्व व्यापार सगठन (गैट समझौता) से पूरी दुनिया एक ऐसी व्यवस्था मे बदल चुका है जिससे वर्तमान समय मे किसी भी देश के लिए अलग रहना असभव है। आर्थिक उदारवाद तथा विश्व व्यापार सगठन व्यवस्था पूरी दुनिया को स्वतत्र व्यापार की दिशा मे बढाने जा रही है। भारत भी इस नयी व्यवस्था से जुडकर अपने आर्थिक तत्र को बेहतर बना सकता है तथा अपने वर्तमान एव भविष्य की एक बेहतर रास्ता तलाश सकता है। यदि भारत विश्व व्यवस्था के साथ वर्तमान परिवेश मे नही जुड पाता है या तेजी से आर्थिक उदारवाद की राह पर नही चल पाता है तो विश्व अर्थव्यवस्था से कटने के साथ वह हमेशा के लिए आर्थिक दुष्चक्र के गहरे जाल मे फस सकता है।

सामाजिक-आर्थिक समस्याओ का समाधान बेहतर आर्थिक नीति, सुदृढ प्रशासनिक एव स्थिर राजनैतिक व्यवस्था तथा जनता की व्यापक सहभागिता पर निर्भर करता है। पिछले चार दशको तक भारतीय अर्थव्यवस्था राजकीय नियमनो एव नियत्रणो के साथ भ्रष्टाचार, लालफीताशाही तथा कुव्यवस्था की शिकार रही है। निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इस अवधि मे न केवल विवादास्पद बल्कि असतोषजनक रहा है, जिसके फलस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, निम्न जीवनस्तर, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय असतुलन जैसी समस्याए लगातार विकराल रूप धारण करती चली गयी है।

किसी भी आर्थिक सुधार का उद्‌देश्य उत्पादक कार्यों मे गति लाकर जनजीवन को सुखमय बनाना होता है, लेकिन उसके लिए केवल पूँजी-निवेश ही पर्याप्त नही होता है, बल्कि उसके लिए ऐसा वातावरण भी आवश्यक है जिसमे भौतिक और मानवीय ससाधनो का अधिक से अधिक उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। जिसके लिए एक अनुशासित, कुशल और प्रतिस्पर्धी वातावरण की जरूरत होती है। जिसके लिए जुलाई 1991 मे नई आर्थिक-औद्योगिक और व्यापार नीतियो की घोषणा की गई और आर्थिक वातावरण को अनावश्यक बन्धनो और अनुत्पादक प्रतिबधो से मुक्त कर के स्वतंत्र और मुक्त वातावरण मे, एक-दूसरे से ही नही बल्कि विदेशो से भी प्रतियोगिता की

भावना से आगे बढने का अवसर प्रदान किया गया। इस्पात, खनन, दूरसचार, नागरिक उड्डयन व अन्य क्षेत्रो को पहली बार निजी क्षेत्र के लिए खोला गया और ऊर्जा, जहाजरानी, सडक-निर्माण, परिवहन, पेट्रोलियम आदि क्षेत्रो मे निजी पूँजी निवेश को आमन्त्रित किया गया।

"लाइसेन्स कोटा राज ने देश की 60-70% प्रगति को रोक रखा था। उदारीकरण नीति ने लाइसेन्स कोटा राज को प्रगति मे बाधा माना है। लाइसेन्स हटाने की कार्यवाही पर 1991-92 मे सैकडो उद्योगो को रातो रात कोई लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नही रह गयी। 1991-92 मे सैकडो उद्योग को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया तथा अब केवल 18 उद्योग ग्रुप मे लाइसेन्स रह गया है। 51% विदेशी पूँजी वाले उद्योगो के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नही रह गयी। 1992-93 मे पावर सेक्टर को बिना लाइसेन्स के आने की अनुमति मिल गई। शेयर बाजार भी मुक्त हो गया। बिना सी०सी०आई० की अनुमति के पैसा इकट्ठा करने की छूट मिल गयी। 1993-94 मे तीन और उद्योगो को लाइसेन्स सूची से स्वतन्त्र कर दिया गया। 1994-95 मे आम दवाई बनाने वाले उद्योग को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया। 1995-96 मे 100% एक्सपोर्ट यूनिट लगाने के लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नही रह गयी।"[1] जो चाहे विदेशो के साथ भी उद्योग लगा सकता है। नीति मे तो यह देश लाइसेन्स की भरमार से करीब-करीब मुक्त हो गया है। लाइसेन्स राज भी खत्म हो गया है।

उदारीकरण पश्चात उद्योगो को लाइसेन्स से लेकर कार्यान्वन सम्बन्धी दी गयी छूटो का सक्षिप्त अध्ययन करने के लिए हम कुछेक उद्योगो का उदाहरण लेते है।

1- चीनी उद्योग

भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि पर आधारित उद्योगो मे सूती वस्त्र उधोग के बाद चीनी उद्योग का भारत मे महत्वपूर्ण स्थान है। भारत चीनी के उत्पादन मे विश्व का चौथा मुख्य उत्पादक देश है। इसके पहले तीन क्रमानुसार देश है- रूस, ब्राजील और क्यूबा। भारत मे चीनी के 420 कारखाने है। इसमे से 400 कारखाने काम कर रहे है, जिनमे से

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 23-10-95, सोमवार, 8 PM से 8 30 PM तक, मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

120 निजी क्षेत्र मे, 60 सार्वजनिक क्षेत्र मे और 220 सहकारी क्षेत्र मे है। इनके तहत 3 5 करोड लोगो को रोजगार मिला हुआ है।

चीनी मिल जिसे चलाने के लिए हर कदम पर लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने जुलाई 1990 मे नई चीनी लाइसेन्स नीति की घोषणा की ताकि चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। गन्ना उत्पादको को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकारो द्वारा प्रतिवर्ष गन्ने का मूल्य घोषित किया जाता है और कानून की परिधि मे किसानो को गन्ने के मूल्य की अदायगी सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने गन्ने के कुल उत्पादन का 40% भाग सरकारी मूल्य पर बेचना अनिवार्य किया है ताकि जनता को चीनी उचित मूल्य पर मिलती रहे।

नई चीनी लाइसेस नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न लिखित है-

"(i) नये कारखानो के लाइसेस उसी हालत मे जारी किये जाएँगे यदि 15 किलोमीटर के घेरे मे कोई चीनी का कारखाना न हो।

(ii) नए चीनी कारखानो को 2,500 टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता की अधिकतम सीमा तक लाइसेस दिये जाएँगे।

(iii) निजी क्षेत्र की अपेक्षा सहकारी एव सार्वजनिक क्षेत्र मे कारखाने लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(iv) शीरा से औद्योगिक अल्कोहल बनाने के लिए उदार रूप मे लाइसेस दिए जायेगे। इसका उद्देश्य औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात को बढावा देना है।"[1]

1980-81 के पश्चात चीनी के उत्पादन की स्थिति बहुत सन्तोषजनक रही है। 1991-92 मे चीनी का उत्पादन बढकर 133 लाख टन हो गया। लेकिन 1992-93 और 1993-94 के दौरान चीनी के उत्पादन मे तेजी से गिरावट आयी है जो क्रमशः 21 प्रतिशत और 57 प्रतिशत रहा। इसके साथ देश मे चीनी का उपभोग लगातार बढता ही जा रहा है। 1993-94 मे चीनी के उत्पादन मे कमी के कारण देश मे चीनी की कीमत मे एकदम वृद्धि हुई और 1994-95 की

1 रूद्र दत्त एव के०पी०एम० सुन्दरम- भारतीय अर्थव्यवस्था, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली-110055, 1994, पृ०- 669

पहली तिमाही मे ये 18 से 20 रूपए प्रति कि०ग्रा० हो गयी। इस कारण सरकार को भारी मात्रा मे चीनी का आयात करना पडा। चीनी के उत्पादन मे वृद्धि के बावजूद, सरकार चीनी के निर्यात को नही बढा पा रही है। इसका मूल कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो की तुलना मे भारतीय चीनी की कीमत का ऊँचा होना है।

2- लघु उद्योग

इस समय देश मे लघु उद्योग क्षेत्र के 25 लाख यूनिट मे करीब 1 5 करोड लोग काम कर रहे है। लघु उद्योग मे देश के उत्पादन का 35% हिस्सा है। देश के निर्यात का 40% हिस्सा है। 15% कम से कम लघु उद्योग रूग्ण हो चुके है। अब लघु उद्योग क्षेत्र मे नई नीति के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया है। इस सेक्टर मे लाइसेन्स कन्ट्रोल पाबन्दिया करीब-करीब पूरी तरह हटा दिया गया है। उदाहरण- पर्यावरण उद्योग कानून, श्रम कानून बहुत उदार कर दिया गया है। इससे लघु उद्योग का काम बहुत सहज हो जायेगा। नई नीति ने एन०आर०आई० को ये आश्वासन देकर देश मे निवेश करने को बुलाया है कि 45 दिन के बीच व्यापार शुरू हो जायेगा।

लघु उद्योग को सुविधायें

नई नीति के अन्तर्गत जो लघु उद्योग को सुविधाये प्रदान की गयी है वो निम्न लिखित है-

"(I) एस०आई०डी०बी०आई०, आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, यू०टी०आई० द्वारा लघु उद्योग को वेन्चर कैपिटल का निर्माण

(II) लघु उद्योग मे उत्पाद कर की छूट

(III) दूसरे उद्योगो द्वारा लघु उद्योगो मे 24% की इक्विटी भागीदारी

(IV) लघु उद्योगो मे टैक्स होलीडे, चुने हुए पिछडे क्षेत्रो मे (लघु उद्योग के लिए पिछड़े क्षेत्र मे, 5 साल तक टैक्स की छूट)

(V) लघु उद्योगो में प्रतिबन्धित सूची पर रोक हटी।"[1] लघु उद्योग को जो सुविधाये प्रदान

---

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 27-11-95, सोमवार, 8 PM से 8 30 PM तक, मेड इन इडिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

की गयी है उससे लघु उद्योग की स्थापना मे आसानी होगी तथा लघु उद्योग के माध्यम से हमारे देश का निर्यात बढेगा।

3- सूती कपडा उद्योग

सूती कपडा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगो मे सबसे पुराना स्थापित उद्योग है। मार्च 1994 के अन्त तक भारत मे 1,175 कारखाने थे। इस उद्योग द्वारा 11 5 लाख श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह उद्योग 150 वर्ष पुराना है। विश्व के निर्यात बाजार मे इसका द्वितीय स्थान है। यह विश्व के सूती कपडे के कुल निर्यात का 16 प्रतिशत तक निर्यात करता है।

सरकार की नीति सम्बन्धी उपाय. "टैक्सटाइल उद्योग के स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए सरकार ने बहुत से नीति सम्बन्धी उपाय किये है-

I 1986 मे सरकार ने 750 करोड रूपये के योगदान से टैक्सटाइल आधुनिकीकरण कोष स्थापित किया है और कारखाना मालिको ने इसका स्वागत किया है। सितम्बर 1992 के अन्त तक, वित्तीय सस्थाओ द्वारा 357 मामलो मे 1,370 करोड रूपये की स्वीकृति दी गयी।

II सरकार ने राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम की बीमार इकाइयो को पुनः जीवित करने की नीति तैयार की जिसमे उनके लिए कार्यकारी पूँजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ताकि वे अपनी तरलता- समस्याओ का समाधान कर सके। इसके साथ-साथ क्षमता के आधुनिकीकरण और अतिरिक्त श्रमिको के भार को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चालू की गयी। सरकार ने हाल ही मे इसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की।

III सरकार ने तकनीक उन्नयन के अन्य कार्यक्रम भी आरम्भ किए है और ये विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र की क्षमता मे तकनीकी उन्नति के लिए विशेष रूप मे लागू किये जा रहे है।

IV नयी उदारीकृत औद्योगिक नीति के अधीन बहुत से अन्य उद्योगो के साथ अगस्त 1991 मे टैक्सटाइल उद्योग को भी लाइसेन्स-प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। नयी नीति के अधीन नयी इकाईयॉ स्थापित करने या वर्तमान इकाईयो के क्षमता-विस्तार के लिए

सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नही।

V सरकार ने टैक्सटाइल उद्योग के निर्यात को उन्नत करने के लिए अप्रैल 1993 की निर्यात-आयात नीति मे परिवर्तन किया है और निर्यात क्षमता को बढाने के लिए पूँजी वस्तुओ को रियायती दरो पर आयात करने की इजाजत दी है।

VI सरकार ने विभिन्न देशो को टैक्सटाइल मदो के निर्यात के सम्बन्ध मे कोटा नीति की घोषणा की है जो 1994-96 के लिए होगी।

VII गैट के उरूगुए राउन्ड के सफल समझौते के बाद, सरकार बहु-फाइबर सधि को धीरे-धीरे अगले 10 वर्षो मे समाप्त कर देगी। इस समझौते से भारत को तुलनात्मक लाभ होगा जिससे उद्योग को मजबूत बनाने मे सहायता मिलेगी।"[1]

4- आटो उद्योग

1991-92 मे सारे उद्योग सुस्त थी। नई नीति के अनुसार उसी समय एक-दो लाइसेन्स एकदम रद्द कर दिये गये। लोन आसान ट्रम्स पर उपलब्ध कराये और उत्पादन शुल्क घटायी गयी। वाहनो की बिक्री बढकर 1992 मे 19 लाख से बढकर 2 साल मे 24 लाख हो गई। आज ये सेक्टर 25% सालाना की रफ्तार से बढने लगा। वाहनो के निर्माण का 90% स्वदेशीकरण हो गया। निर्यात मे 30% वृद्धि हुई है।

5- दवा उद्योग

दवा उद्योग मे लाइसेन्स के सम्बन्ध मे काफी रियायते दी गयी है। इस उद्योगो मे अब सिर्फ जरूरी लाइसेन्स ही रह गये है। दवा और चीनी उद्योग की तुलना की जाय तो चीनी उद्योग लाइसेन्स से बधा है। दवा उद्योग बहुत हद तक मुक्त कर दिया गया है, लेकिन दोनो मे लाइसेन्स राज बरकरार है।

उदारीकरण नीति मे औद्योगिक लाइसेन्स आवेदनः "एक समय ऐसा था जब उद्योग भवन के गलियारे कम्पनी के एजेन्टो से भरे रहते थे और सिर्फ 3-4 महीने बाद एप्वाइमेन्ट देते थे। इस

---

1 रूद्र दत्त एव के०पी०एम० सुन्दरम- भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली - 110055, 1997, पृ०- 448, 449

समय कोई एजेन्ट नही रहता। ठीक यही परिवर्तन इन आकडो मे नजर आ रहा है। 1990 मे उद्योग लाइसेन्स मे पेन्डिग केस 2,316 था, 1994 मे घटकर 714 हो गया और इस वक्त 600 से कम है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर 1991-92 मे लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया। साथ ही आयात कर घटा दी गयी और एक साल मे ही 100% सालाना के रफ्तार से बढने लगा, तो उद्योग मे तेज गति आयी है। क्योकि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने लाइसेन्स राज मिटा दिया। नये उद्योगो को स्थापित करने मे या बढाने मे मदद की और नये विदेशी पार्टनर चुनने मे सहयोग किया। उद्योग नीति, फेरा, शेयर मार्केट मे काम करने का तरीका काफी सरल हुआ है। यहॉ तक कि दवाइयो का उद्योग और मोटरकार आटो उद्योग मे भी कोटा राज काफी कम हुआ है। वही दूसरी तरफ कई सेक्टर, बिजली, बैकिग, इन्श्योरेन्स, टेलीफोन मे लाइसेन्स राज चला आ रहा हे। लाइसेन्स कोटा राज ने हमारे देश मे प्रगति मे पहले ही विराम लगा रखा था। कस्टम ड्यूटी मे बदलाव आया है। उदारीकरण के पहले 200-300 प्रतिशत अलग-अलग दरे थी, जो गिरकर 1995 मे 50% तक आ गयी। उत्पाद कर 30 लाख बिक्री तक माफ कर दिया गया है। सरकार के बजट का 30% आर्थिक सहायता मे खर्च होता है।"[1]

"उदारीकरण नीति मे सब कार्यवाही सरल हो गयी है। कमजोरियॉ बडे निर्यात जैसे-कपडा उद्योग महसूस कर रहे है, जिसका हिस्सा भारत के निर्यात मे 38% है लेकिन 32,000 करोड रूपया सालाना निर्यात है। लेकिन अब नई नीति और विश्व व्यापार सगठन के तहत भारतीय कपड़े को 10 साल बाद बाहर निर्यात कोटा नही मिलेगा। भारत विश्व के सबसे बडे कपास उत्पादन देशो मे से है।

नई निर्यात-आयात नीति के तहत 20 करोड से ज्यादा आयात पर जीरो ड्यूटी की सुविधा प्रदान की गयी है। ग्रीन चैनल मे बिना रोक-टोक आयातको और निर्यातको को सुविधा। 75 वस्तुएँ ओ०जी०एल० मे शामिल की गई है। 1 5 लाख निर्यातक मे से 2 000 ही बडे निर्यातक है, जिनका

---

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 23-10-95, सोमवार, 8 PM से 8 30 PM तक, मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

निर्यात 12 करोड से ज्यादा है। उदारीकरण नीति के तहत इनको निर्यात की विशेष सुविधाये मिल रही है। जैसे -5% स्पेशल आयात लाइसेन्स और बडी डील मे निर्यात-आयात बैक से कर्ज। देश मे निर्यात मे करीब 20-22% आयात किया हुआ सामान है। जैसे-इलेक्ट्रानिक्स मे 70% आयात किया हुआ सामान पार्ट है। इस समय देश मे तेजी से बढते हुए कुछ निर्यात सेक्टर है जैसे-कम्प्यूटर साफ्टवेयर 129%, काफी 86 5%, फूल 52 2%, खेल सामग्री 45%, अयस्क और खनिज 40% की दर से निर्यात मे वृद्धि कर रहे है। अनाज के बम्पर उत्पाद से निर्यात मे बढोत्तरी हुई है। पैकेजिग मशीन के आ जाने से माल देखकर पैकिग सुविधा तथा पैकिग पर खूबसूरत प्रिन्टिग की सुविधा उपलब्ध है। खाद्यान उद्योग को बढावा देने के लिए उत्पादन को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। जिनमे कैचप, दूध का पाउडर, खाना पकाने का तेल, जैम तथा सूखी सब्जियॉ शामिल है।"[1]

उदारीकरण से आयात-निर्यात तो बढ गया लेकिन बन्दरगाह नही बढ रहे है। भारत मानव सयसाधन के क्षेत्र मे समृद्ध है। अगले 25 वर्ष मे भारत विश्व मे चौथी आर्थिक शक्ति होगी। भारत को दुनिया की आर्थिक ताकतो मे महत्व मिलेगा। समृद्धि मान व ससाधन, समृद्ध बाजार एव औद्योगिकरण अधिक होगा तथा अधिक विकास होगा तो अधिक लोगो को रोजगार मिलेगा, जिससे आय स्तर बढ़ेगा। इस समय देश मे उदारीकरण का दरवाजा खुल रहा है और भारत की जनता उसे भविष्य मे खुला देखना चाहती है।

भारत मे इस समय, बिजली, सडक, तेल, सचार आदि क्षेत्रो की जन-जन से सीधी जुड़ी परियोजनाओ के लिए देश-विदेश की निजी पूॅजी का निवेश किया जा रहा है। लेकिन अब बचाई गई राशि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़को, पुलो तथा अन्य विकास कार्यों तथा बच्चो, बूढ़ो, गरीबो और निराश्रितो के कल्याण कार्यों पर व्यय की जा रही है। ग्रामीण इलाको मे पानी पहुॅचाने, स्कूलो की मरम्मत करने या नई शिक्षा सस्थाए खोलने या फिर छात्रावासो के निर्धन विद्यार्थियो की सहायता पर इस पैसे को खर्च किया जा रहा है।

---

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 4-12-95, सोमवार, 8 PM से 8 30 PM तक, मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

विदेशो से भारत मे जो पूँजी प्रवाह हो रहा है, वह सूखे की स्थिति से एक निरतर बहती जलधारा मे बदल गया है। विदेशी कपनियो, प्रवासी भारतीयो तथा अन्य पूँजी निवेशको के द्वारा जो देश के अन्दर व्यापक और तेज पूँजी प्रवाह हो रहा है, उसके दो लाभ हुए है। पहला, विदेशी कर्जो की तरफ बेताबी से हाथ फैलाए रखने का सिसिला समाप्त हो गया है तथा दूसरा विभिन्न पूँजीगत तथा आधारभूत योजनाओ मे विदेशी पूँजीनिवेश से केन्द्र और राज्यो के द्वारा बचाया गया राजस्व की राशि सामाजिक कार्यो, कल्याण योजनाओ और ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास के बुनियादी ढाचे मे अधिक लगाई जाने लगी है। जिसके परिणामस्वरूप जनहित कार्यो की न सिर्फ सख्या बढ गई है, बल्कि उनकी गति, परिधि और धनराशि सभी बढ गया है। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रो मे विदेशी पूँजी निवेश से नई-नई बहुउद्देश्यीय परियोजनाओ और प्रस्तावो पर अमल हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रो मे भी जीवन नई करवट ले रहा है। जीवन की जान पानी के लिए नलकूपो, नहरो, बाधो और जलाशयो को बनाने तथा पानी की सप्लाई बढाने के कार्यक्रमो, हवा को प्रदूषण से बचाने, जीवन को जीने लायक बनाने वाली बिजली की परियोजनाओ, जीवन के आधार कृषि तथा उससे जुडी सिचाई परियोजनाओ तथा कृषि उत्पादो पर आधारित विविध उद्योगो का जाल बिछता जा रहा है।

पिछले पाच वर्षों मे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि एक छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था का पुनर्निमाण किया गया और गम्भीर आर्थिक सकट से उबार कर उसे पुनः विकास के मार्ग पर लाया गया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व-व्यवस्था के साथ सामन्जस्य स्थापित कर लिया है और अपने उद्योगो को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की चुनोतियो का सामना करने मे समर्थ बना दिया है। भारतीय अर्थव्यवथा का आधार अब पर्याप्त रूप से मजबूत हो गयी है और लम्बी छलाग लगाने के लिए तैयार है। एशिया के जिन देशो ने पिछले दशको मे आर्थिक समृद्धि अर्जित कर ली है, उनकी बराबरी करने या उनसे भी आगे निकल जाने की व्यापक सम्भावनाएं भारत के अन्दर आ गयी है।

पिछले वर्षों मे आर्थिक प्रगति के सकेत से यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पादन हो या विदेशी मुद्रा भण्डार, बजटीय घाटे मे कमी हो या विदेशी कर्ज भार, निर्यात व्यापार हो या

भुगतान सन्तुलन की स्थिति, कृषि उत्पादन हो या औद्योगिक विकास, सभी क्षेत्रो मे स्पष्ट सुधार और प्रगति नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे भारत फिर एक बार गतिमान और विकास की ओर तीव्र गति से बढते हुए देश के रूप मे मान्यता प्राप्त कर रहा है और एक-एक करके कई विकसित देश व अन्य पूँजी निवेशक भारत मे पूँजी लगाने के लिये उत्सुक है। "इसका ताजा प्रमाण पेरिस मे विश्व बैक के तत्वाधान मे हुई भारत विकास मच की बैठक मे भारत को छः अरब डालर की स्वीकृति से मिलता है। यह मच भारत की तात्कालिक आवश्यकताओ को महगी ब्याजदर का ऋण देकर पूरा करता रहा है, लेकिन इस वर्ष के ऋण मे काफी मात्रा सस्ते ब्याज पर और दीर्घ अवधि के लिए दी गई है।"[1]

पिछडे पॉच वर्षों मे लागू किये गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने मे सक्षम सिद्ध हुआ है, बल्कि इनके कारण देश के अन्दर और बाहर भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता पुनः स्थापित हुई है। जून 1991 के समय भारत की जो स्थिति थी, वह यदि जारी रहती तो भारत आज न केवल आर्थिक विपन्नता की गहरी खाई मे गिर गया होता, बल्कि वह अगली शताब्दी मे ससार के सबसे गरीब देश के रूप मे प्रवेश करता। इसके विपरीत भारत आज अपने पैरो पर स्वाभिमान से सिर ऊँचा करके खडा है और उत्साहपूर्वक एक नए स्वर्णिम युग मे प्रवेश के लिए तैयार है।

आर्थिक उदारीकरण एव सरचनात्मक सुधार होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मे आर्थिक एव सामाजिक क्षेत्र मे गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा बैकिग एव वित्त के क्षेत्र मे नवीन क्राति का सचार हुआ है। सुदृढ मुद्रा एव पूँजी बाजार का विकास हुआ है तथा भुगतान सतुलन, विदेशी मुद्रा भडार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा निर्यातो मे भी महत्वपूर्ण सकारात्मक सुधार हुआ है। वैधानिक जटिलताओ तथा राजकीय नियमनो से मुक्ति मिल जाने के कारण उद्योग, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, बिजली एव वित्त के क्षेत्र मे निजी क्षेत्र एव विदेशी कम्पनियो की व्यापक सहभागिता निरतर बढती जा रही है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आधारभूत एव जनकल्याणाकारी कार्यों तक सीमित होती जा रही है। इसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाडी

---

1 योजना, 15 सितम्बर 1994, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०- 7

के रूप मे उभर रहा है।

भारत ने 1991 मे जब से अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण प्रारम्भ किया है तब से यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश और अन्य निजी पूँजी निवेशो मे लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन इसकी तुलना चीन से नही की जा सकती है, क्योकि वहाँ पर पूँजी का प्रवाह काफी अधिक है। भारत मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकाश प्रवाह बिजली एव ईधन के क्षेत्रो मे केन्द्रित है। लेकिन इधर यह प्रवाह दूरसचार एव बुनियादी ढाचे के क्षेत्रो मे भी बढा है। भारत मे निजी पूँजी का कुल प्रवाह 1990 मे 2 अरब 10 करोड डालर, 1991 मे एक अरब 90 करोड डालर, 1992 मे 2 अरब डालर, 1993 मे 3 अरब 50 करोड डालर, 1994 मे 5 अरब 50 करोड डालर तथा 1995 मे 4 अरब 40 करोड डालर रहा।

वर्तमान बजारोन्मुख रूझान, भूमडलीकरण और निजीकरण की ओर बढते कदमो, निजी पूँजी निवेश, ऊँचे शुल्को की दीवारो की कटाई-छटाई तथा व्यापार के मुक्त प्रवाह के अनेक सुखद और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। मूल उद्योगो मे पूँजीगत सामान और पूँजीपरक क्षेत्रो के साथ-साथ श्रम-प्रधान क्षेत्रो मे व्यापक पैमाने पर सुधारो का ही परिणाम है कि वर्ष 1994 मे निर्यात मे 20 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है। हमारा विदेशी मुद्रा-भडार लबालब भरा है। "दिसम्बर के मध्य मे लोकसभा को दी गई सूचना के अनुसार 1994 के अक्टूबर महीने के अत तक सोने और स्पेशल ड्राइग राइट सहित कुल लगभग 24 अरब डालर विदेशी मुद्रा भडार मे थे। 1993 मे यह राशि साढे 12 अरब डालर से कुछ अधिक थी। दूसरे शब्दो मे एक वर्ष के अल्पकाल मे विदेशी मुद्रा भडार लगभग दुगुना हो गया। विदेशी साख निर्धारण सगठनो ने हमारी ऋण साख का दर्जा बढा दिया है। 1994-95 के दौरान पाच अरब डालरो के आमद की सीमा निर्धारित की गई थी लेकिन यह सीमा दिसम्बर मे ही पार हो गई। प्राप्त सकेतो के अनुसार हर महीने होने वाली विदेशी मुद्रा की आमद मे से औसत से 40 प्रतिशत भाग प्रवासी भारतीयो की जमा-रकमो का, 30 प्रतिशत पोर्टफोलियो पूँजी निवेश का, 20 प्रतिशत बाहर धन जुटाने वाली भारतीय कपनियों का और 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का रहा है।"[1] भारत मे निजी पूँजी प्रवाह की वेगवती लहर

1 योजना, 30 अप्रैल 1995 सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०- 23

चल पडी है। जिसके फलस्वरूप ऋण पर निर्भरता कम होती चली जा रही है तथा ब्याज भी निरतर घटता चला जा रहा है। इस समय ऋणदाता हमारी ऋण भुगतान क्षमता के कायल हो गए है और भारत के प्रति उनके विश्वास का ग्राफ ऊँचा चला गया है।

भारत का व्यापार घाटा वर्ष 1995-96 के दौरान बढकर 4 54 अरब डालर (लगभग 15 750 करोड रूपये) तक पहुँच गया है जो पिछले वर्ष के घाटे से दो गुने से भी अधिक है। वर्ष 1994-95 मे व्यापार घाटा 2 03 अरब डालर (लगभग 7,100 करोड रूपये) रहा। वर्ष 1995-96 मे भारत का निर्यात 31 83 अरब डालर रहा, जो पिछले वर्ष के 26 22 अरब डालर निर्यात से 21 38 प्रतिशत अधिक है 1995-96 के लिए 18 से 20 प्रतिशत की निर्यात बढोत्तरी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन डालर के मद मे इसमे 21 38 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गयी है। मार्च 1996 मे व्यापार सन्तुलन भारत के पक्ष मे रहा है। इस अवधि मे आयात के मुकाबले निर्यात 8 2 करोड डालर अधिक रहा। मार्च 1996 मे निर्यात 349 56 करोड डालर तक पहुँच गया, जो किसी भी महीने होने वाला सबसे अधिक निर्यात है। पिछले वर्ष मार्च 1995 महीने मे 292 24 करोड डालर का निर्यात हुआ था। इसी प्रकार मार्च 1996 के दौरान 341 33 करोड डालर का आयात किया गया, जो मार्च 1995 मे किये गये 286 27 करोड डालर के मुकाबले 19 23 प्रतिशत अधिक है।

देश मे भुगतान सतुलन की स्थिति पूरे नियन्त्रण मे है। चालू वित्तीय वर्ष मे चालू व्यापार खाते पर घाटा 1 5 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर है, जिसे सामान्य पूँजी आमद से पूरा किया जा सकता है। वैसे 1 5 प्रतिशत का चालू व्यापार घाटा कई एशियाई देशो के आकडो की तुलना मे बेहतर स्थिति दर्शाता है। पिछले कुछ सालो मे विनिमय दर प्रणाली और व्यापार नीति मे किये गये परिवर्तनो का भारतीय निर्यात पर काफी अनुकूल असर पडा है। वर्ष 1991-92 मे जहाँ निर्यात दर मे 1 1 प्रतिशत की गिरावट दिख रही थी, वही पर वर्ष 1993-94 मे आकर डालर के हिसाब से 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करने लगी। चालू वर्ष (1995-96) मे अप्रैल से अक्टूबर के दौरान तो निर्यात मे 24 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि मे आयात मे भी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

''औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र मे 1991-92 मे 0 6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना मे 1992-93 मे 2 3 प्रतिशत तथा 1993-94 मे 6 0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 194-95 मे 9 0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना मे इस समय 1995-96 मे देश मे औद्योगिक विकास की दर 11 0 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। [1]

देश मे खाद्यान्न का भी पर्याप्त सुरक्षित भण्डार है। अनाज का सुरक्षित भण्डार जो अप्रैल 1993 मे 2 करोड टन था, वह बढकर अप्रैल 1994 मे 2 6 करोड टन तक पहुँच गया तथा मई 1995 मे 3 करोड 74 लाख टन आनाज भण्डारो मे जमा हो गया।

1991-92 मे 30 लाख रोजगारो का सृजन हुआ, वही पर 1994-95 मे यह सख्या बढकर 72 लाख हो गई। प्रति वर्ष नये-नये कार्यक्रमो को लागू करने से प्रगति की ओर बढ रहे कदमो की आहट साफ सुनाई देने लगी है। 1995 मे तो जन-जन से जुडे सुधारो की एक झडी सी लग गई है। इन सुधारो ने पिछडे, दलितो और गरीबी से अभिशप्त जीवन बसर करने वालो के अरमानो को जगाकर उनकी अधेरी गलियो-गलियारो मे आलोक की किरणे बिखेर दी है।

1991-92 के गम्भीर आर्थिक सकट के बावजूद आठवी योजना के प्रथम चार वर्षों मे 5 7 प्रतिशत की वृद्धि, 5 6 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से अधिक है। यह 1991 के आर्थिक सकट के बाद की असाधारण उपलब्धि है। पिछले चार वर्षों मे औसत विकास दर 5 7 प्रतिशत रही है। पिछले पॉच वर्षो मे लगातार प्रयास होने के बाद 1994-95 मे आर्थिक विकास दर 6 2 प्रतिशत पहुँच गयी है, जबकि 1991-92 मे यह मात्र एक प्रतिशत रही।

1990-91 मे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2 प्रतिशत था। वही पर 1991-92 मे सकल घरेलू उत्पादन मे वृद्धि की दर कम होकर 1 2 प्रतिशत तक आ गयी। 1992-93 मे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर बढकर 4 2 प्रतिशत हो गया तथा 1995-96 मे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से कुछ अधिक रही।

निर्यात के अपेक्षित स्तर तक न पहुँच पाने के बावजूद अब आयात-निर्यात का अन्तर बहुत कम हो गया है। निर्यात की धूम लगातार मची हुई है। अब अधिकतर आयात का मूल्य निर्यात से

1 उद्योग मन्त्रालय (नेशनल न्यूज सर्विस)

ही चुका दिया जाता हे। आयात-निर्यात शुल्को मे कमी से निर्यात व्यापार बढने के साथ-साथ विश्व-व्यापार मे भारत की हिस्सेदारी भी बढ जाने की आशा है। अधिकतर आयात निर्यात सम्वर्द्धन के लिए किया जाता है। 15 अप्रैल 1994 को मुराको मे विश्व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत मे उदारीकरण की हवा तेजी से बहने लगी है।

निर्यात के डालर मूल्य मे 1991-92 मे हुई वास्तविक गिरावट की तुलना मे 1993-94 मे हुई 20 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 1994-95 मे अप्रैल से जनवरी के दौरान डालर मूल्यो मे निर्यात मे लगभग 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। वही पर 1995-96 मे प्रथम तीन महीनो के बीच डालर मूल्य मे निर्यात वृद्धिदर 24 प्रतिशत बढा है। 1995-96 मे अप्रैल से फरवरी के दौरान आयात मे 29 7 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई, जबकि इससे पहले के वर्ष 1994-95 मे अप्रैल से फरवरी के बीच मे आयात 23 2 प्रतिशत की दर से बढा। भारत जैसे विशाल देश का विश्व व्यापार मे हिस्सा मात्र 0 65 प्रतिशत है। इस समय चालू वित्त वर्ष मे देश का आयात 30 प्रतिशत एव निर्यात 24 प्रतिशत की दर से बढ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप इस सदी के अत तक भारत का निर्यात 36 खरब रूपये तक पहुँच जाने की आशा है। नई आर्थिक नीति हमारी आत्मनिर्भरता को बढाया है और हमारे देश का निर्यात अब 90 प्रतिशत आयातो की वित्तीय व्यवस्था करते है जबकि नई आर्थिक नीति से पहले हमारे निर्यात केवल 60 प्रतिशत आयातो की वित्तीय व्यवस्था कर पाते थे।

"निर्यात-आयात को देश की प्रतिष्ठा, सम्मान भी कहते है, क्योकि देश को हमेशा बाहर विदेश से कुछ-न-कुछ सामग्री मगवानी पडती है। जैसे कि आज पेट्रोलियम, खनिज या तिलहन। ये दुनिया का दस्तूर है कि अपनी देश की कमी दूसरे देशो से खरीदकर पूरी किया जाय। इसके लिए विदेशी मुद्रा निर्यात से या देश का सोना और धन बेचकर, नही तो विश्व के कान्फ्रेन्स हाल मे जाकर हाथ फैलाकर अनुदान मॉगकर आयेगा। इसलिए देश का निर्यात, देश के सम्मान व प्रतिष्ठा से जुडा हुआ है। इसलिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए और प्रगति हासिल करने के लिए नयी उदारीकरण नीति ने निर्यात को विशेष सुविधाये दी है।

विश्व व्यापार मे भारत का हिस्सा

विश्व व्यापार मे भारत के योगदान का अनुमान निम्न ऑकडो से लगाया जा सकता है।

1950	2%
1995	0 56%

विश्व व्यापार मे 1995 मे भारत का हिस्सा करीब 0 56 प्रतिशत है। जबकि 1950 मे ये हिस्सा 2% था। यदि 1995 मे हमारा हिस्सा 2% रहता तो आज हमारा निर्यात करीब 3 32 लाख करोड रूपया होता लेकिन आज 1995 मे 82,000 करोड रूपया है। निर्यात आयात से बराबर कम रहा है। 1995 मे भी 7,000 करोड रूपये का व्यापार घाटा है। हलाकि 1990-91 के 11,000 करोड रूपये के अन्तर से स्थिति कही बेहतर है।

(रू० करोड)

व्यापार घाटा

आज भी विदेशी मुद्रा की हमारी कमायी का 35-36% विदेशियो को केवल सूद देने मे लग रहा है। लेकिन सरकार की नयी नीति ने कई सुधारो का दावा किया है, सीमा पैरा छूट, विशेष सहयोग, मूल सुविधाओ मे परिवर्तन जैसे- कारगो और ट्रॉसपोर्ट सेक्टर मे।

उदारीकरण कार्यक्रम के निर्यात पर प्रभाव का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि भारत का निर्यात जो 87-88 से बढ रहे थे पिछले 5 साल मे 91-92 से दुगने हो गये है। आज निर्यात से 90% आयात का खर्च अदा हो रहा है। 1990 मे ये 70% था। भारत का विदेशी मुद्रा कोष

8 2 महीने के आयात खर्च के लिये काफी है। तुलना मे चीन के 4 6 महीने के और साउथ कोरिया के 3 4 महीने के।

विदेशी मुद्रा रिजर्व

देश	आयात कवर (महीनो मे)
भारत	8 2
चीन	4 6
साउथ कोरिया	3 4

आज भारत का 78% निर्यात मैन्यूफैक्चर सामान का है, जिसमें लाभ 20 30% है। भारत का निर्यात दो गतिशील दिशाओ मे फैल रहा है। एक तो पारम्परिक क्षेत्रो के निर्माण मे बहुत मूल्य जोड करके उसका निर्यात शुरू है, जैसे कृषि एग्रो उत्पाद मे एक साल मे प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ का निर्यात बढा है 30%। उसी तरह चमडा उद्योग, जिसको बहुत फायदा हुआ है। जिसके अन्तर्गत निर्यात द्वारा कमायी हुई विदेशी मुद्रा निर्यातक स्वय इस्तेमाल मे ला रहा है। चमडा उद्योग मे 20% सालाना वृद्धि हुई है।"[1] आज यूरोप की मडियो मे पॉव जमा चुका है। हमारे निर्यात आयात पर ज्यादा निर्भर हो गये है। हमारा निर्यात बहुत तेजी से बढ रहा है। हम विश्व से अलग नही हो सकते। पिछल 5 साल मे देश के निर्यात दुगुने हुए है लेकिन उनके वृद्धि मे कई बाधाये है। पहली बाधा ये है कि नीति बदल गयी है लेकिन अभी भी वर्कशाप, दफ्तरो मे मानसिकता नही बदली है। अभी भी वहॉ पर देरी हो रही है। अभी भी भ्रष्टाचार का क्षेत्र बना हुआ है और दूसरी बाधा ये है कि मैचिग, बन्दरगाह, रेल के बैगन, एयरपोर्ट, सडके, बिजली, पानी, इनमे मूल सुविधाओ मे अभी भी बहुत कमी है।

"नई उदारीकरण नीति का हम और हमारे भविष्य पर प्रभाव पड रहा है। आज ढाई सौ साल बाद भारत मे विदेशी कम्पनियॉ आ रही है। उदारीकरण नीति के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ आकाश, धरती और समुद्र तीनो रास्तो से आ रही है। पिछले 5 साल मे 33,000 करोड रूपये की विदेशी पूॅजी भारत मे आ चुकी है। विदेशी कम्पनियॉ पश्चिमी प्रदेशो मे ज्यादा आ रही है। 1990 मे 2,500 कम्पनी थी जो 1995 मे 7,000 नयी कम्पनियॉ आ गयी। ऐसी कम्पनियॉ जिनमे विदेशी पूॅजी 51%

---

1 डी०डी०-1, टी०वी० प्रसारण, 16-10-95 सोमवार, 8PM से 8 30PM बजे तक, मेड इन इडिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न० 011-332-7161

या उससे अधिक है, कि सख्या मे पिछले पॉच वर्षो मे काफी वृद्धि हुई है।

100%	विदेशी या उनका शेयर
51%	से ज्यादा मेजोरटी शेयर उनका
1995-7,000	नयी कम्पनियॉ
1990-2,500	कम्पनी

भारत मे 1985-90 मे 600 करोड रूपया का विदेशी पूँजी था जो उदारीकरण के पश्चात 1991-95 के दौरान देश मे 33,000 करोड रूपये की विदेशी पूँजी भारत मे आयी।

भारत मे विदेशी पूँजी

1985-90	1991-95
600 करोड रूपया	33,000 करोड रूपया

मिल सेक्टर मे 1991 मे 11 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था जो बढकर 1995 मे 10 5 लाख रोजगार हो गया। देश के 90 करोड आबादी मे से 20-25 करोड लोग अपनी जरूरत को प्राथमिकता दे रहे है। हजारो करोड रूपये की उपभोक्ता सामान बाजार मे 20% सालाना की बढोत्तरी हो रही है। रगीन टी०वी०सेट का 20% बाजार पर कब्जा है। इसी प्रकार वाशिग मशीन 17%, रेफ्रीजरेटर 22%, कार 20%, स्कूटर 22% का बाजार का आकार है।

बाजार का आकार (1994 - 95)

रगीन टी०वी० सेट	20%
वाशिग मशीन	17%
रेफ्रीजरेटर	22%
कार	20%
स्कूटर	22%

घरेलू क्षेत्र में उदारीकरण

(i) **आयकर मे कमी:** वेतन भोगीयो को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए उदारीकरण कार्यक्रमो के अन्तर्गत आयकर मे भी धीरे-धीरे कमी लायी जा रही है। यह कमी इस प्रकार से

लायी जा रही है कि एक ओर तो करदाताओ को राहत मिल रही है, दूसरी ओर कुल कर वसूली मे लगातार वृद्धि हो रही है।

आय रू०	1990-91	1995-96
40,000	30%	0%
1,00,000	62-65%	30%

देश मे 90-91 मे, 40,000 रूपये पर 30% आयकर देना पडता था जो उदारीकरण पश्चात 95-96 मे 40,000 रूपये तक आयकर शून्य कर दिया गया। उसी प्रकार 1,00,000 रूपये तक 90-91 मे 62-65 आयकर देना पडता था जो 95-96 मे कम करके 30% कर दिया गया।

(11) **उत्पाद शुल्क मे कमी** उदारीकरण कार्यक्रमो के अन्तर्गत वस्तुओ, सेवाओ के मूल्यो मे कमी लाने के उद्‌देश्य से सरकार उत्पादन शुल्क मे भी यथासम्भव कमी लाने का प्रयास कर रही है। उदाहारण के लिए अन्य वस्तुओ के अलावा साफ्ट ड्रिक्स और कार पर उत्पाद शुल्क मे कमी लायी गयी है।

	पहले	अब
साफ्ट ड्रिक्स	50%	40%
कार	25%	20%

साफ्ट ड्रिक्स पर पहले 50% उत्पाद शुल्क लगता था जो अब कम करके 40% कर दिया गया है। उसी तरह कार पर पहले 25% उत्पाद शुल्क लिया जाता था जिसे कम करके 20% कर दिया गया। उत्पाद शुल्क मे कमी करने से हमारे वस्तुओ का मूल्य कम होगा, जिससे विदेशो मे अपने माल का निर्यात बढाने मे मदद मिलेगी।

भारत मे बचत

घरेलू	18%
कम्पनी	4%
सरकारी	2 5%

आजकल बढती महगाई एवं रूपये के गिरते मूल्य के कारण बचत हतोत्साहित हो रहा है। इसका सीधा असर बचत पर पड़ रहा है। बचत दर देश में बढ नही रहा है, बेशक घट रहा है और

खपत ज्यादा हो रहा है। देश मे घरेलू बचत 18% है, कम्पनियो का बचत 4% तथा सरकारी बचत 2 5% है। जहॉ बचत कम, वहॉ निवेश कहॉ। जहॉ निवेश नही, वहॉ लाभ और तरक्की कहॉ। जापान का औसत बचत दर 40% रहा है और चीन, कोरिया, थाईलैण्ड का 30-35% बचत दर रहा है। इसलिये वहॉ आर्थिक तरक्की हुई। हम समस्या के छोर पर खडे है। अगर हमारे देश की बचत न बढी तो हमारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है।" [1]

विश्व के हर व्यापार बाजार मे भारत मे बने सामान पर भरोसा बहुत बढ गया है। अगर इग्लैण्ड का नाम विश्व की सबसे बेहतरीन नारगी के साथ जुड सकता है, न्यूजीलैण्ड का नाम विश्व के सबसे अच्छी ऊन के साथ जुड सकता है, तो भारत का नाम आम से लेकर सबसे अच्छी सेटेलाइट तक आसानी से जुड सकता है। हमे ऐसा लगता है, उदारीकरण ने केवल दरवाजा खोल दिया है। अब भारत और प्रदेश की सरकारो को बाजार का विकास और मूलभूत सुविधाओ मे बहुत मदद करनी होगी। हमे ह्रास क्वालिटी सबसे कम दामो पर विश्व के बाजारो मे देनी होगी, तभी वहॉ माग व सम्मान होगा।

उपरोक्त अध्ययन करने से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मे विगत 5 वर्षों के दौरान मूलभूत परिवर्तन हुआ है। 5 वर्ष पूर्व जहॉ उद्योग एव व्यापार के क्षेत्र मे लाइसेस और कोटे द्वारा नियन्त्रण की व्यवस्था थी, वही आज उदारीकरण एव अतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। अब रूकावटे कम एव सुविधाए अधिक है। इन मूलभूत परिवर्तनो के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि भारतीय उद्योगो को अतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा योग्य बना कर देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया जा सके।

अब हम कुछ प्रमुख उद्योग के निर्यात पर उदारीकरण नीति के प्रभाव का अध्ययन करेगे।

1- उदारीकरण और कपड़ा उद्योगः भारतीय कपडो की बनावट रगरूप और उनकी योग्यता हमेशा से दूसरे देशो मे आकर्षण का केन्द्र रहा है। स्वतंत्रता के बाद, भारत के विदेश व्यापार मे कपडो की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पिछले 47 वर्षों मे वस्त्रो के निर्यात ने अनेक उतार

---

1 डी०डी०-1, टी०वी० प्रसारण, 20-11-95 सोमवार, 8PM से 8 30PM बजे तक, मेड इन इडिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न० 011-332-7161

चढाव देखा है, लेकिन अभी भी विदेशो मे भारत मे बने कपडो का आकर्षण कम नही हुआ है। जब से भारतीय अर्थव्यवस्था मे उदारीकरण और खुलेपन की प्रकिया चल रही है, उससे कपड़ा उद्योग भी लाभान्वित हुआ है। भारत के कुल निर्यात मे कपडा निर्यात का हिस्सा 38 प्रतिशत है तथा वस्त्र निर्यात से देश को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। 1991 से कपडो के निर्यात मे प्रभावशाली वृद्धि हो रही है। भारत से सिलेसिलाये वस्त्रो का करीब 30 प्रतिशत निर्यात द्विपक्षीय समझौते से बाहर के देशो को होता है। वर्तमान समय मे आस्ट्रेलिया मे भारतीय परिधानो का बाजार 226 करोड रूपये का है। इसमे 1995 के दौरान पिछले साल की तुलना मे 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूरोपीय देशो व अमेरिका मे सिलेसिलाये भारतीय परिधानो की माग तेजी से बढ रही है। इस वर्ष अमरीका को इनका निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले 40 प्रतिशत बढ जाने की सम्भावना है। "वर्ष 1991-92 मे कपडो का निर्यात 5 अरब 52 करोड 50 लाख डालर का था। वर्ष 1993-94 मे सभी कपडो का कुल निर्यात 7 अरब 97 करोड 50 लाख डालर का रहा जो कि वर्ष 1992-93 मे हुए 6 अरब 60 डालर के निर्यात की तुलना मे 20 8 प्रतिशत अधिक रहा। 1994-95 मे कुल मिलाकर 14 40 करोड रूपये के सिलेसिलाये कपड़ो का निर्यात किया गया। जबकि 1995-96 के प्रथम चार माह मे 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"[1]

2- **उदारीकरण और रत्न एवं आभूषणः** देश मे उदारीकरण के बाद रत्न एवं आभूषण के निर्यात मे लगातार वृद्धि हो रही है। 1990-91 मे 5,247 करोड़ रूपये का रत्न और आभूषण निर्यात किया गया। 1991-92 मे 6,750 करोड रूपये का रत्न और आभूषण का निर्यात हुआ। जबकि 1992-93 मे 8 896 करोड रूपये का निर्यात किया गया। उसके एक साल बाद यह राशि बढकर 1993-94 मे 12,533 करोड़ रूपये हो गयी और 1995-96 के प्रथम चार महीनो अप्रैल से जुलाई तक भारतीय रत्न और आभूषणो के निर्यात मे गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना मे 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3- **उदारीकरण और चावल निर्यातः** निर्यात की जा रही वस्तुओ मे कृषि फसलो का काफी बडा हिस्सा है। कृषि वस्तुओ का निर्यात लगातार बढ रहा है और इस तरह चावल ने 1990-91

1 योजना, 15 नवम्बर 1994, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०-15

तक निर्यात मे 462 करोड रूपये का योगदान दिया। 1991-92 मे वह बढकर 756 करोड रूपया हो गया। 1992-93 मे चावल का निर्यात 976 करोड रूपये तक पहुँच गया। 1993-94 मे चावल के निर्यात मे लगातार बढकर 1,287 करोड रूपये तक जा पहुँचा। चावल का निर्यात 1994-95 (अप्रैल-जुलाई) के 307 83 करोड रूपये के मूल्य से बढकर 1995-96 (अप्रैल-जुलाई) मे 891 71 करोड रूपये मूल्य का हो गया। विश्व मे भारत चावल का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। विश्व के कुल चावल निर्यात मे भारत का योगदान 15 प्रतिशत है। जहाँ तक बासमती चावल का सम्बन्ध है, यह कुल विश्व चावल व्याापर का केवल 7-8 प्रतिशत ही है। भारत ने सर्वोत्तम बासमती चावल के विश्व स्तर तथा निर्भर सप्लायर के रूप मे अपना नाम स्थापित किया है। वर्ष 1992-93 मे भारत ने 2 86 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया। वर्ष 1994-95 मे बासमती चावल का निर्यात 90 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4 6 लाख टन तक पहुँच गया। बासमती चावल के निर्यात को बढाने के बहुत भारी अवसर है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम बासमती के खपत वाले देशो मे उपभोक्ताओ के स्वाद एव रूचि को पहचाने गुणवत्ता, मूल्य, पैकेजिग आदि के बारे मे हमे अपने प्रतियोगी देश की बाजार नीतियो का भी अध्ययन करना चाहिए। बासमती चावल चूकि निर्यात की वस्तु है। इसलिये इसकी गुणवत्ता मे सुधार लाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4- **उदारीकरण और लघु उद्योग.** भारत मे उदारीकरण के बाद से लघु उद्योगो मे तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 1990-91 की तुलना मे वर्ष 1994-95 मे लघु उद्योग के विकास मे दो गुना वृद्धि हुई है। इस समय देश मे लघु उद्योगो की 26 लाख इकाइयॉ है और इस क्षेत्र मे 1 5 करोड लोगो को रोजगार मिला हुआ है तथा देश के कुल निर्यात मे लघु उद्योग का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है। ''लघु उद्योग क्षेत्र ने निर्यात के क्षेत्र मे काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 1992-93 मे 17,784 करोड रूपये मूल्य के निर्यात की तुलना मे 1993-94 मे 24,149 करोड़ रूपये मूल्य का निर्यात हुआ। देश के सीधे निर्यात मे इस क्षेत्र का वर्ष 1993-94 मे 34 5 प्रतिशत का योगदान रहा।"[1]

---

1 योजना, 30 अप्रैल 1995, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०-28

5- **उदारीकरण और सीमेट उद्योग.** उदार आर्थिक नीतियो के कारण भारतीय सीमेट उद्योग की लम्बे समय से चली आ रही गतिहीनता काफी हद तक समाप्त हो गयी है। लेकिन आज भी यह उद्योग अनेक प्रकार की सरचनात्मक एव बुनियादी समस्याओ के कारण वाछित विकास नही कर पा रहा है। आज हमारे देश मे 97 बडे और 252 छोटे सीमेट के कारखाने है, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 695 लाख टन वार्षिक है। 85-86 के बाद से सीमेट उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन दोनो मे वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप आज भारत सीमेट उत्पादन मे आत्मनिर्भर ही नही हो गया है, बल्कि उसने अतिरिक्त सीमेट का उत्पादन करके निर्यात भी शुरू कर दिया है। ''भारत ने वर्ष 1991-92 मे 3 3 लाख टन और 92-93 मे 10 2 लाख टन सीमेट का निर्यात किया। 1993-94 मे यह निर्यात बढकर 30 लाख टन पहुँच गया। वर्ष 1996-97 तक निर्यात का लक्ष्य 55 लाख टन तक रखा गया है। इस समय भारत जिन देशो को सीमेट निर्यात कर रहा है, उनमे बाग्लादेश, श्रीलका, नेपाल, फिलीपीन, मालद्वीप, थाइलैड आदि प्रमुख है।"[1] सीमेट कारखानो की माग के अनुसार अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति बढायी जानी चाहिए। साथ ही अपने निजी बिजली जनरेटर लगाने के लिए उन्हे आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिये। देश मे सीमेट की बढती माग तथा सीमेट निर्यात की सम्भावनाओ को देखते हुए इस दिशा मे हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये तथा इसके लिए वर्तमान सीमेट कारखानो की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना चाहिये और नये सीमेट कारखानो की स्थापना को बढावा देना चाहिये।

6- **उदारीकरण और कम्प्यूटर साफ्टवेयर इण्डस्ट्री:** देश मे आर्थिक उदारीकरण के बाद कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र पिछले 4 वर्षों से 57 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ रहा है। भारतीय कम्पनियो मे माल तैयार करने की प्रक्रिया मे वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियो द्वारा भारतीय कम्पनियो के रख-रखाव के लिए समझौते के कारण निर्यात मे वृद्धि हुयी है। ''एक्जिम बैक द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारतीय साफ्टवेयर उद्योग के विकास मे योग्य जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, अति-उन्नत तकनीक,आर्थिक उदारीकरण और साफ्टवेयर निर्यात कम्पनियो की गुणवत्ता सहायक रही है। लेकिन इसी अध्ययन मे इस उद्योग की कमी के बारे मे कहा गया है कि भारतीय

---

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 13 मई 1996, सोमवार, पृ०-6

निर्यातको द्वारा उत्पाद के विकास पर ध्यान, परियोजना प्रबन्ध का अभाव, कम उत्पादकता है। सबसे बडी बाधा तो यह है कि भारतीय योग्य जनशक्ति का उपयोग विदेशी बाजारो मे हो रहा है।"[1] इस इण्डस्ट्री मे पिछले 4 साल मे रोजगार तीन गुना बढ गयी।

इस समय पूरे विश्व की नजर अब भातीय कम्प्यूटर उद्योग पर टिकी हुई है। कम्प्यूटर के क्षेत्र मे देश मे असीम सभावनाए मौजूद है। कच्चे माल तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के साथ-साथ भारत मे कुशल तकनीकीविदो की भरमार है। भारत के वैज्ञानिको एव कुशल तकनीकी कर्मियो ने विदेशो मे अपने नाम के साथ-साथ भारत का नाम रोशन किया। एक समय भारत विज्ञान एव टेक्नालाजी के क्षेत्र मे विश्व का मार्गदर्शन करता था। आज समय आ गया है जब भारत को अपनी गौरवशाली परपरा एव विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए।

भरत का सॉफ्टवेयर निर्यात (1995-96) (प्रतिशत)

यू०एस०ए०	57%
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैड	3%
यूरोप	22%
दक्षिण पूर्वी एशिया	6%
जापान	4%
पश्चिमी एशिया	3%
शेष विश्व	5%
	100

स्रोत- नेशनल न्यूज सर्विस (एन०एन०एस)

भारत विश्व बाजार मे यू०एस०ए० को 57% साफ्टवेयर निर्यात करता है। उसी प्रकार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड को 3%, यूरोप 22%, दक्षिण पूर्वी एशिया 6%, जापान 4%, पश्चिमी एशिया 3% और शेष विश्व को 5% साफ्टवेयर निर्यात करता है।

7- **उदारीकरण और मनोरंजन उद्योगः** देश मे 1991 मे उदारीकरण लागू होने के बाद 5

1 आज, वाराणसी, 28 अगस्त 96 पृ-9

साल मे विडियो और फिल्म उद्योग, टी०वी० उद्योग मे काम करने वालो की सख्या 4 गुना बढ गयी है। मनोरजन उद्योग आयातित टेक्नालाजी इस्तेमाल कर रहा है।

8- **उदारीकरण और दूरसचार उद्योग.** "उदारीकरण के बाद करीब 2-3 लाख नौकरियॉ 'पेजर' के काम मे उभरी है। सन 2000 तक 25 लाख सेल्यूलर फोन उपलब्ध हो जायेगी। उदारीकरण मे जो निजीकरण शुरू हुआ है, उसी से दूरसचार सेवाये पैदा हुई है और इनमे पिछले तीन साल 4-5 लाख लोगो को नई नौकरियॉ मिली।"[1]

उदार आर्थिक नीतियो और तमाम सरकारी कोशिशो के बावजूद भारत के आयात-निर्यात मे सतुलन कायम नही किया जा सका है। सरकार द्वारा व्यापार सतुलन बनाने के लिए अब तक जितना भी प्रयास किया गया है, उनमे से अधिकाश सच से कोसो दूर रहा है। व्यापार घाटे मे लगातार हो रही बढोत्तरी के कारण सरकार को कई जरूरी वस्तुओ तक का निर्यात करना पड रहा है। इन तमाम इधर-उधर की कोशिश करने के उपरात भी भारतीय विदेशी व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव नही पडा है।

हमे अपने देश के विदेशी व्यापार का अध्ययन करने पर चलता है कि वर्ष 1990-91 मे भारत का कुल विदेशी व्यापार 75,746 करोड रूपये का था, जो कि 1991-92 मे बढकर 91,892 करोड रूपये का हो गया। वर्ष 1992-93 मे देश का विदेशी व्यापार 1,17,063 करोड रूपये का था और 1993-94 मे यह पुनः बढकर 1,42,850 करोड रूपये तक जा पहुँचा। वर्ष 1994-95 मे हमारा कुल विदेशी व्यापार 1,71,043 करोड रूपये का हो गया और अगले वर्ष बढकर 1995-96 मे भारत का कुल विदेशी व्यापार 2,28,112 करोड रूपये हो गया।

पिछले पॉच वर्षो मे देश का कुल विदेशी व्यापार दो गुने से भी अधिक का हो गया है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नही है कि यह सब भारत सरकार ने जो नयी आर्थिक नीति घोषित की थी, उसी के कारण सभव हुआ है। क्योकि इससे पहले भी प्रत्येक पॉच वर्ष के अन्तराल पर देश का विदेशी व्यापार लगभग दो गुना होता रहा है। इसलिए इस बढ रहे विदेशी व्यापार को नयी

---

1 डी०डी०-1, टी०वी० प्रसारण, 20-11-95 सोमवार, 8PM से 8 30PM बजे तक, मेड इन इडिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न० 011-332-7161

आर्थिक नीति के चश्मे से देखना उचित नही है। वैसे तो विकास की एक स्वतः रफ्तार होती है और वह विकास से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के मसले पर अपना असर डालती है, इसी तरह विदेशी व्यापार के साथ भी हो रहा है। उसमे आर्थिक उदारवाद, निजीकरण भूमडलीयकरण को बढा-चढाकर पेश करना पूरी तरह सही नही है।

धुआधार आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बावजूद भारत सरकार विदेशी व्याापार घाटे को कम करने मे असफल रही है, जिससे पता चलता है कि हमारी विदेशी व्यापार नीति मे, तदर्थवाद का सहारा लिया जा रहा है, जबकि आवश्यकता ठोस तथा दीर्घकालीक योजना बनाकर अमल करने की है।

1990 के बाद से अर्थव्यवस्था मे खुलेपन तथा उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है। जिसका सकारात्मक परिणाम भी आना शुरू हो गया है। भारत मे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याए अति विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसलिए आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से इनके पूर्ण एव यथाशीघ्र समाधान की उम्मीद करना गलत है। आर्थिक उदारीकरण के साथ सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया जैसे-जैसे तीव्र होती जाती है, वैसे-वैसे ही जीवन स्तर, रोजगार तथा गरीबी निवारण में सुधार होता जाता है तथा अन्त मे सभी समस्याओ का उपयुक्त समाधान भी हो सकता है। पॉच वर्ष बीत जाने के बाद भी आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमो के प्रति अनिश्चितता, भय तथा आशका की स्थिति बनी हुई है। इन सभी के पीछे मूल कारण निश्चित पारदर्शी उदारीकरण कार्यक्रम का न होना, दृढ राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा उदारीकरण से शीघ्र एव व्यापाक लाभो की उम्मीद करना है। पॉच वर्षों के बाद भी अर्थव्यवस्था मे उदारीकरण कार्यक्रमो के प्रति अनिश्चितता बनी हुई है, फिर भी इस दिशा की प्रगति चारो ओर दिखाई देता है। बढता हुआ विदेशी विनियोग, निर्यातो मे वृद्धि, विदेशी मुद्रा भडार मे वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में गतिशीलता आदि।

विदेशी मुद्रा का सुरक्षित भण्डार मार्च 1987 मे 592 4 करोड डालर था, जो घटते-घटते मार्च, 1991 मे आधे से भी कम केवल 223 6 करोड डालर रह गया था। लेकिन मार्च 1993 मे यह 643 4 करोड डालर और मई 1994 मे 1,547 6 करोड डालर हो गया। विदेशी मुद्रा भण्डार मे 21.6 प्रतिशत की कमी आयी है। यह मार्च 1995 के 20.8 अरब डालर के मुकाबले

जनवरी 1996 के अत तक केवल 16 3 अरब डालर रह गया है। इस अवधि मे विदेशी सस्थागत निवेशको, यूरो इश्यू और अनिवासी भारतीयो की जमा के माध्यम से भारत मे पहले की तुलना मे कम विदेशी मुद्रा आयी।

पिछले चार वर्षो मे आर्थिक नीतियो मे जिस तरीके से परिवर्तन किया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र मे अपनिवेश के साथ निजी क्षेत्र मे विदेशी कम्पनियो की भागीदारी को प्रवेश दिया गया है, उससे अर्थव्यवस्था मे गतिशीलता आयी है तथा विश्व स्तर पर भारत की एक नयी छवि उभरी है। यदि आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमो से फिर एक बार पीछे हटा जाता है या सार्वजनिक उपक्रम तथा लाइसेस-कोटा-परमिट-राज पर पुनः बल दिया जाता है तो बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दुष्चक्र के ऐसे जाल मे फस सकता है, जहॉ से बाहर निकलने का सभी रास्ता बन्द नजर आता है तथा जिस पर चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था कही की न रह पायेगी।

उदारीकरण के बाद गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रा स्फीति, विदेशी कर्ज, राजकोषीय घाटा, तथा कृषि के क्षेत्र मे यद्यपि कोई विशेष सुधार नही हुआ है तथा आर्थिक परिवर्तन को लेकर अर्थव्यवस्था मे भय एव अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, फिर भी यह भय काल्पनिक, अल्पकालीन एव ढुलमुल राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम माना जा सकता है।

भारत के कुल आयात मे सिर्फ खनिज तेल पदार्थों पर ही तकरीबन 40 प्रतिशत राशि चुकानी पडती है। इसके अलावा उर्वरक, अलौह धातु, मशीन और कलपुर्जे, दवा तथा औषधि सामग्री और कृत्रिम रेशे इत्यादि पर भी भारी मात्रा मे धनराशि खर्च करनी पड़ती है, और तो और कृषि प्रधान देश होने पर भी भारत मे खाद्य तेल पर भी अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नवीनतम जानकारी के अनुसार इस समय भारत मे आयातित खाद्य तेल की माग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इससे बेखबर है। आयातित खाद्य तेल मे सबसे ज्यादा माग पामोलिन तेल की है। इस समय पामोलिन तेल आयात करने वाले देशो मे भारत का स्थान तीसरा है। पाकिस्तान का स्थान पहला तथा चीन का स्थान दूसरा है। जनवरी 1996 से मार्च 1996 के बीच देश मे 17 हजार टन खाद्य तेल का आयात किया गया था, जिसमे से 13 हजार 700 टन अकेले पामोलिन तेल का आयात किया गया। इस समय भारत मे खाद्य तेलो की प्रति व्यक्ति खपत 5 6 प्रति किलो

से बढकर 8 9 किलो प्रति व्यक्ति हो गयी है, जिसमे और वृद्धि होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार को शीघ्र ही तिलहन उत्पादन मे वृद्धि करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करनी चाहिए, अन्यथा देश को सबसे अधिक राशि सिर्फ तेल सामग्री को ही आयात करने पर खर्च करनी पडेगी, क्योकि खनिज तेल की खपत भी लगातार बढती जा रही है। "इस समय भारत तकरीबन 190 देशो को 7500 से भी अधिक वस्तुओ का निर्यात कर रहा है और लगभग 140 देशो से 6,000 से भी ज्यादा वस्तुओ का आयात कर रहा है। वर्ष 1990-91 मे भारत ने कुल 32,553 करोड रूपये की वस्तुओ का निर्यात किया था और 82,338 करोड रूपये की वस्तुओ का आयात किया था। वित्तीय वर्ष 1991-92 मे देश ने 44,042 करोड रूपये मूल्य की वस्तुओ का आयात किया था। 1992-93 मे निर्यात से 53,688 करोड रूपये प्राप्त हुए थे, जबकि आयात पर 63,375 करोड रूपये देना पडा था। वर्ष 1993-94 मे भारत से 69,748 करोड रूपये की वस्तुओ का निर्यात हुआ और इसी अवधि मे 73,101 करोड रूपये की वस्तुओ का आयात भी किया गया। इसके एक वर्ष बाद 1994-95 मे भारत से 82,338 करोड रूपये का निर्यात तथा 88,705 करोड रूपये का आयात किया गया। उस साल हमारा व्यापारिक घाटा 6,367 करोड रूपये का रहा, जो कि इससे पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना मे दो गुने के आस पास है। वर्ष 1995-96 मे भारत से 1,06,465 करोड रूपये की वस्तुओ का निर्यात किया गया और इसी अवधि मे 1,21,647 करोड रूपये की वस्तुओ का आयात भी किया गया। इस साल हमारा व्यापारिक घाटा 15,182 करोड रूपये का रहा, जो कि इससे पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना मे दुगुने से ज्यादा है।"[1]

पिछले पॉच वर्षों मे निर्यात की जाने वाली वस्तुओ मे विविधता लगातार बढी है तथा साथ ही साथ निर्यात मे भी वृद्धि हुई है। मगर इसकी तुलना मे हमारा आयात अनुपात कुछ ज्यादा ही तेज गति से बढा है। आयात किये हुए माल के प्रति हमारी माग मे जो तेजी आयी है, उससे सरकार पर कई प्रकार का अनावश्यक दबाव पडा है। जिसकी वजह से हमे न चाहकर भी महगी तथा गैर जरूरी वस्तुओ का आयात करना पड रहा है। भारत को मोती, कीमती और कम कीमती पत्थरो के आयात पर वर्ष 1994-95 मे 2,688 करोड रूपये खर्च करना पड़ा था। आयात किये जाने

---

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, बुद्धवार, 5 जनू 1996, पृ-6

वाली वस्तुओ मे देश को सबसे अधिक धनराशि पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादो पर अदा करनी पडती है ''निवर्तमान प्रधानमत्री श्री नरसिह राव ने आर्थिक उदारीकरण के प्रति बचनबद्धता की बात कही है। इनके अनुसार, भारत जैसे बडे लोकतात्रिक देश के लिए आर्थिक सुधार का रास्ता बहुत आसान नही है लेकिन चालू आर्थिक सुधार कार्यक्रम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिनसे पीछे हटने का कोई प्रश्न नही है।"[1]

''गुट निरपेक्ष देशो एव अन्य विकासशील देशो के श्रममत्रियो के पाचवे सम्मेलन मे बोलते हुए पूर्व वित्त मत्री डा० मनमोहन सिह ने कहा है कि सरकार न केवल आर्थिक सुधारो को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि अपने वादे के अनुसार यह भी सुनिश्चत कर रही है कि इन सुधारो का बोझ कमजोर वर्गों पर नही पडे। आर्थिक सुधारो के लिए उठाए हर कदम का मूल उद्देश्य मानवीय पहलू का ध्यान रखकर समायोजन करना है। सरकार का यह कदम निश्चय ही स्वागत योग्य है, फिर भी जनता की व्यापक सहभागिता तथा धैर्य एव उदारीकरण की तीव्र गति वाछनीय है।"[2] राजनीतिक स्थिरता, शाति और गतिशील अर्थव्यवस्था के कारण भारत ने अपनी कोई साख फिर से प्राप्त कर ली है। भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे मे अविश्वास का स्थान विश्वास ने, अस्थिरता का स्थान स्थिरता ने और भय का स्थान साहस ने ले लिया है। वर्तमान समय मे विश्व के सभी देश भारत मे पूँजी लगाने के लिए इच्छुक ही नही, बल्कि उसके लिए कडी प्रतियोगिता कर रहे है। ''अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई गणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है। अमरीका, जापान, चीन, जर्मनी और फ्रास के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। वर्ष 2020 तक भारत दुनिया की चौथी बडी आर्थिक शक्ति बन जायेगा।"[3]

---

1 योजना, 31 मार्च 1995,सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ-4
2 योजना, 31 मार्च 1995, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ-4,
3 योजना, 31 जुलाई 1994, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ-6,

अध्याय- VIII

निर्यात सम्वर्द्धन में बाधायें एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव

निर्यात सम्वर्द्धन में बाधायें एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अपने निर्यात बढाने का हर सम्भव प्रयास किया है लेकिन फिर भी वाछित उपलब्धि प्राप्त नही हो सकी है और व्यापार सन्तुलन दो वर्षों 1972-73 और 1976-77 को छोडकर सदा ही भारत के विपरीत रहा है। विभिन्न योजना अवधि के दौनान भारतीय निर्यात का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि देश ने निर्यात लाभ को बढा लिया है, परम्परागत निर्यात के जटिलता को अपरम्परागत मूल्य जोड उत्पाद मे बदल दिया है, अपने बाजार को विस्त्रित कर लिया है और समपूर्ण व्यापार मे विस्तार किया है, लेकिन इन प्राप्तियो के बावजूद निर्यात क्षेत्र कुछ सीमाओ और कमियो से जूझ रहा है। इन कमियो के कारण विश्व व्यापार मे भारत का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता गया और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भारत की स्थिति अच्छी नही है। निम्न निर्यात क्षमता, सीमित बाजार क्षमता और निर्यात उत्पादन तथा विपणन मे प्रतिस्पर्धा की कमी महसूस की गयी है।

भारत में निर्यात के सम्वर्द्धन मे कई बाधाये है, जो निम्न है-

1- **ऊँचे लागत मूल्य तथा वस्तुओ का निम्न स्तरः** "अधिकाश भारतीय वस्तुओ की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण उनका विक्रय मूल्य अधिक होता है, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे उचित स्थान प्राप्त नही कर पाती है। अतः भारत सरकार को कई वस्तुओ के निर्यात मे हानि के लिए सहायता देनी पड़ती है।"[1] यद्यपि इससे निर्यातको को तो क्षतिपूर्ति हो जाती है, पर दीर्घकाल मे ये सुविधाएँ अच्छे निर्यात व्यापार की सूचक नही है। निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओ की गुणवत्ता निम्न होती है, जिससे उनको विदेशी प्रतिस्पर्द्धा मे खडे रह पाना कठिन हो जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद के निरन्तर बढते मूल्यो के कारण अर्थव्यवस्था मे स्फीति की दर लगातार बढ़ती

1 डा० चतुर्भुज मेमोरिया एव डा० एस०सी० जैन- भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1986, पृ० -29

जा रही है। परिणामस्वरूप हमारे निर्यात विदेशो मे लगातार महगे होते जा रहे है।

2- **देश मे ही वस्तुओ की बढती हुई घरेलू माग.** देश मे निर्यात उसी समय बढाया जा सकता है जब हमारे पास निर्यात के लिए अतिरेक हो, किन्तु कठिनाई यह है कि देश मे बढती हुई आन्तरिक माग के कारण हम निर्यात के लिए अतिरेक का निर्माण नही कर पाते। बढती हुई घरेलू माग का कारण बढती हुई जनसख्या है। जनसख्या वृद्धि के कारण ही कृषि प्रधान देश होने पर भी खाद्यान्न का निर्यात करना सम्भव नही हो सका है। यद्यपि हाल के वर्षो मे खाद्यान्न निर्यात की सम्भावना बन रही है और इस दिशा मे सरकार उचित कदम भी उठा रही है।

3- **माल की पूर्ति में कठिनाइयॉ** पिछले वर्षों मे तथा वर्तमान मे भी पूर्ति की निरन्तरता को बनाये रखने मे देश मे काफी कठिनाई हो रही है। इसमे बिजली और परिवहन सबसे बडी बाधा है, जिसके कारण उत्पादन मे रूकावट हुई है तथा हम निर्यात नही बढा पाये है।

4- **समुद्र पार का शोषण विहीन सुअवसर.** अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कभी भी स्थिर नही रहा है, बल्कि परीक्षण, फैशन तथा तकनीक मे लगातार परिवर्तन होता रहा है। ऐसी परिस्थिति मे भारतीय निर्यातको को बाजार उपस्थिति और नये बाजार को उत्पन्न करने के लिए जल्द परिवर्तन करना चाहिये ताकि उत्पादन की बाहरी माग के सम्बन्ध मे उत्पाद बढाया जा सके। जब भी आवश्यक हो नयी क्षमताओ का विस्तार और उत्पत्ति तथा उद्योग मे बड़े रोजगार के सुअवसर तथा अपनी क्षमता का उपयोग करके विदेशी मांग की पूर्ति करना चाहिये तीसरे देशो मे विपणन के लिए बड़े सुअवसर प्राप्त है। मुख्यतः ओ०पी०ई०सी० देशो मे और अन्य अफ्रिकी एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशो मे।

दुर्भाग्य से, भारतीय निर्यात घर बहुत ही कम समुद्र पार शाखाओ से जुडे है। जापानी घर और व्यापारी औद्योगिक घर, यू०के०, नीदरलैण्ड, यू०एस०ए० और पश्चिमी यूरोप के घर के अन्तर्गत कई सुविधापूर्वक शाखाये खोली गयी है। आधुनिक बाजार गुप्तचर सफलता प्राप्त करने के लिये चुने गये है। हमारे उत्पाद के लिये विदेशी बाजार मे सदैव कई सुअवसर है।

5- **विदेशी प्रतियोगिताः** कुछ निर्यात वस्तुओ पर अन्य पूर्ति कर्ताओ के द्वारा प्रतियोगिता इतनी

बढ गयी है कि भारतीय निर्यातक को इन मालो के निश्चित मात्रा मे बेचने पर भी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। जूट निर्माणकर्ता मे बाग्लादेश से प्रतियोगिता, सूती कपडे और माल मे जापान और चीन से प्रतियोगिता और चाय मे इन्डोनेशिया और सिलाग से। प्रतियोगिता वे कारण है, जो इन वस्तुओ को विदेशी बाजार मे बहुत कम कर देते है। ये देश केवल मूल प्रतियोगिता ही नही बल्कि गुण प्रतियोगिता भी प्रदान करते है। बाग्लादेश ने जूट के मालो के लिये हमारे बाजार मे अच्छी स्थिति बना ली है।

6- **अन्य देशो की सरक्षणवादी नीतियॉ** कई देशो ने प्रभेदकविहीन सरक्षण नीतियॉ अपनायी है जैसे-प्रभेदक लाइसेसिग अभ्यास इत्यादि। उदाहरण के लिए ई०ई०सी० देशो मे, जूट, चमडे के सामान, निर्मित कपडे, नारियल की जटा उत्पाद, चाय और काफी, तम्बाकू, वनस्पति तेल इत्यादि के अधिक मात्रा मे आयात पर रूकावट लागू किये गये है। चीनी और अन्य कृषि उत्पाद के लिए लाइसेसिग मे भी रोक लगा है। इसी तरह उच्च आयात-निर्यात शुल्क ने भारत से नये मशीन और साइकिल के निर्यात मे रूकावट पैदा कर दी है। आस्ट्रेलिया मे बिजली के मशीनो पर आयात-निर्यात कर 50 प्रतिशत तक ऊँची है, सूती कपडो पर 49 प्रतिशत, चप्पलो इत्यादि पर 40 प्रतिशत आदि ऊँचे कर लागू किये जाते है। यहॉ तक कि यू०एस०ए० मे भी कुछ कपडो के निर्यात पर 23 प्रतिशत, चमड़े के माल पर लगभग 17 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। इन देशो मे ऐसे उच्च आयात कर हमारे देश के निर्यात व्यापार को प्रभावित करता है।

7- **प्रचार की कमीः** भारतीय वस्तुओ के बारे मे विदेशो मे विज्ञापन एव प्रचार बहुत ही कम है, जिसके फलस्वरूप निर्यात हमारी आशा के अनुरूप नही बढ पाया है।

8- **भारतीय व्यापारियों की नीतियॉ** भारतीय व्यापारियो द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियॉ भी निर्यात वृद्धि मे रूकावट पैदा करती है जैसे-भारतीय व्यापारी नमूने के अनुरूप माल नही भेजते है, जिसके फलस्वरूप करोडो रूपये का माल वापस ही नही लौट आता बल्कि देश की प्रतिष्ठा मे गिरावट आ जाती है।

9- **सीमित बाजारः** भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की मात्रा सीमित है तथा उनका बाजार भी सीमित है। ''यदि किसी प्रकार विदेशी बाजार मे भारतीय वस्तु की मांग कम हो जाती

है तो हमारे निर्यात स्वतः ही कम हो जाते है। जैसे-भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय का लगभग 2/3 भाग ब्रिटेन खरीदता है। इसी प्रकार काजू के निर्यात का 3/4 भाग केवल सयुक्त राज्य अमेरिका खरीदता है।

भारत के निर्यात मे परम्परागत निर्यातो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इन वस्तुओ की माग विदेशो मे कम होती है तो भारतीय निर्यात स्वतः ही प्रभावित हो जाता है।"[1]

10- **विश्व व्यापार मे घटता हिस्साः** पिछले वर्षो के दौरान आर्थिक विकास द्वारा प्राप्त औद्योगीकरण का स्तर भारत के निर्यात क्षमता से ही पता चलता है कि इस आर्थिक शक्ति के आधार पर देश के निर्यात का ज्यादातर हिस्सा गैर परम्परागत निर्यात या प्राथमिक तथा कृषि आधारित वस्तुओ के स्थान पर निर्मित उत्पाद का होना है। पिछले पॉच वर्षों के दौरान जहॉ विश्व निर्यात औसत दर पर डालर मे 6% बढा है, वही पर हमारी निर्यात दर मे विकास केवल 2 3% ही बढा है। विश्व व्यापार मे भारत का हिस्सा 1951 मे 2 3% से घटकर 1994 मे 0 5% तक आ गया। भारत का यह थोड़ा हिस्सा पिछले छः वर्षों से है। भारत का निर्यात विश्व के निर्यात मे हिस्सा नही बना पाया है।

11- **प्रतियोगिता में निम्न स्थानः** वर्तमान वर्षों मे देश द्वारा किये गये विभिन्न उपायो के बावजूद विकासशील देशों में प्रतियोगिता मे भारत काफी पीछे हो गया है। प्रतियोगिता ज्ञात करने के लिए विश्व आर्थिक समिति द्वारा लागू सूची मे 1992 में भारत 11वे स्थान पर था तथा 1991 मे 10वे स्थान पर रहा। स्थान ज्ञात करने का स्तर निम्न चीजो पर आधारित होता है-

A घरेलू आर्थिक शक्ति

B अन्तर्राष्ट्रीयकरण

C सरकार

D वित्त

E अन्तः सरचना

F प्रबधन

---

1 मेमोरिया एव जैन- भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1986, पृ० -30

G विज्ञान और तकनीक

तालिका 8.1ः प्रतियोगिता मे भारत का स्थान (1992)

अन्तिम स्थान	देश	A	B	C	D	E	F	G
1-	सिगापुर	1	1	1	1	1	1	2
2-	ताईवान	3	3	4	7	6	3	1
3-	हागकाग	5	2	3	2	3	2	4
4-	मलेशिया	6	5	2	3	5	4	6
5-	कोरिया	2	6	6	8	2	5	3
6-	थाइलैण्ड	4	4	5	6	12	6	7
7-	मैक्सिको	9	7	7	5	8	8	10
8-	द० अफ्रीका	12	10	10	4	7	7	5
9-	वेनेजुएला	11	8	9	9	9	9	11
10-	इडोनेशिया	7	13	8	12	11	12	9
11-	भारत	8	14	11	11	13	11	12
12-	ब्राजील	13	12	14	10	4	10	14
13-	हगरी	14	9	12	14	10	14	8
14-	पाकिस्तान	10	11	13	13	14	13	13

वर्ल्ड कम्पेटीटिवनेस रिपोर्ट 1992, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम

स्रोत- डा०एम०एल० वर्मा- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिग हाउस प्रा०लि० नई दिल्ली, 1996, पृ० -133

12- **जी०डी०पी० में निर्यात का निम्न हिस्साः** निर्यात मे प्राथमिकता का स्थान कभी भी नही दिया गया। वर्तमान मे ये प्राथमिकता देश के आर्थिक विकास को चालू रखने के लिए दिया गया। भारतीय निर्यात जापान, सिगापुर, हागकाग आदि जैसे निर्यात चलित विकास देशो की तुलना मे विकास चलित निर्यात अर्थिकी पर आधारित है। यह भारत के जी०डी०पी० मे निम्न हिस्से का कारण है। नीचे दिये गये निम्न तालिका से कुछ विकासशील देशो के निर्यात जी०डी०पी० के अनुपात का तुलनात्मक चित्र का पता चलता है-

तालिका - 8.2ः चुने हुए विकासशील देशो के सकल घरेलू उत्पाद के निर्यात का अनुपात

देश	1985	1992
मलेशिया	49 3	79 0
थाईलैण्ड	18 7	32 4
इडोनेशिया	21 6	28 2
दक्षिण कोरिया	36 0	28 0
श्री लंका	20 1	30 0
पाकिस्तान	9 2	23 5
फिलीपाइन्स	15.4	22 5
चीन	9 4	18 6
बाग्लादेश	7 1	9 2
नेपाल	7 5	8 2
भारत	4 1	8 0

स्रोत- यूनाइटेड नेशन बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक, इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड, इण्टरनेशनल फाइनेन्शियल स्टैटिस्टिक एण्ड वर्ल्ड बैक

"कुछ एन०आई०सी० का हिस्सा फिर भी ऊँचा है। यह हागकाग के लिए 137% तथा सिगापुर के लिए 190% है। कुछ अवधि मे कुछ विकासशील देशो की निर्यात अच्छी रही। 1992 मे भारत के 18 विलियन की तुलना में थाईलैण्ड का 23 विलियन, मलेशिया का 29 विलियन, दक्षिण कोरिया का 65 विलियन तथा चीन का 85 विलियन निर्यात रहा।"[1]

13- **निर्माणकर्ता-निर्यातक स्थान मे गिरावटः** भारत निर्माण के निर्यात मे विकासशील देशो में काफी पीछे है। यू०एन०सी०टी०ए०डी० अध्ययन के अनुसार 1970 मे विकासशील देशो मे भारत तीसरे स्थान पर था, केवल हांगकाग और ताइवान के बाद। 1980 मे भारत निर्माण के निर्यात मे 8 वे स्थान पर पहुँच गया और 1988 मे यह 10 वे स्थान पर पहुँच गया। इन वर्षों के दौरान भारत द्वारा महसूस की गयी गिरावट की अपेक्षाकृति अन्य विकासशील देशो ने अपने स्थान मे विकास किया है।

1 डा० एम०एल० वर्मा- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिग हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली, 1996, पृ० -131

तालिका 8.3ः विकासशील देशो मे भारत का स्थान (निर्यातित निर्माणकर्ता)

मूल्य-मिलियन यू०एस० डालर

देश/ क्षेत्र	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान	मूल्य	स्थान
	1988		1980		1970	
कोरियागणतन्त्र	56,431 5	1	15,622 3	2	634 9	6
चीन का सूबाताइवान	55,486 2	2	17,428 6	1	1,082 3	2
सिगापुर	27,553 7	3	9,048 4	4	427 7	7
हागकाग	26,596 6	4	13,079 3	3	1,949 3	1
चीन	21,994 9	5	8,680 0	5	1,019 0	4
ब्राजील	17,261 9	6	7,491 9	6	362 5	10
मैक्सिको	10,392 9	7	1,839 2	11	391 3	9
यूगोस्लाविया	9,849 6	8	6,533 0	7	1,001 5	5
मलेशिया	9,196 9	9	2,426 7	9	110 4 1	4
भारत	8,604 5	10	4,404 3	8	1,040 2	3
थाईलैण्ड	8,032 7	11	1,604 1	12	32 2	26
तुर्की	7,491 9	12	782 0	16	52.6	21
इन्डोनेशिया	5,622 9	13	500 6	21	12 2	31
पाकिस्तान	2,960 5	14	1,247 2	13	397 6	8
अर्जेन्टिना	2,888.7	15	1,856.4	10	245 9	11
फिलीपीन्स	2,274 2	16	1,213 2	14	79 2	16
मिस्र	2,016.2	17	333 5	25	206 6	12
मोरोक्को	1,807 1	18	565.1	18	47 2	22
ट्यूनीसिया	1,617.5	19	797 8	15	34.9	19
कोलम्बिया	1,207 1	20	775 1	17	58 7	19
इक्वाडोर	1,024.5	21	74 3	33	3 3	34
बाग्लादेश	988.0	22	500 8	20	170.0	13
श्री लका	689 7	23	193 5	28	4 7	32
मारीशस	623 6	24	115 0	32	1 2	35
चीली	620 9	25	416 8	23	53 3	20

(अकटाड सेक्रेट्रीयेट) **स्रोत**- डा० एम०एल० वर्मा- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिग हाउस प्रा०लि० नई दिल्ली, 1996, पृ० 134

कोरिया गणतन्त्र ने 1970 मे 6 स्थान से 1980 मे 2 स्थान पर तथा 1988 मे 1 स्थान पर विकास किया। ब्राजील 1970 के 10वे स्थान से 1980 मे 6वे स्थान पर पहुॅच गया और 1988 तक इसी स्थान पर रहा। इन्ही वर्षों के दौरान सिगापुर ने 7वे स्थान से तीसरे स्थान तक विकास किया है। मलेशिया, थाईलैण्ड और इन्डोनेशिया ने अपने स्थान के विकास मे अच्छा स्थान प्राप्त किया है। जहॉ इन्डोनेशिया ने 31वे से 13वे स्थान पर पहुॅच गया है वही पर थाईलैण्ड ने 1970-88 मे 26वे से 11वे स्थान पर पहुॅच गया। वही दूसरी ओर भारत तीसरे स्थान से 10वे स्थान पर पहुॅच गया। उपर्युक्त बातो से यह पता चलता है कि भारत अन्य देशो मे अच्छे विकास दर, तकनीकी विकास मे तथा औद्योगिकीकरण मे अपना स्थान नही बना पाया है।

14- **उच्च मूल्य और कम उत्पादन.** अर्थव्यवस्था का निर्माण क्षेत्र बडे उपयोग क्षमता से ग्रसित है, मुख्यतः निम्न तथा मध्य स्तर उद्योगो मे जो कि भारत के निर्यात मे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये उद्योग अच्छे प्रकार के कच्चे माल की उपस्थिति तथा ज्यादा मात्रा मे सही साख व्यवस्था और तकनीकी की परेशानियो से ग्रसित है। इन कारणो से उत्पादन का मूल्य बढता है जो कि विश्व बाजार मे प्रतियोगिता को प्रभावित करता है।

विद्युत शक्ति तथा दूर सचार जैसी सुविधा अपूर्ण है। विश्व बैक सूचना के अनुसार भारत से निर्यात का मूल्य औसत प्रतियोगी एशियन देशो से 33% की वृद्धि हुई है। यहॉ तक कि उत्तरी भारत से जहाज के आन्तरिक विस्थापन मे भी 10 से 25 दिन लगता है। सही प्रकार की सुविधा से इस अवधि को घटाया जा सकता है।

15- **खराब रख-रखाव व्यवस्था** भारत में रख-रखाव व्यवस्था का मूल्य यू०एस०ए० तथा जापान की अपेक्षाकृत 80% ज्यादा है। सही सड़क व्यवस्था, वेयरहाउस, बिक्री तथा दूरसंचार तथा अन्य के आधार पर भारत मे प्रति कार्यकर्ता उत्पादन यू०एस०ए० तथा जापान की अपेक्षाकृति 20% घट गयी है।

16- **अनुचित उत्पाद-बाजार दूरी:** भारतीय निर्यात विकास की एक कमी अनुचित उत्पाद तथा सीमित बाजार क्षमता है। निर्यात उत्पाद और बाजार की पूर्ण धारा का अभी तक उपयोग नही किया गया है। यह सत्य कुछ प्रमुख निर्यात क्षेत्र के उदाहरण से पता चल सकता है। भारत जवाहर तथा आभूषण का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी निर्यात योग्यता 1993-94 मे रु० 12,000 करोड

था। कटे तथा पालिस किये हीरे इस समूह के कुल निर्यात का 90 प्रतिशत है। निर्यात उत्पाद मुख्यतः हीरा विश्व मे आभूषण निर्यात उद्योग के लिए कच्चा माल है। अन्य वस्तुओ की धारा मुख्यतः बहुमूल्य धातु, आभूषण, रगीन हीरे पत्थर और चॉदी आभूषण को अच्छी तरह नही शुरू किया गया है। जवाहर और आभूषण के लिए मुख्य बाजार का 80% हिस्सा यू०एस०ए०, जापान तथा बेल्जियम देश का है।

निर्मित कपडा एक अन्य प्रमुख निर्यात क्षेत्र है जो कि विदेशी विनिमय मे रु० 5,000 करोड़ सालाना पैदा करता है। दो वस्तुएँ जो कि निर्यात के मुख्य भाग है, वे शर्ट और ब्लाऊज है। फैशन वस्त्रो, औद्योगिक कपडो के विस्त्रित दूरी और गुण की निर्यात धारा चालू नही हुई है। बाजार के विषय मे इस क्षेत्र के निर्यात मे यू०एस०ए० तथा यूरोपियन समूह प्रमुख देश है।

समुद्री उत्पाद निर्यात का 1993 मे रु० 2,000 करोड के निर्यात मे केवल समुद्री केकडे का निर्यात ही कुल विदेशी विनिमय का 3/4 भाग है और अन्य वाणिज्यिक मछलियो के अच्छी धारा को अभी शुरू नही किया गया है। बाजार मे यू०एस०ए० तथा जापान का सयुक्त हिस्सा 80% है। फल और सब्जियो या खनिजो तथा अयस्को का सम्बन्ध इससे अलग नही है। फलो मे आम विदेशी विनिमय मे मुख्य हिस्से के लिए केवल एक सबसे बड़ी वस्तु है। मध्य पूर्व तथा यू०के० इसके मुख्य बाजार है। सब्जियो मे प्याज निर्यात का एक मुख्य वस्तु है। इसके मुख्य बाजार बाग्लादेश तथा नेपाल हैं। यही दिशा कई अन्य निर्यात उत्पादो के लिए भी लागू होती है।

17- **शोकयुक्त विदेशी सीधा व्यय:** अन्य विकासशील देशो द्वारा विदेशी व्यय को औद्योगीकरण सम्वर्द्धन के लिए मोटर की तरह तथा आर्थिक विकास के लिए इंन्जिन की तरह उपयोग किया जाता है। एशिया के विकासशील देश मुख्यतः चीन, मलेशिया, हागकाग सिगापुर, इन्डोनेशिया तथा अन्य देशो में विदेशी व्यय को निर्यात सम्वर्द्धन के लिए बहुत पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। इन देशो ने बड़ी मात्रा मे एफ०डी०आई० को आकर्षित किया है। 1990 के पहले भारत उन 10 विकासशील देशो में नही था, जो कि पूरे तीसरे विश्व के अन्तः व्यय का 2/3 भाग के लिये जिम्मेदार है।

1991 मे जब कई विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था खोलने लगे तो ऐसे देशो में विदेशी सीधा व्यय को जिन्होने यह क्रिया पहले ही शुरू कर दिया था, उनको ज्यादा गति प्राप्त हुई। 1992

के प्राप्त गणना के अनुसार चीन मे विदेशी व्यय 11 बिलियन, मलेशिया मे 10 बिलियन और इन्डोनेशिया मे 8 बिलियन डालर था। इन देशो मे आन्तरिक व्यय की तुलना मे भारत मे एफ०डी०आई० 1 बिलियन था। 1980 तथा 1970 के दशक के दौरान वार्षिक औसत आन्तरिक व्यय प्रथम 10 विकासशील देशो का निम्न तालिका मे दिया गया है।

तालिका- 8.4ः दश बड़े विकासशील देशो का विदेशी सीधा निवेश का औसत वार्षिक आयात

बिलियन यू०एस० डालर

मेजबान देश	1970	मेजबान देश	1980-90
1- ब्राजील	1 3	सिगापुर	2 3
2- मैक्सिको	0 6	मैक्सिको	1 9
3- मलेशिया	0 3	ब्राजील	1 8
4- नाइजीरिया	0 3	चीन	1 7
5- सिगापुर	0 3	हागकाग	1 1
6- मिस्र	0 3	मलेशिया	1 1
7- इन्डोनेशिया	0.2	मिस्र	0 9
8- हागकांग	0.1	अरजेन्टिना	0 7
9- इरान	0.1	थाईलैण्ड	0 7
10- उरूगुवे	0.1	ताइवान	0 5
कुल विकासशील देश आयात का हिस्सा (प्रतिशत)	66 0		68 0

यूनाइटेड नेसन्स, वर्ल्ड इनवेस्टमेन्ट रिपोर्ट 1992

स्रोत- डा० एम०एल० वर्मा०- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिग हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली, 1996, पृ०- 138

18- **उछाल/ केन्द्रीय दृष्टिः** 7वी योजना के दौरान 15 उत्पाद समूह और 37 बाजारो को उछाल क्षेत्र और बाजार की तरह माना गया। 8वी योजना के शुरूआत मे 34 'अति आवश्यक दृष्टि उत्पाद' को पहचाना गया ताकि इनका निर्यात सम्वर्द्धन कार्य लागू किया जा सके। अत्यधिक मालो और अत्यधिक उत्पादो के उछाल या अत्यावश्यक दृष्टि के कारण ये कार्यक्रम धूमिल हो गये।

जापान का अनुभव निर्यात उछाल के सम्बन्ध मे एक अच्छा उदाहरण देता है। 40वी दशक मे जापान ने वस्त्र के निर्यात विकास पर जोर दिया और आगे के वर्षों मे स्टील पर जोर दिया और जापान विश्व मे एक अग्रणी देश बन गया। 60वी दशक के दौरान गुण विकास पर ध्यान दिया गया और जापानी माल गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। 1970 मे मोटर उद्योग पर ध्यान देने के कारण जापान ने कार और अन्य गाडियो के निर्यात मे महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। 1980 मे जापान को विद्युत उपकरण के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस समय जापान रसायनो, दवाओ, जहाज और उपग्रहो के मूल्य जोड पर विशेष जोर दे रहा है। इस प्रकार का विकास हमारे देश मे नही है।

जापान मे निर्यात सम्वर्द्धन और विकास के लिए सीमित चुनिन्दा उत्पादो और क्षेत्रो के अलावा समय-समय पर कठिन परिश्रम, नियम, लगन और सहायक नीतियो ने विकास के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान की है। देश के निर्यात क्षमता के विभिन्न स्तर पर विकास के लिए सरकार द्वारा निर्यात के नियमो का पालन करना चाहिए।

वर्तमान उदारीकरण नीति ने काफी हद तक नीति निर्माण के क्षेत्र मे सरकार और उद्योग तथा व्यापार के बीच सम्बन्ध बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य और उद्योग के चैम्बर, व्यापार समिति और उद्योग तथा व्यापार का अगुवा के प्रतिनिधि को नीति कार्यक्रम मे हिस्सा प्रदान किया है।

19- **अपूर्ण खोज और विकासः** गुण बढ़ावा और मूल्य कमी से विश्व बाजार मे प्रतियोगी बनने मे खोज और विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह लाभपूर्वक औजार तकनीक और विपणन में लागू होता है। जी०एन०पी० के हिस्से के रूप मे खोज और विकास पर हमारा खर्च 1988-89 मे 0 96% से 1993-94 मे 0 83% घट गया। विज्ञान और तकनीक विभाग द्वारा खोज और विकास पर एक सूचना के अनुसार तकनीक के आयात के सम्बन्ध मे खर्च अनुमान से ज्यादा था। 1991-92 मे जी०एन०पी० के 0 2 प्रतिशत पर देश मे खोज और विकास पर खर्च का अनुमान लगाया। दक्षिण कोरिया जैसा देश जो वर्तमान मे आर० और डी० योजना पर 2% खर्च कर रहा है और वह अगले 5 वर्षों मे खर्च बढाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कोरिया और ताइवान की तुलना मे आर० और डी० मे प्रति मिलियन वैज्ञानिको और तकनीकी मे भारत 10

को कार्य पर लगाता है। सिगापुर की तुलना मे 6, मैकिसको की तुलना मे आधा और इन्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड की तुलना मे इससे भी कम।

20- **निर्यात उत्पत्तिः** देश ने लम्बे समय तक नियन्त्रण, नियम, और उद्योगो की तगी तथा शासन पद्धति तरीका के कार्य का सामना किया है। यहॉ तक कि सरचना सुधार के अलावा सरकारी मशीन को बदलना कठिन है जब तक कि विभिन्न विभागो की भूमिका को निकाला नही जाता है। बडे स्तर पर नियन्त्रण और लाइसेन्स प्रदान किया गया है और अप्रशासनिक तरीके से अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे निर्णय लेने की छूट की आवश्यकता है।

विकास और सम्वर्द्धन पर ध्यान देने वाली निर्यात सम्वर्द्धन प्राधिकरण या वाणिज्यिक क्रियाओ मे व्यस्त क्षेत्रीय सगठन का अपना कार्यभार सौपने का अधिकार अपूर्ण है। इन प्राधिकरण में व्यक्तिगत पहुँच और कार्य की कमी है। आर्थिक उदारीकरण के फल को चखने के लिए राज्य क्षेत्र निगम, निर्यात सम्वर्द्धन समिति, निम्न उद्योगो तथा निर्यात निगमो को व्यक्तिगत रूप से वाणिज्यिक रेखा की तरफ बढना जरूरी है।

21- **योग्यता की कमीः** भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे प्रतियोगी देशो द्वारा व्यूह रचना मे उत्पादन आर० और डी० तथा विपणन योग्यता मे कमी है। 1993 मे विश्व विख्यात अवरोधो के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विस्तार ने निम्न तथा मध्य आकार के कम्पनियो को परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि ये इकाईयाँ सही व्यवस्था तथा नियन्त्रण के लिए अच्छे क्षेत्र प्रदान करती है। यह महसूस किया जा रहा है कि अन्तर्राट्रीय व्यापार की जटिलता को बड़े की तुलना मे निम्न तथा मध्य आकार के कम्पनियों को दे देना चाहिए।

फिर भी यह सुनिश्चित नहीं होता है कि इन परिवर्तनों के बावजूद भी निम्न स्तर की इकाईयों को लाभ प्राप्त होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये छोटी इकाइयॉ हैं और विकसित देशो मे एस०एम०ई० की तुलना मे हमारे बड़े स्तरीय उद्योग छोटे है। यू०एस०ए० मे छोटा व्यापार उसे कहते है जो कि 500 से कम व्यक्तियो को रोजगार प्रदान करे तथा जिसका वार्षिक लाभ 14 मिलियन डालर हो। सचमुच यू०एस०ए० का 90% व्यापार इस भाग मे आता है। जो कि कुल रोजगार तथा नौकरी के 66% के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह पश्चिम यूरोप मे भी व्यापार इकाईयाँ है। हमको

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्रिया मे लचीलापन तथा स्वतत्रता की आवश्यकता है ताकि बदलती नीति, अनुभव तथा विपणन व्यूह रचना के अनुसार हम ढल सके।

22- **अनिश्चित घटनाओं पर यथासम्भव नियन्त्रण:** एक अनुमान के अनुसार अप्रैल 97 की ट्रक मालिको के हड़ताल के कारण आयात-निर्यात व्यापार पर लगभग 600 करोड़ रूपया प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था।[1] यदि इस प्रकार के हडतालो को यथासम्भव न होने दिया जाय तो निश्चित ही हमारा निर्यात अधिक होगा।

<u>उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त</u>

I "वर्तमान समय मे निर्यात ऋण पर देश मे 13 से 17 प्रतिशत के बीच ब्याज लिया जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औसत ब्याज दर सात से आठ प्रतिशत के बीच चल रही है। यहाँ तक की मलेशिया जैसे देश मे ब्याज दर मात्र चार प्रतिशत है। यद्यपि विभिन्न रियायतो के द्वारा निर्यातको को क्षतिपूर्ति दी जाती है, परन्तु फिर भी वे रियायते बहुत कम है।

II बैको मे जरूरत के मुताबिक धन उपलब्ध नही हो पाता है। ऊँची शुल्क दरो के चलते जरूरी कच्चा माल महगा होने से देश का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रतिस्पर्धी नही रहा पाता है।

III निर्यातकों को 90 दिन से ज्यादा का रियायती कर्ज देने पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई रोक से भारतीय निर्यात माल विदेशी बाजार मे पिटने लगेगा।[2]

IV बांग्लादेश को रवाना होने वाला बेशुमार माल 15 से 20 दिन तक सड़कों पर पड़ा इतजार करता रहता है। इसी तरह बंदरगाह और जहाजो की उचित सुविधाओ के अभाव मे अमेरिका और कनाडा को जानेवाला निर्यात भी अटका पड़ा रहता है।

V "अगर श्रमिक विवाद और ढाचागत दिक्कते निर्यात उद्योगो के आडे नही आती तो भारत का अनुमानित व्यापार घाटा पाँच अरब डालर की बजाए सिर्फ दो अरब डालर के

---

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 6-4-97
2 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22-12-1995, पृ० -12

बराबर होता। विभिन्न समस्याओ के कारण निर्यात उद्योगो को चालू वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान 3 2 अरब डालर का घाटा हुआ है।"[1]

VI पेट्रोलियम पदार्थों के दामो मे वृद्धि से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे निर्यातको को काफी दिक्कतो का सामना करना पडेगा। डीजल के दामो मे 15 प्रतिशत वृद्धि से निर्यातको को अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने मे जहॉ रेल और ट्रक का अधिक भाडा अदा करना पडेगा। वही पानी के जहाज से भेजे जाने वाले सामान के भाडे मे भी बढोत्तरी से निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

VII "भारतीय बन्दरगाहो की स्थिति ठीक नही है, ज्यादातर बन्दरगाह क्षमता से अधिक काम कर रहे है। भारतीय बन्दरगाहो पर भार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशत 55 से 65 फीसदी के मुकाबले 120 से 135 फीसदी तक भार है। जहाजो के ठहरने और दोबारा जाने का औसत समय चार से दस दिन है जो कभी-कभी 60 दिन तक पहुॅच जाता है। जबकि विश्व के अन्य बन्दरगाहों पर सामान्य तौर पर 6 से 48 घटे लगते है।

भारतीय बन्दरगाह औसतन प्रतिदिन 10 से 12 कंटेनरो की व्यवस्था करते है जबकि दक्षिण एशिया के बन्दरगाहो मे यह औसत 20 से 30 कटेनरो का है। भारत में आयातित कार्गों के प्रचालन की लागत 500 से 520 डालर है, जबकि दक्षिण एशिया के अन्य बन्दरगाहों पर यह लागत 300 से 350 डालर आती है। सबसे ऊपर भारत मे कस्टम स्वीकृति की लागत 120 से 200 डालर प्रति बाक्स है जबकि अमेरिका मे यह केवल 50 से 100 डालर है।"[2]

"देश के विभिन्न बन्दरगाहों पर रुके माल से निर्यातको को दोहरी समस्या का सामना करना पड रहा है। हाल ही मे विश्व बैंक द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि बन्दरगाह पर माल छुडाने मे देरी से निर्यातको पर 875 करोड रूपये का बोझ पड़ा है। देरी से माल छुडाने का भुगतान विदेशी मुद्रा मे करना पडता है। भारत का सबसे

---

1 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22-12-95, पृ० -12

2 दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 मई 1996, पृ०- 9

बड़ा कन्टेनर पोर्ट भी कोलम्बो और कराची पोर्ट से कन्टेनर ट्रेफिक मे अभी पीछे है। भारतीय बन्दरगाहो पर पोर्ट का व्यय भी पड़ोसी देशो जैसे चीन, बाग्लादेश, श्रीलका, थाईलैण्ड और सिगापुर की तुलना मे काफी अधिक है।"[1]

VIII निर्यात को प्रोत्साहित करने मे सरकारी नियम बाधक है। भारतीय निर्यातको के सामने मैट, उच्च दर पर निर्यात साख, आधारभूत सुविधाए एक बड़ी बाधा के रूप मे सामने है। इसके कारण भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा का सही तरीके से सामना नही कर पा रहे है। सुप्रिम कोर्ट के आदेशानुसार मात्र दिल्ली जैसे शहर मे 168 उत्पादन इकाइयो को प्रदूषण फैलाने के कारण बन्द करने का आदेश दिया गया।[2] निश्चित ही इन इकाइयो के द्वारा किया जाने वाला निर्यात बन्द हो जायेगा। यदि इन इकाइयो को बन्द करने के बजाय उन्हे प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने को बाध्य किया जाता तो निश्चित ही सॉप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती।

IX भारतीय विदेश व्यापार सस्थान के डीन प्रोफेसर वी० रामचन्द्रैया के अनुसार "देश मे विदेशी बाजारो मे उत्पाद के विपणन की समुचित शिक्षा का अभाव है। भारत के व्यापार मे विपणन की समस्याए तो है ही साथ ही आधारभूत सुविधाओ का भी अभाव है। बन्दरगाहो और एयरपोर्ट पर भण्डारण की सुविधा, विद्युत, यातायात, संचार तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक भावनाओ का विकास अभी अधूरा है। भारत मे निर्यात सम्बन्धी कागजी कार्यवाई में भी देरी होती है जिससे निर्यात मे बाधा उत्पन्न होती है।"[3]

X "भारत में सुविधाओ का अभाव व्यापारियो की राह मे बाधा है। पश्चिम देशो के टूर आपरेटरों ने बुनियादी और आधारभूत सुविधाओ के अभाव के लिए भारत सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत सरकार आधारभूत सुविधाए मुहैया कराने मे विफल रही है और इस वजह से उसे व्यापार से हाथ धोना पड़ रहा है। भारत में आधारभूत सुविधाओ के अभाव की वजह से व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई देशो की ओर

---

1 आज (वाराणसी) २६ अगस्त 1996, पृ०- 8
2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 10-7-96
3 आज (वाराणसी), 26 अगस्त 1996, पृ०- 8

आकर्षित हो रहे है। इन देशो की अर्थव्यवस्था मे तेजी से वृद्धि हो रही है। दक्षिणी देशो के टूर आपरेटरो का मानना है कि भारत के शहरो मे स्वच्छ पेयजल और यातायात सुविधाओ का अभाव है। इसके अलावा भारतीय शहरो मे होटल का किराया भी काफी अधिक है। हेमबर्ग स्थित इस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक्स रिसर्च के डा० कार्ल वोल्फगेग के एक अध्ययन रिपोर्ट मे कहा गया है कि व्यापारी अक्सर अचानक यात्रा की योजना बनाते है और वे इस यात्रा से अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते है। ये व्यापारी चाहते है कि उन्हे हर तरह की सुविधाए मुहैया कराई जाए। वे अपनी कपनियो से भी लगातार सम्पर्क कायम रखना चाहते है। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात और दूरसंचार की बेहतर सुविधा आवश्यक है। जर्मन के एक व्यापारी के अनुसार-भारत के शहरो मे आधारभूत सुविधाओ का अभाव है। इन शहरो मे प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य खराब होने का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा नौकरशाही भी विदेशी व्यापारियो के काम काज मे बाधा डालते है।"[1]

XI फूल निर्यात भारत के लिए नया व्यापार है और जिसमें अत्याधिक वृद्धि की सम्भावना है यूरोपीयन कमीशन द्वारा भारतीय फूल व्यापार पर 20% कर लगाया गया है जबकि अन्य विकासशील देश इससे मुक्त है।[2] यदि इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जा सके तो निश्चित ही हमारा निर्यात पहले की तुलना मे बेहतर हो सकता है।

निराकरण हेतु सुझाव

निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें निम्न लिखित दिशाओ मे प्रयत्न करना चाहिये।

1- उत्पादन में वृद्धिः भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्यॉ में वृद्धि हो रही है, निर्यात अतिरेक उसी समय सम्भव है जब उन वस्तुओ का उत्पादन बढ़ाया जाय जिनकी घरेलू और विदेशों मे विस्तृत माग है। जब तक उतपादन नही बढाया जाता, निर्यात अतिरेक सम्भव नही है। इस दृष्टि से विदेशी माग एवं निर्यात योग्य वस्तुओ के उत्पादन मे घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।

1 जनसत्ता, नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1997, पृ०- 9
2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 31-10-96

2- **घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्धः** "कुछ वस्तुओ को निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एव अन्य तरीको से घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह त्याग आवश्यक है"[1]

3- **अधिक प्रचारः** भारत सरकार व व्यापारियो को विदेशो मे भारतीय वस्तुओ का विज्ञापन एव प्रचार करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर वस्तु की माग उत्पन्न हो सके और उसको पूरा कर निर्यात को बढाया जा सके।

4- **वस्तुओं की लागतो मे कमी तथा वस्तुओ की किस्म मे सुधारः** निर्माताओ को वस्तुओ की लागतो मे कमी करनी चाहिए जिससे कि वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय लागतो पर तैयार हो सके और प्रतियोगिता मे सफलता प्राप्त कर सके। "विदेशो मे राजनीतिक बाधाएँ, मुद्रा सकट, रूचि एव फैशन मे परिवर्तन तथा अन्य आर्थिक समस्याओ के कारण हमारे निर्यात व्यापार मे स्थायित्त्व तथा गतिशीलता का अभाव रहा है तथा हमें विदेशो से कड़ी प्रतियोगिता का समाना करना पडा है।"[2]

विदेशों मे प्रतिस्पर्द्धा से मुकाबला करने के लिए भारतीय निर्माताओ को अपनी-अपनी वस्तुओ की किस्मो, पैकिग व डिजाइनो मे सुधार करना चाहिए तथा किस्म नियन्त्रण पर विशेष ध्यान रखनी चाहिये जिससे कि विदेशियों को अपनी आशाओ के अनुरूप वस्तु मिल सके।

5- **निर्यात उद्योगों की वित्तीय सहायताः** विश्व बाजार मे भारत को औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशो के साथ समान स्तर पर प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इन देशों के बड़े पैमाने के उद्योगो की लागत भारत की तुलना में कम होती है और कुछ मामलो मे उनकी वस्तुएँ भी श्रेष्ठ होती है। भारत अपने निर्मित माल का निर्यात उसी समय बढ़ा सकता है जब कुछ चुनी हुई ऐसी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की जाय जिनके निर्यात की प्रबल एव भारी पैमाने की सम्भावनाये है। इन उद्योगो को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

6- **कच्चे माल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्धताः** निर्यात वस्तुओं के मूल्यो को प्रतिस्पर्धात्मक

---

1 डा० जे० प्रकाश एव डा० वी०सी० सिन्हा- भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एव यातायात, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९८३ऋ पृ०- 438

2 डा० जी०सी० सिघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1993, पृ०- 484

स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यातित उद्योगो को आयातित कच्चे माल आदि को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो पर उपलब्ध कराया जाय।

7- **मूल्यों में स्थिरताः** निर्यात मे सुव्यवस्थित ढग से वृद्धि करने के लिए मूल्यो मे स्थिरता लाना आवश्यक है। जब तक आन्तरिक लागत मूल्य स्तरो को काफी सीमा तक कम नही किया जायेगा तब तक निर्यातको की वास्तविक प्राप्तियो मे कमी रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि निर्यातको से प्राप्त साधनो का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग देश मे बेची जाने वाली वस्तुओ के उत्पादन के लिए किया जाता रहेगा।

8- **क्षमता में वृद्धिः** निर्यात क्षेत्रो की पहचान होने के बाद यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या निर्यातो की माग पूरी करने के लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त है? किसी भी वस्तु का निर्यात उसके घरेलू उत्पादन तथा घरेलू माग पूरी होने पर बचे हुए अतिरेक पर निर्भर रहता है। अतः उत्पादन क्षमता का होना निर्यात के लिए पूर्व शर्त है। अतः जब तक उत्पादन क्षमता नही बढायी जाती हमारे निर्यातो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस दृष्टि से निजी एव सार्वजानिक क्षेत्र दोनो मे उचित विनियोग नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

9- **कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धिः** निर्यात मे वृद्धि करने के लिए मुख्य कच्चे मालो की भावी मांग को ध्यान मे रख कर उनकी मात्राओ का अनुमान लगाया जाना चाहिए और उनकी निरन्तर उपलब्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे निर्यात करने वालो की यह एक बड़ी शिकायत रही है कि उन्हें आवश्यकतानुसार कच्चा माल प्राप्त नही हो पाता। अतः कच्चे माल का ठीक प्रबन्ध करना आवश्यक है।

10- **उद्योग और सरकार के बीच सहयोगः** निर्यात सम्भावनाओ का पूरा प्रयोग करने के लिए उद्योगो तथा सरकार के बीच काफी सहयोग और तालमेल का होना भी जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को जिनमे भारी पूँजी लगी हुई है, निर्यात वृद्धि की दिशा मे सार्थक भूमिका निभाने योग्य बनाया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच निर्यात के मामले मे प्रतिस्पर्धा का मौका न आने दिया जाय।

11- **नवीन तकनीक और तकनीक हस्तान्तरण.** कोई देश किन वस्तुओ का निर्यात कर सकता है यह प्राकृतिक साधनो की मात्रा एव प्रकार के साथ-साथ तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। पुरानी व रूढ़िवादी तकनीको के साथ काम करते हुए किसी भी देश के लिए विश्व व्यापार मे अपना स्थान बनाये रखना सम्भव नही है। हम पुरानी व परम्परागत तकनीको का ही उपयोग कर रहे है जिसके कारण आज हमारी ऊँची लागत वाली घटिया किस्म की वस्तुएँ विश्व बाजार मे आधुनिक तकनीको द्वारा उत्पादित क्षेष्ठ किस्म की सस्ती वस्तुओ के साथ मुकाबला नही कर पा रही है। अतः यदि हमे विदेशो मे अपनी वस्तुओ के लिए बाजारो का विकास करना है तो यह आवश्यक है कि हम उत्पादन की आधुनिक तकनीको को अपनाएँ।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया सरकार और भारतीय ऊन मिल्स सघ के बीच 11 सितम्बर 1996 को एक समझौता हुआ है, जिसके अन्तर्गत ऊन उत्पादन की आस्ट्रेलियन तकनीक भारतीय ऊन मिलो को हस्तान्तरित की जायेगी।[1] निश्चित ही इस प्रकार के समझौतो से भारत मे बेहतर किस्म की ऊन निर्यात होगा।

12- **निर्यात-आयात नीति में स्थिरताः** निर्यातो मे वृद्धि करने के लिए हमारी निर्यात-आयात नीति मे गतिशीलता आनी चाहिए। प्रतिवर्ष के आधार पर इन नीतियो का निर्माण करने से दीर्घकालीन निर्यात सौदे करने मे अनिश्चितता पैदा होती है तथा छोटे निर्यातको को इससे विशेष कठिनाई होती है, अतः तीन या चार वर्ष की अवधि के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए तथा इस अवधि मे परिवर्तन न्यूनतम होना चाहिए।

13- **निर्यात प्रोत्साहनों को अधिक युक्तिसंगत बनानाः** सरकार द्वारा दिये जाने वाले निर्यात प्रोत्साहनो को इस प्रकार तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए कि उद्यमी लागत मे कमी कर सके तथा उत्पादन में सुधार कर अपने माल को विदेशी बाजार मे प्रतियोगिता के योग्य बना सके। सरकारी कानून मे इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि निर्यात-लाभ को आयात कर से मुक्त किया जा सके अथवा उसमे अधिक से अधिक छूट दी जा सके। अन्य प्रोत्साहनो मे विदेशो से कच्चे माल का आयात, वित्तीय सुविधाएँ, तटकरो मे कटौती, अनावश्यक विलम्ब की समाप्ति आदि

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 20-9-96

को शामिल किया जा सकता है।

14- **निर्यात की सम्भावनाओं का उपयोगः** भारत को हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादो को विकसित करना चाहिए क्योकि विदेशो मे इनकी माग बढा रही है। इसी प्रकार इस्पात, सीमेण्ट, इलेक्ट्रानिक्स और इजीनियरिग वस्तुओ के निर्यात का भी विस्तृत क्षेत्र है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत पश्चिमी एशियाई देशो को निर्यात करने की लाभजनक स्थिति मे है। साथ ही पूर्वी यूरोप के देशो मे भी निर्यात की काफी गुन्जाइश है।

15- **सरकार द्वारा निर्यातों का सुव्यवस्थित नियोजनः** सरकार को दीर्घकालीन नियोजन मे निर्यातो एव उससे सम्बन्धित उद्योगो मे विनियोग करने की नीति का समावेश करना चाहिए एव निर्यात-नियोजन एव इसके कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होना चाहिए। विदेशो मे विपणन सस्थानो का निर्माण भी करना चाहिए। निर्यातो की दीर्घकालीन योजना बनाते समय विभिन्न निर्यात क्षेत्रो की सही पहचान की जानी चाहिए तथा अनेक निर्यात बढाये जाने की नीति निर्धारित होना चाहिए ताकि हम यह जान सके कि कृषि, वन सम्पदा, पशुधन, निर्माण उद्योग आदि मे क्या उत्पादन क्षमता है।

16- **श्रम-गहन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन.** विकसित देशो मे श्रम-लागत इतनी अधिक है कि ये देश पूँजी प्रधान वस्तुओ के उत्पादन की ओर झुक रहे है। अतः इन देशो मे श्रम प्रधान वस्तुओं का अच्छा बाजार है। इसे दृष्टि में रखते हुए अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशो मे श्रम-गहन तकनीक से निर्मित इंजीनियरिग वस्तुओ के निर्यात के अच्छे अवसर है। हमे इन देशो से अधिमान की सामान्य प्रणाली का लाभ भी मिल सकता है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशो के निर्मित माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

17- **निर्यात में विविधताः** भारत के लिए निर्यात मे विविधता और नई मण्डियॉ ढूँढना अत्यन्त आवश्यक है। भारत को विदेशी मॉग के अनुसार नए-नए पदार्थों का विकास करना चाहिए। हमारे पास कई एक ऐसे कच्चे पदार्थ है- कच्चा लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि- जिनसे हम अर्द्धनिर्मित अथवा निर्मित वस्तुऍ विदेशो को भेज सकते है। अतः इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्यात मे विविधता लाने के लिए भारत से खली, चीनी व डिब्बे मे बन्द मछलियो का निर्यात बढाया जा सकता है। नई वस्तुओ मे साइकिलो, कपडा सीने की मशीनो, बिजली की मोटर, मशीन टूल्स, दवाएँ, औद्योगिक मशीनरी, प्लास्टिक का सामान व अन्य निर्मित माल का निर्यात बढाया जान चाहिए। भारत से फलफूल व सब्जी, कच्चा लोहा, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओ आदि का निर्यात बढाना चाहिए। हमे विदेशी पर्यटको को आकर्षित करना चाहिए क्योकि अपने वन पहाड़, नदियो के ऐतिहासिक स्मारको की वजह से यह देश पर्यटको के लिए स्वर्ग तुल्य बनाया जा सकता है।

नई वस्तुओ के उत्पादन और विकास के साथ हमे नये बाजारो की खोज मे भी सलग्न रहना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिमी यूरोप के परम्परागत बाजारो मे भारत के निर्यातो मे एक महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा करना उचित नही है।

भविष्य मे दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशो को अपने आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत सामानों व कच्चे माल की काफी आवश्यकता होगी, भारत, जापान व केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशो से निर्यात व्यापार काफी बढ़ सकता है। केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशो मे व्यापार बढ़ाने से हमारे निर्यात व्यापार में स्थिरता भी आयेगी।

18- **अच्छे निर्यातकों को प्रोत्साहनः** निर्यात व्यापार में अच्छे योगदान के लिए उन्हे सम्मानित किया जाता है, परन्तु अभी भी उस दिशा मे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग निर्यात क्षेत्र मे अच्छे परिणाम दिखाते है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो अभी तक निर्यात व्यापार में अभी नही आये है, उन्हे भी निर्यात व्यापार मे लाने की आवश्यकता है।

19- **निर्यातको द्वारा लापरवाही एवं धोखाधड़ीः** भारतीय निर्यातक आयातको को घटिया व नकली मालो के अलावा निम्न गुणवत्ता वाले मालो की आपूर्ति करते है, इसलिये सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिये। घटिया मालो की आपूर्ति करके देश को बदनाम करने वाले गुनाहगार निर्यातको को बख्शा नही जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि मालो की गुणवत्ता

के नीति-निर्देशो व मापदडो से सबन्धित कानूनो मे सशोधन भी किया जाना चाहिए।

दुबई और अबूधाबी, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा सामान उपभोग मे लाते है, उनको हमारे यहों से मटन निर्यात किया जाता है। हमारे निर्यातक उनमे भेड एव भैस का मास मिला देते है। उसी प्रकार से आम के डिब्बो मे ऊपर अच्छा आम नीचे खराब आम भरा रहता है। कस्टर्ड और पावडर मे धातु के टुकडे मिला दिये जाते है।[1] इन लापरवाहियो को समाप्त किया जाना चाहिए।

20- **निर्यातको से निरन्तर सम्पर्कः** निर्यातको और सरकार के बीच अधिक सम्पर्क की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे रिजर्व बैक एव निर्यातको की प्रति माह बैठक बुलाने की व्यवस्था की गयी है।

21- **धनी देशो की प्रवृति में परिवर्तन की आवश्यकताः** धनी देशो की प्रवृति मे यदि परिवर्तन किया जाय तो विकासशील देशो का निर्यात और अधिक बढ सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देश गुणवत्ता का झूठा सहारा लेकर विकासशील देशो से आने वाले कृषि उत्पादो पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते है।[2]

22- **विदेशी प्रतिनिधियों का अधिकाधिक आगमन.** विदेश के राष्ट्राध्यक्षो एव प्रधानमन्त्रियो, आदि के आगमन के समय आयात-निर्यात की सम्भावनाओ पर विचार किया जा सकता है एव इन्हे व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है।

23- **विदेशी कम्पनियों के योगदान को बढ़ावाः** यदि विदेशी कम्पनियों का योगदान बढ़ाया जाय, जैसा कि उदारीकरण के अन्तर्गत विदेशी बीमा कम्पनियो को भारत मे व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है, तो निचित ही विदेशी व्यापार साख पहले की तुलना मे अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है।

24- **निर्धन देशों को निर्यात पर अधिक बलः** साउथ अफ्रीका जैसे देश जहाँ आज भी साइकिल विलासिता की वस्तु समझी जाती है। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि भारत साइकिल उत्पादन मे विश्व मे तीसरे नम्बर पर है।[3] भारत को साउथ अफ्रीका जैसे देश को साइकिल निर्यात करने पर

---

1 फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली, जुलाई 18, पृ०- 3
2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 2-9-96
3 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 20-2-96

अधिकाधिक लाभ मिल सकता है।

25- **तस्करी पर नियन्त्रणः** एक अनुमान के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच गैर सरकारी व्यापार (तस्करी) लगभग 2,000 करोड रूपये प्रति वर्ष है, जबकि सरकारी व्यापार 350 करोड़ रूपया प्रति वर्ष है।[1] यदि इस तस्कर व्यापार को सरकारी व्यापार मे सम्मिलित कर लिया जाय तो निश्चित ही हमारा निर्यात अधिक होगा।

26- **निश्चित वस्तुओ के व्यापार को बढ़ावा** एक अनुमान के अनुसार खिलौना बाजार मे बहुत अधिक वृद्धि की सम्भावना है। खिलौनो मे भी वीडियोगेम खिलौनो की बाजार का सबसे अधिक बढने की सम्भावना है।[2] यदि इस व्यापार पर हमारी पकड़ मजबूत हो तो निश्चित ही हमारे निर्यात मे वृद्धि सम्भव है।

"एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पाच वर्षों के दौरान विश्व मे खिलौनो और विभिन्न खेलो की बिक्री 31 प्रतिशत बढ़ी है। वर्तमान मे खिलौनो व खेलो का विश्व कारोबार 66 अरब डालर से अधिक है, जिसमे 41 प्रतिशत हिस्सा अकेले अमरीका का है। जापान और ब्रिटेन का क्रमशः 15 और 4 प्रतिशत बाजार हिस्सा है। कुल कारोबार मे से 30 प्रतिशत हिस्सा वीडियो गेम्स का है। वीडियो गेम्स का विश्व कारोबार 1991 के कारोबार से करीब 60 प्रतिशत बढ़कर 1995 मे 21 अरब डालर पर पहुँच गया। सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान मे खिलौनो का बाजार मुख्यतः समृद्धि देशो पर ही टिका हुआ है किन्तु विकासशील देशो मे भी इसके विकसित होने की काफी सभावनाएं है। अगर इन संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाए तो खिलौनो का कारोबार दुगना किया जा सकता है। मौजूदा समय में उत्तरी अमरीका सबसे बड़ा बाजार है और वीडियो गेम्स पर खर्च आठ अरब 75 करोड़ डालर का है। उत्तरी अमरीका और जापान विश्व मे वीडियो गेम्स पर होने वाले कुल खर्च का 78 प्रतिशत खर्च करते हैं और यदि इनके साथ पश्चिम यूरोप को भी मिला दिया जाए तो यह खर्च 95 प्रतिशत पर पहुँच जाता है जबकि इन देशों मे विश्व की मात्र 22 प्रतिशत जनसंख्या ही रहती है।"[3]

---

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 14-6-96
2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 26-8-96
3 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 29 अगस्त 96, पृ०- 10

27- **आधारभूत सुविधाओं में विदेशी योगदानः** भारत एवं दुबई सरकार के सयुक्त प्रयासो से दुबई मे इस तरह के योगदान स्थापित किये जा रहे है।[1] जिनमे भारतीय निर्यातको का सामान पहले से ही भरा रहेगा और दुबई के आयातको का आर्डर मिलने पर तुरन्त ही दुबई स्थित गोदाम से सामान सप्लाई कर दिया जायेगा। इस प्रकार निर्यात आदेशो की पूर्ति अबिलम्ब की जा सकती है।

28- **अनियन्त्रित हानियों पर नियन्त्रणः** झरिया कोल खदान मे पिछले 50 वर्षों से लगे आग के कारण करोड़ो टन कोयले का नुकसान हो रहा है, जबकि समय-समय पर हम विदेशो से कोयला आयात करते रहे है। यदि इस आग पर नियन्त्रण पाया जाय तो हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, जिसे निर्यात व्यापार के बढावा के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

29- **न्यूनतम आयात प्रतिबन्धः** निर्यात बढाने के लिए हमारे प्रयत्न तभी सफल हो सकते है जब विकसित देश उदार आयात नीति अपनाएँ और विकासोन्मुख देशो की बनी हुई वस्तुओ का स्वागत करें। विकासशील देशो का निर्यात सम्वर्द्धन कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब विकसित देश आयात सम्वर्द्धन कार्यक्रम अपनाएँ।

<u>उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त</u>

I (A) "निर्यात प्रक्रिया की सभी प्रमुख खामियो को दूर किया जाना चाहिए।

(B) देश के आर्थिक विकास को बरकरार रखने के लिये निर्यात को उद्योग का प्रमुख हिस्सा समझा जाना चाहिये।

(C) निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली कम्पनियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

(D) जो कम्पनियाँ, निर्यात को बढ़ावा नहीं देती उन्हे दडित किया जाना चाहिए।"[2]

II व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चुँगी कर तथा बिक्री कर जैसे आपत्तिजनक करों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योकि इनसे व्यापार मे बाधा पडती है।

III खुली अर्थव्यवस्था तथा निर्यात को बढावा देने के लिए देश में बन्दरगाहो, सड़कों, ऊर्जा

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 6-5-97
2 अमृत प्रभात, इलाहाबाद, 25 दिसम्बर 1995, पृ०- 8

तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रो के निजीकरण को बढावा दिया जाना चाहिए।

IV तेजी से आर्थिक विकास के लिये देश मे बचत मे वृद्धि, ऋण मे कमी तथाा निर्यात को बढावा दिया जाना चाहिये।

V धनी देशों की सरक्षणवादी नीति मे कमी व्यापार समझौतो के द्वारा की जा सकती है।

VI एशिया और अफ्रीका के गरीब देशो को कपडे के बजाय कपडे की मशीने बेची जा सकती है। इराक, जो कि युद्ध मे बुरी तरह से नष्ट हो चुका है, उसमे आधुनिकीकरण तीव्रगति पर है। वहॉ आधारभूत उद्योगो के लिए आवश्यक सामान की बहुत अधिक माग है। हमे अपना ध्यान उस दिशा मे देना चाहिये।

VII दिल्ली निर्यातक सघ के अनुसार निम्न उपाय करने पर 1998 तक भारतीय निर्यात मे 50% तक की वृद्धि हो सकती है-

(i) रेप लाइसेन्स एव एक्जिम स्क्रिप्स मे व्यापार कर मे कमी

(ii) नियमित पावर आपूर्ति

(iii) औद्योगिक प्लाटों को पुनर्किराये पर देना

(iv) भाड़ा ढोने की जहाजी सुविधा मे वृद्धि। [1]

VIII दिल्ली निर्यातक संघ के अनुसार दिल्ली में न्यूयार्क की तरह एक बड़ा भवन निर्मित हो रहा है, जिसमें 500 निर्यातको के शो रूम एवं निर्यात सम्बन्धित कार्यालय स्थापित होंगे।

भारतीय उद्योग कन्फेडेरेसन ने जिम्बाबवे के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत दोनो देश के छोटे एवं मध्य वर्ग के उद्यमियों को एक दूसरे देश की तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान होता रहेगा [2]

IX निर्यात मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आयात-निर्यात बैक की पूँजी 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है, जिससे कि निर्यातको को और अधिक ऋण

---

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 12-5-97
2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 6-11-96

की सुविधा प्रदान की जा सके।[1]

X पी०एच०डी०सी०सी०आई० के अनुसार सेवा निर्यात, जो कि सन 2000 तक पूरे निर्यात का 40% तक पहुँच जायेगा, उस पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सेवा को ठीक तरह से परिभाषित करने की भी आवश्यकता है, जिससे सेवा निर्यात आसान एव अधिकाधिक हो सके।[2]

XI भारत के निर्यात व्यापार को बढाने के लिए विपणन का ज्ञान आवश्यक है देश मे कई ऐसी वस्तुए है जिनकी निर्यात बाजार मे अच्छी माग है लेकिन उत्पादको एव निर्यातको को विपणन की अच्छी जानकारी नही होने से निर्यात मे क्षमता के अनुसार वृद्धि नही हो रही है "भारतीय विदेश व्यापार सस्थान के डीन प्रोफेसर वी० रामचन्द्रैया के अनुसार देश से बल्क निर्यात की जगह मूल्यवर्धित उत्पादो का निर्यात होना चाहिए। निर्यात के लिए प्रमुख वस्तुओ मे रेडीमेड गारमेन्ट, कपडा, चावल, चाय, काफी, मसाला, आयाल केक, पत्थर उत्पाद, लौह अयस्क, चमड़ा एव उत्पाद, हस्तशिल्प, इजीनियरिग एवं इलेक्ट्रानिक आदि वस्तुएं शामिल है। हमारे उत्पाद के सशक्त बाजारो मे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत गणराज्य के देश आदि प्रमुख है। निर्यात के लिए नये बाजार भी खुले हैं, जिनमे दक्षिण अफ्रीका, इसरायल, ताइवान, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और मध्य पूर्व देश शामिल हैं, जहाँ भारतीय निर्यात की काफी सम्भावनाए है। उन्होने कहा कि निर्यात के लिए उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पाद के प्रस्तुतीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए। बेहतर पैकेजिंग भी निर्यात मे सहायक है। जिन क्षेत्रो मे निर्यात की सम्भावना है उसमें विदेशी निवेश पर बल देना चाहिए। नौवी पंचवर्षीय योजना मे निर्यात बढ़ाने के लिए तीन लक्ष्य होने चाहिए जिनमें निर्यात के लिये नये उत्पादो को ज्ञात करना, निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना और विपणन पर जोर देना शामिल है।"[3]

XII देश के निर्यात को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपयुक्त ब्याज दरो मे

---

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 21-5-97
2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 7-7-96
3 आज (वाराणसी), 26 अगस्त 96, पृ०- 8

सामयिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

XIII अगर अर्थव्यवस्था और खासतौर पर निर्यात मे वृद्धि दर बरकरार रखनी है तो सरकार को ढांचागत सुविधाओ पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

XIV "कैरिनियन और लातिन अमेरिकी देशो का विश्व व्यापार मे पाच प्रतिशत हिस्सा है और वहाँ के बाजारों मे भारत की उपस्थिति लगभग नगण्य है। इसलिए इन देशो को निर्यात करने वाली कम्पनियो को निर्यात घरानो के रूप मे मान्यता देने जैसे कदमो की सख्त जरूरत है। शुल्क मुक्त लाइसेसो पर आयात के लिए सीमाशुल्क मे रियायत दिया जाना चाहिये।"[1]

XV देश की निर्यात आय बढाने मे योगदान के लिए भारतीय बन्दरगाहो पर बुनियादी सुविधाओ का विकास और इलैक्ट्रानिक व्यवसाय प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। देश मे मूलभूत क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। विदेशो मे बड़े स्तर पर इलैक्ट्रानिक व्यावसाय प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। समय और धन दोनो की बचत को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली का प्रचलन भारत मे भी शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रणाली से कागज की भारी बचत तो होगी ही अधिकारियो को खेप का निरीक्षण करने में कोई विशेष परेशानी नही होगी। इस प्रणाली से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सकेगा और यह बात सुनिश्चित की जा सकेगी कि हल्के स्तर की वस्तुएं तो निर्यात नही की जा रही हैं।

"देश में विशेषकर निर्माण विकास तथा छोटे बड़े बन्दरगाहो के बीच सडक सम्पर्कों को सुधारने मे धन उपलब्ध कराने के लिए ढांचागत विकास निगम बनाना चाहिये। राज्य स्तर पर ऐसे निगमों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पहल किया जाना चाहिए। प्रस्तावित निगमों को दीर्घकालीन रणनीत और विभिन्न स्त्रोतो से संसाधन जुटाना चाहिए। विकास राष्ट्रीय राजमार्गों और बन्दरगाहो के रख-रखाव कार्यक्रम के लिए बजट मे उपलब्ध संसाधनों से वास्तविक जरूरते पूरी नही हो पाती। इसलिये प्रस्तावित निगमो को बैको से राशि मिलनी चाहिए।"[2]

1 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 22-12-95, पृ०- 12
2 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 19 दिसम्बर 1995, पृ०- 10

"निर्यात प्रोत्साहन का रूप नकद सहायता न होकर करो मे रियायत और निर्यातको के निर्यात वृद्धि के प्रयत्नो के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की राशि के प्रयोग मे अधिक स्वतत्रता के रूप मे होना चाहिए। विदेशी मुद्रा के निर्यात उद्योगो के लिए कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओ के आयात हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगो की भी छूट मिलनी चाहिए।"[1]

भारत विकसित राष्ट्रो के मुकाबले मे अनेक कृषि वस्तुओ जैसे- फल, सब्जियॉ, फूल आदि के निर्यात मे अधिक सफल हो सकता है। इसी प्रकार सरकार विशाल मात्रा मे कच्चा लोहा, मैगनीज और मछली के निर्यात मे सफलता प्राप्त कर सकती है। भारत के निर्यात विपणन मे भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। उत्पादन के डिजाइन, पैकिग आदि मे सुधार कर विदेशी उपभोक्ताओ की रूचि के अनुकूल बनाना चाहिए। सरकार को अन्य देशो के साथ द्विपक्षीय समझौते भी करने चाहिए। निर्यात आमुख उद्योगो मे विदेशी निर्माताओ के साथ उत्पादन समझौतो को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निर्यात वस्तुओ की किस्म नियन्त्रण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। निर्यात वस्तुओ की किस्म अविश्वसनीय होने पर विदेशी क्रेताओ के विश्वास को ठेस पहुँचती है और वे उस वस्तु के साथ अन्य भारतीय वस्तुओ को भी सदेह की दृष्टि से देखने लगते है। सरकार को निर्यात प्रोत्साहन में चयन नीति अपनानी चाहिए, केवल उन्ही उद्योगो पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमें निर्यात वृद्धि की संभावना अधिक रहती हो।

सरकार ने निर्यात प्राथमिकता के तौर पर 15 देशो के बाजारो की पहचान की है। इनमे अमरीका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, हागकांग, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, इटली, दक्षिण अफ्रीका, रूस, बंग्लादेश, सिंगापुर, हालैण्ड, फ्रांस और थाईलैड शामिल है। दुनिया के 15 बाजारो मे भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार को निर्यात सलाहकारो अथवा संवर्धको की सेवाये ली जानी चाहिये। विभिन्न दूतावासो में विभिन्न देशों मे वहॉ के बाजार माग के मुताबिक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि पहचान किये गये बाजारों मे भारतीय निर्यातको के हितो को सुरक्षित रखा जा सके।

---

1 डा० विष्णु दत्त नागर, डा० राम प्रताप गुप्त- आर्थिक विकास के सिद्धान्त एव समस्याए- दि मैक मिलन कपनी आफ इडिया लि० नई दिल्ली, 1977, पृ०- 482

विश्व मे तेजी से बदल रहे आर्थिक परिवेश मे भारत को विश्व बाजार मे माल बेचने के लिए विदेशी कपनियो से जबरदस्त मुकाबला करना पड रहा है। हम अपना माल तभी बेच सकते हैं जब उसकी गुणवत्ता बेहतर और दाम कम हो। इसलिए हमे अपनी ही औद्योगिक इकाईयो को बहुराष्ट्रीय कपनियो के रूप मे स्थापित करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र मे पर्याप्त क्षमता मौजूद है। उसका प्रभावी ढग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमे अपने कर्मचारियो की दक्षता और उपलब्ध मानव ससाधनो का पूरी तरह उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमे आपसी सहयोग से अपने ससाधनो का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिये।

पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण पटसन की माग बढ रही है। शुद्ध पटसन से निर्मित उत्पादो के अलावा विश्व बाजार मे पटसन मिश्रित वस्तुओ को भी स्वीकार किया जा रहा है। यदि सरकार पटसन मिश्रित वस्तुओ के निर्यात पर ध्यान दे तो विश्व बाजार मे अधिक से अधिक पटसन से बनी वस्तुओ का निर्यात किया जा सकता है।

हस्तशिल्प वस्तुओं मे शामिल करीब आठ प्रकार की चीजो को विदेशी खरीदारो से समर्थन मिल रहा है। इनमें कालीन, कृत्रिम आभूषण, तांबा से बनी वस्तुएं और लकड़ी की नक्काशी का सामान है। हालैण्ड और जापान कालीन के पारम्परिक खरीदारों मे शामिल हो गये है। धातु से बनी वस्तुओं ने आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका मे अपनी पहचान बनायी है। कालीन, कृत्रिम आभूषण, तांबा से बनी वस्तुएं और लकड़ी की नक्काशी के सामानो का विदेशो मे काफी माग है। अगर सरकार इन वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान दे तो इनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सकता है। जापान और हालैण्ड में कालीन की मांग को देखते हुए सरकार वहाँ पर कालीन का निर्यात बढ़ा सकती है। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में धातु से बनी वस्तुओ के नये बाजार को देखते हुए सरकार को वहाँ पर धातु से निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात करने का प्रयास करना चाहिये।

शतब्दी के अन्त तक विश्व निर्यात मे भारत की भागीदारी एक प्रतिशत तक बढाने के लिए बुनियादी सुविधाओ पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत को अभी सही मायने मे अपनी अर्थव्यवस्था को नयी बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालना है। यह काम निश्चित समयावधि मे

पूरा किया जाना चाहिए। अगले पॉच वर्षों मे भारत को निर्यात मे सात से दस अरब डालर प्रतिवर्ष की वृद्धि हासिल कर वर्ष 2000 तक 75 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। बुनियादी सुविधाओ जैसे- सड़क बन्दरगाह, आवागमन के साधन, बिजली आदि के अभाव मे क्षमता के मुताबिक निर्यात नही हो पा रहा है। इसके लिए बुनियादी सुविधाओ के विकास मे निजी क्षेत्र मे भी निवेश को बढावा दिया जाना चाहिए। अनवरत निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय उत्पादो को प्रतिस्पर्धी मूल्यो पर विश्व बाजार मे उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए सरकार और उद्योगो के बीच घनिष्ट सम्बन्ध बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

नये-नये उभरते बाजारो और उत्पादो की विपणन सम्भवनाओ का पता लगाने के लिए वाणिज्य एव उद्योग मण्डलो को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। "विश्व निर्यात मे भारत की छवि बनाने के लिए सरकार एक 'इंडिया ब्राण्ड इक्विटी फण्ड' शुरू कर रही है। 'इडिया ब्राड इक्विटी फण्ड' भागीदारी करने पर रियायतो का स्वरूप निर्धारण करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है।"[1] अधिकाधिक निर्यात वृद्धि के लिए उदार और खुली नीतियॉ अपनाना चाहिये। सकल घरेलू उत्पाद मे आयात-निर्यात की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी को खुली बाजार अर्थव्यवस्था का अच्छा सूचक माना जाता है, लेकिन भारत के मामले मे यह हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पादों का मात्र 18.7 प्रतिशत ही है। निर्यात वृद्धि के लिए आधारभूत सुविधाओ का विकास और प्रशासनिक सहयोग, शुल्क और दरों को उपयुक्त स्तर पर लाना तथा धन की लागत को कम करना चाहिये।

विश्व व्यापार के स्वरूप में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण लघु निर्यातको के एक सगठन या समूह का गठित होना आवश्यक है। इससे विदेशी मुद्रा की कमाई मे काफी वृद्धि हो सकती है। जब निर्यात कम्पनियॉ विदेशी आर्डर को पूरा करने मे असफल रही है। तब इसका कारण या तो आर्डर के आकार का बड़ा होना था या विपणन पर होने वाले उच्च लागत खर्च था, जिसे लघु कपनियाँ अकेले नही सह सकती थी। ऐसी स्थिति मे लघु निर्यात कंपनियो का एक समूह गठित होना आवश्यक है।

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 21 अगस्त 1996, पृ०- 11

कपड़ा तथा बलेडड यार्न के क्षेत्र मे जहॉ विकसित देशो के उत्पादन मे गिरावट आयी है वही भारत के कपड़ा व्यापार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे नयी सम्भावनाओ का सृजन हुआ है। भारत मे सस्ती मानव श्रम शक्ति उपलब्ध होने के कारण मानव निर्मित धागे व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे निर्यात करने की अत्यधिक सम्भावनाए मौजूद है, जिसके लिये किसी प्रकार का आधारभूत ढॉचा तैयार किये जाने की जरूरत है। अमरीका जैसे बडे राष्ट्रो मे सूती वस्त्र की माग निरतर बढती जाने से भी भारत के लिए निर्यात की और सम्भावनाएँ बढ रही है। पाकिस्तान, चीन और फिलिस्तीन आदि एशियाई विकसित राष्ट्रो मे वस्त्र उत्पादन मे गिरावट के साथ ही भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। भारत द्वारा किये जाने वाले कुल निर्यात मे 30 प्रतिशत हिस्सा वस्त्र निर्यात से हो रहा है। मानव निर्मित धागे के निर्यात को बढावा देने के लिए सरकार को मिश्रित धागे के पोलिस्टर के साथ मिलाये जाने वाले तत्व 'विसकोज' पर से शुल्क कम करना चाहिए।

भारत का वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन है तथा कपास के मामले मे भी अन्य राष्ट्रो के मुकाबल भारत अधिक समृद्ध है, इसके अलावा यहॉ पर कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते है। अतः हमारे यहाँ गुणवत्ता की ओर पूरा ध्यान दिया जाये तो इसका उत्पादको को भारी लाभ मिल सकता है।

विकासशील देशों मे विकसित देशों की अपेक्षा सूती वस्त्रो की खपत मे कमी आ रही है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमो और उदारीकरण की नीति अपनाने से इसमे खपत बढ सकती है। भारत मे औसतन 15 वर्ग मीटर कपड़े की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है। अमरीका मे यह 90 मीटर प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत है। इसी प्रकार ब्रिटेन मे तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रो मे 75 मीटर प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है। लोगो के जीवन स्तर और आय के स्तर में वृद्धि के साथ ही यह भी आवश्यक है कि वस्त्रो मे भी प्रति व्यक्ति खपत बढ़े। आय मे वृद्धि विकसित देशो मे यह खपत 5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वस्त्रो की खपत बढ सकती है। इसकी पूर्ति के लिए कच्चे माल के निर्यात के स्थान पर विकसित देशो को तैयार माल भेजने पर अगर जोर दिया जाये तो हमें अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। यदि सरकार आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराये एव रियायत प्रदान करे तो भारत का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग और धागा उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे

अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान मे कपड़ा, वस्त्र और हस्तशिल्प वस्तुओ का निर्यात वर्ष मे दस अरब डालर अर्थात 35,000 करोड़ रूपये के करीब है। इसमे आधे से अधिक निर्यात केवल सिले-सिलाये वस्त्रो का होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस शताब्दी के अत तक यह निर्यात बढकर 40 अरब डालर हो जाए। इसके लिए रणनीति और योजना बनाने तथा उस पर काम करते हुए विश्व मे लोकप्रिय डिजायन तैयार कर उत्पादन बढाना होगा। तभी हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते है।

सरकार कपड़ा नही बनाती और न ही वस्त्रो के डिजायन तैयार करती है। वह केवल नीति बनाती है, इसलिए सरकार नई आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग को मदद कर रही है। सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत इस शताब्दी के अत तक विदेशी डिजायनर भी देश मे आ जायेगे जिनसे हमारे उद्योग का कडा मुकाबला होगा। अतः हमे इस चुनौती के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिये। हमे सूती, ऊनी अथवा सिल्क का उत्पादन बढाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमे कृत्रिम धागे से बने कपड़ो का देश मे अधिक इस्तेमाल करना चाहिए तथा सूती कपड़ा और वस्त्रो का निर्यात करना चाहिए। चीन, वियतनाम और कम्बोडिया आदि देश हमारे कपड़ा उद्योग को कड़ी चुनौती दे रहे है। वर्ष 2004 के बाद कोटा पद्धति नही होगी तब वही देश विश्व बाजार में अपना माल बेच सकेगा जो कड़ी प्रतिस्पर्धा मे खरा उतरेगा। अभी हमारे पास आठ वर्ष हैं, हम उस चुनौती के लिए अपने को तैयार कर सकते है।

विश्व में सिलाई मशीनो की खपत सबसे अधिक रूस और उसके बाद चीन मे है। भारत के लिये रूस और चीन सिलाई मशीन के लिये सबसे बड़ा बाजार साबित हो सकता है। अगर सरकार सिलाई मशीनो के निर्यात पर ध्यान दे तो रूस और चीन मे भारत का निर्यात बढ सकता है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो की प्रमुख भूमिका होती है। यदि लघु उद्योगो का प्रबन्धन ठीक प्रकार से हो, तो निश्चित रूप से भारतीय लघु उद्योग विदेशी वस्तुओ की प्रतिस्पर्द्धा का सफलता पूर्वक मुकाबला कर सकते है। लघु उद्यमी राज्य सरकार की सब्सिडी पर निर्भर न रहकर स्वावलम्बी बने और अपने उत्पाद को इस स्तर का बनाए, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे अपनी साख स्थापित कर सकें और भारतीय निर्यात मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके।

"वर्ष 1995-96 के दौरान भारत के कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर निर्यात मे रिकार्ड वृद्धि हुई है और अब यह क्षेत्र विश्व की अग्रणी कपनियो को भारत मे अपना परिचालन शुरू करने के लिए आकर्षित कर रहा है। भारत के कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात मे वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 80 फीसदी वृद्धि अर्जित की गयी। इनका निर्यात गत वर्ष के 1,474 करोड रूपये (47 5 करोड़ डालर) की तुलना मे इस दौरान बढकर 2,650 करोड रूपये (79 10 करोड डालर) हो गयी है। आलोच्य अवधि मे कुल उत्पादन मे कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात हिस्सा 33 प्रतिशत (775 करोड़ रूपया) रहा जो कि पिछले वर्ष के निर्यात के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष की उपलब्धि अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है, जिससे यह सकेत मिलता है कि विश्व बाजार मे कम्प्यूटर साफ्टवेयर और कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिये भारत को मान्यता मिल रही है। वर्तमान मे भारत सभी पॉच महाद्वीपो मे 75 देशो के लिये साफ्टवेयर की आपूर्ति कर रहा है जबकि गत वर्ष 67 देशो मे निर्यात किया गया। नीदरलैण्डस, डेनमार्क, इडोनेशिया, नार्वे एव आस्ट्रिया जैसे 28 देशो मे साफ्टवेयर निर्यात 100 फीसदी से अधिक बढ गया है। भारतीय साफ्टवेयर हेतु प्रमुख बाजारों के बीच अमेरिकी बाजार में 60 फीसदी वृद्धि हुई जबकि सिगापुर मे 51 फीसदी वृद्धि हुई थी।"[1] कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर क्षेत्र में बढ़ रहे निर्यात मे वृद्धि दर को देखते हुए, सरकार को इस क्षेत्र में निर्यात की व्यापक सभावना को देखते हुए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारा निर्यात अधिक से अधिक बढ सके। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी उत्पादन आधार बनने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति के साथ उत्पादन प्रक्रियाओ पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। भारत निम्न श्रम लागत और कम कीमत के लिहाज से अन्य देशो की अपेक्षा लाभ की स्थिति में है। लेकिन बेहतर प्रशिक्षित इंजीनियरी, कुशल आधार और निर्यात के लिए कम लागत वाले उत्पादन आधार के साथ ही भारत को विश्व स्तर पर हार्डवेयर बाजार के रूप मे विकसित करने के लिए सरकार और उद्योग द्वारा मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

"भारत दुनिया में फलो का सबसे बडा उत्पादक देश बन गया है। नारियल उत्पादन मे उसका दूसरा उत्पादन है। निर्यात के लिए फुलवारी उत्पाद सबसे बडे क्षेत्र के रूप मे उभरकर सामने

---

1 दैनिक जागरण, वाराणसी (इलाहाबाद), 2 जुलाई 1996, पृ०- 9

आया है। देश मे बागवानी उत्पादो का उत्पादन बढाने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित की गई है। इसके तहत इनका उत्पादन क्षेत्र बढाया गया है और फसलो का विविधीकरण किया गया है। इसके लिए पर्वतीय और तटीय क्षेत्रो मे विशेष ध्यान दिया गया है। निर्यात पर सरकारी नियत्रण जैसी बाधाए समाप्त कर दी गई है। अब बीजो के आसान आयात की व्यवस्था की गई है। सौ फीसदी निर्यातोन्मुखी इकाईयो को आधारभूत ससाधन उपलब्ध कराने पर सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है।"[1] दुनिया मे फलो का सबसे बडा उत्पादक देश बन जाने के कारण भारत के लिए विश्व बाजार मे फलो का निर्यात करने का सुनहरा अवसर मौजूद है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार को फलो तथा फुलवारी उत्पाद का निर्यात बढाने का प्रयास करना चाहिये।

भारत सन 2001-2002 तक करीब 60 लाख टन इस्पात का निर्यात कर सकता है। इसलिये दक्षिणपूर्ण एशिया और चीन मे नये बाजारो की खोज की जानी चाहिये। दक्षिण एशिया मे इस्पात की उपलब्धता मे करीब 10 करोड़ टन की कमी का आकलन किया गया है। भारत की भौगोलिक स्थिति और दक्षिण एशिया के देशो के साथ बढते सम्बन्धो के मद्देनजर भारत इस क्षेत्र मे इस्पात के एक बड़े बिक्रेता के रूप मे उभर सकता है। 1995-96 के उत्पादन के अनुसार भारत विश्व में इस्पात का नवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस वर्ष के दौरान भारत मे इस्पात उत्पादन में 16.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। विश्व बाजार मे उपलब्ध अवसरो का लाभ उठाने के लिए भारत के इस्पात उद्योग को आधुनिकीकरण के जरिये अपनी उत्पादकता मे बढोत्तरी करनी चाहिये। दक्षिण एशिया मे इस्पात की मांग बढ़ने का सकेत मिल रहा है, इसलिये जरूरी है कि भारत मे इस्पात उद्योग मे निवेश बढ़ाया जाए और उपलब्ध होने वाले अवसरो का लाभ उठाया जाए। भारत के पास कई रणनीतिक लाभ हैं जिनके जरिये भारत को विश्व बाजार मे अपने प्रतिस्पर्धियो से बढत मिल सकती है। यहॉ पर घरेलू स्तर पर उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क उपलब्ध है। जिसकी लागत भी कम है, श्रम सस्ता है और अच्छी तकनीकी विशेज्ञता के चलते नयी तकनीको को शीघ्र अपनाया जा सकता है। भारत मे उत्पादकता का स्तर भी ठीक है। भारत मे आर्थिक विकास के साथ अगले पाच सालो मे निर्माण गतिविधियॉ बढने की सभावना है। इससे लम्बे इस्पात उत्पादो

---

1 दैनिक जागरण वाराणसी (इलाहाबाद), 24-6-1996, पृ०- 8

के उत्पादन मे, फ्लैट उत्पादो के मुकाबले ज्यादा बढोत्तरी की उम्मीद है। इस्पात उद्योग के मद्देनजर भारत मे परिवहन ढाचे पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। भारत के इस्पात उद्योग को अपना नजरिया बदलकर अवसरो का लाभ उठाना चाहिये ताकि भारत इक्कीसवी सदी मे विश्व बाजार मे एक प्रमुख इस्पात उत्पादक और विक्रेता के रूप मे उभर सके।

"अमेरिका में भारतीय दवाओ की भारी माग है। अगर हमने अपने सचालन का स्तर नही सुधारा और नई दवाओ की खोज के लिए आधुनिकता का सहारा नही लिया तो हम अन्य देशो से बहुत ही पीछे रह जाएगे। बहुराष्ट्रीय कपनियो से मुकाबला का एक ही रास्ता है कि हम भी विदेशों में अपना आधार मजबूत करे। ऐसे समय मे जब भारत के दरवाजे हर विदेशी कपनी के लिए खोल दिए गए है, हमे कड़ी चुनौती का सामना करना पड रहा है। भारत सरकार इस क्षेत्र में सतुलन कायम रखने तथा शोध एव विकास कार्यों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने मे पूरी तरह से असफल रही है।"[1] इसके लिये विदेशो मे अपनी सचालन गतिविधियॉ बढाना ही हमारे जख्मो का इलाज है। हम भारत मे रहकर शोध की सुविधाए नही बढा सकते। यह समस्या निकट भविष्य में भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसके लिये अब एक ही रास्ता बचा है कि भारतीय दवा कपनियॉ बाहर जाएं, शोध करे, वापस भारत लौटकर दवाएं सस्ते दामो पर उपलब्ध कराए तथा अमेरिका में भारतीय दवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करे।

भारत से वियतनाम को होने वाले निर्यात मे वर्ष 1992-93 से हर साल दो गुना से ज्यादा बढोत्तरी हो रही है जिसके और अधिक बढने की सभावना है। वर्ष 1995-96 के दौरान भारत से वियतनाम को 499 करोड़ रूपये का निर्यात किया गया जो पूर्व वित्त वर्ष की तुलना मे 171 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वियतनाम भारत से अधिक व्यापार करने वाले असियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देश) देशो मे पहला देश है। इसके अलावा इस वर्ष सभी एशियान देशो को होने वाले निर्यात मे भी अच्छी खासी वृद्धि रही। इन देशो को कुल 3 1 अरब अमेरिकी डालर का व्यापार किया गया।

"आसियान देशो को भारतीय निर्यात वर्ष 1995-96 के दौरान 70 प्रतिशत रहा है। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष वियतनाम को निर्यात मे दो गुना वृद्धि हुई है। भारत से 1992-93 मे 1 2

1 दैनिक जागरण वाराणसी (इलाहाबाद), 24-6-1996, पृ०- 8

करोड डालर, 1993-94 मे 2 9 करोड डालर, 1994-95 मे 5 85 करोड डालर मूल्य का निर्यात वियतनाम को किया गया। लेकिन 1995-96 मे भारतीय निर्यात मे आई वृद्धि ने इस क्षेत्र मे निर्यात कर रहे आस्ट्रीया, स्वीडन, पुर्तगाल, ग्रीस, डेनमार्क तथा खाडी देशो को भी पीछे छोड दिया है। भारतीय दवाओ के निर्यातको को छोड़कर शेष व्यापारिक समुदाय वियतनाम मे व्यापार सभावनाओ का पूरा लाभ उठाने के प्रति गभीर नही है। भारतीय दवाओ की वियतनाम के बाजार मे 20 प्रतिशत की भागीदारी है।"[1] भारत के लिये वियतनाम एक बहुत बडा बाजार साबित हो रहा है। वियतनाम मे भारतीय माल की काफी माग है, जिसकी वजह से वियतनाम को भारतीय माल का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सकता है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि वियतनाम को निर्यात बढाने के लिये विशेष प्रयास करना चाहिये।

"भारतीय निर्यातक ब्राजील को निर्यात बढाने के अपने प्रयासो को दो गुना करे। निर्यात बढाना उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के तहत भी जरूरी है। ब्राजील लातिनी अमेरिकी देशो की सबसे बडी अर्थव्यवस्था है तथा यह दुनिया का नौवा सर्वाधिक औद्योगीकृत देश है। यह लगातार निर्यात मे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आयात भी बढा रहा है। भारतीय वस्तुओ का आयात बढ़ाने के लिए भी वह तैयार है।"[2] भारत ब्राजील को परपरागत वस्तुओ के अलावा अपरपरागत सामानो का भी काफी निर्यात कर सकता है। निर्यातक निर्यात बढ़ाने का प्रयास करते समय वे गुणवत्ता तथा नैतिकता के उच्च्व मानदडो का पालन करे वरना भारत की स्थिति खराब होते देर न लगेगी। भारतीय निर्यातको का कार्य अब आसान हो गया है। क्योकि दक्षिण अफ्रीका के साथ अच्छे व्यापार सबंध स्थापित हो गये है। ब्राजील को निर्यात करते समय दक्षिण अफ्रीका को मध्यस्थ बनाया जा सकता है। इससे दूरी कम हो जाएगी तथा अन्त मे उनका माल ब्राजील मे प्रतिस्पर्धी मूल्यो पर बिकने लगेगा। ब्राजील मे भी व्यापार अवरोध अब काफी ढीला हो गया है। भारतीय उद्यमियो को ब्राजील के उद्यमियो के साथ सपर्क स्थापित कर उन्हे समझना चाहिए। लबे अरसे से ब्राजील का भारत के साथ अच्छा सम्बन्ध है। दोनो देश विश्व की सबसे बडी अर्थव्यवस्थाओ

1 दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 जून 1996, पृ०- 9
2 दैनिक जागरण, वाराणसी- 26 मई 1996, पृ०- 11

का प्रतिनिधित्व करते है। इनका विश्व के मामलो मे काफी प्रभाव भी माना जाता है। सशक्त राजनयिक सम्बन्धो मे व्यापारिक एव आर्थिक सम्बन्धो की सबसे बडी भूमिका होती है। भारत व ब्राजील के बीच व्यापार बढने से मौजूदा द्विपक्षीय सबधो को और मजबूती हासिल होगी। भारतीय निर्यातक ब्राजील को अनेक उत्पादो का निर्यात कर सकते है। अब वहाँ अर्थव्यवस्था खुल रही है। शुल्क दरे औसतन 35 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गई है तथा गैर-शुल्क अवरोध खत्म हो गए है। ब्राजील अन्य लातिनी अमेरिकी देशो को निर्यात बढाने मे भी मददगार हो सकता है।

"भारतीय उत्पादो को विदेशी बाजारो मे प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे सुधार कर इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। मूलभूत सुविधाओ के अभाव मे हम विदेशी प्रतिस्पर्धा मे पीछे रह जाते है। इस क्षेत्र मे उपयुक्त उपाय कर भारत को विदेशी कम्पनियो के मुकाबले खडा किया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओ के अलावा निवेश को सुनिश्चित करना और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मूल्यो पर कच्चे माल की आपूर्ति, वित्त की लागत करो और शुल्को को तर्कसगत बनाना, डम्पिग विरोधी उपायो को असरदार बनाना, निर्यातोन्मुखी इकाइयो निर्यात सम्वर्द्धन मण्डलो की स्कीम को तर्कसंगत बनाना तथा श्रमिक नीति मे आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करवाने, ये ऐसे महत्वपूर्ण और गम्भीर क्षेत्र है जिसमे तुरत ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत है।"[1] बुनियादी सुविधाओ के विकास मे भारतीय कम्पनियों की प्रभावी हिस्सेदारी के लिए उन्हे अनुकूल समर्थन और गारण्टिया देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश के व्यापार और सेवाओ को प्रतिस्पर्धी बनाने मे लागत और वित्त की उपलब्धता मूल आधार का काम करती है। बैकिग, बीमा और वित्त व्यवसाय मे निजी क्षेत्र के प्रवेश को बढाने के लिए ज्यादा लचीला रूख अपनाया जाना चाहिए।

करो और शुल्को को तर्कसगत और पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है। यदि अप्रत्यक्ष करो के स्थान पर व्यापक मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली को लागू कर दिया जाये तो इस सन्दर्भ मे होने वाली समस्याओं को काफी कम किया जा सकता है। जब तक यह सुविधा लागू नही हो पाती राज्य सरकारों के लिए विभिन्न प्रकार की बिक्री कर प्रणाली की जगह एक आदर्श बिक्री कर व्यवस्था बना देना चाहिए।

---

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, रविवार, 23 जुलाई 1995, पृ०- 8

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां निर्यात सम्वर्द्धन परिसरो, ई०ओ०यू० और ई०पी०जेड० प्रणाली को और तर्कसगत बनाया जाना चाहिए। निर्यात-आयात नीति मे कुछ परिवर्तन कर निर्यातोन्मुखी इकाइयो को आसान बनाया गया है, लेकिन बिक्री पर शुल्क ढाचे और रद्दी सामानो के लिए विभिन्न नियमो को आसान बनाने का काम अभी शुरू नही हुआ है।

उद्योगों के सम्मुख बदलते माहौल मे नयी चुनौतियो का सामना करने मे मौजूदा श्रमिक नीति भी एक बडी गम्भीर समस्या है। वर्तमान श्रमिक नीति की जटिलताओ की समीक्षा कर इसे कार्यकुशल और उत्पादकता को बढावा देने तथा अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने वाला बनाया जाना चाहिए। व्यापारिक समुदाय को भी अधिक जिम्मेदारी वहन करनी चाहिये जिसमे कम्पनी की योजना मे निर्यात को अहम मुद्दा बनाया जाय। उद्योगो को विशेष निर्यात लक्ष्य तय कर इसे पाने की दिशा में भरपूर कोशिश करनी चाहिये।

बन्दरगाहो की क्षमता का तेजी से विस्तार किया जाय तथा वहॉ के उपकरणो का आधुनिकीकरण किया जाय। इसके लिये बन्दरगाह क्षेत्र मे निवेश बढ़ाने का उपाय किया जाय तथा नये नीतिगत निर्णय लिया जाय। देश के पोर्ट ट्रस्टों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने की जरूरत है। पोर्ट अधिकारी बन्दरगाहो पर आवश्यक सेवाओ मे सुधार तथा उत्पादन व रखरखाव सम्बन्धी कार्यों मे कुशलता लाने मे अपना अमूल्य योगदान दे। देश का व्यापार तेजी से बढे और इस काम मे कोई भी बाधा नही आनी चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 प्रतिशत से ज्यादा यातायात होता है। लेकिन उनकी लम्बाई देश मे सड़को की कुल लम्बाई का मात्र 2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षमता से अधिक दबाव है। सरकार उन अड़चनो को दूर करे, जिनसे यातायात मे गतिरोध पैदा होता है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का तत्काल सुधार शुरू किया जाय।

भारतीय जहाजरानी की मालवहन क्षमता को बढाने की भी जरूरत है। इसके लिए भारतीय शिपिग कंपनियो को ज्यादा टनेज हासिल करने की सुविधा दी जाय ताकि वे भारतीय व्यापार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढो सके। भारतीय समुद्र तट काफी विशाल है। देश मे तकरीबन 14,500

किलोमीटर लम्बे अन्तरदेशीय जलमार्ग है। ऐसे मे यदि तटीय जहाजरानी, बदरगाहो तथा जलमार्गों का विकास किया जाय तो इससे सड़क और रेल यातायात का भार काफी हल्का हो सकता है।

यदि भारतीय निर्यातको ने उत्पादो की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नही दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आवश्यक नैतिक मानदडो को नही अपनाया तो भारत निर्यात मे पूर्वी एशियाई देशो के मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड जायेगा तथा चीन और कोरिया जैसे देश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से उसे बाहर कर देगे। इसलिये भारतीय निर्यातको को अपने उत्पादो की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिये और उत्पादो की गुणवत्ता के साथ ही साथ उनके डिजाइन पर भी हमे ध्यान देना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा आकर्षक और नवीनता मूलक रूप होगा, तभी विदेशी ग्राहक उनकी तरफ ध्यान देगे। इसके अलावा पैकेजिंग की क्वालिटी और चमक-दमक पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योकि आजकल उत्पाद मे जितना महत्व उसकी पैकेजिग का है, जिसके बगैर उत्पाद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

गुणवत्ता तथा किफायत के अलावा आक्रामक मार्केटिग भी निर्यातको के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए विदेशों में भारत तथा भारतीय उत्पादो की छवि बनाने और समय पर सामान की डिलीवरी देने का अभियान छेड़ना चाहिये।

खरीदारो द्वारा निर्यातको के पैसो का भुगतान न करने के पीछे ज्यादातर मामले घटिया उत्पादो की सप्लाई के है, इसी वजह से खरीदार भुगतान रोक देते है। इस कठिनाई से निपटने के लिए निर्यातक अपनी कमियो पर गौर करे तथा उत्पादो का स्तर सुधारे।

"निर्यातक इलेक्ट्रानिक तंत्र का लाभ उठाएं क्योकि तेज रफ्तार विश्व मे व्यवसाय के लिए इसका कोई विकल्प नही है। 1 जनवरी 1998 से देश भर मे निर्यात से जुडी एजेसियो मे ई०डी०आई० प्रणाली लागू हो जायेगी, जिससे सारा कागजी काम इलेक्ट्रानिक माध्यम से होने लगेगा। इस नेटवर्क से वाणिज्य मन्त्रालय, कस्टम हाउस, बन्दरगाह तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि सभी जुड़ जायेगे। फियो द्वारा स्थापित "फियोनेट" निर्यातको तथा आयातको को देश-विदेश से सम्बन्धित समस्त व्यापार सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। यह बेहद तेज तथा सबसे सस्ता इलेक्ट्रानिक डाटा नेटवर्क है। फियो ने इसकी स्थापना वाणिज्य मन्त्रालय की पहल पर की है। इसके माध्यम

से भविष्य मे लागू होने वाली ई०डी०आई० प्रणाली का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। फियोनेट के तहत फियो ने मल्टिपल फैक्स/ ई मेल/ फाइल ट्रासफर सुविधा शुरू कर दी है, जो फियो के देशभर मे फैले कार्यालयो मे उपलब्ध है। फियोनेट से भविष्य मे निर्यातको एव आयातको को उनकी डेस्क पर ही सभी आवश्यक सूचनाए तत्काल प्राप्त हो जाया करेगी।"[1]

निर्यातक मूल्य विर्धित उत्पादो के निर्यात पर अधिक ध्यान दे। भारतीय निर्यातको मे अपने उत्पादो की गुणवत्ता और डिलीवरी समय के प्रति बढती जागरूकता को देखते हुए निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति मे अधिक कठिनाई नही आनी चाहिए। निर्यातोन्मुखी इकाइयो की योजना के तहत पूरी अवधि तक 'कर छूट' देना चाहिये। कर ढाचे के सरलीकरण और निर्यातोन्मुखी इकाइयो को काम करने की पूरी छूट भी देना चाहिये। यदि निर्यात मे क्षेत्रीय विषमताए समाप्त कर दी जाये तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते है।

विश्व बाजार की अपनी शैली, अपना अदाज है। निर्यातको को इसे समझना चाहिए तथा बदलती मागों को पूरा करने मे जुट जाना चाहिए। भारत विदेशी गठबधनो के बल पर कभी वास्तविक विकास नही कर सकता, क्योकि इससे ज्यादातर लाभ विदेशी कपनियो के खाते मे चला जाता है। यदि भारत को कोरिया तथा चीन की तरह आगे बढना है तो भारतीय ब्राड (मेड इन इडिया) को लोकप्रिय बनाना चाहिये। भारतीय उत्पादो की ब्रांड छवि को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे स्थापित करना चाहिये ज्यादातर उपक्रमो की समस्याए प्रबधन स्तर की है, इसलिए प्रबधको को उच्चतम स्तर पर निर्णय लेना सीखना चाहिये तथा उन्हे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिये।

भारत से जिन वस्तुओ का निर्यात किया जाता है, उनमे इजीनियरिग का सामान, कृषि और उससे सम्बन्धित उत्पाद, चमड़ा और उससे बनी वस्तुओ, रत्न और आभूषण, रसायन और सबद्ध उत्पाद, वस्त्र इत्यादि प्रमुख है। निर्यात की दृष्टि से भारत के लिए पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के देश सबसे बड़ा बाजार साबित हो रहे है। इस क्षेत्र के देशो को भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है। भारत के पडोसी देशो मे भी हाल के कुछ वर्षों से भारतीय वस्तुओ की माग बढी है। दक्षिण एशियाई देशो मे भारत की व्यापारिक गतिविधियों मुख्य

1 दैनिक जागरण, वाराणसी, 7 जून 1996, पृ०- 9

रूप से बाग्लादेश और श्रीलका के साथ ही है, लेकिन देश की अर्थनीति मे जो खुलापन आया है, उससे नेपाल, भूटान, मालद्वीप और पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सबन्धो मे भी थोडी वृद्धि हुई है। मगर यह वृद्धि उत्साहवर्धक नही कही जा सकती, इसलिये इसे और गति देने की पहल की जानी चाहिए। भारतीय वस्तुओ की अच्छी खासी खपत अमरीका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन तथा हागकाग मे भी है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भारतीय कपनियॉ इन देशो को इनकी जरूरत के मुताबिक वस्तुएं निर्यात नही कर पा रही है, जबकि हम इन आधुनिक देशो को हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, कालीन, चमडा के उत्पाद का भारी मात्रा मे निर्यात करके अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमा सकते है। इन उत्पादो के उत्पादन मे वृद्धि करने से जहॉ एक ओर भारत के घरेलू बाजार मे रोजगार के नये अवसर बन सकते है, वही पर दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ हो सकती है। यदि पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति एव सामाजिक-आर्थिक समस्याओ (गरीबी, रोजगार, मुद्रास्फीति, सतुलन, पर्यावरण, मानव ससाधन विकास) के समाधान के लिए आगामी पाच वर्षों हेतु एक निश्चित पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम बनाया जाता है तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रो मे अनिश्चितता का दौर समाप्त हो सकता है तथा सभी सामाजिक-आर्थिक समस्याओ का कायाकल्प हो सकता है।

1991 से शुरू किया गया आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमो की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दुष्चक्रो की कैद से निकलकर विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाडी के रूप मे उभरने मे सफल रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, मुद्रास्फीति तथा बढते राजकोषीय घाटे ने इन सुधार कार्यक्रमो के प्रति आशका तथा चुनौती उपस्थित की है, लेकिन वर्तमान परिवेश मे इस उदारीकरण की यात्रा को तीव्र गति के साथ जारी रखना देश एव समाज के लिए सबसे अधिक हित मे है। विश्व स्तर पर हुए आर्थिक बदलावो के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे अलग नहीं रह सकता है। आर्थिक उदारीकरण की तीव्र रफ्तार भारत को न केवल विश्व का महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी बना सकता है, बल्कि सामाजिक एव राजनैतिक दृष्टि से भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता है।

अगर कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाये तो कृषि निर्यात वर्तमान 16 प्रतिशत से बढ़कर

20 से 25 प्रतिशत हो सकता है। सरकार की उदार आर्थिक नीति ने किसानो को निर्यात बढाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

"कृषि क्षेत्र से निर्यात मे वृद्धि करने की व्यापक सभावनाए मौजूद है, क्योकि अभी 90 प्रतिशत कृषि निर्यात मे सिर्फ 10 उत्पाद शामिल है। ये 10 उत्पाद भी विदेशो मे कुछ खास वर्ग, जिसमे मुख्यतः भारतीय मूल के लोग शामिल है, उनके लोगो के बीच ही खपत है। अगर विपणन नेटवर्क का विस्तार करते हुए उत्पाद को विविधीकृत किया जाये तो भारतीय कृषि उत्पादो का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे व्यापक पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है।"[1]

निर्यात के दृष्टिकोण से आलू और प्याज की जगह मशरूम जो कि ज्यादा लाभदायक है, पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्धनिर्मित वस्तुओ के बजाय पूर्ण निर्मित वस्तुओ की बिक्री से अधिक लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए जूट के बजाय कपडा, स्टील के बजाय स्टील के धागे, जडी बूटी एव पेड़ पौधो के बजाय उनके उत्पाद, इत्यादि। तैयार भोजन बेचकर लगभग 2,000 करोड रूपये प्रतिवर्ष की आय की जा सकती है। रूस और अमेरिका मे आलू चिप्स, आलू पावडर, आलू मैस इत्यादि की अत्याधिक माग है। परन्तु भारतीय विदेशी व्यापार सस्थान के एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न करो के कारण इन वस्तुओ की लागत 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक हो जाती है, अतः करो मे सरलीकरण की आवश्यकता है।

विदेशी व्यापार मे सतुलन बनाने के लिए सरकार को कृषिक्षेत्र के उत्पादो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूँकि भारतीय कृषि क्षेत्र मे अपार सभावनाए पहले से ही मौजूद है, बस उन्हे पूरी तरह उपयोग में लाने की जरूरत है। आधुनिक बाजार व्यवस्था मे कृषि सम्बन्धित उत्पादो का रूप सुधार कर या परिवर्तित करके मुद्रा कमाने का अनेक प्रकार का नया तथा सफलतम प्रयोग किया है।

खाद्य प्रसंस्करण, चिप्स, पापड, फ्रूट जूस, जैम, जैली, अचार, मुरब्बा इत्यादि से कई देश करोड़ो रूपये का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा नही है कि इस काम मे केवल छोटे या मझोले देश

---

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 13 मई 1994, पृ०- 11

ही शामिल हो, बल्कि यह काम बाकायदा विकसित तथा बडे देशो के द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम विकसित देश कृषि सम्बन्धित उत्पादो के व्यवसाय मे उतरकर भारी मुनाफा भी कमा रहे है, लेकिन कृषि प्रधान देश का राग अलापने वाले भारत मे सबसे अधिक दुर्दशा कृषि क्षेत्र की है। यदि भारत सरकार एक निश्चित कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र के उत्पादो का उत्पादन बढाये तो न केवल देश मे आर्थिक खुशहाली का माहौल बन सकता है, बल्कि हमे निर्यात करने योग्य तमाम सामान भी मिल सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने मे सुविधा हो सकती है।

भारतीय वस्तुओ के निर्यात मे सबसे ज्यादा गुजाइश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशो और अफ्रीकी देशो मे नजर आ रही है। इन छोटे-छोटे तथा आर्थिक रूप से पिछडे देशो मे भारतीय सामान की खपत और माग बराबर बढ रही है। इसलिए उसकी पूर्ति का पूरा उपाय किया जाना चाहिये। निर्यात की जाने वाली वस्तुओ की मात्रा और गुणवत्ता के मामले मे जो शिकायते देश को सुननी पड़ती है या जिनकी वजह से देशी माल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नही माना जाता है, उन पर ध्यान देकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए कारगर नीतिया बनानी चाहिए।

देश के विदेशी व्यापार मे संतुलन कायम करने के लिए हमे आयातित माल के मोहपास से भी निकलना होगा, क्योकि यह कोई जरूरी नही है कि जिस माल पर आयातित मोहर का ठप्पा लगा है, वह माल भारतीय माल की गुणवत्ता से श्रेष्ठ ही है। इसके अलावा हमे कच्चा माल निर्यात करने की भी प्रवृत्ति से उबरना चाहिये, क्योकि कच्चे माल की बिक्री से देश को नुकसान उठाना पडता है। इसलिए हमें तैयार माल निर्यात करने की योजना पर अग्रसर होना चाहिए। चूँकि हमारे देश मे अवसर, साधन और श्रम की कोई कमी नही है। इसलिये हमे इन बातो की अवहेलना करके कोई भी नयी विदेशी व्यापार नीति बनाने की आवश्यकता नही है। यदि सरकार इस दिशा मे सजग रही तो भारतीय आयात-निर्यात का अतर शीघ्र ही समाप्त हो सकता है।

भारत मे आर्थिक उदारीकरण के बाद जिस गति से औद्योगिक और कृषि क्षेत्र मे प्रगति हुई है, उस गति से ढांचागत क्षेत्र का विस्तार नही हो पाया है। जिसके फलस्वरूप बदरगाहो, सडको, जहाजरानी, रेलवे आदि पर क्षमता से कही अधिक भार डाला जा रहा है। यदि भविष्य मे भी यही स्थिति बनी रही तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास का बोझ वहन नही कर पायेगी।

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात आयात-निर्यात मे वृद्धि हुई, जिससे बन्दरगाहो पर मालवाहक जहाजो की भीड़ भी बढती गई। आज स्थिति यह है कि इन जहाजो को कई दिनो तक बदरगाहो पर माल उतारने या लादने के लिए ठहरना पडता है। "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बन्दरगाह अपनी क्षमता के 60 से 65 प्रतिशत पर ही काम करते है, लेकिन भारत मे मद्रास बन्दरगाह 135 प्रतिशत, तूतीकोरिन 132 प्रतिशत, पारादीप 132 प्रतिशत, काण्डला 127 प्रतिशत, बम्बई 120 प्रतिशत तथा मारमुगाओ 118 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे है। इन बन्दरगाहो पर जहाजो को औसतन 4 से 10 दिन तक रुकना पड़ता है, जबकि विदेशी बन्दरगाहो पर 6 से 48 घन्टे के भीतर यह काम पूरा हो जाता है।"[1] भारत मे इन समस्याओ से निपटने के लिए बन्दरगाहो के बेहतर प्रबधन के लिये बन्दरगाह ट्रस्टो को एक स्वशासी प्रशासनिक इकाई बनाना चाहिए, सीमा शुल्क विभाग को माल की जॉच के लिए तथ्यात्मक नीति अपनानी चाहिए, इलेक्ट्रानिक विधि से कोष हस्तातरण की विधि को सीमा शुल्क के साथ एकीकृत करना चाहिए तथा सभी बन्दरगाहो को कम्प्यूटरीकृत माल प्रबध प्रणाली अपनानी चाहिए।

यदि उपरोक्त सुझावो को व्यवहार मे लाया जाय तो निश्चित ही निश्चित सीमा तक भारत के निर्यात में वृद्धि, विश्व कल्याण में वृद्धि सम्भव है।

1 क्रानिकल, मार्च, 1996, प्रकाशक- 208-209, शिवलोक हाउस- 1, करमपुरा कमर्शियल कम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110015, पृ०- 55

संदर्भ ग्रंथ-सूची

पुस्तकें

- *कृष्ण बाल* — "कामर्सियल रिलेशन बिटविन इडिया एण्ड इग्लैण्ड" (1601 से 1757) लन्दन, 1924
- *कालीपाडा, देव* — "एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया" सुल्तान चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1978
- *कृष्ण मनमोहन* — "नव आर्थिक व्यवस्था एव अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सगठन" होराईजन पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 1995
- *गुप्त डा० राम प्रताप एव डा० विष्णु दत्त नागर* — "आर्थिक विकास के सिद्धान्त एव समस्याएँ" दि मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली, 1977
- *गुर्टू डा० डी०एन०* — "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1971-72
- *जैन जे०के०* — "क्रियात्मक प्रबन्ध" प्रतीक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1988
- *जैन डा० एस०सी० एवं डा० चतुर्भुज मेमोरिया* — "भारतीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन, आगरा, 1986
- *जैन पी०सी० एवं सतीश कुमार* — "डेवेलपिग कन्ट्रीज इन इन्टरनेशनल ट्रेड रिलेशन" चुघ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 1987
- *जैन पी०सी०* — "भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति" हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1966
- *पटेल आई जी* — "भारत का भुगतान सन्तुलन– विदेश व्यापार पुनर्दृष्टि की एक समालोचना" भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, 1981
- *पुरी वी० के० एवं एस०के० मिश्र* — "भारतीय अर्थव्यवस्था" हिमालया पब्लिशिग हाउस गिरगॉव, मुबई, 1994
- *बाल गोपाल, टी०ए०एस०* — "निर्यात प्रबन्ध" हिमालय पब्लिशिग हाउस, बम्बई, 1981

✍ *ब्राउन एण्ड न्यूबरगन* — ''इन्टरनेशनल एण्ड सेन्ट्रल प्लानिग''

✍ *भाट वी०वी०ः* — ''भारत मे आर्थिक परिवर्तन और नीति की छवि''(1800 से 1960), बम्बई, 1963

✍ *मिश्र जगदीश नारायण* — ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' किताब महल, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद 1991

✍ *लाल डा० एस०एन०* — ''मौद्रिक अर्थशास्त्र'' शिव प्रकाशन, इलाहाबाद, 1979

✍ *लाल कुन्दन एव अमरनाथ अग्रवाल* — ''आर्थिक आयोजन के सिद्धान्त'' दि मैकमिलन कम्पनी आफ इडिया लिमिटेड, दिल्ली, 1975

✍ *वाधवा आर०के० एव एल० शाहू* — ''फारेन इनवेस्टमेन्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिग कन्ट्रीज'' इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, जून 1990

✍ *वर्मा डा० एम०एल०* — ''फारेन ट्रेड मैनेजमेन्ट इन इडिया'' विकास पब्लिशिग हाउस प्रा० लि०, 576 मस्जिद रोड, नई दिल्ली, 1996

✍ *वर्मा डा० एम० एल०* — ''इन्टरनेशनल ट्रेड'' विकास पब्लिशिग हाउस प्रा० लि०, नई दिल्ली, 1996

✍ *वार्ष्णेय एवं डा० शर्मा* — ''विकास का अर्थशास्त्र एव नियोजन'' साहित्य भवन, आगरा

✍ *शर्मा आर० डी०, एन० एस० गुप्ता, आर० पी० राजबहक, पी० एन० अबरोल* — ''एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजिस आफ 90'' अनमोल पब्लिकेशस, नई दिल्ली, 1990

✍ *शोने० आर०* — ''मैकमिलन स्टडीज इन इकोनोमिक्स- द प्योर थियूरी आफ इन्टरनेशनल ट्रेड'' द मैकमिलन प्रेस लि०, लन्दन, 1972

✍ *शर्मा राम शरण* — ''प्राचीन भारत, कक्षा-II'' एन०सी०ई०आर०टी०

''मध्य कालीन भारत, कक्षा- II''(800 ई० से 1200 ई० तक) एन०सी०ई०आर०टी०

✍ *सिंघई डा० जी०सी०* — ''अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र'' साहित्य भवन, आगरा, 1993

✍ *सुन्दरम के०पी०एम० एव रूद्र दत्त* ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1994

✍ *श्रीवास्तव एच०जी०पी०* ''इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स'' विकास पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली, 1975

✍ *श्रीवास्तव एच०जी०पी०* ''अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र' विकास पब्लिशिग हाउस प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1977

✍ *सिद्दीकी डा० ए०ए०* ''द कामर्स जर्नल'' वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, 1990-91

✍ *सिद्दीकी डा० ए०ए०* ''अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एव प्रशुल्क नीति'' प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1996

✍ *सिन्हा डा० वी०सी० एवं डा० जे० प्रकाश* ''भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एव यातायात'' लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983

✍ *सिन्हा वी०सी०* ''अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र'' नेशनल पब्लिशिग हाउस, नई दिल्ली, 1985

✍ *सिह सुदामा एवं एम०सी० वैश्य* ''अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र'' आक्सफोर्ड एण्ड आई०बी०एच० पब्लिशिग क० प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली, 1989

पत्रिकाये

➩ प्रतियोगिता सम्राट — दीवान पब्लिकेशस प्रा० लि०, नई दिल्ली

➩ प्रतियोगिता दर्पण — उपकार प्रकाशन, 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा

➩ क्रानिकल — क्रानिकल पब्लिकेशस प्रा०लि० 208-209, शिवलोक हाउस, नई दिल्ली

➩ फारेन ट्रेड बुलेटिन — भारतीय विदेश व्यापार सस्थान, नई दिल्ली

➩ उद्योग व्यापार पत्रिका (मासिक) — इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

- विदेश व्यापार-प्रवृत्तियॉ एव वृत्तात — भारतीय विदेश व्यापार सस्थान, नई दिल्ली
- फारेन ट्रेड रिव्यू — वाल्यूम XV No-1, लिफ्ट नई दिल्ली, अप्रैल-जून 1980
- इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली — दीपक नय्यर, मई, 1987
- फारेन ट्रेड रिव्यू — एरिक गोनसेल्वेस, सम थाट्स आन इण्डिया एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजिस, वाल्यूम XX1, न०- 2 आई० आई० एफ०टी०, नई दिल्ली
- द कामर्स जर्नल — वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1990-91 और 1994-95

दैनिक समाचार

- फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली
- द इकोनोमिक्स टाइम्स, नई दिल्ली
- नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली
- जनसत्ता, नई दिल्ली
- हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ
- आज, वाराणसी
- दैनिक जागरण, वाराणसी
- अमर उजाला, कानपुर
- अमृत प्रभात, इलाहाबाद
- नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद

सरकारी प्रकाशन

- योजना — सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार
- वार्षिक रिपोर्ट 1991-92, 1992-93, 1994-95 — वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार
- द्वितीय पचवर्षीय योजना — योजना आयोग, भारत सरकार 1959
- तीसरी पचवर्षीय योजना — योजना आयोग, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित, 1962
- आर्थिक सर्वेक्षण 1988-89, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 — वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार (आर्थिक प्रभाग)
- एनूवल रिपोर्ट 1987 — आई०एम०एफ
- रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1987-88 इकोनोमिक रिव्यू, वाल्यूम- 1
- सार्वजनिक कार्य करने पर समिति (40 वॉ घोषणा) चौथा लोक सभा
- एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टस आफ डीजल इन्जिन्स एन सी ए ई आर, अगस्त 1967
- फारेन कोलाबोरेसन्स इन इण्डियन इण्डस्ट्री फोर्थ सर्वे रिपोर्ट, 1985, आर०बी०आई०, बम्बई
- पोजिसन एण्ड प्रोस्पेक्टस आफ इण्डिया फारेन ट्रेड ए सर्वे बाई ट्रेड कमीशन बाई ए०एन० अग्रवाल एडिटेड किताबिस्तान, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद, 1947

दूरदर्शन प्रसारण

डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण- मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिह द्वारा प्रस्तुत,

प्रोग्राम प्रसारण तिथि- 16-10-1995, 23-10-1995, 20-11-1995, 27-11-1995, 4-12-1995

समय- 8 PM से 8 30 PM तक — **फैक्स न०-** 011-332-7161